

GOVERNMENT OF INDIA
ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA
ARCHÆOLOGICAL
LIBRARY

ACCESSION NO. 65243

CALL No. 177.50934/Sha

D.G.A. 79

शूद्रों का प्राचीन इतिहास



शूद्रों का प्राचीन इतिहास

65243

रामशरण शर्मा

177.50934

Sha

M



प्राप्तिक्रिया संख्या 65243 दिनांक 23.10.79
प्रियोग कार्यालय 17/1, दिल्ली 110032
नमूल
केन्द्रीय पुस्तकालय

दि मैक्रिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड
नई दिल्ली बंबई कलकत्ता मद्रास
समस्त विश्व में सहयोगी कंपनियां

④ भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद
प्रथम हिंदी संस्करण : 1979
अनुवाद : विजयनाथ ठाकुर

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा प्रवर्तित

एस जी वसानी द्वारा दि मैक्रिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड
के लिए प्रकाशित तथा ग्रंथ भारती, दिल्ली-110032 में मुद्रित ।

R.S. Sharma : SHOODRON KA PRACHIN ITIHAS

अनुसंधान परिषद की ओर से

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अनेक उद्देश्यों में से एक है शोध की उपलब्धियों को उस पाठक वर्ग तक पहुंचाना जो हमसे यह अपेक्षा रखता है कि हम भारतीय भाषाओं के इतिहास संबंधी रचनाएँ तैयार तथा प्रकाशित करें। अंगरेजी भाषा के माध्यम से भारतीय इतिहासविद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहुंच सकते हैं, नाम और प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं, किंतु भारतीय पाठक वर्ग का एक छोटा अंश ही इससे लाभ उठा पाता है। शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम के रूप में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की प्रकृति बल पकड़ रही है। ऐसी स्थिति में इतिहास की स्तरीय पुस्तकों की कमी गंभीर रूप से अनुभव की जा रही है। सबसे पहले हमें भारतीय इतिहास की ओर ध्यान देना है। अतः भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने कुछ गौरवग्रंथों (क्लासिक्स) तथा इतिहास विषयक शोध की निर्देश पढ़तियों पर आँदूत और इतिहास की समकालीन प्रवृत्तियों को प्रतिबिवित करने वाली कुछ अन्य पुस्तकों का अनुवाद कराने का निश्चय किया है।

प्रस्तुत मौलिक एवं विस्तार से लिखी गई पुस्तक 'शूद्रों का प्राचीन इतिहास' में प्राचीन भारत पर काम करने वाले प्रमुख इतिहासकार डा० रामशरण शर्मा ने उन परिस्थितियों की जटिलता के विश्लेषण का प्रयत्न किया है जिनके कारण शूद्र वर्ग का निर्माण हुआ। इस पुस्तक में लगभग 500 ई० तक अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में शूद्रों की स्थिति में होने वाले विविध परिवर्तनों का व्यवस्थित लेखाजोखा दिया गया है। साथ ही यहां प्राचीन भारतीय समाज की संरचना में संबंधों की सिद्धांतिनिष्ठ प्रकृति की पड़ताल भी की गई है। प्रो० शर्मा ने अपनी प्राककल्पना और निष्कर्षों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर साहित्यिक आंकड़ों—वैदिक तथा शास्त्रीय, ब्राह्मण तथा अब्राह्मण—का सावधानीपूर्वक तथा आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण किया है। ऐसा करते समय विभिन्न कालों की भौतिक दशाओं को उन्होंने ध्यान में रखा है।

पुस्तक का प्रकाशन पटना यूनिट के प्रयासों का परिणाम है, जिसके लिए अनुवादक श्री विजयनाथ ठाकुर, और यूनिट प्रमुख डा० एन० पी० वर्मा और अन्य सहयोगियों के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

1 मार्च 1979

नई दिल्ली

ए० आर० कुलकर्णी

अध्यक्ष

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद

हिंदी संस्करण की भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक का अंगरेजी संस्करण बीस साल पहले निकला था। यद्यपि इस बीच शूद्रों के इतिहास पर कोई अधिक खोज नहीं हुई है, किंतु हिंदी संस्करण में जहां तहां आवश्यक परिवर्तन किए हैं। पुस्तक में शूद्र समुदाय की उत्पत्ति और उनके प्राचीन इतिहास के विभिन्न चरणों को उजागर करने की चेष्टा की गई है और इसमें बदलते भौतिक परिवेश का भी ध्यान रखा गया है। यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि दास और कर्मकर की स्थिति में रहने वाले शूद्र गुप्तकाल का अंत होते होते अधिकांशतः कैसे कृषक बन गए। आशा की जाती है कि इस पुस्तक से केवल शूद्रों की व्यवस्था की ही जानकारी नहीं होगी बल्कि वर्णव्यवस्था और प्राचीन भारतीय समाज के इतिहास पर भी प्रकाश पड़ेगा।

फरवरी 1979

इतिहास विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

रामशरण शर्मा



आमुख

मैंने इस विषय का अध्ययन लगभग दस वर्ष पहले आरंभ किया किंतु भारतीय विश्वविद्यालय के शिक्षक की कार्यव्यस्तता और पुस्तकालय की समुचित सुविधा के अभाव के कारण कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सका। इस प्रथ का अधिकांश स्कूल आफ ओरियांटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में दो शिक्षासन्नों (1954-56) में पूरा किया गया, जहाँ जाने के लिए पटना विश्वविद्यालय ने मुझे उदारतापूर्वक अध्ययन-अवकाश प्रदान किया। यह पुस्तक मुख्यतया मेरे उस शोधप्रबंध पर आधारित है जो लंदन विश्वविद्यालय में 1956 ई० में पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ था।

डा० एफ० आर० आलचिन, प्रो० एच० डब्ल्यू बेली, डा० टी० एन० दवे, डा० जे० डी० एम० डेरेट, प्रो० सी० वान फुरस्हैमेनडार्फ, प्रो० डी० डी० कोसाबी, प्रो० आर० एन० शर्मा और डा० ए० के० वार्डर और अनेक अन्य मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिनसे मुझे इस कार्य में अनेक प्रकार की सहायता मिली है। डा० एल० डी० बानेट ने मुझे जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। अपने प्रिय मित्र डा० देवराज को मैं अवश्य धन्यवाद दूंगा जिनकी सहायता यदि प्रमाणीवाचन और आनुषंगिक कार्य में नहीं मिलती तो पुस्तक के प्रकाशन में कुछ और विलंब हो जाता। डा० उपेंद्र ठाकुर का भी आभारी हूँ जिन्होंने अनुक्रमणी तंत्रार की है और प्रमाणीवाचन में भी मेरी सहायता की है। सबसे बढ़कर, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे प्रो० ए० एल० वैशम के साथ कार्य करने का अवसर मिला जिनके अविचल वैद्युत्य मानदंड, छात्रों की वैद्यिक स्वतंत्रता के प्रति स्नेह और सुहृद समित मार्गदर्शन से इस प्रथ की रचना में बहुत सहारा मिला है। इसमें तथ्य और निर्णय संबंधी जो भूलें अथवा अन्य तकनीकी अनियमितताएं रह गई हों उनका दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ।

—

अनुक्रम

- भूमिका : 1
- उत्पत्ति : 8
- जनजाति से वर्ण की ओर : 42
- दासता और अशक्तता : 82
- मौर्यकालीन राज्यनियंत्रण और सेवि वर्ग : 143
- प्राचीन व्यवस्था का कमज़ोर पड़ना : 174
- रूपांतरण की प्रक्रिया : 220
- सारांश और निष्कर्ष : 279
- ग्रंथ सूची : 284
- अनुक्रमणी : 302



भूमिका

65243

प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था का आधुनिक अध्ययन ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रयासों से आरंभ हुआ। कंपनी एक विदेशी जाति की संव्यवस्थाओं से परिचित हुए बिना उस पर शासन नहीं कर सकती थी। भारत के आरंभिक सामाजिक इतिहास की दृष्टि से जिन अंगल रचनाओं का कुछ महत्व है उनमें से एक है : अ कोड आफ जेंटू लाज (1776), जिसकी भूमिका में बताया गया है कि 'भारत के व्यापार और बंगाल में स्थानीय सत्ता की स्थापना' के लाभ तभी कायम रह सकते हैं जब 'उस देश की उन मौलिक संव्यवस्थाओं को अपना लिया जाए तो विजेताओं के कानूनों और हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।¹ मनुस्मृति के अनुवाद की भूमिका (1794) में आधुनिक भारतीय विद्या (इंडोलोजी) के जन्मदाता सर विलियम जोस ने लिखा है कि यदि इस नीति का अनुसरण किया जाए तो 'करोड़ों हिंदू प्रजा' का 'सुनिदिष्ट श्रम' 'ब्रिटेन की श्रीवृद्धि में सहायक होगा'² चार वर्ष बाद इन स्रोतों के आधार पर कोलब्रुक ने 'एन्युमरेशन आफ इंडियन ब्लासेज' पर निबंध लिखा।³ उसके अनुसार भारत का सामाजिक वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण, विशिष्ट संव्यवस्था है।⁴ उसके शीघ्र ही बाद अपनी पुस्तक दि हिस्ट्री आफ इंडिया (1818) में मिल ने वर्ण व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करने के लिए इन स्रोतों का उपयोग किया। शूद्रों की आशकतताओं की चर्चा करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदुओं में जातिजन्य पराधीनता की विभीषिका किसी भी अन्य समाज की अपेक्षा अधिक विनाशात्मक थी।⁵ उसने यह भी कहा कि हिंदू समाज की यह वीभत्सता अभी भी बनी हुई है। किंतु इन्हीं स्रोतों के आधार पर एलफिस्टन (1841) का निष्कर्ष था कि 'शूद्रों की स्थिति' कुछ प्राचीन गणराज्यों के लोक-दासों की स्थिति से अच्छी थी। उसका ख्याल था कि शूद्र मध्य युग के कृषि दासों या अन्य पराश्रित वर्गों से, जिनसे हम परिचित हैं, अच्छी हालत में तो अवश्य थे।⁶ उसका यह भी विचार था कि उसके समय वैसे पराश्रित वर्ग अब विद्यमान नहीं थे।⁷

इसमें संदेह नहीं कि बहुत सी अति पुरातन सामाजिक प्रथाएं उन्नीसवीं

२ शूद्रों का प्राचीन इतिहास

१

शताब्दी में भी प्रचलित थीं। इंग्लैड के विकासोन्मुख औद्योगिक समाज और भारत के पुराने तथा पतनोन्मुख समाज के बीच की गहरी विषमता ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित भारत के शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग का ध्यान आकर्षित किया।^८ उन्होंने महसूस किया कि सती प्रथा, आजीवन वैधव्य, बाल विवाह और सजातीय विवाह की प्रथा राष्ट्र की प्रगति में बाधक हैं। चूंकि ये प्रथाएं धर्मशास्त्रों के बल पर चल रही थीं, इसलिए यह अनुभव किया गया कि उनमें आवश्यक सुधार आसानी से लाए जा सकते हैं, यदि यह सिद्ध किया जा सके कि वे सुधार धार्मिक ग्रंथों के अनुरूप हैं। इस प्रकार सन १८१८ई० में राममोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में प्रकाशित अपनी प्रथम पुस्तिका (ट्रैटेक) के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि शास्त्रों के अनुसार, नारी के मोक्ष का सर्वोत्तम साधन सती प्रथा नहीं है।^९ इसी शताब्दी के पांचवें दशक में स्मृति ग्रंथों के आधार पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया।^{१०} सातवें दशक में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द ने मूल संस्कृत ग्रंथों के उद्धरणों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश के नाम से प्रकाशित किया। उनके जरिए उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, जन्म पर आधारित जाति प्रथा के बहिष्कार की घोषणा की,^{११} और शूद्रों को भी वेदाध्ययन का अधिकारी माना।^{१२} हमें मालूम नहीं कि आरंभ में समाज सुधारकों को म्यूर की समकालीन रचनाओं^{१३} से कहाँ तक प्रेरणा मिली। उसने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि प्राचीन युग में यह विश्वास प्रचलित नहीं था कि चारों वर्णों की उत्पत्ति आदि मानव से हुई है।^{१४} हम यह भी नहीं जानते कि वेदर की उन रचनाओं का भी उन पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं जिनमें उसने ब्राह्मणों और सूत्रों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का प्रथम महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है।^{१५}

१८११ ई० में, जब सम्मति आयु विधेयक (एज आफ कंसेंट बिल) प्रस्तुत किया जा रहा था, सर आर० जी० भंडारकर ने एक प्रामाणिक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें संस्कृत ग्रंथों का उद्धरण देकर उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वयस्क होने पर ही किसी लड़की का विवाह किया जाना चाहिए। दूसरी ओर बाल गंगाधर तिलक ने, जो विदेशी शासकों के विरुद्ध किसी भी हथियार का प्रयोग करने को तैयार रहते थे, प्राचीन संदर्भग्रंथों से उद्धरण प्रस्तुत करके इस विधेयक का विरोध किया।^{१६}

आधुनिक सुधारों के समर्थन में प्राचीन ग्रंथों का उद्धरण देने की प्रवृत्ति कितनी व्यापक थी इसका कुछ अनुमान आर० जी० भंडारकर (1895) के इन शब्दों से किया जा सकता है : 'प्राचीन काल में लड़कियों का विवाह वयस्क होने पर किया जाता था, अब उनका विवाह उसके पूर्व ही हो जाता है; तब विधवा विवाह का प्रचलन था, अब वह बिल्कुल उठ गया है... विभिन्न जातियों के लोग उन दिनों

साथ मिलकर खाते थे और इस बात पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन अब इन असंख्य जातियों में...इस प्रकार का कोई पारस्परिक संपर्क नहीं है।¹⁷

भारतीय विद्वानों ने समाज के पुराने रीति रिवाजों को इस ढंग से प्रस्तुत करते का प्रयास किया है कि वे नए युग के लोगों को अधिक ग्राह्य हों, पर पश्चिम के लेखकों को यह बात सुचिकर नहीं लगी है। सेनार्ट (1896) का कथन है कि अंगरेजी रंग ढंग में पले हिंदुओं ने जातिप्रथा की तुलना यूरोपवासियों में प्रचलित सामाजिक भेदभावों से की है, पर पश्चिमी सामाजिक वर्गों के साथ यदि उनमें कुछ समानता दीखती थी है तो बहुत कम ही।¹⁸ इसी प्रकार हापकिस (1881) का विचार है कि शूद्रों की स्थिति 1860 के पहले अमरीकी गृह दासों से मिन्न नहीं थी।¹⁹ हापकिस के इस मतव्य की समीक्षा करते हुए हिलब्रांट (1896) ने कहा है कि शूद्रों की तुलना पुराने जमाने के दासों से की जानी चाहिए, न कि बाद में विकसित ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भ में।²⁰

हापकिस की आलोचना करते हुए केतकर (1911) की शिकायत है कि हिंदूओं के प्रति बरते जाने वाले जातीय भेदभाव से प्रभावित होने के कारण यूरोपीय लेखक भारतीय जातिप्रथा का नाहक बढ़ा-चढ़ाकर चित्रण करते हैं।²¹ केतकर, दत्त, धूर्यं तथा अन्य नवीन भारतीय लेखकों की रचनाओं की मुख्य प्रवृत्ति यह है कि जातिप्रथा को इस रूप में चित्रित किया जाए कि वह नए ढाँचे में ढलकर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल बन सके।²² इससे यह आभास मिलता है कि प्राचीन भारतीय सामाजिक समस्याओं का अध्ययन अधिकतर सुधारवादियों और कट्टरपंथियों के बीच झगड़े की पृष्ठभूमि में किया गया है। सुधार और राष्ट्रीयता की सशक्त प्रेरणाओं ने भारत के आरंभिक सामाजिक जीवन के बारे में निःसंदेह अनमोल रचनाओं को जन्म दिया है। किंतु आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो कुछ बातें असुचिकर और कलुषित लगीं, उनकी या तो उपेक्षा कर दी गई या उनकी ऐसी व्याख्या की गई जो युक्तिसंगत नहीं लगती। उदाहरणार्थ, यह कहा गया है कि अशक्तताओं के कारण शूद्रों के सुख या कल्याण में कोई कमी नहीं आई।²³

आरंभिक सामाजिक जीवन के अनुकूल पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की इस प्रवृत्ति के कारण प्राचीन भारतीय शूद्रों की स्थिति के बारे में ग्रंथों का सर्वथा अभाव है। यूरोपीय लेखकों का भी ध्यान मुख्यतः हिंदू समाज के उच्च वर्गों के अध्ययन पर ही केंद्रित रहा है। इस प्रकार म्यूर ने ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच के संघर्ष के आख्यानों का वर्णन 188 पृष्ठों में किया²⁴ और हापकिस (1889) ने भी 'प्राचीन भारत में शासक जातियों की स्थिति' का विशद विवरण दिया है।²⁵ उत्तर पूर्व भारत के सामाजिक संगठन पर फिक (1897) की सराहनीय रचना भी मुख्यतया क्षत्रियों, ब्राह्मणों और गृहपतियों या सेन्ट्रियों के वर्णन में ही सिमटी

4 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

रही। निम्न वर्णों की स्थिति के प्रति इन लेखकों की अखंचि का कोई कारण नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि उनकी दृष्टि स्वयं उनके अपने युग के प्रबल, प्रमुख वर्ग के जीवन दर्शन से परिसीमित थी।

शूद्रों के बारे में प्रथम स्वतंत्र रचना वी० एस० शास्त्री (1922) का एक छोटा सा निबंध है जिसमें उन्होंने 'शूद्र' शब्द के दार्शनिक आधार की चर्चा की है।^{१०} इसी विषय पर एक अन्य लेख में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि शूद्र वैदिक अनुष्ठान कर सकते हैं।^{११} घोषाल (1947) ने हाल के अपने एक निबंध में धर्मसूत्रों में शूद्रों के स्थान की विवेचना की है।^{१२} इस विषय पर नवीनतम रचना रुसी लेखक जी० एफ० इलिन ने (1950) की है^{१३} जिन्होंने धर्मशास्त्रों के आधार पर^{१४} सिद्ध किया है कि शूद्र गुलाम नहीं थे। शूद्रों के संबंध में एकमात्र प्रबंध रचना (1946) सुविख्यात भारतीय राजनीतिज्ञ अंबेदकर की है। यह शूद्रों के उद्भव के प्रश्न तक ही सीमित है।^{१५} लेखक ने पूरी सामग्री अनुवादों^{१६} से जुटाई है और इससे भी बुरी बात यह है कि उनके लेखन से यह आभास मिलता है कि उन्होंने शूद्रों को उच्च वंश का सिद्ध करने का दृढ़ संकल्प लेकर अपनी यह पुस्तक लिखी है। यह उस भनोवृत्ति का परिचायक है, जो हाल में नीची जाति के पढ़े लिखे लोगों में उत्पन्न हुई है। शांति पर्व के मात्र एक स्थल पर शूद्र पैजवन द्वारा किए गए यज्ञ की चर्चा को शूद्रों के मूलतया क्षत्रिय होने का पर्याप्त प्रमाण मान लिया गया है।^{१७} लेखक ने विभिन्न परिस्थितियों की उस देवीदगी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण शूद्र नामक श्रमजीवी वर्ग बना। हमारे विषय से संबंधित एक बहुत हाल की रचना (1957) में^{१८} प्राचीन भारत के श्रमिकों से संबंधित छिटपुट सूचनाएं एकत्र की गई हैं किन्तु इससे हमारी समझदारी में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती। इस पुस्तक का प्रधान उद्देश्य है प्राचीन भारत में श्रम संबंधी अर्थशास्त्र के क्रियाकलाप की छानबीन करना। इस क्रम में लेखक ने पाया है कि पहले भी आज की तरह पारिश्रमिक बोर्ड, मध्यस्थिता, सामाजिक सुरक्षा आदि की व्यवस्था थी। फलस्वरूप यह पुस्तक 'आधुनिकता' से ग्रस्त है। इतना ही नहीं, यह पुस्तक प्रधानतया कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर लिखी गई है, अपूर्ण है और इसमें ऐतिहासिक समझदारी का अभाव है।

प्रस्तुत ग्रंथ की रचना का उद्देश्य मात्र प्राचीन भारत में शूद्रों की स्थिति का विस्तृत विवेचन करना ही नहीं बल्कि उसके ऐसे आधुनिक विवरणों का मूल्यांकन करना भी है जो या तो अपर्याप्त आंकड़ों के आधार पर अथवा सुधारवादी या सुधार विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर लिखे गए हैं। इसमें लगभग पांच सौ^{१९} तक हुए शूद्रों के विकास को सुसंबद्ध और क्रमानुसार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा।

इस ग्रंथ की सामग्री के लिए मुख्यतः साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर करना।

पड़ा है जिनका या जिनके कुछ अंशों का काल निर्धारण कठिन है। हमने साहित्यिक ग्रंथों का साधारणतया स्वीकृत कालक्रम अपनाया है, किंतु जहाँ इस पर मतभेद है, वहाँ परपरा से भिन्न रचनात्मिति अपनाने के बारे में हमने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं।

यद्यपि ये ग्रंथ विभिन्न कालावधियों के हैं फिर भी इनमें एक ही प्रकार के सूत्र और समरूप शब्दावली का ऐसा आधिक्य है कि इनके चलते समाज में हुए परिवर्तनों का पता लगाना कठिन है। इसलिए पाठभेदों पर पूरा ध्यान रखा गया है। इनमें से बहुतेरे ग्रंथों को टीकाकार की सहायता के बिना समझ सकना संभव नहीं है, किंतु टीकाकार अधिकतर अपने युग के विचारों को आरंभिक युगों पर आरोपित कर देते हैं।

यह भी ध्यातव्य है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों में ब्राह्मणों या क्षत्रियों या दोनों की प्रभुता को प्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयास किया गया है और उनमें शायद ही कहीं शूद्रों के प्रति सहानुभूति की भावना है। यह दलील दी जाती है कि धर्मशास्त्र और अन्यान्य ग्रंथों के लेखक शूद्रों के शत्रु थे, अतः प्रमाण की दृष्टि से इनका महत्व नहीं है।¹³⁵ किंतु अन्य प्राचीन समाजों के विधिग्रंथों में भी भारतीय धर्मशास्त्रों की तरह ही वर्ग के आधार पर विधान बनाने का सिद्धांत अपनाया गया है। दुर्भाग्यवश पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में निश्चित रूप से यह बताना कठिन है कि धर्मशास्त्र के न्यायसूत्रों का कहाँ तक अनुपालन होता था।

चूंकि शूद्र श्रमिक वर्ग के थे, अतः इस पुस्तक में उनकी मालीहालत और उच्च वर्ग के लोगों के साथ उनके आर्थिक और सामाजिक संबंधों का स्वरूप निश्चित करने पर विशेष ध्यान रखा गया है। स्वाभाविक रूप से इसमें दासों की स्थिति का भी अध्ययन करना पड़ा है क्योंकि शूद्रों को उनके सदृश माना जाता था। अछूतों को सिद्धांततः शूद्रों की कोटि में रखा गया है और यही कारण है कि उनकी उत्पत्ति और स्थिति की भी चर्चा विस्तारपूर्वक की गई है।

शूद्रों की स्थिति में हुई प्रगति की सुचारू व्याख्या और उसे सोदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, जहाँ कहीं संभव हुआ है, उसकी तुलना प्राचीन काल के उन समाजों और आदिकालीन लोगों की स्थिति में हुई उसी तरह की प्रगति के साथ की गई है जिनकी जानकारी मानवशास्त्रवेत्ताओं को प्राप्त है।

संदर्भ

- विवादार्थवर्सेतु, अनुवाद की भूमिका, पृ० IX. इस ग्रंथ का अंगरेजी से जर्मन भाषा में अनुवाद 1778 ई० में हुआ.
- इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रिडल, भूमिका, पृ० XIX. देवें रायल एशियाटिक सोसाइटी की

6 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

- प्रथम साधारण सभा (15 मार्च, 1823) में कोलब्रुक का भाषण, एसेज I, पृ० 1-2.
3. वही, ii, पृ० 157-70.
 4. वही, ii, पृ० 157.
 5. जेन्स मिल : 'दि हिस्ट्री आफ इंडिया', ii, पृ० 166; i, पृ० 166-9, पृ० 169, पाद-टिप्पणी 1. ऐसा प्रतीत होता है कि मिल ने भारत के इतिहास में जो साधारणीकरण, जो सामान्य विवेचन प्रस्तुत किया, उसका ग्रिटिंग इतिहासकारों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा.
 6. वही, i, पृ० 34.
 7. वही, पृ० 107.
 8. जे० सी० घोष : 'आहारणियम ऐंड शूद्र', पृ० 46. 1902ई० में एक पुराने भारतीय लेखक ने खेद प्रकट किया है कि आहारणों को यूरेसियन (अंग्रेज भारतीय) उद्योगपतियों से नीचे स्थान दिया गया.
 9. सं०—जे० सी० घोष : 'दि इंगलिश वर्स आफ रामोहन राय', i, प्रस्तावना, पृ० XVIII; jj, पृ० 123-192.
 10. आर० जी० भंडारकर : 'कलेक्टेड वर्स', ii, पृ० 498.
 11. स्वामी दयानन्द सरस्वती : 'सत्यार्थ प्रकाश', ततुर्थ रामुल्लास, पृ० 83-92, 113-122.
 12. वही, तृतीय समुल्लास, पृ० 39, 73-74.
 13. जे० म्यूर : 'ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट्स', i, लंदन, 1872.
 14. वही, पृ० 159-60
 15. इंडिसे स्टडियन, X, 1-160.
 16. आर० जी० भंडारकर : 'कलेक्टेड वर्स', ii, पृ० 538-83. 'हिस्ट्री आफ चाइल्ड मेरिज' पर जाली के निबंध की भंडारकर द्वारा की गई आलोचना भी देखें, वही, पृ० 584-602.
 17. वही, पृ० 522-23.
 18. एमिल सेनार्ट : 'कास्ट इन इंडिया', पृ० 12-13.
 19. ई० डब्ल्यू० हायकिस : 'म्यूचुबल रिलेशंस आफ दि फोर कास्ट्स इन मनू', पृ० 102.
 20. हिलब्रांट : 'आहारण ऐंड शूद्राज, फेस्टशिफ्ट फ्यूर कार्ल वैनहोल्ड', पृ० 57.
 21. केतकर : 'हिस्ट्री आफ कास्ट', पृ० 78, पाद-टिप्पणी-3.
 22. वही, पृ० 9. बल्लकर की पुस्तक 'हिंदू सोशल इंस्टीट्यूशंस' में राधाकृष्णन का प्रावक्तव्य. दत्त और घुर्ये की रचनाओं में अपेक्षाकृत अंचल्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण लक्षित हुआ है; पर देखें, दत्त : पूर्व निर्दिष्ट, भूमिका, पृ० VI.
 23. सरकार : 'हिंदू सोशियालजी', पृ० 92-95; शुक्रनीति सार के आधार पर, देखें के० बी० रंगस्वामी अयंगर : 'इंडियन कैमरेलिज्म', पृ० 85.
 24. जे० म्यूर : 'ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट्स', i, अध्याय IV.
 25. (जरनल आफ दि अमेरिकन ओरिएंटल सोसायटी), बाल्टी मोर, XIII, पृ० 57-376.
 26. बी० एस० शास्त्री (इंडियन एंटीबोरी), ii, पृ० 137-9.
 27. बी० एस० भट्टाचार्य : 'दि स्टेट्स आफ शूद्राज इन एनशिएंट इंडिया'; (विश्वभारती क्वार्टरली), i, पृ० 268-278.

28. यू० एन० घोषाल (इंडियन कल्चर), XIV, पृ० 21-27.
29. जी० एफ० इलिन : 'शूद्राज उण्ड स्कर्लेवेन इन डेन अल्टिनडिस्चेन गेसेत्सव्हेन, (सौवेटिवसेनरीपट, 1952), वेस्तनिक ड्रेवेनीय इस्तोरी से अनूदित, 1950, सं० 2, पृ० 94-107.
30. काणे ने शूद्रों के बारे में धर्मशास्त्र से जो उद्धरण संकलित किए हैं, उनमें शूद्रों की स्थिति का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करने के लिए मूल्यवान सामग्री प्राप्त होती है.
31. अंबेडकर : वैयर दि शूद्राज ?
32. वही, भूमिका, पृ० IV.
33. यह ध्यान देने की बात है कि हाल के जातीय आंदोलन में कई शूद्र जातियों ने क्षतिय होने का दावा किया. दुसाध दुःशासन के बीर चाले यदु के वंशज होने का दावा करते हैं-
34. के० एम० शरण : 'लेवर इन एन्शिएंट इंडिया'.
35. अंबेडकर : पूर्व निर्दिष्ट, 114.

उत्पत्ति

1847 ई० में रौथ ने संकेत किया था कि शूद्र आर्यों के समाज से बाहर के रहे होंगे।¹ उस समय से सामान्यतया यह विचारधारा चली आ रही है कि ब्राह्मण-कालीन समाज का चौथा वर्ण मुख्यतया आर्यों लोगों का था जिनकी वैसी स्थिति आर्य विजेताओं ने बना रखी थी।² यूरोप के गौरांग और एशिया तथा अफ्रीका के गौरांगों लोगों के बीच हुए संघर्ष से साम्य के आधार पर इस विचारधारा की पुष्टि की जाती रही है।

यदि दास और दस्यु दोनों आर्यों तर भाषा बोलने वाले भारत के मूल निवासी हों,³ तो उपर्युक्त विचारधारा के पक्ष में ऋग्वेद से प्रमाण प्रस्तुत करना संभव है। इस ग्रंथ के अनेक सूक्तों में, जिन्हें अर्थवर्वेद में भी दुहराया गया है, आर्यों के देवता इंद्र को दासों के विजेता के रूप में चिह्नित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दास मनुष्य ही रहे होंगे। वेदों में कहा गया है कि इंद्र ने अधम दास वर्ण को गुफाओं में रहने को बाध्य कर दिया था।⁴ विश्व-नियंता की हैसियत से दासों को पराधीन बनाने का भार उनके ऊपर है⁵, और उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे इन दासों का विनाश करने के लिए तैयार रहें।⁶ ऋग्वेदिक स्तुतियों में बार बार इंद्र से अनुरोध किया गया है कि वे दास जनजाति (विश्) का विधवंस करें।⁷ इंद्र के बारे में यह भी कहा गया है कि उसने दस्युओं को सभी अच्छे गुणों से वंचित रखा है और दासों को अपने वश में किया है।⁸

वेदों में दासों की अपेक्षा दस्युओं के विनाश और उन्हें पराधीन बनाने की चर्चा अधिक है। कहा गया है कि दस्युओं को मारकर इंद्र ने आर्य वर्ण की रक्षा की है।⁹ स्तुतियों में उससे अनुरोध किया गया है कि वह दस्युओं से युद्ध करे ताकि आर्यों की शक्ति बढ़ सके।¹⁰ महत्व की बात है कि दस्युओं की हत्या की चर्चा कम से कम बारह जगहों पर हुई है जिनमें से अधिकांश हृत्याएं इंद्र के द्वारा ही बताई गई हैं।¹¹ इसके विपरीत यद्यपि दासों की हत्या के अलग अलग प्रसंग भी आए हैं किन्तु 'दासहत्या' शब्द कहीं नहीं मिलता है। इससे पता चलता है कि दास और दस्यु पर्यायवाची नहीं थे और आर्य दस्युओं का विनाश निर्ममतापूर्वक करते

थे, पर दासों के प्रति उनकी नीति नरम थी।

आर्यों और उनके शत्रुओं के बीच जो संघर्ष हुए उनमें मुख्यतः शत्रुओं के किलों और दीवारों से घिरी बस्तियों को ध्वस्त किया गया। दासों और दस्युओं दोनों ही के कबजे में अनेक किलाबंद बस्तियाँ थीं¹², जिनका संबंध भी सामान्यतया आर्यों के शत्रुओं के साथ जोड़ा जाता है।¹³ मालूम होता है कि धुमकड़ आर्यों की आंखें दुश्मनों की बस्तियों में संचित संपत्ति पर लगी हुई थीं और उन्हें हड्डपने के लिए दोनों में निरंतर संघर्ष होता रहता था।¹⁴ उपासक की कामना रहती थी कि सभी ऐसे लोगों को मार दिया जाए जो यज्ञ, हवन आदि नहीं करते हैं और उन्हें मार देने के बाद उनकी सारी संपत्ति लोगों में बांट दी जाए।¹⁵ दस्युओं को संपत्तिशाली (धनिनः) होने पर भी यज्ञ न करने वाला (अक्रतु) कहा गया है।¹⁶ दो ऐसे दासप्रमुखों का उल्लेख किया गया है जो धनलोलुप माने गए हैं।¹⁷ कामना की गई है कि इन्द्र¹⁸ दासों की शक्ति को क्षीण करें और उनकी एकत्रित संपत्ति लोगों में बांट दें। दस्युओं के पास स्वर्ण और हीरा-जवाहरात भी थे, जिनके चलते प्रायः आर्यों का मन और भी ललच गया।¹⁹ किंतु आर्य जैसी पशुपालक जाति को मुख्यतया अपने दुश्मनों के पशुधन का अधिक लोभ था। तर्क दिया जाता है कि 'कीटट' (हरियाणा में रहने वाली एक जनजाति) गाय रखने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि वे यज्ञ में गव्य (दुर्घोत्पादित वस्तुओं) का उपयोग नहीं करते।²⁰ दूसरी ओर यह भी संभव है कि आर्यों के शत्रु उनके घोड़ों और रथों को अधिक महत्व देते थे। ऋग्वेद में एक कथा आई है कि असुरों ने राजषि दभीति के नगर पर कब्जा कर लिया था किंतु जब असुर लौट रहे थे तो इन्द्र ने उन्हें घेरकर पराजित किया और उनसे मवेशी, घोड़े तथा रथ छीनकर राजषि को वापस कर दिए।²¹

दस्युओं के रहन-सहन के ढंग से भी आर्य उनके बैरी बन गए। ऐसा लगता है कि आर्यों का पशुपालन पर आधारित जनजातीय और अस्थायी जीवनक्रम देशीय संस्कृति के स्थायी एवं शहरी जीवन से बेमेल था।²² आर्यों का जीवन प्रधानतया जनजातीय जीवन था, जो गण, सभा, समिति और विदथ जैसी विभिन्न सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से रूपायित हुआ है और जिसमें यज्ञ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। किंतु दस्युओं को यज्ञ से कोई सरोकार नहीं था। दासों के साथ भी यही बात थी, क्योंकि इन्द्र के बारे में बताया गया है कि वह दास और आर्य का विभेद करते हुए यज्ञस्थल में आता था।²³ ऋग्वेद के सातवें मंडल का एक संपूर्ण सूक्त अक्रतुन्, अश्रद्धान्, अयज्ञान् और अयज्वानः जैसे विशेषणों की श्रृंखला मात्र है। इनका प्रयोग दस्युओं के लिए पुरजोर तौर पर यह सिद्ध करने के लिए किया गया है, कि उनको यज्ञ पसंद नहीं था।²⁴ इन्द्र से कहा गया है कि वे यज्ञपरायण आर्य और यज्ञविमुख दस्युओं के बीच अंतर करें।²⁵ 'अनिंद्र' (इन्द्र

को न मानते वाला) शब्द का प्रयोग भी कई स्थलों पर किया गया है,²³ और अनुमानतः इससे दस्युओं, दासों और संभवतः कुछ भिन्न मतावलंबी आर्यों का बोध होता है। आर्यों के कथनानुसार दस्यु तिलस्मी जादू करते थे।²⁷ ऐसा मत अथर्ववेद में विशेष रूप से व्यक्त किया गया है। यहाँ दस्युओं को भूत-पिण्डाच के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इन्हें यज्ञ स्थल से भगाने की चेष्टा की गई है।²⁸ कहा जाता है कि 'अंगिरस्' मुनि के पास एक परम शक्तिशाली रक्षाकवच (ताबीज) था जिससे वे दस्युओं के किले ध्वस्त कर सकते थे।²⁹ ऋग्वैदिक काल में उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी थीं, उनके कारण ही अथर्ववेद में दस्युओं को दुष्टात्मा के रूप में चिह्नित किया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि ईश्वर के निदक दस्युओं को बलिवेदी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए।³⁰ ऐसा विश्वास था कि दस्यु विश्वासधाती होते हैं, वे आर्यों की तरह धर्म-कर्म नहीं करते और उनमें मानवता नहीं होती।³¹

आर्यों और दस्युओं के रहन-सहन में जो अंतर है, उससे आर्यों के व्रत, जिसका अर्थ सामान्यतया जीवन का सुनिश्चित ढंग होता है, के प्रति दस्युओं की क्या दृष्टि थी इसका पता चलता है।³² यदि व्रत और व्रात, जिसका अर्थ जन-जातीय दल या समूह होता है, के बीच संबंध स्थापित करना संभव हो तो यह कहा जा सकता है कि व्रत शब्द का अर्थ जनजातीय कानून या प्रथा है। दस्युओं को साधारणतः अन्नत³³ और अन्यन्नत³⁴ कहा गया है। 'अपन्नत' शब्द का प्रयोग दो स्थलों पर हुआ है जो प्रायः दस्युओं और भिन्न मत रखने वाले आर्यों के लिए है।³⁵ ध्यान देने की बात है कि दासों के लिए इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग नहीं हुआ है जिससे मालूम होता है कि वे दस्युओं की अपेक्षा आर्यों के तौर-तरीके अधिक पसंद करते थे।

ऐसा लगता है कि आर्यों और उनके शत्रुओं में रंग का अंतर था। आर्य, जो मानव (मानुषी प्रजा) कहे जाते थे और अग्नि वैश्वानर की पूजा करते थे, कभी कभी काले रंग वाले मनुष्यों (असिक्नीविशः) की बस्तियों में आग लगा देते थे और वे लोग संघर्ष किए बिना ही अपना सर्वस्व छोड़कर भाग खड़े होते थे।³⁶ आर्य देवता सीम को काले वर्ण के लोगों का हिस्क कहा गया है, जो दस्यु होते थे।³⁷ इन्द्र को भी काले रंग के राक्षसों (त्वचमसिक्नीम्) से संघर्ष करना पड़ा था,³⁸ और एक स्थल पर उन्हें पचास हजार काले वर्ण वालों (कृष्ण) की हत्या का श्रेय दिया गया है जिन्हें सायण काले वर्ण का राक्षस मानते हैं।³⁹ इन्द्र का असुरों की काली चमड़ी उधेड़ते हुए भी चित्रण किया गया है।⁴⁰ इन्द्र का एक वीरतापूर्ण कार्य, जिसका कुछ ऐतिहासिक आधार हो सकता है, कृष्ण नामक योद्धा के साथ उनका युद्ध है। कहा जाता है कि जब कृष्ण ने अपनी दस हजार सेना के साथ अंशुमती या यमुना पर खेमा गिराया तब इन्द्र ने मरतों (आर्यविशः) को संगठित किया और पुरोहित देव वृहस्पति को सहायता से अदेवीः विशः के-

साथ युद्ध किया।¹¹ अदेवीः विशः का अर्थ सायण ने काले रंग का असुर बताया है (कृष्णरूपा: असुरसेनाः)। कृष्ण को श्याम वर्ण का आर्येतर योद्धा बताया गया है जो यादव जाति का था।¹² यह संभव मालूम पड़ता है, क्योंकि परवर्ती अनुश्रुति है कि इंद्र और कृष्ण में बड़ी शत्रुता थी। ऐसा प्रसंग आया है जिसमें कृष्णगर्भी के मारे जाने की चर्चा है जिसका अर्थ संशयपूर्वक सायण ने कृष्ण नामक असुर की गर्भवती पत्नियां बताया है।¹³ इसी प्रकार इंद्र द्वारा कृष्णयोनिः दासीः के विनाश का भी उल्लेख है।¹⁴ सायण की उर्वर कल्पना ने उन्हें निकृष्ट जाति की आसुरी सेना (निकृष्ट जातीः... आसुरीः सेनाः) माना है, किन्तु विल्सन कृष्ण को श्याम वर्ण का द्योतक मानते हैं। यदि विल्सन का अर्थ सही माना जाए तो यह स्पष्ट है कि दास काले रंग के होते थे। किन्तु हो सकता है कि उन्हें उसी प्रकार काले रंग का कहा गया हो, जिस प्रकार दस्युओं और आर्यों के अन्य शत्रुओं को कहा गया है। उपर्युक्त प्रसंगों से निस्संदेह यह स्पष्ट होता है कि अग्नि और सोम के उपासक आर्यों को भारत के काले लोगों से युद्ध करना पड़ा था। ऋग्वेद में एक प्रसंग आया है जिसमें 'पुरुकृत्स' का पुत्र 'व्रसदस्यु' नामक वैदिक योद्धा काले रंग के लोगों के नेता के रूप में वर्णित है।¹⁵ इससे यह स्पष्ट होता है कि उसने उन लोगों पर अपनी धाक जमा रखी थी।

यदि दस्युओं के संबंध में प्रयुक्त अनास¹⁶ शब्द का अर्थ नाशविहीन या चिपटी नाक वाला किया जाए और दासों के प्रसंग में प्रयुक्त वृषभिप्र शब्द¹⁷ का अर्थ 'वृषभ ओष्ठ वाला' या उभरे ओठों वाला माना जाए तो यह मालूम पड़ेगा कि मुख्याकृतियों की दृष्टि से आर्यों के शत्रु उनसे भिन्न प्रकार के थे।

ऋग्वेद में 'मृध वाक' शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपों में छः स्थलों पर हुआ है,¹⁸ जिससे पता चलता है कि आर्यों और उनके शत्रुओं में बोलचाल की रीति भिन्न थी। यह दो स्थलों पर दस्युओं का विशेषण है।¹⁹ सायण ने इसका अर्थ 'विद्वेषपूर्ण वचन' वाला किया है, और गेल्डनर ने इसे 'झूठ बोलने वाले' का पर्याय माना है।²⁰ इससे पता चलता है कि आर्यों और दस्युओं में कोई भाषाजन्य अंतर था और दस्यु अपनी अनुचित वाणी से आर्यों की भावना को चोट पहुंचाते थे। अतः आर्यों और उनके दुश्मनों के बीच युद्ध में यद्यपि मुख्य प्रश्न पशु, रथ और अन्य प्रकार की संपत्ति को दखल करने का रहता था, फिर भी जाति, धर्म और बोलचाल की रीति में अंतर होने के कारण भी उनके संबंध कटु बने रहते थे।

यदि ऋग्वेद में दास और दस्यु शब्द के प्रयोग की आपेक्षिक मात्रा से कोई निष्कर्ष निकाला जा सके, तो जान पड़ता है कि दस्युगण, जिनकी चर्चा चौरासी वार हुई है, स्पष्टतः दासों से अधिक संख्या में थे जिनका उल्लेख इक्सठ बार हुआ है।²¹ दस्युओं के साथ युद्ध में अधिक रक्तपात हुआ। अपने विस्तार की आरंभिक अवस्था में आर्यों को जीविकोपार्जन के लिए पशुधन की आकांक्षा रहती थी।

इसलिए स्वभावतया उन्होंने नागर जीवन और संगठित कृषि का महत्व समझा ।⁵² ऐसा जान पड़ता है कि आर्यों के आने के पहले की नगर वस्तियाँ पूर्णतः ध्वस्त हो गई थीं। युद्ध में शत्रुओं से अपहृत वस्तुओं, खासकर मवेशियों के कारण सरदारों और पुरोहितों की शक्ति बढ़ी होगी और वे 'विश्' से ऊपर उठे होंगे। वाद में क्रमणः उन्होंने समझा होगा कि पुरानी संस्कृति के किसानों से श्रमिकों का काम लिया जा सकता है और उनसे कृषिकार्य कराया जा सकता है; साथ ही अपनी जनजाति के लोगों से भी श्रमिकों का काम लेना उन्होंने धीरे धीरे आरंभ किया होगा।

आर्यों और उनके शत्रुओं के बीच तो संघर्ष चल ही रहा था, आर्य जनजातीय समाज में भी आंतरिक द्वंद्व विद्यमान था। एक युद्धगीत में 'मन्यु,' 'मूर्तिमान क्रोध' से याचना की गई है कि वे आर्य और दास दोनों तरह के शत्रुओं को 'पराजित करने में सहायक हों।⁵³ इंद्र से अनुरोध किया गया है कि वे ईश्वर में आस्था नहीं रखने वाले दासों और आर्यों से युद्ध करें; ये इंद्र के अनुयाइयों के शत्रु के रूप में वर्णित हैं।⁵⁴ ऋग्वेद में एक स्थल पर कहा गया है कि इंद्र और वरुण ने सुदास् के विरोधी दासों और आर्यों का संहार कर उसकी रक्षा की।⁵⁵ सज्जन और धर्मपरायण लोगों की ओर से दो मुख्य ऋग्वैदिक देवताओं, अग्नि और इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे आर्यों और दासों के दुष्टतापूर्ण कार्यों और अत्याचारों का शमन करें।⁵⁶ चूंकि आर्य खुद मानव जाति के मुख्य दुश्मन थे, अतः आश्चर्य नहीं कि इंद्र ने दासों के साथ साथ आर्यों का भी विनाश किया होगा।⁵⁷ विल्सन ने ऋग्वेद के एक परिच्छेद का जैसा अनुवाद किया है उसे यदि 'स्वीकार किया जाए तो उसमें इंद्र की भरपूर प्रशंसा की गई है, क्योंकि उन्होंने सप्तसिधु (सात नदियों) के तट पर राक्षसों और आर्यों से लोगों की रक्षा की। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे दासों को अस्त्र-शस्त्र विहीन कर दें।⁵⁸

ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग छत्तीस बार हुआ है जिनमें से नौ स्थलों पर बताया गया है कि खुद आर्यों में भी आपसी मतभेद थे।⁵⁹ शत्रु आर्यों की दस्युओं के साथ एक स्थल पर चर्चा है और पांच स्थलों पर दासों के साथ, जिससे यह 'पता चलता है कि आर्यों के एक समूह से दस्युओं की अपेक्षा दासों का संबंध अच्छा था। आर्यों के अपने आपसी संघर्ष में दास स्वभावतः आर्यों के मित्र और सहयोगी थे। इसलिए आर्यों के समाज का जनजातीय आधार धीरे धीरे क्षीण होने लगा और आर्यों तथा दासों के विलयन की किया को बल मिला। ऋग्वेद के आरंभिक भाग में ऐसे पांच प्रसंग आए हैं जिनसे पता चलता है कि आंतरिक संघर्षों की परंपरा बहुत ही पुरानी थी।

आर्यों में बहुत पहले जो आंतरिक संघर्ष हुए थे उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण 'दाशराज्ञ' युद्ध है, जो ऋग्वेद में एक मात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना

है। गेल्डनर के अनुसार ऋग्वेद, मंडल सात का तैतीसवां सूक्त जिसमें इस युद्ध की चर्चा की गई है, प्रारंभिक काल से संबंधित है।⁶⁰ दस राजाओं का युद्ध मुख्यतः ऋग्वेदकालीन आर्यों की दो मुख्य शाखाओं 'पूरुओं' और 'भारतों' के बीच हुआ था, जिसमें आर्येतर लोग भी सहायक के रूप में सम्मिलित हुए होंगे।⁶¹ ऋग्वेद की सुविख्यात नायक सुदास् भारतों का नेता था और पुरोहित वसिष्ठ उसके सहायक थे। इनके शत्रु थे पांच प्रसिद्ध जनजातियों यथा 'अनु', 'दुष्यु', 'यदु', 'तुवंशस्' और 'पूरु' तथा पांच गौण जनजातियों यथा 'अलिन्', 'पवथ्', 'भलानस्', 'शिव' और 'विषाणिन्' के दस राजा। विरोधी गुट के सूत्रधार ऋषि विश्वामित्र थे और उसका नेतृत्व पूरुओं ने किया था।⁶² ऐसा प्रतीत होता है कि इस युद्ध में आर्यों की लघुतर जनजातियों ने अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने का स्मरणीय प्रयास किया। पर सुदास् के नेतृत्व में भारतों ने पुरुषिण (रावी) के किनारे उन्हें पूरी तरह हरा दिया। इन पराजित आर्यों के साथ कैसा व्यवहार किया गया, इसका कोई संकेत नहीं मिलता, किंतु अनुमान है कि उनके प्रति भी वैसा ही व्यवहार किया गया होगा जैसा आर्येतर लोगों के साथ किया गया था।

यह असंभव नहीं कि इस तरह के और भी कई अंतर्जातीय संघर्ष हुए हों जिनका कोई वृत्तांत हमें उपलब्ध नहीं। ऐसे संघर्षों के संकेत उन प्रसंगों में मिलते हैं जिनमें आर्यों को देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित ब्रतों का भंजक माना गया है। काणे ने ऋग्वेद से पांच अंश उद्धृत किए हैं जिनका ऐसा अर्थ लगाया जा सकता है।⁶³ आदियुगीन ऋषि अथर्वन ने वरुण के साथ हुए संभाषण में यह दावा किया है कि मैं जो नियम बनाऊंगा उसका उल्लंघन कोई भी दास, जो आर्य से भिन्न हो, नहीं कर सकता चाहे वह कितना भी बड़ा व्यंगों न हो।⁶⁴

म्यूर ने ऋग्वेद से ऐसे अठावन अंश उद्धृत किए हैं जिनमें आर्य समुदाय के सदस्यों की धार्मिक शत्रुता या उदासीनता की भर्त्सना की गई है।⁶⁵ इनमें से बहुत से परिच्छेद ऋग्वेद के मूल भाग (मंडल दो से आठ) में उपलब्ध हैं और उनसे पता चलता है कि आदिकाल में आर्यों की स्थिति कैसी थी। इनमें से कई अंश उन अनुदार व्यक्तियों के विरुद्ध हैं, जिन्हें अराधसम्⁶⁶ या अपृणतः⁶⁷ कहा गया है। एक स्थल पर इंद्र को समृद्ध व्यक्तियों (एथमानद्विद्) का, संभवतः उन समृद्ध आर्यों का जिन्होंने उसकी कोई सेवा नहीं की थी, दुश्मन बताया गया है।⁶⁸ दास और आर्य अपनी संपत्ति छिपाकर रखते थे, जिसके चलते उनका विरोध होता था।⁶⁹ कहा जाता है कि अर्जिन ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए समतल भूमि और पहाड़ियों में स्थित संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया और अपनी प्रजा के दास तथा आर्य शत्रुओं को हराया।⁷⁰ इन अंशों में यह बताया गया है कि जो आर्य दुश्मन समझे जाते थे उनकी भी संपत्ति (अनुमानतः मवेशी) छीन ली जाती थी और उन्हें आर्येतर लोगों की भाँति कंगाल बना दिया जाता था।

कही अनुच्छेदों में पणियों के रूप में विच्छयात लोगों के प्रति सामान्यतः शत्रुतापूर्ण भाव देखने को मिलता है।^१ म्यूर ने उन्हें कंजूस माना है।^२ 'वेदिक इंडेक्स' के प्रणेताओं के अनुसार ऋग्वेद में 'पणि' शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो संपर्कत्वान हो, पर न तो ईश्वर को हव्य अपित करता हो और न पुरोहितों को दक्षिणा देता हो, फलतः संहिता के रचयिताओं की घृणा का पात्र हो।^३ एक अनुच्छेद में उन्हें 'वेकनाट' या सूदखोर (?) बताया गया है जिन्हें इंद्र ने पराजित किया था।^४ पणि यज्ञ करने के लिए सक्षम थे और वैरदेय (वरगोल्ड) पाने के अधिकारी भी थे। इन तथ्यों से ज्ञात होता है कि वे आर्य समुदाय के ही सदस्य थे।^५ हिलब्रांट उन्हें पर्णियों से अभिन्न मानते हैं।^६ पर्णि दहे अर्थात् अश्वारोही और लड्डाकू सीधियन जनजातियों के विशाल समुदाय के अंग।^७ 'वेदिक इंडेक्स' के प्रणेता समझते हैं कि यह शब्द इतना व्यापक है कि इससे आदिवासी या 'विद्वेषी आर्य जनजातियों का भी बोध होता है।^८

जिन परिच्छेदों में पणियों को कंजूस बताया गया है और साधारणतः अनुदार व्यक्तियों की निंदा की गई है उनमें से कुछ दान लोभी पुरोहितों के इशारे पर लिखे गए होंगे। किंतु उनसे सामान्यतया पता चलता है कि अपने बांधवों का गला दबाकर भी संपत्ति इकट्ठी करने की प्रवृत्ति कुछ आर्यों में पाई जाती थी। ऐसे लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी एकत्रित संपत्ति में से इंद्र तथा अन्य देवताओं को यज्ञ में धनराशि अपित करें जिससे इस धन में फिर दूसरों को कुछ हिस्सा मिल सके^९ और जनसमुदाय को बार बार सहभोज का अवसर मिले। पर लूट के धन का अधिकांश अंश जब वे लोग अपने पास रखने लगे तो आर्थिक और सामाजिक विषमता का जन्म हुआ।

आर्यों के अन्य जनजातियों के साथ और उनके अंतर जनजातीय संघर्षों के कारण समाज विशृंखल होता गया और जैसे जैसे पशुपालन की अपेक्षा कृषि जोर पकड़ता गया, सामाजिक वर्गों की स्थापना हुई। यद्यपि ऋग्वेद में 'वर्ण' शब्द का प्रयोग आर्य^{१०} और दास^{११} के लिए हुआ है किंतु इससे किसी ऐसे श्रमविभाजन का संकेत नहीं मिलता जो परवर्ती काल में समाज के व्यापक वर्गीकरण का आधार हुआ। आर्य वर्ण और दास वर्ण दो वृहद जनजातीय समूह थे जो सामाजिक वर्गों के रूप में विघटित हो रहे थे। आर्यों के संबंध में इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। सेनार्ट की आलोचना करते हुए ओलडेनबर्ग ने ठीक ही कहा है कि ऋग्वेद में जाति (कास्ट) की चर्चा नहीं है,^{१२} किंतु इस संकलन से आरंभिक अवस्था में सामाजिक वर्गभेद के धीरे धीरे पनपने का आभास मिलता है। उसमें 'आह्वाण' शब्द का प्रयोग पंद्रह बार और 'क्षत्रिय' शब्द का प्रयोग नौ बार हुआ है। फिर भी, 'जन' और 'विश'^{१३} जैसे शब्दों के बार बार दुहराए जाने और उनके रीतिरिवाजों से पता चलता है कि ऋग्वैदिक समाज जनजातीय था। हमें मालूम

नहीं कि जब आर्य भारत में पहली बार आए तो उनके पास दास थे या नहीं। कीथ का विचार है कि वैदिक युग के भारतीय प्रधानतया पशुचारी थे¹⁸⁴ कम से कम ऋग्वेद के आरंभिक भागों में वर्णित आर्यों के बारे में यह समीचीन है। मानव विज्ञान संबंधी अनुसंधानों से पता चलता है कि कुछ पशुचारी जनजातियां भी दास रखती हैं, हालांकि अपेक्षित अर्थ में दासप्रथा का अधिक विकसित रूप क्रषक जनजातियों में दिखाई पड़ता है।¹⁸⁵

इसमें संदेह नहीं कि हड्डपा समुदाय की शहरी आबादी में जो आर्थिक विषमता थी, वह लगभग वर्गभेद जैसी थी।¹⁸⁶ ह्वीलर की राय है कि हड्डपा और मेसोपोटामिया के निवासियों के बीच दास व्यापार भी हुआ करता था।¹⁸⁷ यह मानना युक्तिसंगत है कि हड्डपा की शहरी आबादी का विकास निकटवर्ती देहातों के किसानों द्वारा अतिरिक्त कृषि उत्पादनों की आपूर्ति के बिना नहीं हो सकता था। सिवु घाटी का राजनीतिक ढांचा सुमेर के राजनीतिक ढांचे जैसा माना गया है, जहां पुरोहित राजा आजाशील प्रजा पर सुगठित अफसरशाही के माध्यम से शासन करता था।¹⁸⁸ हमें मालूम नहीं कि हड्डपा समाज के विभिन्न वर्गों और लोगों के साथ दस्युओं और दासों का कैसा संबंध था। जो भी हो, ऋग्वेदिक आर्यों के आने के पहले संघव सभ्यता प्रायः नष्ट हो चुकी थी। गंगा की घाटी में आर्य ज्यों ज्यों पूरब की ओर बढ़ते गए, उन्हें संभवतया तांचे के हथियार रखने वाले लोगों का मुकाबला करना पड़ा जो उस क्षेत्र के प्राचीन निवासी थे।¹⁸⁹ हो सकता है कि ताम्रयुग के अन्य लोगों की भाँति ये लोग भी वर्गों में बंटे रहे होंगे।

तथ्य उपलब्ध न रहने के कारण हड्डपा समाज के बचे-खुचे लोग और आर्यों के बीच क्या आदान-प्रदान हुए, यह कहना कठिन है। चाहे ये अनार्य जो भी हों, ऋग्वेद से तो लगता है कि उनके धन को आर्यों ने अवश्य लूटा। युद्ध में अपहरण की गई संपत्ति से जनजाति के नेताओं का ऐश्वर्य और सामाजिक दर्जा अवश्य बढ़ा होगा और उन्होंने मवेशी और दासियों का दान कर पुरोहितों का संरक्षण किया होगा। ऋग्वेद की दानस्तुति से यह स्पष्ट है। इस प्रकार ऋग्वेद में रथ पर जाते हुए एक यजमान को 'धनवान्, दाता, और सभाओं में संस्तुत' के रूप में चिह्नित किया गया है।¹⁹⁰

ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों के विस्तार के पहले दौर में वस्तियों और दस्युओं जैसे लोगों का विनाश इतना अधिक किया गया कि नए समाज में आर्यों के विलयन हेतु उत्तर पश्चिमी भारत में बहुत कम ही लोग बच रहे होंगे, हालांकि बाद में उनके विस्तार के क्रमों में ऐसी स्थिति नहीं भी रही होगी। एक ओर तो बचे हुए लोगों में से अधिकांश लोगों और विशेषतः अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग के लोगों को दासता स्वीकार करनी पड़ी होगी तथा दूसरी ओर आर्यों के समाज में 'विश' की सहज प्रवृत्ति यही रही होगी कि निम्न वर्ग में विलयन करें। आर्य पुरोहितों और

16. शूद्रों का प्राचीन इतिहास

योद्धाओं की प्रवृत्ति प्राचीन समाज के उच्च वर्ग से मिल जाने की रही होगी। दो ऐसे प्रसंग मिले हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में आर्य के दुश्मनों को इस नए और मिश्रित समाज में ऊचा दर्जा दिया गया था। एक स्थल पर कहा गया है कि इंद्र ने दासों को आर्य में परिवर्तित किया।⁹¹ सायण की टीका के अनुसार उन्हें आर्यों के जीवन के तौर-तरीके सिखाए जाते थे। एक अन्य प्रसंग में चर्चा आई है कि इंद्र ने दस्युओं को आर्य की उपाधि से बंचित कर दिया।⁹² क्या इससे यह अनुमान किया जाए कि कुछ दस्युओं को आर्य की हैसियत देकर फिर उन्हें अपने आर्यविरोधी कार्यकलापों के कारण उससे बंचित कर दिया गया होगा? इन तथ्यों के आधार पर हम अनुमान करते हैं कि बैरियों के बचे हुए पुरोहितों और प्रमुखों को आर्यों के नए समाज में उनके उपयुक्त स्थान (संभवतः निम्नतर कोटि का) दिया गया होगा।

कहा गया है कि ब्राह्मणवाद आर्यों से पूर्व की संस्था है।⁹³ सारे पुरोहितवर्ग के विषय में यह कहना कठिन है। लैटिन फ्लामेन जो रोमन राजाओं द्वारा स्थापित एक प्रकार के पुरोहित-पद का अधिधान है, का समीकरण ब्राह्मण शब्द से किया गया है।⁹⁴ इस समानता के अतिरिक्त वेदकालीन भारत के अर्थवर्तन पुरोहित और ईरान के अश्रवन की सुपरिचित समानता है। किंतु फिर भी एक प्रमुख आपत्ति का उत्तर देना शेष रह जाता है। कीथ का कथन है कि ऋग्वेदिक मान्यता और वैदिक देवताओं की अपेक्षाकृत बहुलता पुरोहितों के कठिन प्रयास और अपरिमित समन्वयवाद का परिणाम रही होगी।⁹⁵ इतना ही नहीं, वेदों और महाकाव्यों की परंपरा से पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि इंद्र ब्राह्मणघाती थे और उनका मुख्य दुश्मन 'वृत्' ब्राह्मण था।⁹⁶ इससे यह परिकल्पना पूष्ट होती है कि विकसित पुरोहितप्रथा आर्यों के पहले की प्रथा थी, जिससे निष्कर्ष निकल सकता है कि जो लोग पराजित हुए वे सभी दास या शूद्र नहीं बना लिए गए। अतएव, यद्यपि ब्राह्मणवाद भारोपीय संस्था था, फिर भी आर्य विजेताओं के पुरोहित वर्ग में अधिकांश विजित जाति के लोग लिए गए होंगे।⁹⁷ उनका अनुपात क्या रहा होगा यह बताने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, किंतु प्रतीत होता है कि आर्यपूर्व पुरोहितों को इस नए समाज में स्थान मिला था। यह सोचना गलत होगा कि सभी काले लोगों को शूद्र बना लिया गया था, क्योंकि ऐसे प्रसंग आए हैं जिनमें काले ऋषियों की चर्चा है। ऋग्वेद में 'अश्विनी' के संबंध में जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार उन्होंने काले वर्ण के (श्यावाय) कण्व को गौरवर्ण की स्त्रियां प्रदान की थीं।⁹⁸ संभवतः कण्व को कृष्ण भी कहा गया है⁹⁹ और वे इन युगम देवों को संबोधित सूक्तों (ऋग्वेद के मंडल आठ, सूक्त पञ्चासी और छियासी) के द्रष्टा हैं। शायद कण्व को ही पुनः ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण ऋषि के रूप में चिह्नित किया गया है।¹⁰⁰ इसी-

प्रकार ऋग्वेद की एक ऋचा में गायक के रूप में वर्णित 'दीर्घतमस्' काले रंग का रहा होगा, अगर यह नाम उसे काले वर्ण के कारण मिला हो।¹⁰¹ यह महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद के कई अनुच्छेदों में वह केवल मातृमूलक नाम 'मामतेय' से ही चर्चित है। बाद की एक अनुश्रुति यह भी है कि उसने उशिज से विवाह किया जो एक दास की लड़की थी और उससे काक्षीवंत् उत्पन्न हुआ।¹⁰² पुनः ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ऋषि दिवोदास को, जिनके नाम से ही ध्वनित होता है कि वे दास वंश के थे,¹⁰³ नई ऋचाओं का रचयिता बताया गया है¹⁰⁴ तथा दासवं मंडल में उसके सूक्त बयालिस-चौबालिस के लेखक अंगिरस को कृष्ण कहा गया है।¹⁰⁵ चूंकि ऊपर बताए गए अधिकांश निर्देश ऋग्वेद के परवर्ती भागों में पड़ते हैं इसलिए यह स्पष्ट होगा कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में नवगठित आर्य समुदाय में कुछ काले ऋषियों और दास पुरोहितों का प्रवेश हो रहा था।

इसी प्रकार मालूम पड़ता है कि कुछ पराजित सरदारों को नए समाज में उच्च स्थान दिया गया था। दास के प्रमुखों यथा, बलबूथ और तरुक्ष से पुरोहितोंने जो उपहार ग्रहण किया उसके चलते इन लोगों की बड़ी सराहना हुई और नए समाज में उनका दर्जा भी बढ़ा। दास उपहार प्रस्तुत करने की स्थिति में थे और उन्हें दानी समझा जाता था, यह निष्कर्ष दश धातु के अर्थ से ही निकाला जा सकता है जिससे दास संज्ञा का निर्माण हुआ है।¹⁰⁶ बाद में भी विलयन की प्रक्रिया चलती रही, क्योंकि बाद के साहित्य में इस अनुश्रुति का उल्लेख है कि प्रतर्दन दैवोदासि इंद्रलोक गए¹⁰⁷, और ऐतिहासिक दृष्टि से इन्द्र आर्य आक्रमण-कारियों के नामधारी शासक थे।

प्राचीन ग्रंथ इस तथ्य पर विशेष प्रकाश नहीं डालते कि सामान्य आर्यजन (विश्) और प्राचीन समाज के अवशिष्ट लोगों का आत्मसाक्तरण किस प्रकार हुआ। संभवतः अधिकांश लोग आर्यों के समाज के चौथे वर्ण में मिला लिए गए। किन्तु पुरुष सूक्त को छोड़कर ऋग्वेद में शूद्र वर्ण का कोई प्रमाण नहीं है। हां, ऋग्वैदिक काल के आरंभ में दासियों का छोटा सा आज्ञानुवर्ती समुदाय विद्यमान था। अनुमानतः, आर्यों के जो शत्रु थे उनमें पुरुषों के मारे जाने पर उनकी पत्नियां दासता की स्थिति में पहुंच गईं। कहा गया है कि पुरुषुत्स के बेटे त्रसदस्यु ने उपहार के रूप में पचास दासियाँ दीं।¹⁰⁸ अर्थवैद के आरंभिक अंशों में भी दासियों के संबंध में प्रमाण मिलते हैं। उसमें दासी का जो चित्र उपस्थित किया गया है उसके अनुसार उसके हाथ भीगे रहते थे, वह ओखल-मूसल कूटती थी¹⁰⁹ तथा गाय के गोबर¹¹⁰ पर पानी छिड़कती थी। इससे पता चलता है कि वह घरेलू कार्य करती थी। इस संहिता में काली दासी का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है।¹¹¹ संदर्भों से पता चलता है कि आरंभिक वैदिक समाज में दासियों से गृहकार्य कराया जाता था। दासी शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि वे पराजित दासों की स्त्रियाँ थीं।

गुलाम के अर्थ में दास शब्द का प्रयोग अधिकांशतः ऋूचेद के परवर्ती भागों में पाया जाता है। प्रथम मंडल में दो जगह¹¹², दशम मंडल में एक जगह¹¹³ और अष्टम मंडल में जो अतिरिक्त सूक्त (वालखिल्य), जोड़े गए हैं उनमें एक जगह¹¹⁴ इसका प्रसंग आया है। इस प्रकार का एकमात्र प्राचीन प्रसंग आठवें मंडल में पाया जाता है।¹¹⁵ ऋूचेद में कोई दूसरा शब्द नहीं मिलता जिसका अर्थ दास लगाया जा सकता हो। इससे स्पष्ट है कि आरंभिक ऋूचेद काल में प्रायद ही पुरुष दास रहे होंगे।

उत्तर ऋूचेद काल में दासों की संख्या और स्वरूप के बारे में जो प्रसंग आए हैं उनसे केवल धूंधला सा चिन्त उभरता है। वालखिल्य में सौ दासों की चर्चा आई है जिन्हें गदहे और भेड़ की कोटि में रखा गया है।¹¹⁶ बाद के एक अन्य प्रसंग में आए 'दासप्रवर्ग' का अर्थ संपत्ति या दासों का समूह किया जा सकता है।¹¹⁷ इससे यह स्पष्ट है कि ऋूचेद काल के अंत में दासों की संख्या बढ़ रही थी। किंतु ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे सिद्ध हो सके कि उन्हें किसी उत्पादन कार्य में लगाया जाता था। संभवतः उन्हें घरेलू नौकर की तरह रखा जाता था, जिसका मुख्य कार्य अपने मालिक, जो या तो सरदार या पुरोहित होते थे, की सेवा करना था। सामान्यतः ऐसे मालिक दीर्घतमस् के पास दास थे।¹¹⁸ इन दासों को मुक्त रूप से किसी के हाथ सौंपा जा सकता था।¹¹⁹ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति ऋण नहीं चुका पाता, तो उसे दास बना लिया जाता था।¹²⁰ पर ऋण में वैसे नहीं दिए जाते थे क्योंकि सिक्के का प्रचलन नहीं था। बास्तव में 'दास' नाम से ही प्रकट होता है कि वैदिक काल में दासता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत युद्ध था। दास जनजाति के लोग युद्ध में विजित होने पर भी दास के नाम से पुकारे जाते थे, पर इससे उनकी गुलामी का बोध होता था।

दास कौन थे? साधारणतः दासों और दस्युओं को एक मान लिया जाता है। किंतु दस्युहत्या शब्द के प्रयोग तो हैं, पर दासहत्या शब्द का प्रयोग नहीं मिलता; आर्यों के अंतर्जातीय युद्धों में दासों को सहायक सेना के रूप में दिखाया गया है; अपव्रत, अन्यव्रत आदि के रूप में उनका वर्णन नहीं किया गया है; तीन स्थलों पर 'दास विशेषों' का उल्लेख किया गया है;¹²¹ और सबसे बढ़कर तो यह कि एक सीथियन जनजाति, ईरानी दहे¹²² से उनको अभिन्न दिखाया गया है—इन सब तथ्यों से दासों और दस्युओं का अंतर स्पष्ट है : दस्युओं और वैदिक आर्यों में समानता की बात बहुत ही कम आती है।¹²³ इसके विपरीत, दास संभवतः उन मिश्रित भारतीय आर्यों के अग्रिम दस्ते थे जो उसी समय भारत आए जब केसाइट बेबीलोनिया पहुंचे थे (1750 ई० पू०)। पुरातात्त्विकों का अनुमान है कि उत्तर फारस से भारत की ओर लोगों का प्रस्थान या तो निरंतर होता रहा अथवा उनका आगमन मुख्यतः दो बार हुआ था, जिनमें पहला आगमन 2000 ई० पू०

के तुरंत बाद हुआ था।¹²⁴ शायद इसी कारण आर्यों ने दासों के प्रति मेलमिलाप की नीति अपनाई और दिवोदास, बलबुथ एवं तरुक्ष जैसे उनके सरदार आर्यों के दल में आसानी से आत्मसात किए जा सके। अंतर्जातीय संघर्षों में अधिकतर आर्यों के सहायक के रूप में दासों के उल्लेख का भी यही कारण है। इससे लगता है कि गुलाम के अर्थ में दास शब्द का प्रयोग भारत के आर्योंतर निवासियों के बीच नहीं, बल्कि भारतीय आर्यों से संबद्ध लोगों के बीच प्रचलित था। ऋग्वेद के उत्तरवर्ती काल में दास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होने लगा होगा, जिससे न केवल मूल भारोपीय दासों के बंशजों बल्कि दस्यु और राक्षस जैसे आर्य पूर्व लोगों और आर्य समुदाय के उन सदस्यों का भी जो अपने आंतरिक संघर्षों के कारण अकिञ्चनता या गुलामी की स्थिति में पड़ुंच गए थे, बोध होता होगा।

यदि आर्यों की संख्या कम होती तो वे पराजित लोगों पर नए अल्पसंख्यक उच्चवर्गीय शासक के रूप में अपने को स्थापित करते जैसा कि हित्तियों (हिट्टाइट), कसाइटों और मितन्नी ने पश्चिम एशिया में किया था। किंतु ऋग्वैदिक प्रमाण इस बात के प्रतिकूल हैं।¹²⁵ न केवल पराजित लोगों की जन-हत्या बल्कि कितनी ही आर्य जनजातियों की वस्तियों का भी उल्लेख मिलता है।¹²⁶ फिर, भारत के बहुत बड़े हिस्से में आर्य भाषाओं के प्रचलन से भी यह अनुमान किया जा सकता है कि इन भाषाओं के बोलने वाले बड़ी तादाद में आए थे। आगे चलकर बताया गया है कि उत्तर भारत की आबादी में वैश्यों के साथ साथ शूद्रों की संख्या बहुत अधिक थी, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वे आर्योंतर भाषाएं बोलते थे। दूसरी ओर, शूद्र के लिए यज्ञ में प्रयुक्त संबोधन से स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में शूद्र आर्यों की भाषा समझते थे।¹²⁷ इस संबंध में महाभारत की एक अनुश्रुति महत्वपूर्ण है: 'ब्रह्मा ने वेद के प्रतीक स्वरूप सरस्वती का निर्माण पहले चारों वर्णों के लिए किया किंतु शूद्र धनलिप्ता में पड़कर अज्ञानांधकार में डूब गए और वेद के प्रति उनका अधिकार जाता रहा।'¹²⁸ वेदर की दृष्टि में इस कंडिका से यह ध्वनित होता है कि प्राचीन युग में शूद्र आर्य की भाषा बोलते थे।¹²⁹ संभव है कि कुछ स्वस्थानिक जनजातियों ने अपनी बोली के बदले आर्यों की बोलियाँ अपना ली हों, जैसे आधुनिक युग में विहार की कई जनजातियों ने अपनी भाषा छोड़कर कुमर्ली और सदाना जैसी आर्य-बोलियाँ अपना ली हैं। किंतु उन्होंने जिन लोगों की भाषा अपनाई, उनकी अपेक्षा इन आदिवासियों की संख्या अवश्य कम रही होगी। आधुनिक युग में भी जबकि आर्य भाषा बोलने वालों को अपनी भाषा और संस्कृति का प्रसार करने के लिए अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं, वे आर्योंतर भाषाओं को नहीं मिटा पाए हैं। इन आर्योंतर भाषाओं में कुछ तो अपनी सशक्त वर्णनशीलता सिद्ध कर चुकी हैं।

अपर बताए गए तथ्यों के आधार पर, यह कहता दुस्साहस नहीं होगा कि

आर्य बड़ी तादाद में भारत आए। वैरी जनजातियों के साथ मिश्रण के बावजूद, आर्य सरदारों और पुरोहितों की संख्या बहुत कम रही होगी। कालक्रम से आर्य जनजातियों के अधिकांश लोग पशुपालक और किसान बन गए, और कुछ लोग श्रमिक बन गए। पर ऋग्वेद काल में आर्थिक और सामाजिक विशिष्टीकरण की प्रक्रिया अत्यंत आरंभिक अवस्था में थी। इस जनजाति प्रधान समाज में सैनिक नेताओं को अतिरिक्त अनाज या मवेशी प्राप्त करने के नियत और नियमित साधन प्रायः नहीं थे, जिससे वे और उनके धार्मिक समर्थक अपना निवाह और समुन्नति कर सकते। यह समाज मुख्यतः घुमंतु और पशुचारी था, और इसमें कृषि अथवा एक जगह बसने की प्रधानता नहीं थी। अतएव अनाज की चर्चा दान के रूप में भी नहीं आई है, और कर देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। युद्ध में पराजित लोगों से उपहार के रूप में या लूटपाट से जो संपत्ति आर्य समुदायों को प्राप्त होती थी, वही उनकी आमदनी थी और प्रायः इस संपत्ति में भी उन्हें जनजाति के सदस्यों को हिस्सा देना पड़ता था।¹³⁰ ऋग्वेद में केवल बलि ही एक शब्द है जो एक प्रकार से कर का व्योतक है। साधारणतया इसका तात्पर्य है देवता को अर्पित चढ़ावा,¹³¹ किंतु इसका प्रयोग राजा को दिए गए उपहार के रूप में भी किया जाता है।¹³² अनुमान है कि बलि का भूगतान करना ऐच्छिक था,¹³³ क्योंकि लोगों से इसकी वसूली के लिए कोई करवसूली संगठन नहीं था। जनजातिय राजा द्वारा अपने योद्धाओं और पुरोहितों को अनाज या भूमि के दान का दृष्टांत नहीं मिलता। इसका कारण शायद यह था कि भूमि पूरे जनसमुदाय की संपत्ति थी। ऋग्वैदिक समाज एक प्रकार का समतावादी समाज था, यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि पुरुष या स्त्री, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही वैरदेय प्राप्त करने का परंपरासिद्ध अधिकार प्राप्त था,¹³⁴ जो एक सौ गायों के बराबर था।¹³⁵

सारांश यह कि ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में वर्णित समाज में गहरे वर्गभेद का अभाव था जैसा सामान्यतया प्रारंभिक आदिम समाजों में देखने को मिलता है।¹³⁶ प्रायः पुराणों में वर्णव्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में जो अनुमान किए गए हैं वे उस स्थिति का ही उल्लेख करते हैं। इन अनुमानों के अनुसार ज्ञेता युग का आरंभ होने तक न तो कोई वर्णव्यवस्था थी, न कोई व्यक्ति लालची था और न लोगों में दूसरे की वस्तु चुरा लेने की प्रवृत्ति ही थी।¹³⁷ किंतु अति प्राचीन काल में भी सैनिकों, नेताओं और पुरोहितों के मंथर उद्भव के साथ साथ खेतिहर किसान और कारीगर या शिल्पी, जो हस्तकलाओं का व्यवसाय करते थे, जैसे वर्गों का भी उद्भव हुआ। बुनकर (जुलाहे), चर्मकार, बढ़ई और चित्रकार के लिए एक ही ढंग के शब्दों का प्रयोग उनके भारोपीय उद्भव का संकेत देता है।¹³⁸ रथ के लिए एक भारोपीय शब्द के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि भारोपीय लोग रथ का निर्माण करना जानते रहे होंगे।¹³⁹ किंतु ऋग्वेद में जहां

पहले के अनेकानेक परिच्छेदों में बढ़ई के कार्य की चर्चा हुई है, वहाँ रथकार शब्द का प्रयोग नहीं दिखाई पड़ता।¹⁴⁰ अर्थवैद से संकेत मिलता है कि रथनिर्माता (रथकार) और धातुकर्म करने वाले (कर्मार) को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसी ग्रंथ के आरंभिक भाग में नवनिर्वाचित राजा पर्णमणि (पादणीय-ताबीज) से प्रार्थना करता है कि वह आसपास रहने वाले कुशल रथ निर्माताओं और धातुकर्म करने वालों के बीच उसकी स्थिति सुदृढ़ करने में सहायक हो। प्रार्थना का उद्देश्य राजा को शिल्पियों को उसका सहायक बनाना है¹⁴¹ और इस दृष्टि से वे राजाओं, राजविधाताओं, सूतों और दलपतियों (ग्रामणी) के समकक्ष मालूम पड़ते हैं,¹⁴² जो सब राजा के आसपास रहते हैं और जो राजा के सहायक माने जाते हैं।¹⁴³

स्पष्ट है कि आर्य समुदाय के सदस्य (विश्व) ऊपर बताए गए शिल्पों का व्यवसाय करते थे और उन्हें किसी तरह हीन नहीं समझा जाता था। ऋग्वेद की एक परवर्ती ऋचा में बढ़ई का वर्णन इस रूप में किया गया है कि वह सामान्यतया अपना काम तब तक झुककर करता रहता है, जब तक उसकी कमर टूटने न लग जाए।¹⁴⁴ इससे आभास मिलता है कि उसका कार्य कठिन था पर इससे हमारे मन में उसके प्रति धृणा के बाव नहीं जगते हैं। वैदिक काल के सदर्भ में यह नहीं कहा जा सकता कि बढ़ई नीची जाति के थे या उनका अपना पृथक वर्ग था।¹⁴⁵ किंतु कर्मार, बढ़ई (तक्षन्), चर्मस्म¹⁴⁶, जुलाहे और अन्य लोग, जिनका व्यवसाय ऋग्वेद में सम्मानजनक माना गया है और जिनका विश्व के सम्मानित सदस्य भी आदर करते थे, पालि ग्रंथों में शूद्र माने गए हैं।¹⁴⁷ संभव है कि आर्येतर लोगों ने भी स्वतंत्र रूप से इन शिल्पों को अपनाया हो,¹⁴⁸ पर इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्य शिल्पियों के अनेक वंशज, जो अपने प्राचीन व्यवसाय में ही लगे रहे, शूद्र समझे जाने लगे।

चतुर्वर्ण की उत्पत्ति के बारे में प्राचीनतम अनुमान ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में वर्णित सृष्टि संबंधी पुराकथा में पाया जाता है। समझा जाता है कि इस संहिता के दशम मंडल में यह विषय बाद में अंतर्वेशित किया गया है। लेकिन उत्तर वैदिक साहित्य¹⁴⁹ में और गाथाकाव्य,¹⁵⁰ पुराण¹⁵¹ तथा धर्मशास्त्र¹⁵² की अनुश्रुतियों में भी इसे कुछ हेरफेर के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति आदिमानव (ब्रह्मा) के मुंह से क्षत्रिय की उनकी भूजाओं से, वैश्य की उनकी जांघों से, और शूद्र की उनके पैरों से हुई थी।¹⁵³ इससे या तो यह स्पष्ट होता है कि शूद्र और अन्य तीन वर्ण एक ही वंश के थे और इसके फलस्वरूप वे आर्य समुदाय के अंग थे, अथवा इसके द्वारा विभिन्न जातियों को ब्राह्मणीय समाज में उत्पत्ति की कहानी के द्वारा मिलाने का प्रयास किया गया। पुरुषसूक्त अर्थवैद के अंतिम अंश में है¹⁵⁴ और इसे कालक्रम

की दृष्टि से अर्थवैदिक युग के अंत का माना जा सकता है।¹⁵⁵ यह जनजातियों के सामाजिक वर्गों में विघटित होने का संदर्भातिक औचित्य प्रस्तुत करता है। श्रम का विभाजन ऋग्वैदिक काल में ही काफी विकसित हो चुका था। किन्तु, यद्यपि एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य कवि, भिषक और पाठक (पिसाई करने वाले) का काम करते थे¹⁵⁶ इससे कोई सामाजिक भेदभाव उत्पन्न नहीं होता था। पर अर्थवैदिक-काल के अंत में कार्यों की भिन्नता के आधार पर सामाजिक हैसियत में भी अंतर किया जाने लगा और इस प्रकार जनजातियों तथा कुनबों का सामाजिक वर्गों में विघटन शुरू हुआ। मालूम पड़ता है कि शूद्र जाति या दासकर्म करने वाले कुछ आर्य चतुर्थ वर्ण की श्रेणी में आ गए। इस अर्थ में चारों वर्णों की समान उत्पत्ति की कथा में सत्य का अंश है। किन्तु यह परंपरा पूर्णतः सत्य नहीं मानी जा सकती। संभव है कि बाद में आर्य शूद्रों के वंशजों की संख्या गंगा की नई उर्वर धाटियों में बढ़ती गई हो। साथ ही वैदिक काल से लेकर आगे तक विभिन्न प्रकार के विभिन्न वर्णों के आर्योत्तर आदिवासी धीरे धीरे बड़ी संख्या में शूद्र वर्ण में सम्मिलिए गए।¹⁵⁷ वर्णों की समान उत्पत्ति के बारे में चली आ रही परंपरा से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आर्योत्तर जनजातियाँ किस प्रकार ब्राह्मणीय समाज में प्रवेश पा सकीं, लेकिन यह कल्पना उपयोगी सिद्ध हुई। यह विभिन्न प्रकार के लोगों को मिलाने और उन्हें साथ ले चलने में सहायक हो सकी, और चूंकि शूद्रों को प्रथम मानव के चरण से उत्पन्न माना गया है, इससे ब्राह्मणप्रधान समाज में उनकी गुलामों जैसी स्थिति को न्यायसिद्ध माना और बताया जा सका।

तीन उच्च वर्णों की सेवा करने वाले सामाजिक वर्ग के रूप में शूद्रों का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है? ऋग्वेदकालीन समाज में कुछ दास-दासियां होती थीं, जो धरेलू नौकर के रूप में काम करती थीं पर उनकी संख्या इतनी नहीं थी कि उनको मिलाकर शूद्रों का दास वर्ण बन पाता। समाज के वर्ग के रूप में शूद्रों का प्रथम और एकमात्र उल्लेख ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में आया है जिनकी पुनरावृत्ति अर्थवैद के उन्नीसवें भाग में हुई है।¹⁵⁸ इसी भाग के दो अन्य परिच्छेदों में भी चार वर्णों का संकेत किया गया है। इनमें से एक परिच्छेद में दर्भ (धास) से प्रार्थना की गई है कि वह प्रार्थी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और आर्य का प्रियपात्र बनाए।¹⁵⁹ यहां आर्य शब्द का प्रयोग प्रायः वैश्य के लिए किया गया है। दूसरे परिच्छेद में देवों और राजाओं के साथ साथ शूद्र तथा आर्य दोनों के ही प्रियपात्र बनने की इच्छा व्यक्त की गई है।¹⁶⁰ मालूम पड़ता है कि यहां देव ब्राह्मण के लिए और आर्य वैश्य के लिए प्रयुक्त हुआ है।¹⁶¹ हमें स्मरण रखना है कि ये सभी परिच्छेद उन्नीसवें भाग में आए हैं जो बीसवें भाग को मिलाकर अर्थवैद के मुख्य संकलन का परिशिष्ट है।¹⁶² इसके पूर्व के एक परिच्छेद में ब्राह्मण, राजन्य या शूद्र द्वारा किए गए जादू-टोने (या उनके द्वारा बनाए गए ताबीज) का उल्लेख

है और एक मंत्र में बताया गया है कि प्रयोग करने वाले को भी जादू का झटका लग सकता है।¹⁰³ यह परिच्छेद अथर्ववेद के द्वितीय खंड (भाग आठ-बारह) में है जिसके संबंध में विहृतने की राय है कि इसकी रचना स्पष्टतः पुरोहितों ने की होगी।¹⁰⁴ इससे यह आभास मिलता है कि वर्णव्यवस्था का विकास पुरोहितों के प्रभाव में हुआ। हमारे काम का केवल एक प्रसंग ऐसा है जिसे विहृतने के अनुसार अथर्ववेद के आरंभिक काल का कहा जा सकता है। इसमें ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य का उल्लेख तो हुआ है,¹⁰⁵ किन्तु शूद्र को छोड़ दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि अथर्ववेद काल के अंत में ही शूद्रों को समाज के एक वर्ग के रूप में चिह्नित किया गया है। इसी अवधि में उनकी उत्पत्ति के संबंध में पुष्टसूक्त में उल्लिखित उकित का समावेश ऋग्वेद के दशम मंडल में किया गया होगा।

लोग जानना चाहेंगे कि चतुर्थ वर्ष शूद्र क्यों कहलाने लगा। मालूम होता है कि जिस प्रकार सामान्य यूरोपीय शब्द 'स्लेव' और संस्कृत शब्द 'दास' विजित जनों के नाम पर बने थे, उसी प्रकार शूद्र शब्द उक्त नामधारी पराजित जनजाति के नाम पर बना था। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में शूद्र नाम की जनजाति थी, क्योंकि डियोडोरस ने लिखा है कि सिकंदर ने आधुनिक सिध्ध के कुछ इलाकों में रहने वाली सोदर्व नामक जनजाति पर चढ़ाई की थी।¹⁰⁶ ग्रीक लेखकों ने जिन जातियों का उल्लेख किया है, उनका अस्तित्व अतिप्राचीन काल में भी देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, एरियन द्वारा चर्चित अवस्तनोई (जिसे डियोडोरस ने संवस्तर्इ कहा है) को ऐतरेय ब्राह्मण के अंबष्ठों का समरूप माना गया है।¹⁰⁷ इस ब्राह्मण में एक अंबष्ठ राजा की चर्चा है।¹⁰⁸ यही बात शूद्र जाति पर भी लागू होती है और इस तरह लगभग ई० पू० 10वीं शताब्दी की शूद्र जाति और चौथी शताब्दी की शूद्र जनजाति में साम्य देखा जा सकता है।

अथर्ववेद के आरंभिक भाग में शूद्रों के तीन उल्लेखों की इस दृष्टि से विवेचना की जा सकती है। विहृतने का कथन है कि ये अथर्ववेद के प्रथम खंड (भाग 1-7) में आते हैं जो परम लोकमूलक हैं और सभी प्रकार से उस संहिता का अत्यंत अभिलाक्षणिक अंश है।¹⁰⁹ इनमें से दो संदर्भों में पुजारी चाहता है कि हर किसी को, चाहे वह आर्य हो या शूद्र, जड़ी-बूटी की सहायता से परखे ताकि जादूगर का पता चल जाए।¹¹⁰ इस संबंध में ब्राह्मण या राजन्य का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। अब प्रश्न यह है कि यहाँ आर्य और शूद्र दो सामाजिक वर्गों (वर्णों) के प्रतीक हैं या दो जनजातियों के। इनमें से उत्तरवर्ती कल्पना युक्तियुक्त लगती है। पहले आर्य और दास या दस्यु के बीच जो विरोध रहता था वह अब बदलकर आर्य और शूद्र के बीच का हो गया। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि ये निर्देश सामाजिक विभेद या अशक्तताओं का ऐसा आभास नहीं देते जो वर्ण की कल्पना में अंतर्निहित है। उनकी तुलना उसी संहिता के एक अन्य परिच्छेद से की जा

24 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

सकती है जिसमें आर्य और दास की चर्चा है और जिसमें पुरोहित या वरुण ने यह दावा किया है कि उसने जिस मार्ग का अनुसरण किया है उसे कोई दास या आर्य विनष्ट नहीं कर सकता।¹⁷¹ ऋग्वेद में इसी तरह की अन्य ऋचाएं भी आई हैं, जिनमें पुरोहित चाहता है कि वह अपने दुश्मन आर्यों और दासों या दस्युओं को परास्त करे। वैदिक ग्रंथों में आए हुए सामाजिक संबंधों के प्रत्यक्ष निर्देशों का सही अर्थ लगाने में ब्राह्मण टीकाकार इसलिए सफल नहीं हो सके कि उनका ध्यान सदा बाद में होने वाली घटनाओं की ओर लगा रहता था। ऋग्वेद में आर्य और दास शब्दों का अर्थ जिस रूप में किया गया है वह इस आशय का उदाहरण कहा जा सकता है। सायण आर्य को प्रथम तीन वर्णों का और दास को शूद्र वर्ण का मानते हैं।¹⁷² स्पष्ट है कि सायण ने यह टीका बाद में समाज के चार वर्णों में विभक्त होने के आधार पर की, जिनका औचित्य वह सिद्ध करना चाहते हैं। इसी प्रकार यहां जिस अथर्ववैदिक प्रसंग का विवेचन किया जा रहा है उसमें सायण ने आर्य की व्याख्या तीन वर्णों के सदस्य के रूप में की है,¹⁷³ जिससे सहज ही शूद्र चौथे वर्ण के प्रतिनिधि हो जाते हैं। किंतु धर्मशास्त्रों में आर्य और शूद्र के प्रति जो दृष्टि अपनाई गई है, उसके आधार पर पहले के ग्रंथों का सही अर्थ लगाना बहुत कठिन हो जाता है।

अथर्ववेद के आरंभिक भाग में शूद्र को जनजाति माना गया है। इस आशय का निष्कर्ष इसमें उपलब्ध तीसरे प्रसंग से भी निकाला जा सकता है जिसमें 'तक्मन्' ज्वर से कहा गया है कि वह मुजवंतों, बलिहकों और महावृष्टों के साथ साथ कुषटा शूद्र महिलाओं को भी ग्रसित करे।¹⁷⁴ मालूम पड़ता है कि ये सभी जन उत्तरपूर्व भारत के निवासी थे।¹⁷⁵ जहां शूद्र जनजाति आभीरों के साथ रहती थी,¹⁷⁶ जैसा कि महाभारत में बताया गया है। एक अन्य ऋचा में भी इस इच्छा की पुनरावृत्ति की गई है कि ज्वर विदेशियों को ग्रसित करे।¹⁷⁷ इससे आभास मिलता है कि शूद्र महिलाओं का उल्लेख जिस संदर्भ में हुआ है वह अथर्ववेद-कालीन आर्यों के उस बैरभाव का द्योतक है जो उनके मन में भारत के उत्तर पश्चिम भाग के विजातीय निवासियों के प्रति रहता था। अतः यहां संभवतः शूद्रा शब्द का अर्थ है शूद्र जाति की महिला। पैष्ठाद शाखा की एक ऐसी ही ऋचा में शूद्रा की जगह 'दासी' शब्द का प्रयोग हुआ है,¹⁷⁸ जिससे लेखक की राय में यह प्रकट होता है कि ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। अतः अथर्ववेद के आरंभिक भाग में जो शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है उसे वर्ण के अर्थ में नहीं, बल्कि जाति के अर्थ में नेना चाहिए जो प्रसंग की दृष्टि से अधिक समीचीन मालूम पड़ता है।

महाभारत में आभीरों के साथ शूद्रों की चर्चा बार बार जनजाति के रूप में हुई है, जिससे ई० प०० दसवीं शताब्दी की परंपराओं का आभास मिलता है। इस महाकाव्य में शूद्र कुल का उल्लेख क्षत्रिय और वैश्य कुल के साथ हुआ है,¹⁷⁹ और

शूद्र जनजाति का वर्णन आभीरों, दरदों, तुखारों, पहलवों आदि के साथ हुआ है,¹⁸⁰ तथा कुल एवं जाति के बीच स्पष्ट भेद दिखाया गया है। नकुल ने अपनी दिग्बिय यात्रा के क्रम में जिन जातियों को पराजित किया उनकी सूची में¹⁸¹ तथा राजसूय यज्ञ के अवसर पर युधिष्ठिर को जिन लोगों ने उपहार प्रस्तुत किए उनकी सूची में¹⁸² भी शूद्र का उल्लेख जनजाति के रूप में हुआ है। इनका कालक्रम निर्धारित करने के लिए संभवतः एक ओर भारत युद्ध के समय विद्यमान शूद्रों और आभीरों तथा दूसरी ओर बाद में इस सूची में प्रक्षिप्त शकों, तुखारों, पहलवों, रोमकों, चीनों और हूणों आदि जनों के बीच विभेद करना पड़ेगा।¹⁸³ भारतीयतर स्रोतों से ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि ईस्की सन के पूर्व या पश्चात की कुछ आरंभिक शताब्दियों में शूद्रों और आभीरों को बाहरी देशों से भी कोई संबंध था। इस बात के समर्थक तथ्य यायद ही उपलब्ध हैं कि आभीर ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत आए। मालूम पड़ता है कि भारत युद्ध के समय वे जनजाति के रूप में यहां रहते थे,¹⁸⁴ पर उस महायुद्ध के पश्चात जो अस्तव्यस्तता की अवधि आई उसमें वे पंजाब में विखर गए।¹⁸⁵ आभीरों के साथ शूद्रों का जो बार-बार उल्लेख हुआ है उससे संकेत मिलता है कि वे पुरानी जनजाति के थे और युद्ध के समय सुखी एवं संपन्न थे। यह अर्थवर्वेद के आरंभिक अंश में शूद्र शब्द के जनजाति के रूप में किए गए अर्थ के सर्वथा उपयुक्त हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि शूद्र आर्य थे या आर्यों के आगमन के पहले की जनजाति थे और यदि वे आर्य थे तो भारत में किस समय आए। शूद्र जनजाति के मानवजातीय वर्गीकरण (एथनोलाजिकल क्लासीफिकेशन) के विषय में परस्पर-विरोधी विचार व्यक्त किए गए हैं। पहले यह माना जाता था कि पहले-पहल जो आर्य आए उनमें से कुछ शूद्र जनजाति के थे,¹⁸⁶ बाद में यह माना जाने लगा कि शूद्र आर्य पूर्व जनों की एक शाखा थे,¹⁸⁷ किंतु दोनों विचारों में से किसी के भी पक्ष में कोई सबल प्रमाण नहीं है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सोचा जा सकता है कि शूद्र जनजाति का आर्यों के साथ कुछ सादृश्य था। शूद्रों की चर्चा हमेशा आभीरों के साथ हुई है,¹⁸⁸ जो आर्यों की एक बोली आभीरी बोलते थे।¹⁸⁹ ब्राह्मणकाल में शूद्र आर्य की भाषा समझने में समर्थ थे जिससे परोक्ष रूप में सिद्ध होता है कि वे आर्यों की भाषा जानते थे। इतना ही नहीं, शूद्र को आर्य-पूर्व लोगों, यथा, द्रविड़, पुर्णिद, शबर आदि की सूची में कभी शामिल नहीं किया गया है। उन्हें बराबर उत्तर-पश्चिम का निवासी माना गया है,¹⁹⁰ जहां आगे चलकर मुख्यतः आर्य ही निवास करते थे।¹⁹¹ आभीर और शूद्र सरस्वती नदी के निकट रहते थे।¹⁹² कहा जाता है कि इन लोगों के प्रति बैरभाव के कारण सरस्वती मरुभूमि में विलीन हो गई।¹⁹³ ये संदर्भ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दृष्टदृती के साथ सरस्वती उस प्रदेश की एक सीमा स्थिर करती थी जो आर्य-देश कहलाता

था। ऊपर 'दहे' शब्द का हवाला दिया जा चुका है, जो भारतीय 'दास' शब्द का ईरानी पर्याय है, किंतु शूद्र के लिए ऐसा तादात्म्य स्थापन कठिन है। यह सुझाव दिया जा सकता है कि शूद्र ग्रीक 'कुद्रोस' शब्द का समानार्थक है,¹⁰⁴ जिसे होमर ने (ई० पू० दसवीं-नवीं शताब्दी) 'महान्' के अर्थ में प्रयुक्त किया है और इसका प्रयोग सामान्यतया मर्त्यलोक के प्राणियों के लिए नहीं बल्कि देवलोकवासियों की विशेषता बताने के लिए किया गया है।¹⁰⁵ भारत में, बाद में, शूद्र शब्द अपमानसूचक माना जाने लगा, और उन लोगों के लिए व्यवहृत होता था जिनसे ब्राह्मण अप्रसन्न थे। इसके विपरीत होमरकालीन ग्रीस में 'शूद्र' शब्द (कुद्रोस) प्रशंसावाचक था। हम यह कह सकते हैं कि 'कुद्र' नामक एक भारोपीय जनजाति थी जिसकी शाखाएं ग्रीस और भारत दोनों देशों में गईं। ग्रीस में इस शाखा को महत्व का स्थान मिला, लेकिन इस जाति के जो लोग भारतवर्ष आए उन्हें उनके सहआक्रमणकारियों ने हराकर अपने अधीन कर लिया। इस कारण ग्रीस में कुद्रों का ऊंचा स्थान हुआ और भारत में शूद्रों का नीचा स्थान हुआ। एक ही शब्द के विभिन्न संदर्भ में विपरीत अर्थ होते हैं जैसा कि असुर शब्द के उदाहरण से स्पष्ट है। भारत में असुर अनिष्टकर (शैतान) माना जाता है, किंतु उसके प्रतिरूप 'अहुर' को ईरान में देवता माना जाता है। भारत और ग्रीस में शूद्र शब्द का प्रयोग भेद भी इसी प्रकार का माना जा सकता है, किंतु उपरोक्त व्याख्या को तब तक निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह प्रमाणित न हो जाए कि 'कुद्रोस' ग्रीस की एक जनजाति थी। फिर भी, ऊपर जितनी बातें कही गई हैं, उनके आधार पर यह संभव प्रतीत होता है कि दासों के समान शूद्र भी भारतीय आर्यवंश के लोगों से संबंधित थे।

यदि शूद्र भारतीय आर्यों से संबद्ध थे, तो वे भारत में कब आए? कहा गया है कि वे भारत में आने वाले आर्यों के किसी आरंभ के दल के थे।¹⁰⁶ किंतु चूंकि ऋग्वेद में उनका उल्लेख नहीं हुआ है, इसलिए संभव है कि शूद्र उन विदेशी जनजातियों में से थे जो ऋग्वैदिक काल का अंत होते होते उत्तर-पश्चिम भारत में आई। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के आधार पर ऐसा संभव मालूम पड़ता है कि 2000 ई० पू० के पश्चात हजार वर्षों तक लोगों का भारत में आना जारी रहा।¹⁰⁷ इस परिकल्पना का समर्थन भाषाजन्य प्रमाणों से भी होता है।¹⁰⁸ अतएव अनुमान किया जाता है कि शूद्र ई० पू० दूसरे सहस्राब्द के अंत में भारत आए, जबकि उन्हें वैदिक कालीन आर्यों ने पराजित किया और वैदिक काल के उत्तरवर्ती समाज ने उन्हें चतुर्थ वर्ण के रूप में अपनाया।

यह जोर देकर कहा गया है कि ब्राह्मणों के साथ दीर्घकाल तक संघर्ष करते रहने के फलस्वरूप क्षत्रियों को शूद्र की स्थिति में पहुंचा दिया गया और ब्राह्मणों ने अपने शत्रु क्षत्रियों को अंततः उपनयन (यज्ञोपवीत संस्कार) के अधिकार से

वंचित कर दिया।¹⁰⁰ महाभारत के शांतिपर्व में वर्णित एकमात्र अनुश्रुति के आधार पर कि पैजवन शूद्र राजा था, यह दावा किया जाता है कि शूद्र आरंभ में क्षत्रिय थे।¹⁰⁰ इस तरह की धारणा का कोई तथ्यगत आधार नहीं है। प्रथमतः, ऋषिवेद काल में क्षत्रियों का ऐसा वर्णन कहीं नहीं मिलता है जिससे पता चले कि उनका एक निश्चित वर्ण था तथा उनके कर्तव्य और अधिकार अलग थे। संपूर्ण जनजाति के लोग युद्ध और सार्वजनिक कार्यों के प्रबंध को अपना कर्तव्य समझते थे। यह कुछ गिने-चुने योद्धाओं का काम नहीं समझा जाता था। आरंभ से ही विकसित हो रहे योद्धाओं और पुरोहितों के समुदाय ने आयों और आर्यतर लोगों के साथ युद्ध में विश्व का मार्गदर्शन किया और उन्हें सहायता दी। ज्यों ज्यों समय बीतता गया सरदार और योद्धागण पुरोहितों को उदारतापूर्वक झेट उपहार देने लगे और धार्मिक कर्मकांड जटिल होता गया, जिससे उस कर्मकांड का निष्पादन करने वाले पुरोहितों और उन पुरोहितों को संरक्षण देने वाले योद्धाओं की शक्ति सामान्य जन की शक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ी। दूसरे, यद्यपि उत्तर वैदिक काल में, परशुराम और विश्वामित्र की कथाओं में पुरोहितों और योद्धाओं का संघर्ष ध्वनित होता है, फिर भी इसका कोई प्रमाण नहीं है कि विवाद का विषय उपनयन था, जिसका निर्णय क्षत्रियों के विपक्ष में हुआ। उत्तरवैदिक-काल के अंत में कृषि के आरंभ हो जाने से किसानों से अनाज वसूल किया जाना लगा। इस वसूली में किसका कितना हिस्सा होगा इसको लेकर सरदारों और पुरोहितों में संघर्ष अवश्यंभावी था। संघर्ष सामाजिक आधिपत्य को लेकर हुआ करता था, जिसके आधार पर विशेषाधिकारों का निर्णय होता था। ज्ञान के क्षेत्र में ब्राह्मणों के एकाधिकार के विषय में भी कुछ विवाद उठे और क्षत्रियों ने इसे चुनौती दी और उसमें सफल भी हुए। ऐसा जान पड़ता है कि अश्वपति कैकेय और प्रवाहण जैविलि संभवतः ब्राह्मणों के अध्यापक थे।¹⁰¹ मिथिला के क्षत्रिय शासक जनक ने उपनिषदीय चित्तन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया तथा क्षत्रिय राजा विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। उत्तर-पूर्व भारत में क्षत्रियों का विद्रोह गौतम बुद्ध और वर्द्धमान महाबीर के उपदेशों के रूप में अपनी चरम सीमा पर आया। उनके अनुसार समाज में प्रमुख स्थान क्षत्रियों का था और ब्राह्मण उसके बाद थे। क्षणङ्ग इस प्रश्न को लेकर था कि समाज में प्रथम स्थान ब्राह्मणों को मिले या क्षत्रियों को। न तो उत्तर वैदिक और न मौर्य पूर्व ग्रन्थों में ही कहीं ऐसा संकेत है कि ब्राह्मण चाहते थे कि क्षत्रियों को तृतीय या चतुर्थ वर्ण में रखा जाए, या क्षत्रियों की यह इच्छा थी कि ब्राह्मणों की वह गति हो।

तीसरी बात यह कि ऐसा सोचना गलत है कि आरंभ में उपनयन संस्कार का न होना शूद्रता का निश्चित प्रमाण माना जाता था। इस मामले में आज के न्यायालयों का निर्णय¹⁰² उस समय की परिस्थितियों का द्योतक नहीं बन सकता

28 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

जब शूद्र वर्ण का उद्भव हुआ। शूद्रों को उपनयन-च्युत केवल उत्तर वैदिक काले के अंत से पाया जाता है और तब भी शूद्रों की दासतासूचक एकमात्र अशक्तता केवल यहीं नहीं थी कि उन्हें यज्ञोपवीत से बंचित रखा गया, इस तरह की अन्य कई अशक्तताएं थीं। आगे चलकर हम देखेंगे कि बात ऐसी नहीं थी कि उपनयन नहीं होने के कारण आर्य शूद्र में परिवर्तित हो गए थे, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विषमताओं के चलते वे इस अधोगति में पहुंचे थे।

चौथी बात यह है कि शांतिपर्व की इस अनुश्रुति की प्रामाणिकता को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना कठिन है कि पैजवन शूद्र था। उसे सुदास् से अभिन्न माना गया है जो भारत जनजाति का प्रधान था, और कहा जाता है कि दस राजाओं के युद्ध का यह सुप्रसिद्ध नायक शूद्र ही था।²⁰³ वैदिक ग्रंथों में ऐसे तथ्य नहीं हैं जिनसे इस विचार की पुष्टि होती हो और शांतिपर्व की अनुश्रुति को किसी अन्य स्रोत से, चाहे वह महाकाव्य हो या पुराण, बल नहीं मिलता है। इस अनुश्रुति के अनुसार शूद्र पैजवन यज्ञ करते थे, यह बात भी ऐसे प्रसंग में आई है, जहां कहा गया है कि शूद्र पांच महायज्ञ कर सकते थे और दान दे सकते थे।²⁰⁴ यह निर्णय करना कठिन है कि यह अनुश्रुति सच है या झूठ, किंतु इसका उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि शूद्र यज्ञ और दान पुण्य कर सकते थे। हम आगे यह देखेंगे कि ऐसा दृष्टिकोण शांतिपर्व की उदारवादी भावना के अनुकूल था, और तब पैदा हुआ जब शूद्र किसानों की संख्या बढ़कर काफी हो गई। यह भी ध्यातव्य है कि परवर्ती काल में ब्राह्मण ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए, जो उनका विरोध करता था, व्यापक रूप से शूद्र या वृषल शब्द का प्रयोग करने लगे थे। हमें मालूम नहीं कि शूद्र पैजवन के साथ भी ऐसी ही बात थी या नहीं। प्रायः ऐसे कथनों का यह अर्थ नहीं कि क्षत्रिय और ब्राह्मण शूद्र की स्थिति में पहुंच गए थे, बल्कि वे मात्र इतना संकेत देते हैं कि इन मान्य व्यक्तियों की उत्पत्ति शूद्रों से हुई थी, खासकर मातृकूल की ओर से।²⁰⁵

स्पष्ट है कि आर्य जनजातियों और उनकी संस्थाओं की ही तरह शूद्र जनजाति भी सैनिक कृत्यों का निर्वाह करती थी।²⁰⁶ महाभारत में शूद्रों की सेना का उल्लेख अंबष्ठों, शिवियों, शूरसेनों आदि के साथ हुआ है।²⁰⁷ किंतु, जैसा कि हम जानते हैं, इससे पूरी जनजाति क्षत्रिय वर्ण नहीं बन सकी और न उसके कर्तव्य और विशेषाधिकार सुनिश्चित हो सके। अतः इस सिद्धांत में शायद ही कोई बल है कि क्षत्रियों को शूद्र की स्थिति में पहुंचा दिया गया था।

शूद्र शब्द का व्युत्पत्यर्थ निकालने के जो प्रयास हुए हैं वे अनिश्चित से लगते हैं और उनसे वर्ण की समस्या सुलझाने में शायद ही कोई सहायता मिलती है। सबसे पहले वेदांत सूत्र में बादरायण ने इस दिशा में प्रयास किया था। इसमें शूद्र शब्द को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है—‘शुक्’ (शोक) और ‘द्र’ जो

'द्रु' धातु से बना है और जिसका अर्थ है दौड़ना।²⁰⁸ इसकी टीका करते हुए शंकर ने इस बात की तीन वैकल्पिक व्याख्याएं की हैं कि जानश्रुति²⁰⁹ शूद्र क्यों कहलाया: (1) 'वह शोक के अंदर दौड़ गया', — 'वह शोक-निमग्न हो गया' (शुचम् अभिदुद्राव), (2) 'उस पर शोक दौड़ आया', — 'उस पर संताप छा गया' (शुचा वा अभिद्रुवे) और (3) 'अपने शोक के मारे वह रैकव दौड़ गया' (शुचा वा रैकवम् अभिदुद्राव)।²¹⁰ शंकर का निष्कर्ष है कि शूद्र शब्द के विभिन्न अंगों की व्याख्या करने पर ही उसे समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं।²¹¹ बादरायण द्वारा शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति और शंकर द्वारा उसकी व्याख्या दोनों ही वस्तुतः असंतोष-जनक हैं।²¹² कहा जाता है कि शंकर ने जिस जानश्रुति का उल्लेख किया है, वह अथर्ववेद में वर्णित उत्तर-पश्चिम भारत के निवासी महावृषों पर राज्य करता था। यह अनिश्चित है कि वह शूद्र वर्ण का था। वह या तो शूद्र जनजाति का था या उत्तर-पश्चिम की किसी जाति का था, जिसे ब्राह्मण लेखकों ने शूद्र के रूप में चिह्नित किया है।

पाणिनि के व्याकरण में उणादिसूत्र के लेखक ने इस शब्द की ऐसी ही व्युत्पत्ति की है जिसमें शूद्र शब्द के दो भाग किए गए हैं, अर्थात् धातु शुच् या शुक् + -र।²¹³ प्रत्यय 'र' की व्याख्या करना कठिन है और यह व्युत्पत्ति भी काल्पनिक और अस्वाभाविक लगती है।²¹⁴

पुराणों में जो परंपराएं हैं उनसे भी शूद्र शब्द शुच् धातु से, जिसका अथ होता है संतप्त होना, संबद्ध जान पड़ता है। कहा जाता है कि 'जो खिन्न हुए और भागे, शारीरिक श्रम करने के अध्यस्त ये तथा दीन-हीन ये उन्हें शूद्र बना दिया गया।'²¹⁵ किंतु शूद्र शब्द की ऐसी व्याख्या उसके व्युत्पत्त्यर्थ बताने की अपेक्षा परवर्ती काल में शूद्रों की स्थिति पर ही प्रकाश डालती है। बौद्धों द्वारा प्रस्तुत व्याख्या भी ब्राह्मणों की व्याख्या की ही तरह काल्पनिक मालूम पड़ती है। बुद्ध के अनुसार जिन व्यक्तियों का आचरण आतंकपूर्ण और हीन कोटि का था (लुदआचारा खुदाचाराति) वे सुह (संस्कृत शूद्र) कहलाने लगे और इस तरह सुह (सं० शूद्र) शब्द बना।²¹⁶ आदि मध्यकाल के बौद्ध शब्दकोश में शूद्र शब्द क्षुद्र का पर्याय बन गया,²¹⁷ और इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि शूद्र शब्द क्षुद्र से बना है।²¹⁸ दोनों ही व्युत्पत्तियां भाषाविज्ञान की दृष्टि से असंतोषजनक हैं, किंतु फिर भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनसे प्राचीन काल में शूद्र वर्ण के प्रति प्रचलित धारणा का आभास मिलता है। ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत व्युत्पत्ति में शूद्रों की दयनीय अवस्था का चित्रण किया गया है, किंतु बौद्ध व्युत्पत्ति में समाज में उनकी हीनता और न्यूनता का परिचय मिलता है। इन व्युत्पत्तियों से केवल इतना पता चलता है कि भाषा और व्युत्पत्ति संबंधी व्याख्याएं भी सामाजिक स्थितियों से प्रभावित होती हैं। हाल में एक लेखक ने शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति इस रूप में की है—धातु

'श्वी' (मोटा होना) + धातु 'हु' (दौड़ना)। उसकी राय है कि इस शब्द का अर्थ है 'ऐसा व्यक्ति जो स्थूल जीवन की ओर दौड़े।' अतएव उसकी दृष्टि में शूद्र 'ऐसा गंवार है जो शारीरिक श्रम करने के लिए ही बना है।'²¹⁰ यह बहुत ही अद्भुत बात है कि यहां दो धातुओं के मेल से शूद्र शब्द की उत्पत्ति की गई है और तब जब उसका कोई पुराना व्युत्पत्यात्मक आधार नहीं है। इस शब्द को लेखक जो अर्थ देना चाहता है वह शूद्रों के प्रति केवल परंपरावादी मनोवृत्ति को चिह्नित कर पाता है। उससे शूद्रों की उत्पत्ति पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है।

उत्पत्ति के समय शूद्र वर्ण की स्थिति दयनीय और उपेक्षित थी, यह बात ऋग्वेद और अथर्ववेद में वर्णित समाज के चिन्नण से शायद ही सिद्ध होती है। इन संहिताओं में कहीं भी न तो दास और आर्य के बीच और न शूद्र और उच्च वर्णों के बीच भोजन और वैवाहिक प्रतिवंध का प्रमाण मिलता।²²⁰ वर्णों के बीच सामाजिक भेदभाव बताने वाला एकमात्र पूर्वकालीन संदर्भ अथर्ववेद में पाया जाता है जिसमें यह दावा किया गया है कि ब्राह्मण को, राजन्य और वैश्य की तुलना में, किसी नारी का पहला पति बनने का अधिकार प्राप्त है।²²¹ और भी कहीं कहीं ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है, यथा कहा गया है कि उनकी गाय अथवा स्त्री को कोई हाथ नहीं लगा सकता। पर इस संबंध में कहीं शूद्र की चर्चा नहीं मिलती, क्योंकि प्रायः उस समय यह वर्ण विद्यमान नहीं था। इसका कोई आधार नहीं कि दास और शूद्र अपवित्र समझे जाते थे और न ही इसका ही कोई प्रमाण मिलता है कि उनके छू जाने से उच्च वर्णों के लोगों का शरीर और भोजन दूषित हो जाता था।²²² अपवित्रता का सारा ढकोसला बाद में खड़ा किया गया जब समाज कृषिप्रधान होने के बाद वर्णों में बंट गया और ऊपर के वर्ण अपने लिए तरह तरह की सुविधाएं और विशेषाधिकार मांगने लगे।²²³

शूद्र वर्ण के उद्भव के विषय में इस अध्याय का सारांश यह है कि आंतरिक और बाहरी संघर्षों के कारण आर्य या आर्य-पूर्व लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है।²²⁴ चूंकि संघर्ष मुख्यतया मवेशी के स्वामित्व को लेकर और बाद में भूमि को लेकर होता था, अतः जिनसे ये वस्तुएं छीन ली जाती थीं और जो अशक्त हो जाते थे, वे नए समाज में चतुर्थ वर्ण कहलाने लगते थे। किर जिन परिवारों के पास इन्हें अधिक मवेशी हो गए और इतनी अधिक जमीन हो गई कि वे स्वयं संभाल नहीं पाते थे, तो उन्हें मजदूरों की आवश्यकता हुई और वैदिककाल के अंत में ये शूद्र कहलाने लगे।

यह मंतव्य कि शूद्र वर्ण का निर्माण आर्य पूर्व लोगों से हुआ था, उतना ही एकांगी और अतिरंजित मालूम पड़ता है, जितना यह समझना कि उस वर्ण में मुख्यतः आर्य ही थे।²²⁵ वास्तविकता यह है कि आर्थिक तथा सामाजिक विषय-

ताओं के कारण आर्य और आर्येत्तर, दोनों के अंदर श्रमिक समुदाय का उदय हुआ और ये श्रमिक आगे जाकर शूद्र कहलाए। साधारणतया मान्य समाजशास्त्रीय सिद्धांत है कि वर्गविभाजन बराबर संजातीय असमानताओं से मूलतया संबद्ध होता है,²²⁶ किंतु इस सिद्धांत से शूद्रों और दासों की उत्पत्ति पर आंशिक प्रकाश ही पड़ता है। बहुत संभव है कि दासों और शूद्रों का नाम क्रमशः इन्हीं नामों की जनजातियों के आधार पर रखा गया हो जो भारतीय आर्यों के निकट संपर्क में रही हों। लेकिन कालक्रम से आर्यपूर्व आबादी के लोग और विपन्न आर्य भी इन वर्गों में शामिल हो गए होंगे। यह बहुत स्पष्ट है कि वैदिक काल के आरंभिक लोगों में शूद्रों और दासों की जनसंख्या बहुत सीमित थी और उत्तरवर्ती वैदिक काल के अंत से लेकर आगे तक शूद्र जिन अशक्तताओं के शिकार रहे हैं, वे आदिवैदिक काल में विद्यमान नहीं थीं।

संदर्भ

1. आर० रीथ : 'ब्रह्म अंड डाइ ब्राह्मनेन साइटशिफ्ट डेर डोय्चेन मेर्गेनलैंडिशेन गेजेलशाफ्ट बर्लिन', I, प० 84.
2. वैदिक इंडेक्स, II, प० 265, 388; आर० सी० दत्त : 'ए हिस्ट्री आफ सिविलिजेशन इन एनशिएंट इंडिया', I, प० 12; सेनार्ट : 'कास्ट इन इंडिया', प० 83; एन० के० दत्त : 'ओरिजिन ऐंड ग्रोथ आफ कास्ट इन इंडिया', प० 151; 52; चुर्यै : 'कास्ट ऐंड बलास', प० 151-2; ढी० आर० भंडारकर : 'सम आस्पेक्ट्स आफ एनशिएंट इंडियन कलचर', प० 10.
3. जे० म्यूर : 'ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट्स', II, प० 387. म्यूर का विचार है कि यह बताने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि ये आर्यों से भिन्न थे.
4. ऋग्वेद, II, 12. 4, 'ऐनेमा विष्वा च्यवना कृतानि, यो दासं वर्णमधरं गुहाकः', अथर्ववेद, XX, 34. 4.
5. ऋग्वेद, V. 34.6, —'यथावशं नयति दासमायः'.
6. वही, II. 13.8, —'दासवेशाय चावः'. सायण ने इसकी टीका दासों के विनाश के रूप में की है, किंतु वैदिक इंडेक्स, I, 358, इसे दास का नाम मानता है.
7. ऋग्वेद, II. 11.4; VI. 25.2; और X. 148.2.
8. वही, IV. 28.4.
9. वही, III. 34.9, —हत्वी दस्यून् प्रायौ वर्णमावत; अथर्ववेद, XX. 11.9 (पैंपलाद संस्करण में नहीं).
10. I. 103.3; अथर्ववेद, XX. 20.4.
11. ऋग्वेद, I. 51.5-6, 103.4; X. 95.7, 99.7 में दस्युहत्या शब्द आया है. दस्युधन ऋग्वेद, X. 47.4 में दस्युहत्यम् शब्द ऋग्वेद, VI. 16.15, VIII. 39.8 में आया है

32 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

- और वाजसनेयि संहिता, XI. 34 में उसकी पुनरावृत्ति की गई है। आयों और दस्युओं में शत्रुता के कई अन्य प्रसंग आए हैं, यथा, ऋग्वेद, V. 7.10, VII. 5.6 आदि। ऋग्वेद, I. 100.12, VI. 45.24; VIII. 76.11, 77.3 में इन्द्र को दस्युहा कहा गया है। इन द्वारा दस्युओं की हत्या के ऐसे ही प्रसंग अथर्ववेद III. 10-12; VI. III. 8.5, 7; IX. 2.17 और 18; X. 3.11; XIX. 46.2; XX. 11.6, 21.4, 29.4, 34.10, 37.4, 42.2, 64.3, 78.3 में आए हैं और अग्नि द्वारा दस्युओं की हत्या के प्रसंग अथर्ववेद में I. 7.1; XI. 1.2 में 'आए हैं। अथर्ववेद IV. 32.3 से मन्त्र फिर दस्युहा कहा गया है।
12. ऋग्वेद, I. 103.3; II. 19.6; IV. 30.20; VI. 20.10, 31.4.
 13. वही, I. 33.13, 53.8; VIII. 17.4.
 14. वही, IV. 30.13; V. 40.6; X. 69.6.
 15. वही, 176.4, अस्मध्यमस्य वेदनं दद्धि सूरिपिचदोहते।
 16. वही, I. 33.4.
 17. वही, VI. 47.21.
 18. वही, VIII. 40.6, 'वर्यं तदस्य सम्भूतं वसु इन्द्रेण विभजेमहि'।
 19. वही, I. 33.7-8.
 20. वही, III. 53.14, 'किं ते कृष्णन्ति की कटेषु गावो नाशीरं दुहे न तपन्ति धर्मम्'।
 21. वही, II. 15.4.
 22. ह्लीलर : 'दि इंडेश सिविलियेन', (सल्लीमेट वाल्यूम टु कॉर्प्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, I) पृ० 90-91.
 23. ऋग्वेद, X. 89.19; अथर्ववेद, 126.19.
 24. ऋग्वेद, VII. 6.3.
 25. वही, I. 51.8.
 26. वही, I. 133.1; V. 2.3; VII. 1.8. 16; X. 27.6; X. 48.7.
 27. वही, IV. 16.9.
 28. अथर्ववेद, II. 14.5.
 29. वही, X. 6.20.
 30. वही, XII. 1.37.
 31. वही, X. 22.8.
 32. पौ० बी० काणे : 'दि वडं ग्रत इन दि ऋग्वेद', जर्नल आफ दि बान्के ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, न्यू सीरीज, XXIX, पृ० 12.
 33. ऋग्वेद, I. 51.8-9; I. 101.2; I. 175.3; VI. 14.3; IX. 41.2. किंतु 'अग्रत' शब्द का प्रयोग कहीं भी दास के लिए नहीं किया गया है।
 34. वही, VIII. 70.11; X. 22.8.
 35. वही, V. 42.9; V. 40.6. 'अपद्रत' शब्द का अर्थ 'काला' माना गया है।
 36. वही, VII. 5.2-3. गेलडनर का अनुवाद; बी० बी० लाल : एनशिएट इंडिया, 9, पृ० 88. राणा धुङ्डई III में हड्डपा संस्कृति का ग्रन्त भीषण अग्निकांड में हुआ।

37. ऋग्वेद, IX, 41.1-2. 'धन्तः कृष्णं आप त्वचं...साहाम्सो दास्युमव्रतम्'.
38. वही, IX. 73.5.
39. वही, IV. 16.13. किंतु गेल्डनर ने इस संदर्भ में राक्षस का जिक्र नहीं किया है.
40. वही, I. 130.8.
41. ऋग्वेद, VIII, 96.13-15. 'अध्य द्रप्सो अंशुमत्था उपस्थै धारयतत्त्वम् तित्विषाणः, विशो अदेविभ्या चरन्ति वृहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे'.
42. कोसंबी : जनल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बम्बई, न्यू सीरीज, XXVII, 43.
43. ऋग्वेद, I. 101.1. 'यः कृष्णगर्भानिरहन्तुजिश्वाना'.
44. वही, II. 20.7. 'सवृत्तहेन्द्रः कृष्णयोनिः पुरन्दर ओदासीरैर्याद्विः...सायण की टीका. किंतु गेल्डनर का सुभकाय है कि दासी में पुरः अंतर्निहित है और कवि गर्भाधान की बात सोचता है.
45. वही, VIII. 19.36-37.
46. वही, V. 29.10. सायण अनास की व्याख्या वाणीविहीन (आस्यरहित) के अर्थ में करते हैं.
47. वही, VII. 99.4.
48. वही, I. 174.2; V. 29.10, 32.8; VII, 6.3, 18.13. चार स्थानों पर नहीं, जैसा कि 'हूँ वेयर दि शूद्राज़', पृ० 71 में है.
49. वही, V. 29.10; VII. 6.3.
50. वही, I. 174.2.
51. यह गिनती विश्वबंधु शास्त्री के वैदिक कोण पर आधारित है.
52. ब्हीलर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 8. ब्हीलर की राय है कि असम्य खानाबदोशों (अर्थात आर्यों) की चढ़ाई के कारण संगठित क्षणिक विखर गई, पर अभी तक ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं जिनके आधार पर कहा जाय कि सैंधव शहरी सम्यता के लोगों और आर्यों के बीच बड़े पैमाने पर जमकर लड़ाई हुई.
53. ऋग्वेद, X. 83.1. 'साहाम दासमार्यं त्वयायुजा सहस्रक्तेन सहसा सहस्रता', जो अथव-वेद, IV. 32.1 जैसा ही है.
54. ऋग्वेद, X. 38.3; देखें अथववेद, XX. 36.10.
55. ऋग्वेद, VII. 83.1. 'दासाच वृता हतमार्याणि च सुदासम् इन्द्रावरुणावसावतम्'.
56. वही, VI. 60.6.
57. वही, VI. 33.3; देखें X. 102.3.
58. ऋग्वेद, VIII, 24.27, 'य ऋक्षादहसो मुच्योवार्यात् सप्तसिन्धुषु; वधर्दासिस्य तुविनृष्ण नीनमः'. गेल्डनर इस परिच्छेद का अर्थ लगाते हैं कि इन्द्र ने दासों के अस्त्रों को आर्यों से विमुख कर दिया.
59. ऋग्वेद, VI. 33.3; 60.6; VII. 83.1; VIII. 24.27 (विवादास्पद कंडिका); X. 38.3, 69.6, 83.1, 86.19, 102.3. इनमें से चार निर्देशों को अंबेडकर ने सही रूप में

34 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

- उद्धृत किया है, अंबेडकर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 83-4.
60. वेदिक इंडेक्स, I, 356, दाशराज्ञ के ऊपर देखें पाद टिप्पणी 4.
 61. ऋग्वेद, VII. 33.2-5, 83.8. वास्तविक मुद्द सुनिश्चित ऋग्वेद, VII. 18 में है.
 62. आर० सी० मजूमदार और ए० डी० पुसलकर : वेदिक एज, पृ० 245. अन्य आयों के प्रति वैराग्य के कारण पूरुषों को ऋग्वेद VII. 18.13 में मृध्वाचः कहा गया है.
 63. पी० बी० काणे : पूर्व निर्दिष्ट, (जन्मल आफ दि बास्वे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज, XXIX) 11.
 64. अथर्ववेद, V. 11.3; पैप्लाद, VIII. 1.3. 'नमे दासोनार्यो महीत्वा व्रतं मीमाय यदहम् धरिष्ये'.
 65. (जन्मल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, लंदन, न्यू सीरीज, II पृ० 286-294.)
 66. ऋग्वेद, I. 84.8.
 67. वही, VI. 44.11.
 68. वही, VI. 47.16; (जन्मल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, लंदन, न्यू सीरीज, II, पृ० 286-294.)
 69. ऋग्वेद, VIII. 51.9. 'यस्याय विश्व आयों दासः योवाधिपा अरि:' इस अनुच्छेद पर सायण की टिप्पणी वाजसनेयि मंहिता, XXXIII के एक ऐसे ही अनुच्छेद पर उवट तथा महीधर की टिप्पणी में दास को 'आर्य' का विशेषण माना गया है, किंतु गेल्हनर (ऋग्वेद, VIII. 51.9) आर्य और दास को दो विभिन्न संज्ञा मानते हैं, हर हालत में यह स्पष्ट है कि आयों का भी विरोध होता था.
 70. ऋग्वेद, X. 69.6. 'समञ्चया पर्वत्या वसुनि दासा वृत्ताण्यार्या जिगेथ'.
 71. ऋग्वेद, I. 124.10; 182.3; IV. 25.7, 51.3; V. 34.7; VI. 13.3, 53. 6-7.
 72. (जन्मल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, लंदन, न्यू सीरीज, II, 286-294.)
 73. वेदिक इंडेक्स, I, पृ० 471.
 74. वही, ऋग्वेद VIII. 66.10.
 75. वेदिक इंडेक्स I, 472.
 76. वही.
 77. गीर्संभन, ईरान, पृ० 243.
 78. वेदिक इंडेक्स, I, 472.
 79. ऋग्वेद, VII, 40.6.
 80. वही, III. 34.9.
 81. ऋग्वेद, I. 104.2; III. 34.9. 'देवासो मन्युं दासस्य षचमन्ते न आवक्षन्त्सुविताय वर्णम्'.
 82. साइटशिपपट डेर डोच्चेन मेरेनलैंडियोनगेजेलशापट, बलिन, II, 272.
 83. जन का उल्लेख लगभग 275 बार और विष का उल्लेख 170 बार हुआ है.

- .84. ई० जे० रैप्सन : दि कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, I, पृ० 99.
- .85. लैटर्मैन : दि ओरिजिन्स आफ सोशल इन्डस्ट्रीज आफ दि सोशल चलासेज, पृ० 230.
- .86. चाइल्ड : दि मोर्ट्स एन्ड इंडिया, पृ० 175.
- .87. व्हीलर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 94.
- .88. मैके; अली इंडस सिविलिजेशन, पृ० XII-XIII.
- .89. लाल : एन्डियाएंट इंडिया, सं० 9, पृ० 93.
- .90. ऋग्वेद, II. 27.12.
- .91. ऋग्वेद, VI. 22.10, 'यथा दासन्यर्थिं वृत्त करो वज्जिन्तसुलूका नाहुषाणि'.
- .92. ऋग्वेद, X. 49.3, 'अहं षूष्णस्य मनविता वधर्यमं न यो रर आर्य नाम दस्यवे'.
- .93. पार्जिटर : एन्डियाएंट इंडियन हिस्ट्रिकल ट्रेडीशन, पृ० 306-8.
- .94. डयुमेजिल : पलामेन ब्राह्मण, अध्याय II और III. एक अन्य निर्देश के 'लिए देखें, पाल थिमे; (साइटिंगपट डेर डोचेन मेर्गेनलैडिशेनगेजेलशापट, बर्लिन, एन० एफ०, 27, पृ० 91-129.
- .95. ई० जे० रैप्सन : पूर्व निर्दिष्ट, I, 103.
- .96. डब्ल्यू० र्यूबेन : इन्द्राज फाइट अगेन्स्ट वृत्त इन दि महाभारत (एस० के० कमेमोरेशन बाल्यम्, पृ० 116-8), धर्मान्तर कोसंबी, भगवान बुद्ध, पृ० 24.
- .97. कोसंबी : (जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बम्बई, न्यू सीरीज, XXII, 35.
- .98. ऋग्वेद, I, 117-8. किंतु साधण 'प्यावाय को कुष्ठरोगेण शयामवणिं' वताते हैं.
- .99. वही, VIII. 85.3-4. वही, VIII. 50.10 में भी कण्व का उल्लेख है.
- .100. वही, I. 116-23; देखें I. 117.7. पार्जिटर मानते हैं कि काण्वायन ही वास्तविक ब्राह्मण है : डायनेस्टीज आफ दि कलि एज, पृ० 35.
- .101. ऋग्वेद, I. 158. 6. अंबेडकर : हू वेयर दि शूद्राज ?, पृ० 77.
- .102. वेदिक इंडेक्स, I. 366. शतपथ ब्राह्मण, XIV. 9.4.15 में एक ऐसी मां का चर्णेत आया है जो काले रंग के बालक की आकांक्षा रखती है जिसे वेद का ज्ञान हो.
- .103. वेदिक इंडेक्स, I, 363, हिलबांट का सुभाव.
- .104. ऋग्वेद, I. 130.10.
- .105. कोसंबी : (जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ एशियाटिक सोसायटी, बम्बई, न्यू सीरीज, XXVI, 44).
- .106. मोनियर विलियम्स : संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, देखें दास, दाश.
- .107. कौषलकि उप०, III. 1. वेदिक इंडेक्स में उद्भूत, II. 30.
- .108. ऋग्वेद, VIII. 19.36.
- .109. अथर्ववेद, XII. 3.13; पैष्ठ०, XVII. 37.3, 'यद्वा दास्याद्रहस्ता समंत उलूखलं मुसलम् शुम्भतापः'.
- .110. वही, XII. 4.9; पैष्ठ० के एक ऐसे ही परिच्छेद XVII. 16.9 में दासी शब्द के स्थान पर देवी लिया गया है.

36 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

111. अथर्ववेद, V. 13.8.
112. ऋग्वेद, I. 92.8, 158.5 गेल्डनर के अनुचाद के अनुसार,
113. वही, X. 62.10.
114. वही, VIII. 56.3.
115. वही, VII. 86.7. हिलब्रांट इसे संदर्भ मानते हैं. उन्होंने गतत छंग से VII. 86.3 में 'कदाचित्' जोड़ दिया है, जो होना चाहिए VII. 86.7. 'साइटिप्रपट प्यूर इंडोलोगिया उंड ईरोनिस्टिक, लाइप्सिष्ट्यु, iii.16.
116. वही, VIII. 56.3. 'शत में गदेभानां शतभूणवितीनां, शतं दासा अति लजः'. 100 रुढ़ संख्या हो सकती है.
117. वही, I. 92.8. 'उषसिथामस्यां यशसंसुदीरं दासप्रवर्गं रथिमश्व बृद्धम्'.
118. वही, I. 158.5-6.
119. वही, X. 62.10. 'उत् दासा परिविषेऽस्मद् दिष्टि गोपरिणसाः यदुस् तुर्वंश् च मासहे'.
120. वही, X. 34.4.
121. वही, II. 11.4, IV. 28.4 और VI. 25.2; दत्त : स्टडीज इन हिंदू सोशल पालिटी, पृ० 334, बी० एन० दत्त का विचार है कि ऋग्वेद VI. 25.2 में दासविष्ण का जो उल्लेख हुआ है, उसका तात्पर्य यह है कि दास को वैश्य कोटि में रखा गया है. किंतु चूंकि उस समय वैश्य समाज के एक वर्ग के रूप में नहीं थे, इसलिए यहां विष्ण को एक जनजाति विशेष माना जा सकता है.
122. वही, VI, I, 357, पाद टिप्पणी 20, जाति और भाषा की दृष्टि से दहे ईरानियों के बहुत निकट रहे होंगे, किंतु यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं हो पाया है; वही, त्सिम्मर ने हेरोडोटस के दबाई या दाथई, i, 126 को तूरानियन जनजाति का बताया है.
123. शेफर : एथनोग्राफी इन एनशिप्पिंट इंडिया, पृ० 32, कहा गया है कि सामाजिक स्तर पर दास और आर्य का स्थान दस्यु भीलों से ऊपर था.
124. स्टुअर्ट पिगाट : एंटिविटी, जिल्ड XXIV, सं० 96, 218. लाल : पूर्व निर्दिष्ट दिल्ली, सं० 9, पू० 90-91, लाल का कथन है कि दूसरी सहस्राब्दी ई० पू० के पूर्वार्ध में शाही टुंप (आधुनिक बलूचिस्तान) में और दूसरी सहस्राब्दी ई० पू० के उत्तरार्ध में फोर्ट मुनरो (अफगानिस्तान) में लोग झुंड के झुंड आए.
125. वैदिक इंडेक्स, II, पू० 255, पाद टिप्पणी 67 देखें, वर्ण शब्द.
126. आर० सी० मजूमदार और ए० डी० पुसलकर : पूर्व निर्दिष्ट, ऋग्वेदिक जातियों के लिए देखें, पू० 245-248 और उत्तर वैदिककालीन जातियों के लिए पू० 252-262.
127. शतपथ ब्राह्मण, I. 1.4.11-12.
128. महाभारत, शांति पर्व, 181.15, 'वर्णशक्त्वारः एते हि येषां ब्राह्मी सरस्वती, विहिता ब्रह्मणा पूर्वी लोभात्वज्ञानतां गतः'.
129. वेबर : इंडिया स्टूडियोन, II, 94 पाद टिप्पणी.
130. आर० एस० शर्मा : (जर्नल आफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी, XXXVIII, 434-5; XXXIX, 418-9).
131. ऋग्वेद, I. 70.9; V. 1.10; VIII. 100.9.

132. ऋग्वेद, VII. 6.5; X. 173.6, बलिहृत (कर देना).
133. वेदिक इंडेक्स, II, 62, तिसमर के विचार.
134. मैक्समूलर : सेक्रेट बुक्स आफ वि इस्ट, XXXII, 361, ऋग्वेद का अनुवाद, V. 61.8.
135. वेदिक इंडेक्स, II. 331.
136. लैटमैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 5-12 में दिए गए उदाहरण. उन्होंने पूर्वीय भारत के नागाओं और कूकीयों में वर्गभेद के अभाव वा भी उल्लेख किया है (पृ० 11).
137. वायु पुराण, I, VIII. 60; देखें दीध निकाय, अगच्छसूत, 'वर्णश्शमस्वयवस्थाश्च न तदासन्तसंकरः, न लिप्सन्ति हि तेज्योन्थःनानुगृहणात्ति चैव हि'.
138. कार्ल डार्लिंग : ए डिक्षनरी आफ सिलेक्टेड सिनोनिम्स इन वि प्रिसिपल इंडो-यूरोपियन संबंधेज, चर्म (चर्मन्) के लिए देखें पृ० 40, बुनाई के लिए पृ० 408, तक्षन् के लिए पृ० 589-90 और वेणीकार के लिए पृ० 621-22; चाइल्ड : वि एरियन, पृ० 86.
139. चाइल्ड : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 86 और 92.
140. ऋग्वेद, IV. 35.6, 36.5; VI. 32.1.
141. अथर्ववेद, III. 5.6; ऐ धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषीणः, उपरतीन्पर्णं महां त्वम् सर्वानकुण्वभितो जनान्'.
- यहां ब्लूमफील्ड के अनुसरण किया गया है. विहृते ने ब्लूमफील्ड जैसा ही अनुवाद प्रस्तुत किया है, किंतु उन्होंने सायण के विचारानुसार उपस्तिन् को प्रजा के अर्थ में लिया है. सायण धीवानः और मनीषिणः को अलग अलग संज्ञा मानते हैं जिनका अर्थ मछुआ और बुद्धिजीवी किया गया है. पैण्प०शं थोड़ा सा पाठभेद है, 'ये तक्षाणो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः, सर्वां तान्पर्णं रघयोपस्तिं कुणु मेदिनम्'. III. 13.7.
142. वेदिक इंडेक्स, I, पृ० 247; संभवतः वह असेनिक और सैनिक, दोनों प्रकार के कार्यों के लिए गांव का प्रधान था.
143. अथर्ववेद, III, 5.7.
144. ऋग्वेद, I. 105.18.
145. वेदिक इंडेक्स, I, पृ० 297.
146. ऋग्वेद, VIII. 5.38.
147. वेदिक इंडेक्स, II. पृ० 265-6.
148. फिक : वि सोशल आर्गेनाइजेशन इन नार्थ इस्ट इंडिया, पृ० 326-7.
149. पंचविंश ब्राह्मण, V. I. 6-10; बाजसतेयि संहिता, XXXI, 11; तैत्तिरीय आरण्यक, III. 12.5 और 6.
150. महाभारत, XII. 73.4-8.
151. वायु पुराण, I. VIII. 155.9; मार्क० पू०, अध्यायं 49; विष्णु पुराण, I, अध्याय VI.
152. वसिष्ठ-धर्मसूत्र, IV. 2; बौद्धायन धर्मसूत्र, I. 10.19.5-6; देखें आपस्तम्ब धर्मसूत्र, I. 1.1.7; मनु०, I. 31; यजु० III. 126.
153. ऋग्वेद, X. 90-12.
154. विहृते : हार्वेंड ओरिएंटल सिरीज, VII, पृ० CXLI; VIII. 895-898.

38 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

155. अथर्ववेद, XIX. 6.6.
156. ऋग्वेद, IX. 112.3.
157. आल्डेनबर्ग; (त्साइटिप्रपट डेर डोच्चेन में मेर्मनलैंडिशेनगेज़ेलशापट, बर्लिन, II, 286.)
158. अथर्ववेद, XIX. 6.6.
159. वही, XIX. 32.8; पैप्पलाद., XII. 4.8.
160. वही, XIX. 62.1; पैप्पलाद., II, 32.5.
161. हार्वर्ड ओरिएंटल सिरोज, VIII, 1003; अथर्ववेद के अनुवाद पर विहृतने की टिप्पणी, XIX. 62.1.
162. विहृतने : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 28.
163. अथर्ववेद, X. 1.3.
164. विहृतने : पूर्व निर्दिष्ट, VII, पृ० CLV.
165. अथर्ववेद, V. 17.9; पैप्प० IX. 16.7:
166. मैक्रिण्डल : इनवेजन आफ इंडिया, पृ० 293. एरियन सोगदोई (वही, पृ० 157) का उल्लेख करते हैं जो गलत हो सकता है। मैक्रिण्डल : एनशिएंट इंडिया ऐज डिस्काइवरी बाइ टालमी, पृ० 317. फिर टालमी ने स्पष्टतः लिखा है (VI. 20.3) कि सिद्धोई आकेंसिया के मध्य भाग में रहते थे जिनके अंतर्गत पूर्वी अफगानिस्तान का काफी बड़ा हिस्सा पड़ता है और जिसकी पूर्वी सीमा पर सिंधु है।
167. एच० सी० रायचौधुरी : पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एनशिएंट इंडिया, पृ० 255.
168. एतरेय ब्राह्मण, VIII. 21.
169. हार्वर्ड ओरिएंटल सिरोज, VII, पृ० CXLVI(I और CLV.
170. अथर्ववेद, IV. 20.4, 8; पैप्प०, VIII. 6.8. 'तथाहं सर्वं पश्यामि यश्च शूद्र उतार्थः'.
171. अथर्ववेद, V. 11.3.
172. ऋग्वेद की टीका, II. 12.4.
173. अथर्ववेद की टीका, IV. 20.4.
174. अथर्ववेद, V. 22.7 और 8.
175. मजूसदार और पुसलकर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 258-9.
176. महाभारत, VI. 10.66, 46 जहाँ क्रिटिकल एडिशन आफ महाभारत में अपरान्ता की जगह अशुद्ध पाठ अपरन्ध्राः है. 'ण्ड्राभीराय दरदाः काष्मीरा पशुभिः सह'.
177. अथर्ववेद, V. 22.12, 14.
178. पैप्पलाद., XIII. 1.9.
179. वही, II. 29.8-9. पह्ला और बर्बंर का भी उल्लेख हुआ है. वही, II, 29.15.
180. महाभारत, VI. 10.65.
181. वही, VI. 10.66.
182. वही, II. 47.7.
183. वही, II. 47.7 एवं आगे.
184. पी० बनर्जी : (जर्नल आफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी, पटना, XI, 160-1).

185. बुधप्रकाश : (जर्नल आफ दि विहार रिसर्च सोसायटी, पटना, XI, 255, 260-3).
186. वेबर : (साइटशिपपट डेर डोयूचेन मेर्गेनलैंडिशेन गेजेलशापट, बर्लिन, IV, 301, पाद टिप्पणी 2) रौथ : वही, बर्लिन, I, 84.
187. फ़िक़ : पूर्व निर्दिष्ट, प० 315; कीथ : कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, I, 86; लैसेन : इंडिश आल्टरटरुम्स्कुंड, II, 174. देखें वेबर इंडिश स्टुडियेन, XVIII, 85-86 और 255. तिसमर टालेमी द्वारा उल्लिखित शूद्रों को आहारी से अभिन्न मानते हैं (अल्ट० लैबेन, प० 435), किंतु ऐसे अनुगाम का कोई आधार नहीं दीखता : हापकिन्स; रिलिजन्स आफ इंडिया, प० 548, पाद टिप्पणी 3; मार्केंडेय पुराण, अनुवाद, प० 313-14, पार्सिटर का मत है कि शूद्र और आभीर परस्पर सम्मिलित और संबद्ध आदिम जाति के थे।
188. महाभारत, VI. 10.45 और 46; 65 और 66; महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण VII. 19.7 में शूराभीर पाठ अशुद्ध मालूम पड़ता है. यह शूद्राभीराः हौना चाहिए जैसा कि अन्य हस्तलिपियों में पाया जाता है (VII. 19.7 पर पाद टिप्पणी), परंजलि आन पाणिनिज ग्रामर, I. 2.72-6; परंजलि के महाभाष्य में शूद्रों और आभीरों का एक साथ उल्लेख हुआ है.
189. एफ० डी० गुर्ने : भविसयत्तकहा, प० 50-51, आभीरीवित के प्राचीनतम उदाहरण भरत के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, जो ई० सं० की द्वसरी या तीसरी शताब्दी की रचना है. ये स्पष्टतः संस्कृत के बहुत निकट हैं.
190. महाभारत की सूची लगभग उसी रूप में पुराणों में भी आई है, जिसमें शूद्रों को आभीरों, कालतोयकों, अपराठों, पह़लवों (जिन्हें आलोचनात्मक संस्करण VI. 10.66 में गलत रूप में पल्लव कहा गया है) और अन्य लोगों के साथ एक जाति के रूप में चिकित किया गया है. मार्केंडेय पुराण, अध्याय 57. 35-36 और मत्स्य पुराण, अध्याय 113.40-मालूम पड़ता है कि गुप्त काल में शूद्र जनजाति का अपना एक नियत राज्यक्षेत्र था जिसे विष्णु पुराण (IV. 24.18) में सौराष्ट्र, अवंति और अर्द्धुद राज्यक्षेत्रों के साथ सूचीबद्ध किया गया है. दीक्षितार ने (गुप्त पालिटी, प० 3-4 में) सूर के रूप में जो पाठ प्रस्तुत किया है उसका कोई औचित्य नहीं है, यद्योंकि ग्रंथ में शूद्र राज्यक्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख है.
191. म्यूर : पूर्व निर्दिष्ट, II, 355-357.
192. महाभारत, II. 29.9 'शूद्राभीरणास्त्वचैव ये चाश्रित्य सरस्वतीम्'.
193. महाभारत (कल०), IX. 37.1, 'शूद्राभीरान् प्रति द्वेषाद् यत नष्टा सरस्वती'.
194. वैकरनेगेल, इंद्याथरेनिष्चे : जितसुगबेरिकटे डेर कोनिग्लिश प्रेसिस्ट्रेन अकेंडेमी डर लैसेनशापटे, 1918, 410-411.
195. कुद्रोस : लिडेल एंड स्काट, ए श्रीक-इंगलिश लेक्सिकन, I.
196. वेबर : (साइटशिपपट डेर डोयूचेन मेर्गेनलैंडिशेनगेजेलशापट, बर्लिन, IV. 301, 1.2); रीथ, वही, बर्लिन, I, 84.
197. स्टुअर्ट पिगाट : पूर्व निर्दिष्ट, IV, सं० 96, 218.
198. टी० बरो : दि संस्कृत लैग्वेज, प० 31.
199. अंबेडकर : पूर्वोद्धृत, प० 239.

40 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

200. वही, प० 139-42. लेसेन ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि प्राचीन राजा सुदास् को महाभारत में शूद्र कहा गया है. इंडियन आल्टर० I, 969.
201. कोसंबी : (जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बम्बई, न्यू सीरीज, XXIII, 45).
202. अंबेडकर : पूर्वोदृत, प० 185-90.
203. वही, प० 139.
204. महाभारत, XII. 60.38-40.
205. ऐसे ऋषियों, जिनकी मां शूद्र वर्ण के किसी-न-किसी वर्ग की समझी जाती थी, की चर्चा भविष्य पुराण, I. 42.22-26 में की गई है, यह सूची कई अन्य पुराणों और महाभारत प० 63 में भी दी गई है.
206. आर० एस० शर्मा : (जर्नल आफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी, XXXVIII, 435-7; XXXIX, 416-7).
207. महाभारत, VII. 6.6; देखें 19.7.
208. वेदांत सूत, 1.3.34, 'णुगस्य तदनावर श्रवणात् तदाद्रवणतः सूच्यते'.
209. छांदोग्य उपनिषद्, IV. 2.3 में राजा के रूप में वर्णित.
210. शंकर्स कम्पेनी टु वेदांतसूत्र, I. 3.34.
211. वही, शूद्र अवयवार्थ-सम्भावात् रूढार्थस्य चासम्भवात्.
212. (इंडियन एंटीक्वरी बम्बई, II, 137-8).
213. युचेर् दश्च, II. 19.
214. (इंडियन एंटीक्वरी बम्बई, II, 137-8).
215. वायु पुराण, I. VIII. 158. 'ओचन्तश्च द्रवन्तश्च परिचर्यासु ये रताः, निस्तेजसो अत्पवीयश्च शूद्रास्तानन्नवीन्नु सः'. भविष्य पुराण, I. 44.23 एवं आगे में कहा गया है कि शूद्रों को इसलिए शूद्र कहा जाता था कि उन्हें वैदिक ज्ञान का महज उच्छिष्ट प्राप्त होता था : 'ये ते श्रुतेर्दुर्ति प्राप्ताः शूद्रास्तेनेह कीर्तिताः'.
216. दीप निकाय, III, 95 'सुदा त्वेव अक्खरं उपनिषत्म्'.
217. देखें शूद्र शब्द, 'महाव्युत्पत्ति'.
218. (इंडियन एंटीक्वरी बम्बई, II, 138-9).
219. सूयंकांत : कीकट, कलिगा और पणि, (एस० के० बेलवल्कर कमेमोरेशन वात्यूम, प० 44).
220. (इंडियन कल्चर, कलकत्ता, XII, 179), एन० एन० घोष ने गलत कहा है कि आर्य और दास के बीच ऐसा प्रतिबंध ऋग्वेद द्वारा प्रमाणित है.
221. अर्थव्येद, V. 17.8-9.
222. दत्त : ओरिजिन एंड ग्रोथ आफ कास्ट सिस्टम, प० 20 और 62.
223. आजकल कई यूरोपीय सामाजिकतां जैसे लूई द्यूरों अपविवता ही के कारण वर्ण या जातिप्रथा का उदय मानते हैं, पर किस आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति में अपविवता की भावना बड़ी इस पर विचार करने का कष्ट नहीं करते.

- .224. गेल्ड : एथनालजी आफ महाभारत, पृ० 89-95; बी० एन० दत्त : स्टडीज इन इंडियन सोशल पालिटी, पृ० 28-30; अबेडकर : हू वेयर कि शूद्राज ? पृ० 239.
225. वेदिक इंडेक्स, II. 265.
226. लैटभेन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 38.

जनजाति से वर्ण की ओर (लगभग 1000 ई० पू० से लगभग 600 ई० पू० तक)

उत्तरवैदिक साहित्य, जो शूद्रों की तत्कालीन स्थिति की जानकारी का एकमात्र माध्यन है, मुख्यतया जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्रमें व्याप्त कर्मकांड से संबंधित है। इस युग में हर सामाजिक या वैयक्तिक कार्य किसी उपयुक्त धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ था, पर इन अनुष्ठानों में बहुधा सामाजिक विभेदों का ध्यान रखा जाता था।

कर्मकांडों का प्रचलन मुख्यतया कुरुपांचाल देश में था जहाँ उत्तरवैदिक साहित्य का अधिकांश भाग रचा गया था।¹ यह साहित्य सामान्यतया 1000 ई० पू० से 600 ई० पू० तक के काल से संबद्ध है। इसमें सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों की कल्पना की गई है। कालक्रम के अनुसार सामाजिक विकास का पता उस बात से चलता है कि कौन सा पाठ किस विशेष समय का है। इस प्रकार कृष्ण यजुर्वेद संहिता शुक्ल यजुर्वेद संहिता से प्राचीन है।² ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ और ऐतरेय, जो वर्णों के पारस्परिक संबंध का महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं, 'अपेक्षाकृत नवीन' हैं, और पञ्चविंश एवं तैत्तिरीय प्राचीनतम हैं।³ जैमिनीय ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण से भी बाद का है,⁴ और उसी तरह कौषीतकि या शाङ्खायन ब्राह्मण भी।⁵ कुछ मामलों में श्रौतसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के बीच विभेद करना कठिन है, जैसे बौधायन श्रौतसूत्र बाद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जा सकता है।⁶ आपस्तम्ब श्रौतसूत्र भी उतना ही पुराना मालूम पड़ता है।⁷ इनके अतिरिक्त अन्य प्रमुख श्रौतसूत्र (यथा, आश्वलायन, कात्यायन, शाङ्खायन, लाट्यायन, द्राह्यायन और सत्याषाढ़) आठ सौ ई० पू० और पांच सौ ई० पू० के बीच के माने गए हैं,⁸ यद्यपि उनमें से अधिकांश छः सौ ई० पू० के बाद रखे हुए मालूम पड़ते हैं। अभी उपनिषदों की संख्या दो सौ से अधिक हो गई है, किन्तु उनमें से केवल छः बुद्ध से पहले के माने जा सकते हैं।⁹ उत्तरवैदिक साहित्य के विभिन्न भागों से उपलब्ध सामग्री की जांच करने में अलग ग्रंथों के कतिपय अंशों के पारस्परिक तिथिनिर्धारण का भी ध्यान रखना होगा।¹⁰

इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि ऋग्वेद और अथर्ववेद की अपेक्षा बाद की संहिताओं और खासकर ब्राह्मणों में इच्छासूचक क्रियापद का प्रयोग कहीं अधिक हुआ है।¹¹ अतएव परवर्ती वैदिक साहित्य में बहुत से संदर्भ वस्तुतः घटित तथ्यों के अभिलेख नहीं हैं, उनसे केवल वैचारिक स्थिति का पता चलता है। लेकिन महाभारत, जो उत्तरवैदिक काल की घटनाओं की कथा है, के विवरणात्मक अंशों से घटनाओं के साध्य यदा कदा प्राप्त हो सकते हैं।¹²

चूंकि वैदिककाल के बाद शूद्रों का वर्णन मुख्यतः अनुचर वर्ग के रूप में हुआ है, इसलिए उत्तरवैदिककाल में उनकी स्थिति का अध्ययन आरंभ करने में उनकी आर्थिक दशा पर ध्यान देना होगा। एक आरंभिक प्रसंग में कहा गया है कि शूद्रों के पास मवेशी होते थे जिन्हें उच्च वर्ण के लोग यज्ञ के लिए पकड़ ले जाते थे।¹³ इस तथ्य की पुष्टि पूर्ववर्ती ब्राह्मणग्रंथ के एक अन्य ऐसे प्रसंग से होती है जिसमें बताया गया है कि शूद्र का जन्म उस समाज में हुआ जहाँ ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना जाता था और यज्ञ का आयोजन भी नहीं होता था। परंतु उसके पास बहुत से मवेशी रहते थे (बहुपशुः)।¹⁴ संभव है कि यहाँ उन शूद्रों का उल्लेख है जिन के बीच आर्य धर्म का प्रचार नहीं हुआ था और जिनके पशुधन पर यज्ञ करने वालों की आंख लगी रहती थी।

कुछ ऐसे भी प्रसंग आए हैं जिनमें शूद्रों के अनुचरजन्य कर्मों का उल्लेख है। जैमिनीय ब्राह्मण में कहा गया है कि शूद्र की उत्पत्ति प्रजापति के पांव से हुई है और उसका कोई देवता नहीं है। गृहस्वामी उसके देवता हैं और उनका चरण पद्मार कर ही उसे अपना जीवननिर्वाह करना है।¹⁵ दूसरे शब्दों में, एक परवर्ती श्रोत के अनुसार उसे उच्च वर्ण के लोगों की सेवा करके अपना निर्वाह करना है।¹⁶ अपर जिन दो श्रोतों की चर्चा है उनमें पहले वाले से यह भी सूचना मिलती है कि अश्वमेध यज्ञ के परिणामस्वरूप पोषक वैश्य संपत्तिशाली बनता था और कर्मठ शूद्र दक्ष कर्मकर्ता होता था।¹⁷ संभवतः यहाँ कर्मकर्ता शब्द का प्रयोग भाड़े के मजदूर के अर्थ में नहीं हुआ है; इस अर्थ में 'कर्मकर' शब्द वैदिकोत्तर साहित्य में प्रयुक्त होता है।¹⁸ उत्तरवैदिककाल में खेती का प्रचार अवश्य हुआ पर इतनी जमीन किसी परिवार के पास नहीं थी जिसके लिए उसे खेतिहर मजदूरों की आवश्यकता पड़े। अतएव शूद्र इस काल में खेत-मजदूर के रूप में नहीं पाए जाते हैं। एक पूर्वकालीन उपनिषद् में शूद्र को 'पूषन्' या 'पोषक' कहा गया है,¹⁹ जो ऐसी उपाधि (पोषयिषुः) है जिसका प्रयोग जैमिनीय ब्राह्मण में वैश्यों के लिए किया गया है।²⁰ इससे संकेत मिलता है कि वह जमीन जोतने वाला था,²¹ और समाज को पोषाहार प्राप्त कराने के उद्देश्य से उत्पादन कार्य में लगा रहता था। संभवतया अपने परिवार का पोषण वह पशुपालन और खेती से करता था, और इस काल के उत्तरभाग में वैश्यों की तरह वह भी उत्पादन का हिस्सा करते

के रूप में चुकाता था।

किन्तु यह धारणा कि शूद्र श्रमिक वर्ग के थे, कई अन्य प्रसंगों पर भी आधारित है। पुरुषमेध यज्ञ में ब्राह्मण ब्रह्मत्व को, राजन्य राज्य को, वैश्य मरुत (कृषक-समुदाय) को और शूद्र तप (शारीरिक श्रम) को बलि चढ़ाया जाना चाहिए।²² यह समझा जाता था कि शूद्र श्रमसाध्य कार्य करने वाले हैं। यज्ञ में बलि दिए जाने वाले लोगों की सूची में चारों वर्णों के पश्चात् विभिन्न प्रकार के पेशेवर लोगों का स्थान आता है; यथा, रथनिमत्ता, बढ़ई, कुंभकार, लोहार, सरफ़ि, चरवाहा, गड़ेरिया, किमान, मद्यनिमत्ता, मछुआ और शिकारी। इन्हें वैश्य अथवा शूद्रों की कोटि में रखा जा सकता है। निषाद, किरात, पर्णक, पौलकस और वैदः²³ संभवतया शूद्र समझे जाते थे।²⁴ इस सूची से पता चलता है कि शिल्पों की संख्या बहु गई थी और लोग मानने लगे थे कि विभिन्न प्रकार के शिल्पी और मजदूर शूद्र थे। ऐसा लगता है कि शिल्पी जनजातीय सामाजिक इकाइयों के अभिन्न अंग थे। कुछ शिल्पी राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, और अन्य कृपक समाज का काम चलाते थे।

शूद्र मजदूरों और उनके नियोजकों के बीच किस प्रकार का संबंध था? वेदिक इंडेक्स के लेखकों का कथन है कि 'शूद्र' शब्द से दास का भी बोध होता था।²⁵ किन्तु दासों की संख्या बहुत कम थी। हमें यह भी पता चलता है कि अंग ने विभिन्न देशों से दम हजार दासियों को बंदी बनाया था और उन्हें अपने ब्राह्मण पुरोहित आत्मेय को समर्पित किया था।²⁶ लगता है कि यह आंकड़ा अतिरिंजित और परंपरागत है। श्वेतकेतु का पिता आरुणि को इस बात का गर्व है कि उसके पास स्वर्ण, मवेणी, धोड़, दासियाँ, अमले और बंदियाँ हैं, किन्तु वह पुरुष दास की चर्चा नहीं करता।²⁷ परंपरा से यह बात चली आ रही है कि युधिष्ठिर के विशाल 'राज्याभिषेक यज्ञ में ब्राह्मणों को दासियाँ अर्पित की गई थीं।²⁸ यह यज्ञ संभवतः उत्तरवैदिक काल में हुआ था। इससे स्पष्ट है कि इस काल में शासक वर्ग और पुरोहित बड़े पैमाने पर दासियाँ रखते थे। यह इसलिए संभव था क्योंकि वैदिक सरदारों की विजययात्रा के कारण स्त्रियों की संख्या घटती जाती थी। युद्ध में विरोधी पक्ष के पुरुष मारे जाते थे और उनकी स्त्रियों को बड़ी संख्या में दासीगत किया जाता था।

'दास' शब्द का उल्लेख ऐतरेय और गोपथ ब्राह्मणों²⁹ में हुआ है, किन्तु गुलाम के अर्थ में नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि निर्बन्धु में³⁰ चाकर का काम करने वालों (परिचरणकर्मणः) की जो सूची दी गई है, उसमें कहीं भी 'दास' शब्द का उल्लेख नहीं है, यद्यपि 'चाकर' शब्द के दस पर्याय दिए गए हैं। संभवतया दासों की संख्या इतनी कम थी कि उस ओर लोगों का ध्यान ही नहीं गया होगा। स्वभावतया शूद्रों के बड़े पैमाने पर गुलाम के रूप में नियोजित किए जाने की

संभावना नहीं रह जाती। इसलिए कीथ का यह कथन वास्तविक स्थिति का संकेत नहीं देता कि किसान पहले स्वयं अपना खेत जोतते थे, पर ब्राह्मणकाल में उनकी जगह भूस्वामी लोग आ गए जो गुलाम मजदूरों के सहारे अपनी गृहस्थी संभालने लगे।³¹ ब्राह्मणकाल में कहीं भी इस प्रकार के भूखंडों के होने का प्रमाण नहीं मिलता है जिनकी खेती लोग अपने घर के सदस्यों की सहायता से न कर पाएं। अतएव उन्हें दासों अथवा कर्मकरों की आवश्यकता नहीं थी। यह स्थिति वैदिकोत्तर काल में उत्पन्न हुई।

खेतों में काम करते हुए गुलामों का सर्वप्रथम प्रसंग श्रौतसूत्रों में आया है जिसकी रचना वैदिककाल के अंत और बाद में हुई थी। इन सूत्रों में से एक से हमें यह जानकारी मिलती है कि अन्न, हल और पशुओं के साथ दो गुलाम भी दिए जाते थे,³² जिससे प्रतीत होता है कि गुलामों से हल जुतवाया जाता था और उनके मालिक उन्हें खुलेआम बेच सकते थे। किंतु बहुत से परिच्छेदों में जमीन और उस पर काम करने वाले लोगों को उपहार में देने की प्रथा का विरोध किया गया है। इस प्रकार कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ में भूमि और उस पर काम करने वाले लोग यज्ञशुल्क नहीं हो सकते थे (भूमिपुरुषवर्जम्)।³³ बताया गया है कि एकाह (एक दिन वाले) यज्ञ में भी भूमि और शूद्र उपहार में नहीं दिए जा सकते थे (भूमिशूद्रवर्जम्)।³⁴ यों, वैकल्पिक रूप से कभी कभी शूद्र भी दिए जा सकते थे,³⁵ हालांकि टीका के अनुसार ये शूद्र जन्मजात गुलाम ही होते थे।³⁶ शांखायत श्रौतसूत्र से इस आशय के दो प्रसंग उपलब्ध हैं। इनमें से एक में कहा गया है कि पुरुषमेध यज्ञ में भूमि और मनुष्य यज्ञशुल्क के रूप में दिए जाते थे।³⁷ दूसरा प्रसंग स्पष्ट नहीं है, पर उससे संकेत मिलता है कि सर्वमेध यज्ञ में 'मनुष्य के साथ' भूमि भी दी जाती थी।³⁸ इन प्रसंगों से वैदिककाल के अंतिम चरण में और बाद में हुए एक नए सामाजिक विकास का आभास मिलता है। शूद्रों से कुछ व्यक्तियों (अधिकतर शासक सरदारों) के खेतों में गुलाम के तौर पर काम कराया जाता था और उन्हें भूमि के साथ उपहार के रूप में भी अर्पित किया जा सकता था, यद्यपि आश्वलायन और कात्यायन श्रौतसूत्र के रचयिताओं को इससे आपत्ति थी।

कहा गया है कि वैदिककाल में शूद्र कृषिदास थे।³⁹ कृषिदास (कम्मी) शब्द अपने मालिक की भूमि में काम करने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। कृषिदास एक भूखंड का स्वामी होता था जिसके लिए वह अपने मालिक को कर चुकाता था, और उसके खेतों में काम करता था, पर उसे भूमि के साथ ही दूसरे मालिकों के नाम अंतरित किया जा सकता था। शूद्र शब्द का यह जो अर्थ लगाया गया है वह संबद्ध प्रसंगों के बिलकुल अनुकूल नहीं है। प्रथमतः, वैदिककाल में भूमि का निजी स्वामित्व बहुत ही सीमित था। स्वामित्व का तात्पर्य है संपत्ति-

का मुक्त क्रय-विक्रय या हस्तांतरण। किंतु संहिताओं में भूमिदान के दृष्टांत नहीं हैं। छांदोग्य उपनिषद् में एक उदाहरण के अनुसार पूरे गांव को राजा जानश्रुति ने रैक्व को दान दिया था।⁴⁰ दो, परवर्ती ब्राह्मण ग्रंथों में एक अन्य दृष्टांत मिलता है।⁴¹ इन दृष्टांतों से हमें पता चलता है कि भूमि का अंतरण कुटुंबों की सहमति से ही किया जा सकता था, किंतु इस पर भी धरती हस्तांतरित होने से ईंकार कर सकती है।⁴² पूर्वकाल में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, जिसमें भूमि के साथ शूद्र का भी दान किया गया हो। कुछ श्रौतसूत्रों में ऐसे दृष्टांत मिलते हैं, किंतु ये बाद के हैं और एक टीका के अनुसार ऐसे शूद्रों को जन्मजात गुलाम (गर्भदास) माना गया है,⁴³ न कि भूसंबद्ध चाकर या कृषिदास।

वैदिक काल में, गुलामी या कृषिदासता की दृष्टि से, शूद्रों की स्थिति सुनिश्चित करना कठिन है। यद्यपि संदर्भों से धारणा बनती है कि मजदूर वर्ग को शूद्र की संज्ञा दी जा रही थी, फिर भी सामान्यतया ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे किसी खास व्यक्ति के गुलाम या कृषिदास थे। स्पष्ट है कि जिस प्रकार भूमि पर समुदाय का सामान्य नियंत्रण रहता था, उसी प्रकार का नियंत्रण श्रमिक वर्ग पर भी रखा जाता था। इस दृष्टि से शूद्रों की तुलना स्पार्टा के गुलामों से की जा सकती है। अंतर इतना है कि उनके साथ उस हद तक बलप्रयोग नहीं किया जाता था और न उन्हें उस तरह तिरस्कृत ही किया जाता था।

यद्यपि परवर्ती वैदिक काल में 'विश्' का शिल्पी वर्ग शूद्र की स्थिति में पहुंच गया था, फिर भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे सिद्ध हो सके कि वे जिन शिल्पों या कृषिकर्मों से लगे हुए थे उनसे लोग घृणा करते थे। जहां तक कृषि का संबंध है, लोगों के मन में निश्चित भावना थी कि इस कार्य में सहायता दी जाए और इसमें संलग्न रहने वालों को प्रोत्साहन तथा सम्मान मिले। इसके लिए वे कई प्रकार के धरेलू कर्मकांड और तंत्र-मन्त्र करते थे।⁴⁴ जहां तक शिल्प का प्रश्न है, चमड़े के काम के प्रति भी घृणा के प्रमाण नहीं मिलते।⁴⁵ इससे यह आभास मिलता है कि कोई भी कार्य अपने स्वरूप के कारण अपवित्र नहीं माना जाता था और यही धारणा बाद में भी चलती रही। श्रौतसूत्र में एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान शिल्प कहलाता है, जिसका अर्थ हस्तकौशल भी है।⁴⁶ परवर्ती वैदिक काल में शारीरिक श्रम के प्रति घृणा का अभाव था। इसकी तुलना ग्रीस में हुए समानांतर विकास से की जा सकती है, जहां हैसियोद से लेकर सुकरात तक (800 ई० पू० के लगभग से 400 ई० पू० के लगभग तक) जनभावना शारीरिक श्रम के पक्ष में थी।⁴⁷ परवर्ती वैदिक काल में शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा संभवतः पुराने सीधे-सादे समाज से चली आ रही थी, जिसमें राजा भी खेत जोतने के काम में हाथ बंटाता था।⁴⁸ राजा जनक के हल चलाने की कथा प्रसिद्ध है।

उस काल के राजनैतिक जीवन में भी शूद्रों की भूमिका उनकी स्थिति के

अनुकूल महत्वपूर्ण ही जान पड़ती है। भारतीय आर्यों की राज्यव्यवस्था की निर्माणावस्था में उन्हें राजकाज में हाथ बटाने का पर्याप्त अवसर मिला। ध्यान देने की बात यह है कि उन्हें राज्य के लगभग एक दर्जन उच्च कर्मचारियों के उन्नत निकाय में स्थान प्राप्त था,⁴⁹ जिन्हें रत्निन् (रत्नाधिकारी) कहा गया है। इसकी तुलना बाहर व्यक्तियों के उस पर्षद से की जा सकती है जो प्राचीन सैक्सन, फ्रिजियन, केल्ट्स आदि जैसे कई भारोपीय जातियों की अति प्राचीन संस्था थी।⁵⁰ रत्निनों का चढ़ावा अपित करने का समारोह संपन्न करने के लिए राजा को इनके घर जाना पड़ता था। रत्निनों की सूची से पता चलता है कि उनमें सभी वर्णों के लोग रहते थे।⁵¹ इनमें से दो रत्निन् रथकार और तक्षन्, जिनकी चर्चा विभिन्न ग्रंथों में हुई है,⁵² शूद्र वर्ण के शिल्पी वर्ग के थे। इनके बरां पर होने वाले समारोहों में सभी प्रकार के धातु यज्ञशुलक के रूप में विहित किए गए हैं,⁵³ जिससे पता चलता है कि वे अपने धातु संबंधी कार्य और व्यवसाय के कारण महत्वपूर्ण थे। पहले ही बताया जा चुका है कि अथर्ववेद में वर्णित एक राजा ने किस तरह कर्मार्द और रथकार की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। किंतु वर्तमान सूची में कर्मारि का स्थान तक्षन् ने ले लिया है जो रथकार के साथ ही धातुकर्म और बैलगाड़ी के निर्माण संबंधी सभी कार्यों के प्रभारी रहे होंगे और जिनके बिना सुदूरपूर्व में आर्यों का विस्तार और उनकी बस्तियों की स्थापना नहीं हो पाती। किंतु शतपथ ब्राह्मण में इन दोनों रत्निनों का कोई उल्लेख नहीं है और उनके बदले गोविकर्तन (शिकारी) और पालागल (संवादवाहक) का उल्लेख हुआ है।⁵⁴ इन दोनों को भी शूद्र समझने के कारण मौजूद हैं। रत्न आदि अपित करने के समारोह के पश्चात राजा प्रायश्चित्त करता था, क्योंकि उसे यज्ञ के अनधिकारी शूद्रों को यज्ञ के संपर्क में लाने का दोषी समझा जाता था।⁵⁵ सायण ने तो सेनानी को भी शूद्र रत्निन् माना है, लेकिन उसकी यह स्थापना कपोल कल्पित लगती है।⁵⁶ अधिक सभावना यही है कि यज्ञ के अनधिकारी शूद्रों का जो उल्लेख आया है, वह केवल पालागल और गोविकर्तन पर ही लागू है। पालागल शूद्र था, यह निष्कर्ष इस तथ्य से निकाला जा सकता है कि पालागला को शूद्र के रूप में संबोधित किया गया है।⁵⁷ एक अन्य स्थान में पालागल शब्द मिथ्या दूत (अनृत-दूत) के रूप में परिभाषित किया गया है।⁵⁸ यहां पालागल की जो विशेषता बताई गई है, वह आगे चलकर सर्वथा शूद्र के बारे में लागू होती है।⁵⁹ गोविकर्तन जिसका वर्णन शतपथ के अतिरिक्त कई अन्य सूचियों में भी रत्निन् के रूप में किया गया है,⁶⁰ सायण द्वारा नीच जाति (हीन जाति) का बताया गया है।⁶¹ संभवतया वह आखेटरक्षक और वन का प्रभारी था, जो शूद्र रहा होगा। कीथ क्षत् को, जो रत्निन् था, मूर्तिकार मानता है,⁶² जिसका आशय यह हुआ कि वह भी शूद्र था। किंतु यह संदेहास्पद लगता है, क्योंकि महाकाव्य में क्षत् का अर्थ

प्रतिहार किया गया है,⁶³ और यह समझने का कोई विशेष कारण नहीं कि ब्राह्मणों में इसका प्रयोग भिन्न अर्थ में किया गया है। रत्निनों में तक्षन् को अधिक अधिकार के साथ मूर्तिकार कहा जा सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि कुछ मामलों में शिल्पियों और कुछ में पशुपालकों तथा संदेशवाहकों (जो शूद्र वर्ण के थे) का इतना महत्व था कि राजसूय यज्ञ के अवसर पर राजा उनकी खोज करते थे।

किन्तु शूद्र रत्निनों की स्थिति पर और भी प्रकाश डालना आवश्यक है। प्रथमतः, उन्हें वर्ण नाम से निर्दिष्ट नहीं किया गया है जैसे ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य रत्निनों को किया गया है।⁶⁴ फिर, जहाँ तक प्रभाव, कृतित्व और प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, शूद्र रत्निनों के विश्वद पलड़ा भारी रहा होगा और राजनीतिक अनुष्ठानों में उनकी उपस्थिति कालांतर में मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गई होगी। अलग अलग सूचियों में शूद्र रत्निनों की संख्या दो या तीन बताई गई है।⁶⁵ किसी भी बात से यह पता नहीं चलता कि उनकी उपस्थिति से संपूर्ण शूद्र वर्ण का प्रतिनिधित्व हो जाता था, किंतु इतनी बात तो अवश्य थी कि इस समुदाय के कुछ लोगों को राज्यव्यवस्था में स्थान मिल गया था।

जायसवाल ने रत्नार्पण समारोह (रंतहवींपि) को महान संबैधानिक परिवर्तन माना है, क्योंकि शूद्र की 'जो विजित गुलाम थे, राजा बनने वाला व्यक्ति पूजा करता था।'⁶⁶ इसका अर्थ यह हुआ कि विजित आर्यपूर्व जनों को आर्यों की राज्यव्यवस्था में जानबूझ कर ऊंचा दर्जा दिया गया था। किंतु आर्यों के राजनीतिक संगठन में कम से कम दो शूद्र रत्निन्, रथकार और तक्षन् का स्थान विजितों को जानबूझ कर उच्च स्थान देने की नीति के कारण नहीं था बल्कि उसका आधार तो यह था कि वे दोनों ऐसी आर्य जनजातियों के मूल सदस्य थे जो उस समय तक वर्गों में विखर गई थीं। अथर्ववेद में रथकार और कर्मार (जिसका स्थान अब तक्षन् ने ले लिया है) को स्पष्टतः राजा के ईर्द-गिर्द रहने वाले विश्व के रूप में चिह्नित किया गया है।⁶⁷ धातुरुक्म और रथनिमणि में उनकी नैपुण्य-जन्य अपरिहार्यता के कारण भी प्राचीन समाज में उनका महत्व बढ़ गया होगा। इतना ही नहीं, यह भी असंभव नहीं कि इन शूद्र रत्निनों के कारण शूद्र वर्ण के अन्य वर्गों को भी परोक्ष रूप से महत्व मिल गया होगा।

उस समय के राजनीतिक जीवन में शूद्रों के सहयोग का तथ्य पासे के खेल से भी स्पष्ट है जो राजसूय यज्ञ में एक तरह के धार्मिक कृत्य के रूप में विहित है। हमें इसके बारे में दो तरह के पाठ मिलते हैं। पूर्ववर्ती पाठ में, जो कुछ यजुर्वेद में उपलब्ध है, बताया गया है कि ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र गाय को दाव पर रखकर पासा खेलते थे और उसमें राजा जीतता था।⁶⁸ परवर्ती पाठ में, जो शुक्ल यजुर्वेद में आया है, गाय के लिए होनेवाली प्रतियोगिता में से वैश्य और शूद्र को हटा दिया गया है। इस जुए के खेल में राजा का संबंधी (सजात) गाय

को दाव पर रखता है और कार्यकारी पुरोहित (अध्वर्यु) उसे राजा के लिए जीतता है।¹⁰ जान पड़ता है कि गाय का यह जूआ मूलतः जनजातीय प्रथा थी, जिसका आयोजन नेता की विचक्षणता और वाक्चातुरी जांचने के लिए किया जाता था। अतः जनजातियों की समेकता और समरूपता की पुरानी परंपरा के ही कारण पासे के खेल में सभी वर्णों को भाग लेने दिया जाता था। किंतु कालांतर में इस प्रथा का स्वरूप बदल गया और वैश्य तथा शूद्र को इस खेल से बहिष्कृत कर दिया गया। इतना ही नहीं, यह महत्व की बात है कि पूर्वकाल में शूद्र भी एक प्रतियोगी के रूप में इस खेल में भाग ले सकता था, जो राजा के औपचारिक अभिपेक की प्रारंभिक क्रियाओं में से एक किया थी।

राजसूय यज्ञ के एक अन्य समारोह में भी हमें शूद्र की चर्चा मिलती है, जिसमें यजमान प्रथमतः ब्राह्मण को स्वर्ण प्रदान करता है और उससे दीप्ति खरीदता है, तब राजन्य को तीन तीर के साथ धनुष देकर कांति खरीदता है। तत्पश्चात वैश्य को अंकुश देता है और उससे पुष्टि प्राप्त करता है और अंततः शूद्र को माषपात्र देता है जिससे दीर्घ आयु खरीदता है।¹⁰ यहां वर्णभेद का चिन्नण किया गया है। इससे पता चलता है कि वैश्य पशुपालन में लगे थे और शूद्र कृषिकर्म में। फिर भी उन्हें राजा के संपर्क में लाया गया है और यह माना गया है कि वे राजा को दीर्घ आयु प्रदान करने में सक्षम हैं।

संभवतया, शूद्र राजसूय यज्ञ के एक और समारोह से संबद्ध हैं, जिसमें नवाभिषिक्त राजा को आकाश की चारों दिशाओं में आरोहण करने को कहा जाता है और पूर्व दिशा में ब्रह्म से, दक्षिण में क्षत्र से, पश्चिम में विश्व से तथा उत्तर में फल, वर्चस् और पुष्टम् से निवेदन किया जाता है कि वे राजा की रक्षा करें।¹¹ जायसवाल का कथन है कि फल स्पष्टतया शूद्र का पर्यायिवाची है।¹² घोषाल इसे स्वीकार नहीं करते और वे इस समारोह को वैदिक राज्यव्यवस्था में तीन उच्च जातियों के प्रभाव का प्रतीक मानते हैं।¹³ यह भी सुझाव दिया गया है कि फल शिल्पी वर्ग का द्योतक है।¹⁴ हमारी राय है कि वैदिक साहित्य में¹⁵ फल शब्द का प्रयोग उसके शाब्दिक अर्थ में किया गया है न कि उसके पश्चातवर्ती गौण अर्थ परिणाम के रूप में। अतः हो सकता है कि वह शूद्र के उत्पादन कार्यों से संबंधित रहा हो। किंतु वर्चस् (जिसका अर्थ है कांति) के बारे में भी ऐसा ही नहीं कहा जा सकता। जहां तक पुष्टम् शब्द का संबंध है, वह सामान्यतया वैश्यों से संबद्ध है, किंतु एक परिच्छेद में शूद्र को पूषण (पोषक) भी कहा गया है।¹⁶ अतः यह सुझाव दिया जा सकता है कि फलम् और पुष्टम् शब्द शूद्र के उत्पादन कार्यों का संकेत देते हैं और शूद्र से यह अनुरोध किया जाता है कि वह उत्तर दिशा में राजा की रक्षा करे।

हमें जात है कि युधिष्ठिर के महान् राजसूय यज्ञ में संभ्रान्त शूद्रों को आमंत्रित

किया गया था।⁷⁷ ऐसा विरोधात्मक वक्तव्य कि उस अवसर पर यज्ञ का अनधिकारी एक भी शूद्र उपस्थित नहीं था,⁷⁸ संभवतया उस प्रयास का परिचायक है जो शूद्रों को राजनीतिक सत्ता से बहिष्कृत करने के लिए किया गया था। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि कम-से-कम शूद्र वर्ण के कुछ लोग राज्याभिषेकों में भाग लेते थे।

शुक्ल और कृष्ण दोनों यजुः संहिताओं में पाए जाने वाले एक मंत्र के अनुमार⁷⁹ राजसूय यज्ञ के अवसर पर 'विश्' के बीच प्रतिष्ठापित राजा⁸⁰ अर्य और शूद्र के प्रति किए गए पाप के प्रायशिच्छत के लिए सूर्य से प्रार्थना करता है। पाणिनि⁸¹ को आधार मानकर, टीकाकार उबट और महीधर ने 'अर्य' शब्द की व्याख्या वैश्य के रूप में की है।⁸² इससे स्पष्ट है कि राजा भी दो निम्न वर्णों को सताने के लिए स्वच्छंद नहीं था। यह स्थिति ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित स्थिति से बिलकुल भिन्न है,⁸³ जहाँ राजा के इच्छानुसार वैश्य को सताया और शूद्र को पीटा जा सकता है।

माना गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से याजक को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होती है और कहा गया है कि शूद्र विश्वविजय के अभियान पर भेजे गए अश्व के साथ अस्त्र-शस्त्र लेकर रक्षक के रूप में जाता था।⁸⁴ शूद्र अस्त्र चला सकता था, यह निष्कर्ष एक प्राचीन परिच्छेद से भी निकाला जा सकता है, जिसमें लिखा गया है कि राजा के सहयोग से राजा, वैश्य के सहयोग से वैश्य, और शूद्र के सहयोग से शूद्र मारा जाता है।⁸⁵ महाभारत में दम्भोद्धृव नाम के राजा की कथा है। वह प्रतिदिन धन्त्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के सशस्त्र सैनिकों को ललकार कर कहता था कि वे युद्ध करने में उसके समान बहादुर बनें।⁸⁶ युद्ध में भाग लेने वाले विभिन्न नेताओं और लोगों की गणना करते हुए इस महाकाव्य में बताया गया है कि चारों वर्ण युद्ध में भाग लेते थे और इससे उन्हें ख्याति, आनंद और मर्यादा की प्राप्ति होती थी।⁸⁷ शूद्र भी सैनिक के रूप में कार्य करते थे, यह तथ्य भी प्राचीन जन-जातीय राज्यव्यवस्था के प्रभाव का परिचायक है। उस राज्यव्यवस्था में भी हर व्यक्ति शस्त्र ग्रहण कर सकता था।

यह भी ध्यान देने की बात है कि आयोगव, जिसे टीकाकारों ने वैश्य महिला से उत्पन्न शूद्रपुत्र बताया है, अश्वमेध यज्ञ में जागरूक कुत्ते जैसा काम करता है।⁸⁸ प्रायः यह उस प्रथा की ओर संकेत करता है जिसमें आदिम जाति के लोगों को प्रहरी के रूप में बहाल किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में एक आयोगव राजा मरुत आविक्षित का अद्वितीय विवरण मिलता है। वह अश्वमेध यज्ञ करता है और मरुत उसके अंगरक्षक, अग्नि उसके प्रतिहार और विश्वदेव उसके सभासद के रूप में कार्य करते हैं।⁸⁹ यह दृष्टांत शूद्र राजा का नहीं मालूम पड़ता; यह संभवतया ब्राह्मणप्रधान राज्यव्यवस्था में ब्राह्मणेतर शासक को समाविष्ट करने

का दृष्टांत है। आयोगव शब्द की परिभाषा धर्मसूक्तों के पहले नहीं मिलती और यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु आविक्षित हीन जाति का राजा था।

अश्वमेध यज्ञ में ऐसी व्यवस्था थी कि रथकार का घर यज्ञ के अश्व और उसके रक्षकों का विश्रामस्थान होगा।¹⁰⁰ इससे प्रकट होता है कि परवर्ती काल के अश्वमेध यज्ञ में भी रथकार को राजनीतिक महत्व प्राप्त था।

अश्वमेध यज्ञ का आयोजन चारों वर्णों को जीतने के उद्देश्य से किया जाता था, जिससे मालूम पड़ता है कि शासक आवश्यक समझता था कि समाज के सभी वर्णों की निष्ठा उसे प्राप्त हो।¹⁰¹ एक अन्य परिच्छेद से भी ऐसी ही धारणा बनती है। इसके अनुसार राजसूय यज्ञ के अवसर पर पुरोहित राजा को दीप्ति, शक्ति, संतति और सुदृढ़ स्थिति की प्राप्ति में सफलता प्रदान कराता है। ये गुण क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में पाए जाते हैं।¹⁰² इसी आशय का एक परिच्छेद तैत्तिरीय संहिता में मिलता है।¹⁰³ इसके अनुसार राजन्य को अग्न्याधानमन्त्र तीन बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसे योद्धा की निष्ठा के अतिरिक्त तीन अन्य वर्णों, यथा, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की आज्ञाकारिता भी प्राप्त करनी होती है। इन बातों से पता चलता है कि इस युग में परवर्ती ग्रन्थों की तरह, शूद्रों की आज्ञाकारिता स्वयंसिद्ध ही थी। जैमिनीय ब्राह्मण के एक अनुच्छेद से भी स्पष्ट है कि राजा के लिए यह अनिवार्य था कि वह उनका भी समर्थन प्राप्त करे। इस ग्रन्थ से हम जान पाते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ने क्रमशः गायत्री, त्रिष्टुभ्, जगती और अनुष्टुभ् छंदों के जरिए पांचालनरेश दर्भ शातानीकि का सम्मान किया था।¹⁰⁴

सभी यजुः संहिताओं में एक महत्वपूर्ण परिच्छेद आया है, जिसमें अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह पुरोहितों, योद्धाओं, वैश्यों और शूद्रों को प्रभा प्रदान करे।¹⁰⁵ वाजसनेयि संहिता में यह परिच्छेद वसोधारा कर्म की विधि के प्रसंग में आया है, जिसमें अग्नि को राजा के रूप में अभिषिक्त किया जाता है। इस अवसर पर कार्यकारी पुरोहित (अध्वर्यु) इस आशय का मंत्रपाठ करता है कि याजक को सभी आधिभौतिक और आधिदैविक वर मिलें। यह स्पष्ट तो नहीं है किंतु इसे असंभव नहीं कहा जा सकता कि यह कर्म राजा के लिए विहित है, जो अग्नि से प्रार्थना करता है कि वह उसकी सभी वर्णों की प्रजा को, जिसमें शूद्र भी सम्मिलित है, दीप्ति प्रदान करे।

राजनीतिक ढंग के धर्मकर्म में शूद्रों का सहयोग किस प्रकार का और किस हृद तक हो इसमें कोई एकलृपता नहीं थी। कुछ मामलों में समारोह की मिली बातों में वर्ण के अनुसार अंतर पड़ता था। स्वभावतया शूद्र को निम्नतम् स्थान प्राप्त था। अन्य मामलों में शूद्र सहित सभी वर्ण समारोह में उसी प्रकार भाग Delhi

52 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

लेते थे और समान आशीष की आशा रख सकते थे। जो भी हो, धर्मशास्त्रों के नियमों से तुलना करने पर यह ध्यातव्य है कि उत्तरवैदिककाल में तीनों उच्च वर्णों के साथ शूद्रों को भी राजनीतिक सत्ता में कुछ हिस्सा मिल सका था।

किंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है। इस काल में पहले ही यह प्रवृत्ति चल पड़ी थी कि शूद्रों को सामुदायिक जीवन में भाग लेने से बहिरकृत किया जाए। इसीलिए अन्य तीन उच्च वर्ण के लोगों की भाँति शूद्र राजसूय यज्ञ के अवसर पर अभिषेचन कर्म में भाग नहीं ले सकता था।¹⁰⁰ जायसवाल का मत है कि जन्य या जन्यमित्र, जिसे राजा को अभिषिक्त करने वाला चौथा व्यवित बताया गया है, बैरी जनजाति के सदस्य के रूप में शूद्र है¹⁰¹, किंतु इस तरह का अर्थ प्रभान्हीन प्रतीत होता है। इस शब्द का वास्तविक अर्थ चाहे जो कुछ भी हो,¹⁰² इतना तो स्पष्ट है कि उपलब्ध साहित्य में कहीं भी इस शब्द का शूद्र से कोई संबंध नहीं है। यह भी कहा गया है कि राजसूय यज्ञ के अवसर पर तीनों उच्च वर्ण के लोग रांजा से ईश्वर की पूजा के लिए स्थान मांगें।¹⁰³ इसमें शूद्रों को छोड़ देना इस सिद्धांत का स्वाभाविक परिणाम है कि शूद्र देवपूजक नहीं थे, फिर भी यह राजनीतिक जीवन में उसके महत्व के घटते जाने का संकेत है।

शतपथ ब्राह्मण में कुछ ऐसे कर्मों का विधान है जो विश् (समुदाय) पर क्षत्र (शासन प्रमुख) का नियंत्रण स्थापित करते हैं।¹⁰⁴ यहां शूद्र का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि प्रायः यह निश्चित मान लिया गया है कि उस पर राजा का नियंत्रण था। एक दूसरे अनुच्छेद से भी ऐसा ही विचार व्यक्त होता है। इसके अनुसार ब्रह्मा और क्षत्र विश् में सुस्थापित थे,¹⁰⁵ किंतु यहां भी शूद्र की चर्चा नहीं हुई है।

व्राजपैय यज्ञ राजा की शक्ति बढ़ाने वाला यज्ञ था और उसमें शूद्र को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। एक ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इस यज्ञ में भाग ले सकते थे,¹⁰⁶ किंतु दूसरे ग्रंथों में वैश्यों को भी इस अधिकार से वंचित कर दिया गया है।¹⁰⁷

तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक छोटे समारोह के प्रसंग में संकेत मिलता है कि शूद्र को नागरिक की हैसियत प्राप्त नहीं थी। अमावस और पूर्णमासी को होने वाले दशपूर्णमास यज्ञ की विधिविशेष की व्याख्या करते हुए यह तर्क दिया गया है कि शूद्र अपने स्वामी के सामने उनकी आज्ञा लेकर ही कुछ कर सकता है, और जो कोई आज्ञा के बिना कुछ कर नहीं सकता, उसके साथ शूद्रवत् व्यवहार किया जाए।¹⁰⁸ इससे पता चलता है कि शूद्र से यह उम्मीद की जाती थी कि वह अपने स्वामी के विरुद्ध नहीं बोलेगा। शूद्र पूर्णतया गुलाम समझा जाता था।

उत्तरवैदिककाल की राज्यव्यवस्था में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वह है वैश्य और शूद्र से विभेद करते हुए ब्राह्मण और क्षत्रियों को विशेष स्थान प्राप्त

कराने की प्रवृत्ति। घोषाल ने अनेक दृष्टांत देकर बताया है कि दो प्रभावशाली शक्तियों के रूप में ब्रह्मा और क्षत्र का समाज में कितना महत्व था, उनमें परस्पर कितना विरोध था तथा उनकी राजनीतिक मिश्रता कितनी गहरी थी।¹⁰⁵ सहिताओं¹⁰⁶ और ब्राह्मण ग्रंथों¹⁰⁷ में दो उच्च वर्णों की रक्षा के लिए प्रार्थनाओं का उल्लेख है। यदि इन निर्देशों का सूक्ष्म विवेचन किया जाए तो वे परिणाम निकल सकते हैं। प्रथमतः, उनमें से अधिकांश का उल्लेख परवर्ती साहित्य, खासकर शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। दूसरा यह कि पूर्वकालीन ग्रंथों में जहां साधारणतया दोनों उच्च वर्णों के आपस में मिलेजुले रहने का संकेत मिलता है, वहां बाद के ग्रंथ वैश्य और शूद्रों को अलग रखने का स्पष्ट संकेत देते हैं। शतपथ ब्राह्मण में साफ साफ बताया गया है कि वैश्य और शूद्र ब्राह्मणों और क्षत्रियों से धिरे हुए हैं।¹⁰⁸ वही ग्रंथ यह भी प्रमाणित करता है कि जो लोग न तो क्षत्रिय हैं और न ब्राह्मण वे अपूर्ण हैं।¹⁰⁹ पहले ही ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है कि बाद में राजसूय यज्ञ के जो वृत्तांत आए हैं उनमें वैश्य और शूद्र को पांसा के लेल से छाट दिया गया है।¹¹⁰ उसी राज्याभिषेक यज्ञ के संबंध में ऐतरेय ब्राह्मण का मत है कि ब्राह्मण को तो 'क्षत्र' से पहले स्थान मिलता है, किंतु वैश्य और शूद्र उसके बाद ही आते हैं।¹¹¹ अतः मालूम पड़ता है कि वैश्य को शूद्र के बशावर मानने और उसे जनजीवन में स्थान न देने की धारणा पूर्वकालीन ग्रंथों में तो परोक्ष थी, किंतु बाद के ग्रंथों में पूर्णतया स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो गई।

उत्तरवैदिककाल के समाज में शूद्र के कार्य की समीक्षा ऐतरेय ब्राह्मण के एक ऐसे अनुच्छेद¹¹² की परीक्षा करके समाप्त की जा सकती है जिसके आधार पर कहा जाता है कि वेदकालीन राज्यव्यवस्था में शूद्र का स्थान सर्वथा गुलाम जैसा था। इस महत्वपूर्ण परिच्छेद के प्रसंग और तात्पर्य का विश्लेषण करने से मालूम होता है कि इस तरह का विचार न्यायोचित नहीं है। कहा जाता है कि विश्वंतर सौषद्मन नामक एक राजा ने पुरोहित कुल-श्यापर्ण के बिना ही यज्ञ किया और उन पुरोहितों की यज्ञवेदी से उठा दिया। उनकी ओर से बोलते हुए उनके विद्वान नेता राम मार्गवेद ने पुरोहितों के निष्कासन का इस आधार पर विरोध किया कि उसे इस बात की जानकारी है कि राजसूय यज्ञ के अवसर पर सोमरस के बदले राजा को क्या खाना चाहिए।¹¹³ प्रसंगाधीन परिच्छेद में उसके शब्दों में कहा गया है कि राजा द्वारा विभिन्न प्रकार के आहार ग्रहण करने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और इस सिलसिले में यह भी बतलाया है कि क्षत्रिय राजा का अन्य तीन वर्णों के साथ कैसा संबंध था। कहा जाता है कि यदि राजा सोम का पान करे जो ब्राह्मण का आहार है तो उसके वंशज ब्राह्मण होंगे और उनमें ब्राह्मण के सभी लक्षण रहेंगे। वे प्रतिग्रह लेंगे, सोमपायी होंगे, आजीविका की खोज करने वाले होंगे और इच्छानुसार कहीं भी भेजे जाने योग्य (यथाकामप्रयाप्य) होंगे।¹¹⁴ यदि

राजा दही खाए जो वैश्य का आहार है तो उसका वंशज वैश्य होगा और उसमें वैश्य के सभी लक्षण होंगे। वह करदाता होगा, दूसरे का भोज्य होगा और इच्छानुसार सताया जा सकेगा। किंतु यहाँ हमारा विशेष प्रयोजन उन विशेषणों से है जिनसे शूद्र की स्थिति का पता चलता है। यह भी कहा गया है कि यदि राजा पानी पिए, जो शूद्र का आहार है तो वह शूद्र का पक्ष करेगा और उसकी संतान में शूद्र के सभी लक्षण रहेंगे।¹¹⁵ वह (i) अन्यस्य प्रेष्यः, (ii) कामोत्थाप्यः और (iii) यथाकामवध्यः होगा। कीथ ने प्रथम विशेषण का अनुवाद किया है 'दूसरे का सेवक' जो सही है। किंतु अन्य दो विशेषणों का उसने जो अनुवाद किया है वह सही नहीं कहा जा सकता। उसने दूसरे विशेषण 'कामोत्थाप्यः' का अनुवाद किया है, ऐसा व्यक्ति जिसे 'इच्छानुसार हटाया जा सके'¹¹⁶ और हेग ने उसका अनुवाद किया है, ऐसा व्यक्ति जिसे स्वामी के इच्छानुसार 'निकाल बाहर किया जा सके'।¹¹⁷ इस आधार पर कहा जाता है कि शूद्र की स्थिति उस रैयत के समान थी जिसे उसका मालिक किसी भी समय अपनी भूमि से निष्कासित कर सकता था।¹¹⁸ किंतु सायण ने इस शब्द की टीका करते हुए बताया है कि शूद्र को दिन या रात में किसी भी समय मालिक के इच्छानुसार काम करने के लिए उठाया जा सकता है।¹¹⁹ उसने जो अर्थ किया है वह बहुत कुछ संभव प्रतीत होता है, क्योंकि 'उत्थापन' का सीधा-सादा अर्थ होता है जगाना। प्राचीन संस्कृत में निकाल बाहर करने के लिए 'निर्वासन'¹²⁰ या 'निष्कासन' शब्द का प्रयोग हुआ है। तीसरे विशेषण 'यथाकामवध्यः' का अनुवाद कीथ ने यह किया है कि 'मालिक के इच्छानुसार उसका वध किया जा सकता है।'¹²¹ किंतु सायण ने इसका अर्थ किया है कि 'यदि शूद्र अपने मालिक की मर्जी के विरुद्ध कोई काम करे तो उसका मालिक कुद्द होकर उसे पीट सकता है।'¹²² सायण द्वारा किए गए अर्थ की 'निरुक्त' से भी पुष्ट होती है, जिसमें तीन जगह तो वध का अर्थ 'जान से मार डालना' किया गया है,¹²³ पर पांच जगह इसका प्रयोग 'चोट पहुंचाने या धायल करने' के अर्थ में हुआ है।¹²⁴ अतः हेग ने तीसरे विशेषण का जो अर्थ किया है, 'मनमाने ढंग से पीटा जाने योग्य' वह सही है।¹²⁵

बिना विचारे ही लोगों ने इस गलत मत को मान लिया कि ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार मालिक अपनी मर्जी से शूद्र की जान ले सकता है।¹²⁶ इसका निष्कर्ष यह निकाला गया कि वैदिककाल में उसका वैरदेय नहीं था; अर्थात् उसकी जान लेने के बदले हजारिना नहीं देना पड़ता था।¹²⁷ स्पष्ट है कि ऐसा विचार 'यथाकामवध्यः' शब्द के संदर्भ अर्थात् विवरण पर आश्रित है। इतना ही नहीं, यद्यपि 'वैर' या 'वैरदेय' के लिए प्रायः एक सौ गायें निर्धारित की गई थीं,¹²⁸ फिर भी न तो ऐसा कोई प्रसंग मिलता है जिससे पता चले कि वर्ण के अनुसार इस राशि में अंतर किया जाता था और न यही प्रमाण दिखाई पड़ता है कि किसी खास वर्ण

को इस अधिकार से वंचित रखा जाता था। मानव वध (वैर हत्या) के पाप से मुक्त होने के लिए यज्ञ के रूप में प्रायशिचित करने की व्यवस्था भी थी,¹²⁰ किंतु इसे भी वर्णमूलक विभेदों से मुक्त रखा गया है। अतः यह स्पष्ट है कि उत्तरवैदिक-कालीन समाज में वर्णगत अंतर इतना प्रबल और व्यापक नहीं था, जितना कि धर्मसूत्रों के काल में हुआ, जब सामाजिक भेदभाव इतना गहरा हो गया कि शूद्र को न्यूनतम वैरदेय, अर्थात् दस गाय मात्र पाने का ही अधिकार रह गया।

ऐतरेय ब्राह्मण के इस परिच्छेद को पुनः देखें तो शूद्र के लिए प्रयुक्त दोनों विशेषणों के जो अर्थ बताए गए हैं, वे संभव प्रतीत होंगे। पूरे वैदिक साहित्य में इस परिच्छेद के समान दूसरा प्रसंग नहीं है, जिसमें यह कहा गया हो कि शूद्र को उसका मालिक अपने इच्छानुसार घर से निकाल बाहर कर सकता है और चाहे तो उसे कत्ल भी कर सकता है।

ऊपर बताए गए दोनों विशेषणों के विभिन्न अर्थ वास्तविक स्थिति के द्योतक हैं या नहीं यह सुनिश्चित कर पाना कठिन है। इसका कारण यह है कि ऐतरेय ब्राह्मण का सातवां भाग, जिसमें प्रसंगाधीन परिच्छेद आया है, बाद का भाग है।¹³⁰ कोई आश्चर्य नहीं कि किसी निष्कासित पुरोहित ने राजा का कृपापात्र बनने की दृष्टि से विभिन्न वर्णों पर लागू कुछ विशेषणों का प्रयोग किया हो। यह कम महत्व की बात नहीं कि ब्राह्मण को भी इच्छानुसार निवासिन योग्य बताया गया है। ऐसी दशा में अन्य वर्णों की स्थिति का अनुमान तो सहज ही लगाया जा सकता है।

किंतु सारे विचारविमर्श के बाद भी परवर्ती वैदिककालीन राज्यव्यवस्था में शूद्रों की हीन स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता। हमारा उद्देश्य है उसकी यथासंभव सुनिश्चित परिभाषा प्रस्तुत करना। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि यद्यपि शूद्र अश्वमेध और राजसूय जैसे दो महत्वपूर्ण राजनीतिक ढंग के यज्ञों के क्रतिपय समारोहों से सहबद्ध था, फिर भी, संभवतया वैदिककाल के अंत तक, राजनीतिक जीवन से संबंधित कर्मों से उसे अलग रखने की निश्चित प्रवृत्ति पनप चुकी थी। कुछ दृष्टांतों में वैश्य को भी शूद्र की स्थिति में रख दिया गया और उसे पुराने अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

कर्मकांडी साहित्य से भी शूद्रों की सामाजिक स्थिति की कुछ जानकारी मिल सकती है। यजुर्वेद के एक परिच्छेद में कहा गया है कि वैश्य और शूद्र की सृष्टि एक साथ हुई थी।¹³¹ यह पुरुषसूक्त की उक्ति के प्रतिकूल है, जिसमें वैश्य की सृष्टि शूद्र से पहले बताई गई है जिसके परिणामस्वरूप शूद्र को समाज में सबसे हीन स्थान मिला। किंतु वैश्य और शूद्र को एक ही सामाजिक कोटि में रखने की प्रवृत्ति कुछ कर्मकांडों में लक्षित होती है क्योंकि वे बताते हैं कि वैश्य शूद्र महिला का तथा शूद्र वैश्य महिला का पति बन सकता है।¹³² व्यांग्यपूर्ण भाषा में कहा गया

है कि शूद्र महिला का अर्थ पति अपनी उन्नति की बात नहीं सोचता, क्योंकि ऐसे विवाह से उसे चिरकाल तक दरिद्र बना रहना ही है।¹³³ टीकाकारों ने अर्थ शब्द का अर्थ वैश्य किया है,¹³⁴ जिससे वैश्य और शूद्र महिला के बीच विवाह का प्रमाण मिलता है, किन्तु वेदिक इडेंवेस के लेखक इन प्रसंगों को आर्य और शूद्र के अवैध संबंध का दृष्टांत मानते हैं।¹³⁵ अधिकांश मामलों में पाठ अर्थ है, अतः टीकाकारों ने जो अर्थ लगाया है वह सही मालूम पड़ता है। जे० इगलिंग ने भी शतपथ ब्राह्मण के अनुवाद में अर्थ पाठ को ही ग्रहण किया है,¹³⁶ और इसका रूपांतर वैश्य के रूप में किया है। किन्तु यह भी संभव है कि मूल पाठ में ही, नई परिस्थितियों के अनुकूल, उस वक्त कुछ परिवर्तन कर दिए गए होंगे जब उच्च वर्ण और शूद्र के बीच विवाह संबंध को बुरा समझा जाने लगा होगा। इस उपधारणा के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्य, और शूद्र अथवा बाद में शूद्र वर्ण में शामिल किए गए लोगों के बीच निवार्ध रूप से विवाह संबंध स्थापित हो सकते थे। बाद में इस तरह का संबंध दो निम्न वर्णों तक ही सिमट कर रह गया।

ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों निम्न वर्णों के साथ—जिनमें शूद्र भी आ जाते हैं—अंतर्जातीय विवाह कर सकते थे, जैसा कि वत्स और कवष के दृष्टांत से स्पष्ट है।¹³⁷ वत्स को उसका भाई मेधातिथि शूद्र-पुत्र कहता था, जिससे प्रकट होता है कि प्रायः इस शब्द का प्रयोग अपमानजनक शब्द के रूप में नहीं होता था।¹³⁸ कहा जाता है कि वत्स ने आग पर निरापद चलकर अपना ब्राह्मणत्व प्रमाणित किया और इस प्रकार इस कलंक को मिटाया। यह वतांता है कि किसी व्यक्ति की सामाजिक मर्यादा उसके वंश से नहीं बल्कि उसकी योग्यता से निर्धारित होती थी।¹³⁹ कवष ऐलूष का जन्म दासी से हुआ था; और यह दृष्टांत संदर्भ मालूम पड़ता है। सायण का विचार है कि उसके लिए 'दास्याः पुत्रः' का प्रयोग अपशब्द के रूप में हुआ है।¹⁴⁰ यदि हम अृषि दीर्घतमस् की माँ उशिज के बारे में बृहददेवता¹⁴¹ में दिए गए विवरण को अंगीकार करें तो पंचविंश ब्राह्मण¹⁴² में हमें इस दासी कन्या उशिज के विधिसम्मत विवाह का दृष्टांत मिलेगा। पौराणिक अनुश्रुतियों से विदित होता है कि काक्षीवत्, जो ब्रह्मवादिन् था, दीर्घतमस् का पुत्र था और उसका जन्म राजा बलि की शूद्र दासी से हुआ था।¹⁴³ पुराण में उसे शूद्रयोनि का कहा गया है।¹⁴⁴ ऐतरेय ब्राह्मण के लेखक महीदास के बारे में बताया गया है कि वह शूद्र था।¹⁴⁵ इस तथ्य के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिलता जब तक कि उसके उपाधिनाम 'ऐतरेय' का अर्थ यह न किया जाए कि वह 'इतरा' का पुत्र था,¹⁴⁶ जिसका अर्थ होता है ऋष्ट, नीच या बहिष्कृत। किन्तु यह बहुत खींचतान कर लगाया गया अर्थ मालूम पड़ता है। एक परवर्ती ब्राह्मण ग्रंथ में सुदक्षिणक्षेमि नामक ऋषि और पुरोहित को शूद्र कहकर संबोधित किया गया है,¹⁴⁷ किन्तु उसके मां-बाप का कोई विवरण नहीं दिया

गया है। मात्र इतना कहा गया है कि वह क्षेम का वंशज था और प्रायः इसके संबंध में यह विशेषण अपशब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। भविष्य पुराण में लगभग एक दर्जन ऐसे ऋषियों के नाम गिनाए गए हैं जिनकी माँ शूद्र वर्ण की किसी न किसी शाखा की थी।¹⁴⁸ मायूली हेरफेर के साथ यह सूची कई अन्य पुराणों और महाभारत में भी आई है।¹⁴⁹ इससे पता चलता है कि व्यास का जन्म मछुआइन से, पराशर का श्वप्नाक महिला से, कपिजलाद का चंडाल महिला से, वसिष्ठ का गणिका से और मुनिश्रेष्ठ मदनपाल का मल्लाहिन से हुआ था। इस तरह की सूची के औचित्य के विषय में ग्रन्थ के अंत में कहा गया है कि ऋषियों, नदियों, धर्मात्माओं, भगवानों और स्त्रियों की उद्घरितता का उदगम नहीं जाना जा सकता।¹⁵⁰ इन ऋषियों की कालानुक्रमिक स्थिति या उनके वास्तविक जीवनकाल के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किंतु यह सूची प्रमाणित करती है कि परवर्ती वैदिक काल में यह प्रथा थी कि ऋषि और पुरोहित शूद्रकन्या या दासी से विवाह करते थे। ऐसा जान पड़ता है कि राजा और प्रमुख भी शूद्र महिलाओं से विवाह करते थे। पालागली, जो राजा की चौथी पत्नी थी और जिसका आदर सबसे कम होता था, शूद्र महिला थी।¹⁵¹

ऊपर के दृष्टांत बताते हैं कि शूद्र महिला से उच्च वर्ण के लोगों के विवाह को दुरा नहीं माना जाता था।¹⁵² संभवतया आरंभ में वेदकालीन भारतीय और आदिवासी अपनी अपनी जनजातियों में ही विवाह संबंध रचाते थे।¹⁵³ जब जनजातियां छिन्न-भिन्न हो गईं और उनके सदस्य चार वर्णों में बंट गए तब भी पुरानी प्रथा कुछ दिनों तक चलती रही। किंतु परवर्ती वैदिककाल में वर्ण का भेदभाव इतना प्रबल हो गया कि निम्न वर्गों के पुरुष और उच्च वर्गों की स्त्रियों के विवाह की अनुमति नहीं दी जाती थी। यह धारणा भी चल पड़ी थी कि शूद्र महिलाएं उच्च वर्णों के लोगों के लिए सुखभोग की वस्तु हैं। अतः अपेक्षाकृत बाद के ब्राह्मण ग्रन्थों में अनुष्टुभू छंद की तुलना शूद्र वेश्या से की गई है जो समान रूप से सुगम्य है।¹⁵⁴

इस अवधि में हमें चंडाल के प्रति धृणा के भाव भी दिखाई पड़ते हैं। कहा गया है कि जिनका आचरण अच्छा होगा उनका पुनर्जन्म ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के रूप में होगा, किंतु जिनका आचरण कुत्सित होगा वे कुत्ते, सूअर या चंडाल के धृणित गर्भ में उद्भूत होंगे।¹⁵⁵ ध्यान देने की बात है कि शूद्र वर्ण में जन्म लेना चंडाल की तरह अपवित्र (कपूयाम्) नहीं माना जाता था, पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसे लोग अवाञ्छनीय जरूर मानते थे। यह भी मालूम पड़ता है कि चंडाल जो आदिम जाति के थे¹⁵⁶ निदनीय आचरण वाले समझे जाने लगे थे। किंतु इस काल के आरंभिक ग्रन्थों में चंडाल को पुरुषेभ्य यज्ञ की बलि समझा गया है,¹⁵⁷ जिससे उसके अस्पृश्य होने का संकेत नहीं मिलता है। परंतु पौलकस

को लोग वृणा की दृष्टि से देखते थे।¹⁵⁸

जिस काल की हम यहाँ समीक्षा कर रहे हैं, उसके सामाजिक आचारशास्त्र के अनुसार शूद्रों में कुछ दुर्गुणों का आरोप किया गया था। हम देखते हैं कि आंगिरस गोत्रीय शुनःशेष ने अपने पिता अजीगर्त्त की निदा करते हुए उसे शूद्र कहा, क्योंकि पिता ने पुत्र को तीन सौ गाएं लेकर वरुण यज्ञ के निमित्त पदार्थ के रूप में बेच दिया था।¹⁵⁹ यद्यपि देव ने पुत्र को मुक्त कर दिया और पिता ने अपना कलंक मिटाने के उद्देश्य से उसे सौ गाएं भी दीं, फिर भी शुनःशेष ने कटु शब्दों में उसकी भत्तस्तना की। उसने कहा, 'तुम अभी भी शूद्रसुलभ नृथंसा से मुक्त नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अपराध का कोई समाधान नहीं...'।¹⁶⁰ इससे पता चलता है कि अजीगर्त्त की तरह शूद्र भी भूखे रहने पर अपने बच्चों को बेचने के लिए तैयार रहते थे। ऐसा समझा जाता था कि धन प्राप्ति के लिए वे अपने कुटुंब के प्रति पाश्चात्यिक और निर्देश्यतापूर्ण आचरण कर सकते थे।

यह भी ज्ञातव्य है कि जब विश्वामित्र ने शुनःशेष को अपना दत्तक पुत्र बनाया और अपने सौ बेटों में उसे प्रथम स्थान दिया तथा उसे ज्येष्ठाधिकार भी प्रदान किया, तब उनके पचास ज्येष्ठ पुत्रों ने इस स्थिति को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। पिता को इस पर कोध आया और उन्होंने इन पुत्रों को शाप दिया कि उनके वंशज अंघ्र, पुङ्ग, शबर, पुलिद, मुतिब, दस्यु और अंतस् (जातिच्युत) की तरह हीनजाति के होंगे।¹⁶¹ आर्येतर लोगों को ब्राह्मणकालीन समाज की निम्न कोटि में रखने के उद्देश्य से पुरोहितों ने जिस पटुता से उनकी वंशावली खोज निकाली है, उसका यह वृतांत प्रारंभिक उदाहरण है। लेकिन इससे यह भी स्पष्ट है कि अवज्ञा और विरोध करने वाले पुत्रों को दस्यु और अंतस् माना जाता था। सायण ने इस अनुच्छेद की टीका में चंडाल और निम्न कोटि की अन्य जातियों को भी सम्मिलित कर लिया है, किंतु मूल ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है।¹⁶²

वाजसनेयि संहिता में एक अनुपूरक सूत्र आया है जिसका प्रयोग अनेक सामयिक और घरेलू यज्ञों में किया जाता है। इस सूत्र में सभी वर्णों के साथ 'कल्याणीवाक्' के उपयोग की इच्छा व्यक्त की गई है।¹⁶³ इस आधार पर यह कहा गया है कि सभी वर्णों को वेद के अध्ययन का अधिकार था।¹⁶⁴ किंतु 'कल्याणीवाक्' शब्द वेद के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। टीकाकारों ने ठीक ही इसे मधुर और शिष्ट वचन माना है।¹⁶⁵ इससे ध्वनित होता है कि सभी वर्णों से ब्रातचीत के क्रम में मैत्रीपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु शतपथ ब्राह्मण में स्थिति भिन्न मालूम पड़ती है, क्योंकि एक समारोह विशेष के बारे में जो अनुदेश दिए गए हैं, उनमें विभिन्न वर्णों के लिए विभिन्न संबोधनों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार क्रमशः ब्राह्मण, राजन्यबंधु, वैश्य और शूद्र वर्णों के 'हविष्कृत' को बुलाने के लिए एहि, आगहि, आद्रव और आधाव शब्दों का प्रयोग

किया गया है।¹⁶⁶ उत्तरवैदिककाल के सामाजिक संसर्ग में इस तरह के भेदभाव बहुधा दिखाई पड़ते हैं।

वैदिककाल के अंत में जीवन के जो चार आश्रम बने उनमें आगे चलकर, केवल गार्हस्थ्य ही शूद्रों के लिए विहित किया गया। किंतु इस काल में ऐसे विभेद का कोई उल्लेख नहीं मिलता। छांदोग्योपनिषद् में चार आश्रमों का उल्लेख है, लेकिन वर्णों के साथ उनके संबंध का कोई निर्देश नहीं मिलता।¹⁶⁷ इस तरह, अब हमारे सामने शूद्रों की शिक्षा का प्रश्न आ खड़ा होता है, क्योंकि बाद के ग्रंथ बताते हैं कि ब्रह्मचर्याश्रम में उनका प्रवेश नहीं हो सकता था, जो उपनयन संस्कार से आरंभ होता है। उपनयन का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में हुआ है जहाँ दिखाया गया है कि गुरु युवक को नए जीवन में प्रवेश कराते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह गुरु के ही उदार से उत्पन्न हुआ है।¹⁶⁸ नवजीवन में प्रवेश करने वाला ब्रह्मचारिन् कहलाता था, किंतु वह किस वर्ण का होता था इसका कोई संकेत नहीं मिलता। अरुण ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश दिया था कि उसे ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, जिसके आधार पर यह अनुमान किया गया है कि बहुत दिनों तक उपनयन केवल पुरोहितों और विद्वानों के परिवार तक ही सीमित था। बाद में सारे ब्राह्मण समुदाय में इसका प्रचार हुआ और किर वहाँ से पूरे आयं समुदाय में।¹⁶⁹ यदि उपनयन को गुरुकुल प्रवेश का प्रारंभिक बिंदु माना जाए तो यह सत्य सिद्ध होगा, क्योंकि प्राचीन समाज में शिक्षा साधारणतया पुरोहितों के हाथ में थी। ब्रह्मचारिन् सामान्यतया ब्राह्मण होता था, यह बात विभिन्न श्रोतों से प्रमाणित होती है।¹⁷⁰ किंतु यदि उपनयन की तुलना उस संस्कार से की जा सकती है जो जनजाति के किसी पूर्ण वयस्क सदस्य के नए जीवन में विधिवत प्रवेश करने के समय होता है तो यह सही नहीं लगता। ऐसा अर्थ उस अनुश्रुति के आधार पर लगाया जा सकता है कि देवता, मनुष्य और दानव ब्रह्मचर्य की अवधि अपने पिता प्रजापति के संरक्षण में विताते थे, जो उनके शिक्षक थे।¹⁷¹ इसका यह तात्पर्य नहीं कि आदिकालीन लोगों में पढ़ाई का व्यापक प्रचलन था। इससे केवल इतना संकेत मिलता है कि वैदिककालीन भारतीयों या आर्यपूर्व समुदायों के बीच एक सर्वमान्य प्रथा प्रचलित थी कि वयस्क जीवन में प्रवेश करने के पहले कुछ रीतियां निभाई जाएं। यह ऐसा तथ्य हैं जिसकी आदिम जातियों में प्रचलित इसी प्रकार की प्रथा से पुष्ट होती है। गुरुकुल में इस तरह से प्रवेश करने की प्रथा का प्रसार व्रात्यों में भी हुआ जिन्हें ब्रह्मचर्य धारण कराकर आयों के समाज में प्रविष्ट कराया जाता था।¹⁷²

प्राचीन ईरानियों में भी उपनयन जैसा प्रवेश संस्कार प्रचलित था। पंद्रह वर्ष की अवस्था में ईरानी पुस्त और स्त्री को पवित्र सूक्ष्म धारण कराकर दीक्षित कराया जाता था, और इस प्रकार अहुर मज्द के संप्रदाय में उनका प्रवेश होता

था।¹⁷³ इसकी चर्चा करते हुए गाइगर ने कहा है कि यह एक पुरानी प्रथा थी जिसमें आगे चलकर हेरफेर और सुधार किए गए।¹⁷⁴ यह बात सर्वविदित है कि सामुदायिक जीवन में प्रवेश करने की प्रथा स्पार्टानों में प्रचलित थी।¹⁷⁵ अतः ऐसा माना जा सकता है कि वैदिककालीन भारतीयों में भी यह प्रथा प्रचलित थी। इस तरह शुरू में संभवतया, विघटित आर्य जनजातियों के शूद्रजन भी उसी ढंग से उपनयन और ब्राह्मचर्य संस्कार संपन्न करने के अधिकारी थे जिस प्रकार कई अन्य धार्मिक कृत्य। संहिताओं और ब्राह्मणों में ऐसे प्रसंग नहीं हैं जिनसे यह संकेत मिलता हो कि शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार वर्जित था।

छांदोग्य उपनिषद् से हमें पता चलता है कि जानश्रुति, जिसे रैक्व ने प्राण और वायु का ज्ञान कराया था, शूद्र था।¹⁷⁶ किंतु अन्यत्र उसे पश्चिम-उत्तर के निवासी महावृष्ट लोगों के प्रधान के रूप में चित्रित किया गया है।¹⁷⁷ उसे या तो उस क्षेत्र में रहने वाली शूद्र जाति के साथ संपर्क के कारण, अथवा इसलिए कि ब्राह्मण समाज के बाहर के लोगों के लिए यह अपमानजनक शब्द प्रयुक्त होता था, शूद्र कहा गया है।¹⁷⁸

जानश्रुति शूद्र नहीं भी हो, किंतु ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि शूद्र को किसी खास ढंग के ज्ञानार्जन से बिल्कुल वंचित नहीं रखा जाता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि वैश्य ऋग्वेद से, क्षत्रिय यजुर्वेद से और ब्राह्मण सामवेद से उत्पन्न हुए थे।¹⁷⁹ इसका स्पष्ट अर्थ होता है कि अथर्ववेद शूद्रों के लिए था। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी परोक्ष रूप से यह बात दुहराई गई है। तात्पर्य यह कि शूद्रों के लिए परंपरानिष्ठ वैदिक ज्ञान का अर्जन वर्जित था, न कि अन्य प्रकार के अध्ययन। शतपथ ब्राह्मण के कई अनुच्छेदों से भी यह धारणा बनती है। इन अनुच्छेदों में कहा गया है कि संपेरा, सूदखोर, मधुआ, बहेलिया, सेलंग, निषाद, अमुर और गंधर्व को पुरोहित शिक्षा देते थे, जिनमें से अधिकांश शूद्र वर्ण के थे।¹⁸⁰ वे इतिहास, अर्थवर्वेद, सर्वविद्या और देवजन विद्या सिखाते थे।¹⁸¹ छात्रों और अध्ययन के विषयों की सूची से मालूम पड़ता है कि प्राचीनकाल में ब्राह्मण कला और शिल्प से विमुख नहीं थे, पर बाद में इस प्रकार के सारे धंधे शूद्र वर्ण को दिए गए कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। किंतु यह स्पष्ट नहीं कि ऐसी शिक्षा के साथ शूद्रों को साहित्य भी पढ़ाया जाता था या नहीं।

वैदिककाल के अंत में यह धारणा चल पड़ी कि शूद्र को उपनयन और परिणामतया अध्ययन से वंचित रखा जाए। इस तरह का आभास छांदोग्य उपनिषद के एक परिच्छेद से मिलता है, जिसमें एक सुविख्यात छात्र दावा करता है कि उसने ब्राह्मण, राजन् और वैश्य की गरिमा बढ़ाई है।¹⁸² किंतु एक अन्य स्थल पर छात्र चाहता है कि वह सारे वर्णों के लोगों का, शूद्रों का भी, प्रियपात्र बने।¹⁸³ परवर्ती काल के एक श्रौतसूत्र में शूद्रों के बहिष्कार का प्रथम स्पष्ट

उल्लेख मिलता है। इसमें तीन उच्च वर्णों के उपनयन संस्कार के लिए उपयुक्त अहतुओं का उल्लेख हुआ है।¹⁸⁴ इसमें स्पष्ट बताया गया है कि उपनयन, वेदाध्ययन, और अग्निस्थापन केवल उन्हीं लोगों के लिए फलदायक हो सकते हैं, जो शूद्र नहीं हैं और कुकर्मों में नहीं फंसे हैं।¹⁸⁵ एक अन्य ग्रंथ में बताया गया है कि 'उपनीत' छात्र को शूद्र से बातचीत नहीं करनी चाहिए।¹⁸⁶ यह भी विहित किया गया है कि शूद्रों को चाहिए कि जिन स्नातकों ने अपनी पाठ्यचर्या पूरी कर ली हो, मधुपर्क समारोह में वे उनके पैर धोएं।¹⁸⁷ यह कहना कठिन है कि दो श्रौतसूत्रों से लिए गए उपर्युक्त प्रसंग परवर्ती वैदिककाल की स्थितियों का संकेत देते हैं। उन्हें उस काल के अंत का बताया जाता है और संभव है कि वे वैदिककाल के पश्चात के हों भी, क्योंकि प्राचीन गृह्यसूत्र जो प्राचीन श्रौतसूत्र का समकालीन ग्रंथ है, बताता है कि रथकार को उपनयन का अधिकार प्राप्त था।¹⁸⁸

तो यह मालूम पड़ता है कि आरंभ में पूरी जनजाति के लोग उपनयन करते थे, किंतु जैसे जैसे जनजाति वर्गों में विचरती गई वैसे वैसे यह परमाधिकार और सम्मान का विषय बनता गया, जिसे संपन्न करने के लिए संपत्ति और उच्च सामाजिक हैसियत की आवश्यकता थी। उपनयन के आधार पर ही विशिष्ट, लगभग गुप्त वर्गों में, लोगों का प्रवेश हो पाता था।¹⁸⁹ जिस प्रकार ईरान में, हूँडिति वर्ग को यह अधिकार नहीं मिला था,¹⁹⁰ उसी प्रकार भारत में शूद्र वर्ण को इससे वंचित रखा गया था। सेनार्ट का ख्याल है कि जनजातियों के बीच जनजाति के भीतर और अपने अपने गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा के कारण बाद में जातिविभेद आया। उनके इस विचार के आधार पर कहा जा सकता है कि सामुदायिक जीवन में दीक्षित करने की प्रथा भी जनजातीय अवस्था की अवशेष थी। इसने बाद में तीन उच्च वर्णों में उपनयन का रूप लिया, जिसके फलस्वरूप समाज में शूद्र को हीन स्थान प्राप्त हुआ।

यद्यपि उपनयन संस्कार से वंचित हो जाने से शूद्र शिक्षा से भी वंचित हो गए, किर भी अभी हम जिस कालावधि पर विचार कर रहे हैं उसमें इसका प्रभाव संभवतया बहुत नहीं पड़ा। उत्तर वैदिककाल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था यह स्पष्ट नहीं, और कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि उस समय लोग साक्षर थे।¹⁹¹ संभव है कि क्षत्रिय और वैश्य भी 'वेद के प्रति अपने कर्तव्य का निष्पादन अगर करते भी थे तो महज औपचारिक ढंग से।¹⁹² बाद के एक ग्रंथ में बताया गया है कि साधारण तथा छात्र मनोयोगपूर्वक वेद का अध्ययन नहीं करते थे, वे केवल दिखाना चाहते थे कि उन्होंने वेद का अध्ययन किया है।¹⁹³ उस समय शिक्षा मुख्यतया ब्राह्मणों का विषय थी। किंतु उपनयन का महत्व शिक्षा के अधिकार के अलावा कुछ और भी था। जो लोग उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, समाज में उनका स्थान ऊँचा था।

शूद्र को इस आधार पर उपनयन संस्कार की अनुमति नहीं थी कि यह वैदिक संस्कार है। किंतु वैदिककाल के धार्मिक जीवन से मालूम होता है कि शूद्र को हमेशा वैदिक संस्कारों से वंचित नहीं रखा गया था। कई ग्रंथों में यज्ञ के लिए, रथकार द्वारा अग्निस्थापन का उल्लेख हुआ है,¹⁰⁴ जिसे वह वर्षा ऋतु में संपन्न कर सकता था।¹⁰⁵ सूची में उसका स्थान चौथा है; ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बाद। आश्वलायन श्रीतसूत्र में रथकार के स्थान में 'उपक्रुष्ट' शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है कोई निदित व्यक्ति, किंतु टीकाकारों ने इसका अर्थ लगाया है बढ़ई (तक्षक)।¹⁰⁶ इससे पता चलता है कि यद्यपि बढ़ई की निंदा की जाती थी, फिर भी उसे यज्ञ में आने दिया जाता था। इस कोटि के एक अन्य व्यक्ति, निषादों के सरदार (निषाद स्थपति) को भी वैदिक यज्ञ का अधिकार प्राप्त था।¹⁰⁷ किंतु उसका यज्ञ रुद्र पणुपति की प्रजा द्वारा पशुओं के शमन के लिए किया जाता था।¹⁰⁸ एक अन्य स्थल पर ऐसे ही एक संदर्भ में केवल निषाद की चर्चा हुई है।¹⁰⁹ किंतु टीकाकार का कथन है कि यह निषाद प्रमुख (स्थपति) का निर्देश करता है और उसका यह भी कहना है कि आपस्तम्ब श्रौत-सूत्र में वह त्रैवर्णिक (प्रथम तीन वर्णों का) है।¹¹⁰ महाभारत में भी कहा गया है कि निषादाधिपति ने यज्ञ संपन्न किया।¹¹¹ ऋग्वेद के एक परिच्छेद में 'पंचजना:' (पांच व्यक्ति) के यज्ञ में भाग लेने का प्रसंग आया है।¹¹² निरुक्त के अनुसार पंचजना: शब्द का अर्थ है चार वर्ण और निषाद।¹¹³ ऐसा ऋग्वेदकाल के बारे में नहीं कहा जा सकता जैसा कि कभी कभी किया जाता है।¹¹⁴ ऋग्वेद में न तो निषाद शब्द आया है, और न उस वक्त चार वर्णों की ही समुचित स्थापना हो सकी थी। स्पष्ट है कि 'पंचजना:' शब्द से उन पांच ऋग्वैदिक जातियों का बोध होता है जिनके सदस्य बिना किसी भेदभाव के आहुति चढ़ाते थे। किंतु यास्क ने जो अर्थ किया है उससे मालूम पड़ता है कि उनके समय में शूद्र और निषाद (जिन्हें धर्मसूत्र में ब्राह्मण और शूद्र स्त्री से उत्पन्न वर्णसंकर माना गया है) यज्ञ में भाग ले सकते थे। अतः इन प्रसंगों से सिद्ध है कि निषादों को कभी कभी और निषाद प्रमुख को साधारणतया वैदिक यज्ञ का अधिकार मिला था। यह बताया गया है कि विश्वजित् यज्ञ में याजक को तीन रात तक निषाद और वैश्य तथा राजन्य के साथ ठहरना होगा।¹¹⁵ इससे मालूम होता है कि निषाद इस यज्ञ से अप्रत्यक्ष रूप में संबद्ध थे।

जिन दो श्रेणियों के लोगों को यज्ञ करने का अधिकार दिया गया था, उनमें से रथकार स्पष्टतया आर्य समुदाय के सदस्य थे, किंतु निषाद आर्योत्तर समुदाय के जान पड़ते हैं, और अपने गांवों रहते थे।¹¹⁶ महाभारत और विष्णु पुराण में कई ऐसे प्रसंग आए हैं जिनसे सिद्ध है कि निषाद यथाम वर्ण के थे।¹¹⁷ संभवतया निषाद जाति को ब्राह्मणप्रमुख समाज में अंगीकृत करने के प्रयास में उन्हें वैदिक

रीति से अपना यज्ञ संपन्न करने की अनुमति दी गई थी, जो विशेषाधिकार बाद में उनके प्रमुख मात्र तक ही सीमित रहा। यह स्पष्ट है कि वैदिक काल के अंत तक रथकार और निषाद को यज्ञ करने का अधिकार था, यद्यपि वे शूद्र की कोटि में थे। अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यास्कने 'पञ्चजना:' शब्द की जो व्याख्या की है उससे पता चलता है कि उसके विचारानुसार तमाम शूद्र जाति को यह अधिकार प्राप्त था।

शूद्र कई धार्मिक संस्कारों में भाग लेता था। इसका स्पष्ट निश्चित उल्लेख मिलता है। देवता के लिए हविष् तैयार करने में वह तीनों वर्ण के लोगों के साथ कार्य करता था। किंतु उसे जिस रूप में संबोधित किया गया है वह बताता है कि उसे ऐसे धार्मिक कार्य में सबसे निचला स्थान दिया गया था।²⁰⁸ इसी प्रकार अन्य वर्ण के लोगों के साथ वह सोमरस का पान करता था और वसन करने पर उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता था।²⁰⁹ दासीपुत्र कवष ऐलूष का जिक्र करते हुए हापकिस ने बताया है कि शूद्र का बेटा यज्ञ में भाग लेता था और शूद्र एक सामाजिक त्योहार-विशेष में सोमरस पान करता था।²¹⁰ विचित्र तथ्य है कि काठक संहिता के एक परिच्छेद में शूद्रों और महिलाओं को सोमरस पान करने की अनुमति नहीं दी गई है।²¹¹ किंतु यजुओं के अन्य संग्रहों में ऐसी बात नहीं पाई जाती। अतः संभवतया यह बात काठक संहिता में बाद में जोड़ी गई है, अथवा यह अधिक से अधिक काठक संप्रदाय का मत है।

शूद्र दो अन्य छोटे छोटे संस्कारों में भी भाग लेता था। वह 'ओदनसव' अर्थात् बने हुए भोजन के अपेणकर्म में अन्य तीन वर्णों की भाँति भाग लेता था, किंतु भोज्य पदार्थ वर्ण के अनुसार भिन्न हुआ करते थे।²¹² इसी प्रकार, प्रथम फल के अर्पण का कार्य सभी वर्ण के लोग कर सकते थे।²¹³

महाब्रत नाम से प्रसिद्ध अयनांत कर्म में शूद्रों के लिए जो कर्तव्य निर्धारित हैं, वे तत्कालीन धार्मिक कृत्यों में शूद्र के भाग लेने के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। इसके अनुसार शूद्र वेदी के बाहर और आर्य वेदी के भीतर रहते हैं। वे आपस में चमड़े के लिए लड़ते हैं और आर्य की जीत होती है।²¹⁴ कुछ ग्रंथों में तो शूद्र वर्ण और आर्य वर्ण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।²¹⁵ जहां अर्थ शब्द का प्रयोग हुआ है, वहां वैश्य से तात्पर्य है।²¹⁶ द्वूसरी ओर जहां आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है वहां तात्पर्य प्रथम तीन वर्ण के लोगों से है। कहीं कहीं आर्य के स्थान पर ब्राह्मण का प्रयोग हुआ है,²¹⁷ जो शूद्र के विरोधी मालूम पड़ते हैं; और यह विशेषता वैदिककाल के उपरांत सामान्य रूप में पाई जाती है। वेद की एक अन्य कंडिका, जिसमें दोनों पर विशेष ध्यान दिया गया है, बताती है कि न तो ब्राह्मण और न शूद्र की बलि प्रजापति को चढ़ाई जा सकती है।²¹⁸ वाजसनेयि संहिता के उत्तरार्द्ध के एक परिच्छेद में इस आशय का निर्देश लगता है कि ब्राह्मण बलि

64 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

के लिए आवश्यकता से अधिक श्रेष्ठ और शूद्र आवश्यकता से अधिक हीन हैं।

जहां तक महाब्रत के अर्थ का प्रश्न है, यह प्रायः आर्यों के बीच और आर्य तथा आर्येतर लोगों (जो शूद्र की स्थिति में पहुंच गए) के बीच पशु के लिए हुए संघर्षों की याद दिलाता है। शांखायन श्रीतसूत्र में उल्लिखित है कि इस पुरातन और अप्रचलित रिवाज का परित्याग होना चाहिए।²¹⁰ इससे प्रकट होता है कि महाब्रत जैसे पुराने धार्मिक कर्म में शूद्र उच्च वर्णों के लोगों के साथ भाग ले सकता था, किन्तु जब ऐसे कर्म अप्रचलित हो गए तब धार्मिक कर्म में उसका भाग लेना खतम हो गया।

उत्तरवैदिककाल में दाहसंस्कार में भी शूद्रों का अपना स्थान था। यह निर्धारित था कि शूद्र के लिए भी समाधिटीला बनाया जा सकता है जो घुटना भर ऊंचा हो सकता है। टीले की ऊंचाई में वर्ण के अनुसार अंतर होता था।²²⁰

शूद्रों के विषय में कहा गया है कि अन्य समुदायों की भाँति उनके भी अपने देवी-देवता थे जिनकी वे पूजा करते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में शूद्र को पूषन् कहा गया है, जिससे आभास मिलता है कि वह शूद्रों का देवता है।²²¹ इसी प्रकार महाभारत में देवताओं के चिकित्सक यमल अश्विनों को शूद्र माना गया है।²²² यह महत्वपूर्ण बात है कि रत्नहवींषि महोत्सव में अश्विनों को संग्रहीतृ²²³ के साथ और पूषन् को भागदुध के साथ संबंधित माना गया है।²²⁴ किन्तु तैत्तिरीय आत्माण में विश्वेदेवों और मरुतों (कृषि देवता) के साथ पूषन् को भी वैश्यों से संबद्ध बताया गया है।²²⁵ इस तरह कहा जा सकता है कि विश्वेदेव परोक्ष रूप से शूद्र के भी देवता हैं। अनुष्टुभ्, जो बाद का लोकप्रिय छंद है, शूद्रों²²⁶ और विश्वेदेवों²²⁷ का छंद माना गया है। कहा गया है कि इस छंद के पाठ द्वारा विश्वेदेवों में प्रजापति²²⁸ और इन्द्र तथा शूद्रों में पंचाल राजा दर्भशातानीकि ने प्रतिष्ठा पाई।²²⁹ अतएव इस प्रसंग में, देवों के समाज में विश्वेदेवों का वही स्थान है जो मानवसमाज में शूद्रों का है।

शूद्रों के देवताओं में से पूषन् भेड़ों के देवता मालूम पड़ते हैं,²³⁰ जिससे आर्य 'विश्' के पशुपालन कार्य पर प्रकाश पड़ता है। ऋग्वेद के अंतिम भाग में अश्विनों के विषय में बताया गया है कि वे मनुष्य के लिए हल जोत कर बीज बोते थे और उन्हें आहार देते थे; ²³¹ जिनसे 'विश्' के कृषिकर्म का पता चलता है। विश्वेदेव को 'विश्' का देवता माना गया है, क्योंकि वे बड़ी संख्या में थे। यह तथ्य कि आर्य 'विश्' के जो तीनों देवता थे वे ही बाद में प्रत्यक्षतः या परोक्षतः शूद्र के भी देवता माने जाने लगे, इस बात का द्योतक है कि 'विश्' के कुछ वर्ग शूद्र की स्थिति में पहुंच जाने पर भी अपने पुराने वैदिक देवताओं को ही मानते रहे।

कुछ ऐसे भी प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे सिद्ध होता है कि आर्य और आर्य से भिन्न निम्न कोटि के लोग रुद्र पशुपति की पूजा करते थे जो आर्यपूर्व देवता

प्रतीत होते हैं। शतरुद्रीय में रुद्र की विभिन्न मूर्तियों (स्वरूपों) के अनुरूप भिन्न भिन्न हविष् चढ़ाते हुए समाज के सभी वर्गों को (रुद्रस्वरूप मानकर) नमस्कार किया गया है, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण का, तब राजन्य, सूत और वैश्य का और उसके बाद विभिन्न प्रकार के शिल्पियों और आदिवासी जनों का उल्लेख है। किंतु प्रथम तीन वर्णों का उल्लेख यजुर्वेद की केवल एक संहिता में हुआ है।²³² शूद्र का उल्लेख तो सामान्य रूप में एक भी संहिता में नहीं हुआ है, किंतु यजुर्वेद की सभी संहिताओं की प्रस्तुत सूची में रथकारों, कुलालों (कुंभकारों), कर्मारों, निषादों, पुंजिष्ठों (मछुओं या बहेलियों का काम करने वाले आदिम जाति के लोग), एवनियों (कुत्ते को खिलाने वाले या कुत्ता पालने वाले) और मृगयों (शिकारियों) को नमस्कार किया गया है,²³³ जिन्हें चतुर्थ वर्ण में रखा जा सकता है। इनके अतिरिक्त तैत्तिरीय संहिता में धनुकारों और इषुकारों,²³⁴ जो धनुष और तीर के निर्माता कहे जाते हैं, का वर्णन किया गया है। इन दोनों को भी इसी कोटि में रखा जा सकता है।

ये शिल्पी और जनजाति के लोग अपने संरक्षक देवता के रूप में रुद्र की पूजा करते थे।²³⁵ वेवर का मत है कि 'रुद्राध्याय' उस समय का है जब विजित जनजातियों और ब्रात्यों या ब्राह्मणों में अगृहीत आर्यों का प्रत्यक्ष विरोध दबा दिया गया था, किंतु आंतरिक संघर्ष बना हुआ था।²³⁶ उनका यह भी कहना है कि विभिन्न मिश्रित जातियों का निर्माण आसानी से नहीं हो पाया, जिन लोगों को निम्नकोटि की जातियों में रखा गया उन्होंने उस व्यवस्था का जोरदार विरोध किया।²³⁷ तो इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि उच्च वर्णों के बड़ते विशेषाधिकार के विरुद्ध संघर्ष के क्रम में आर्य जातियों के पराजित वर्ग और विजित जनजातियों के सदस्य आपस में घुलमिल गए, जिसका अपरिहार्य परिणाम यह हुआ कि कुछ आर्य; यथा, रथकार और कर्मार, आर्येतर देव रुद्र की आराधना करने लगे। यह ध्यान देने योग्य है कि 'रत्नहर्वीषि' समारोह में रुद्र को 'गोविकर्तन' का देवता माना गया है, जिसे सायण ने निम्न कोटि की जाति का माना है।²³⁸ पहले बताया गया है कि रुद्र पशुपति निषादप्रमुख के देवता थे।²³⁹ अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि शूद्रों के भी अपने दवी-देवता थे, जिनमें से कुछ आर्यों के थे और कुछ आर्येतर थे। इस प्रकार सृष्टि की कहानियों में ब्राह्मणों का यह कथन कि शूद्र का अपना कोई देवता नहीं था,²⁴⁰ वास्तविक स्थिति का चित्रण नहीं करता। सृष्टि संबंधी एक कथा से कम-से-कम यह पता तो चल जाता है कि दिन और रात शूद्रों के देवता थे।²⁴¹ ब्राह्मणों के आख्यानों से स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने जानबूझ कर शूद्रों को पूजा और यज्ञ के अधिकार से वंचित रखने का प्रयास किया था, हालांकि पहले वे अपने आर्य वंधुओं के साथ पूजा में भाग लेते थे अथवा आदिम जनजाति के सदस्य के रूप में अलग से भी यज्ञादि में हाथ बंटाते थे।

शूद्र वैदिक यज्ञ में भाग लेते थे, इसके समर्थन में जो विपुल प्रमाण हैं, उसके विरोध में भी कुछ कम नहीं वरन् अधिक ही प्रमाण हैं। बार बार यह कहा गया है कि शूद्र को यज्ञ का अधिकार नहीं था,²⁴² क्योंकि वह जन्म से तीव्र है और वह यज्ञ, हवन आदि करने के लिए अक्षम है।²⁴³ अग्निचयन, अग्नि की स्थापना संबंधी कर्म के बिना कोई वैदिक यज्ञ नहीं हो सकता है। कहा गया है कि इसका अर्थ है अग्नि को शूद्र से हटाना।²⁴⁴ किंतु संहिताओं में ऐसे प्रत्यक्ष कथन नहीं मिलते हैं कि शूद्र को वैदिक यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया गया था, जिससे पता चलता है कि इस तरह की बात बाद में उठाई गई है। इतना ही नहीं, उन संहिताओं में ऐसे अनेक संदर्भ हैं जिनका ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है। यज्ञ के लिए अग्निस्थापन के बारे में जो अनुदेश दिए गए हैं, उनमें प्रथम तीन वर्णों की ही चर्चा हुई है,²⁴⁵ और ब्राह्मण ग्रंथों में उनके लिए अलग अलग ऋतुओं का विद्यान किया गया है। इसमें 'रथकार' को भी छांट दिया गया है। इस विषय में कहा गया है कि अग्नि विश्वरूप है और उसके तीन अंग हैं, ब्राह्मण, खण्डिय और विश्व।²⁴⁶ यह भी बताया गया है कि राजन्य और विश्व की उत्पत्ति यज्ञ अतः ब्राह्मण, से हुई है।²⁴⁷ पुनः, इस बात पर जो जोर दिया गया है कि केवल प्रथम तीन वर्ण के लोग यज्ञ कर सकते हैं, और शूद्र यज्ञस्थल में प्रवेश नहीं कर सकता,²⁴⁸ वह उपर्यक्त विवरणों के अनुकूल प्रतीत होता है।

सामान्य वैदिक यज्ञ से शूद्र को वंचित रखने के अतिरिक्त उसे कतिपय विशेष वैदिक कर्मों से भी अलग रखने की चेष्टा हो रही थी। यथा, सोमयज्ञ ब्राह्मण, वैश्य और राजन्य के लिए ही विहित थे।²⁴⁹ अग्निहोत्र जो अग्नि का तर्पण है, कोई आर्य ही कर सकता है, जिसे टीकाकार ने तीन उच्च वर्णों का ही सदस्य माना है।²⁵⁰ यह विशेष रूप से कहा गया है कि अग्निहोत्र के लिए अपेक्षित दूध शूद्र न दूहे,²⁵¹ क्योंकि ऐसी धारणा है कि शूद्र की उत्पत्ति असत्य से हुई है।²⁵² तदनुसार, दूध के लिए मिट्टी का पात्र (स्थली) किसी आर्य द्वारा ही तैयार किया जाना विहित है।²⁵³ किंतु यजुओं के 'वाजसनेयि' और 'तैत्तिरीय' संहिताओं में ऐसे निषेध नहीं विहित किए गए हैं। यह तो केवल 'मौत्रायणि' और 'कपिष्ठल' संहिताओं के अनुपूरक अंश में मिलता है। 'काठक संहिता' की इसी तरह की एक कंडिका में स्वराघात का अभाव है, अतः कहा जा सकता है कि यह बाद में सन्निविष्ट की गई है। इतना ही नहीं, 'आपस्तंब श्रौतसूत्र' जो अपने ढंग का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है,²⁵⁴ एक विकल्प प्रस्तुत करता है कि शूद्र गाय दूह सकता है।²⁵⁵ टीकाकार ने यह बता कर कि जब उसे अनुमति दी जाए तब वह गाय दूह सकता है, अर्थ समन्वय का प्रयास किया है।²⁵⁶ इन बातों से पता चलता है कि 'अग्निहोत्र' के लिए गाय दूहने के संबंध में शूद्रों पर जो निषेध लगाया गया है, वह संहिताओं के मूल अंशों में संभवतया नहीं था। तैत्तिरीय ब्राह्मण के काल में

ऐसा निषेध लगाया गया होगा।²⁵⁷

वैदिक काल का अंत होते होते कुछ कटु बातें भी प्रकट होने लगीं। शूद्र के शरीर से स्पर्श होना और कुछ आचारिक अवसरों पर उसे देखना भी निषिद्ध किया जाने लगा। यज्ञ के लिए अपित व्यक्ति को शूद्र से बोलने की भी अनुमति नहीं है,²⁵⁸ और 'उपनीत' पर भी यही प्रतिबंध लगाया गया है।²⁵⁹ शतपथ ब्राह्मण में विद्यान है कि 'प्रवर्ग' समारोह (सौम संस्कार का आरंभ) में याजक को महिला और शूद्र से संपर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे असत्य हैं।²⁶⁰ काठक संहिता के एक प्रसंग को छोड़ महिला को शूद्र के समतुल्य बताने का यह सबसे पुराना उदाहरण है और यह ऐसी परिपाटी है जो बाद के ग्रंथों में यदा कदा चर्चित है।²⁶¹ यह भी उपवंश किया गया है कि जो महिला पुत्र की कामना से पूजा अर्चना कर रही हो उसके शरीर को कोई वृषल चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, नहीं छुए।²⁶² बाद में यह वृषल शूद्र माना जाने लगा और उसे ब्राह्मणविरोधी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है कि यदि यज्ञपात्र को बढ़ई छू दे तो आचार की दृष्टि से वह अपवित्र हो गया।²⁶³ कितु एक अन्य स्थल पर, यदि उस ग्रंथ का 'माध्यंदिन' पाठ सही है, तो तक्षन् को आरुणि के निमित्त मंकोच्चार करते हुए पाया जाता है।²⁶⁴ यह ध्यान देने योग्य बात है कि शूद्रों का संपर्क न करने से संबंधित सारे निर्देश या तो शतपथ ब्राह्मण अथवा श्रौतसूत्रों में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि शूद्र को अपवित्र मानकर मांगलिक अवसरों पर उसकी उपस्थिति और उसके शरीर के स्पर्श, दर्शन आदि को निषिद्ध मानने की बात वैदिककाल के अंत में प्रचलित थी।

उत्तरवैदिककाल के धार्मिक जीवन में शूद्र के स्थान की समीक्षा करने पर मालूम पड़ता है कि 'रथकार' और 'निषाद', जो वैदिक यज्ञ में भाग ले सकते थे, के अतिरिक्त शूद्र वर्ण के अपने देवता थे और शूद्र भी कतिपय वैदिक कर्मों में सम्मिलित हो सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अधिकांश मामलों में उसके भाग लेने का ढंग ऐसा है जो समाज में उसकी हीन स्थिति का द्योतक है। कितु इस आधार पर उसे इस विशेषाधिकार से सर्वथा चंचित नहीं रखा गया है। उसके बहिष्कार की प्रक्रिया, जो प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही देखने में आती है, वैदिक काल समाप्त होते होते अधिक तीव्र हो गई। मालूम पड़ता है कि आधिक और सामाजिक विभेदों के बढ़ने से जनजाति के यज्ञ का स्वरूप ही क्रमशः बदल गया और वह व्यक्तिसापेक्ष बन गया, जिसमें पुरोहितों को अधिक से अधिक दान मिलने लगा। कालक्रम से यज्ञ उच्च वर्णों के परमाधिकार का विषय बन गया, जिन्हें इसके लिए धनराशि खर्च करने की क्षमता थी। यह निष्कर्ष वृहदारण्यक उपनिषद की शंकर द्वारा लिखित टीका से निकाला जा सकता है,²⁶⁵ जिसमें उन्होंने बताया है कि ईश्वर ने वैश्यों का सृजन धन उपार्जित करने के लिए किया है, जो

68 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

यज्ञ करने का साधन है। इसी प्रकार महाभारत में युधिष्ठिर कहते हैं कि कोई गरीब आदमी यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रचुर मात्रा में इकट्ठी करनी पड़ती है। उन्होंने यह भी कहा है कि यज्ञ करने की योग्यता राजाओं और राजकुमारों को हो सकती है न कि अंकिचनों और असहायों को।²⁰⁶ इसका आशय यह हुआ कि साधारणतया शूद्र यज्ञ के अवसर पर दान देने में असमर्थ था, अतः वह यज्ञ में भाग लेने में सक्षम नहीं था। धनी शूद्र को यज्ञ में भाग लेने देना अनुचित नहीं समझा जाता था, क्योंकि उसके घर से अपनि ग्रहण करना विहित था।²⁰⁷

यह भी दलील दी जाती है कि 'आदिम जातियों की मूर्तिपूजन प्रथा से ब्राह्मण धर्म की विशुद्धता को जिस खतरे की आशंका उत्पन्न हुई' उससे प्रथमतः ब्राह्मणों को यह अनुभव हुआ कि 'मुक्त आर्य और पराधीन वर्गों के बीच दलेंद्य दीवार खड़ी करना आवश्यक है।'²⁰⁸ लेकिन यह व्याख्या बड़े सीधे सादे किस्म की है। स्पष्ट है कि यह उस गलत धारणा पर आधारित है कि शूद्र पराजित जाति के ही लोग थे। ऋग्वेद, अर्थवेद और बहुत से उत्तरकालीन वैदिक साहित्य के पुराने संदर्भों में भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि शूद्रों और ब्राह्मणों के बीच दीवार खड़ी करके ब्राह्मण धर्म की विशुद्धता की रक्षा की जाए। संभव है कि जो शूद्र पराजित आदिवासियों से आए थे उन्हें वैदिक यज्ञ से वंचित रखा गया हो, क्योंकि उनकी धार्मिक प्रथाएं भिन्न थीं। किंतु इस तरह की स्थिति का यही एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता। शूद्रों के बहिष्कार के संभावित कारणों का उल्लेख हमने ऊपर कर दिया है।

वैदिक कर्मकांड के विश्लेषण से शूद्रों का जो चित्र उभरता है वह सुसंगत और समनुरूप नहीं मालूम पड़ता। आर्थिक दृष्टि से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि जहाँ एक और वे मवेशी पालते थे और प्रायः स्वतंत्र किसान के रूप में अपना कार्य करते थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें धरेलू नौकर, खेतिहर मजदूर और कुछ मामलों में गुलाम भी समझा जाता था। राजनीति के क्षेत्र में शूद्र रत्निनों की बात सुनी जाती है, किंतु ऐसे भी वृत्तांत मिलते हैं कि शूद्र और वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय से जुड़े थे। सामाजिक दृष्टि से यह सोचना अनुपयुक्त होगा कि भोजन और विवाह, के विषय में शूद्र पर प्रतिबंध लगाए गए थे,²⁰⁹ किंतु कुछ ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जिनसे चंडाल परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें धृणा का पात्र समझा जाता था और उनमें कुछ दुर्गुणों का आरोप भी किया जाता था। धर्म के मामलों में शूद्रों को कुछ धार्मिक कृत्यों की अनुमति दी गई थी, किंतु उन्हें बहुतेरे विशिष्ट कर्मों से तथां सामान्यतया वैदिक यज्ञ से वंचित रखा गया था। यों कहें कि कीथ का यह कथन सही है कि संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र की स्थिति अस्पष्ट है।²¹⁰

उत्तरवैदिककाल में शूद्रों की स्थिति के संबंध में जो उल्लेख हैं उनके अंत-विरोध की व्याख्या अंशतः उन प्रसंगों के कालक्रम के आधार पर की जा सकती है। साधारणतया धार्मिक अनुष्ठान में, जो जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त था, शूद्रों के सहभाग या सहयोग का निषेध केवल उत्तरकालीन ग्रंथों में दिखाई पड़ता है। किंतु इसमें अधिकारों और असमर्थताओं का वर्णन साथ ही साथ किया गया है। इसका कारण यह बताया जा सकता है कि ज्यों ज्यों जनजातीय समाज का विघटन हुआ और वर्णविभेद बढ़ते गए, त्यों त्यों शूद्रों की अपनी जनजातीय विशेषताएं विलीन होती गईं। आर्य जाति के सदस्य के रूप में शूद्र ने विभिन्न कर्मों में भाग लेने के अपने जनजातीय अधिकारों को उस समय भी कायम रखा जब उसे दास की कोटि में रख दिया गया था।

इस अवधि में शूद्रों की स्थिति के बारे में विशेष ध्यातव्य बात यह है कि उस वर्ण के रथकार और तक्षन् जैसे शिल्पी वर्ग को खास ओहदा दिया गया था। प्रायः काष्ठ और धातु कर्म के सापेक्षिक महत्व की दृष्टि से ही ऐसा किया गया होगा, क्योंकि उनके बिना वैदिककाल के लोगों का विकास और विस्तार नहीं हो सकता था, और खेतीबाड़ी नहीं चल सकती थी। पहले कहा गया है कि तक्षन् लोहार प्रतीत होता है। वैदिक समाज में उसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, क्योंकि प्राचीन कृषक समुदाय में उसका आदर होता था और वह राजा के पार्षद के रूप में भी कार्य करता था।²⁷¹

वैदिक इंडेक्स में प्रस्तुत और विभिन्न ग्रंथकारों²⁷² द्वारा स्वीकृत इस तथ्य को मानना संभव नहीं है कि आरंभ में शूद्र कृषिदास थे और उनका जीवन असुरक्षित था, किंतु बाद में क्रमशः उनकी असमर्थताएं हटने लगीं। इस तरह के तथ्य उन आर्यों के संबंध में समीचीन नहीं जंचते जो शूद्र की स्थिति में पहुंच गए थे। प्राचीन काल के युद्ध में आर्येतर लोगों को मिटा डालने की नीति अपनाई गई थी, किंतु इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि उस समय जिन लोगों को पराजित किया गया, उन पर ऐसी असमर्थताएं लाद दी गईं। इसके विपरीत प्रक्रिया ठीक उल्टी मालूम पड़ती है। प्राचीन प्रसंगों में बताया गया है कि शूद्र सामुदायिक जीवन में भाग लेते थे, किंतु उत्तरवर्ती प्रसंग उनके बहिष्कार का ही सकेत देते हैं। परिणामस्वरूप वैदिक काल का अंत होते होते जनजातियों के प्राचीन अधिकारों को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। ये बातें इतनी प्रमुख और प्रायः इतनी दमनात्मक हो गईं कि उपनिषदों ने इनका विरोध किया। बृहदारण्यक उपनिषद²⁷³ में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में चंडाल और पौलकस भी हेय नहीं समझे जाते हैं। वहाँ सभी भेदभाव मिट जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद²⁷⁴ में कहा गया है कि अग्नि-होत्र यज्ञ के चारों ओर भूखे बच्चे उसी प्रकार बैठते हैं, जिस प्रकार वे अपनी मां को धेरकर बैठते हैं। अतः चंडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकार है।

70 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

हम यह नहीं जानते कि निम्न वर्ग के लोगों के हित में भेदभाव के प्रति जो विरोध प्रकट किए गए हैं, वे कहां तक जनजातियों के बीच समता के प्राचीन आदर्श से प्रेरित थे। किंतु इसकी संभावना सर्वथा निराधार नहीं कही जा सकती। यह विचारधारा उत्तरवैदिक काल के सुधारवादी आंदोलन से आगे बढ़ी, पर गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र के संकलनकर्त्ताओं ने विरोधी विचारधाराओं को चालू रखा जिससे शूद्र वर्ण की अवश्यकता और भी बढ़ती गई।

संदर्भ

- विटरनिज : हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, I, पृ० 195-6. कीथ : हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज, XVIII, पृ० XCII. कीथ का कथन है कि तैत्तिरीय मतावलबी भी काठक, मैत्रायणि, बाजसनेयि और शतपथ के मतावलियों की भाँति मध्यदेश के निवासी थे.
- वेवर : इंडियन लिटरेचर, पृ० 86.
- वैकरनेगेल : अलटिष्टेज ग्रामाटिक, I, पृ० XXX-XXXI; कीथ : हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज, XXV, पृ० 44.
- कीथ : पूर्व निर्दिष्ट, XXV, पृ० 46.
- विटरनिज : पूर्व निर्दिष्ट, I, पृ० 191.
- बी० के० घोष : वेदिक एज, पृ० 235.
- कीथ : पूर्व निर्दिष्ट, XVIII, पृ० XI. I.
- बी० के० घोष : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 476.
- बही, पृ० 467.
- यहां सामान्यतया मान्य प्राधिकारियों की राय का निर्देश देने के अलावा और कुछ कहना संभव नहीं है।
- मैकडानल : ए वेदिक ग्रामर फार स्टडेंट्स, पृ० 118.
- एच० सी० रायचौधुरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनशिएट इंडिया, पृ० 7-8.
- मैत्रायणि संहिता, IV. 2.7 और 10.
- पंचविंश ब्राह्मण, VI. 1.11.
- जैमिनीय ब्राह्मण, I. 68-69. शूद्रो अनुष्टूपछन्दा वेशमपतिदेवस; तस्माद उपादावनेज्येनैव जिजिविषति.
- सत्याषाढ श्रीत सूत्र, XXVI. 1.7. शुश्रूषा शूद्रस्येतरेषां वर्णनाम्. किंतु यह किसी अन्य पूर्व श्रीतसूत्र में नहीं पाया जाता।
- जै० ब्रा०, II, 266, उत्थाता शूद्रोदक्षः कर्मकर्ता. संभवतया अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसी कोई कंडिका नहीं है।
- तैत्तिरीय ब्राह्मण, III, 11, 10.3 में 'कर्मकर' शब्द का प्रयोग ऋत्विक पुरोहित के अर्थ में किया गया है, न कि भाङे के मजदूर के रूप में। अन्य ब्राह्मणग्रंथों में कर्मकर का कोई उल्लेख नहीं है।

19. बृहदारण्यक उपनिषद, I. 4.13.
20. वही, II. 266.
21. मुखर्जी : एनशिएंट इंडियन एजुकेशन, पृ० 158.
22. वाजसनेयि संहिता, XXX.5; शतपथ ब्राह्मण, XIII. 6.2.10; तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 4.1.1.
23. वाजसनेयि संहिता, XXX. 6-21; तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 4.2-17.
24. वेदिक इंडेक्स, II, पृ० 267.
25. वही.
26. ऐतरेय ब्राह्मण, VIII, 22. देपाद्-देशात् समोहलानां सर्वसाम् आदुहितृणाम्; देशादेशात् सहजाणि आत्रेयो निष्कण्ठयः. यह अध्याय इस ग्रंथ के उत्तर भाग का एक अंश है.
27. बृहदारण्यक उपनिषद, VI. 2.7. इसमें भूमि की भी चर्चा नहीं है.
28. महाभारत (कलकत्ता संस्करण), II. 33.52. ग्रंथ के सूत राजा कर्ण ने संगीत ग्रीष्म ऐसी ही अन्य कलाओं में प्रशिक्षित सौ मागधी दासी कन्याएं समर्पित की थीं। महाभारत (कलकत्ता संस्करण), VIII. 38.7.18.
29. ऐतरेय ब्राह्मण, VI. 18-19; गोरथ ब्राह्मण, II. 4.2, 6.1.
30. वही, III. 5.
31. रैप्टन : कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, I, 128. तुलनीय, घोषाल ; हिस्टोरियोग्राफी एंड अदर एसेज, पृ० 87, पाद टिप्पणी 9.
32. लाट्या०, श्रोत सूत्र, VIII. 4.14, ...दासमिथुनी धान्यपाल्यम् सीरम् धेनुरिति.
33. आश्व० श्रोतसूत्र, X. 10.10.
34. कात्यायन श्रोत सूत्र, XXII. 10.
35. वही, XXII. 11, शूद्रदानं वा दर्शनाविरोधाभ्याम्.
36. वही, XXII. 11 की टीका, न च विरोध गर्भदासस्य.
37. शांखायन श्रोतसूत्र, XVI. 14.18, सहपुरुषम् च दीयते.
38. वही, XVI. 15.20, सहभूमि च दीयते। टीका में 'सपुरुषं च' जोड़ा हुआ है।
39. वेदिक इंडेक्स, II, पृ० 389.
40. छांदोग्य उपनिषद, IV. 2.4-5.
41. ऐतरेय ब्राह्मण, VIII. 21; शतपथ ब्राह्मण, XIII. 7.1.15.
42. वही.
43. कात्यायन श्रोतसूत्र की टीका, XXII. 11.
44. अथर्ववेद, III. 24, VI. 142; वा० सं०, IV. 10; शतपथ ब्राह्मण, I. 6.1. 1-8.
45. दास : दि इकनामिक हिस्ट्री ऑफ एनशिएंट इंडिया, पृ० 139-40, एस० के० दास ने संगत निर्देशों का संग्रह किया है।
46. आश्वलायन श्रोतसूत्र, VIII. 4.5-8; IX. 10.11, 11.2.
47. पास्ट एंड प्रेजेन्ट, सं० 6, पृ० 1.

72 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

48. विदेह के जनक का दृष्टांत.
49. जायसवाल : हिंदू पोलिटी, II, 20.
50. चैडविक : दि हिरोइक एज, पृ० 370.
51. घोषाल : हिस्टोरियोग्राफी एंड अदर एसेज, पृ० 253.
52. मैत्रायणि संहिता, II. 6.5; …तक्षरथकार्योर्गुंहे. आपस्तम्ब श्रोतसूत्र, XVIII. 10.17; सत्याधाड़ श्रोतसूत्र, XIII. 4.8. यह ध्यातव्य है कि तैत्तिरीय संहिता में रत्निन के इसी प्रकार के वर्णन में तक्ष और रथकार का उल्लेख नहीं हुआ।
53. वही, सर्वायिसाति दक्षिण.
54. शतपथ ब्राह्मण, V. 3.1.10-11.
55. वही, V. 3.2.2-4. इष्येतात्यियमः प्रविशत्येताम् वा तमः प्रविष्णाति यद्यज्ञियानि यज्ञेन प्रसज्यत्यज्ञियान्वा एताद्यज्ञेन प्रसज्जति शूद्रांस्त्वाद्यांस्तु. सोम और रुद्र तथा मित्र और बृहस्पति को चढ़ावा चढ़ाकर प्रायशिचत करने का प्रावधान दो प्रतिकूल विचारों का सामंजस्य करने के प्रयास जैसा लगता है। इनमें से एक विचार प्राचीन है और एक नवीन, जो यज्ञ में शूद्र के भाग लेने के संबंध में है। राजा शूद्र के साथ सांस्कारिक संबंध जोड़ सकता था, किंतु इसके फलस्वरूप होने वाले पाप को दूसरे धार्मिक संस्कार द्वारा हटाना पड़ता था। यह उल्लेखनीय है कि इसका उल्लेख न तो कृष्ण यजु ग्रंथों में और न शुक्र यजु ग्रंथों में हुआ है। घोषाल : हिंदू पब्लिक लाइफ, i, पृ० 133.
56. शतपथ ब्राह्मण की टीका, V. 3.2.2, 'शूद्रान् सेनान्यादीन्' ..
57. शांखायत श्रोतसूत्र, XVI. 4.4; शतपथ ब्राह्मण, XIII, 5.2.8.
58. आपस्तम्ब श्रोतसूत्र, (गार्वीज एडिशन), XVII, 10.26.
59. वही, VI. 3.12.
60. मैत्रायणि संहिता, II. 6.5; आ० श्रोतसूत्र (गार्वीज एडिशन) XVIII.10.20; सत्याधाड़ श्रोतसूत्र, XIII. 4.8.
61. शतपथ ब्राह्मण की टीका, V. 3.2.2-4.
62. कीथ : पूर्व निर्दिष्ट, XVIII, पृ० 120. वह 'क्षद्' अर्थात् नक्काशी करना से यह अर्थ निकालते हैं।
63. मोनियर विलियम्स : संस्कृत-इंग्लिश डिक्षनरी। वेखें 'क्षत्' शब्द, सायण के अनुसार वह अक्षिय पत्ती का शूद्रजात पुत्र है।
64. संहिताओं और ब्राह्मणों में रत्निनों की सूची का संकलन घोषाल ने हिस्टोरियोग्राफी एंड अदर एसेज के पृष्ठ 249 के सामने के पृष्ठ पर किया है।
65. एक सूची (मैत्रायणि संहिता, II. 6.5, IV. 3.8) में उनकी संख्या तीन है और दो सूचियों में यह संख्या दो है (काठक संहिता, XV. 4; शतपथ ब्राह्मण, V. 3). अजीब बात यह है कि कृष्ण यजु के ग्रंथों में उनका उल्लेख नहीं हुआ है (तैत्तिरीय संहिता, I. 8.9; ती० ज्ञा० I. 7.3).
66. जायसवाल : पूर्व निर्दिष्ट, ii, पृ० 21.
67. अथर्ववेद, III, 5.6.
68. वाराह श्रोतसूत्र, III. 3.3.24; तत्र पष्ठोर्हीं विदीयन्ते ब्राह्मणो राजन्यो वैष्यः शूद्रः;

- मैत्रायणि संहिता, IV. 4.6; आपस्तम्ब श्रोतसूत्र, (गार्वीज एविधान) XVIII. 19.2-3; सत्याषाढ़ श्रोतसूत्र, XIII, 6.29-30.
69. वाजसनेयि संहिता X. 29; शतपथ ब्राह्मण, V. 4.4.19-23; कात्यायन श्रोतसूत्र, XV. 7.7.11-20.
70. काठक संहिता, XXXVIII. 1. वाजसनेयि संहिता, कपिष्ठल संहिता, तैत्तिरीय संहिता और मैत्रायणि संहिता में इस अनुच्छेद को जोड़ा नहीं है, किन्तु तैत्तिरीय ब्राह्मण II. 7.9.1 और 2 में यह परिवर्तित रूप में आया है, जिसमें दान और उसके फल का तो उल्लेख हुआ है परं चारों वर्णों का नहीं। 'ओजस्' के स्थान में यहां 'वीर्यम्' का उल्लेख हुआ है। देखें, सत्याषाढ़ श्रोतसूत्र XXIII. 4.21, जिसमें यह अनुच्छेद ओदनसव नैवेद्य के प्रसंग में आया है।
71. फल और वर्चस वाजसनेयि संहिता, X. 10-13 में; बल और वर्चस तैत्तिरीय संहिता, I. 8.13 में; पुष्टम् और फलम् मैत्रायणि संहिता, II. 6.10; पुष्टम् और वर्चस् काठक संहिता, XV.7 में आए हैं।
72. पूर्वोद्धृत, ii, 29, पाद टिप्पणी 2.
73. घोषाल : हिस्ट्री एंड एसेज, पृ० 264.
74. एस० बी० वैकेटेश्वर : इंडियन कल्चर अ० दि एजेज, भाग I, पृ० 11.
75. वेदिक इंडेक्स, ii, पृ० 5.
76. बृहदारण्यक उपनिषद, I. 4.13.
77. महाभारत, II. 30.41, विशाल मान्याशूद्राश्च सवर्नानयतेति च।
78. वही, II. 33.9, न तस्यां संनिधौ शूद्रः कशिच्चदासीन्न चाव्रतः।
79. वाजसनेयि संहिता, XX. 17 (सौत्रामणि यज्ञ के अवसर पर); यच्छूद्रे यदय यदेनश्चक्रमा वर्यं यदेकस्या विधर्माणि तस्यावय जनमति, तैत्तिरीय संहिता, I. 8.3.1; काठक संहिता, XXXVIII. 5; देखें शतपथ ब्राह्मण, XII. 9.2.3.
80. वाजसनेयि संहिता, XX.9.
81. पाणिनीज ग्रामर, III. 1.103, अर्थः स्वामि वैश्ययोः।
82. वाजसनेयि संहिता, XX. 17 की टीका, वेदिक इंडेक्स में इसकी व्याख्या। आर्य के अर्थ में की गई है।
83. ऐतरेय ब्राह्मण, VII. 29, ऊपर पृ० 59-60.
84. आपस्तम्ब श्रोतसूत्र (गार्वी संस्करण), XX. 5.13; शतं शूद्रा वरूथिनः; कात्यायन श्रोतसूत्र, XX. 50. ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में कुछ विद्वेष के चलते सत्याषाढ़ श्रोतसूत्र, जो आपस्तम्ब श्रोतसूत्र का लोकप्रिय संस्करण है, में 'शूद्र वरूथिन.' को छोड़ दिया गया है। सत्याषाढ़ श्रोतसूत्र, XIV. 1.46.
85. तैत्तिरीय संहिता, VI. 4.8; तस्माद् राजा राजानम् अशभुवा छन्नित वैश्येन वैश्यं शूद्रेण शूद्रम्.
86. महाभारत, V. 94.7; अस्ति कपिचद्विशिष्टो वा मद्विधो वा भवेद्युधिः, शूद्रो वैश्यः क्षत्रियो वा ब्राह्मणो वा पि शस्त्रभूत्.

74 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

87. तेषामन्तकरं युद्धं देहपाप प्रणाणतम्, शूद्र विट्क्षविप्राणां धर्मं स्वर्यं यशस्करम्. महाभारत, VIII. 32.18, क्रिटिकल एडिशन में विप्राणाम् के स्थान में वीराणाम् पाठ आया है, किंतु उपर्युक्त मैं० सं० के अनुवाद में भी आया है और अधिक उपर्युक्त है.
88. कात्यायन श्रौतसूत्र, XX. 37.
89. शतपथ ब्राह्मण, XIII. 5.4.6.
90. वही, XIII. 4.2.17; आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्वीज संस्करण), XX. 5.18; कात्यायन श्रौतसूत्र, XX. 55; सत्यापाङ्क श्रौतसूत्र, XIII. 1.47.
91. जैमि० ब्राह्मण, II. 266-267.
92. ऐतरेय ब्राह्मण, VIII. 4.
93. तैत्तिरीय संहिता, III. 5.10 यजुओं के अन्य संग्रहों में समानांतर पाठ नहीं हैं.
94. जैमि० ब्राह्मण II. 102 शांखायन श्रौतसूत्र, XIV. 33.18-19 में यही विचार कुछ भिन्न रूप में दुहराया गया है.
95. तैत्तिरीय सं०, V. 7.6.4. रुचं वैयेषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचारुचम्, वाजसनेयि सं० XVIII. 48; काठक संहिता XL. 13; मैत्रायणि संहिता III. 4.8; तै० सं० V, 7.6. शतपथ ब्राह्मण IX. 4.2.14 में रुचं तो धेहि ब्राह्मणेज्जिति कहा गया है. जै० इर्गेलिंग मानते हैं कि अन्य तीन वर्ण अंतर्निहित हैं, अतः इस परिच्छेद का अनुवाद करने में उनका उल्लेख कोष्ठक में किया है (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, Xliii, 238). किंतु इस ग्रंथ में प्रायः ब्राह्मणों द्वारा अपने पौरोहित्यजन्य दावे के हित में प्राचीन धार्मिक कृत्यों के नाम पर धोखेबाजी करने का विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया गया है.
96. शतपथ ब्रा०, V. 3.5.11-14; तैत्ति० ब्रा० I. 7.8.7; बाराह श्रौतसूत्र, III. 3.2.48.
97. जायसवाल : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 25. आगे चलकर जायसवाल ने जो कहा है उसका अर्थ है कि बाद में शूद्र हमेशा अभिषेक समारोह में भाग लेता हुआ जान पड़ता है, किंतु जब तक हम अग्नियुराण, जो मध्ययुग के आरंभ की रचना है, में वर्णित राज्याभिषेक समारोह तक नहीं पहुंचते (अध्याय 218, 18-20) तब तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता.
98. घोषाल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 265-66 और एस० वी० वेंकटेश्वर : पूर्व निर्दिष्ट भाग I, पृ० 11. विभिन्न प्रकार के अर्थों के लिए देखें.
99. ऐतरेय ब्राह्मण, VII. 20.
100. शतपथ ब्रा०, I. 3.4.15; II. 5.2.6; देखें XII. 7.3.15.
101. वही, XI. 2 7.16.
102. शांखायन श्रौतसूत्र, XVI. 17.4 वेदिक इंडेक्स ii, 256 में उल्लूत.
103. बाराह श्रौतसूत्र, III. 1.1.1; घोषाल : पूर्व निर्दिष्ट पृ० 283. लेकिन क्षत्रिय के साथ वैश्य भी वाजपेय यज्ञ के छोटे-मोटे समारोहों से संबद्ध था (कात्यायन श्रौतसूत्र XIV. 75).
104. तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 3.11.2 (भट्ट भास्कर की टीका सहित).
१०५. घोषाल : हिंदू पञ्चिक लाइफ, i, पृ० 73-80.

106. वाजसनेयि संहिता, XVIII. 38-44; कण्व संहिता, XX. 2.
107. शतपथ ब्राह्मण, III. 5.2.11; III. 6.1.17-18; IX. 4.1.7-8.
108. वही, VI. 4.4.12-13.
109. वही, VI. 6.3.12-13.
110. वही, पृ० 52.
111. ऐतरेय ब्राह्मण, VIII. 4; विष्णु चैवास्मै तच्छोद्रं च वर्णम् अनुवर्तमानो कुर्वन्ति.
112. ऐतरेय ब्राह्मण, VII. 29.
113. वही, VII. 27-8.
114. म्यूर, हेग और वेदवर ने इस शब्द का अर्थ किया है 'इच्छानुसार गमन करने वाला'. किन्तु इस किया पद का प्रयोग प्रेरणार्थक अर्थ में हुआ है (वेदिक इंडेक्स, ii, पृ० 255), जिसे सायण ने मान्यता दी है.
115. ऐत० ब्रा०, VIII. 29; अथ यदि अटः, शूद्राणां स भक्षः, शूद्राविस्तेन भक्षेन जिमिध्यासि, शूद्रकल्पस्ते प्रजायामाजन्यिते.
116. कीथ : पूर्व निर्दिष्ट, XXV, पृ० 315.
117. ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवाद, पृ० 485.
118. घोषाल : पूर्व निर्दिष्ट, i, पृ० 158.
119. मध्यरात्रादौ यदाकादाचिद्दिन इच्छा भवति तदानीम् अयम् उत्थाप्यते.
120. पाणिनि व्याकरण, II. 4.10.
121. कीथ : पूर्व निर्दिष्ट, XXV, पृ० 315.
122. बधः—कुपितेन स्वामिना ताङ्ग्यो भवति इच्छामतिक्रम्य.
123. III, 11; V. 16 और X. 11.
124. III. 9; IX. 15, 16, 18; X. 29.
125. हेग : ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवाद, पृ० 485.
126. वेदिक इंडेक्स; ii, पृ० 256.
127. कीथ : केम्ब्रिज हिंदू आफ इंडिया, i, पृ० 128-9; दत्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 166; घोषाल : हिंदू गिलक लाइफ, i, पृ० 167.
128. वेदिक इंडेक्स, ii, पृ० 331.
129. तैत्तिरीय ब्राह्मण, I. 5.9.5-6; III. 4.1.7.
130. कीथ : हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज, XXV, पृ० 29; वेदिक इंडेक्स, ii, पृ० 256.
131. वाजसनेयि संहिता, XIV. 30; मैत्रायणि संहिता, II. 8.6; काठक संहिता, XVII, 5; कात्यायन संहिता, XXVI. 24; तैत्तिरीय संहिता IV. 3.10.2.
132. शतपथ ब्राह्मण, XIII. 2.9.8; तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 9.7.3; वाजसनेयि संहिता, XXIII. 30-31
133. वाजसनेयि संहिता, XXII, 30; शूद्रा यद्यर्जारा न पोषाये धनायति.
मैत्रायणि संहिता, III.13.1; तैत्तिरीय संहिता, VII. 4.19.13; काठक संहिता (अप्वमेष) V. 4.8; शांखा० श्रौतसूत्र, XVI. 4.4-6.

76 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

134. वाजसनेयि संहिता, XXIII. 30 पर महीधर और उवट की टीका.
135. वेदिक इडेक्स, ii, पृ० 391.
136. जे० इरोलिंग : सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, XIV, पृ० 326.
137. कीथ : केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, i, पृ० 126.
138. पंचर्विंश आह्याण, XIV. 6.6.
139. वही.
140. ऐतरेय आह्याण, VII. 19 सायण की टीका सहित.
141. वेदिक इडेक्स, ii, पृ० 259; बृहददेवता, IV. 24-25.
142. पंचर्विंश आह्याण, XIV. 11.17.
143. वायु पुराण, ii, 37 67-94.
144. आदि पर्वत्, 98.25.
145. मुखर्जी : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 52.
146. सायण के अनुसार वेदिक इडेक्स, i, पृ० 121-122.
147. जैमिनीय उप०, II. 2.5-6.
148. वेदिक इडेक्स, 42.22-26.
149. अनुशासन पर्वत् (कुम्भ संस्करण), 53.13-19.
150. वही, 53.38.
151. शांखायन श्रीतसूत्र, XVI. 4.4.
152. घुर्ये : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 51.
153. कीथ : पूर्व निर्दिष्ट, i, पृ० 129.
154. शांखायन ब्रा० XXVII. 1. यह ब्राह्मण शतपथ और ऐतरेय ब्राह्मणों के बाद का माना जाता है.
155. छांदोग्य उपनिषद्, VI. 10.7.
156. रामायण, I. 58.10-11; जान पड़ता है कि त्रिशंक जो श्यामवर्ण का था, संभवतः चंडाल जाति का नेता था.
157. वाजसनेयि संहिता, XXX. 21; तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 4.1-17.
158. वही, 17; तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 4.1-14.
159. ऐतरेय ब्राह्मण, VII. 15-17; शांखायन श्रीतसूत्र, XV. 24.
160. वही, 17, नापागः शोद्रान् न्यायाद् असंघेयं त्वया कृतम्.
161. वही, 18.
162. वही, 18 की टीका, चण्डालादि रूपान् नीचजातिविशेषान्.
163. वाजसनेयि संहिता, XXVI. 2; यथेमां वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः, अहम् राजन्याभ्याम् शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च.
164. मुकर्जी : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 53.
165. उवट और महीधर द्वारा प्रस्तुत वाजसनेयि संहिता, XXVI.2 की टीका.
166. शतपथ ब्राह्मण, I. 1.4.12.

167. छांदोग्य उपनिषद्, II. 23 1-2. जी० सी० पांडेय : दि ओरिजिस आफ बुद्धिम, पृ० 322-23; जी० सी० पांडेय का विचार है कि चार आश्रमों का सिद्धांत बुद्धदेव के पहले नहीं था।
168. अथर्ववेद, XI. 5.3.
169. अल्टेकर : एकेशन इन एनशिएट इंडिया, पृ० 10.
170. तैतिरीय संहिता, VI. 3.10; गोपथ ब्राह्मण, I. 2.2 और 4; शतपथ ब्राह्मण, XI. 54.12.
171. शूद्रवारण्यक उपनिषद्, V. 2.1.
172. अथर्ववेद, XI 5; पंचविंश ब्राह्मण, XVII. 1.2 ब्लूमफील्ड की राय है कि परिवर्तित वात्य को शूद्र ब्रह्मचारिन् कहा गया है, अथर्ववेद, पृ० 94.
173. वेदादाव, XVIII., 9 और 54.9; स्पीगल : अलिटरानिस्चेस्कुन्डे, iii, पृ० 700 देखें, पृ० 548-49 भी।
174. गाइगर : तिलिलाइजेशन आफ दि ईस्टर्न ईरानियंस इन एनशिएट टाइम्स' i, पृ० 58-9.
175. टामसन : स्टडीज इन एनशिएट ग्रीक सोसाइटी, i, पृ० 272.
176. छांदोग्योपनिषद्, IV. 1.1-8, 3.1-4.
177. जैमिनीय ब्राह्मण, III. 7.3.2 इसे जैमिनीय उप० ब्राह्मण, III. 7.3.2 में नगरी जानशुतेयः भी कहा गया है। औपचि जानशुतेय ने वाजपेय यज्ञ किया था (शतपथ ब्राह्मण, V. 1.1.5 और 7).
178. विटरनिज : पूर्व निर्दिष्ट, i, पृ० 229, पाद दिप्पणी 3.
179. तैतिरीय ब्राह्मण, III. 12.9.2.
180. शतपथ ब्राह्मण, XIII. 4.3.7-13.
181. वही, देखें छांदोग्य उपनिषद्, VII. 1.1.
182. छांदोग्य उपनिषद्, VIII. 14.1.
183. सत्या० श्रीतसूत्र, XIX. 3.26.
184. वही, XIX. 1.4; XXVI. 1.20.
185. वही, XXVI. 1.6.
186. ब्राह्म० श्रीतसूत्र, VII. 3.14.
187. सत्या० श्रीतसूत्र, XIX. 4.13.
188. बौधायन गृह्णसूत्र, II. 5.6.
189. गेलड : एथनालजी आफ दि महाभारत, पृ० 241-2.
190. सेनार्ट : कास्ट इन इंडिया, पृ० 118.
191. हापकिस, मुखर्जी : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 10-11, 14. हाल में हस्तिनापुर में हुई खुदाई में बहुत से औजार, जो सुर्खी की तरह नोकदार हैं, प्राप्त हुए हैं; जो नी सी से पांच सौ ई० पू० के कहे जाते हैं, किंतु यह निश्चित नहीं है कि उनका प्रयोग लिखने के लिए किया जाता था।

78 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

192. हार्पिक्स, मुखर्जी : वही, पृ० 339-40.
193. शांखायन गृह्यसूत्र, II. 7.21-25.
194. तैत्तिरीय ब्राह्मण, I. 1.4.8; आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्भीज संस्करण), V. 11.7; कात्यायन श्रौतसूत्र, I. 9; सत्या० श्रौतसूत्र, III. 1; वाराह श्रौतसूत्र, I. 1.1.4.
195. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, (कैलेङ्ड और गार्भीज संस्करण), V. 3.19; कात्यायन श्रौतसूत्र, IV. 179-81; सत्या० श्रौतसूत्र, III. 2; वाराह श्रौतसूत्र, I. 4.1.1; षंखानस श्रौतसूत्र, I. 1; आश्व० श्रौतसूत्र, II. 1.13.
196. तक्षककर्मोपजीव्युपकृष्ट इत्युच्यते. आश्व० श्रौतसूत्र, II. 1.13; नारायण की टीका सहित.
197. आप० श्रौतसूत्र (गार्भीज संस्करण), IX. 14-11; सत्या० श्रौतसूत्र, XV. 4.19; वाराह श्रौतसूत्र, I. 1.1.5.
198. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्भीज संस्करण), IX. 14.11; सत्या० श्रौतमूल, XV 4.19; वाराह श्रौतसूत्र, I. 1.1.5.
199. सत्या० श्रौतसूत्र, III.1.
200. सत्या० श्रौतसूत्र की टीका, III. 1.
201. महाभारत, I. 61.48.
202. ऋग्वेद, X. 53.4.
203. निश्वत, III.8 औपमन्यव निषाद गाढ़ को निषाद स्थपति मानते हैं. निश्वत, III. 8 के बारे में एकान्दस्वामी और महेश्वर के विचार.
204. मुकर्जी : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 52-53.
205. जैमिनीय ब्राह्मण II. 184; निषादेषु हेव ता वसेद्...वैश्ये वा ह ता भ्रातृयुये वा वसेद् राजनि हैव ता वसेद्; पंचविंश ब्राह्मण, XVI. 6.7; कौथोतकि ब्राह्मण, XXV. 15; आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्भीज संस्करण), XVII. 26.18; लाट्यायन श्रौतसूत्र, VIII. 2.8.
206. लाट्यायन श्रौतसूत्र, VIII. 2.8 की टीका में निषाद ग्राम का प्रसंग आया है.
207. शेफर : एथनोग्राफी आफ एनशिर्ट इंडिया, पृ० 10.
208. भातपथ ब्राह्मण, I. 1.4.11-12; आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (कैलेङ्ड संस्करण), I. 19.9.
209. भातपथ ब्राह्मण, V. 5.4.9; चत्वारो वै वर्णः, ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यः शूद्रो न हैतेपामेकश्चन भवति यः सोमं वसति, स यत् हैतेपामेकश्चिवस्यात् तस्याद्वै व प्रायशिच्चततिः.
210. ऐतरेय ब्राह्मण, II. 19; हार्पिक्स : रेलिंजंस आफ इंडिया, पृ० 477.
211. काठक संहिता, XI. 10.
212. आज्यमन्थं ब्राह्मणः पयोमन्थं राजन्यो दधिमन्थं. वैश्य उदमन्थं शूद्रः. सत्या० श्रौतसूत्र, XXIII. 4.17. इस कंडिका से शूद्रों की सापेक्ष गरीबी का परिचय मिलता है.
213. आश्व० श्रौतसूत्र, II. 9.7.
214. कात्या० श्रौतसूत्र, XIII. 40-41; पंच० ब्रा०, V. 5.14; सत्या० श्रौतसूत्र, XVI.

- 6.28, शूद्रार्थो चर्मणि परिमण्डले व्यायच्छेते जयत्यार्थः.
215. जैमिनीय ब्राह्मण, II. 404-5. आर्यवर्णं शब्द काठक संहिता में आया है, XXXIV. 5 किंतु उसमें शूद्र वर्ण का कोई उल्लेख नहीं है.
216. शांखा० श्रौतसूत्र, XVII. 6.1-2; लाद्यायन श्रौतसूत्र, IV. 3.9.5-6.
217. तैत्तिरीय ब्राह्मण, I. 2.6.7.
218. वाजसनेयि संहिता, XXX. 22, अणूदा अब्राह्माणास्ते प्राजापत्याः.
219. शांखायन श्रौतसूत्र, XVII. 6.1-2.
220. शतपथ ब्राह्मण, XIII. 8.3.11. यह ध्यातव्य है कि ऋत्रियों की समाधि सबसे ऊंची होती थी और उसके बाद ब्राह्मणों की.
221. बृहदारण्यक उप०, I. 4.11-13.
222. हार्षकिंस : एपिक माइथालोजी, पृ० 168.
223. शतपथ ब्राह्मण, V. 3.1.8.
224. वही, V. 3.1.9.
225. तैत्तिरीय ब्राह्मण, II. 7.2.1 और 2.
226. तैत्तिरीय संहिता, VII. 1.1.4-5; पंचविंश ब्राह्मण, VI. 1.6-11.
227. तैत्तिरीय ब्राह्मण, II. 101; शांख० श्रौतसूत्र, XV. 10.1-4.
228. शांखायन श्रौतसूत्र में प्रजापति की चर्चा नहीं है.
229. जैमिनीय ब्राह्मण, III. 101.
230. दत्त : पूर्व निर्दिष्ट i, 60-61.
231. ऋग्वेद I. 117-21; यादं वृक्षेणाश्विना वपन्तेषाम् दुहंता मानुषाय दसा….
232. मैत्रायणि संहिता, II. 9.5.
233. वाजसनेयि संहिता, XVI. 27; काठक संहिता, XVII. 13; कपिष्ठल संहिता, XXVIII. 3; मैत्रायणि संहिता, II. 9.5; तैत्तिरीय संहिता, IV. 5.4.2; कण्व संहिता, XVII.4.
234. तैत्तिरीय संहिता, IV. 5.4.2.
235. वेदिक इंडेक्स, ii. पृ० 249-50.
236. वेबर : हंडियन लिटरेचर, पृ० 110-111.
237. वही.
238. शतपथ ब्राह्मण, V. 3.1.10.
239. ऊपर देखें, पृ० 71.
240. तैत्तिरीय संहिता, VIII. 1.1; पंचविंश ब्राह्मण, VI. 1.6-11.
241. वाजसनेयि संहिता, XIV. 30; शतपथ ब्राह्मण, VIII. 4.3.12.
242. तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 2.3.9; कात्या० श्रौतसूत्र, I. 5; देखें शांखा० श्रौतसूत्र, I. 1.1-3; आश्वलायन श्रौतसूत्र, I. 3.3.
243. तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 2.3.9.
244. शतपथ ब्राह्मण, VI. 4.4.9.

80 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

245. मैत्रायणि संहिता, III. 1.5; III. 2.2; तैत्तिरीय संहिता, V. 1.4.5; कात्या० संहिता, XIX.4 और कपिष्ठल संहिता XXX. 2 में केवल ब्राह्मण और राजन्य का उल्लेख हुआ है, वैश्य को भी छोड़ दिया गया हैं.
246. शतपथ ब्राह्मण, II 5.2.36.
247. अही, III. 2.1.40.
248. वेदिक इंडेक्स, ii, 390.
249. कात्यायन श्रौतसूत्र, VII. 105.
- 250 आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्वीज संस्करण), VI. 3.7 रुद्रदत्त की दीक्षा संहिता,
251. तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 2.3.9-10; कपिष्ठल संहिता, XLVII. 2; मैत्रायणि संहिता, IV. 1.3; आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्वीज संस्करण), VI. 3.11; बौद्धायन श्रौतसूत्र, XXIV. 31; शास्त्रा० श्रौतसूत्र, II. 8.3; सत्या० श्रौतसूत्र, III.7.
252. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्वीज संस्करण), VI. 3.12, असतो वा एष संभूतो यच्छूदः.
253. मैत्रायणि संहिता, I. 8.3.
254. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्वीज संस्करण, II, भूमिका, पृ० XII.
255. वही, VI. 3.13, दुर्लाद वा.
256. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, VI. 3.13 की रुद्रदत्तीय टीका.
257. तैत्तिरीय ब्राह्मण, III. 2.3.9-10.
258. शतपथ ब्राह्मण, III. 1.1.10; न शूद्रेण सम्भाषेरन्. द्वा० श्रौतसूत्र, VIII. 3.14; लाट्यायन श्रौतसूत्र, III. 3.15-16; के अनुसार यह शार्त सत्र यज्ञ के याजक पर भी लागू है. सत्या० श्रौतगूत्र, X.2.
259. द्वा० श्रौतसूत्र, VIII. 3.14; सत्या० श्रौतसूत्र, XXIV. 8.16 में कहा गया है कि महिला के साथ भी ब्रह्मचारिन् को ब्रह्मचर्य धारण करने के पश्चात आत्मीत नहीं करनी चाहिए.
260. शतपथ ब्राह्मण, XIV. 1.1.31; सत्या० श्रौतसूत्र XXIV. 1.13 में भी.
261. आर० एस० शर्मा, (जनंल आफ दि विहार रिसर्च सोसायटी, XXXVI), 183-191.
262. शतपथ ब्राह्मण, XIV. 9.4.12.
263. शतपथ ब्राह्मण, I. 1.3.12, अशुद्धस्तक्षा. बनर्जी : स्टडीज इन दि ब्राह्मणाज, पृ० 127, पाद टिप्पणी 2. ऋक का कथन है कि यह प्राचीन काल के उस विचार के चलते हुए होगा जिसके अनुसार बृक्षों को अपविन्न करने से वन के देवी देवताओं का तिरस्कार होता था.
264. शतपथ ब्राह्मण, II. 3.1.31. कण्व द्वारा निर्धारित पाठ में यह व्रष्टब्य है.
265. I. 4.12.
266. न ते शक्या दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्तं पितामह, बहूपकरणा यज्ञा नाना सम्भारविस्तराः. पार्थिवे राजपुत्रेवा शक्याः प्राप्तुंपितामह, नार्थन्यूने रवगुणैरेकात्मभिरसंहृतैः. महाभारत (कुम्ब०), XIII. 164. 2-3; (कल०) XII. 107. 2-3. यह अनुच्छेद बहुत बाद का है, किंतु इसे हम उत्तरवैदिककाल की परिस्थितियों का सूचक मान सकते हैं.

267. यो ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यशूद्रो वा असुर इव बहुपूष्टस्यात् तस्य गृहादाहृत्यावध्यात् पुष्टिकामस्य । आपस्तम्ब श्रीतसूत्र (गार्भ संस्करण), V. 14.1. इसमें कोई सदेह नहीं कि विशेषण 'बहुपूष्टः', ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य पर भी लागू होता है, किंतु शूद्र के मामले में यह विशेष प्रतीत होता है, जिसे अर्थित से निकाला दुआ कहा गया है.
268. इगलिंग : पूर्व निर्दिष्ट, XII, प्रस्तावना, पृ० XIII.
269. इंडियन कल्चर, XII, 183.
270. रैप्सन : पूर्व निर्दिष्ट, i; 129.
271. आर० जी० फाब्र्स : मेटलर्जी इन एंटिकिविटी, पृ० 79.
272. वेदिक इंडेक्स, II, प० 390; दत्त : ओरिजिन एंड ग्रोथ आफ कास्ट, प० 101-5; बलवल्कर : हिंदू सोशल इंस्टीट्यूशंस, प० 288.
273. बृहदारण्यक उपनिषद, शंकर की टीका सहित, IV. 3.22.
274. छांदोग्य उपनिषद, V. 24.4.

दासता और अशक्तता

(लगभग छः सौ ई० पू० से लगभग तीन सौ ई० पू० तक)

वेदों के बाद वाले युग में शूद्रों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए ब्राह्मणग्रंथों के अतिरिक्त बौद्ध और जैन ग्रंथों का भी सहारा लिया जा सकता है। ये ब्राह्मण-ग्रंथ मुख्यतया धर्मसूत्र (विधिग्रंथ), गृह्यसूत्र (घरेलू कर्मकांड के ग्रंथ) और पाणिनि के व्याकरण हैं। इन ग्रंथों का कालक्रम मोटे तौर पर ही निर्धारित किया जा सकता है। काणे ने इस विषय से संबंधित नवीनतम रचना में सिद्ध किया है कि प्रमुख धर्मसूत्र लगभग छः सौ-तीन सौ ई० पू० के हैं।¹ इन सूत्रों में भाषागत प्रयोग की जो स्वतंत्रता दीख पड़ती है, वह पाणिनि के प्रभाव के पूर्णतया व्याप्त हो जाने के बाद संभव नहीं रही होगी,² और पाणिनि का व्याकरण ई० पू० पांचवीं शताब्दी के मध्य का माना गया है।³ गौतम का विधिग्रंथ, जिसमें शूद्रों से संबंधित अधिकांश सूचनाएं मिलती हैं, धर्मसूत्रों में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है।⁴ किंतु यह बतलाता है कि यवन की उत्पत्ति शूद्र स्त्री और क्षत्रिय पुरुष से हुई थी।⁵ बाद के धर्मशास्त्रों की ही तरह इसमें वैश्यों और शूद्रों के सहोलेख के कई दृष्टांत मिलते हैं।⁶ इसमें संपूर्ण भारत में समान ढंग के कानून चलाने का प्रयास,⁷ गोवध के लिए दंडविधान⁸ और लगभग बीस वर्णसंकरों का वर्णन⁹ मिलता है। इन सब बातों से पता चलता है कि गौतम के विधिग्रंथ में पीछे चलकर व्यापक संशोधन किए गए।¹⁰ अतः संभव है कि इस ग्रंथ में वर्णित समाज संबंधी सभी कानूनों से मौर्यपूर्व काल की स्थिति का आधास नहीं मिले।

आर्यों के देश, आर्यवर्त, जिस पर धर्मसूत्र लागू होने वाले थे, के अंतर्गत पंजाब, बिहार तथा हिमालय और मालवा की पहाड़ियों के बीच के भूक्षेत्र हैं।¹¹ किंतु कानूनों के निर्माता बौधायन दक्षिण के निवासी थे। आपस्तंब के बारे में यही बात निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकती, क्योंकि उन्होंने उत्तर के निवासियों (उदीच्यों) में प्रचलित विशेष ढंग की शाद्व प्रथा का उल्लेख किया है।¹² वसिष्ठ की विचारधारा संभवतया उत्तर-पश्चिम भाग में फूली फली।¹³ प्रमुख गृह्यसूत्र, जो प्राचीन भारतीयों के दैनिक जीवन के बारे में सर्वाधिक विश्वसनीय विवरण

माने जाते हैं,¹⁴ ई० पू० छः सौ-तीन सौ के बताए गए हैं।¹⁵

बूद्ध ग्रन्थों में सुतों (वार्तलिप) के चार संग्रह, अर्थात् दीघ, महिक्षम, संयुत्त और अंगुत्तर¹⁶ और साथ ही विनय पिटक¹⁷ सामान्यतया मौर्यपूर्व काल के माने जा सकते हैं। जातकों का कालनिर्धारण अधिक टेढ़ा काम है,¹⁸ क्योंकि इसकी गाथाएं, जो धर्म से संबंधित हैं, सर्वाधिक प्राचीन काल की हैं। किंतु अतीत की कथाएं भी, जो टिप्पणी के रूप में गद्य में लिखित हैं, मौर्यपूर्व काल की कहीं जा सकती हैं। वर्तमान कथाओं में कहीं कहीं मौर्यकालीन परिस्थितियों का चित्रण मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि वे बाद में जोड़ी गई हैं।¹⁹ यद्यपि अतीत की कथाओं के घटनास्थल भारत के पश्चिमी या मध्यवर्ती भाग के हैं, फिर भी वर्तमान की अधिकांश कथाओं का घटनास्थल सावत्थी या राजगृह है।²⁰ इसके अतिरिक्त, जातक के तृतीय, चतुर्थ और पंचम खंड सामान्यतया ऐसे खंड समझे जा सकते हैं जिनके वर्तमान रूप प्रथम और द्वितीय खंडों की अधिकांश साधारण कथाओं के बाद के हैं।²¹

हाल में यह सुझाव दिया गया है कि जातक समाज के ऐसे चरण के प्रतीक हैं जो, संभवतया सातवाहन काल में, व्यापार के अनुकूल था।²² किंतु चांदी और तांबे की आहत मुद्राएं तथा नार्थ ब्लैक पालिश्ड वेयर (उत्तर धोक्रीय परिष्कृत कृष्ण पात्र) के युग (लगभग छः सौ-दो सौ ई० पू०) की बहुत सारी लोह वस्तुएं जो मिली हैं उनसे स्पष्ट है कि नगर जीवन का आरंभ²³ और व्यापार एवं वाणिज्य का विकास निश्चित रूप से बुद्धकालीन युग में हो चुका था।²⁴ इनके अलावा, यदि उद्योग और वाणिज्य विषयक कौटिल्य के नियम विनियम मौर्य काल के बारे में सच हैं तो उनसे यह धारणा बन सकती है कि उससे पूर्वकाल में ऐसे आर्थिक कार्यकलाप कुछ प्रगति कर चुके थे। फिर, जातकों में दक्षिण भारत के व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख विरले ही है; यद्यपि, सातवाहनों के युग में, उसके साथ रोमनों का सक्रिय संपर्क था। जातकों में उन बहुतेरे संघों और ध्यवसायों का भी उल्लेख नहीं है जो हमें सातवाहन काल में मिलते हैं।²⁵ चूंकि बुद्ध की जन्मकथाएं ई० पू० द्वासरी शताब्दी में ही सांची और भारहूत के चित्रों और मूर्तियों में दिखाई गई हैं, इसलिए उन्हें खासकर ऐसे देश में, जहाँ प्राचीन धार्मिक परंपराएं मध्यकाल तक कला का आधार बनी रहीं, कम से कम दो शताब्दी पहले का मानना चाहिए। इस प्रकार यद्यपि जातक गायाओं और अतीतकालीन कथाओं से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले दो-तीन शताब्दियों में स्थिति कैसी थी, फिर भी अध्ययन की दृष्टि से जातकों के वे भाग जिनमें चंडालों का वर्णन किया गया है, बाद में जोड़े गए माने जा सकते हैं; क्योंकि इन उपेक्षित लोगों के प्रति जातक में जो निर्देश हैं उनकी पुष्टि मौर्यकाल से पूर्व के ब्राह्मण ग्रंथों से नहीं होती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मनु ने वर्णसंकर अर्थात् मिश्रित

जातियों की जो सूची दी है उस प्रकार की सूची जातकों में नहीं मिलती है।

जैन ग्रंथों की कालावधि अधिक अनिश्चित है, क्योंकि उनका संपादन और अध्ययन उस रूप में नहीं हो पाया है जिस रूप में बौद्ध ग्रंथों का हुआ है। कहा जाता है कि जैन धर्मग्रंथों का संकलन सर्वप्रथम ई^0 पूर्व ३० चौथी शताब्दी के अंत या तीसरी शताब्दी के आरंभ में किसी समय हुआ था।²⁶ किंतु इन ग्रंथों में चंकि महावीर का जीवन वृतांत है, इसलिए इनका उपयोग मौर्यकाल के पूर्व की स्थिति के लिए किया जा सकता है, जिससे वे काल की दृष्टि से बहुत दूर नहीं हैं।

इन साहित्यक रचनाओं की सामाजिकता पर अनेक प्रकार के मत व्यक्त किए गए हैं और ऐतिहासिक रचनाओं या पुरातात्विक अभिलेखों के अभाव में इन मतों की व्याख्या करना कठिन है। बौद्धग्रंथों के समर्थन की दृष्टि से ब्राह्मणग्रंथों की अवहेलना की भी मनोवृत्ति देखने में आई है।²⁷ कहा जाता है कि धर्मशास्त्रों में वर्णों को नियत ढाँचों में समाविष्ट करने का प्रयास सर्वथा कृतिम और आनुमानिक है।²⁸ इस मत के विरोध में तर्क दिया गया है कि अनेक धर्मसूत्रों में समान रूप से कहीं गई बातों का कुछ तथ्यात्मक आधार अवश्य होगा।²⁹ कहा जाता है कि ऐसा आरोप मध्यकालीन यूरोप के रूढ़िवादी लेखकों पर लगाया जाता था जिसका खंडन आधुनिक विद्वानों ने किया है।³⁰ किंतु ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणेतर ग्रंथों पर ही सर्वथा निर्भर करना उचित नहीं होगा। मौर्यकाल के पूर्व की सामाजिक स्थिति के यथार्थ विवरण के लिए सभी प्रकार के ग्रंथों के समन्वित अध्ययन को ही आधार बनाया जा सकता है।³¹ दुर्भग्यवश ऐसा यथार्थ विवरण न तो 'कैब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', खंड-1³² और न 'दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी' में ही उपलब्ध है। दूसरी पुस्तक में ई^0 पूर्व ४० छः सौ से लेकर सन तीन सौ ई^0 तक की कालावधि के साहित्यिक ग्रंथों में उपलब्ध सामग्री को एक जगह जुटाकर रखने का प्रयास तो किया गया है, किंतु धर्मसूत्रों और गृह्यसूत्रों की बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई है।³³

इन सभी स्रोतों द्वारा अनुप्राणित तथ्यों को ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। जहां इन ग्रंथों में मत साम्य नहीं है, वहां बौद्ध और जैन ग्रंथों में प्रस्तुत सामग्री को धर्मसूत्रों में नियमबद्ध बातों की अपेक्षा सामाजिक अवस्थाओं का विशेष परिचायक माना जाना चाहिए। किंतु इनमें से किसी भी रचना में शूद्रों और समाज के अन्य अशक्त वर्गों के विचारों का वर्णन नहीं किया गया है। धर्मसूत्रों में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर जोर दिया गया है तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में क्षत्रियों के आधिपत्य की ओर झुकाव है। केवल छिटपुट ढंग से कहीं कहीं निम्न वर्गों के लोगों के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखलाई गई है। इनके अलावा धर्मसूत्रों से सामान्यतया उत्तर भारत की ही जानकारी मिलती है और बौद्ध तथा जैन ग्रंथ उत्तरपूर्वी भारत की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं।

शूद्रों के बारे में कुछ प्रत्यक्ष जानकारी धर्मसूत्रों से, थोड़ी बहुत प्राचीन पालि ग्रंथों से और उससे भी कम जैन ग्रंथों से मिलती है। प्रायः इतनी अल्प जानकारी के ही कारण फिक ने तर्क दिया है कि केवल सैद्धांतिक विवादों को छोड़ कर प्राचीन पालि ग्रंथों में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे सिद्ध होता हो कि शूद्र चतुर्थ वर्ण के रूप में वस्तुतः विद्यमान थे।³⁴ ओल्डनवर्ग ने, ठीक ही, इस विचार को सही नहीं माना है।³⁵ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनसे पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति को लोग उसकी जाति से जानते थे और जाति के आधार पर ही उसकी हैसियत स्थिर होती थी। जैसे, एक धनुर्धर की पहचान के लिए पूछा जाता था कि वह क्षत्रिय है या ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र।³⁶ बुद्धदेव ने अपने धर्मोपदेश के एक सामान्य उदाहरण में कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसकी प्रियतमा क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र वर्ग में से किस वर्ग की है।³⁷ टी० डब्ल्यू० रीस डेविड्स भी, जो प्रायः ब्राह्मणों के साक्ष्य को बिल्कुल अस्वीकृत कर देते हैं, बताते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में वर्णित चार वर्णों की व्यवस्था सामाजिक तथ्य के अनुकूल है।³⁸ इन बातों से स्पष्ट है कि बौद्धग्रंथों में शूद्रों को समाज का एक वर्ग माना गया है, यद्यपि इन ग्रंथों में उनके स्थान और कृत्यों को उतना स्पष्ट नहीं किया गया है जितना ब्राह्मण (कर्मकांड) विधियों में। शूद्र सेवक वर्ग के थे, यह बात उत्तरवैदिककालीन ग्रंथों से धनित होती है। किंतु इस युग में धर्मसूत्रों ने साफ तौर पर जोर देकर कहा कि शूद्र को तीन उच्च वर्णों की सेवा करके अपने आश्रितों का भरण-पोषण करना है।³⁹ शूद्र को स्वतंत्र रूप से अपनी गृहस्थी चलानी पड़ती थी जिसके लिए उसे नाना प्रकार के व्यवसाय करने पड़ते थे। गौतम कहते हैं कि शूद्र यांत्रिक शिल्पों का सहारा लेकर अपना गुजर बसर करता था।⁴⁰ मालूम पड़ता है कि शूद्र समुदाय के कुछ लोग बुनकर के रूप में कार्य करते थे तो कुछ लकड़हारे, लोहार, चर्मकार, कुंभकार, रंगरेज आदि थे। यद्यपि इन शिल्पों का उल्लेख प्राचीन पालि ग्रंथों में हुआ है,⁴¹ किर भी इन्हें अपनाने वाले वर्ण कौन कौन से थे इसका कोई संकेत नहीं किया गया है। गहपति⁴² सामान्यतया ब्राह्मणकालीन समाज के वैश्य से मिलता जुलता है और उसके बारे में एक जगह कहा गया है कि वह कला और शिल्प का व्यवसाय करके जीवननिवार्ह करता था।⁴³ यदि साधनसंपन्न व्यक्ति गहपति हो सकता था तो संभव है कि चुंद लोहार जिसने गौतम बुद्ध तथा उनके अनुयायियों को शानदार भोजन कराया था,⁴⁴ और संपन्न कुंभकार सद्गुप्त, जो पांच सौ कुंभकारी की दूकानों का मालिक था जिनमें अनेकानेक कुंभकार कार्य करते थे,⁴⁵ जैसे कुछ धनवान शिल्पी गहपति थे। यह बात एक हजार लोहारों के गांव के उस प्रधान के बारे में भी सत्य हो सकती है जिसने बौद्धिसत्त से अपनी कन्या का विवाह रचाया।⁴⁶ यद्यपि गहपति शब्द का प्रयोग अब इस प्रकार के शिल्पियों के

८६ शूद्रों का प्राचीन इतिहास

लिए किया जाता है, यह संभव है कि अपनी संपत्ति के कारण ही उनमें से कुछ लोग ऊंची जगह पा सके।

हम यहाँ शिल्पों और शिल्पियों के इतिहास की गवेषणा नहीं कर सकते, वह अलग घोष का विषय है। फिर भी यहाँ कुछ मूल बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। शूद्र वर्ण के शिल्पी मौर्यपूर्व काल की कृषिअर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग थे। धातुशिल्पी न केवल बढ़ई और लोहारों के लिए कुलहाड़ी, हथौड़ा, आरा और छेनी बनाते थे,^{४७} बल्कि खेती के लिए हल, कुदाल और इसी प्रकार के अन्य औजार भी तैयार करते थे,^{४८} जिससे किसान शहर के निवासियों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न उपजाने में समर्थ हो सके। खुदाइयों से पता चलता है कि बौद्धकालीन किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहे के हथियारों का प्रयोग पहलेपहल बड़े पैमाने पर करने लगे। पालि ग्रंथों में लोहे के बने फाल की चर्चा है जिससे खेती होती थी। दक्षिण बिहार में लोहे की सबसे बड़ी खाने हैं जिस कारण लोहे के काम में बहुत शिल्पियों की जरूरत थी। नगर जीवन^{४९} और उन्नतिशील व्यापार एवं वाणिज्य, जो उत्तरपूर्व भारत में पहली बार इस युग में दिखाई पड़ते हैं, शिल्पियों द्वारा प्रचुर वस्तुउत्पादन के बिना संभव नहीं हो पाते। मुख्य नगरों में शिल्पियों का संघ होता था और उनके प्रधान का राजा से विशेष संबंध रहता था।^{५०} कुछ शिल्पी तो राजा के घरेलू कामों में लगे रहते थे और इस तरह उन्हें राजा का संरक्षण प्राप्त था। पाणिनि व्याकरण की टीका के अनुसार इन्हें राजशिल्पी कहा जाता था; इनमें राजनापित और राजकुलाल (कुंभकार) का उल्लेख विशेष रूप से हुआ है।^{५१} इसकी पुष्टि बाद की एक जातक कथा से भी होती है जिसमें राज कुंभकार और राज मालाकार की चर्चा आई है।^{५२} सेटिठ्यों और गहपतियों से भी कुछ शिल्पी जुड़े हुए थे। हमें पता चलता है कि एक सेटी का अपना दर्जी (तुन्नकार) था, जो उसके संरक्षण में रहता था और उसके घर का काम करता था।^{५३} गहपति के बुनकरों का भी उल्लेख हुआ है जो उसके लिए कपड़े बुनते थे।^{५४} किंतु अधिकांश शिल्पी प्रायः ऐसे मालिकों से संबद्ध नहीं थे; स्वतंत्र शिल्पियों के दृष्टांत के रूप में बढ़द्वयों^{५५} और लोहारों^{५६} के गांवों और नगरों में रहने वाले शिल्पियों^{५७} का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। संभवतया राजा शिल्पियों के प्रमुख को प्रश्रय देकर उनके माध्यम से शिल्पी ग्रामों पर अपना थोड़ा बहुत नियंत्रण रखता था। जैसे, हजार लोहारों के ग्राम का जेत्थक (प्रधान) राजा का प्रियपात्र कहा गया है।^{५८} गांवों में बिखरे हुए शिल्पी परिवार जो कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, इस तरह के नियंत्रण में नहीं थे। पाणिनि ने उन्हें ग्रामशिल्पिन् बताया है।^{५९} पाणिनि के अनुसार बढ़ई दो प्रकार के होते थे, ग्रामतक्ष, जो गांव में अपने ग्रामक के घर जाकर रोजाना मजूरी लेकर काम करते थे और कौटक्ष जो अपने घर पर ही रहकर काम करता था।^{६०}

वह स्वतंत्र शिल्पी था जो किसी का काम स्वीकार करके उसके हाथ बंधता नहीं था।⁶¹ एक जातक गाथा में किसी भ्रमणशील लोहार का प्रसंग आया है जो कहीं भी बुलाए जाने पर अपनी माथी साथ लेकर चलता था।⁶² शिल्पियों के अपने औंजार होते थे और कुछ मामलों में तो उन्हें निर्माण सामग्री प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी। हमें ऐसे ब्राह्मण बढ़ई का पता चलता है जो जंगल से लकड़ी लाता था और गाड़ियां बनाकर अपना जीविकोपार्जन करता था।⁶³ कुंभकारों के साथ भी यही बात रही होगी, जिसे मिट्टी और जलावन मुफ्त मिल जाते थे। बुनकरों और धातुकर्म करने वालों के साथ यह स्थिति नहीं थी। लेकिन वे शिल्पी जिन लोगों की सेवा करते थे, वे उनके मालिक नहीं होते थे, जैसी स्थिति ग्रीस और रोम में थी। वहां दासों से शिल्पी का काम लिया जाता था⁶⁴ जो अपने मालिक की सेवा करते थे। सामान्य रूप में शिल्पियों पर राज्य का नियंत्रण उन पर बेगार लगाने तक ही सीमित था। कर देने के बदले उन्हें महीने में एक दिन राजा का काम करना पड़ता था।⁶⁵ अन्यथा, धर्मशास्त्रों से मालूम पड़ता है कि जो शूद्र शिल्पियों और कारीगरों का काम करते थे, वे स्वतंत्र व्यक्ति थे। उनके लिए ये व्यवसाय तब विहित थे जब वे सेवा करके अपना जीवनयापन नहीं कर पाते थे।⁶⁶

लेकिन शूद्र समुदाय का अधिकांश संभवतया कृषि कार्यों में ही लगा रहता था। धर्मसूत्रों के अनुसार कृषि वैश्यों का विषय था,⁶⁷ जो स्वतंत्र किसान थे और उपज का एक हिस्सा राज्य को कर के रूप में चुकाते थे।⁶⁸ किंतु इस तथ्य से कि शूद्रों को जमीन की मालगुजारी नहीं चुकानी पड़ती थी, पता चलता है कि वे भूमिहीन मजदूर थे। आपस्तंब में कहा गया है कि शूद्र चरण पखार कर अपना गुजर बसर करते थे, अतः उन्हें करों से मुक्त कर दिया गया था।⁶⁹ इससे आभास होता है कि जो शूद्र दास नहीं थे, उन्हें कर चुकाना पड़ता था। पर इस विधिग्रंथ की एक पुरानी पाण्डुलिपि में पादावतेकाता शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है,⁷⁰ अतः अनुमान किया जाता है कि शूद्रों को कर से मुक्त बताने का औचित्य सिद्ध करने के अभिप्राय से उक्त शब्द बाद में सन्निविष्ट कर दिया गया है। सामान्यतया शूद्रों के पास कोई कर योग्य भूसंपत्ति नहीं थी, इसलिए अधिकांश लोगों को दूसरों की जमीन में काम करना पड़ता था। मद्धज्ञम निकाय के एक परिच्छेद में चारों वर्णों के उपार्जन का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह विषय सुस्पष्ट हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ब्राह्मण अपना जीवनयापन भिक्षा से, क्षत्रिय तीर-धनुष के प्रयोग से, वैश्य खेती, गृहस्थी और पशुपालन से तथा शूद्र हंसिया से फसल काटकर और उसे अपने कंधों पर बहंगा से ढोकर करता था।⁷¹

प्राचीन पालि ग्रंथों के अन्य प्रसंगों में, खेत पर काम करने वालों के रूप में

शूद्रों की तो नहीं, लेकिन दासों और कम्मकारों (भाड़े के मजदूर) की चर्चा है। इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं कि भूमिहीन शूद्रकम्मकर के रूप में काम करते थे। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि अधिकांश दास शूद्र वर्ण के थे। यह निष्कर्ष 'सुदो वा सुद दासो वा' वाक्यखण्ड से निकाला जा सकता है, जिसका प्रयोग बुद्धवेद ने प्रथम तीन वर्णों की गणना कराने के बाद शूद्र की स्थिति स्पष्ट करने की दृष्टि से किया था।⁷² 'सुद दासो वा' का अनुवाद किसी व्यक्ति का गुलाम करना गलत होगा।⁷³ यह महत्वपूर्ण वाक्यखण्ड समानाधिकरण का स्पष्ट उदाहरण है और इसका तात्पर्य है शूद्र, जो गुलाम हो। क्षत्रिय, ब्राह्मण और सेट्ठी को छोड़कर, जिन्हें अन्यत्र गुलामों का मालिक बताया गया है, यहां शूद्रों को कैसे गुलामों का मालिक बताया गया, इसकी कोई व्याख्या नहीं। अतएव ओल्डेनबर्ग ने ठीक ही यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रसंगाधीन विवरण शूद्र और दास में कोई अंतर नहीं करता है।⁷⁴ यह महत्वपूर्ण है कि शूद्र को दास के साथ मिलाने का प्रयास सबसे पहले प्राचीन पालिग्रंथ में किया गया था, न कि धर्मसूत्रों में, जिनसे यह निष्कर्ष परोक्ष रूप में ही निकाला जा सकता है। कहीं सौर्योत्तर काल में जाकर मनु ने स्पष्ट और जोरदार शब्दों में इस स्थिति का उल्लेख किया है।

दासता के बल शूद्र वर्ण के सदस्यों तक ही सीमित नहीं थी। यहां तक कि ग्रामभोजक (ग्राम मुखिया)⁷⁵, मन्त्रीगण⁷⁶, ब्राह्मण, क्षत्रिय और उच्चकुल में उत्पन्न लोग भी इस स्थिति में पहुंच जाते थे।⁷⁷ किसी भी हालत में ऐसे लोगों की संख्या अधिक नहीं रही होगी। अधिकांश दास मजदूर शूद्र वर्ण के होते थे।⁷⁸ ऋण, क्रय, अपनी स्वयं की इच्छा और भय से उत्पन्न दासता⁷⁹ की उम्मीद उच्च वर्णों की अपेक्षा निम्न वर्णों से ही अधिक की जा सकती है। उदाहरणार्थ, एक गाड़ीवान् की कन्या, इसिदासी, अपने पिता द्वारा कर्ज न चुकाए जाने के कारण एक व्यापारी द्वारा दासी के रूप में घर लाई गई थी।⁸⁰ किंतु जातकों में कहीं यह उल्लेख नहीं है कि दास युद्ध में बंदी बनाए गए, जिससे पता चलता है कि इस अवधि में दासों की संख्या कम थी।⁸¹

कुछ दासों, खासकर महिलाओं को घरेलू कार्यों में नियोजित किया जाता था⁸² और अन्य लोग कृषि कार्य में लगाए जाते थे। दास और भाड़े के मजदूर खेतों के छोटे छोटे टुकड़ों में भी काम करते थे,⁸³ किंतु प्रायः उन्हें बड़े बड़े भूखंडों में काम करना पड़ता था। उत्तर वैदिक युग में लोगों के पास उतनी ही जमीन थी जितनी वे अपने घर के सदस्यों की मेहनत से संभाल सकते थे। पर अब गंगा के निचले मैदानों में लोहे के फाल के उपयोग के कारण बड़े बड़े खेत कायम हुए। एक एक घर के पास इतनी अधिक जमीन आ गई जिसे वह अपनी मेहनत से नहीं जोत सकता था। इसलिए पहले पहल बुद्धकालीन युग में संपन्न घरों को खेती चलाने के लिए दासों और कम्मकरों की आवश्यकता पड़ी। प्राचीन पालि

ग्रंथों में कम से कम ऐसे दो उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है कि मगध में दो बड़े बड़े प्रक्षेत्र (फार्म) थे, जिनमें से हर एक का क्षेत्रफल एक हजार करीसा (चिल्डर्स के अनुसार 8,000 एकड़ के करीब) था।⁸⁴ एक अन्य कृषिक्षेत्र कासी में था, जिसकी जुताई पांच सौ हलों से होती थी।⁸⁵ इन सबके मालिक ब्राह्मण थे। एक ऐसा प्रसंग भी आया है जिसमें एक ग्राम व्यापारी ने शहर के एक सौदागर के पास पांच सौ हल जमा किए, जिससे प्रकट होता है कि या तो उसके पास बहुत बड़ी भूसंपदा थी या वह फाल खरीद कर गांवों में बेचा करता था।⁸⁶ हो सकता है कि पांच सौ या हजार रुड़ संख्याएं हों, किन्तु इनसे चकबंदी की प्रवृत्ति का पता तो चलता ही है। यह प्रवृत्ति तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, जब मौर्यकाल में कृषि को राज्य के नियंत्रण में ले लिया गया। स्पष्ट है कि बड़े बड़े प्रक्षेत्रों का काम पर्याप्त संख्या में दासों और कम्मकरों के बिना नहीं चल सकता था।

नियोजकों (मालिक) की तुलना में दासों और खेत मजदूरों की संख्या कितनी थी, इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। ऐटिका के मामले में भी, जहां आंकड़े मौजूद हैं, स्वतंत्र व्यक्ति और दास की आबादी के अनुपात के संबंध में मतभेद होना कठिन है।⁸⁷ भारत में आंकड़ों के अभाव के कारण इस संबंध में कोई निश्चित जानकारी पा सकना और भी कठिन है। बाद के एक सुत्त में कहा गया है कि वैसे लोग बहुत कम हैं जो दास या दासियों को ग्रहण नहीं करना चाहते।⁸⁸ ब्राह्मण,⁸⁹ ऋत्रिय⁹⁰ और सेठिन तथा गहपति⁹¹ दासों और मजदूरों को नियोजित करते थे; इससे यह ब्राह्मणीय सिद्धांत परिलक्षित होता है कि शूद्र तीन उच्च वर्णों की सेवा के लिए थे। धर्मसूत्रों के अनुसार ब्राह्मण एक दास को बदलकर दूसरा दास रख सकता था, किन्तु उसे बेच नहीं सकता था।⁹² इन बातों से पता चलता है कि दासता बड़े पैमाने पर प्रचलित थी, किन्तु किसी भी हालत में इसकी तुलना ऐटिका की स्थिति से नहीं की जा सकती है, जहां ई० पू० पांचवीं शताब्दी में दासों की संख्या कुल आबादी की एक तिहाई थी।⁹³

धर्मसूत्रों से शूद्र वर्ण के रहन सहन की स्थिति पर कुछ प्रकाश पड़ता है। गौतम ने कहा है कि शूद्र नौकर को चाहिए कि वह उच्च वर्ण के लोगों द्वारा उतार फेंके गए जूते, छाते, वस्त्र और चटाई का इस्तेमाल करे।⁹⁴ जातक कथा से भी यही स्थिति प्रकट होती है। इस कथा में बताया गया है कि चूहे द्वारा काटकर चिथड़े बनाए गए वस्त्र दासों और कम्मकरों के लिए होते थे।⁹⁵ गौतम ने तो यहां तक बताया है कि भोजन का उच्चिष्ठ (जूठन) शूद्र नौकरों के लिए रखा जाता था।⁹⁶ आपस्तंब धर्मसूत्र में छात्रों को यह उपदेश दिया गया है कि उनकी धाली में जो उच्चिष्ठ रह जाए उसे या तो किसी अदीक्षित आर्य के निकट अथवा अपने गुरु के शूद्र नौकर के निकट रख दें।⁹⁷ इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि

शूद्र नौकर को जूठन खाना पड़ता था। हिरण्यकेशिन् गृह्यसूत्र से भी यह बात सिद्ध है; उसमें कहा गया है कि छान्तों को अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद तीन दिन तक व्रत रखने की अवधि में अपना जूठन किसी शूद्र को नहीं खिलाना चाहिए।⁹⁸ पाणिनि ने भोजन के अवशेष, जो प्रायः घरेलू नौकरों को दिए जाते थे, के लिए विशेष पर्याय का निर्देश किया है।⁹⁹ विनय पिटक के एक परिच्छेद से हमें यह जानकारी मिलती है कि एक सौदागर की बीमार पत्नी ने अपने बमन में निकले हुए धी को संजो कर रखा कि दास या कम्मकर उसे अपने पांव में लेपेंगे या दीप में जलाएंगे।¹⁰⁰ यह भी लिखा हुआ है कि बुद्धदेव के नेतृत्व में चल रहे एक साधुसमाज के पीछे पीछे पांच सौ आदमी उनके जूठन खाने के उद्देश्य से जाते थे।¹⁰¹ इन तथ्यों से ज्ञात होता है कि अपने मालिकों का जूठन खाना शूद्र सेवकों के लिए कोई असामान्य बात नहीं थी।

आपस्तंब में यह उदात्त भावना व्यक्त की गई है कि लोगों को चाहिए कि वह अपने को, अपनी पत्नी और बच्चे को भले ही कम खाना खिलाएं, किंतु अपने साथ काम करने वाले दास के साथ वैसा न करें।¹⁰² लेकिन यह मानना कठिन है कि लोग इस सिद्धांत का पालन कड़ाई से करते होंगे। हाँ, इससे इतना पता चलता है कि कुछेक संभ्रांत परिवारों में दासों को भलीभांति खिलाया पिलाया जाता था और उनके प्रति सहानुभूति रखी जाती थी। हो सकता है कि दास और भाड़े के मजदूरों को भूखा नहीं रखा जाता हो, किंतु सामान्यतया उन्हें जो भोजन दिया जाता था वह उनके मालिक के भोजन की अपेक्षा अवश्य ही हीन कोटि का रहता था। एक ब्राह्मण साधु गर्व से कहता है कि उसके दास और नौकर भी भात और मांस खाते हैं, तथा काशी में बने वस्त्र और लेप का प्रयोग करते हैं,¹⁰³ जिससे पता चलता है कि आम तौर पर दासों और नौकरों को हीन कोटि का भोजन और कपड़ा दिया जाता था। बुद्धदेव ने भी ऐसी ही बात कही है कि दूसरों के घरों में तो दासों और कम्मकरों को खट्टी दलिया के साथ भात खिलाया जाता है किंतु पिता के घर में उन्हें भात, मांस और दूध खाने के लिए मिलता है।¹⁰⁴ दास को एक खास ढंग का भोजन दिया जाता था, यह बात दास परिभोग जैसे अपशब्द के बार बार प्रयोग से स्पष्ट होती है।¹⁰⁵ खट्टी दलिया मजूरी पर जीने वाले गरीबों का भोजन था।¹⁰⁶ एक जातक कथा में एक कुम्भकार द्वारा रखे गए भाड़े के मजदूर की चर्चा आई है, जो दिन भर चाक पर मिट्टी का सामान बनाने के बाद बदन में मिट्टी लगाए हुए ही तिनके के बोझ पर बैठता है और थोड़े से घोल में ज्वार की टिकियों को डुबा डुबाकर खाता है।¹⁰⁷

जातकों में सामान्य रूप में यह वर्णन आता है कि कामगारों को जो मजूरी मिलती थी उससे वे अपना जीवन निर्वाह बहुत कठिनाई से करते थे।¹⁰⁸ एक स्थल पर एक कामगार, जो बोधिसत्त्व है, इन शब्दों में अपने भाग्य को कोसता

है : 'मुझे मजूरी के रूप में एक मासक या आधा मासक मिलता है, जिससे मैं अपनी माँ का भरण-पोषण करने में असमर्थ हूँ।'¹⁰⁹ बताया गया है कि घसियारे की दैनिक आय दो मासक थी जो उसे बाजार में काटकर लाई गई धास के मूल्य के रूप में मिलती थी।¹¹⁰ इस काल में मासक प्रायः तब्बे का छिद्रित सिक्का होता था। प्राचीन पालि ग्रंथों की टीकाओं में उल्लिखित है कि मुद्रा की सरणि में इस सिक्के का स्थान इतना न्यून था कि इसका महत्व न गण्य सा था।¹¹¹ बाद के मासक का मूल्य रजत पण के सोलहवें भाग के बराबर था,¹¹² किंतु हम निश्चय-पूर्वक नहीं बता सकते कि मौर्य काल से पहले भी रजत पण के साथ इसका मूल्यांक यही था। इस अवधि में मासक का कुछ मूल्य तभी समझा जाता था, जब इसकी संख्या पांच हो,¹¹³ किंतु यह तुच्छ राशि भी मजदूरों को नहीं दी जाती थी। अतएव गंगमाल जातक की उस कथा से बहुत कुछ तथ्य निकालना संभव नहीं है।¹¹⁴ जिसमें पानी ढोने वाला एक मजदूर अपनी पत्नी के साथ शहर के एक त्योहार में भाग लेना चाहता है, जिसके लिए उसने केवल एक मासक जैसी छोटी रकम बचा रखी है और उस रकम का भी आधा उसकी पत्नी ने बचाकर दिया है। कथा का उपदेशात्मक भाग यह है कि जब बोद्धिसत्त राजा उदय पानी भरने वाले उस मजदूर की अपार संपत्ति देते हैं, तब भी वह आधा मासक जैसी अपनी उस नगण्य राशि को छोड़ने से इंकार करता है। अंत में उसे आधा राज्य मिलता है, किंतु वह इच्छा की विभीषिकाओं से अवगत हो जाता है और तिवर्ण प्राप्त करने के उद्देश्य से संन्यासी बन जाता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य आधा मासक से भी संतुष्ट रह सकता है, यद्यपि आदर्श तो यह होगा कि वह उस राशि के बिना भी काम चला ले। गाथा के अनुसार, 'इच्छा कम हो यही पर्याप्त नहीं है; अधिक इच्छा तो केवल कष्ट की जननी है।'¹¹⁵ सारांशतः फिक का अनुमान सही मालूम पड़ता है कि जातक कथाओं में वर्णित रोजहा मजदूरों की मजूरी उनके जीवननिर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं थी। भाड़े के मजदूर के रूप में काम करने वाले अधिकांश शूद्रों पर यह बात अच्छी तरह लागू हो सकती है।

सेवक समुदाय के विभिन्न उपवर्गों में बहुत अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। एक जैनग्रन्थ में दासों, नौकरों (पेस्स) और भारवाहक पणुओं को एक ही कोटि में रखा गया है।¹¹⁶ पालि ग्रंथों में दासों, पेस्सों और कम्मकरों की चर्चा बारंबार आई है।¹¹⁷ पेस्स संवादवाहक या पेयादा होते थे, या ऐसे नौकर जिन्हें छोटे-मोटे कार्यों के निष्पादन के लिए इधर-उधर भेजा जाता था। जैसा हम पहले देख चुके हैं, दासों और कम्मकरों को सौंपे गए काम¹¹⁸ या उनको दिए गए भोजन में कोई अंतर नहीं था।¹¹⁹ आगे बताया जाएगा कि यदि वे अपराध करते थे तो उन्हें समान ढंग की सजाएं दी जाती थीं। यह सिद्ध करने के लिए कोई तथ्य नहीं मिलता है कि समाज में भाड़े के मजदूर को घरेलू नौकरों से हीन समझा जाता

था।¹²⁰ प्रायः दासों और कम्मकरों के बीच का अंतर मालिक के साथ उनके संबंध के आधार पर निर्धारित किया जाता था। कम्मकरों की तुलना में दास अपने मालिक की संपत्ति समझा जाता था¹²¹ और उसे पैतृक संपत्ति मानकर उसका बट्टवारा भी किया जा सकता था।¹²² दासों की स्थिति सर्वथा गुलाम जैसी थी, यह उनके विभेदक चिह्न से प्रकट होता है। उनके सर के बाल मुड़े रहते थे और उसमें एक चोटी रहती थी।¹²³ एक स्थान पर तो दासों के साथ कम्मकरों को भी सेटिंग की संपत्ति माना गया है।¹²⁴ इससे पता चलता है कि भाड़े के मजदूरों को भी दास बनाने की प्रवृत्ति थी। एक जातक कथा में बताया गया है कि दास अपने मालिक के ही घर में रह जाते थे, किंतु कम्मकर संध्या होने पर अपने अपने निवासस्थान को छोड़ जाते थे।¹²⁵ स्पष्ट है कि भाड़े के मजदूर का जीवन कभी कभी दास से अधिक कठिन हो जाता था।¹²⁶ उसकी जीविका उतनी सुरक्षित नहीं समझी जाती थी, जितनी दासों या स्थाई घरेलू नौकरों की थी। गौतम ने नियम बनाया है कि यदि शूद्र काम करने में अक्षम हो जाए, तो वह जिस आर्य के संरक्षण में रहा हो उसे चाहिए कि उस शूद्र का भरण-पोषण करे।¹²⁷ किंतु इस सिद्धांत के अनुरूप व्यवहार नहीं किया जाता था, क्योंकि एक गाथा में बताया गया है कि लोग असमर्थ (जीर्णविस्था प्राप्त) नौकरों को हथिनी की तरह निष्कासित कर देते थे।¹²⁸

कम्मकर और भटक (मजदूर) में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है।¹²⁹ विनय पिटक में कम्मकर को भटक कहा गया है, जो आहतक है। पालि इंगलिश डिक्षणरी के निर्माताओं ने आहतक शब्द का अर्थ ‘पिटा हुआ’ किया है। इसका आशय यह हुआ कि कम्मकर ऐसा कार्यकर्ता है, जिसे पीटा जा सकता है। यह अर्थ आश्चर्यजनक लगता है और दास के बारे में भी इस तरह का उल्लेख नहीं हुआ है। प्रायः ‘आहतक’ शब्द को संस्कृत शब्द ‘आहत’ का समानार्थ नहीं माना गया है,¹³⁰ बल्कि उसे ‘आहृत’ शब्द से मिलाया गया है जिसका अर्थ होता है लिया हुआ, अधिहरण किया हुआ या लाया हुआ।¹³¹ इससे संकेत मिलता है कि कम्मकर अपने मालिक से विशेष रूप में संबद्ध रहते थे। मालिक के कब्जे में आने का कारण प्रायः यह होता था कि वे या तो उसका कर्ज अदा नहीं कर पाते थे या उसकी जमीन पर बसे होते थे। उनकी स्थिति अर्द्धदास जैसी थी जिसे कभी कभी संपत्ति भी समझ लिया जाता था। इस प्रकार ऐसे विचार के समर्थन में शायद ही कोई प्रमाण मिलता है कि मौर्यपूर्व काल में कम्मकर स्वतंत्र मजदूर थे जो अपने काम और मजदूरी के बारे में संविदा करते थे और विवाद उठ जाने पर उनकी मजूरी विशेषज्ञों द्वारा तय की जाती थी।¹³² इस विचार से भूतक की स्थिति अधिक स्पष्ट होती है, जिसके साथ उसका मालिक गुलाम जैसा बर्ताव नहीं करता था। भूतक की जीविका मजूरी, अर्थात् भूति पर चलती थी, जिसका

उल्लेख पाणिनि ने सेवा की मजूरी या केवल मजूरी के अर्थ में किया है।¹³³ मालूम पड़ता है कि भृतक को एक खास अवधि के लिए मजूरी पर रखा जाता था।¹³⁴ एक प्राचीन जैन ग्रंथ के अनुसार भृतक चार प्रकार के होते थे: (1) दिवसभयग, जो दैनिक मजूरी पर काम करते थे, (2) जात्तभयग जो यात्रा भर के लिए रखे जाते थे, (3) उच्चतभयग जो निर्णीत समय पर काम पूरा करने के ठेके पर नियोजित किए जाते थे, (4) कबालभयग (यथा, भूमि खोदने वाले) जिन्हें किए गए काम के अनुपात में भुगतान किया जाता था।¹³⁵ ठेके के मजदूर के रूप में कुछ शिल्पियों को भृतक नियुक्त किया गया होगा। बाद की एक जातक कथा में अनुबंधित दास (अन्तनो पुरिस), जिन्हें अपने मालिक के धान के खेत की रखवाली करने को कहा जाता था और भृतक जिसे उसी काम के लिए वेतन मिलता था और जो फसल नुकसान होने पर मुआवजा (प्रतिकर) चुकाने का भागी होता था, के बीच विभेद किया गया है।¹³⁶ एक गाथा में बताया गया है कि पुरिस को हमेशा वैसे व्यक्ति के हित का काम करना चाहिए, जिसके घर में उसे भोजन मिलता है।¹³⁷ 'दासकम्मकरपोरिस' वाक्य खंड से बोध होता है कि अनुबंधित दास या तो भाड़े के मजदूर के रूप में कार्य करते थे या गुलाम के रूप में, और इन विभिन्न प्रकार के मजदूरों में बहुत अंतर नहीं था।¹³⁸

मालिक और मजदूरों के पारस्परिक संबंध स्थिर करने वाले नियमों से हमें शूद्रों की आर्थिक स्थिति का कुछ आभास मिल सकता है। मौर्यों के पहले की अर्थव्यवस्था मूलतया कृषिप्रधान और पशुचारी थी। जमीन और पशुओं के असमान बंटवारे के कारण कुछ लोगों के पास जोत की जमीन अधिक थी, और इसके लिए उन्हें मजदूरों की जरूरत थी। इस प्रकार बड़े गृहपतियों के पास पशु भी बहुत अधिक थे, जिनके लिए उन्हें चरवाहे की जरूरत थी। ऐसी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पहलेपहल मालिक और उसके कृषि मजदूर तथा चरवाहों के संबंध के विषय में कानून बने। आपस्तंब में कहा गया है कि यदि खेतिहर मजदूर काम छोड़ दे तो उसे शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए।¹³⁹ इसी प्रकार के दंड का विधान उस चरवाहे के लिए भी किया गया है, जो पशुओं को पालना छोड़ दे।¹⁴⁰ इस विधान में यह भी व्यवस्था है कि ऐसी स्थिति आने पर मवेशी किसी दूसरे चरवाहे को दे दिए जाएं।¹⁴¹ यदि चरवाहे की लापरवाही से मवेशी को नुकसान पहुंचे तो इसके लिए वह जिम्मेदार ठहराया जाएगा।¹⁴² गौतम ने इन प्रावधानों का कोई उल्लेख नहीं किया है, किन्तु उनके नियमानुसार यदि किसी व्यक्ति के पशु से किसी को नुकसान पहुंचे तो, यथास्थिति, उसका चरवाहा अथवा स्वयं मालिक जवाबदेह होगा।¹⁴³ इनमें से किसी भी नियम बनाने वाले ने चरवाहे या कृषि मजदूरों के प्रति मालिक के दायित्व की चर्चा नहीं की है। इस प्रकार ये मजदूर अपने मालिकों की अपेक्षा अलाभकर स्थिति में थे।

९४ शूद्रों का प्राचीन इतिहास

धर्मसूत्रों द्वारा शूद्रों पर जो आर्थिक अशक्तताएं लादी गई हैं, वे शूद्रों की आर्थिक स्थिति पर और भी अधिक प्रकाश डालते हैं। राजा ने महीने में एक दिन की अनिवार्य सेवा प्रदान करने का जो भार शिल्पयों पर सौंप रखा था, उसकी भी चर्चा आई है। गौतम का कथन है कि कन्या के विवाह का खर्च वहन करने के लिए और शास्त्रविहित किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए कोई व्यक्ति शूद्र से छल या बल का प्रयोग करके स्पष्टा ले सकता है।¹⁴⁴ वैश्य, क्षत्रिय और प्रायः ब्राह्मण वर्ग के जो लोग, अपने अपने वर्ण धर्म और आचार से च्युत हों, उनके साथ भी सामाजिक हैसियत के क्रम से, इस तरह का व्यवहार किया जा सकता था। किंतु यह तभी किया जा सकता था, जब शूद्र उपलब्ध नहीं हों।¹⁴⁵ यह नियम जिसके अधीन उच्च वर्ग के लोगों को शूद्र वर्ण से एंठने की अनुमति दी गई है, किसी अन्य धर्मसूत्र में नहीं मिलता। हाँ, मनुस्मृति में इसके समानांतर व्यवस्था दिखाई पड़ती है।¹⁴⁶ हो सकता है कि इस तथ्य का समावेश बाद में किया गया हो जिससे ब्राह्मण मतावलंबियों की इस धारणा का आभास मिलता है कि शूद्र का भरपूर शोषण किया जाना चाहिए।

उत्तराधिकार विधि में शूद्र पत्नी से उत्पन्न पुत्र के हिस्से के बारे में विभेद-पूर्ण प्रावधान किए गए हैं। बौधायन के अनुसार विभिन्न वर्णों की पत्नियों से संतान रहने पर चार हिस्से ब्राह्मण को, तीन क्षत्रिय को, दो वैश्य को और एक शूद्र के बेटे को मिलेगा।¹⁴⁷ वसिष्ठ ने तो ऐसी स्थिति रहने पर मात्र तीन उच्च-वर्णों के पुत्रों को हिस्सा देने की व्यवस्था की है, और शूद्र पुत्र को छोड़ दिया है।¹⁴⁸ उन्होंने दूसरों के मत का उद्धरण दिया है, जिसमें बताया गया है कि शूद्र पुत्र परिवार का सदस्य माना जा सकता है किंतु उत्तराधिकारी नहीं।¹⁴⁹ यह ऐसा नियम है जिसे बौधायन ने¹⁵⁰ ऐसे निषाद तक ही सीमित रखा है, जिसका पिता ब्राह्मण और माता शूद्र हो।¹⁵¹ गौतम ने ब्राह्मण के शूद्रपुत्र को उत्तराधिकार से वंचित करने का समर्थन बड़े ही स्पष्ट और जोरदार शब्दों में किया है। उनका मत है कि यदि कोई ब्राह्मण निःसंतान मर जाए, और उसे शूद्र पत्नी से उत्पन्न पुत्र हो तो वह कितना भी आज्ञाकारी क्यों न हो, अपने मृत पिता की संपत्ति में से मात्र खोरिस योग्य राशि ही पाएगा।¹⁵² इससे प्रकट होता है कि धर्मसूत्र के लेखकों में से केवल बौधायन ने ब्राह्मण के शूद्र बेटे के लिए हिस्से का प्रबंध किया है, वसिष्ठ और गौतम तो इसके विरोधी ही रहे हैं। संभव है कि बौधायन में उदारता इसलिए रही हो कि उनका संबंध दक्षिण भारत से था, जहाँ ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहराई तक नहीं पहुंच पाई थीं। इतना ही नहीं, ऊपर जिन नियमों की चर्चा आई है उनसे पता चलता है कि वे केवल ब्राह्मण के शूद्रपुत्र के लिए थे। यह स्पष्ट नहीं होता कि उत्तराधिकार के ये नियम क्षत्रिय और वैश्य के शूद्रपुत्र पर भी लागू थे या नहीं, यद्यपि संभावना इसी बात की है कि वैसे ही नियम लागू

होंगे। इस तरह का कोई भी समर्थक साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर जाना जा सके कि ये नियम वस्तुतः किस रूप में लागू थे। जो भी हो, इन नियमों का प्रभाव बहुत कम शूद्रों पर ही पड़ा, क्योंकि उच्च वर्ण के लोगों के साथ शूद्र महिला के विवाह का प्रचलन बड़े पैमाने पर नहीं था।

मौर्य पूर्व काल में शूद्र की सामान्य आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने में सेवि वर्ग के रूप में उनकी विशेषता पर खास तौर से ध्यान देना होगा, जिसकी चर्चा प्रथमतः इस अवधि में स्पष्ट रूप में की गई है। सेवा कार्य के चलते इस वर्ण में सजातीयता का बोध हुआ, जो विजातीयता के भाव से प्रभावित थे। सेवि वर्ग के सदस्य के रूप में, वैश्य किसानों के साथ,¹⁵³ शूद्र मुख्य उत्पादकों का कार्य करते थे, जिससे समाज के विकास की नींव सुदृढ़ होती थी। कृषि मजदूरों के रूप में उन्होंने कोशल और मग्नियोग्य बनाने में सहायता पहुंचाई। इन क्षेत्रों के बारे में ग्रंथों¹⁵⁴ में बताया गया है कि वे छोटे और बड़े टुकड़ों में बंटे थे, जिनमें दास और मजदूर खेती करते थे। आगे चलकर हम पाएंगे कि कौटिल्य ने यह नीति निर्धारित की थी कि नई बस्तियों में परती जमीन को आबाद करने के लिए शूद्र मजदूर लगाए जाएं। इनके अतिरिक्त शिल्पियों के रूप में शूद्रों ने शिल्पविज्ञान के विकास में योगदान दिया, और बिक्री योग्य बहुत सी सामग्रियां बनाईं। इनके चलते कई नगर बस गए, जहां वाणिज्य और व्यापार होते थे।

किंतु उच्च वर्ण के लोग जो शूद्रों के नियोजक भी थे, जिस हंग का जीवन व्यतीत करते थे वैसा जीवन शूद्र नहीं बिता सकते थे। पालि ग्रंथों में खत्ति, ब्राह्मण और गहपति को महासाल¹⁵⁵ कहा गया है, जिससे प्रकट होता है कि दास, पेस्स, कम्मकर, पुरिस और भटक उतने सुखी नहीं थे। संभव है कुछ धनी शूद्र शिल्पी उन्नतिशील गहपति रहे हों किंतु उस समय की अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान थी और अधिकांश जमीन ब्राह्मणों, क्षत्रियों¹⁵⁶ तथा सेठियों¹⁵⁷ के कब्जे में थी। अतः अधिक शूद्रों को मजूरी पर ही जीवन बिताना पड़ता था, और इस मजूरी की दर तय करने में उनका कोई हाथ नहीं रहता था। कहा गया है कि सुखी किसान या हस्तशिल्पी जिनके पास अपनी जमीन थी,¹⁵⁸ काफी बड़ी संख्या में थे। यह बात वैश्य या गहपति वर्ग के संबंध में भले ही लागू होती हो, किंतु शूद्रों पर लागू नहीं होती, क्योंकि वे दूसरों के खेतों में काम करके अपना निवाहि करते थे। उनकी यह स्थिति केवल उनके जन्म के चलते नहीं, बल्कि गरीब परिवारों में जन्म लेने के चलते हुई थी। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के दावे को झुठलाने के लिए बोझों के तर्कसंग्रह में इस विषय पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है। कहा गया है कि यदि कोई शूद्र धनी बन जाए तो वह अपने सेवक के रूप में न केवल दूसरे शूद्र को बल्कि क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य को भी नियुक्त कर सकता है।¹⁵⁹ सामान्यतया

ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति की हीन सामाजिक अवस्था और उसकी संपन्न आर्थिक स्थिति के बीच असमानता तभी दूर की जा सकती है, जब समाज में उसे ऊंचा स्थान दिया जाए। बाद में ब्राह्मणों ने इस नीति का अनुसरण किया, और वे बाहरी शासकों को क्षत्रिय मानने लगे। इसलिए संभव है कि जो शूद्र सुखी संपन्न थे, उन्हें समाज में ऊंचा स्थान दे दिया गया हो।

उत्पादनकर्ता के रूप में शूद्रों की स्थिति तत्कालीन ग्रीक नगरों के दासों और गुलामों की स्थिति से मिलती जुलती है। सिद्धांततः, जिस प्रकार ग्रीक नागरिक अपनी गुलाम जनता से सेवा का दावा कर सकते थे, उसी प्रकार भारतीय द्विज और आर्य भी शूद्रों की श्रमशक्ति का दावा करते थे। समाज में श्रमशोषण की व्यवस्था को कायम करने के लिए प्राचीन ग्रीस में नागरिकता के आधार पर समाज का गठन किया गया। नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार सौंपे गए और अनागरिकों से, जिनमें दासों की संख्या अधिक थी, ये सारे अधिकार छीन लिए गए। वे केवल अपनी श्रमशक्ति से नागरिकों की सेवा करते थे। इस प्रकार एक तरह से शूद्रों की तुलना यूनान के दासों से की जा सकती है। किंतु कई दृष्टियों से शूद्रों की आर्थिक स्थिति भिन्न थी। न तो शूद्र कृपि मजदूर और न शूद्र शिल्पी उस रूप में अपने मालिकों की कृपा पर पूर्णतया निर्भर थे, जिस रूप में ग्रीक और रोम के दास अपने मालिकों पर निर्भर रहते थे। शूद्र के पास संपत्ति थी और यह स्थिति ग्रीस के दासों की स्थिति से भिन्न थी।¹⁰⁰ संपत्ति इतनी अधिक नहीं थी कि उस पर कर लगाया जाए, फिर भी, उस पर कुछ दायित्व तो रहता ही था। कानून के द्वारा उस पर यह दायित्व आरोपित किया गया था कि यदि उसका मालिक, जो उच्च वर्ग का होता था, दुर्दिन में पड़ जाए तो वह अपनी बचत से उसका भरण पोषण करे।¹⁰¹ यह भी निर्धारित किया गया था कि वैश्य और शूद्र को चाहिए कि अपनी संपत्ति से मालिक के दुख दूर करे।¹⁰² 'दासभोग' शब्द का प्रयोग बताता है कि दास भी संपत्ति के मालिक होते थे,¹⁰³ हालांकि संपत्ति रखने के लिए उनके मालिक की सम्मति अपेक्षित रही होगी। प्रायः इन्हीं विभेदों के चलते वर्णव्यवस्था, जो श्रम के मुख्य स्रोत के रूप में शूद्र वर्ग पर ही प्रधानतया निर्भर थी, दासता की अपेक्षा उत्पादन का बहुत ही उपयोगी साधन साबित हुई। यद्यपि यह व्यवस्था ग्रीस की आबादी और क्षेत्र की अपेक्षा अधिक विशाल क्षेत्र और जनसंख्या में प्रचलित थी, फिर भी यह कभी आवश्यक नहीं मालूम पड़ा कि शूद्रों से उन्हीं स्थितियों में काम कराया जाए, जिनमें दास या गुलाम काम करते थे।

इस काल में शूद्रों की राजनीतिक और कानूनी स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति के प्रतिरूप मालूम पड़ती है। उत्तरवैदिककालीन राज्यव्यवस्था में उनका स्थान महत्वपूर्ण था, लेकिन अब राजनीतिक संगठन में उनका कोई स्थान नहीं रह गया।

आपस्तंब के अनुसार राजा गांवों और शहरों के प्रभारी अधिकारियों के रूप में केवल आर्यों, अर्थात् प्रथम तीन वर्णों के सदस्यों की ही नियुक्ति कर सकता था।¹⁶⁴ उनके अधीन काम करने वाले निचली पंक्ति के अधिकारियों के लिए भी उसी प्रकार की योग्यता अपेक्षित थी।¹⁶⁵

आपस्तंब में कहा गया है कि राजा का दरबार शुद्ध और विश्वासी आर्यों से सुशोभित रहना चाहिए जो राजा के पार्षद और न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे।¹⁶⁶ इन प्रसंगों में आर्य शब्द का अर्थ माना गया है प्रथम तीन वर्णों का सदस्य, और यह ठीक भी है।¹⁶⁷ किसी भी शूद्र को मात्र इस अर्थ में आर्य समझा जाता था कि वह पुनः जन्म ले सकता है।¹⁶⁸ किंतु यह सोचना गलत है कि इस काल में भी आर्य शब्द का प्रयोग जातीय भेदभाव का संकेत करता है।¹⁶⁹ यही कारण है कि पाणिनि¹⁷⁰ में आर्य कृत शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप में ऐसा व्यक्ति किया गया है जो मुक्त कर दिया गया हो।¹⁷¹ एक बौद्ध ग्रंथ में उल्लिखित है कि काम्बोजों और यवनों के बीच आर्य दास और दास आर्य बन जाते हैं।¹⁷² इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि दास गुलाम की स्थिति में थे और उनकी तुलना में आर्य स्वतंत्र थे। इसलिए आर्य और शूद्र में राजनीतिक विभेद उसी प्रकार का मालूम पड़ता है जैसा ग्रीस और रोम में नागरिकों और उनसे भिन्न लोगों के बीच व्याप्त था। चूंकि शूद्र को पराधीन माना जाता था इसलिए ऐसे प्रशासन संबंधी कार्य में लगाना उचित नहीं समझा गया। इससे प्रकट होता है कि उस समय में निम्न वर्ग के लोगों का राजकाज में कोई प्रभाव नहीं था। एक जैन ग्रंथ में ऐसे विभिन्न कोटियों के क्षत्रियों और ब्राह्मणों का उल्लेख हुआ है जो राजा की सभा में भाग लेते थे, किंतु उसमें गहपतियों (अर्थात् वैश्यों) या शूद्रों की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है।¹⁷³ यद्यपि पालि ग्रंथों के अनुसार सेटिठियों को प्रशासन संबंधी कुछ कार्य दिए गए होंगे, क्योंकि वे राजा से सेटिठित पाते थे,¹⁷⁴ फिर भी ऐसा जान पड़ता है कि वैश्यों को भी सामान्यतया पार्षद नियुक्त नहीं किया जाता होगा। एक जातक कथा से हमें यह जानकारी मिलती है कि एक दर्जी के वेटे को भांडागारिक नियुक्त किया गया था,¹⁷⁵ किंतु ऐसे दृष्टांत तो बहुत कम ही मिलते हैं।

कहा जाता है कि इस काल के अत्यंत शक्तिसंपन्न राजवंशों में से एक वंश शूद्र उत्पत्ति का था और शूद्रों ने निचली गंगा घाटी में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त कर रखी थी।¹⁷⁶ ये विवरण केवल इसी हृद तक वास्तविक माने जा सकते हैं कि ये नंद शासकों को हीन कुल का बताते हैं। उनका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि राजनीतिक सत्ता शूद्र समुदाय के हाथ में चली गई, क्योंकि कोई भी ऐसे तथ्य नहीं हैं, जो प्रमाणित कर सकें कि नंद वंश के उत्थान से शूद्रों की राजनीतिक अशक्तताएं समाप्त हो गईं।

जहाँ तक इस काल के गणतंत्रीय शासन में उनकी भूमिका का प्रश्न है, यह ठीक ही बताया गया है कि 'संघरण की शासिका सभा पर क्षत्रिय अभिजात वर्ग का दबदबा था और इसे समाज में ब्राह्मणों और गृहपतियों से भी उच्च स्थान प्राप्त था, फिर निम्नवर्गीय लोगों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं।'¹⁷⁷ गौतम धर्म-सूत्र के एक परिच्छेद के आधार पर जायसवाल ने बताया है कि शूद्र (नगर या राजधानी के) पौर का सदस्य हो सकता था। यह ऐसा निकाय होता था जिससे राजा परामर्श लेता था।¹⁷⁸ यदि हम यह मान लें कि पौर एक निगमित निकाय था, तो शूद्र के संबंध में जायसवाल के विचार की मस्करिन् की टीका से पुष्ट नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पौर की व्याख्या 'समानस्थानवासी' (एक जगह रहने वाले) के रूप में की है।¹⁷⁹

जहाँ तक विधि न्यायालयों में गवाहों के रूप में उपस्थित होने का प्रश्न है, बौद्धायन ने कुछ अपवादों को छोड़कर सभी वर्णों के सदस्यों को यह विशेषाधिकार दिया है।¹⁸⁰ उन्होंने उच्च वर्णों के विरुद्ध चल रहे मुकदमे में गवाही देने से शूद्र को वंचित नहीं किया है। यह ऐसा उपबंध है जो वसिष्ठ के विधि ग्रंथ में भी दिखाई पड़ता है।¹⁸¹ गौतम ने बताया है कि शूद्रों को गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है, पर टीकाकारों की राय है कि ऐसा तभी हो सकता था जब अपेक्षित योग्यता वाले द्विज उपलब्ध न हों।¹⁸² यह स्पष्ट नहीं कि इसका संबंध द्विज के मुकदमों में इनकी गवाही से है या उनके अपने मुकदमे में। प्रायः इसका संबंध पूर्ववर्ती स्थिति से है। किंतु वसिष्ठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक ही वर्ण के द्विज अपने वर्ण के लिए, भद्र शूद्र भद्र शूद्रों के लिए, और निम्न कुल में उत्पन्न लोग वैसे ही लोगों के लिए गवाही दे सकते हैं।¹⁸³ भद्र शूद्र वे लोग थे जो अपने कर्तव्यों के संबंध में ब्राह्मण ग्रंथों के उपदेशों का अनुसरण कड़ाई से करते थे। इससे पता चलता है कि भद्र शूद्रों के मुकदमे में अभद्र शूद्रों को गवाही के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। इस प्रकार धर्मसूत्रों के बाद के लेखक, अर्थात् गौतम और वसिष्ठ में यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि उच्च वर्णों के मुकदमे में शूद्र को गवाह नहीं रखा जाए। यह पता लगाने का कोई साधन नहीं कि इस प्रकार का भेदभाव रखा जाता था, किंतु यह वर्ण विधान की भावनाओं के अनुकूल है जिससे धर्मसूत्र भी प्रभावित थे। फिर भी, यह ध्यान देने योग्य है कि इस काल में ग्रीस में दासों के बयान के लिए उनके तलबों पर बेंत लगाकर और अन्य यातनाएं देकर प्रश्न पूछे जाते थे।¹⁸⁴ धर्मसूत्रों में अपराध स्वीकार कराने के लिए ऐसे निष्ठुर कार्य विहित नहीं किए गए हैं।

गौतम ने बताया है कि विभिन्न जातियों के सदस्यों और कृषकों, व्यापारियों, वशुपालकों, महाजनों तथा शिल्पियों के संघ अपने अपने कार्य की व्यवस्था अपने रिवाजों के अनुसार करते थे, परंतु शर्त यह थी कि ऐसे रिवाज धर्मसंबंधी

नियमों का उल्लंघन न करते हों।¹⁸⁵ दूसरे शब्दों में, शूद्रों के बे वर्ग, जो शिल्पों या जातियों के आधार पर संघबद्ध थे, अपने आंतरिक कार्यों को संभालने के लिए निजी नियमों का अनुसरण कर सकते थे। किंतु जब अन्य वर्णों के सदस्यों के साथ उनका दीवानी या फौजदारी मामला अंतर्गत हो जाता था, तब वे कानूनी भेदभावों के गिरावर हो जाते थे। पहले बताया जा चुका है कि दीवानी कानून के अंतर्गत ब्राह्मण पिता का शूद्र पुत्र उत्तराधिकार के आधार पर या तो मामूली हिस्सा पाने अथवा कोई भी हिस्सा पाने का हकदार नहीं था।¹⁸⁶

फौजदारी मामलों में भी धर्मसूत्रों ने विहितः शूद्रों को समानता नहीं प्रदान की है। गौतम के विधान के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वैश्य को गाली दे तो उसे जुर्माना चुकाना पड़ेगा, किंतु यदि वह शूद्र को गाली दे तो उसे कोई भी सजा नहीं मिलेगी।¹⁸⁷ यदि शूद्र किसी द्विज की निंदा जानबूझ कर आपराधिक शब्दों में करे या उस पर आपराधिक ढंग से प्रहार करे तो वह उस अंग के विच्छेदन का भागी होता था जिससे उसने अपराध किया हो।¹⁸⁸ आपस्तंब में तो रुखे, साफ शब्दों में कहा है कि यदि शूद्र किसी आचारवान आर्य को गाली दे तो उसकी जीभ काट ली जाए।¹⁸⁹ संभ्रांत लोगों को गालियां देने और झूठ बोलने के पाप के लिए विहित किए गए प्रायशिचत में भी शूद्रों के प्रति भेदभाव रखा गया है। ऐसी स्थिति में शूद्र को सात दिन तक उपवास करने का विधान किया गया है,¹⁹⁰ जबकि प्रथम तीन वर्णों के सदस्यों को केवल दूध, तीखे मसाले और नमक से तीन दिनों तक परहेज करने को कहा गया है।¹⁹¹ अंत में आपस्तंब और गौतम धर्मसूत्र, दोनों ही ने विहित किया है कि यदि बातचीत करने में या बैठने, लेटने अथवा सङ्क पर बलने में शूद्र किसी द्विज की बराबरी करे तो उसे कोड़े से पीटा जाना चाहिए।¹⁹²

परस्त्रीगमन संबंधी विधियों में शूद्रों के लिए बहुत कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। आपस्तंब में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र किसी आर्य, अर्थात् प्रथम तीन वर्ण की किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसकी हत्या कर दी जानी चाहिए,¹⁹³ और यदि उस संभोग के फलस्वरूप कोई संतान उत्पन्न न हो तो प्रायशिचत करवा कर उस स्त्री को पवित्र बना लिया जा सकता है।¹⁹⁴ पर उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि यदि कोई आर्य किसी शूद्र स्त्री के साथ वैसा ही अपराध करे तो उसे निर्वासित कर देना चाहिए।¹⁹⁵ चोरी के मामले में गौतम के नियम के अधीन शूद्र के लिए मामूली जुर्माना विहित किया गया है, पर किसी उच्च वर्ण का अपराधी होने की दशा में जुमनि की राशि बढ़ा दी गई। इस प्रकार यदि किसी की संपत्ति चुराने के लिए शूद्र को संपत्ति का आठ गुना मूल्य चुकाना पड़ता था, तो ब्राह्मण के लिए चौसठ गुना चुकाना विहित था।¹⁹⁶ यद्यपि यह कहा जा सकता है कि शूद्र अधिक जुर्माना चुकाने में असमर्थ थे, फिर भी नियम में यह परिकल्पना

की गई है कि उच्च वर्णों के सदस्यों का आचरण भी उच्चे दर्जे का होना चाहिए और उनसे यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वे चोरी करेंगे। यह बात उस उपबंध के अनुकूल है, जिसमें विहित किया गया है कि जिस अधिकारी का प्रमुख कार्य चोरी से रक्षा करना हो, उसके पद पर केवल प्रथम तीन वर्णों के सदस्यों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए।¹⁰⁷

जहां तक इन आपराधिक कानूनों के लागू होने का प्रश्न है, मङ्ग्लम् निकाय के एक परिच्छेद में कहा गया है कि परस्तीगमन और चोरी के मामलों में अपराधी के लिए एक ही प्रकार का दंड विहित है, जाहे वह किसी भी वर्ण का कर्यों न हो।¹⁰⁸ अतः धर्मसूत्रों में इससे संबंधित विभेदक नियमों पर बहुत गंभीरता से विचार करना आवश्यक नहीं है। किंतु ब्राह्मणेतर प्रथों से प्रकट होता है कि अपराध करने वाले दासों, कम्मकरों और अन्य श्रमिक वर्गों को उनके मालिक शारीरिक दंड देते थे। पीटने के भी दो उदाहरण मिलते हैं, जो दासियों के संबंध में हैं।¹⁰⁹ एक में कार्य की उपेक्षा का अपराध है,²⁰⁰ और दूसरे में बताया गया है कि दासी ने अपनी मजूरी अपने मालिक को नहीं लौटाई।²⁰¹ यद्यपि एक ऐसे दास का वर्णन मिलता है जिसे दुलार प्यार मिलता था और लिखना तथा हृस्तशिल्प सीखने की अनुमति भी दी गई थी, फिर भी उसे निरंतर यह भय बना रहता था कि छोटी सी भी गलती होने पर वह पिटाई, कारावास, दागे जाने और दास का भोजन खाने का पात्र माना जा सकता है।²⁰²

शारीरिक दंड केवल दासों तक ही सीमित नहीं था, जो स्वाधीन नहीं थे। इनके साथ बौद्ध कथोपकथन में अधिकतर पेस्तों और कम्मकरों का वर्णन इस रूप में किया गया है कि वे कोड़ों की मार से पीड़ित और भयभीत होकर आंसू बहाते हुए राजा का काम करते थे।²⁰³ जैन प्रथ के एक ऐसे ही उदाहरण से हमें पता चलता है कि प्रेष्यों (द्रूत या नौकर) को छाड़ी मार मार कर काम करने के लिए कहा जाता था।²⁰⁴ जब निर्दोष कामगारों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था, तब अपराधियों की स्थिति कैसे अच्छी रही होगी? सूयगडम् के निम्नलिखित परिच्छेद का विषय ही यह है कि श्रमजीवियों के छोटे से छोटे अपराध के लिए भी उन्हें अत्यंत कठोर दंड दिए जाते थे, ‘कोई भी व्यक्ति (समय समय पर) घरेलू नौकरों, अर्थात् दास या द्रूत या वेतनभोगी नौकर या अधीनस्थ (भागिलभागिक)²⁰⁵ अथवा आश्रितों को छोटे मोटे अपराध के लिए भी कठोर दंड दे सकेगा, अर्थात् उसके बाल नोचेगा, उसे पीटेगा या लोहे के शिकंजों में और बेड़ियों में जकड़ देगा, काठ में उसके पांव ठोक देगा, उसे कारा में बंद कर देगा, उसके हाथ और पांव को कड़ी में जड़ देगा और उन्हें तोड़ देगा, उसके हाथ या पांव या कान या नाक या ओंठ या सिर अथवा चेहरे (?) को काट देगा,²⁰⁶ उसकी टांगें चीर देगा, आंखें और दांत निकाल लेगा, जीभ काट

लेगा, उसे रस्सी से लटका देगा, उसके ऊपर धोड़े दौड़ा देगा, चाक पर घुमा देगा, सूली पर चढ़ा देगा, उसे चीर देगा, उसके धावों पर तेजाब उड़े देगा, गंडासे से काट देगा, उसे सिंह की दुम से या सांड की दुम से बांध देगा, किसी जंगल में जला डालेगा, कौओं और गृदधों से उसकी बोटियां नोचवाएंगा, उसका खाना पीना बंद कर देगा, आजीवन कारावास में रख देगा तथा उसे ऊपर बताई गई किसी भी प्रकार की भीषण मृत्यु का शिकार बना देगा।²⁰⁷

उपर्युक्त अनुच्छेद व्यभिचारी व्यक्तियों के आचरण का वर्णन करता है, जो जैन धर्म के दायरे से बाहर थे, अतः हो सकता है कि बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हों। किंतु यह निःसंदेह बताता है कि मालिक न केवल अपने दासों को बल्कि अपने अधीन काम करने वाले विभिन्न कोटि के श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के क्रूर दंड देता था। इन सब बातों से पता चलता है कि वर्ग के जो व्यक्ति अपराध करते थे उन्हें शारीरिक दंड देना असामान्य बात नहीं थी। हाँ, शूद्र वर्ण के शिल्पियों को इस तरह नहीं सताया जाता था। ग्रीस में भी दासों को अपने छोटे मोटे अपराध के लिए शारीरिक दंड भोगना पड़ता था, जबकि उनसे भिन्न व्यक्तियों के प्रति ऐसे अमर्यादित व्यवहार नहीं किए जाते थे।²⁰⁸

सर्वप्रथम धर्मसूक्त विधि में ही विभिन्न वर्णों के लिए वैरदेय (हत्या करने के बदले हजारिना) की विभिन्न दरें निर्धारित की गई हैं, यद्यपि वैदिक काल में ऐसा विभेद नहीं किया गया है। इनमें से तीन वैरदेयों में कहा गया है कि क्षत्रिय का वध करने पर अपराधी को एक हजार गायें देनी होती और किसी शूद्र का वध करने के लिए केवल दस गायें देनी पड़ती, किंतु गायों के साथ सांड़ हर हालत में दिया जाएगा।²⁰⁹ बौधायन का मत है कि यह वैरदेय राजा को मिलेगा,²¹⁰ किंतु आपस्तंब राजा के बदले ब्राह्मण का पक्ष लेता है।²¹¹ किसी भी हालत में यह मारे गए व्यक्ति के संबंधी को नहीं मिलेगा। हत्याजन्य पाप के प्रायशिचत के रूप में भी मारे गए व्यक्ति के वर्ण के अनुसार अंतर था। गौतम के मतानुसार क्षत्रिय की हत्या करने के लिए अपराधी को छः वर्षों तक, वैश्य की हत्या के लिए तीन वर्षों तक और शूद्र की हत्या के लिए एक वर्ष तक इन्द्रिय निग्रह (ब्रह्मचर्य) का व्रत धारण करना चाहिए।²¹² किंतु वसिष्ठ ने प्रायशिचत की इस निरोधावधि को वैश्य की हत्या की दशा में तीन वर्ष द्वारा तथा क्षत्रिय या शूद्र की हत्या की दशा में दो वर्ष द्वारा बढ़ा दी।²¹³ किंतु सामविधान ब्राह्मण में, जिसे बर्नेल इस अवधि की रचना मानते हैं,²¹⁴ यद्यपि प्रथम तीन वर्णों के सदस्यों की हत्या के लिए समान प्रायशिचत विहित किया गया है, फिर भी शूद्र की हत्या के लिए निर्धारित प्रायशिचत भिन्न ढंग का है।²¹⁵ इससे पता चलता है कि वैरदेय के बारे में पहले शूद्रों और 'त्रैवर्णिकों' में विभेद किया गया। बाद में इसे पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया गया और भिन्न भिन्न वर्णों के सदस्यों की हत्या के लिए जुमनि की अलगा

अलग दरें विहित की गईं। अधिकांश धर्मसूत्रों में जो वैरदेय के नियम पाए जाते हैं उनका कुछ आधार अवश्य होगा। वर्ग के अनुसार वैरदेय की अलग अलग दरें न केवल प्रवर्ती समाजों में बल्कि सुप्रसिद्ध हम्मुरबी संहिता में भी पाई जाती हैं। किंतु शूद्र के मामले में इस विधि का अनुपालन कहां तक और किन रीतियों से किया जाता था इसका अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस विषय पर न्यायालय के निर्णयों का अभाव है।

आधुनिक जनतांत्रिक विचार वालों को जो बात सर्वाधिक अणोभनीय और दुखद लगेगी, वह यह है कि आपस्तंब और बौद्धायन में शूद्र की हत्या करने के लिए वही प्रायश्चित निर्धारित है जो किसी राज्ञहंस, भास, मृग, ब्राह्मणी वत्त्व, प्रचलाक, कौवे, उल्लू, मेडक, छठूंदर, कुत्ते आदि की हत्या के लिए।²¹⁰ संभव है इस अतिवादी विचार को, जिसके अनुसार शूद्रों की जान को किसी जानवर या चिड़िया की जान के बराबर ही महत्व दिया गया है,²¹¹ सभी ने मान्यता न दी हो, क्योंकि उन्हीं विधि प्रवर्तकों के अनुसार शूद्र की हत्या करने का वैरदेय दस गायें और एक सांड है।²¹² किंतु इसमें संदेह नहीं कि आरंभिक ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र की जान को बहुत कम महत्व दिया गया है।

इस प्रकार वैदिककाल के पश्चात जनजातीय समाज के स्थान पर पूर्णतया वर्ण पर आधारित समाज के आ जाने से शूद्र वर्ण के सदस्यों का प्रशासन में कोई स्थान नहीं रह गया। संभवतया उन्हें सभी तरह के प्रशासकीय पदों से वंचित कर दिया गया और छोटे मोटे अपराधों के लिए भी शारीरिक दंड दिया जाने लगा। एक प्रकार से यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे साधारणतया जुर्माना नहीं चुका सकते थे। प्रायश्चित के नियम और दंडविधान के अनुसार शूद्रों के बारे में निर्धारित दंड वस्तुतः उच्च वर्णों द्वारा किए गए अपराधों के लिए विहित दंड के अनुपात में बहुत अधिक था। किंतु इससे कम से कम यह आभास तो मिलता है कि शूद्र को जान और जायदाद के अधिकार थे।²¹³ जिस प्रकार ग्रीस में दासों की हत्या दंड की संभावना के बिना की जाती थी, उस प्रकार शूद्र का वध नहीं किया जा सकता था।

मौर्यपूर्वकाल में शूद्र की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुए तथा उसकी दशा और भी बिगड़ गई। विधि प्रवर्तकों ने उस पुरानी मान्यता पर जोर दिया कि शूद्र की उत्पत्ति सृष्टिकर्ता के पांच से हुई है²¹⁴ और इस आधार पर उन्होंने संगति, आहार, विवाह और शिक्षा की दृष्टि से उस पर अनेक प्रकार की सामाजिक अशक्तताएं आरोपित कर दीं। इनके फलस्वरूप कई मामलों में तो उच्च वर्ण के लोगों ने आम तौर से और ब्राह्मणों ने खास तौर से शूद्रों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बौद्धायन ने यह विधान किया कि स्नातक को अछूत, स्त्री या शूद्र के साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए।²¹⁵ गौतम के एक परिच्छेद की टीका में कहा

गया है कि यहाँ स्नातक शब्द का आशय है ब्राह्मण या क्षत्रिय,²²² जिससे मालूम पड़ता है कि यह नियम वैश्य पर लागू नहीं था। फिर, सफलता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नियम यह था कि सफलता के इच्छुक छात्रों को महिला और शूद्र से बातचीत नहीं करनी चाहिए।²²³ शूद्र से भिन्न वर्ण की महिला (संभवतया उच्च वर्ण की) के शूद्रजात पुत्र (पतित) का साहचर्य अवांछनीय माना जाता था।²²⁴ इनका तात्पर्य स्पष्टतया यह था कि उच्च वर्णों के साथ शूद्र का सामाजिक संपर्क कम हो जाए। धर्मसूत्रों में ऐसी प्रवृत्ति सापक दिखाई पड़ती है कि ब्राह्मण और शूद्र का सामाजिक विभेद बढ़े। आपस्तंब और बौधायन का मत है कि यदि कोई शूद्र अतिथि के रूप में ब्राह्मण के घर आए तो उसे कुछ काम करने का भार सौंपता चाहिए और जब काम संपन्न हो जाए तब उसे भोजन देना चाहिए।²²⁵ ब्राह्मण न तो उसका सत्कार करे और न स्वयं खाना खिलाए, बल्कि ब्राह्मण का नौकर राजा के भंडार से चावल लाकर उसे भोजन कराए।²²⁶ गौतम का विचार है कि ब्राह्मणों ने जाति को, यज्ञ का अवसर छोड़ अन्यथा ब्राह्मण का अतिथि नहीं होना चाहिए,²²⁷ किंतु यज्ञ के अवसर पर भी वैश्य और शूद्र को ब्राह्मण का नौकर ही भोजन कराएगा।²²⁸ वैश्वदेव यज्ञ के अवसर पर यदि चंडाल, कुत्ते और कौवे भी यज्ञ समाप्ति के समय उपस्थित हो जाएं तो उन्हें भी कुछ अंश दिया जाएगा।²²⁹ मालूम पड़ता है कि इस यज्ञ में अनेकानेक देवताओं को नैवेद्य अपित किया जाता था जिससे इसका सांप्रदायिक और जनजातीय स्वरूप कुछ कुछ बना रहा और नए वर्णविभेद का उस पर बहुत असर नहीं पड़ा।

गौतम के मतानुसार यदि कोई शूद्र अस्सी वर्ष का बूढ़ा हो तो उस शहर के रहने वाले नौजवानों को उसके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए।²³⁰ इसका मतलब यह हुआ कि उसका आदर करने में उसकी आयु का सम्मान किया जाता था, न कि अन्य गुणों का। इसकी तुलना में शूद्र के लिए यह बाध्यकारी था कि वह आर्य का आदर करे, भले ही वह उम्र में उससे छोटा ही क्यों न हो।²³¹ धर्मसूत्रों में वर्ण के अनुसार वंदना और अभिवादन के जो स्वरूप निर्धारित किए गए हैं, उनसे प्रकट होता है कि समाज में शूद्र कितने पराधीन थे। आपस्तंब में बताया गया है कि ब्राह्मण अपनी दाहिनी बांह को अपने कान के समानोंतर, क्षत्रिय उसे अपनी छाती के स्तर तक, वैश्य अपनी कमर तक; और शूद्र उसे अपने पांव की सीध में रखकर अभिवादन करे।²³² विभिन्न वर्णों के लोगों के क्षेम कुशल और स्वास्थ्य के संबंध में जिज्ञासा करने के लिए भिन्न भिन्न शब्द विहित किए गए हैं। क्षत्रिय के स्वास्थ्य की जिज्ञासा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है 'अमानय' और शूद्र के लिए 'आरोग्य'।²³³ यह भी बताया गया है कि किसी क्षत्रिय अथवा वैश्य का अभिवादन करने में लोगों को केवल सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए, न कि उसके नाम का।²³⁴ इसका अर्थ हुआ कि मात्र शूद्र को उसके नाम से

संबोधित किया जा सकता था। इस संबोधन की दृष्टि से द्विज वर्गों की स्थिति बहुत अच्छी थी। प्राचीन पालि ग्रंथों में निम्न वर्गों के लोगों ने किसी क्षत्रिय को उसके नाम से या उत्तम पुरुष में संबोधित नहीं किया है।²³⁵ राजा उदय को गंगमाल हजार पारिवारिक नाम से संबोधित करता है, इस पर उसकी माँ बड़े रोष के साथ कहती है, इस नीच नापितपुत्र को अपनी स्थिति का इतना भी ज्ञान नहीं है कि वह मेरे बेटे को, जो पृथ्वी का मालिक है और क्षत्रिय जाति का है, ब्रह्मदत्त कहकर पुकारता है।²³⁶

यह विचार कि जिस भोजन को शूद्र ने छू दिया वह अपवित्र हो गया और ब्राह्मण उसे ग्रहण नहीं कर सकता, सबसे पहले धर्मसूत्रों में मिलता है। आपस्तंब के मतानुसार किसी अशुद्ध ब्राह्मण या उच्च वर्ण के व्यक्ति द्वारा स्पर्श किया गया भोजन अपवित्र तो हो जाता है, किंतु इतना अपवित्र नहीं कि उसे ग्रहण ही नहीं किया जा सके।²³⁷ लेकिन कोई अपवित्र शूद्र यदि उसे उठाकर लाए तो उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता है।²³⁸ यही स्थिति उस आहार की है जिस पर किसी कुत्ते या पतित अथवा चंडाल की कोटि के अपवाच की नजर पड़े।²³⁹ एक अन्य नियम में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र विहित विधियों का अनुसरण भी करे तो भी उसके द्वारा लाया गया भोजन ग्राह्य नहीं है।²⁴⁰ किंतु 'शूद्रबर्जम्' शब्द जिसका अर्थ यह किया जाता है कि शूद्रों का अन्न ग्रहण करना निषिद्ध है, पुरानी पांडुलिपि में नहीं मिलता है।²⁴¹ इससे पता चलता है कि पहले ऐसा विचार प्रचलित नहीं था, जब केवल अपवित्र शूद्र का अन्न ग्रहण करना वर्जित था। फिर भी, धर्मसूत्रों में निर्विवाद रूप से ब्राह्मणों को आदेश दिया गया है कि वे किसी शूद्र का अन्न ग्रहण नहीं करें।²⁴² हरदत्त की टीका वाले आपस्तंब धर्मसूत्र के एक अनुच्छेद²⁴³ में ब्राह्मण को अनुमति दी गई है कि नितांत अभावग्रस्तता की स्थिति में वह शूद्र का अन्न ग्रहण कर सकता है, किंतु शर्त यह है कि वह अन्न स्वर्ण और अग्नि को स्पर्श कराकर पवित्र बना लिया जाए और जैसे ही ब्राह्मण को कोई वैकल्पिक जीविका मिल जाए, वैसे ही वह शूद्र का अन्न ग्रहण करना छोड़ दे।²⁴⁴ गौतम ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है। उन्होंने जीवननिवाहि का साधन समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण को शूद्र का अन्न ग्रहण करने की अनुमति देते समय,²⁴⁵ यह छूट दी है कि वह पशुपालक, खेतिहर मजदूर, परिवार के परिचित व्यक्ति और सेवक से प्राप्त अन्न ग्रहण करे।²⁴⁶ किंतु गौतम उसे यह अनुमति नहीं देते हैं कि वह शूद्र के व्यवसायों को अपनाकर जीवननिवाहि करे।²⁴⁷ इतना ही नहीं, उन्होंने यह नियम भी बनाया है कि स्नातक (अर्थात्, हरदत्त के अनुसार, ब्राह्मण या क्षत्रिय)

को शूद्र का पानी तक नहीं पीना चाहिए।²⁴⁹ ऐसा नियम केवल गौतम ने ही बनाया है। कुछ मामलों में तो ब्राह्मण द्वारा शूद्र के अन्न के बहिष्कार संबंधी नियमों को धमकियों और प्रायशिच्त के आधार पर लागू कराया गया है। वसिष्ठ की दृष्टि में पूर्णतया योग्य ब्राह्मण वह है जिसके उद्दर में शूद्र का एक भी दाना नहीं गया हो।²⁵⁰ ऐसे नियम अनुसार स्वभावतया अपराधी ब्राह्मण यज्ञ का दान ग्रहण करने से बंचित कर दिया गया होगा, जो उसकी आय का मुख्य साधन था। उन्होंने यह भी धोषित किया है कि यदि किसी ब्राह्मण के पेट में शूद्र का दाना हो और वह मर जाए तो उसका जन्म या तो ग्राम शूकर के रूप में अथवा शूद्र के ही परिवार में होगा।²⁵¹ इतना ही नहीं, यदि कोई ब्राह्मण शूद्र के अन्न पर पला हो, तो वह नित्य वेद का पाठ और पूजा अर्चना क्यों न करे, उसे स्वर्ग नहीं मिल सकता। पुनः, यदि वह शूद्र का अन्न खाकर स्त्री से संभोग करे तो उसके पुत्र शूद्र जाति के होंगे और खुद उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकेगी।²⁵² बौद्धायन का मत है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शूद्र का अन्न ग्रहण करने या शूद्र स्त्रीगमन करने का अपराध करे तो उसके पाप का प्रायशिच्त एक सप्ताह तक प्रति दिन सात बार प्राणायाम करने से होगा।²⁵³ इसी कर्म के लिए उन्होंने ऐसे प्रायशिच्त की भी व्यवस्था की है कि प्रायशिच्त करने वाला उबाले हुए यव के दाने ग्रहण करने का समारोह आयोजित करे।²⁵⁴ किंतु ये प्रायशिच्त इस काल की वास्तविक स्थिति के द्वारा नहीं माने जा सकते। पहला प्रायशिच्त चतुर्थ प्रश्न में आया है जिसके बारे में एक मत यह है कि यह है० सन् की दसवीं शताब्दी का है,²⁵⁵ और दूसरे प्रायशिच्त का उल्लेख तृतीय प्रश्न में हुआ है जो बुहलर के मतानुसार मूल रचना में पीछे चलकर जोड़ दिया गया है।²⁵⁶

धर्मसूत्रों से यह धारणा बनती है कि सामान्यतया आदर्श ब्राह्मण शूद्र का अन्न,²⁵⁷ खासकर यदि शूद्र अपवित्र हो, नहीं ग्रहण करते थे। लेकिन इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए जिस प्रायशिच्त और धमकी का विधान है, वह बाद में सन्निविष्ट किया गया मालूम पड़ता है। ऐसा कोई विधान इस काल में संभवतया लागू नहीं था। यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय और वैश्य पर ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। वैश्वदेव यज्ञ के अवसर पर प्रथम तीन वर्णों के लोगों की देख रेख में शूद्र भोजन सामग्री तैयार करता था।²⁵⁸ रसोई करते समय उसे बिल्कुल साफ सुधरा रहना पड़ता था, ताकि भोजन दूषित न होने पाए। इस प्रयोजन के लिए उसे हर महीने के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के आठवें दिन अथवा पूर्णमासी या द्वितीया तिथि को अपने सर के बाल, दाढ़ी और शरीर पर के केश मुड़वाने पड़ते थे, और नाखून भी कटवाने पड़ते थे। इसके अलावा उसे अपने शरीर पर वस्त्र धारण किए हुए स्नान भी करना पड़ता था।²⁵⁹ सामान्यतया यह उपबंध किया गया था कि आर्य की नौकरी करने वाले शूद्रों को प्रति मास अपने बाल एवं नाखून

कटवाने चाहिए। बौधायन के विचार के अनुसार उनके पानी पीने का ढंग आर्यों के समान ही था।²⁶⁰ धार्मिक अनुष्ठान में अत्यधिक पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, लेकिन उसमें भी शूद्र को भोजन बनाने की अनुमति दी जा सकती थी। इससे पता चलता है कि उच्च वर्णों के लोग, जिसमें प्रायः ब्राह्मण सम्मिलित नहीं थे, सामान्यतया शूद्र द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करते थे। बाद की भी एक जातक कथा में रसोइया के व्यवसाय के बारे में कहा गया है कि यह व्यवसाय गुलामों और भाड़े के मजदूरों को करना चाहिए।²⁶¹ एक ऐसा दृष्टिरूप मिला है जिसमें एक क्षत्रिय पिता अपनी दासी पत्नी से उत्पन्न पुत्री के साथ खाने से परहेज करता है। किंतु यह परिच्छेद बाद के एक जातक की वर्तमान कथा में आता है,²⁶² अतः इसे उस कालावधि का नहीं माना जा सकता। जिन आदेशों के अधीन अपवित्र व्यक्ति द्वारा स्पर्श किया गया भोजन और खासकर उनके जूठन का संपर्क तक करना निषिद्ध था तथा जिनके अधीन नियमों के उल्लंघन के लिए दंड दिया जाता था, वे प्राचीन पालि ग्रंथों में देखे जा सकते हैं।²⁶³ किंतु उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे सिद्ध होता हो कि वे खासकर शूद्रों के लिए बताए गए थे। ऐसा प्रायः इस कारणवश हुआ था कि प्राचीन भारोपीय प्रथा के अनुसार कुल के सभी सदस्य विशेष अवसरों पर सहभोज का आयोजन करते थे,²⁶⁴ जिसका प्रभाव जनजातियों के वर्णों में विभक्त हो जाने के बाद भी बना रहा।

धर्मसूत्रों के वैवाहिक नियम वर्ण के आधार पर बने थे। विवाह के आठ प्रकारों का उल्लेख सर्वप्रथम इसी अवधि में मिलता है। इनमें से गांधर्व और पैशाच (प्रलोभन देकर किया गया विवाह, जिसमें सम्मति ध्वनित होती है) विवाह वैश्यों और शूद्रों के लिए विधिसंगत समझे जाते थे। बौधायन के अनुसार प्रथम कोटि का विवाह वैश्यों के लिए और द्वितीय कोटि का विवाह शूद्रों के लिए विहित था।²⁶⁵ इस विचार का औचित्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने बताया है कि चूंकि वैश्य और शूद्र कृषिकर्म और सेवा में व्यस्त रहते थे, इसलिए उनकी पत्नियां उनके नियन्त्रण में नहीं रह सकती थीं।²⁶⁶ इससे संकेत मिलता है कि निम्न वर्ण की महिलाओं को अपनी जीविका अर्जित करने के लिए नौकरी करनी पड़ती थीं, जिससे वे अपेक्षाकृत अपने अपने पतियों से स्वतंत्र रहती थीं। उच्च वर्णों की महिलाएं अपना जीविकोपार्जन करने में असमर्थ थीं, अतः उन्हें अधिक आश्रित बनकर रहना पड़ता था, किंतु समाज में उनकी मर्यादा अधिक थी।

वैवाहिक संबंध के स्थायित्व का विचार वर्ण की दृष्टि से किया जाता था। वसिष्ठ का मत है कि जितना ही ऊँचा वर्ण होगा, वैवाहिक जीवन उतना ही अधिक स्थाई होगा। इसी दृष्टि से विहित किया गया है कि यदि पति घर छोड़-कर चला जाए तो ब्राह्मण या क्षत्रिय की पत्नी जिसे संतान हो, पांच वर्ष तक प्रतीक्षा करेगी, वैश्य की पत्नी चार वर्ष तक और शूद्र की तीन वर्ष तक राह-

देखेगी। यदि उसे संतान नहीं हो तो ब्राह्मण की स्थिति में प्रतीक्षा की अवधि एक वर्ष घट जाएगी और क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की प्रतीक्षा अवधि दो दो वर्ष कम हो जाएगी।²⁶⁷ इसके फलस्वरूप शूद्र की पत्नी को केवल एक वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस तरह के नियम से पुनः यह अर्ध निकलता है कि निम्न वर्ग की स्थियां अपेक्षाकृत अधिक स्वाधीन होती थीं और उनका विवाह संबंध आसानी से विच्छेदन योग्य था।

किंतु उच्च वर्ण के पति अपनी शूद्र पत्नियों के प्रति समान बर्ताव नहीं करते थे। वसिष्ठ का कहना है कि काली जाति की शूद्र पत्नी को सुख संभोग के लिए रखेल रखा जा सकता है,²⁶⁸ पर उससे विवाह नहीं किया जा सकता।²⁶⁹ इसी ग्रंथ के एक परिच्छेद में यह अनुमति दी गई है कि आर्य शूद्र जाति की महिलाओं से विवाह कर सकता है, यदि उस विवाह में समुचित वेदमंत्रों का पाठ न किया जाए। किंतु स्वयं वसिष्ठ इसे वांछनीय नहीं मानते,²⁷⁰ क्योंकि इस तरह के विवाह से परिवार की मर्यादा का ह्रास होता है और मृत्यु के पश्चात उस व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता है।²⁷¹ आपस्तंब मतानुसार यह श्रेयस्कर नहीं कि कोई ब्राह्मण शूद्र महिला का संभोग करे या कृष्ण वर्ण के व्यक्ति की नौकरी करे।²⁷² आपस्तंब और बौद्धायन, दोनों ने ही ऐसे व्यक्तियों के लिए शुद्धिकरण संस्कार विहित किए हैं जिनका शूद्र वर्ण की महिला के साथ संबंध है।²⁷³ किंतु बौद्धायन धर्मसूत्र के ये दोनों परिच्छेद चतुर्थ प्रश्न में आए हैं, जो बाद में जोड़े गए हैं, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। अतः ऐसे प्रायशिच्चत इस काल पर लागू नहीं माने जाने चाहिए। यह विचार कि शूद्र पत्नी वर्जनीय है, वसिष्ठ के एक पूर्ववर्ती नियम के प्रतिकूल पड़ता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण तीन पत्नियां रख सकता है, क्षत्रिय दो, और वैश्य तथा शूद्र एक एक।²⁷⁴ इसके द्वारा प्रथम दो वर्णों के लोगों को स्पष्ट अनुमति मिली हुई है कि वे शूद्र स्त्री से नियमित रूप में विवाह कर सकते हैं। अतः संभव है कि यह विचार बाद में सन्निविष्ट हुआ हो कि शूद्र पत्नियां केवल सुख संभोग के लिए अंगीकृत की जाएं। यह भी स्पष्ट है कि कोई सुखी संपन्न व्यक्ति कई पत्नियों का निर्वाह कर सकता है। इस प्रकार उच्च वर्णों में जहां बहुविवाह का चलन उनकी आर्थिक संपन्नता का परिचायक है, वहां शूद्रों में एक विवाह की प्रथा²⁷⁵ उनकी आर्थिक विपन्नता सूचित करती है।

यद्यपि नीच जातियों की स्थियों से विवाह करने की अनुमति है, किंतु धर्मसूत्रों में इसके विपरीत क्रम के विवाह को बहुत हेय समझा गया है।²⁷⁶ गौतम का मत है कि यदि कोई शूद्र अपनी जाति से भिन्न किसी महिला से पुत्र उत्पन्न करे तो उसे पतित समझा जाएगा।²⁷⁷ इन्हीं विवाहों और संबंधों के कारण अधिकतर प्राचीन विधिग्रंथों में लगभग एक दर्जन मिथ्रित (वर्णसंकर) जातियों की उत्पत्ति का वृतांत दिया गया है। इस प्रकार क्षत्रिय वर्ण की स्त्री से शूद्र द्वारा

‘उत्पन्न संतान को ‘क्षतू’ कहा गया है और वैश्य जाति की स्त्री से उत्पन्न संतान को ‘मागध’ कहा गया है।²⁷⁸ ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न शूद्रपुत्र चंडाल माना गया है।²⁷⁹ गौतम के मतानुसार किसी शूद्र पत्नी से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र द्वारा उत्पन्न व्यक्ति क्रमशः ‘पारशव’, ‘यवन’, ‘करण’ और ‘शूद्र’ कहलाता है।²⁸⁰ किसी शूद्र पत्नी से उत्पन्न ब्राह्मण पुत्र ‘निषाद’ कहलाता है।²⁸¹ उसकी संतान, जो किसी शूद्र स्त्री से उत्पन्न हो, ‘युल्कस’ कहलाती है और निषाद जाति की स्त्री से किसी शूद्र द्वारा उत्पन्न पुत्र ‘कुक्कुटक’ कहलाता है।²⁸² क्षत्रिय शूद्र पत्नी के संयोग से उत्पन्न संतान ‘उग्र’ कहलाती है²⁸³ तथा वैश्य और शूद्र की संतति को रथकार माना गया है।²⁸⁴ जातियों की उपर्युक्त सूची बताती है कि धर्मसूत्रों के मतानुसार शूद्र और उच्च वर्णों के लोगों के बीच अनुलोम वर्णों के क्रम में और प्रतिलोम (वर्णक्रम के विपरीत) संबंधों को संकर जातियों के उद्भव का महान स्रोत माना गया है और इन्हीं में से अनेक को अछूत की श्रेणी में रखा गया है। किंतु इनमें से अधिकतर संकर जातियां पिछड़ी जनजाति की थीं जिन्हें मनमाने दंग से वर्णों से जैसे तैसे जोड़कर चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में मिला लिया गया था।²⁸⁵ इतना ही नहीं, ऐसी व्याख्याओं के कारण कालक्रम से नई नई जातियां बनी होंगी, क्योंकि आधुनिक काल में भी ऐसा हुआ है।²⁸⁶

यद्यपि पूर्वकालीन गृह्यसूत्रों में कहीं भी शूद्रों को दीक्षासंस्कार से वंचित करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी आपस्तंब धर्मसूत्र से पता चलता है कि उसे उपनयन और वेदाध्ययन के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है।²⁸⁷ किसी शूद्र और खासकर चंडाल की उपस्थिति को वेदपाठ बंद कर देने का पर्याप्त कारण माना गया है।²⁸⁸ ऐसी स्थितियों को बौद्धायन और गौतम दोनों ही, सभी प्रकार के अध्ययन के लिए बाधक मानते हैं।²⁸⁹ गौतम तो यहां तक कहते हैं कि हमेशा एक ही शहर में नहीं पढ़ते रहना चाहिए।²⁹⁰ मस्करिन का ख्याल है कि यह ऐसे शहर के बारे में कहा गया होगा, जिसके निवासी मुख्यतया शूद्र हों।²⁹¹ केवल गौतम ने बताया है कि यदि कोई शूद्र वेद की ऋचाओं का पाठ करे तो उसकी जीभ काट ली जानी चाहिए और यदि वह उन ऋचाओं को स्मरण रखे तो उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिए जाने चाहिए।²⁹² इस तरह के भीषण दंड विधान में मनु की कट्टर मनोवृत्ति का आभास मिलता है; अतः यह सोचा जा सकता है कि इसे गौतम के विधि ग्रंथ में बाद में जोड़ दिया गया होगा।²⁹³ किंतु यह स्पष्ट है कि इस काल में भी शूद्र को वेद की शिक्षा देने का तीव्र विरोध किया जाता था।

आपस्तंब के एक परिच्छेद में शूद्र को वेद पढ़ाने का समर्थन किया गया है। जहां उन्होंने यह बताया है कि छात्र को चाहिए कि वेद पढ़ाने के लिए अपने गुरु को शुल्क दे, वहीं उनकी यह भी स्पष्ट अनुमति है कि गुरु (शिक्षक) सभी

परिस्थितियों में किसी उग्र अथवा किसी शूद्र से शुल्क ग्रहण कर सकता है।²⁰⁴ यह किसी प्राचीन स्थिति का परिचायक हो सकता है, जब शूद्र को वैदिक शिक्षा के लिए अनुमति प्राप्त थी। किन्तु आगे चलकर न केवल गौतम और वसिष्ठ ने, बल्कि स्वयं आपस्तंब ने भी उसे इस सुविधा से वंचित कर दिया। वेद विधि (धर्म) का स्रोत है, और वसिष्ठ का मत है कि शूद्र धर्मसंबंधी कोई भी विषय जानने का पात्र नहीं है।²⁰⁵ स्पष्ट है कि ऐसे विचार का आशय यह था कि शूद्रों को उस विधि से सर्वथा अपरिचित रखा जाए जिससे वे शासित होते थे।

आपस्तंब में कहा गया है कि स्त्रियां और शूद्र अधर्वेद के परिशिष्ट का अध्ययन कर सकते हैं।²⁰⁶ इसके अंतर्गत नृत्य, संगीत और दैनिक जीवन से संबंधित कला और विद्या है।²⁰⁷ गौतम के एक परिच्छेद की टीका करते हुए मस्करिन ने इसी तरह की शिक्षा का उल्लेख किया है। उन्होंने स्मृतियों से उद्धरण प्रस्तुत किए हैं जिनमें बताया गया है कि निषाद को हस्ति प्रशिक्षण (पीलवानी) की शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिए।²⁰⁸ इन सब का आशय यह हो सकता है कि शूद्रों को कला और शिल्प का प्रशिक्षण तो दिया जा सकता था, किंतु उन्हें वेद के अध्ययन से वंचित रखा गया था जो बहुत कुछ साहित्यिक शिक्षा के समान था। इस तरह धर्मसूत्रों ने शास्त्रीय शिक्षा जो द्विज वर्णों तक ही सीमित थी और शिल्पशिक्षा, जो शूद्रों के लिए अभिन्नत थी, इन दोनों को पृथक करने का प्रयास किया। यह भी उल्लेख किया गया है कि वेद अध्ययन से कृषिकर्म में बाधा पड़ती है और कृषिकर्म से वेद के अध्ययन में।²⁰⁹ स्वभावतया इस प्रकार के नियम से न केवल शूद्र बल्कि ऐसे वैश्य भी प्रभावित हुए जो स्वयं खेती गृहस्थी करते थे। हम यह नहीं जानते कि व्यवहार में यह नीति कहाँ तक सफल हुई। बाद के एक जातक से जानकारी मिलती है कि दो चंडालपुत्र तक्षशिला में शिक्षा पाने के लिए छद्म वेश धारण करके गए, किंतु जब उन्होंने असावधानी से अपनी बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया तो भेद खुल गया और उन्हें संस्था से निकाल दिया गया।²¹⁰ लेकिन अन्य जातक कथाओं से पता चलता है कि विद्यालयों में सौदागरों और दर्जियों²¹¹ तथा मछुओं के भी पुनर पढ़ते थे।²¹² इस प्रकार, इस काल में भी, शूद्र पूर्णतया शिक्षाप्राप्ति से वंचित नहीं थे।

धर्मसूत्रों में शूद्र के लिए वेद का अध्ययन निषिद्ध था, जिसके फलस्वरूप वे यज्ञों और धार्मिक कृत्यों में भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि इनमें केवल वैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता था। अश्वलायन गृह्यसूत्र के एक नियम²¹³ का अर्थ इस प्रकार किया गया है कि शूद्र मधुपर्क समारोह के अवसर पर होने वाले वेदमन्त्रों का पाठ सुन सकते थे।²¹⁴ इसी प्रकार जैमिनी ने एक प्राचीन गुरु बादरि का उद्धरण दिया है जिसमें कहा गया है कि चारों वर्णों के लोग वैदिक यज्ञ कर सकते हैं।²¹⁵ किन्तु उन्होंने बादरि के विचार का समर्थन नहीं किया है,²¹⁶ जिससे मालूम पड़ता है कि

वह भी उस मुग के कट्टर विचारों से प्रभावित थे। वैदिक यज्ञ के लिए शूद्र अग्नि-स्थापन नहीं कर सकता था।³⁰⁷ वह किसी संस्कार का अधिकारी नहीं था।³⁰⁸ वैदिक यज्ञ से उसका बहिष्कार इस सीमा तक कर दिया गया था कि कुछ धार्मिक कृत्यों में तो उसकी उपस्थिति वर्जित थी, और उसे देखना भी मना था।³⁰⁹ शूद्र सामान्यतया 'नमः' का उच्चारण भी नहीं कर सकता था।³¹⁰ इसका उच्चारण वह विशेष रूप से अनुमति मिलने पर ही कर सकता था।³¹¹ किंतु गौतम ने कुछ ऐसे क्रृषियों का उल्लेख किया है, जिन्होंने पाक यज्ञ (साधारण गृह्य कर्म) नाम से विदित कुछ छोटे छोटे यज्ञों की सूची बनाई है, जिनका संपादन शूद्र कर सकता है।³¹² बौद्धायन ने अन्य आचार्यों का भी उल्लेख किया है जिन्होंने कहा है कि जल में निमज्जन और स्नान सभी वर्णों के लिए विहित है, किंतु मार्जन (मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर पर पानी छिड़कना) के बल द्विज का कर्तव्य है।³¹³

यह तर्क दिया जाता है कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक समारोह और यज्ञों का संपादन नहीं करना शूद्र के लिए लाभकर ही था क्योंकि उनके संपादन के दायित्व से वह मुक्त था।³¹⁴ किंतु आधुनिक दृष्टि से जो बात उसके लिए लाभकर समझी जाती है वह उस काल के सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार अलाभकर थी, जिसके अनुसार यज्ञ न करने वाले लोगों को समाज में हेय समझा जाता था।³¹⁵

गौतम ने यह नियम बनाया है कि शूद्र अपनी पत्नी के संग रहेगा।³¹⁶ हरदत्त ने एक अन्य टीकाकार का उद्धरण दिया है जिसने इसका अर्थ किया है कि शूद्र के बल गृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत कर सकता है, छात्र, आश्रमवासी या तपस्वी के रूप में नहीं।³¹⁷ मालूम पड़ता है कि आगे चलकर ब्राह्मण के लिए सामान्यतया चार, क्षत्रिय के लिए तीन और वैश्य के लिए दो तथा शूद्र के लिए एक आश्रम विहित थे।³¹⁸ हो सकता है कि बराबर ऐसी स्थिति नहीं रही हो, किंतु शूद्र के साथ जो भेदभाव रखा गया वह संगत ही मालूम पड़ता है, क्योंकि यह कार्य ऐसा था जिसे वह एक गृहवासी के रूप में ही संपन्न कर सकता था।

किंतु शूद्र को श्राद्ध कर्म की अनुमति थी।³¹⁹ लेकिन गौतम और वसिष्ठ ने विहित किया है कि किसी सर्पिड के जन्म या मरण से वह एक महीने तक अशौच में रहेगा।³²⁰ वसिष्ठ के मतानुसार ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य के लिए यह अवधि क्रमशः दस, पंद्रह और बीस दिन की होती है।³²¹ गौतम ने इस अवधि में से चार दिन क्षत्रिय के लिए और आठ दिन वैश्य के लिए घटा दिया है।³²² अशौच की सबसे लंबी अवधि को मानने के कारण शूद्र को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अपनी जीविका उपार्जित करने में असमर्थ होने के कारण उसे अपने महाजन या मालिक की कृपा पर निर्भर रहने को बाध्य होना

मङ्गता था। हाल में भी देखा गया है कि शूद्यु के कारण हुए अशौच की अवधि में गरीब शूद्र घर घर भीख मांगता था। किन्तु एक दृष्टि से उसकी स्थिति अच्छी थी, वह इतना अपवित्र नहीं समझा जाता था कि उच्च वर्णों का मुर्दा छूना उसके लिए वर्जित हो। वह ब्राह्मण के शव को भी शमशान घाट ले जा सकता था,³²³ और वहां चिता का स्पर्श कर सकता था।³²⁴

तीन उच्च वर्णों में से ब्राह्मण से यह आशा की जाती थी कि वह पूरी नियम निष्ठा से अपना धार्मिक कर्तव्य निभाएगा। बौधायन ने कहा है कि राजा को चाहिए कि जो ब्राह्मण प्राप्तः और सायंकाल संध्यावदन नहीं करे, उससे शूद्र का कार्य कराए।³²⁵ जो ब्राह्मण शारीरिक श्रमवाली जीविका अपनाएगा वह ब्राह्मणत्व खो बैठेगा। बौधायन का मत है कि जो ब्राह्मण पशुपालन करे, व्यापार करके जीविका चलाए, शिल्पी, अभिनेता, सेवक या सूदखोर का काम करे उसके साथ शूद्रवत्व व्यवहार किया जाना चाहिए।³²⁶ गौतम इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि यदि कोई आर्य किसी आर्येतर (अर्थात् शूद्र) व्यक्ति का व्यवसाय अपनाए तो वह उसी कोटि का बन जाएगा।³²⁷ इस परिच्छेद पर टिप्पणी करते हुए हरदत्त ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण होकर भी किसी आर्येतर व्यक्ति का पेशा अपनाए तो शूद्र को उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। उनका यह मत भी है कि जो शूद्र किसी आर्य का काम करे उससे आर्येतर व्यक्तियों का पेशा अपनाने वालों को घृणा नहीं करनी चाहिए। सामान्यतया ऐसी घृणा में कोई तथ्य तो नहीं दीख पड़ता, क्योंकि आर्यों का दर्जा ऊंचा था। फिर भी, ये नियम बताते हैं कि उच्च वर्णों के सदस्य, खासकर ब्राह्मण, शारीरिक श्रम संवंधी व्यवसायों के प्रति घृणा का भाव रखते थे और यही कारण था कि जब उन्हें शारीरिक श्रम करके अपनी जीविका चलाने के लिए बाध्य होना पड़ता था तब वे शूद्र समझे जाते थे।³²⁸ विनय पिटक में कृषि व्यापार और पशुपालन को उच्च कोटि का काम माना गया है।³²⁹ जाहिर है कि यह वैश्य के कर्मों का उल्लेख करता है। दूसरी ओर बढ़िई और भंगी का काम हीन कोटि का समझा जाता था।³³⁰ इसी ग्रन्थ में नलकार (बांस का काम करने वाला), कुंभकार, पेसकार (बुनकर), चम्मकार और नहापित (हज्जाम), पांचों के व्यवसाय को हीन कोटि का बताया गया है।³³¹ किन्तु एक स्थान पर बुनकर, नलकार, कुंभकार और हज्जाम के कार्य को सामान्य शिल्प की सूची में रखा गया है,³³² जिससे पता चलता है कि पांचवें व्यवसाय, अर्थात् चम्मकार के व्यवसाय को सभी लोग हेतु समझते थे।

इन शिल्पों को समाज में कैसा दर्जा मिला था, उसका अलग अलग आकलन करने पर प्रता चलता है कि सामान्यतया कुंभकार के कर्म को बुरा नहीं माना गया है।³³³ किन्तु एक जगह बुनकर (तंतवाय) के काम को हीन

कोटि का बताया गया है।³³⁴ मालूम पड़ता है कि हज्जाम भी उपहास का पात्र होता था।³³⁵ इस प्रकार यद्यपि उपाल नामक हज्जाम भिक्षु बन गया था, फिर भी भिक्षुणियाँ उसे ऐसे हीन कुल में उत्पन्न कहकर निदित करती थीं जिसका पेशा लोगों का सिर दबाना और गंदगी को साफ करना है।³³⁶ इनसे मालूम पड़ता है कि कुछ व्यवसायों को हीन कोटि का मानने की प्रवृत्ति प्रचलित थी। चूंकि ऐसे कार्य विभिन्न वर्ग के शूद्रों द्वारा किए जाते थे, इसलिए काल-क्रम में पूरे शूद्र वर्ण के पेशे को कलंकित किया जाने लगा। दीघ निकाय के एक परिच्छेद से यह बात स्पष्ट हो जाती है, जिसमें शूद्रों के कृत्यों का निर्धारण करने में 'लुदाचार खुदाचार ति' वाक्यखण्ड का प्रयोग किया गया है।³³⁷ इसका अर्थ यह हुआ कि शूद्र के हैं जो शिकार और अन्य हीन कर्म द्वारा जीवन निवाह करते हैं। एक जैन ग्रंथ में भी वृष्टल गृहदास (जन्मजात दास) और हीन कुल में उत्पन्न अधम व्यक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग उसी रूप में किया गया है जिस रूप में कुत्ता, चोर, डकैत, ठग, मब्कार आदि को द्रुतकारा जाता है।³³⁸

प्राचीन पालि ग्रंथों में पांच हीन जातियों, यथा चंडाल, नेसाद, वण, रथकार और पुकुकुस जातियों की चर्चा बार बार हुई है।³³⁹ उन्हें नीच कुल³⁴⁰ और हीन जाति³⁴¹ का बताया गया है। हीन व्यवसायों, कार्यों और जातियों की गणना मूलतः मौर्यपूर्वकाल की मानी जाती है, क्योंकि बुद्ध अपने भिक्षुओं को निदेश देते हैं कि वे भिक्षुओं की पूर्व जाति, सिप्प, कम्म आदि का हवाला देकर उन्हें अपमानित न करें और इस प्रकार उत्पन्न न करें।³⁴²

बौद्ध ग्रंथों की अनेक हीन जातियाँ ब्राह्मणकालीन समाज के अछूत वर्गों से मोटे तौर पर मिलती जुलती हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार चंडाल और पुकुकुस शूद्र वर्ण में सम्मिलित नहीं थे।³⁴³ किंतु धर्मसूत्रों ने उन्हें मिश्रित जातियों की सूची में रखा है, और इनमें शूद्र जातियों का खून मिला है। पातंजलि का कथन है कि पाणिनि ने चंडाल और मृतप (शवों की रखवाली करने वाला) को उन शूद्रों की कोटि में रखा है जो नगरों और गांवों से बाहर रहते थे, जिनका स्पर्श हो जाने से ब्राह्मणों का कांस्य पात्र सदा के लिए अपवित्र हो जाता था।³⁴⁴

मूलतः चंडाल आदिवासी प्रतीत होते हैं। यह उनकी बोली से ही स्पष्ट हो जाता है।³⁴⁵ एक जैन ग्रंथ में अन्य जनजातियों, अर्थात् शबर, द्रविड़, कलिंग, गौड और गांधारों के साथ उनका उल्लेख किया गया है।³⁴⁶ किंतु कालक्रम से चंडाल अछूत समझे जाने लगे। आपस्तंब का मत है कि चंडाल को छूना और देखना पाप है।³⁴⁷ किंतु यह परिच्छेद उसके धर्मसूत्र की पहले की दो पांडुलिपियों में नहीं मिलता,³⁴⁸ जिससे पता चलता है कि अस्पृश्यता प्रायः मौर्यपूर्व काल के अंत में आई। इसी प्रकार का एक उपबंध गौतम के परवर्ती ग्रंथ में मिलता है कि यदि

किसी चंडाल के स्पर्श से शरीर अपवित्र हो जाए, तो सभी वस्त्रों के साथ स्नान करके उसे पवित्र किया जा सकता है।³⁴⁹

पालि ग्रंथों में चंडालों को स्पष्टतया अछूत बताया गया है। बाद के एक जातक में चंडाल को अधमाधम कोटि का माना गया है।³⁵⁰ चंडाल का शरीर स्पर्श करके आने वाली हवा दूषित समझी जाती थी।³⁵¹ चंडाल पर दृष्टि पड़ना अपशकुन माना जाता था।³⁵² यही कारण है कि बनारस के एक सेटिंठ की लड़की चंडाल को देखने पर अपनी आंखें धोने लगती हैं, क्योंकि वे आंखें अधम व्यक्ति को देखने के कारण दूषित हो गई थीं।³⁵³ यदि चंडाल भोजन या पेय सामग्री को देख ले तो उसे ग्रहण करना चाहित था।³⁵⁴ अज्ञानवश भी उसका अन्न ग्रहण कर लेने पर लोगों को सामाजिक बहिष्कार का भागी बनना पड़ता था। कहा जाता है कि सोलह हजार ब्राह्मण अपनी जाति से इसलिए बहिष्कृत कर दिए गए कि उन्होंने अनजाने ऐसा अन्न ग्रहण किया जो शूद्र के जूठन के स्पर्श से दूषित हो गया था।³⁵⁵ ऐसे ब्राह्मण का भी वर्णन आया है जिसने खुख की पीड़ा में चंडाल का जूठा खा लिया और अपनी जाति के लोगों की निंदा से बचने के लिए आत्महत्या कर ली।³⁵⁶ एक जातक कथा में बताया गया है कि जब चंडाल शहर में प्रवेश करता है तब लोग उसे मार मारकर बेहोश कर देते हैं।³⁵⁷ इसी प्रकार की कथा बाद के जैन ग्रंथ में आई है। कहा गया है कि जब कामदेव की पूजा के अवसर पर बनारस के मातंग नेता के दो बेटे गायन और नर्तक दल को लेकर पहुंचे तो उच्च जाति के लोगों ने उन्हें लात और थप्पड़ से मारा और शहर से बाहर निकाल दिया।³⁵⁸ जो भी हो, जातक प्रसंगों से पता चलता है कि यद्यपि उच्च वर्णों के सभी लोग चंडालों को अस्पृश्य समझ कर धूणा करते थे, फिर भी ब्राह्मण उनसे विशेष नफरत करते थे।

जब ब्राह्मणप्रधान समाज में चंडालों को संभवतया शिकारी और बहेलिया होने के कारण स्थान मिला, तब उन्हें पशुओं और मनुष्यों का शब्द फेंकने का काम सौंपा गया। वे हमेशा शब्दों को हटाने और जलाने के काम³⁵⁹ से संबद्ध दीख पड़ते हैं।³⁶⁰ यह काम पण भी करते थे, जो चंडाल कहलाते थे।³⁶¹ चंडालों को कभी कभी सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए कहा जाता था।³⁶² धर्मसूत्रों में चंडाल को जलाद के रूप में चित्रित नहीं किया गया है, जो अपराधियों को फांसी पर चढ़ाता है। जातक में उसे अपराधी को कोड़ा मारने और उसका अंगविच्छेद करने वाला बताया गया है।³⁶³ कहा गया है कि जातक में जिस चोरघातक की चर्चा आई है, संभव है कि वह चंडाल हो।³⁶⁴ कुछ चंडाल बाजीगरी और कलावाजी का व्यवसाय करके अपनी जीविका चलाते थे।³⁶⁵ आज भी उत्तर भारत में पिछड़ी जाति के घुमकड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर यह पेश करते हैं। चंडाल दुखपूर्ण और गंदा जीवन व्यतीत करते थे। पालि ग्रंथ में दी गई-

एक उपमा से पता चलता है कि जब चंडाल के बच्चे कटा चिटा कपड़ा पहने हुए अपने हाथ में भिक्षापात्र लेकर गांव या शहर में प्रवेश करते हैं तब वे सिर क्षुकाए हुए आगे बढ़ते हैं।³⁰⁶ बाद के एक जातक से हमें मालूम होता है कि चंडाल के पास एक जोड़ा रंगीन वस्त्र (जो अन्य लोगों से उसका विभेद कर सके), एक कमरबंद, जीर्ण शीर्ण वस्त्र और एक मिट्टी का पाद्र रहता था।³⁰⁷

साधारण बोलचाल की भाषा में वह व्यक्ति चंडाल कहलाता था जिसमें कोई भी गुण न हो, जो धर्म और नैतिक चरित्र से विहीन हो।³⁰⁸ फिक ने ठीक ही कहा है कि जातकों से प्रकट होता है कि चंडालों का जो चिन्हण उन्होंने किया है, उसमें व्यवहार और सिद्धांत में बहुत अंतर नहीं है।³⁰⁹ किंतु यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि चंडालों के संबंध में अधिकांश प्रसंग बाद के जातकों में, खासकर चौथे छंड में आए हैं, अतः वे मौर्यपूर्व काल के अंत के अथवा उसके बाद के भी माने जा सकते हैं।

पुलक्स और पुक्कुस ऐसी आदिम जाति के मालूम पड़ते हैं जो शिकार करके या बांस की वस्तुएं बनाकर जीवनयापन करते थे,³¹⁰ किंतु धीरे धीरे उन्हें ब्राह्मण-कालीन समाज में खास खास ढंग के कार्यों के लिए रख लिया गया, यथा, मंदिर और राजमहल से फूलों को हटाना।³¹¹ फूल हटाने के लिए वे मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर सकते थे, जिससे पता चलता है कि वे चंडाल जैसे अधम नहीं माने जाते थे।

वैण एक दूसरी जनजाति थी जो शिकार और बांस का काम करके निर्वाह करती थी।³¹² एक परवर्ती जातक में वैणुकार या वेलुकार का वर्णन आया है जो बांस काटकर बोझा बनाने के लिए चाकू लेकर जंगल जाता है, ताकि उसका व्यापार कर सके।³¹³ धर्मसूत्रों में वैणों की भी उत्पत्ति का अन्वेषण किया गया है। बौद्धायन का मत है कि वैण वैदेहक पिता (वैश्य पिता और क्षत्रिय माता से उत्पन्न) और अंबष्ठ माता (ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न) की संतति था।³¹⁴ इस प्रकार चंडाल और पुलक्स की भाँति वैण में शूद्र का रक्तसंपर्क नहीं था। यद्यपि एक परवर्ती जातक में वैणी शब्द को चंडाल के साथ कोष्ठबद्ध किया गया है,³¹⁵ फिर भी कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे पता चले कि वैणों को चंडाल के समान अस्पृश्य समझा जाता था। विनय पिटक की टीका में स्पष्ट बताया गया है कि वैण के रूप में जन्म लेने का अर्थ हुआ बढ़ई (तच्छक) के रूप में जन्म लेना।³¹⁶ जब वैण और तक्षक शब्द समान अर्थबोधक हैं, तब यह बात विचित्र लगती है कि जिस तक्षक को वैदिक समाज में ऊंचा दर्जा गिला हुआ था, उसे बौद्ध ग्रंथों में अधम जाति की कोटि में दिखाया जाए।

बौद्ध ग्रंथों में रथकार को भी अधम जाति का माना गया है, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में उसकी सामाजिक हैसियत उच्च कोटि की ही रखी गई है। गृहसूत्र में

उसके उपनयन का भी उपबंध किया गया है।³⁷⁷ रीज डैविड्स का विचार है कि रथकार आदिम जाति के थे।³⁷⁸ यह सही नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि वैदिक काल में वे आर्य विश् के अंग थे। किंतु संभव है कि बाद में कुछ आदिम जातियां रथकारों की पंक्ति में मिला दी गई हों। परवर्ती जातक के एक अनुच्छेद³⁷⁹ के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि रथकार का ओहदा इसलिए गिर गया कि उसने चर्मकार का काम आरंभ कर दिया।³⁸⁰ किंतु रथकार भी राजा के रथ के पहिए बनाने में संलग्न रहता था।³⁸¹ इतना ही नहीं, यद्यपि चर्मकार का काम हीन कोटि का माना जाता था, फिर भी वह अधम जातियों की सूची में नहीं रखा गया था। बौद्ध ग्रंथों में रथकार को अधम जाति का मानने का एक कारण प्रायः यह था कि बौद्धों को युद्ध से घृणा थी और रथकार युद्ध के लिए रथों का निर्माण करते थे। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि वे चंडाल और पुक्कुस के स्तर तक नीचे नहीं गिरे थे।

बौद्धों ने हीन जातियों की जो सूची बनाई उसमें नेसादों को कैसे सम्मिलित किया गया, इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन नहीं है। यह धर्मसूत्रों में उनकी हीन स्थिति से मिलता जुलता है। वे लोग आर्यपूर्व जनजातियों में से थे, जो नाटे कद के होते थे। उनका रंग कोयले जैसा काला, अंखें लाल,³⁸² कपोल उभरे हुए, नाक चिपटी और बाल तांचे के रंग के थे।³⁸³ उनके संबंध में विचित्र परंपरा चली आ रही है कि वे बेण राजा के तन से उत्पन्न हुए थे,³⁸⁴ जिसने मुनियों पर बहुत अत्याचार किए। इससे अनुमान किया जा सकता है कि उन्होंने ब्राह्मणवाद के विकास का विरोध किया था। जब उन्हें ब्राह्मणप्रधान समाज में समाविष्ट कर लिया गया, तब भी निषाद मुख्यतया शिकारी ही बने रहे³⁸⁵ और अपने गांवों में निवास करते रहे।³⁸⁶ संभव है कि कुछ निषादों ने ब्राह्मणों के वर्ग में स्थान पा लिया हो। यद्यपि गोक्रों की किसी भी मानक सूची में निषाद गोक्र का उल्लेख नहीं है, फिर भी पाणिनि के गणपाठ³⁸⁷ में निषाद गोक्र की चर्चा हुई है। ऐसा तभी संभव हुआ होगा, जब आदिवासी पुरोहितों में से कुछ को ब्राह्मणों का दर्जा दे दिया गया होगा, या जब ब्राह्मण आदिम निवासियों के पुरोहितों के रूप में काम करने लगे होंगे।³⁸⁸ इतना तो स्पष्ट है कि इस काल में निषाद उस दर्जे से नीचे अवश्य आ गए थे, जो वैदिक समाज में उन्हें मिला था।

पालि ग्रंथों में उल्लिखित कुछ हीन जातियों, खासकर निषादों और चंडालों को तो अवश्य ही अछूत माना जाता था। सामूहिक रूप से अछूत अंत्य या बाह्य कहे जाते थे, अर्थात् वे लोग गांव या नगर के बाहर रहने वाले थे। गौतम ने अंत्य को पापिष्ठ माना है।³⁸⁹ वसिष्ठ ने भद्र शूद्रों और अंत्ययोनियों के बीच अंतर करते हुए बताया है कि अंत्ययोनि के लोग केवल अपने मुकदमे में गवाह बनकर उपस्थित हो सकते थे।³⁹⁰ आपस्तंब धर्मसूत्र में 'अंतः' शब्द का प्रयोग

चंडाल के प्रसंग में हुआ है और उसमें बताया गया है कि वह गांव के आखिरी छोर पर रहता था।³⁰¹ इसी संदर्भ में हरदत्त ने बाह्यों को, जिनके सामने वेद पाठ करना निषिद्ध था, उग्र और निषाद कहा है।³⁰² वसिष्ठ के मतानुसार अंतावसायिन् ऐसी जाति थी जिसकी उत्पत्ति शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से हुई थी।³⁰³ कहा गया है कि जो ब्राह्मण पिता अंतावसायिनों के साथ रहे या उस समुदाय की किसी स्त्री का संभोग करे, उसे जाति से बहिष्कृत कर देना चाहिए।³⁰⁴ साधारणतया अछूत गांवों और नगरों के छोर पर अथवा अपनी वस्तियों में रहते थे। उनका बिलगाव किन्हीं प्राचीन आर्य वस्तियों से जानबूझ कर बाहर निकाले जाने की नीति के फलस्वरूप नहीं हुआ था। मालूम पड़ता है कि आदिम जातियों के गांवों की पूरी आबादी को ब्राह्मणों ने अस्पृश्य घोषित कर दिया था।

धर्मसूत्रों में अस्पृश्यता की उत्पत्ति की जो व्याख्या की गई है, उसे स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें अस्पृश्य उसे कहा गया है जो विभिन्न जातियों से उत्पन्न हो। बताया गया है कि अधिकांश मामलों में अस्पृश्यों की उत्पत्ति बौद्ध समुदायों के सर्वथा विलग और परंपरारहित जीवन के परिणामस्वरूप हुई।³⁰⁵ किंतु यह विचार तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि यह सामाजिक तथ्य भौर्यपूर्व काल में प्रकट हुआ, जब बौद्ध धर्म का उद्भव और विकास हुआ। यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने गोमांस खाना जारी रखा, उन्हें अछूत करार दिया गया।³⁰⁶ हो सकता है कि इस कारण आगे चलकर उनकी संख्या बढ़ी हो, किंतु यह उनकी उत्पत्ति की व्याख्या नहीं मानी जा सकती, क्योंकि मात्र गौतम धर्मसूत्र³⁰⁷ को छोड़ कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, जिससे पता चलता हो कि इस युग में ब्राह्मण समाज में गोमांस खाना निषिद्ध था। यह भी तर्क दिया जाता है कि वृणा की जिस भावना से अस्पृश्यता का विकास हुआ, वह भारतीय आर्यों में मूलतया नहीं थी, बल्कि उसका प्रवेश द्रविड़ों के माध्यम से हुआ जिनके बीच दक्षिण में आज भी अस्पृश्यता की भावना प्रबल है।³⁰⁸ किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ब्राह्मणप्रधान समाज में द्रविड़ों के आत्मसात्करण के पहले, उनके द्वारा ब्राह्मणवाद के अंगीकार के पहले दक्षिण में अस्पृश्यता प्रचलित थी। इसके विपरीत दक्षिण के विधिवर्तक बौद्धायन ने तथा आपस्तम्ब ने आहार और स्पर्श के विषय में शूद्रों के प्रति उत्तना कट्टर दृष्टिकोण नहीं अपनाया है जितना धर्मसूत्रों के दो अन्य उत्तर क्षेत्रीय लेखकों ने अपनाया है। इसके अलावा पहले यह भी बताया गया है कि उच्च वर्ण के लोग, जो आर्य होने का दावा करते थे, किस प्रकार कुछ शिल्पों और व्यवसायों को हेय समझते थे। अंततः, यह निष्कर्ष निकलता है कि अस्पृश्यता की भावना का उद्भव कुछ व्यवसायों को अपवित्र मानने के सिद्धांत के आधार पर हुआ है।³⁰⁹ किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कुछ व्यवसाय क्यों अपवित्र माने जाएं?

अस्पृश्यता की उत्पत्ति का एक कारण आदिम जातियों का संस्कारहीन जीवन था, क्योंकि वे मुख्यतया शिकारी और बहेलिए के रूप में जीवन बिताते थे और उनकी तुलना में ब्राह्मण समाज के लोग धातुकर्म और कृषि का ज्ञान रखते थे तथा नगरजीवन का विकास कर रहे थे।¹⁰⁰ बौद्ध ग्रंथों में इन जातियों के हीन संस्कार और तज्जन्य उनकी दुरावस्था का वर्णन इन शब्दों में किया गया है : 'यदि वह मूढ़ इतनी लंबी अवधि के बाद मनुष्य की कोख में जन्म लेता भी है तो वह नीच जाति के घर जाता है, जैसे चंडाल, नेसाद, वेण, रथकार और पुक्कुस। इनका पुनर्जन्म घुमकड़ और अर्किचन के रूप में अभावग्रस्त जीवन बिताने के लिए होता है; इन्हें पेट भर भोजन और शरीर पर वस्त्र शायद ही मिल पाता है।'¹⁰¹ इससे पता चलता है कि इन अधम जातियों का जीवन बड़ा संकटमय था और उनकी हालत वैसे शूद्रों से कहीं बदतर थी जो दासों और कामकरों के रूप में नियोजित थे और जीविका की दृष्टि से कुछ हद तक सुरक्षा का अनुभव करते थे। भौतिक जीवन की यह विषमता खुद ब्राह्मण समाज में बढ़ रही धूणा की भावना के साथ उग्र ही होती गई। तत्कालीन ग्रीक समाज¹⁰² की भाँति ही वैदिककाल के पश्चात्वर्ती समाज में शारीरिक श्रम वाले कार्यों और व्यवसायों के प्रति धूणा के भाव दिखाई पड़ते हैं। उच्च वर्ण के लोग, खासकर ब्राह्मण और क्षत्रिय, धीरे धीरे उत्पादन कार्य से हाथ खींचने लगे और अपनी स्थिति तथा कृत्यों के संबंध में वंश परंपरा का निर्वाह करने लग गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके मन में न केवल शारीरिक श्रम वाले कार्यों के प्रति धूणा बढ़ी बल्कि वे उन्हें भी हेय समझने लगे जो इस तरह कार्य करते थे।

आदिम जातियों की हीन संस्कृति, श्रमसाध्य कार्य के प्रति बढ़ते हुए धूणा के भाव, और निषेध तथा अपवित्रता संबंधी अतिप्राचीन विचारों की पृष्ठभूमि में अस्पृश्यता जैसी असाधारण भावना का उदय हुआ। यह खासकर चंडाल के कार्य के बारे में सत्य था, जो शब्दों को निपटाता था और जिस कार्य को पुराने विचार के लोग अपविल और धूणास्पद समझते थे। नतीजा यह हुआ कि लोग ऐसे व्यक्तियों का संग साथ छोड़ने लगे। आगे चलकर न केवल निषादों और पुल्कसों को ही, वरन् चमड़े के व्यवसायियों और बुनकरों को भी अस्पृश्य माना जाने लगा। यों, इस काल में यद्यपि चम्मकारों और पेसकारों का कार्य हेय समझा जाता था, फिर भी खुद उन्हें अस्पृश्य नहीं माना जाता था।

अंततः, हमें यह देखना है कि इस काल के धार्मिक सुधार आंदोलनों ने शूद्रों की स्थिति को कहां तक प्रभावित किया। जहां तक धार्मिक उद्धार का संबंध है बौद्ध धर्म ने न केवल चारों वर्णों के लिए अपना दरवाजा खोलकर उन्हें संघ में प्रवेश करके भिक्षु बनने की अनुमति दी¹⁰³ बल्कि चंडालों और पुक्कुसों को भी निवारण प्राप्त करने योग्य बताया।¹⁰⁴ जब डाकू अंगुलिमाल को बौद्ध संप्रदाय में

लिया गया तब उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा : 'वस्तुतः अब मेरा आर्य कुल में जन्म हुआ है।'⁴⁰⁵ इससे पता चलता है कि बौद्धों ने अपने मठों में शूद्रों को जो प्रवेश दिया, उससे जनजातियों के दीक्षा पाने के प्राचीन अधिकार उन्हें वापस मिल गए, जिनसे वे ब्राह्मण समाज द्वारा वंचित कर दिए गए थे। किंतु जहाँ जनजातियों की जीवनदीक्षा उन्हें इस संसार के व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करती थी, वहाँ यह नई दीक्षा उन्हें इस जीवन के काटों से ज्ञान पाने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि देती थी।⁴⁰⁶

ज्ञान प्रदान करने में बौद्ध धर्म किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। बुद्धदेव कहते थे कि जिस प्रकार राजा या राज्यक्षेत्र के स्वामी के लिए सारा राजस्व अपने ही हित में लगाना श्रेयस्कर नहीं है, उसी प्रकार ब्राह्मण या श्रमण का सारे ज्ञान पर एकाधिकार कर लेना उचित नहीं।⁴⁰⁷ बुद्धदेव के विचारानुसार कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो, अध्यापक बन सकता है। कहा गया है कि अध्यापक शुद्ध चंडाल या पुक्कुस क्यों न हो, हमेशा उसका आदर किया जाना चाहिए।⁴⁰⁸ बौद्ध धर्म की मनोवृत्ति का एक विशेष उदाहरण जातक कथा में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि एक ब्राह्मण ने चंडाल से जाड़ सीखा किंतु लज्जावश उसे गुरु नहीं स्वीकार करने के कारण वह जाड़ भूल गया।⁴⁰⁹ दूसरा उदाहरण एक बोधिसत्त्व चंडाल का है जिसने शास्त्रार्थ में पराजित अपने एक ब्राह्मण सहपाठी को लात से मारा, किंतु इस आचरण के लिए अध्यापक द्वारा निंदित हुआ।⁴¹⁰

आरंभ में जैन धर्म ने सभी वर्णों के सदस्यों को मठ में प्रवेश की अनुमति दी और चंडालों के उत्थान का भी प्रयास किया। एक परवर्ती जैन ग्रंथ में ऐसे राजा की चर्चा आई है जिसने एक मातंग से तंत्र मंत्र सीखने के लिए निरंतर आसन ग्रहण किया।⁴¹¹ उत्तराध्ययन से पता चलता है कि हरिसेन जो जन्म से सोवाग (इवपाक चंडाल) था, एक ब्राह्मण अध्यापक के बज्जे परिसर में गया और ब्राह्मण को उसने तपस्या, साधु जीवन, सम्यक् चेष्टा, आत्मनिग्रह, शांति और ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया।⁴¹²

प्राचीन जैन साधु, ब्राह्मणों के विपरीत, निम्न वर्ग के परिवारों, जिनमें बुनकर भी सम्मिलित थे,⁴¹³ का अन्न ग्रहण करते थे। उसी प्रकार बौद्ध भिक्षु या भिक्खुनी चारों वर्णों के परिवारों में अन्न मांगने जा सकते थे, अथवा निमंत्रण मिलने पर उनके घर जाकर भोजन कर सकते थे।⁴¹⁴ किंतु हमें यह मालूम नहीं कि इन धर्मों के साधारण अनुयायी इस बात में अपने शिक्षकों का अनुसरण करते थे या नहीं।

कई दृष्टांतों से पता चलता है कि निम्न जाति के लोग बौद्ध विहारों में जाते थे। कहा जाता है कि यद्यपि मातंग चंडाल का बेटा था, फिर भी उसने

अभय वर प्राप्त किया था जो कितने क्षतियों और ब्राह्मणों को भी नहीं मिल पाया।⁴¹⁵ एक भिक्खु का वर्णन है जो गृद्धों को प्रशिक्षण देता था,⁴¹⁶ और एक ऐसे चंडाल का जिक्र आया है जिसने गृहविहीन जीवन का वरण किया। फिक का विचार है कि 'ऐसे धर्मस्तिमाक्षों का अस्तित्व संदिग्ध है।'⁴¹⁷ किंतु पालि धर्मग्रंथ के इस विवरण में संदेह करने का कोई सुसंगत कारण उन्होंने नहीं बताया है। थेर और थेरिगाथाओं के लेखकों की सूची में कम से कम दो सौ उनसठ थेरों में दस⁴¹⁸ और उनसठ थेरियों में से आठ⁴¹⁹ समाज में ऐसे वर्ग के थे जिन्हें शूद्र माना जा सकता है। इनके अंतर्गत अभिनेता, चंडाल, टोकरी बनाने वाले, अहेरी, वेश्या और दासी थे।⁴²⁰ जैन मठों के बारे में ऐसी जानकारी नहीं मिलती है, जिससे विदित हो सके कि उनमें निम्न वर्गों के लोगों का अनुपात क्या था। किंतु यह महत्वपूर्ण है कि महावीर की प्रथम शिष्या दासी थी, जो बंदी बनाकर लाई गई थी।⁴²¹ कहा गया है कि बहुधा धन और शक्ति से अधा जाने के प्रतिक्रियास्वरूप लोग घर छोड़ देते थे, फलतः निम्न वर्ग के लोग घर का त्याग नहीं करते थे।⁴²² किंतु बौद्धों अथवा जैनों के मठों के विषय में इस तथ्य के समर्थक प्रमाण शायद ही मिलते हैं। जैनों के धर्म सिद्धांत के अनुसार संन्यास धारण करने के कुछ कारणों में अकिञ्चनता, अस्वस्थता, आकस्मिक कोध और अपमान आदि थे।⁴²³ जैन साधुओं को गृहस्थों ने जो निम्नलिखित दुर्वर्चन कहे उनमें हो सकता है कुछ वास्तविकता रही हो : 'जो श्रमण हो जाते हैं, वे अधमाधम कोटि के कामगार होते हैं, वे अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ रहते हैं, वे हीन जाति और हीन कोटि के तथा अकर्मण्य होते हैं।'⁴²⁴ लोग धड़ल्ले से साधु न बनते चले जाएं, इसके लिए कहा गया कि जो दुखी व्यक्ति दूसरों से भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से साधु बनेगा उसे अगले जन्म में सूअर बनना पड़ेगा जो फेंके हुए जूठन की खोज में घूमता फिरेगा।⁴²⁵ एक बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है कि बिबिसार के राज्यकाल में संघ को राजा की ओर से विशेष सुरक्षा प्राप्त थी, जिसके चलते यदाकदा बंदी, चोर, कोड़े से पीटे जाने का दंड प्राप्त (कशाहत) व्यक्ति, घृणी और भागे हुए गुलाम बौद्ध धर्म की शरण में चले जाते थे और अभिषिक्त हो जाते थे।⁴²⁶ जब ऐसे मामलों की ओर बुद्धदेव का ध्यान आकृष्ट किया गया तब उन्होंने यह विधान किया कि ऐसे लोगों को संघ में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। दीघनिकाय के एक परिच्छेद से भी यह स्पष्ट है कि निम्न वर्ग के लोग बौद्ध भिक्खु बनकर अपनी यातनाओं का अंत करना चाहते थे। सामन्नफलसुत्त के एक प्रसंग में मगध के अजातशत्रु ने महावत, साईस, गृहदासों, रसोइयों, नापितों, स्नापकों, हलवाइयों, मालाकारों, धोबियों, बुनकरों, टोकरी निमत्तियों और कुंभकारों को उनके व्यवसायों से⁴²⁷ मिलने वाले लाभ की चर्चा करते हुए बुद्धदेव से पूछा कि संघ के सदस्यों को जिन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास ले लिया है, वैसा कोई

लाभ प्राप्त है या नहीं, जो उन्हें अपने व्यवसाय से प्राप्त होता था। उत्तर में बुद्धदेव ने पांचों इंद्रियों के सुखों से संपन्न राजा के विलासितापूर्ण जीवन और उस शूद्र सेवक के जीवन के बीच व्याप्त विषमता की ओर ध्यान आकृष्ट किया जो देर से सोता, सबेरे जागता और हमेशा मालिक के आदेशपालन में तत्पर रहता है। उसे हमेशा यह चिंता रहती है कि उसका हर काम उसके मालिक की रुचि के अनुकूल हो।¹⁴²⁸ बुद्धदेव ने यह भी बताया कि ऐसा दास राजा के समान जीवन की आकांक्षा करने लगता है और उसकी पूर्ति हेतु पुण्य अजित करने के लिए एकांतवासी बन जाता है। यहाँ बुद्धदेव एक प्रतिप्रश्न कर बैठते हैं: 'जिस व्यक्ति को आप साधारण स्थिति में दास या नौकर समझते हैं, वही व्यक्ति यदि संघ की शरण में आ जाए तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे?' राजा ने स्वीकार किया कि 'उसे सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति मानकर और आसन, परिधान, भिक्षापात्र, आवास और औषध का प्रबंध कर, वह उसका आदर करेगा।'¹⁴²⁹ बुद्धदेव की उपर्युक्त वाणी से यह असंदिग्ध है कि निम्न वर्ग के लोग जो सन्त्यास अपनाते थे, उसके फलस्वरूप उन्हें न केवल तात्कालिक निर्धनता से मुक्ति मिल जाती थी, बल्कि अगले जन्म में सुखमय जीवन बिताने के लिए भी पर्याप्त पुण्य प्राप्त हो जाता था। उसी परिच्छेद में बुद्धदेव ने राजा के विलासपूर्ण जीवन की कर देने वाले खेतिहर गृहस्थ के जीवन से तुलना करके बताया है कि उस गृहस्थ के मन में भी सुखमय जीवन की भावना जग सकती है और वह एकांतवासी बनने का निर्णय कर सकता है।¹⁴³⁰ यह ध्यातव्य है कि इस संबंध में ब्राह्मणों और अधियों की कोई चर्चा नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि साधारणतया वैश्यों और शूद्रों जैसे गरीब लोग भौतिक लाभ की दृष्टि से संघ की शरण लेते थे। वे भिक्खुओं के जीवन की कामना करते थे, जो अच्छा भोजन करके बाहर की हवा से बचकर आराम से बिछावन पर लेटते हैं।¹⁴³¹

किन्तु बौद्ध और जैन मठों के नियमानुसार यह इष्टकर नहीं समझा जाता था कि बहुत बड़े श्रमिक वर्ग को संघ में लेकर सांसारिक कर्तव्यों से विरत कर दिया जाए। कोई दास या ऋणी बौद्ध मठ में तब तक नहीं प्रवेश पा सकता था।¹⁴³² जब तक कि दास का मालिक उसे दासत्व से मुक्ति न दे दे और ऋणी अपना ऋण शोधन न कर दे। संघ में प्रवेश करने के लाभ स्पष्ट थे। एक उपदेश वार्ता के क्रम में बुद्धदेव अजातशत्रु से खास तौर से पूछते हैं कि क्या आप ऐसे भूतपूर्व दास को, जो संघ का सदस्य बन गया है, अपना दास मानेंगे और उसे पुनः दास कर्म के लिए बाध्य करेंगे। राजा का उत्तर स्पष्टतया नकारात्मक है।¹⁴³³ संभवतया इस प्रसंग में ऐसे दास की चर्चा है जो स्वामी की अनुमति से संघ में दाखिल हुआ हो। जैन मठ में भी जिन लोगों के लिए प्रवेश वर्जित था; वे थे डकैत, राजा के शत्रु, ऋणी, अनुचर, सेवक और ऐसे लोग जिनका बलात् धर्म परिवर्तन किया गया हो।¹⁴³⁴

बौद्ध और जैन धर्म ने, तात्कालिक सामाजिक और आर्थिक संबंधों को स्वीकार करते हुए भी, दासों की स्थिति सुधारने के कुछ दूसरे तरीके अपनाएँ। एक धर्मसूत्र ने केवल ब्राह्मणों के लिए मनुष्य का व्यापार वर्जित किया था,⁴³⁵ किंतु वह भी दासों के बदले दासों का विनियमय कर सकता था।⁴³⁶ परं बौद्ध और जैन धर्मग्रंथों ने अपने साधारण अनुयायियों के लिए भी मनुष्य का व्यापार निषिद्ध किया है।⁴³⁷ फिर भी, एक बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि आर्य शिष्य दासों और कम्मकरों से समृद्ध बनते हैं।⁴³⁸ इससे पता चलता है कि साधारण उपासक अपने दासों की संख्या अन्य तरीकों से बढ़ा सकता था। भिखु दास नहीं रखते थे। जातक कथा के एक अनुच्छेद⁴³⁹ का यह अर्थ लगाया गया है कि भिखुओं के दास अपने बीमार मालिकों के लिए स्वचिकर भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से नगर में जाते थे।⁴⁴⁰ किंतु यह अर्थ उक्त परिच्छेद के गलत रूपांतर के आधार पर किया गया है।⁴⁴¹ इस परिच्छेद में दासों और मालिकों की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि ऐसे अन्य भिखुओं का उल्लेख किया गया है जो अपने बीमार बंधुओं की सुश्रूषा करते थे और जिन्हें 'आवुसो' शब्द से संबोधित किया जाता था। यह ऐसा शब्द है जो सामान्यतया भिखुओं के लिए प्रयुक्त होता है।⁴⁴²

बौद्ध और जैन धर्म ने अपने अनुयायियों में अपने कर्मचारियों के प्रति उदारता और दयालुता की भावना जगाने का प्रयास किया। दीघ निकाय के एक परिच्छेद में यह आदेश दिया गया है कि मालिकों को चाहिए कि वे अपने दासों और कामगारों के प्रति भद्र व्यवहार करें; उन्हें सामर्थ्य से बाहर कार्य नहीं दें। उन्हें भोजन और मजूरी दें; अस्वस्थावस्था में उनकी देखभाल करें; समय समय पर उन्हें छूटी दें; और अपने असाधारण सुस्वादु भोजन में से हिस्सा दें। नौकर को भी चाहिए कि मजूरी से संतुष्ट रहे, ठीक से काम करे और अपने मालिक का नाम बनाए रखें।⁴⁴³ अशोक ने भी अपनी प्रजा को ऐसे अनुदेश दिए थे। जातक में भी कहा गया है कि यदि मालिक बोधिसत्त्व हो तो वह दास से अच्छा व्यवहार करता है।⁴⁴⁴ एक जैन ग्रंथ में कहा गया है कि धन का संचय न केवल सो-संबंधियों और राजाओं के लिए बल्कि दासों, दासियों, कम्मकरों और कर्मचारियों के लिए भी किया जाना चाहिए। इस तरह यह सुझाव दिया गया है कि ये दास, दासियाँ, कम्मकर आदि अपने मालिक से भरण पोषण पाने के हकदार हैं।⁴⁴⁵

हमें इस बात का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है कि निम्नवर्गीय लोगों में अपधर्मी संप्रदाय के अयाजकीय अनुयायियों की संख्या कितनी थी। शिल्पी समुदायों के बीच बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी अवश्य थे।⁴⁴⁶ आजीविक संप्रदाय कुभकारों के बीच विशेष रूप से प्रचलित था, और उनके बीच इसका विशेष आकर्णण था।⁴⁴⁷ सुधारवादी धर्मों ने कृषि तथा कुछ अंश तक शिल्प व्यापार पर आधारित वर्ग व्यवस्था को मजबूत अवश्य किया, पर उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों

की स्थिति में किसी तरह कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया। बौद्ध मठों में ऐसे लोगों का अनुपात और महत्व नगण्य मालूम पड़ता है। प्राचीन बौद्ध धर्म में समता के सिद्धांत का आलंबन रहने पर भी अभिजात तंत्र (तीनों प्रकार के, जन्म, विद्या और वैभव) की ओर विशेष ज्ञाकाव था, जिसे परंपरा की देन कहा जा सकता है।⁴⁴⁸ यह कहना तो अतिरंजना होगी कि बुद्धदेव के प्रादुर्भाव से भारत के सामाजिक संघटन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा।⁴⁴⁹ किंतु बौद्धों ने उस वर्ण व्यवस्था के आधारभूत तथ्यों का शायद ही कभी खुलकर विरोध किया, जिसके अनुसार शूद्रों को सेवि वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। ब्राह्मणों का यह दावा था कि वे अन्य तीन वर्णों से श्रेष्ठ हैं, किंतु गौतम बुद्ध ने इसका खंडन करते हुए बताया है कि जहाँ तक उद्भव का प्रश्न है क्षत्रिय उच्च हैं और ब्राह्मण निम्न। पर वे वैश्यों और शूद्रों की अपेक्षा न तो ब्राह्मणों और न क्षत्रियों की ही श्रेष्ठता पर कोई आंपत्ति करते हैं।⁴⁵⁰ बौद्ध धर्म केवल यह बताने का प्रयास करता है कि मुक्ति की खोज में जाति का कोई महत्व नहीं।⁴⁵¹ इसाई धर्म की ही तरह इस काल के धार्मिक सुधार अंदोलनों ने भी दासता की बुनियाद पर कभी कोई आधात नहीं किया। उन्होंने शूद्रों की आर्थिक एवं राजनीतिक अशक्तताओं को ही दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया। उलटे बौद्ध संघ का दरवाजा गुलामों और कर्जखोरों के लिए बंद था, और बौद्ध धर्म कर्ज की अदायगी पर जोर देता था।

ऊपर के विचार विमर्श से पता चलता है कि वैदिककाल के पश्चात शूद्रों की स्थिति अस्पष्ट नहीं रह गई। इस काल में वे शेष जातीय अधिकारों से वंचित कर दिए गए और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक अशक्तताएं उनके सिर मढ़ दी गईं। तीनों उच्च वर्णों से उनमें स्पष्ट विभेद कर दिया गया; उन्हें वैदिक यज्ञ, दीक्षा, शिक्षा और प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति से वंचित रखा गया और सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि उन्हें दास, कृषि मजदूर और शिल्पियों के रूप में द्विजों की सेवा करने का भार सौंपा गया। इस संबंध में प्राचीन बौद्ध और जैन ग्रंथों में निम्नवर्गीय लोगों का जो चित्र उभरता है वह सारतः भिन्न नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में बार बार प्रथम तीन वर्णों के लोगों को धनधान्य से परिपूर्ण बताया गया है,⁴⁵² किंतु दासों, शूद्रों और कम्मकरों की चर्चा भी नहीं की गई है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि बुद्धदेव ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और गहपति उपासकों⁴⁵³ की सभाओं में भाग लिया था, पर शूद्रों की सभा का कोई उल्लेख नहीं है।

ऐसा कहना सतही होगा कि शूद्रों को यज्ञ कर्म और उच्च वर्णों की पंधत से विलग रखने के पीछे केवल यही भावना थी कि धर्म-कर्मों की पवित्रता और शुचिता बनी रहे।⁴⁵⁴ यह विशेष रूप से ध्यातव्य है कि इस तरह की भावना तभी पनपी होगी जब समाज के अनेक लोगों को पीढ़ियों तक श्रमजीवी बने रहने की स्थिति में पहुंचा दिया गया होगा और परिणामस्वरूप उन्हें अपने कार्य-

के आधार पर अपवित्र मान लिया गया होगा। निम्नवर्गीय लोगों के शारीरिक श्रम के प्रति इस धूणा की भावना ने अंततः अस्पृश्यता को जन्म दिया।

धर्मसूत्रों, खासकर वसिष्ठ और गौतम के धर्मसूत्रों में यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि पवित्रता, भोजन और विवाह की दृष्टि से वैश्यों को शूद्र ही समझना चाहिए। यह ऐसी प्रक्रिया है जो समान रूप में बौद्ध ग्रंथों में भी पाई जाती है। बुद्धदेव कहते हैं कि संबोधन, सत्कार, उपगम और बतावि के विषय में वैश्यों और शूद्रों की अपेक्षा क्षत्रियों और ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।⁴⁵⁵ बाद के (संभवतया मौर्यकालीन) एक बौद्ध ग्रंथ में गोत्र केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों के ही बताए गए हैं।⁴⁵⁶ जातक के एक प्रारंभिक परिच्छेद में यह दावा किया गया है कि बौद्धों का जन्म वैश्य या शूद्र जाति में कभी नहीं होता है बल्कि उनका जन्म दो अन्य उच्च जातियों में होता है।⁴⁵⁷ किंतु यह परिच्छेद खास जातक का अंश नहीं है और इसे बाद का माना जा सकता है। इसी प्रकार का विचार जैन गुरुओं के जन्म के संबंध में भी प्रकट किया गया है और यह माना गया है कि उनका जन्म नीच, पतित, गरीब, अकिञ्चन या ब्राह्मण परिवारों में कभी नहीं होता है।⁴⁵⁸ स्पष्ट है कि इस सूची में ब्राह्मण को शामिल करने का कारण धार्मिक वैरभाव है। किंतु सूची के शेष सदस्य सामान्यतया निम्न वर्ग के कहे जा सकते हैं। वैश्यों को शूद्र में मिलाने की प्रवृत्ति प्रायः इस काल के अंत की मालूम पड़ती है। इससे शूद्रों की संख्या बढ़ी होगी, क्योंकि दरिद्र वैश्यों को इन शूद्रों की कोटि में रख दिया गया होगा। किंतु जान पड़ता है कि इस काल में वैश्यों की सामाजिक स्थिति पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार सुधारवादी धर्मों ने भी मौजूदा समाज व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया और शूद्रों की आर्थिक, राजनीतिक तथा कानूनी अशक्तताएं पूर्ववत् बनी रहीं।

शूद्रों की अशक्तताओं और वर्णप्रथा के ढांचे को समझने के लिए बौद्धकालीन भौतिक परिवेश की समझ आवश्यक है। लोहे के बड़े पैमाने पर प्रयोग होने के कारण गंगा के मैदान खेती के लायक बनाए गए और पहले पहल लोहे के फाल के उपयोग के कारण बड़े बड़े खेत कायम हुए। खेती की जमीन का बंटवारा असमान हुआ और कुछ लोगों के पास इतनी अधिक जमीन हो गई कि वे उसे अपने कुटुंब की सहायता से नहीं जोत सकते थे। इसके लिए उन्हें श्रम की आवश्यकता थी जो दास और कम्मकर ही दे सकते थे। उल्लेखनीय है कि वैदिक साहित्य में 'कर्मकर' शब्द का प्रयोग भाड़े के मजदूर के अर्थ में नहीं हुआ है; यह प्रयोग वैदिकोत्तर सूत्र साहित्य में होता है और पालि में कर्मकर को कम्मकर कहा गया है।

खेती में श्रम की आवश्यकता केवल बड़े बड़े कृषकों और गृहपतियों को ही नहीं थी बल्कि साधारण गृहस्थों को भी एकाध दास अथवा कर्मकर की जरूरत

होती थी। कृषकों के कर देने के कारण महाजनपदों अथवा बड़े राज्यों का जन्म हुआ जिनके अधिकारी वर्ग टैक्सों पर जीते थे और उत्पादन कार्य से मुक्त थे। उनकी सेवा और घरेलू काम के लिए भी दासों और कर्मकरों की आवश्यकता थी। ऐसे पुरोहित अथवा ब्राह्मण, जो राजाओं और कृषकों के दान दक्षिणा से धनाद्य बन गए थे, को भी सेवकों की आवश्यकता थी। राजाओं के हथियार बनाने के लिए और कृषकों के औजार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कामगारों की जरूरत थी। इस प्रकार खेती और कारीगरी को चलाने के लिए खेतिहर मजदूर और शिल्पी लगाए जाने लगे। उन्हें अपने श्रम के अनुरूप पारिश्रमिक नहीं मिलता था, और उनकी मेहनत के फल का खासा हिस्सा उच्च वर्ग के लोगों को मिलता था।

इस प्रकार की सामाजिक संरचना को कायम रखने लिए वर्गव्यवस्था का निर्माण किया गया। इसके अनुसार दासों, कर्मकरों, शिल्पियों और घरेलू सेवकों को शूद्र वर्ण की संज्ञा दी गई। उन पर भाँति भाँति की अशक्तताएं इसलिए लादी गई ताकि वे उच्च वर्ण के लोगों की अनवरत सेवा करते रहें, अपने श्रम का यथेष्ठ भाग उनके सुखसुविधा के लिए देते रहें, और उनके विरुद्ध किसी प्रकार का विरोध न करें। इन अशक्तताओं के प्रति शूद्रों की क्या प्रतिक्रिया हुई, इसकी बहुत कम जानकारी मिलती है। किंतु इस मामूली जानकारी के भी आधार पर इस मत को स्वीकार करना कठिन है कि 'जीवनयापन के लिए भीषण संघर्ष नहीं चल रहा था और समाज व्यवस्था शांतिपूर्ण ढंग से चलती जा रही थी'।⁴⁵⁰ वसिष्ठ धर्मसूत्र की एक कंडिका में शूद्रों के निम्नलिखित लक्षण बैताए गए हैं: चुगली खाना, असत्य बोलना, निर्दयी होना, छिद्रान्वेषण करना, ब्राह्मणों की निंदा करना और उनके प्रति निरंतर वैरभाव रखना।⁴⁵¹ इससे यह संकेत मिलता है कि शूद्र आम तौर से तत्कालीन वर्णव्यवस्था के प्रति और खासकर आदर्श वर्णनेता ब्राह्मणों के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। किंतु जैसा ऊपर बताया गया है, मालिक अपने दासों और मजूरों के प्रति अधिक कठोर रहता था।⁴⁵² दास और मजूर की कठोरता अपने मालिक के प्रति अपेक्षाकृत कम होती थी। दासों की क्रांति का एकमात्र उदाहरण विनयपिटक में मिलता है,⁴⁵³ और यह बड़े साधारण प्रकार की थी। कहा जाता है कि एक बार कपिलवस्तु के शाक्यों के दास काबू से बाहर हो गए और जंगल में भिक्खुओं को खाना पहुंचाने के लिए गई हुई स्त्रियों के साथ छीना-झपटी की तथा उनका सतीत्व भंग किया।⁴⁵⁴

निम्न वर्ग के लोग सामान्यतया विरोध का जो तरीका अपनाते थे वह था अपने मालिक का काम छोड़कर चल देना। यह स्थिति केवल कर के बोझ से दबे हुए गहपतियों की ही नहीं थी,⁴⁵⁵ बल्कि शिल्पियों और दासों का भी यहीं हाल था। बाद के एक जातक से हमें जानकारी मिलती है कि लकड़हारों की एक बस्ती को एक काम संपन्न करने के लिए पहले ही भुगतान कर दिया गया था, पर जब उन्होंने

उसे पूरा नहीं किया तो काम पूरा करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। किंतु तथाकथित 'प्राच्य वैराग्य-भावना' से अपने भाग्य के भरोसे न बैठकर उन्होंने चुपचाप मजबूत नाव बनाई और अपने परिवार सहित रातोंरात गंगा नदी के रास्ते समुद्र में पहुंच गए और तब तक चलते रहे जब तक उन्हें एक उपजाऊ द्वीप नहीं मिला।¹⁶⁵ काम छोड़कर भाग निकलना दासों के लिए आम बात थी। श्रीमती रीज डैविड्स का यह कथन गलत है कि भगोड़े दासों के उदाहरण नहीं मिलते।¹⁶⁶ जातक में कम से कम दो ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि दासोंने भागकर मुक्ति पाई।¹⁶⁷ यह भी कहा गया है कि भागे हुए दासों ने बौद्ध मठ में शरण ली।¹⁶⁸ बाद के एक जातक में कहा गया है कि बलि के लिए रखे गए कुछ व्यक्तियों ने अपनी जान बचाने के लिए अत्याचारी पुरोहित को बताया कि वे जंजीर में बंधे रहकर भी उसका दास बनकर सेवा करने को तैयार हैं।¹⁶⁹ इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि कुछ मामलों में दासों को कड़ियों में बांध कर रखा जाता था ताकि वे भाग न निकलें। मध्याली गोसाल विषयक बौद्ध परंपरा में आजीवक नेता को भगोश बताया गया है, जो भले ही सत्य न हो,¹⁷⁰ पर इससे ऐसा संकेत तो मिलता ही है कि दास के भाग निकलने की संभावना रहती थी। एक जगह कहा गया है कि मालिक का नियंत्रण नहीं रहने के कारण दास और कम्मकर अपनी संपत्ति के साथ भाग निकले।¹⁷¹ इन उदाहरणों से पता चलता है कि सामान्यतया मजदूर वर्ग के लोग अपना कार्य छोड़कर भाग जाते थे और इस तरह तत्कालीन व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करते थे। ग्रीस या रोम के दासों के विद्रोह जैसे दृष्टांत नहीं मिलते हैं। फिर भी, धर्मसूत्रों में कहा गया है कि वर्णसंकर की स्थिति आने पर ब्राह्मण और वैश्य भी आत्मरक्षा के लिए सत्त्व धारण कर सकते थे। क्षत्रियों को तो हमेशा से यह अधिकार था ही।¹⁷² यह तथ्य कि आपतकालीन स्थिति में तीन वर्णों के लोग ही शस्त्र धारण कर सकते हैं;¹⁷³ सूचित करता है कि नियम बनाने वाले के मन में ऐसी आकस्मिक स्थिति की कल्पना रही होगी जब शूद्र बलपूर्वक वर्ण की सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करेंगे। यद्यपि कपिलवस्तु के दासों की सामान्य क्रांति को छोड़, इस तरह के प्रयास का कोई दृष्टांत नहीं मिलता, फिर भी वसिष्ठ के नियम से पता चलता है कि उच्च वर्णों के लोगों को आशंका थी कि शूद्रों पर जो अशक्तताएं लादी गई हैं उनके चलते कहीं वे व्यापक विद्रोह न कर बैठें।

संदर्भ

1. काणे : हिन्दू आफ धर्मशास्त्र, ii, भाग 1, पृ० XI. अलिटन, रेस्टिंगफेन, पृ० VII; मेरर बोधायन धर्मसूत्र और आपस्तंब धर्मसूत्र को बृद्ध से पहले का मानते हैं और

126 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

- वसिष्ठ धर्मसूक्त को ई० प० ३४० चौथी शताब्दी का बताते हैं। हापकिस : 'केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', i, प० 249.
2. कीथ : 'केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', i, प० 113.
 3. अश्वाल : 'इंडिया एज नोन टु पाणिनि', प० 475.
 4. बुहलर : 'सेकेड बुक्स आफ दि ईस्ट', ii, प० XLV; काणे : पूर्व निर्दिष्ट i, प० 13.
 5. गौतम धर्मसूक्त, IV. प० 21। हापकिस : पूर्व निर्दिष्ट, i, प० 240, पाद इष्पणी 1। हापकिस मानते हैं कि यह बैविद्यम और अन्य एशियाई ग्रीकों के बारे में है।
 6. गौतम धर्मसूक्त, V. प० 41-42, प० 45.
 7. बुहलर : पूर्व निर्दिष्ट ii, प० XLIX.
 8. गौतम धर्मसूक्त, XXII. प० 18.
 9. वही, IV. प० 16-21.
 10. बी० के० घोष : ('इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली, कलकत्ता; iii) प० 6, 7-11.
 11. हापकिस : पूर्व निर्दिष्ट, i, प० 242.
 12. बौधायन धर्मसूक्त, II, 7.17.17; काणे : पूर्व निर्दिष्ट, i, प० 44.
 13. हापकिस : पूर्व निर्दिष्ट, i, प० 249-50.
 14. विटरनिज : 'हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर', i, प० 274.
 15. काणे : पूर्व निर्दिष्ट, ii, भाग 1, प० XI.
 16. ला : 'हिस्ट्री आफ पालि लिटरेचर', i, प० 30-33.
 17. वही, प० 15.
 18. टी० डब्ल्यू० आर० डेविड्स : 'बुद्धिस्ट इंडिया', प० 207। जातकों के प्राचीन तिथि निर्धारण के लिए देखें।
 19. ला : पूर्व निर्दिष्ट, i, प० 30; हापकिस पूर्व निर्दिष्ट i, प० 260, पाद इष्पणी 1। इस विषय का नवीनतम विवेचन फाइजर : 'दि प्राचलम आफ दि ऐटिंग इन बुद्धिस्ट जातकाज', (आर्कीव ओरियेंटलिनी, प्राग, XXII) प० 238-9, इस विषय का नवीनतम विवेचन ओ० फाइजर के निवंध में मिल सकता है।
 20. फाइजर : पूर्व निर्दिष्ट, प० 238-9.
 21. वही, XXII, 249; टी० डब्ल्यू० आर० डेविड्स : पूर्व निर्दिष्ट, प० 208.
 22. डी० डी० कोसम्बी : 'एन हंड्रेडक्षण टु दि स्टडी आफ इंडियन हिस्ट्री', प० 259-60। डेनियल एच० एच० इंगल्स : (जर्नल आफ दि अमेरिकन ओरिएंटल सोसायटी, बाल्टी मोर, LXXVII) प० 223-4.
 23. हस्तिनापुर और कतरा (मथुरा) में हुई हाल की खुदाई के आधार पर कहा जा सकता है कि एक प्रकार के नगर जीवन का आरंभ छः सौ ई० प० के लगभग हो चुका था।
 24. इस विषय पर और भी अध्ययन करना है। एन० बी० पी० काल के पुरातात्त्विक अवशेषों और प्राचीन पालि ग्रंथों की विषयवस्तु की तुलना से न केवल इन साहित्यिक स्रोतों की तिथि दृढ़तापूर्वक निश्चित करने में सहायता मिलेगी, बल्कि भीय पूर्व कालीन भौतिक जीवन का भी ज्ञान बढ़ेगा और हम उसे अच्छी तरह समझ भी पाएंगे।
 25. नीचे देखें, अध्याय VI.

26. जै कोबी : सेकेड बुक्स आफ दि ईस्ट, XXii, प्रस्तावना, पृ० XLIII. मजूमदार और पुस्लकर : 'दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी', पृ० 423. चारपेटियर (उत्तरा प्रस्तावना, पृ० 32 और 48) उन्हें ई० पू० तीन सौ और ईस्टी सन के आरंभ होने के बीच के काल का बताते हैं।
27. टी० डब्ल्यू रोज डेविड्स : 'डायलाग्स आफ दि बुद्ध', i, पृ० 286.
28. सेनार्ट : 'कास्ट इन इंडिया', पृ० 101; लेखक की टिप्पणी पृ० X; सेन्स सरिपोर्ट आफ इंडिया, 1901, पृ० 546 से लेखक का उद्दरण बैंस ने इथनोग्राफी पृ० 11 पर दिया है।
29. कै० बी० रंगस्वामी अध्यांगर : 'आस्पेक्ट्स आफ सोशल एंड पौलिटिकल सिस्टम आफ मनु', पृ० 56; देखें, हापकिस : 'पूर्व निर्दिष्ट', i, पृ० 293-4.
30. कै० बी० रंगस्वामी अध्यांगर : 'इंडियन कैमरेलिज्म', पृ० 48.
31. अभी तक इन ग्रंथों का अध्ययन छिटपुट ढंग से किया गया है, जल्दी के हिंदू ला एंड कास्टम तथा काणे के हिंदू आफ दि धर्मशास्त्र में विधि ग्रंथों की विषयवस्तु को काल-क्रम से नहीं रखा गया है। पालि ग्रंथों के आधार पर फिक, रीज डेविस, आर० मेहता और ए० एन० बोस के जो ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, उनमें भी वही त्रुटि है। जै सी० जैन के लाइफ ऐज डिपिक्टेड इन दि जैन कैनन्स में भी सभी सामग्री को एकत्रित करके रख दिया गया है, पर समय और स्थान का ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ मामलों में काल-क्रमानुसार विषय रखने के प्रयास हुए हैं, किन्तु भारतीय वर्ण व्यवस्था संबंधी रचनाओं में आह्वाणेतर ग्रंथों पर विचार ही नहीं किया गया है।
32. प्राचीन बौद्ध साहित्य और धर्मसूत्र से क्रमशः जिन सामाजिक स्थितियों का पता चला है उन्हें अलग अलग अध्यायों (VIII-IX) में लिखा गया है।
33. मजूमदार और पुस्लकर : पूर्व निर्दिष्ट, अध्याय XXI.
34. फिक : 'दि सोशल आर्गेनाइजेशन आफ नार्थ ईस्टन इंडिया', पृ० 314; दत्त : 'ओरिजिन एंड दि ग्रोथ आफ कास्ट', पृ० 268-9.
35. (साइटिप्रिपट डेर डोयचेन मेर्गेनलैंडिशेन गेजेलशापट) ii, पृ० 286.
36. मझिम निकाय, i, पृ० 429.
37. दीघ निकाय, i, 193; मझिम निकाय, ii, पृ० 33 और 40.
38. डेविड्स : 'बुद्धिस्ट इंडिया', पृ० 54.
39. आपस्तंब धर्मसूत्र, I. 1.1-7; गौतम धर्मसूत्र, X. पृ० 54-57.
40. शिल्पवृत्तिश्च, X. 60.
41. मेहता.: 'प्री-बुद्धिस्ट इंडिया', पृ० 194-204.
42. इन्हें जैन ग्रंथों में 'गाहावई' कहा गया है।
43. अंगुत्तर निकाय, iii, पृ० 363; सिप्पाधिटाना.
44. दीघ निकाय, ii, 126.
45. उवासग, पृ० 184.
46. जात० iii, 281.
47. वही, V, 45.
48. मेहता : 'पूर्व निर्दिष्ट', पृ० 198-9.

128 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

49. दीघ निकाय, ii, 147; सावत्य जैसे बड़े बड़े शहरों की संख्या बीस थी और उनमें से छः इतने महत्वपूर्ण समझे जाते थे कि उन्हें बुद्ध के महानिर्बाण का स्थल माना गया।
50. श्रीमती रीज डेविड्स : 'केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', i, पृ० 206.
51. पाणिनि व्याकरण की वृत्ति, VI. 2.63.
52. जात०, V, 290 और 292.
53. वही, Vi, 38.
54. गहपतिकस्स तंत्रायेहि, iii, 258-9. स्पष्ट है कि ऐसे गहपति प्रायः उनसे व्यापार सामग्री का उत्पादन करते थे।
55. जात०, iV, 159.
56. वही, 281.
57. 'केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', i, 208.
58. जातक, iii, 281.
59. वेदिक इंडेक्स, 2.62.
60. पाणिनि व्याकरण, V. 4.95.
61. पाणिनि व्याकरण माघ्य, V. 4.95.
62. जात०, Vi, 189.
63. वही, iV, 207.
64. दीघ निकाय, i, 51 में गृह दासों के शिल्प का निर्देश किया गया है, किन्तु इससे गृहसेवा का संकेत मिल सकता है। जात०, IV, 16; एक अन्य प्रसंग में दासों और नौकरों के बारे में बताया गया है कि उन्हें कोई बाह्यण व्यापार में लगाए द्वारा था।
65. गौतम धर्मसूत्र, X. 31; वसिष्ठ धर्मसूत्र, XIX. 28. शिल्पिनो मासि मास्यकैकं कर्म कुर्युः।
66. गौतम धर्मसूत्र, X. 53-55 घोषाल : इंडियन कल्चर, XI V, पृ० 26.
67. गौतम धर्मसूत्र, X. 47; आपस्तंब धर्मसूत्र, II, 11.28.1, हरदत्त की टीका के साथ।
68. वसिष्ठ धर्मसूत्र, I.42.
69. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 10.26.5, शूद्राच्च पादावनेष्टा।
70. गैवायणि संहिता, बुहलर के वर्गीकरण के अनुसार।
71. महिषाम निकाय, ii. 180, सुद्धस्स संधनम् ॥असिद्धव्यभंगिम्।
72. दीघ निकाय, i, 104.
73. टी० डब्ल्य० रीज डेविड्स : 'सेक्रेट बुद्धिस्ट्स' ii, पृ० 128.
74. (साइटशिपट डेर डोयचेन मेर्गेनलैंडिशन गेजेलशाफ्ट ii), पृ० 286. दत्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 272. एन० के० दत्त लिखते हैं कि बौद्ध साहित्य में गुलामों को कहीं भी शूद्र नहीं कहा गया है, लेकिन वर्तमान उदाहरण से स्पष्टतया विपरीत तथ्य का संकेत मिलता है।
75. जात० i, पृ० 200.
76. वही, Vi, पृ० 389.
77. वंदीपाद्याय : 'स्लेवरी इन एनेशिएंट इंडिया', (कलकत्ता रिप्पू, 1930, स० 8) पृ० 254.

78. बोस : 'सोणल ऐंड रुरल इकानमी आफ नार्दर्श इंडिया', ii, पृ० 423.
79. जात०, VI, पू० 285 (गाथा); विनय पिटक, IV, पू० 224.
80. जी० पी० मलसेकेरा : 'पालि डिक्षणरी आफ प्राप्तर नेम्स', i, पू० 323, देखें इसिदासी थेरी शब्द.
81. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पू० 308.
82. दासी-भार, पाणिनि व्याकरण, VI, 1.42; सूयगडम्, I. 14.8; जात०, iii, पू० 59, 98-99.
83. 'कैंपिंज हिस्ट्री आफ इंडिया', i, 207; विनय पिटक, I. 240; देखें सूयगडम्, II.1.13 जो बड़े और छोटे, दोनों प्रकार के खेतों का हवाला देते हैं. जात०, V, पू० 413. शावयों और कोलियों के दास और कम्मकर खेतों को सिचाई करने में लगाए जाते थे.
84. जातक, iii, 293; IV, पू० 276.
85. सूत्तनिपात, I.4.
86. जात०, ii, पू० 181.
87. बेस्टर मन्न : 'दि स्लेव सिस्टम्स आफ ग्रीक ऐंड रोमन एंटिकिवटी', पू० 8-9.
88. सूत्तनिपात, V. 472.
89. जात०, IV, पू० 15; मङ्गिभम निकाय, II, पू० 186.
90. जात०, V, पू० 413.
91. विनय पिटक, i, पू० 243, 272; ii, पू० 154.
92. आपस्तंब धर्मसूत्र, I. 7. 20.15; वसिष्ठ धर्मसूत्र, II. 39; गौतम धर्मसूत्र, VII.16.
93. बेस्टर मन्न : पूर्व निर्दिष्ट, पू० 9.
94. गौतम धर्मसूत्र, X. 58, जीर्णान्युपानचत्वावासः कूर्चानि.
95. जात०, i, 372 (वर्तमान कथा).
96. गौतम धर्मसूत्र, X. 59.
97. आपस्तंब धर्मसूत्र, I, 1.3.40, उज्ज्वला की टीका सहित; अंतर्धिने वा शूद्राय.
98. हिरण्यकेशिन गृह्णसूत्र I. 2.8.1-2 (सेकेड बुक्स आफ दि ईस्ट, अनुवाद).
99. अग्रबाल : पूर्व निर्दिष्ट, पू० 114.
100. विनय पिटक, IV, पू० 272, वरम् एवं सर्पि दासानं वा कम्मकरानं वा पादभन्जनं वा पादीपकरणे वा आसित्तम्.
101. विनय पिटक, I, पू० 220.
102. आपस्तंब धर्मसूत्र, II.4.9.11; काममात्मानं भार्या पुत्रं वोपरूप्यान्त त्वेव दासकर्मकरम्.
103. जातक, I, पू० 355 (वर्तमान कथा), दासकम्मकरापि नो सालिमांसोदनं भुञ्जन्ति, कासिकवर्त्यं निवासेन्ति.
104. अंगुत्तर निकाय, I, पू० 145, कणजकं भोजनं दित्यति.
105. वही, I, पू० 451, 459.
106. वही, III, पू० 406-7.
107. वही, VI, पू० 372.

130 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

- 108 जात०, I, पृ० 475, II, पृ० 139; III, पृ० 325, 406, 444; परेसं भर्ति कत्वा किञ्छेन जीवति.
109. जात०, III, पृ० 326.
110. जात०, III, 130, नगरद्वारे विकिणित्वा मासके गहेत्वा.
111. 'पालि-इंगलिश डिक्षणरी', देखें, मासक शब्द.
112. एस० के० चक्रवर्ती : 'एनशिएंट इंडियन न्यूमिसमेटिक्स', पृ० 56.
- 113 हार्नर : 'दि बुक आफ दि डिस्प्लिन', I; (अनुवाद, सेक्रेड बुकरा आफ दि बुद्धिस्ट्स में आई० बी० हार्नर का किया हुआ है, X, पृ० 71-2).
114. बोग : पूर्व निर्विळ, II, पृ० 428.
- 115 जातक, III, पृ० 446-50; अष्टापि कामा न अलम, बहूहि पि न तप्पिपि.
116. सूय०, I, 4.2.18.
- 117 दीघ निकाय, I, पृ० 141; अंगुत्तर निकाय, II, पृ० 207-8; III, पृ० 37; IV, पृ० 266, 393.
118. गोतम धर्मसूत्र, XX. 4.
119. जात०, III, पृ० 300.
120. 'कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', I, 203, पाद टिप्पणी 8 में उद्धृत निर्देश इस विचार का समर्थन नहीं करते.
121. सुत्तिनिपात, 769; ओवेया, छंद 6; उत्तर०, III.17; सूयगडम्, II.7.1.
122. गोतम धर्मसूत्र, XXVIII.13.
123. जातक, VI, 135.
124. वही, III, 129.
125. जात०, III, पृ० 445, अत्तो वसनद्वानं गत्वा.
126. रैप्सन : 'कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', I, पृ० 205.
127. गोतम धर्मसूत्र, X. पृ० 61.
128. जातक, III, पृ० 387, यावतासांसति पोसोतावद एव पवीणति, अद्वापाये जहन्ति.
129. भटक के रूप में भी लिखा गया है.
130. 'पालि-इंगलिश डिक्षणरी', यह व्युत्पत्ति उपर्युक्त ग्रंथ में आहतक में अंगीकृत किया गया है.
131. आहितक (अर्थात बंधक रखा गया) शब्द की वैकल्पिक व्युत्पत्ति व्याकरण के सिद्धांत के अनुसार ग्राह्य नहीं है.
132. बंदोपाध्याय : 'इकनामिक लाइफ एंड प्रोग्रेस इन एनशिएंट इंडिया', पृ० 94.
133. पाणिनि व्याकरण, I.3.36; III. 2.22.
134. वही, V. 1.80.
135. ठाणांग, IV. पृ० 271, अभ्यदेवसुरि की टीका.
136. जातक, IV, पृ० 276-8.
137. जात०, VI, पृ० 426, यस्सेव घरे भुजेय्य भोगं तस्सेव अत्थं पुरिसो चरेय.

138. जातक, IV; अंगुत्तर निकाय, I, पृ० 206; विनय पिटक, I, पृ० 240.
139. आपस्तंब, II, 11.28 2.
140. वही, 3.
141. वही, 4.
142. वही, 6.
143. गौतम धर्मसूत्र, XII, 16-7.
144. गौतम धर्मसूत्र, XXVIII, 24 हरदत्त की टीका सहित, द्रव्यादानं विवाहसिद्ध्यर्थम्, धर्मतंत्रसंयोगे च शूद्रात्.
145. वही, XXVII.25 हरदत्त की टीका सहित, अन्यत्रापि शूद्राद् बहुपशीर्हीन्कर्मणः.
146. मनु, XI.13.
147. बौधायन धर्मसूत्र, II, 2.3.10.
148. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVIII.47-50.
149. वही, XVII.38, शूद्रापुत्र एव षष्ठो भवतीत्याद्विरित्येते दायाद्वान्धवाः.
150. बौधायन धर्मसूत्र, II.2.3.32.
151. वही, II.2.3.10.
152. गौतम धर्मसूत्र, XXVIII.37, शूद्रापुत्रोप्यनपत्यस्य शुश्रूचेलभेत् वृत्तिमूलमन्तवासि-विधिना.
153. वही, X 42; गौतम ने यह नियम बनाया है कि वैश्य और शूद्र को अपनी मेहनत से ही आय प्राप्त करनी चाहिए, निर्विष्टं वैश्यशूद्रयोः.
154. कोसंबी : 'एनशिएंट कोसल ऐंड मगढ़', (जर्नल थाफ़ दि बांबे आंच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बांबे, XXVII), पृ० 195-201.
155. अंगुत्तर निकाय, IV, पृ० 239; जात०, I, पृ० 49; इस शब्द का घाविक अर्थ है 'बड़े प्रकोष्ठ वाला'. बिहार में आज भी धनी व्यक्तियों का संकेत करने के लिए सामान्य बोलचाल में इसी आशय के मुहावरों का प्रयोग किया जाता है.
156. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 119. गौतम के अनुसार (X.5-6) कृषि, व्यापार और सूदखोरी आहुणों के लिए विधिसंगत है, किन्तु शर्त यह है कि वह ये काम स्वयं न करे.
157. फाइजर : पूर्व निर्दिष्ट (आर्कीव ओरियेटेलनी, प्राग, XXII) पृ० 238-265.
158. रीज डेविल्स : 'बुद्धिस्ट इंडिया', पृ० 102.
159. महिमन निकाय, II, पृ० 84-85.
160. वेस्टर मन्न : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 16, कीट के कृषिदास को धपदाद माना गया है, जो ऐसी संपत्ति धारण कर सकता था जिसमें महिला दासियों के दहेज संबंधी अधिकार को सुरक्षित रखा गया था.
161. गौतम धर्मसूत्र, X, पृ० 62-3.
162. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XXVI.16; क्षत्रियो बाहुबीर्येण तरेदापदमात्मनः धनेन वैश्यशूद्रौ.
163. विनय पिटक, III, पृ० 136.
164. आपस्तंब धर्मसूत्र, II, 10.26. 4, ग्रामेषु नगरेषु च आर्योऽशुचीन् सत्यशीलान् प्रजागृत्ये निदध्यात्.

132 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

165. वही, II. 10-26.5.
166. वही, II. 10.25.12-13.
167. आपस्तंब धर्मसूत्र की हरदत्तीय टीका, II. 10.25.13.
168. हापकिस : 'कैव्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', I, पृ० 240.
169. वही.
170. पाणिनि ग्रामर, IV. 1.30.
171. अग्रवाल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 79.
172. दीप निकाय, II, पृ० 149.
173. सूक्ष्मगडम्, III, 1.9.
174. फाइजर : पूर्व निर्दिष्ट, (आर्कीव ओरियेंटलनी, प्राग, XII) पृ० 261.
175. जातक, IV, पृ० 43.
176. रायचौधरी : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 71.
177. घोषाल : 'दि कास्टीट्यूशनल सिरिजिकलेंस आफ संघ-गण इन दि पोस्ट बैंडिक पीरियड', (इंडियन कल्चर, बालकस्ता, XII) पृ० 62.
178. जायसवाल : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 69-70.
179. गौतम धर्मसूत्र की टीका, VI.10.
180. बौद्धायन धर्मसूत्र, I. 10.19.13, चत्वारी वर्णः पुत्रिणः साक्षिणः स्युः.
181. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVI. 29, सर्वेषु सर्व एव वा.
182. गौतम धर्मसूत्र, XIII.3, मस्करित् और हरदत्त की 'अपि शूद्रः' की व्याख्या.
183. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVI.30, शूद्राणाम् संतः शूद्राश्चान्त्यानामन्त्ययोनयः.
184. वेस्टर मन्त्र : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 17.
185. गौतम धर्मसूत्र, XI, पृ० 20-21.
186. पीछे, पृ० 100-1.
187. गौतम धर्मसूत्र, XII. पृ० 11-13, ब्राह्मणस्तु अविष्ये पंचाशत्, तदर्थं वैये, न शूद्रे किञ्चित्.
188. वही, XII.1, शूद्रों द्विजान्तीततिसन्धायाभिहृत्य वार्गदंपारुष्याभ्यामंगं मोच्यो येनो-पहन्यात्.
189. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 10 27.14, जिह्वाच्छेदनं शूद्रस्य आर्यम् धार्मिकम् आकोशतः.
190. वही, I. 9. 26 4, यह महिलाओं के लिए भी विहित है.
191. वही, I.9.26.3.
192. वही, II. 10 27.15, वाचि पथि शश्यायामासन इति समीभवतो दण्डताङ्नम्; गौतम धर्मसूत्र, XII.7.
193. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 10.27.9, वध्यः शूद्र आर्याम्.
- 194 वही, II. 10.27.10.
195. वही, II. 10.27.8, नाश्य आर्यः शूद्रायाम्.
196. गौतम धर्मसूत्र, XII. 15-16. अष्टपाँचं स्तेयकिलिवर्षं शूद्रस्य, द्विगुणोत्तराणीन्तरेषाम्, प्रतिवर्णम्.

197. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 10.26.6-8.
198. मङ्गिभास निकाय, II, पृ० 88, एवं सन्ते हमें चत्तारो वण्णा समसमा होन्ति.
199. रैप्सन : 'कैनिंज हिस्ट्री आफ इंडिया', I, पृ० 205.
200. वही.
201. जातक, I, पृ० 402.
202. वही, I, पृ० 451.
203. मङ्गिभास निकाय, I, पृ० 344; दण्ड तजिजता भय-तजिजता अस्सुमुखा रुदमाना परि-कम्मानि करोति; संयुक्त निकाय, I, पृ० 76; अंगुत्तर निकाय, II, पृ० 207-8; III, पृ० 172, दीघ-निकाय, I, पृ० 141.
204. सूयगडम्, I. 5.2.5.
205. 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', XIV, पृ० 374, पाद टिप्पणी 9, वह व्यक्ति, जिसे उस उत्पादन (कृषि का) का छठा भाग प्राप्त होता है, जिसके लिए उससे मजूरी पर काम कराया गया है.
206. वही, 375, फुट नोट 1, वेयगच्छहिय और अंगच्छहिय शब्दों का अनुवाद करना जैकोबी की दृष्टि से कठिन है.
207. सूयगडम् II.2.20; जैकोबी का अनुवाद, सूयगडम्, II. 2.6,3 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', XVI, पृ० 374-5; जा विय से वाहिरिया परिसा भवै, तं जहादासे इ वा नेसे इ वा भय ए इ वा भाइले इ वा कम्मकरए इ वा भोगपुरिसे इ वा तेसि पि यर्ण अन्नयरसि अहालहुगंसि अवराहंसि सायमेव गण्युयं दण्डं निवतेह. तं जहाइमं दण्डेह, इमं मुण्डेह, इमं तजेह, इमं तालेह, इमं अदुग्बन्धनं करेह, इमं नियलबन्धनं करेह, इमं हृदिङ्गबन्धनं करेह, इमं तारगवन्धनं करेह, इमं नियलजुयल संकोधियमोऽियं करेह, इमं हथचिष्ठनं करेह, इमं पायचिष्ठनम् करेह, इमं कण्णचिष्ठनहं करेह, इमं नवकओह सीसमुहृच्छानयं करेह, वेयगच्छहियम् अंगच्छहियम् पक्खाकोऽियं करेह, इमं नयणुप्ताऽियं करेह, इमं दंसणुप्ताऽियं वसणुप्ताऽियं जीभुप्ताऽियं ओलम्बियं करेह, धसियं करेह, धोलियं करेह, सूलाइयं करेह, सूलाभिन्नयं करेह, खारवतियं करेह, वञ्चभवतियम् करेह, सीहुपुच्छियं करेह, वसभपुच्छियं करेह, दवगिगदद्वयं गं कागणिमसखावियं गं भत्तपाणनिरुद्गं इमं जवज्जीवं वहबन्धनं करेह, इमं अन्नयरेत अमुर्भेण कुमारेण मारेह
208. वेस्टर मन्न : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 17.
209. बौद्धायन धर्मसूत्र, I.10.19.1 और 2; आपस्तंब धर्मसूत्र, I.9.24.1-4; गौतम धर्मसूत्र, XXII, पृ० 14-16.
210. बौद्धायन धर्मसूत्र, I, 10.19.1.
211. आपस्तंब धर्मसूत्र, I. 9.24.1 हरदत्त की टीका सहित.
212. गौतम धर्मसूत्र, XXII, 14-16.
213. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XX.31-33.
214. सामविधान ब्राह्मण, (इंट्रोडक्शन), पृ० X.
215. वही, I. 7.5-6.

134 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

216. आपस्तंब धर्मसूत्र, I.9.25.13; बौधायन धर्मसूत्र, I. 10.19.6.
217. यह जानने योग्य है कि 'साम विधान ब्राह्मण', I.7.7 में शूद्र की हत्या के लिए वही प्रायशिचत विहित किया गया है, जो गाय को मारने वाले के लिए विहित है.
218. पीछे, प० 109.
219. घोबाल : पूर्व निर्दिष्ट, (इंडियन कल्चर, कलकत्ता, XIV) प० 27.
220. वसिष्ठ धर्मसूत्र, IV. 2 बौधायन धर्मसूत्र, I. 10.19.5-6.
221. बौधायन धर्मसूत्र, II. 3.6.22.
222. गौतम धर्मसूत्र, IX.1 की टीका (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, II, प० 216).
223. बौधायन धर्मसूत्र, IV. 5.4; देखें, भारहाज गृह्णसूत्र, III. 6; कौशिक सूत्र, III. 4.24.
224. गौतम धर्मसूत्र, IV. 27, असमानार्थां च शूद्रात् परितवृत्तिः.
225. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 2.4.19; गृह्णमम्यागतम् शूद्रोचेदागतस्तं कमंणि नियुञ्ज्यात्; बौधायन धर्मसूत्र, II. 3.5.14.
226. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 2.4.20; ब्राह्मणों के लिए राजा के भंडार में इस प्रयोजन की सामग्री रखी जाएगी.
227. गौतम धर्मसूत्र, V. 43.
228. वही, V. 45, अन्यान्तमृत्ये: सहानृष्णमार्थम्.
229. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 4.9.5; बौधायन धर्मसूत्र, II.3.5.11; वसिष्ठ धर्मसूत्र, XI.9.
230. गौतम धर्मसूत्र, VI.10.
231. वही, VI 11, अवरोध्यार्थं शूद्रेण.
232. आपस्तंब धर्मसूत्र, 1.2.5.16.
233. आपस्तंब धर्मसूत्र, I. 4.14.26-29; गौतम धर्मसूत्र, V. 41-42.
234. आपस्तंब धर्मसूत्र, I. 4.14.23, सर्वनाम्ना स्त्रियो राजन्यवैश्यो च न नाम्ना.
- 235 फिक : पूर्व निर्दिष्ट, प० 83.
236. जातक, III, प० 452.
237. आपस्तंब धर्मसूत्र, I. 5.16.21.
238. वही, I. 5.16.22.
239. वही, I. 5.16.30 हरदत्त की टीका सहित.
240. वही, I. 5.17.1.
241. वही, I.6.18.13; सर्ववण्णिनां स्वधर्मे वर्तमानानां भोक्तव्यं शूद्रवर्यमित्येके.
242. आपस्तंब धर्मसूत्र, प्रस्तावना, प० III, बुहलर के वर्गीकरण के अनुसार पांडुलिपि जी० य० 2.
243. वही, II. 8.18.2; बौधायन धर्मसूत्र, II.2.3.। वसिष्ठ धर्मसूत्र, XIV. 2.4.
244. आपस्तंब धर्मसूत्र, I.6.18.14, तस्यापि धर्मोपनतस्य.
245. वही, I.6.18.15.
246. गौतम धर्मसूत्र, XVII.5; वृत्तिश्चेनांतरेण शूद्रात्.

247. वही, XVII.6; पणुपालकेकर्ककूलसंगतकारयितृपरिचारका भोज्यान्नाः.
248. गीतम् धर्मसूत्र, VII.22.
249. वही, IX.11.
250. वसिष्ठ धर्मसूत्र, VI. 26.
251. वही, VI.27-29.
- 252 वही.
- 253 बीधायन धर्मसूत्र, IV.1.5.
254. वही, III. 6.5.
255. हुल्श : 'दि बीधायन धर्मशास्त्र', इंट्रोडक्शन, पृ० IX.
256. वही.
257. निर्वत, III.16, ब्राह्मण और वृपल के वैतम्य पर निर्वत में जोर दिया गया है.
258. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 2.3.1-4, आर्याधिष्ठिता वा णूद्राः संस्कर्ताः स्युः. बाद की पांडुलिपियों में यह परिच्छेद नहीं मिलता है (जैसा कि बृहलर के वर्गीकरण से प्रतीत होता है), स्पष्ट है कि बाद में इसे हटा दिया गया, ताकि शूद्रों को भोजन बनाने से विल्कुल बहिष्कृत कर दिया जाए.
259. वही, II. 2.3.6-8.
260. बीधायन धर्मसूत्र, I. 5.10.20, (हुल्श के वर्गीकरण के अनुसार) यह परिच्छेद उस पांडुलिपि में नहीं मिलता है, जो कि दक्षिण से प्राप्त हुई है और उत्तर की पांडुलिपि की अपेक्षा अधिक मौलिक है (दि बीधायन धर्मसूत्र, इंट्रोडक्शन, पृ० VIII).
261. जातक, V, 293.
262. वही, IV, 145-6.
263. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 47.
264. सेनार्ट : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 182-3.
265. बीधायन धर्मसूत्र, I.11.20.13.
266. अयंत्रिकलता हि वैश्यणूद्रा भवन्ति, कर्पणशुश्रुषाधिकृतत्वात्. बीधायन धर्मसूत्र, I. 11.20.14-15 बृहलर का अनुवाद कि वैश्य और शूद्र अपनी पत्नी का बहुत खलाल नहीं रखते थे, संबद्ध परिच्छेद का सही अर्थ नहीं बताता है. (सेरेड बुक्स आफ दि ईस्ट, XIV, 207).
267. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVII.78.
268. वही, XVIII.18; निर्वत, XII.13, कृष्णवर्णा या रामा रमणायैव न धर्मयि.
269. वही; घोषाल : पूर्व निर्दिष्ट, (इंडियन कल्चर, कलकत्ता, XIV), पृ० 22.
270. वसिष्ठ धर्मसूत्र, I. 25-26, णूद्रामप्येके मंत्रवर्ज्ञम् तद्वत्, तथा न कुर्यात्.
271. वही, I. 27, अतो हि ध्रुवः कुलापर्कः प्रेत्य चास्वर्गः प्राचीन जर्मन लोगों में यह प्रथा प्रचलित थी कि यदि कोई दासेतर व्यक्ति दास पत्नी से विवाह कर लेता था तो वह भी दास बन जाता था. लैटर्मैन : 'दि ओरिजिन आफ दि इनइवलिटी आफ दि सोशल क्लासेज', पृ० 282.

272. आपस्तंब धर्मसूत्र, I.9.27.10-11.
273. वही, I.9.26.7, 27-11; बौधायन धर्मसूत्र, IV.2.13, 6.5-6.
274. वसिष्ठ धर्मसूत्र, I. 24; बौधायन (I.8.16.1-4) ने ब्राह्मण को चार पत्नियां, क्षत्रिय को तीन, वैश्य को दो और शूद्र को एक पत्नी रखने की अनुमति दी है।
275. वसिष्ठ और बौधायन, दोनों ने शूद्र के लिए एक पत्नी की अनुमति दी है, हालांकि वसिष्ठ ने वैश्य के लिए भी एक ही पत्नी की अनुमति दी है।
276. फिक़ : पूर्व निर्विष्ट, पृ० 51; इस समय में सामान्यतया जातियों में संगोत्र विवाह प्रचलित था।
277. गौतम धर्मसूत्र IV. 27.
278. बौधायन धर्मसूत्र, I. 9.17.7.
279. वही, वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVIII.1.
280. गौतम धर्मसूत्र IV.21; बौधायन धर्मसूत्र, II. 2.3.30.
281. वही, II.2.3.29; गौतम धर्मसूत्र, IV.16; वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVIII.8.
282. बौधायन धर्मसूत्र, I.9.17.13-14.
283. वही, I.9.17.5.
284. वही, I.9. 17.6.
285. फिक़ : पूर्व निर्विष्ट, पृ० 9.
286. छोटा नाशपुर में इस तरह की कई जनजातियां हैं और पूर्वी नेपाल में भी इस तरह की कुछ जातियां हैं।
287. आपस्तंब धर्मसूत्र, I. 1.1.6, अग्नाद्राणाम् अदुष्टकर्मणामुपायनम् वेदाध्ययनमग्न्याधेयं फलवन्ति च कर्मणि.
288. वही, I.3.9.9; शांखायन गृह्यसूत्र, IV.7.33.
289. बौधायन धर्मसूत्र, I. 11.21.15; गौतम धर्मसूत्र, XVI.19.
290. गौतम धर्मसूत्र, XVI.46.
291. तत्र शूद्रादिभूयिष्ठे अनध्यायः.
292. गौतम धर्मसूत्र, XII. 4-6; उदाहरणे जिह्वा छेदः धारणे शरीर भेदः.
293. वही, VIII. 270-272.
294. आपस्तंब धर्मसूत्र, I.2.7.19-21, सर्वदा शूद्रत उग्रतो वाचायर्थस्याहरणं धर्म्यमित्येके.
295. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVIII.14, न शूद्राय मति दद्यात्...न चास्योपदिशोद्धर्मम्.
296. आपस्तंब धर्मसूत्र, II.11.29.11-12 हरदत्त की टीका सहित.
297. 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', II, पृ० 169.
298. गौतम धर्मसूत्र, IV. 26.
299. वेदाः कृषिविनाशाय कृषिवेदविनाशिनी, बौधायन धर्मसूत्र, I.5.10.30.
300. जातक कथा, IV, 391-2.
301. वही, IV, 38.
302. वही, III, 171.
303. अश्वलायन गृह्यसूत्र, I.21.12 (क्षिवेन्द्रम संस्करण); I.24.12-15 (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, अनुवाद).

304. हापकिस : 'म्यूचुअल रिलेशंस आफ दि फोर कास्ट्स इन मनु', पृ० 86, पाद टिप्पणी 1..
305. जैमिनी गीतांसा सूत्र, VI.1.25-27.
306. वही, VI.1.33.
307. आपस्तंब धर्मसूत्र, I.1.1.6.
308. वसिष्ठ धर्मसूत्र, IV.3, शूद्रमित्यसंकार्यो विज्ञायते.
309. पारस्कर गृ० सूत्र, II 8.3.
310. गौतम धर्मसूत्र, X. 64.
311. वही.
312. गौतम धर्मसूत्र, X. 65.
313. बौधायन धर्मसूत्र, II. 4.7.3.
314. दत्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 175.
315. दत्त ने इस तथ्य को अपनी पुस्तक के पृ० 177-78 में एक तीर पर स्वीकारा है.
316. गौतम धर्मसूत्र, X.55.
317. गौतम धर्मसूत्र की टीका, X.55, नाथमात्रा प्राप्तिरिति.
318. मैक्समूलर : 'दि हिवर्ट लेखर्स', पृ० 343.
319. गौतम धर्मसूत्र, X. 53.
320. वही, XIV, 2-4; वसिष्ठ धर्मसूत्र, IV.30.
321. वसिष्ठ धर्मसूत्र, IV. 27-29.
322. गौतम धर्मसूत्र, XIV. 2-4. दूसरों के मतानुसार वैश्य के लिए अशुचि की अवधि आदे महीने रखी गई थी (वही).
323. आर० एल० मित्र : 'इंडो-प्रियन्स', II, पृ० 131-2.
324. अश्वलायन गृह्यसूत्र (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, अनुवाद), IV.2.19-21. यहां प्रयुक्त शब्द वृष्टल है.
- 325 बौधायन धर्मसूत्र, II.4.7.15.
326. वही I.5 10.24; वसिष्ठ धर्मसूत्र, II.27.
327. गौतम धर्मसूत्र, X.67, आयतार्योवर्तिक्षेपे कर्मणः साम्यम्.
328. जातकों में शारीरिक श्रम करके अपना जीवन निर्वाह करते वाले ब्राह्मणों के उदाहरण मिलते हैं
329. विनय पिटक, IV.6.
330. वही. विनय पिटक अट्कथा, पृ० 439 में कोट्ककम्मम् शब्द की व्याख्या तच्छक कम्म के रूप में की गई है, किंतु हात्मन् ने इसका अनुवाद भंडारपाल के काम के रूप में किया है. सेक्रेड बुक्स आफ दि बुद्धिस्ट्स', XI, पृ० 175.
331. विनय पिटक, IV. 6.
332. दीघ निकाय, I, 51.
333. बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, 460.
334. लामक-कम्म, जातक, I, 356.

138 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

335. जातक, III, 452-53.
336. कसवतो मलमज्जनो निहीनजच्चो. विनय पिटक, IV, 308.
337. दीघ निकाय, III, 95.
338. आयारंगसुत, II. 4.1.8; दीघ निकाय, I. 92-3.
339. महिष्मान निकाय, III, 169-78; II, 152, 183-4.
- 340 वही.
341. विनय पिटक, II, 6; देखें, अंगुत्तर निकाय, II. 85; संयुक्त निकाय, I, 93.
342. विनय पिटक, IV, 4-11.
343. संयुक्त निकाय, I, 102, 166; सूयगडम्, 1.9-2-3; फिकः पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 20-30.
344. पाणिनि, II 4-10; महाभाष्य, I, 475, शूद्राणामनिरवसितानाम्.
345. जातक, IV, पृ० 391-2.
346. सूयगडम् (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, अनुवाद). II.2.27.
347. आपस्तंब धर्मसूत्र, II. 1.2.8.
- 348 मैत्रायणि संहिता; बुहलर के वर्गीकरण (पूर्वोद्धृत, इंट्रोडक्षन, पृ० III) के अनुसार जी० यू० 2.3.
349. गौतम धर्मसूत्र, XIV. 30.
350. जातक, IV, 397.
351. वही, III, 233
352. वही, IV, 376, 390-1.
- 353 वही.
354. वही, IV, 390.
355. वही, IV, 387.
356. वही, II, 82-84
357. वही, IV, 376, 391.
358. उत्तराध्ययन सूत्र टीका, 13, पृ० 185a, जैन लिखित पूर्व निर्दिष्ट ग्रंथ, पृ० 144 में उद्धृत.
359. रामायण, I. 58. 10.
- 360 चवचड्क-चंडाला. जातक टीका, III, 195.
361. अंतगड दसाथो, 65.
362. जातक, IV, 390
363. वही, III, 41, 179.
364. बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 438.
365. वही पृ० 439 440.
366. अंगुत्तर निकाय, IV, पृ० 376, ***कलोपिहृत्थो नन्तिकवासी गामं वा निगमं वा पविसन्तो नीचचित्तं योवा उपदृष्टपेत्वा पविसति.
367. जातक, IV, पृ० 379.

- .368. श्रंगुत्तर निकाय, III, पृ० 206.
369. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 318.
370. पालि ग्रन्थों में इसका कोई संकेत नहीं है, किंतु मनु (X. 49) और विष्णु (XVI.9) ने शिकार को उनका पेशा विहित किया है.
371. जातक, III, 195; देखें, फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 321.
372. बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 454-5.
373. जातक, IV, पृ० 251.
374. बौधायन धर्मसूत्र, 1.9.17.12.
375. जातक, V, पृ० 306.
376. 'सेक्षेत्र बुक्स आफ दि बुद्धिस्ट्स', XI, पृ० 173; जातक, V, पृ० 306, वेणजाति ति तच्छक्जाति.
377. भारद्वाज गृहसूत्र, I. 1; वसन्ते आह्वाणमुपनीत...वर्षा रथकारं शिशिरे वा, बौधायन गृहा सूत्र, II, 5.6, II, 8, 5; जैमिनी सीमांसा सूत्र, VI. 1.50.
378. रीज डेविड्स : 'डायलाग्स आफ दि बुद्ध', I, पृ० 100.
379. जातक, VI, 51; देखें पेतवत्त्यु अठकथा, III. 1. 13.
380. बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 456.
381. श्रंगुत्तर निकाय, I, पृ० 111-113.
382. महाभारत, XII, 59.102-3.
383. दत्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 107.
384. महाभारत, XII.59.99-101; ला : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 100, बी० सी० ला का कथन है कि ये निष्पत्ति ये न कि निपाद, किंतु महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण में स्पष्टतया निपाद शब्द का उल्लेख हुआ है.
385. जातक, II, पृ० 200; VI, पृ० 71, 170.
386. वही, VI, पृ० 71.
387. पाणिनी, IV, 1.100.
388. कोसंबी : (जर्नल आफ दि अमेरिकन ओरियंटल सोसायटी, वाल्टी भोर, LXXV, 44). यह इस धारणा पर निर्भर है कि निपाद गोत्र आह्वाणीय गोत्र था, जो संविध है.
389. गौतम धर्मसूत्र, IV.28; एक अन्य स्थान पर गौतम ने कहा है कि अंतर्यों को अपवित्र वस्त्र दिए जाने चाहिए (XIV.42).
390. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVI.30.
391. आपस्तंब धर्मसूत्र, I 3.9.15.
392. वही, I.3.9.18.
393. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XVIII.3.
394. गौतम धर्मसूत्र, XX.1; देखें, XXIII, 32.
395. (मार्डन रिव्यू, दिसंबर 1923), पृ० 712-13. अबेन्दुकर : 'दि अनटचेबुल्स', अध्याय IX. अंबेडकर ने इस विचार को और भी विकसित किया है.

396. अंबेडकर : पूर्व निर्दिष्ट, अध्याय X.
397. गौतम धर्मसूत्र, XXII.13 में गोवध को मामूली अपराध बताया गया है, जिसका मोचन प्रायशःचतुर से किया जा सकता है.
398. दत्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 106-7; पृ० 31.
399. धूर्ये : 'कास्ट एंड ब्लास्ट', पृ० 159.
400. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 324.
401. महिमन निकाय, III, ... लाभी अन्तस्स पानस्स वत्थस्स यानस्स ; पृ० 169-70; अंगुत्तर निकाय, II, पृ० 85.
402. (पास्ट एंड प्रेजेंट, सं० 6, 5).
403. महिमन निकाय, I, पृ० 211, II, पृ० 182-84; संयुक्त निकाय, I, 99; विनय पिटक, II, पृ० 239; अंगुत्तर निकाय, IV, पृ० 202; देखें, महिमन निकाय, III, पृ० 60; I, पृ० 384; दीघ निकाय, III, पृ० 80-98.
404. जातक, III, पृ० 194; IV, पृ० 303.
405. महिमन निकाय, II, पृ० 103, अरियाय जातिया जातो.
406. टामसन : 'स्टडीज इन एनशिएट ग्रीक सोसायटी', II, पृ० 238.
407. दीघ निकाय, I, पृ० 226-30.
408. जातक, IV, पृ० 200.
409. वही.
410. जातक, III, प० 233.
411. दस० कु०, प० 45, पूर्वोद्धृत जैन ग्रंथ में उद्धृत, प० 229.
412. उत्तरा, XII.
413. आयारंग सुत्त, II.1.2.2.
414. विनय पिटक, III, 184-5; IV, प० 80, 177.
415. सुत्त निपात, 137 और 138.
416. मलसेकेरा : 'डिक्षनरी आफ पालि प्रापर नेम्स', I, प० 174.
417. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, प० 77-78.
418. बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, प० 285, पाद टिप्पणी ।.
419. 'हिस्ट्री आफ पालि लिटरेचर' की विधि में दी गई सूची के आधार पर संगणित, II, प० 508-16.
420. वही, II, प० 501-508; 508-516.
421. जैन : 'लाइफ एज डिपिक्टड इन जैन कैनन्स', प० 107.
422. बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, प० 485.
423. ढाणांग, X.712; परिजुना, रोगिणोतीआ, रोसा और अणाडिता पञ्चज्ञा.
424. सूयगडम्, II, 2.54.
425. वही, I.7.25.
426. विनय पिटक, I, प० 74-76...कारभेदको चोरो...चोरो...कसाहतो कतदण्डकम्मो...

- इणायिको...दासो... हर मामले में कहा जाता है : पलायित्वा भिक्खूसु पञ्चजितो हीति.
- 427. दीघ निकाय, I, 51...हथारोहा अस्सारोहा...दासकपुत्ता आलारिका कप्पका नहापका सूदा मालाकारा रजका पेसकारा... .
428. वही, I.60, दासो कम्मकरो पुञ्चुट्टायी पञ्चान्नाती किंकरपटिस्साकी मनापचारी पिय-वादी मुखूलोकको.
429. वही, I, 60-61.
430. दीघ निकाय, I. 61, कस्सको गहपतिको कार-कारको रासि-वद्धको.
431. विनय पिटक, I, पृ० 77, समणा सम्पुत्तिया...सुभोजनानि भुजित्वा निवातेसु सयनेसु सयन्ति.
- 432. दीघ निकाय, I, 5.
433. वही, I, पृ० 60.
- 434. ठाणांग, III 202; जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 194.
435. आपस्तंब धर्मसूत्र, I.7.20.11-12.
- 436. वही, I.7.20.15; मनुष्याणां च मनुष्यैः, वसिष्ठ धर्मसूत्र, II.39.
437. अंगुत्तर निकाय, II, 208; केसावणिजे...उवासग, पृ० 51.
438. अंगुत्तर निकाय, V. 137, दासकम्मकरपोरिसेहि वड्ढति.
- 439. जातक, III, पृ० 49.
440. बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 414.
441. जातक, III, अनुवाद, 33; मूल, 48.
442. वही.
443. दीघ निकाय, III, पृ० 191.
- 444. जातक, I, पृ० 451.
445. आयारंगसूत्र, I.2.5.1.
- 446. मलसेकेरा : पूर्व निर्दिष्ट I, 876-77, जैसे लोहार चुंद.
447. बैशम : 'हिस्ट्री एंड डाकिन्स आफ आजीविकाज', पृ० 134.
448. ओलडेनबर्ग : 'बुद्ध', पृ० 155-9.
449. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 32.
450. दीघ निकाय, I, पृ० 91-98.
- 451. फिक : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 31.
- 452. अंगुत्तर निकाय, IV, पृ० 239; संयुत निकाय, IV, 239; जातक, I, पृ० 49.
453. अंगुत्तर निकाय, III, पृ० 307 एवं आगे.
- 454. दत्त : 'ओरिजिन एंड ग्रोथ आफ कास्ट इन इंडिया', पृ० 133. इस अवधि में भी श्रद्ध वैश्वदेव यज्ञ के अवसर पर उच्च वर्णों के लिए भोजन तैयार करते थे.
- 455. मङ्गलम निकाय, II, 128; देखें, II, 147 एवं आगे.
- 456. सुत्त निपात, 314-15.

142 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

457. जातक, I, 49; देखें, ललितविस्तर, I.20.
458. अन्त कुलेसु वा पन्त...तुच्छ...दरिद्र...किविण...भिक्खाग...माहण...कल्पसूत्र, II.17., तुल० 22.
459. बंद्योपाध्याय : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 302, 309-10.
460. वसिष्ठ धर्मसूत्र, VI.24, दीर्घवैरमसूया चासत्यं आह्यान्दूषणम्, पैशून्यं निर्दंयत्वं च जानीयात् शूद्रलक्षणम्.
461. ऊपर देखें, पृ० 108-9.
462. विनय पिटक, IV, पृ० 181-2.
463. वही, IV, पृ० 181-2, साकियदासका अवश्यद्वा होन्ति...साकियनियो अर्ज्ञदिभिसु. च...
464. जातक, V, पृ० 98-99.
465. जातक, IV, 159; 'कैन्निज हिस्ट्री आफ इंडिया', I, पृ० 210.
466. वही, I, पृ० 205.
467. जातक, I, पृ० 451-2, 458.
468. विनय पिटक, I, पृ० 74-6.
469. जातक, VI, पृ० 138.
470. वैशम : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 37.
471. जातक, VI, 69 (वर्तमान कथा).
472. बौद्धायन धर्मसूत्र, II.2.4.18 आत्मक्षाणे वर्णसंबर्गे...वसिष्ठ धर्मसूत्र, III.24-25 वर्णसंबर्गे शब्द पांडुलिपि 'बी' में आया है, जिसे फुहरर ने बहुत महत्वपूर्ण माना है (वसिष्ठ धर्मसूत्र, प्रस्तावना, पृ० 5). अन्य पांडुलिपियों में धर्मसंबर्गे और वर्णसंकरे पाठ है.
473. वेस्टर मन्न : 'दि स्लेव सिस्टम्स आफ ग्रीक एँड रोमन एंटिकिवटी', पृ० 37; ग्रीकों और रोमनों के युद्ध में दासों से योद्धा का काम नहीं लिया जाता था.

मौर्यकालीन राज्यनियंत्रण और सेवि वर्ग (लगभग तीन सौ ई० पू० से दो सौ ई० पू० तक)

मौर्यकाल में शूद्रों की स्थिति के अध्ययन का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और इसके पूरक हैं मेगस्थनीज की रिपोर्ट के कुछ अंश तथा अशोक के उत्कीर्ण लेख। किंतु प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास के किसी प्रश्न को लेकर उतना विवाद नहीं हुआ है, जितना संभवतया अर्थशास्त्र की तिथि और प्रामाणिकता के संबंध में हुआ है।¹ एक ओर जोरदार शब्दों में कहा जाता है कि यह रचना चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य की है, तो दूसरी ओर इसे सर्वथा अस्वीकार करते हुए रचना को ई० सन की पहली या तीसरी शताब्दी का माना जाता है। इस विवाद के पूरे अंश को दुहराना तो संभव नहीं है, किंतु कुछ विचारों को यहाँ उद्धृत करना आवश्यक मालूम पड़ता है। विरोध करने वालों के तर्कों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनका स्वरूप नकारात्मक है। अर्थशास्त्र के अंत में उल्लिखित पद्य से स्पष्ट है कि यह रचना उस व्यक्ति की है जिसने नंद वंश का नाश किया,² और यह ऐसी ऐतिहासिक परंपरा है जो बाद के ब्राह्मण और जैन ग्रंथों में भी मिलती है। यह पद्य इस दुष्टि से भी विशेष महत्वपूर्ण समझा जाता है कि धर्मसूत्रों और स्मृतियों के लेखकों के संबंध में ऐसे जीवनचरित संबंधी लेख अन्यत्र नहीं मिलते। इतना ही नहीं, किसी भी ग्रंथ से कोई वैकल्पिक सूचना नहीं मिलती कि कौटिल्य किसी अन्य काल के थे।

एक लेख में कुछ नए आधार प्रस्तुत करके बताया गया है कि अर्थशास्त्र ई० सन की पहली से लेकर तीसरी शताब्दी तक की रचना है।³ कहा जाता है कि कौटिल्य ने जब ज्ञान का वर्गीकरण किया, तब प्रत्यक्ष विज्ञान दर्शन से अलग होने लगा था। अलग होने की यह प्रक्रिया ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों की कही जा सकती है।⁴ किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि कौटिल्य ने शिक्षा की जिन मुख्य शाखाओं का, अर्थात् कल्प (कर्मकांड), व्याकरण और निश्चित का उल्लेख किया है, वे मौर्यपूर्व काल में अध्ययन के विषय थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अर्थशास्त्र में दर्शनशास्त्र की लोकायत शाखा का जो उल्लेख हुआ है उससे उक्त ग्रंथ का रचनाकाल बाद का नहीं कहा जा सकता।⁵ संभवतया लोकायत

शाखा बुद्ध से पहले की है,⁶ और इतना तो निश्चय ही है कि यह मौर्यों से पहले की है, क्योंकि प्राचीन वौद्ध ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख है।⁷

यह भी तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ के संकलन में राजनीति विज्ञान की दीर्घकालीन परंपरा का आभास मिलता है, जिसका विकास कई सौ वर्षों में हुआ होगा।⁸ स्वयं कौटिल्य ने इस बात को स्वीकार किया है और अपने विषय के दस पूर्ववर्ती विद्वानों का उल्लेख किया है।⁹ मौर्यपूर्व काल में इस तरह की दीर्घकालीन परंपरा थी जो धर्मसूत्रों से सिद्ध है। एक आकलन के अनुसार आपस्तंब धर्मसूत्र का 1/15, बौधायन धर्मसूत्र का 1/12, गौतम धर्मसूत्र का 1/6 और वसिष्ठ धर्मसूत्र का 1/5 भाग अर्थविषयक है।¹⁰ इससे पता चलता है कि अर्थ की महत्ता बढ़ रही थी, और उसकी चरम परिणति कौटिल्य के स्वतंत्र ग्रंथ अर्थशास्त्र के रूप में हुई।

यह भी कहा जाता है कि अतिशयता को छोड़ने और मध्यम मार्ग अपनाने की अर्थशास्त्रीय नीति मध्यांत विभंग जैसे दार्शनिक ग्रंथ में भी पाई जाती है।¹¹ यह ग्रंथ ई० सन की तीसरी शताब्दी का बताया जा सकता है। किंतु मध्यम मार्ग का सिद्धांत जिसे मञ्जिक्षम पटिपदा कहा जाता है, उतना ही पुराना है जितना विनय पिटक ग्रंथ।¹² इसमें बुद्धदेव ने अपने प्रथम प्रवचन में ही अपने अनुयायियों को बताया है कि वे संन्यास और विलास जैसे दो चरम विदुओं का परित्याग करें।

अंततः यह कहा गया है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन, सामाजिक पद्धति और राजनीतिक संस्थाओं के जिस तरह के संबंधों का उल्लेख हुआ है वे मेगस्थनीज की रिपोर्ट और अशोक के उत्कीर्ण लेखों में किए गए वर्णन से कहीं अधिक विकसित हैं, और उनसे ई० सन की प्रथम और तृतीय शताब्दी के बीच के काल की विशिष्टता का बोध होता है।¹³ किंतु इस विचार का समर्थक साक्ष्य नगण्य सा है। अर्थशास्त्र में उत्पादन के संबंधों का प्रमुख तथ्य यह है कि आर्थिक व्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर राज्य का बहुत बड़ा नियंत्रण था। कौटिल्य के अनुसार राज्य व्यापार, उद्योग और खान का नियंत्रण तो करता ही है; राजकीय प्रक्षेत्रों (फार्मों) का अध्यक्ष दासों और कर्मकरों से काम कराने के साथ ही इस कार्य के लिए लोहारों, बढ़ियों और मिट्टी खोदने वालों से भी काम लेता है।¹⁴ स्ट्रैबो ने मेगस्थनीज की रिपोर्ट से जो अंश उद्धृत किए हैं, उनसे भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा पता चलता है कि राज्य के बड़े बड़े अधिकारी न केवल नदियों की निगरानी और सिचाई की देखभाल करते थे, बल्कि जमीन की पैमाइश भी करते थे और जमीन से संबंधित पेशेवरों, अर्थात लकड़हारों, बढ़ियों, लोहारों और खानों में काम करने वालों पर भी नजर रखते थे।¹⁵ फिर अर्थशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था की जो रूपरेखा निर्धारित की गई है, वह ब्राह्मण ग्रंथ के ढाँचे पर निरूपित है।

अर्थशास्त्र की राज्यव्यवस्था की खास विशेषता यह है कि वह सभी प्रकार के प्राधिकारों में राज शासन को आगे बढ़ाना चाहती है,¹⁶ और प्रजा को लगभग तीस विभागों के माध्यम से शासन के अस्तित्व का अनुभव कराना चाहती है। यह मौर्य साम्राज्य की आम नीति थी, जिसका पता मुख्यतया अशोक के उत्कीर्ण लेखों से चलता है। अशोक ने धर्मप्रचारक के रूप में काम किया था और उसके पास सुसंगठित अधिकारीतंत्र था। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राज्य को, राजा के रूप में, सर्वव्यापी सत्ता के तौर पर स्थापित करने की मनोवृत्ति सिकंदर के साम्राज्य में भी प्रकट हुई और उस साम्राज्य का पतन होने पर जो यूनानी राजतंत्र आया उसने भी इस व्यवस्था को अपनाया।¹⁷ इस प्रकार भेगस्थनीज की रिपोर्ट से उद्धरण देकर स्ट्रेबो ने ठीक ही भारत के मजिस्ट्रेटों की तुलना यूनानी मिस्त्र के ऐसे ही अधिकारियों से की है।¹⁸ कौटिल्य का दावा है कि उसने तत्कालीन राज्यों में प्रचलित शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है।¹⁹ अतः उसने जिस 'राजतंत्र' की स्थापना की उससे उस युग की व्यापक चेतना का आभास मिलता है।

किंतु इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि बहुत से अन्य ग्रंथों की तरह अर्थशास्त्र में भी परिवर्तन किए गए होंगे। अतएव समस्या है कि इस ग्रंथ के तात्त्विक अंशों में किए गए परिवर्तन का पता कैसे लगाया जाए।²⁰ फिर भी, अब सामान्यतया यह माना जाता है कि अर्थशास्त्र में वस्तुतः मौर्यकाल के संस्मरणात्मक तथ्य हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि द्वितीय अधिकरण सबसे प्राचीन है। प्रस्तुत अध्याय में द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ अधिकरण से अधिक सामग्री ली गई है; बाद के अधिकरणों का उतना उपयोग नहीं किया गया है।

यद्यपि सुदूर दक्षिण को छोड़ प्रायः संपूर्ण भारत पर मौर्यों का शासन छाया हुआ था और यद्यपि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में व्यापक भौगोलिक पृष्ठभूमि का ख्याल रखा है, फिर भी इसमें जिन बातों की चर्चा आई है, वे संभवतया उत्तर भारत में विद्यमान परिस्थिति को ही प्रतिबिमित करती हैं। जहां तक संकीर्ण और स्थानीय नीतियों से दूर हटकर सारे साम्राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थशास्त्र में बताए गए उपायों का प्रश्न है, उन्हें पूरे साम्राज्य में लागू किया जा सका होगा, किंतु आर्थिक कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने या परती जमीन को जोतने के संबंध में दी गई हिदायतें साम्राज्य के निकटवर्ती इलाकों तक ही सीमित रही होंगी।

शूद्र वर्ण के कृत्यों का निरूपण करने में कौटिल्य ने धर्मशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि शूद्र का निर्वाह द्विजों की सेवा से होता है।²¹ किंतु वे शिल्पियों, नर्तकों, अभिनेताओं आदि का व्यवसाय करके भी अपना निर्वाह करते हैं।²² ये व्यवसाय स्पष्टतया स्वतंत्र थे और इनमें द्विजों की सेवा करना आवश्यक नहीं था।

कौटिल्य ने धर्मसूत्र की जिस पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया है उससे यह प्रतीत होता है कि शूद्रों को अपनी जीविका के लिए पूर्णतया उच्च वर्ण के मालिकों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसका आभास उसके जनपदनिवेश संभव्यती नियमों से मिलता है। कौटिल्य का कथन है कि सौ से लेकर पाँच सौ परिवारों की बस्तियां बसाने में एक बस्ती से दूसरी बस्ती की दूरी दो या चार मील की होनी चाहिए और उसके निवासी मुख्यतया शूद्र और कर्षक ही होने चाहिए।²³ विद्वानों ने शूद्र और कर्षक शब्दों का छांद समाप्त (शूद्रकर्षक प्रायम्) माना है,²⁴ और इस तरह उनके अनुसार शूद्र किसान नहीं थे; किंतु कुछ लोगों ने शूद्र शब्द को कर्षक का विशेषण माना है।²⁵ इस वाक्यखण्ड का अर्थ लगाना इसलिए कठिन हो गया है कि इसका प्रयोग अर्थशास्त्र में कहीं अन्यत नहीं हुआ है। अर्थशास्त्र पर जो टीकाएं उपलब्ध हैं, उनमें जनपदनिवेश प्रकरण का समावेश नहीं है। एक स्थल पर कर्षक को कर्मकर, अर्थात् भाड़े का मजदूर माना गया है,²⁶ किंतु संभवतया यहां इस शब्द को ऐसे अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। संभव है कि शूद्र से दास कर्मकरों का और कर्षक से वैश्य किसानों का बोध होता हो।

कौटिल्य के अनुसार राज्य को चाहिए कि नई बस्तियों में भूमि को कृषि योग्य बनाकर करदाताओं को जीवन भर के लिए दें।²⁷ मालूम पड़ता है कि यह बंदोवस्त कृषकों के हाथ किया जाता था, जो राज्य को कर चुकाने के लिए जिम्मेदार थे। किंतु इन्हें जमीन रखने का अधिकार निर्धारित अवधि के लिए दिया जाता था, जो बात संभवतया पुराने गांवों के कृषकों (प्रायः वैश्यों) पर लागू नहीं थी। कृषकों को अनाज, मवेशी और रुपए देने का उपबंध किया गया है।²⁸ उन्हें इस उम्मीद पर ऐसी सुविधा दी गई थी कि वे स्वेच्छया राज्य को कर चुकाएंगे। दूसरे यह कि कृषकों को यह सुरक्षा संभवतया नहीं मिली थी कि भूमि उनकी बनी रहेगी। कौटिल्य ने बताया है कि यदि बस्तियों में कृषक अपना कार्य ठीक से नहीं करें तो उन्हें अपनी भूमि से निकाल दिया जाए और भूमि बैदेहक या ग्रामभूतक को कृषि के हेतु दे दी जाए।²⁹

नई बस्तियों में शूद्र को कृषि के अलावा अन्य कार्यों में लगाया जा सकता था। कहा गया है कि नई बस्ती, जिसके निवासी मुख्यतया शूद्र (अवर वर्णप्राय) होते हैं, निश्चित रूप से फल देने वाली होती है और उसमें राज्य द्वारा आरोपित सभी भारों को वहन करने की क्षमता रहती है।³⁰ नयचंद्रिका के अनुसार 'भोग' शब्द के अर्थ से पता चलता है कि शूद्रों को न केवल खेती में लगाया जाता था बल्कि उनसे भार ढोने और किला बनाने का काम भी लिया जाता था।³¹ यह भी कहा गया है कि शूद्रों की बस्ती को एक लाभ यह था कि उसकी जनसंख्या अधिक होती थी।³² नई जमीनों को जोतकर खेती करने तथा पूर्ववर्ती खेतों का पुनरुद्धार करने के लिए शूद्रों को घनी आवादी वाले क्षेत्रों से मंगाया जाता था, अथवा दूसरे राज्यों

से उन्हें वहां आ जाने के लिए प्रेरित किया जाता था।³³ कहा गया है कि जनपद में निम्न वर्ण की आबादी अधिक होनी चाहिए।³⁴ इन सारी बातों से पता चलता है कि देश में शूद्रों की जनसंख्या काफी थी। देश में मुख्यतया वैश्य कृषि का कार्य करते थे; अतएव शूद्र भूराजस्व और अन्य व्ययभार चुकाने के लिए मुख्यतया दायी नहीं रहे होंगे, जैसाकि धोषाल ने सुझाव दिया है।³⁵ नई बस्तियों के किसान शूद्रों के समान बेगारी से मुक्त नहीं थे, क्योंकि जनपदनिवेश प्रकरण में कौटिल्य ने बताया है कि राजा को चाहिए कि अत्याचारी विष्टि (बेगार) से किसान की रक्षा करे।³⁶

अधिकांश शूद्र, पहले ही की तरह, कृषि मजदूरों और दासों के रूप में काम करते रहे। धर्मसूत्रों से ज्ञात होता है कि दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। कौटिल्य ही एक मात्र और प्रथम ब्राह्मण लेखक हैं जिनसे पता चलता है कि दासों को बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन कार्य में लगाया जाता था।³⁷ प्राचीन पालि ग्रंथों में तो बड़े बड़े प्रक्षेत्रों (फार्मों) के केवल तीन उदाहरण मिलते हैं, किंतु मौर्यकाल में ऐसे अनेक प्रक्षेत्र थे जिनमें दास और भाड़े के मजदूर सीधे सीताध्यक्ष (कृषि अधीक्षक) के अधीन रहकर काम करते थे। वह इन लोगों को कृषि के उपकरण और अन्य साधन देता था और कृषिकर्म के लिए बढ़ी, लोहार तथा अन्य शिलिप्यों की सेवाएं प्राप्त करता था।³⁸ मेगस्थनीज के विवरण से भी इस तथ्य की मोटे तौर पर पुष्ट होती है। उसने ऐसे अधिकारियों का उल्लेख किया है जो भूमि संबंधी धंधों और शिलिप्यों की निगरानी करते थे।³⁹ एरियन ने कृषि अधीक्षकों की चर्चा की है,⁴⁰ जो प्रायः सीताध्यक्ष का काम करते थे। स्ट्रेबो का कहना है कि गड़ेरिए और शिकारियों की जो एक तीसरी जाति थी जो खानाबदोश का जीवन बिताती थी और खेतों से जंगली जानवरों तथा पक्षियों को भगाने के लिए राजा से अनाज के रूप में भत्ता पाती थी।⁴¹ ये खानाबदोश आदिवासियों (सर्प-ग्राहादिका: अर्थात् सांप या अन्य जीवों को पकड़ने वाले) से मिलते जुलते मालूम पड़ते हैं।⁴² सीताध्यक्ष उनसे कृषि संबंधी काम लेते थे।⁴³ इस तरह मौर्य साम्राज्य दासों, कर्मकरों, शिलिप्यों और आदिवासियों का, जो कि स्पष्टतया शूद्र वर्ग के थे, बहुत बड़ा नियोजक था। इस दृष्टि से इस काल का कृषि उत्पादन संगठन ग्रीस और रोम के संगठन से कुछ हृद तक मिलता जुलता था।

कौटिल्य ने बताया है कि यदि (श्रमिकों के अभाव के कारण) खेतों की बोआई नहीं हो पाए तो खेत उन लोगों को पट्टे पर दे दिए जाएं जो आधी उपज देकर उनकी जुताई करें।⁴⁴ जो व्यक्ति केवल शारीरिक श्रम करके जीवनयापन करते थे (अर्थात् कर्मकर), उनके पास स्वभावतया खेती के आवश्यक उपकरण, यथा बीज और बैल नहीं रहते थे। ऐसे व्यक्ति यदि उपज का चतुर्थांश अथवा पंचमांश लेना स्वीकार करते थे तो उन्हें राज्य की ओर से बैल और बीज दिए जाते

थे।⁴⁵ कौटिल्य ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि बटाईदारों को चाहिए कि स्वयं कोई कठिनाई नहीं सहकर जितना अधिक राजा को दे सकते हों, दिया करें।⁴⁶ किंतु उन्होंने कठिनाइयों का कोई संकेत नहीं किया है। मालूम पड़ता है कि बटाईदारों को कुछ कड़ी मिट्टी वाली जमीन दी जाती थी जिसके लिए उन्हें राज्य को कुछ भी नहीं चुकाना पड़ता था।⁴⁷ बटाईदार दो प्रकार के होते थे—एक वह जो उपज का आधा हिस्सा रखता था और दूसरा वह जो 1/4 या 1/5 हिस्सा रखता था। प्रथम कोटि के बटाईदार को भट्टस्वामिन् जैसे टीकाकार ने 'ग्राम्य-कुटुम्बिनः' के रूप में चिह्नित किया है।⁴⁸ दुर्गन्तिवेश (राजधानी का निर्माण) प्रकरण के सिलसिले में कौटिल्य ने बताया है कि कुटुंबिनों को राजधानी की सीमा पर बसाया जाना चाहिए, ताकि वे खेती संबंधी कार्य कर सकें और अन्य व्यवसायों की जरूरतें पूरी कर सकें।⁴⁹ कहा गया है कि वे फुलवारियों, वनों, सब्जी के बागानों और धान के खेतों में⁵⁰ काम करेंगे, और दिए गए अधिकार के अनुसार पर्याप्त अन्न तथा दूसरे प्रकार का सौदा आदि एकत्रित करेंगे। इस प्रसंग में टी० गणपति शास्त्री ने 'कुटुम्बिनः' शब्द की व्याख्या करते हुए बताया है कि वह निम्नतम वर्ण का व्यक्ति था (वर्णविराणाम्),⁵¹ पर शामा शास्त्री ने उसे कामगरों का परिवार बताया है।⁵² इस प्रकार कुटुंबिन संभवतया शूद्र बटाईदार और कृषि मजदूर थे। इस शब्द का ऐसा प्रयोग अस्वाभाविक सा लगता है, क्योंकि अधिकांश स्रोतों में 'कुटुंबिनः' का अर्थ केवल परिवार का प्रधान किया गया है।⁵³ किंतु प्रसंग से ऐसा मालूम पड़ता है कि यहां इसका विशेष अर्थ लगाया गया है।

संभवतया पुरानी बस्तियों में उच्च वर्णों के मालिक बहुत से शूद्रों, कृषि मजदूरों, दासों और शिल्पियों को काम देते थे। कृषकों से कर उगाहने का प्रभारी गोप कहलाता था, और उससे कहा जाता था कि वह हर गांव के निवासियों की कुल संख्या और समाज में उत्पादन कार्य करने वाले विभिन्न वर्ग, जिनकी संख्या आधा दर्जन थी, के लोगों अर्थात् कर्षक (किसान), गोरक्षक (चरवाहा या पशुधन रखने वाला), वैदेहक (व्यापारी), कारुक (शिल्पी), कर्मकर और दासों की कुल संख्या लिख कर रखे।⁵⁴ मालूम पड़ता है कि इस सूची में दो निम्न वर्गों के लोग हैं जिनमें से प्रथम तीन वर्ग वैश्य वर्ण के हैं और शेष तीन शूद्र वर्ण के। मेगस्थनीज ने इस प्रसंग में उत्पादन करने वाली जातियों को नहीं गिनाया है। कौटिल्य के वैश्य कर्षक जहाँ सामान्यतया मेगस्थनीज द्वारा वर्णित खेतिहारों से मिलते जुलते हैं,⁵⁵ वहां वैश्य व्यापारी और शूद्र शिल्पी तथा श्रमिक मेगस्थनीज की तीसरी जाति से मिलते हैं जो व्यापार करते हैं, बर्तन बेचते हैं और शारीरिक श्रम वाले कार्य में नियोजित होते हैं।⁵⁶ मेगस्थनीज ने यह भी बताया है कि इनमें से कुछ लोग कर चुकते हैं और राज्य की कुछ विहित सेवाएं करते हैं।⁵⁷ इस विवरण का प्रथम भाग संभवतया व्यापारियों के संबंध में है और दूसरे भाग में

शिल्पियों और श्रमिकों की चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र में शूद्र संभवतया करदाता की कोटि में नहीं रखा गया है, किंतु गोप को उनकी भी संख्या लिखकर रखनी होती थी।⁵⁸ जिन गांवों के लोग कर का भुगतान करते थे उनमें ऐसे लोगों की सूची रखनी पड़ती थी जो राज्य को निःशुल्क श्रम (विष्ट) प्रदान करते थे।⁵⁹ अर्थशास्त्र के एक परिच्छेद की टीका करते हुए भट्टस्वामिन् ने बताया है कि एक प्रकार के गांव ऐसे थे जहां से कर के बदले श्रमिकों की मुफ्त आपूर्ति होती थी और उन गांवों के निवासी किला आदि का निर्माण करने के लिए रहते थे।⁶⁰ नी० गणपति शास्त्री ने ठीक ही कहा है कि इस तरह का काम कर्मकरों द्वारा किया जाता था,⁶¹ क्योंकि दासों और कर्मकरों का वर्ग हमेशा बेगार करने का भागी समझा जाता था।⁶² इन बातों से पता चलता है कि शूद्रों को कर से मुक्त रखा गया था और उनसे सामान्यतया कृषि मजदूरों और दासों का काम कराया जाता था तथा उनकी कोई स्वतंत्र जीविका नहीं थी।

कौटिल्य ने उन पशुपालकों की जीवनस्थिति की जानकारी दी है जिन्हें राज्य ने पशु अधीक्षक के सामान्य नियंत्रण के अधीन बहाल कर रखा था।⁶³ उन्होंने इन लोगों की मजूरी धी का दसवां भाग नियत किया है, किंतु इनके कार्य के बारे में वे विशेष रूप से संतर्क हैं।⁶⁴ पशुपालकों के उत्तरदायित्व पर जोर देते हुए कौटिल्य ने बताया है कि यदि चरवाहे की गलती के कारण मवेशी खो जाए तो उसे शारीरिक ढंड भी दिया जा सकता है।⁶⁵ इतनी कठोर सजा, जिसका उल्लेख मौर्यपूर्वकालीन विधिग्रन्थों में नहीं किया गया है, या तो पशुधन को अधिक आर्थिक महत्व दिए जाने के कारण या बौद्ध और जैन धर्मों के उपदेश के कारण, अथवा दोनों ही कारणों से निर्धारित की गई थी। कठोर सजा का जो भी कारण हो, इतना स्पष्ट है कि मौर्यकाल तक असमान भूमि वितरण और असमान पशु वितरण उत्पादन संबंधों के अभिन्न अंग बन गए थे। इसलिए भूस्वामियों और बटाईदारों तथा खेत मजदूरों के बीच, और पशुस्वामियों तथा चरवाहों के बीच, संबंध निर्धारित करने के लिए अर्थशास्त्र तथा विधिग्रन्थों में नियम बनाए गए।

अब हम अर्थशास्त्र के उस साक्ष्य का विश्लेषण करें जो शिल्पियों के नियोजन, नियंत्रण और मजूरी के बारे में है और जिससे शूद्रों की सामान्य स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। कृषि कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए राज्य की ओर से जिन शिल्पियों को नियोजित किया जाता था, उनकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। बहुत से अन्य शिल्पियों को राज्य की ओर से बुनाई,⁶⁶ खनन,⁶⁷ भंडारपालन,⁶⁸ आयुधनिर्माण,⁶⁹ धातु कर्म⁷⁰ आदि में लगाया जाता था। पहले बुनकर जैसे शिल्पी गहपति के अधीन काम करते थे, किंतु बाद में राज्य उन्हें भारी संख्या में नियोजित करने लगा था।⁷¹ औजार प्रायः शिल्पियों का अपना ही रहता था, किंतु कच्चा माल राज्य की ओर से दिया जाता था। कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि इनमें

से किन्हीं भी शिल्पों में दासों को लगाया जाता था। उन्हें खनन कार्य भी नहीं करने दिया जाता था और यह काम कर्मकर से कराया जाता था।⁷² ध्यातव्य है कि ग्रीस और रोम की खानों में भी दासों से काम लिया जाता था।

किंतु राज्य द्वारा शिल्पियों का नियोजन मुख्यतया राजधानी और प्रायः महत्वपूर्ण नगरों में ही सीमित था, जहाँ शिल्पी पर्याप्त संख्या में रहते थे। दुर्ग-निवेश विधान से पता चलता है कि शिल्पी राजमहल के उत्तर में रह सकते थे, और मजदूरों के शिल्पसंघों तथा अन्य लोगों को राजधानी के विभिन्न कोणों में आवासस्थान दिए जाएंगे।⁷³ यह भी कहा गया है कि जो शूद्र और शिल्पी ऊनी और सूती वस्त्र, बांस की चटाई, चमड़ा, कवच, हथियार और म्यान बनाते हैं, उन्हें राजभवन से पश्चिम की ओर निवासस्थान दिया जाना चाहिए।⁷⁴ संभवतया इनमें से कुछ लोग सूक्ष्माध्यक्ष के अधीन⁷⁵ और कुछ शास्त्रागार अधीक्षक के अधीन कार्य करते थे।⁷⁶ मेगस्थनीज ने बताया है कि शस्त्रनिर्माता और जहाज बनाने वालों को राजा से मजदूरी और रसद मिलती थी और वे केवल उसका काम करते थे।⁷⁷ इनके अलावा, औद्योगिक शिल्प से संबंधित हर बातों की देखभाल के लिए नगर में पांच व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई गई थी।⁷⁸ इनसे पता चलता है कि राज्य का नियन्त्रण और शिल्पियों का रोजगार मुख्यतया नगरों तक ही सीमित था। किंतु मेगस्थनीज ने यह भी बताया है कि लकड़हारे, बढ़इयों, लोहारों और खनिकों के कार्यों की निगरानी राज्य के उच्च अधिकारी करते थे।⁷⁹ इसका अर्थ यह हुआ कि नगर से बाहर रहने वाले शिल्पियों पर किसी न किसी ढंग का सामान्य नियंत्रण रखा जाता था।

अर्थशास्त्र प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ है, जिसमें मालिकों (नियोजिकों) और मजदूरों (नियोजितों) के आपसी संबंध के बारे में सामान्य नियम दिए गए हैं। शिल्पियों को विवाद का कारण माना गया है और कारुकररक्षणम् प्रकरण में इनसे बचने के बहुत से उपाय बताए गए हैं। शिल्पियों के लिए यह आवश्यक है कि वे समय, स्थान और काम के स्वरूप के विषय में किए गए करार की पूर्ति करें। संकटों और आपदाओं को छोड़, अन्यथा चूक होने पर, न केवल उनकी मजूरी का चौथा भाग जब्त कर लिया जाएगा, बल्कि उन्हें मजूरी की दुगनी राशि जुमनि के रूप में चुकानी होगी और उनकी चूक के चलते जो घाटा होगा उसे भी पूरा करना पड़ेगा।⁸⁰ काम के सिलसिले में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर मजूरी जब्त कर ली जाएगी और उसका दुगना जुमना लिया जाएगा।⁸¹ जो सेवक किसी ऐसे काम को पूरा करने में टालमटोल करेगा जिसके लिए उसे पहले ही भुगतान कर दिया गया है, वह 12 पण जुमना चुकाने का भागी होगा और उसको तब तक काम करते रहना पड़ेगा जब तक काम पूरा न हो जाए।⁸² किंतु यदि वह अपने बूते के बाहर के किन्हीं कारणों के चलते काम करने में असमर्थ हो तो उससे

ऐसा जुर्माना नहीं लिया जाएगा।⁸³ दूसरी ओर, कौटिल्य ने शिल्पियों के संरक्षण संबंधी कुछ विनियम भी विहित किए हैं। तदनुसार जो कोई शिल्पियों के काम का दर्जा घटाकर या सामानों की खरीद बिक्री में बाधा ढालकर उन्हें अपनी उचित कमाई से वंचित करने का प्रयास करेगा, उस पर एक हजार पण जुर्माना लगाया जाएगा।⁸⁴ अपने मजदूर से काम न लेने वाले मालिक से 12 पण जुर्माना लिया जाएगा।⁸⁵ और यदि वह पर्याप्त कारण के बिना काम लेने से इंकार करे तो माना जाएगा कि काम कराया गया है।⁸⁶ कौटिल्य ने संघबद्ध शिल्पियों को एक विशेषाधिकार प्रदान किया है। उन्हें अपनी संविदा के निष्पादन के लिए जो अवधि स्वीकृत की गई हो, उसके अतिरिक्त और भी सात रातों की मुहलत दी जाएगी।⁸⁷

जहां तक मजदूरी नियत करने का प्रश्न है, कौटिल्य ने इसके लिए एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि काम की किस्म और उसमें लगने वाले समय को ध्यान में रखकर मजूरी नियत की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया है कि शिल्पियों, संगीतज्ञों, चिकित्सकों, रसोइयों और अन्य कामगारों को उतनी ही मजूरी मिलेगी जितनी अन्यत्र काम में लगे इसी प्रकार के लोगों को मिलती है अथवा जितनी विशेषज्ञ नियत करे।⁸⁸ सेवकों को वादे के अनुसार मजूरी मिलेगी किंतु यदि मजूरी का निर्णय पहले नहीं किया गया हो तो कृषक को (अर्थात् कृषि मजदूर को) उपज का 1/10 भाग, पशुपालक को मक्खन का 1/10 भाग और व्यापारी को बिक्री से हुई आमद का 1/10 भाग मिलना चाहिए।⁸⁹ राजा की भूमि में उपजाई गई फसल का 1/4 या 1/5 भाग पाने के हकदार बटाई कृषि मजदूरों और फसल का 1/10 भाग पाने वाले सामान्य कृषि मजदूरों में विभेद किया गया है।

कौटिल्य के अनुसार मजूरी संबंधी विवादोंका निपटारा गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जाता था। यदि ऐसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते ये तो नियोजक से पूछताछ की जाती थी।⁹⁰ विवाद के सिलसिले में कर्मचारी की जांच नहीं की जाती थी, जिससे स्पष्ट है कि मालिक का अपराध सिद्ध करना कठिन था। किंतु यदि यह पाया जाता था कि उसने मजूरी का भुगतान नहीं किया है तो मालिक को या तो मजूरी की राशि का दस गुना अथवा 6 पण जुर्माना किया जाता था। इसके अतिरिक्त मजूरी का दुर्विनियोग करने पर 12 पण या मजूरी की रकम का पांच गुना जुर्माना किया जाता था।⁹¹ इन नियमों के आधार पर हमें मजूरी की दो विभिन्न दरों का पता चलता है, अर्थात् 3/5 पण या $2\frac{1}{5}$ पण। इस तरह मालूम पड़ता है कि श्रमिक की दैनिक मजूरी $\frac{2}{3}$ पण से लेकर $2\frac{1}{5}$ पण तक थी। एक स्थान पर कौटिल्य ने बताया है कि इन उपबंधों के अतिरिक्त कृषि मजदूरों को $1\frac{1}{2}$ पण मासिक मजूरी मिलनी चाहिए। अर्थशास्त्र में

उच्च वर्ग से नियुक्त उच्च अधिकारियों के वेतन और निम्न वर्ग के शिल्पियों के वेतन में बहुत बड़ा अंतर दिखाया गया है। सबसे अधिक वेतन की व्यवस्था ऋत्विज, अध्यापक, मंत्री, पुरोहित, सेनापति आदि के लिए की गई है और उन्हें प्रति मास अड़तालीस हजार पण वेतन मिलता था।⁹² इनसे नीचे की पंक्ति के अधिकारियों के लिए छौबीस हजार, बारह हजार या आठ हजार पण की सिफारिश की गई है,⁹³ किंतु शिल्पियों के लिए एक सौ बीस पण की ही अनुशंसा है।⁹⁴ फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि वर्द्धकि, जो मुख्य बढ़ी होता था, के लिए चिकित्सक और सारथी की भांति दो हजार पण का वेतन रखा गया है।⁹⁵ ग्रामभूतक (ग्राम अधिकारी)⁹⁶ और गुप्तचरों के मार्गदर्शक सेवक पर भी विचार किया गया है और प्रथम को पांच सौ पण तथा द्वितीय को दो सौ पण वेतन दिया गया है।⁹⁷ चतुर्षिदों और द्विपदों के प्रभारी सेवकों, विविध कार्य करने वाले कामगारों, राज-पुरुषों के अनुचरों, अंगरक्षकों और स्वतंत्र मजदूरों को जुटाने के लिए अल्पतम वेतन 60 पण की सिफारिश की गई है।⁹⁸ मान लिया जाए कि यह भुगतान मासिक आधार पर किया जाता था तो सामान्य मजदूर के लिए इसकी दर प्रति दिन दो पण होती है। किंतु ऐसे भी मजदूर ये जिन्हें केवल 20 पण की मासिक मजूरी दी जाती थी। पहले जो ही पण प्रति दिन की दर से वेतन दिखाया गया है, उससे महीने की मजूरी 18 पण आती है।

समाज में सबसे कम भुगतान शिल्पियों और वेतनभोगियों को किया जाता था, किंतु हमें उनके रहन-सहन के स्तर का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि पण की क्रय शक्ति की जानकारी नहीं मिल पाती है। कौटिल्य ने बताया है कि राज्य की सेवा करने वाले दासों और कर्मकरों को अपने निर्वाह के लिए भंडार के अधीक्षक से खुदी मिलनी चाहिए।⁹⁹ इन्हें देने के बाद जितनी खुदी बच जाए वह रोटी पकाने वाले रसोइयों को दी जाए।¹⁰⁰ संभव है कि ये रसोइए दास रहे हों, क्योंकि मौर्यपूर्वकाल में इन्हें रसोई के काम में लगाया जाता था। जहाँ तक विकृत मंदिरा को निपटाने का प्रश्न है, कहा गया है कि यह दासों और कर्मकरों को मजूरी के रूप में दी जानी चाहिए क्योंकि उनका काम हीन ढंग का है।¹⁰¹ कौटिल्य ने सामान्य आर्य और शूद्र के आहार में विभेद किया है। आर्य को राशन के रूप में एक प्रस्थ शुद्ध चावल, 1/61 प्रस्थ नमक, 1/4 प्रस्थ शोरबा और 1/64 प्रस्थ मक्खन या तेल मिलना चाहिए और अवर को चावल और नमक तो उतनी ही मात्रा में मिलना चाहिए किंतु शोरबा 1/6 प्रस्थ और तेल की मात्रा आर्य के लिए अनुशंसित मात्रा की आधी हीनी चाहिए।¹⁰² उसके लिए मक्खन की सिफारिश नहीं की गई है। इस प्रसंग में अवर का अर्थ है नीच जाति का व्यक्ति (निकृष्टनाम) जो शूद्र होता है। किंतु आर्य को उच्च वर्णों का सामान्य सदस्य माना गया है;¹⁰³ उच्च कौटि के आर्यों यथा राजा, रानी और सेनाध्यक्षों के लिए और अधिक

मात्रा में राशन की व्यवस्था की गई है।¹⁰⁴ इन बातों से स्पष्ट है कि शूद्रों को हीन कोटि का भोजन दिया जाता था।

ऐसा जान पड़ता है कि मौर्य काल में शूद्रों की आर्थिक स्थिति में बहुत से परिवर्तन हुए। पहली बार शूद्रों को, जो अभी तक कृषि मजदूर थे, राज्य की भूमि में बटाईदारी भी दी जाने लगी। किंतु कृषि उत्पादन के लिए राज्य की ओर से शूद्रों को बहुत बड़े पैमाने पर दासों और श्रमिकों के रूप में नियोजित किया जाता था। नीचे दर्जे के लोग या तो खास खास किसानों के अधीन अथवा स्वतंत्र रूप से काम करते थे और गांवों में रहते थे। उनसे धर्मसूत्र काल की अपेक्षा बड़े पैमाने पर कर्वी (बेगार) ली जाती थी, हालांकि उक्त कालावधि में यह मुख्यतया शिल्पियों तक ही सीमित रखी गई थी।¹⁰⁵ यह बात अब इतनी व्यापक हो गई थी कि सरकारी सेवक का एक वर्ग जो विष्टिबंधक कहलाता था, लोगों से निःशुल्क सेवा कराने की धून में लगा रहता था।¹⁰⁶ यद्यपि समाज में शूद्र को मजदूर और शिल्पी के रूप में सबसे कम मजूरी दी जाती थी, फिर भी संभव है कि मजूरी की दर नियत हो जाने से उनकी दशा सुधरी हो। किंतु प्रायः उनके रहन सहन के स्तर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं मालूम पड़ता है।

कौटिल्य ने स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहा है कि शूद्रों को उच्च प्रशासकीय पद नहीं दिए जाएं, जबकि धर्मसूत्रों में ऐसा विधान किया गया है। किंतु राजा और उच्च शासकीय पद धारण करने के लिए अपेक्षित योग्यता की जो सूची उन्होंने बनाई है, उससे पता चलता है कि ये पद तीन उच्च वर्णों के लिए विशेष रूप से सुरक्षित रखे गए थे। उन्होंने बताया है कि हीन जाति के किसी बली राजा की अपेक्षा लोग अच्छे कुल के राजा की आज्ञा मानेंगे, भले ही वह कमजोर क्यों न हो।¹⁰⁷ अतएव उनकी राय है कि राजा को उच्च कुल में उत्पन्न होना चाहिए।¹⁰⁸ उनका कथन है कि जिस प्रकार चंडालों का जलाशय केवल उनके उपयोग के लिए होता है, उसी प्रकार नीच कुल में उत्पन्न राजा नीच जाति के लोगों को ही संरक्षण देता है, न कि आयों को। नीच कुल में उत्पन्न राजा के प्रति कौटिल्य को जितनी धृणा थी, उससे पता चलता है कि वे किसी शूद्र मां से उत्पन्न राजा के अधीन सेवा करने को कभी तैयार नहीं हुए होंगे। अतः यह संभव नहीं लगता कि मौर्यों की उत्पत्ति शूद्र जाति से हुई थी, जैसा कहीं कहीं कहा गया है।¹⁰⁹ यह प्रायः निश्चित है कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय समुदाय के मोरिय वंश के थे।¹¹⁰

अर्थशास्त्र में अमात्यों का संवर्ग अधिकारियों का सबसे ऊंचा संवर्ग माना गया है। इसी संवर्ग से पुरोहित, मंत्री, समाहर्ता, सन्निधाता, अंतःपुर के प्रभारी अधिकारी, राजदूत और दो दर्जन से भी अधिक विभागों के अधीक्षक नियुक्त किए जाते हैं।¹¹¹ किंतु कौटिल्य और उनके द्वारा उद्धृत अन्य विद्वानों ने अमात्यों

की योग्यताओं के बारे में जो सामान्य मानदंड निर्धारित किया है, वह है अच्छे कुल में जन्म लेना। यह बात विभिन्न रूपों में व्यक्त की गई है, यथा, 'जिसका पिता और पितामह अमात्य हो' जो अभिजन और जानपदोभिजात हो।¹¹² यह संदिग्ध है कि इस तरह का मानदंड रहने पर शूद्रों के प्रवेश की कोई गुंजाइश रही हो। अरस्तू ने बताया है कि आभिजात्य परंपरागत समृद्धि और गुणोत्कर्ष का समन्वित रूप है¹¹³—ऐसा गुण तो शूद्रों में विरल ही होगा। मेगस्थनीज ने ऐसे व्यावसायिक पार्षदों और करनिर्धारिकों का उल्लेख किया है जो कम संख्या में होते हुए भी सरकार के उच्च कार्यपालक और न्यायपालक पदों पर एकाधिकार रखे हुए थे।¹¹⁴ उन्होंने बताया है कि अतिभ्रद्र और अतिधनवान व्यक्ति राजकाज के संचालन में भाग लेते थे, न्याय व्यवस्था करते थे और राजा के साथ परिषद में बैठते थे।¹¹⁵ इनकी जाति बिल्कुल भिन्न थी, यह तथ्य इस नियम से स्पष्ट होता है कि वे अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते थे, अपना व्यवसाय या व्यापार को छोड़ दूसरा ग्रहण नहीं कर सकते थे और एक से अधिक कारबार नहीं चला सकते थे।¹¹⁶ इन बातों से स्पष्ट है कि निम्न जाति के लोगों के लिए उच्च आधिकारिक पदों पर पहुंचने के मार्ग बंद थे।

शूद्रों को जासूसी का कार्य दिया जाता था, जो मौर्य प्रशासनतंत्र का महत्व-पूर्ण अंग था। कौटिल्य ने बताया है कि अन्य लोगों के साथ शूद्र महिलाओं को धुमककड़ जासूस के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।¹¹⁷ यह भी कहा गया है कि जो स्नान के लिए पानी लाने वाले, मालिश करने वाले, शय्याकार, हजाम, प्रसाधन सामग्री निर्माता, पानी भरने वाले सेवक, कलाकार, नर्तक और गायक के रूप में नियोजित हैं, उन्हें राजा के अधिकारियों के व्यक्तिगत चरित्र पर नजर रखनी चाहिए।¹¹⁸ स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश लोग शूद्र होते थे। भूत्य के रूप में काम करते हुए वे निरंतर अपने मालिक के संपर्क में रहते थे, अतः उन्हें अपने मालिक के व्यक्तिगत चरित्र पर रिपोर्ट करने का सबसे अच्छा साधन माना गया था। इतना ही नहीं, कौटिल्य का मत है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को; जिनमें कृषक, पशुपालक और जंगली जातियां भी हैं, दुश्मनों की गतिविधि जानने के उद्देश्य से जासूस नियुक्त किया जाना चाहिए। यह ऐसा उपबंध है जिसमें शूद्र भी आ जाते हैं।¹¹⁹ निम्न जाति के लोग संवादवाहक के रूप में भी काम करते थे, क्योंकि कौटिल्य ने बताया है कि यद्यपि संवादवाहक अछूत होते हैं, किर भी वे मृत्युदंड के पात्र नहीं हैं।¹²⁰

विशेष महत्व की बात यह है कि अर्थशास्त्र में शूद्रों को सेना में बहाल करने का उपबंध किया गया है। धर्मसूत्रों से तो ऐसी धारणा बनती है कि सामान्यतया केवल धर्मिय और आपातिक स्थिति में केवल ब्राह्मण तथा वैश्य शस्त्र धारण कर सकते हैं। सेना को राज्य का अनिवार्य अंग बताते हुए कौटिल्य ने यह भी स्पष्ट

कहा है कि परंपरानुसार वह सेना सर्वोत्कृष्ट है जिसमें केवल क्षत्रिय सिपाही हों।¹²¹ किंतु उन्हें ब्राह्मण सेना परसंद नहीं है, जिसे प्रणाम और अनुनय विनय करके रिझाया जा सकता है।¹²² दूसरी ओर, वह वैश्यों और शूद्रों की सेना परसंद करते हैं, क्योंकि उसमें लोगों की संख्या अधिक होती है।¹²³ किंतु यह संदिग्ध है कि इन दो निम्न वर्णों के सदस्य इस काल में वस्तुतः सैनिक के रूप में नियुक्त किए जाते थे। मेगस्थनीज ने साफ साफ कहा है कि कृषक (जो सामान्यतया वैश्य होते थे) सैनिक सेवा से मुक्त रखे गए थे और सेना उनकी रक्षा के लिए रहती थी।¹²⁴ एरियन और स्ट्रेबो, दोनों ने ही बताया है कि भारत में लड़ाकू लोगों की पांचवीं जाति थी और उनके निर्वाह का खर्च राज्य बहन करता था।¹²⁵ अशोक के समय के उत्कीर्ण लेखों में भटमयेसु शब्द के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सैनिकों का भी एक वर्ग था।¹²⁶ मेगस्थनीज से हमें जानकारी मिलती है कि सेना का एक अनुभाग (डिवीजन) ऐसा था जो विविध प्रकार के कार्य, यथा, वाद्यवृद्ध, वादक, अश्वपाल, मिस्त्री या उसके सहायक का काम करने के लिए आदमी भेजता था।¹²⁷ एरियन ने भी उन सेवकों की चर्चा की है जो न केवल सैनिकों की सेवा करते थे, बल्कि घोड़े, हाथी और रथों की भी देखभाल करते थे।¹²⁸ संभवतया स्थायी सेना में शूद्रों को भूत्यों और अनुचरों के रूप में बहाल किया जाता था, न कि सैनिकों के रूप में, किंतु कौटिल्य के नियम से संकेत मिलता है कि आपातिक स्थिति में शूद्रों को सेना में बहाल किया जा सकता था। नई बस्तियों में वागुरिक, शबर, पुलिद तथा चंडाल जैसी जनजातियों को आंतरिक प्रतिरक्षा का भार सौंपा जाता था।¹²⁹

विधि और न्याय के प्रशासन में कौटिल्य ने वर्णविधान का सिद्धांत अपनाया है। उनके अनुसार पतित, चंडाल और हीन व्यवसाय करने वाले अपने अपने समुदायों के दीवानी मामलों को छोड़ अन्यत गवाह नहीं बन सकते हैं।¹³⁰ उन्होंने यह भी बताया है कि नौकर अपने मालिक के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है।¹³¹ उसी प्रकार बंधक मजदूर और दास अपने मालिक की ओर से करारपत्र निष्पादित नहीं कर सकता है।¹³² कौटिल्य ने इस बात का भी विधान बताया है कि विभिन्न वर्णों के लोगों को न्यायालय किन रूपों में चेतावनी दे सकता है। सबसे कड़ी चेतावनी शूद्र के लिए विहित की गई है, जिसे स्मरण करा देना है कि गलत बयान देने पर उसे कितने बुरे दैविक और भौतिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे।¹³³ इस विषय में न्यायालय शूद्र को केवल जुर्माना और सेवा के लिए आबद्ध कर सकता है। तीनों उच्च वर्णों के लोगों के बारे में ऐसी किसी बात का कोई उल्लेख नहीं है।¹³⁴ इस उपबंध के तुरंत बाद एक और उपबंध है, जिसमें कौटिल्य ने गलत बयान देने वाले गवाहों के लिए 12 पर्णों का जुर्माना विहित किया है।¹³⁵ इससे यह आभास मिलता है कि दंड का विधान प्रायः शूद्र गवाह के

लिए ही विहित था। मेगस्थनीज ने लिखा है कि गलत बयान देने के लिए सिद्धदोष गवाहों के अंग काट लिए जाते थे ।¹³⁶ हो सकता है कि यह दंडविधान या तो नीच जाति के लोगों अथवा किसी खास क्षेत्र के लोगों के लिए विहित किया गया हो।

दंड देने के संबंध में कौटिल्य ने धर्मसूत्रों के वर्णविभेदों को माना है। तदनुसार यदि चारों वर्णों और अंतावासायिनों (अछूतों) में से हीन जाति का कोई व्यक्ति उच्च जाति के किसी व्यक्ति की निंदा करे तो उसे अधिक जुर्माना चुकाना होगा, और यदि हीन जाति के किसी व्यक्ति को उच्च जाति वाला बदनाम करे तो उसे कम जुर्माना देना होगा।¹³⁷ अर्थशास्त्र में यह नियम भी दिया गया है कि शूद्र जिस अंग से ब्राह्मण पर प्रहार करे वह अंग ही काट लिया जाए।¹³⁸ हमें संदेह है कि यह परिच्छेद कौटिल्य के ग्रन्थ का है, क्योंकि यह मनु के अतिवादी विचार से मिलता है। कौटिल्य ने एक दूसरा नियम यह भी बनाया है कि यदि कोई अक्षिय किसी आरक्षित ब्राह्मण महिला का गमन करे तो उसे उच्च अर्थदंड दिया जाएगा, वैश्य की संपत्ति छीन ली जाएगी और शूद्र को चटाई में लपेटकर जिंदा जला दिया जाएगा।¹³⁹ आर्य स्त्री का अवैध संभोग करने वाले शवपाक को मृत्यु दंड मिलेगा और महिला के नाक कान काट लिए जाएंगे।¹⁴⁰ यह आश्चर्य की बात नहीं कि शूद्रों और शवपाकों को ऐसे कठोर दंड दिए जाते थे, क्योंकि शवपाक जाति की महिला के साथ अवैध समागम के लिए भी कौटिल्य ने अपराधी को दागते और निष्कासित करने की सजा विहित की है।¹⁴¹

कौटिल्य ने कुछ प्रकार के भोजन पान के संबंध में जो निषेध किए हैं, वे सभी समान रूप में सभी वर्णों पर लागू नहीं होते। अतः यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को निषिद्ध भोजन पान में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करे तो उसे प्रथम कोटि के अपराध का दंड दिया जाएगा; क्षत्रिय के संबंध में यही अपराध होने पर मध्यम कोटि का; वैश्य के विरुद्ध होने पर प्रथम कोटि के अपराध का दंड और शूद्र के विरुद्ध होने पर 54 पण का अर्थदंड दिया जाएगा।¹⁴² गबन या दुर्विनियोग के मामले में सबसे कड़ी सजा भृत्यों के बारे में निर्धारित की गई है। यदि कोई अधिकारी या किरानी इस तरह का अपराध करे तो उसे जुर्माना किया जाएगा, किंतु सेवक को ऐसे मामले में शारीरिक दंड दिया जाएगा।¹⁴³

दायविधि में कौटिल्य ने वर्णों के बीच प्राचीन विभेद माना है। अंतर्मिश्रित (वर्णसंकर) जातियों से उत्पन्न पुत्र, यथा सूत, मागध, ब्रात्य और रथकार अपना हिस्सा पाने के हकदार तभी हैं जब पैतृक संपत्ति प्रचुर मात्रा में हो।¹⁴⁴ कौटिल्य ने यह भी व्यवस्था की है कि जो पुत्र उपर बताए गए पुत्र से हीन कोटि के हों, उन्हें कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा किंतु वे अपने निर्वाह के लिए सबसे बड़े पुत्र पर निर्भर कर सकते हैं।¹⁴⁵ स्वाभाविक ही है कि इसके अनुसार आयोगव, क्षत्ता,

निषाद, पुल्कस और चंडाल हिस्सा पाने से वंचित रखे गए हैं। लेकिन पारशव (अर्थात् शूद्र महिला से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न पुत्र) की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण संतानविहीन हो तो उसकी पैतृक संपत्ति में एक तिहाई हिस्सा उसके पारशव पुत्र को मिलेगा,¹⁴⁰ और शेष दो हिस्से या तो उसके जीवित सपिंडों को अथवा, उनके अभाव में उसके गुरु या शिष्य को मिलेंगे।¹⁴¹ इससे संकेत मिलता है कि यदि ब्राह्मण पिता को संतान न हो तो शूद्र पत्नी से भी उत्पन्न पुत्रों को पर्याप्त हिस्सा मिलेगा। यदि किसी ब्राह्मण को चारों जातियों की पत्नियों से पुत्र हों तो उनके लिए कौटिल्य ने संपत्ति के बंटवारे में धर्मसूत्र फा सिद्धांत अपनाया है।¹⁴² उन्होंने इस सिद्धांत का विस्तार अतिरिक्त और वैश्य पिता की तीन या दो जातियों की पत्नियों से उत्पन्न पुत्र तक किया है, किंतु हर हालत में शूद्रपुत्र को लघुतम हिस्सा दिया गया है।¹⁴³

अर्थशास्त्र में दासों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शूद्र की नागरिक हैसियत के प्रश्न पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। धर्मसूत्रों के लेखकों की तरह कौटिल्य ने आर्य को स्पष्टतया स्वतंत्र माना है और कहा है कि किसी भी स्थिति में आर्य को दास नहीं बनाया जा सकता।¹⁵⁰ इसके परिणाम-स्वरूप उन्होंने नियम बनाया है कि जो शूद्र जन्मजात दास न हो, वयस्क नहीं हुआ हो और आर्यप्राण (आर्य से उत्पन्न) हो उसका रिश्तेदार यदि ऐसे शूद्र को बेचे या बंधक रखे तो उसे 12 पण जुर्माना किया जाएगा तथा इस तरह के कार्य से जितने भी लोग संबद्ध होंगे उन सबको कठिन दंड दिया जाएगा।¹⁵¹ इससे ध्वनित होता है कि शूद्र पत्नी से उत्पन्न तीन उच्च वर्णों के पुत्रों को खरीद या बंधक के जरिए दास नहीं बनाया जा सकता था।¹⁵² प्रायः उन्हें न्यायदंड, युद्ध-बंदी और ऐच्छिक दासता आदि के जरिए इस स्थिति में लाया जाता था।¹⁵³ इसी प्रसंग में कौटिल्य ने युद्ध में बदी बनाए गए आर्यप्राण को दास बनाए जाने का हवाला दिया है।¹⁵⁴ अतएव उनके नियम में स्पष्ट बताया गया है कि तीन उच्च वर्णों के अवयस्क शूद्रपुत्रों को छोड़ चौथे वर्ण के अन्य सदस्यों को दास बनाया जा सकता था। इन बताए गए शूद्रों में भी, जिनकी संख्या अवश्य ही छोटी रही होगी, दास बनाने के लिए विहित किया गया जुर्माना अल्पतम है, अर्थात् 12 पण, जो वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण के मामले में क्रमशः बढ़ता जाता है।¹⁵⁵

किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में, यथा, घरेलू संकट या जुर्माना अथवा ऋण का भुगतान करने में अक्षम रहने पर आर्य का भी जीवन बंधक रखे जा सकता था।¹⁵⁶ जहाँ तक इन बंधक रखे गए लोगों (आहितकों) का संबंध है, कौटिल्य ने कई उदार नियम बनाए हैं। यह विधान किया गया है कि रिश्तेदार बंधक रखे गए व्यक्तियों को यथाशीघ्र विमुक्त करा लेंगे। उसे अपवित्र कार्य करने के लिए नहीं कहा जाएगा। यदि बंधक रखी गई किसी महिला का मालिक

नंगा होकर स्नान करते समय उसे किसी कार्य के लिए अपने पास बुलाएगा अथवा उस महिला का शीलहरण करेगा या गाली देगा अथवा मारे पीटेगा तो वह ऐसी महिला का बंधक मूल्य पाने का हकदार नहीं रह जाएगा और महिला स्वतः मुक्त हो जाएगी। बंधक रखी गई किसी युवती पर बलात्कार करने की दशा में उसके मालिक का न केवल क्रयमूल्य जब्त हो जाएगा, बल्कि वह युवती को कुछ रकम शुल्क के रूप में देगा और शुल्क की दुगनी राशि सरकार को चुकाएगा। यदि परिचारिका के रूप में बंधक रखी गई दासी के साथ उसका मालिक समागम करे तो उसे प्रथम कोटि का ढंड दिया जाएगा। इसी प्रसंग में कहा गया है कि यदि किसी उच्च वर्ण के परिचारक के प्रति हिंसात्मक प्रयोग किए जाएं तो उसे भाग जाने का अधिकार होगा।¹⁵⁷ इससे स्पष्ट है कि संभवतया आहितक भी उच्च वर्ण के थे। दुर्भाग्यवश, उपर्युक्त परिच्छेद के अनुवाद में शामा शास्त्री ने दास और आहितक के बीच भेद नहीं करके दोनों के लिए मनमाने ढंग से 'दास' शब्द का प्रयोग किया है।¹⁵⁸ किंतु कौटिल्य के कई कथनों से जाहिर होता है कि दास और आहितक दो भिन्न कोटियों के कर्मचारी थे। उन्होंने विहित किया है कि दास और आहितक द्वारा किए गए करारपत्र अवैध घोषित कर दिए जाने चाहिए।¹⁵⁹ उन्होंने यह भी बताया है कि राजा को देखना चाहिए कि लोग अपने दासों और आहितकों के दावों पर ध्यान देते हैं।¹⁶⁰ कौटिल्य ने यह भी विहित किया है कि जो औरतें अपने आप को किसी दास, परिचारक (सेवक) या आहितक के प्रति समर्पित करें उनका वध कर दिया जाए।¹⁶¹ इन सभी मामलों में शामा शास्त्री ने माना है कि आहितक दास से भिन्न थे। वे आ तो बंधक रखे गए मजदूर थे या भाड़े के मजदूर।¹⁶² चूंकि दसकर्मकरकल्प के अध्याय में आहितकों को दासों जैसा ही समझा गया, इसलिए आहितकों पर लागू होने वाले नियम दासों पर भी लागू माने गए हैं।¹⁶³ किंतु उपर्युक्त विश्लेषण बताते हैं कि कौटिल्य के ये नियम बंधक रखे गए दासों पर लागू होते थे, जो अधिकांशतया आर्य वर्ण की महिलाएं होती थीं। उपर्युक्त नियमों से यह भी प्रकट होता है कि सामान्य दासों को उसका मालिक पीट सकता था और उसे गालियां दे सकता था तथा गंदे कार्य करने के लिए भी कह सकता था।

कौटिल्य के अनेक नियम जो दासों की मुक्ति के बारे में हैं, मात्र दासता की स्थिति में पहुंचा दिए गए आर्यों पर लागू होते हैं। नियम बताता है कि जिसने अपने को बेच लिया हो, उसके बेटे को आर्य (स्वतंत्र) समझना चाहिए।¹⁶⁴ कोई व्यक्ति अपने मालिक के कार्य में विघ्न डाले बिना अर्जन करके और अपने पूर्वजों की संपत्ति विरासत में प्राप्त करके अपना क्रयमूल्य चुका सकता है और इस प्रकार अपना आर्यत्व पुनः प्राप्त कर सकता है।¹⁶⁵ युद्ध में बंदी बनाया गया आर्य-प्राण मुक्ति मूल्य चुका कर मुक्त हो सकता है।¹⁶⁶ समुचित मूल्य पा लेने

के बाद किसी दास को आर्य नहीं मानने पर 12 पण जुर्माना किया जाएगा।¹⁶⁷ ऐसे सभी मामलों में आर्यत्व की पुनः प्राप्ति का प्रश्न केवल उच्ची लोगों के लिए उठ सकता है जो पहले से ही आर्य रहे हों। शूद्रों के लिए यह प्रश्न नहीं उठ सकता। उपर्युक्त उपर्युक्त अधिक से अधिक तीन उच्च वर्णों के उन पुत्रों पर लागू हो सकेंगे जो शूद्र माताओं से उत्पन्न हुए हों।

कौटिल्य ने पराधीनता से मुक्ति के लिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। आर्यों के लिए 'आर्यत्वम्' शब्द प्रयुक्त हुआ है। किंतु जब आर्यत्वर गुलामों को मुक्त करने का प्रसंग आया है, तब 'अदास' शब्द का प्रयोग किया गया है। उदाहरणस्वरूप, यह बताया गया है कि यदि कोई मालिक अपनी दासी से बच्चा पैदा करे तो मां और बच्चा दोनों ही मुक्त समझे जाएंगे।¹⁶⁸ यदि ऐसी कोई मां अपने परिवार के भरण पोषण के विचार से दास बने रहने का ही निश्चय करे तो उसकी मां, भाई और बहन को मुक्त कर दिया जाएगा (अदासः स्युः)।¹⁶⁹ मालूम पड़ता है कि ये दास गुलाम तो नहीं रह जाते थे, किंतु आर्य नहीं बन सकते थे। प्राचीन पालि ग्रंथों में दासों की दासत्व मुक्ति के लिए 'भुज्जीस'¹⁷⁰ शब्द का प्रयोग हुआ है और स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया है कि केवल यवनों में ही आर्य दास बन सकता है, और दास आर्य बन सकता है।

यह कहना कठिन है कि कथमूल्य चुका कर मुक्ति पाने का नियम आर्यत्व-दासों पर भी उसी रूप में लागू था, जिस रूप में वह आर्य दासों पर था। प्रायः मूल्य चुका देने पर भी शूद्र दासों का मुक्त किया जाना उनके मालिक की इच्छा पर निर्भर था। किंतु कभी कभी उन लोगों को भी मुक्ति मिल जाती थी, क्योंकि यह विहित किया गया है कि जिस दास या दासी को एक बार उन्मुक्त करा दिया जाए उसे बेचने या बंधक रखने पर 12 पण जुर्माना देना होगा। किंतु यदि कोई इच्छापूर्वक दास बने तो ऐसा जुर्माना नहीं किया जाएगा।¹⁷¹ मालूम पड़ता है कि सामान्य दास भी संपत्ति अर्जन कर सकता था और उसका मालिक धन से उसे वंचित नहीं कर सकता था।¹⁷² स्वभावतया इस संपत्ति से उसे अपनी मुक्ति में सहायता मिलती थी।

दासों के प्रति किए जाने वाले बर्ताव को विनियमित करने के लिए कौटिल्य ने कुछ नियम बनाए हैं जो शूद्र दासों तथा उच्च वर्ण के दासों पर भी लागू होते हैं। उन्होंने बताया है कि जो दास आठ वर्ष से कम उम्र का हो और सगा-संबंधी विहीन हो, उसे हीन व्यवसायों में नहीं लगाया जा सकता है और न उसे विदेश में बेचा या बंधक रखा जा सकता है।¹⁷³ इसी प्रकार किसी गर्भवती दासी को प्रसव की व्यवस्था के बिना बेचा या बंधक नहीं रखा जा सकता है।¹⁷⁴ पुनः, मालिक किसी कारण के बिना अपने दास को कैद में नहीं रख सकता।¹⁷⁵ जनपदनिवेश संबंधी अध्याय में यह आदेश दिया गया है कि राजा को चाहिए कि लोगों को

बाध्य करे कि वे अपने दासों और आहितकों के दावे पर ध्यान दें।¹⁷⁶ यह तथ्य अशोक द्वारा बार बार दिए गए उन अनुदेशों से मिलता है जिनमें कहा गया है कि दासों और सेवकों के प्रति दयालुतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए।¹⁷⁷

कौटिल्य के उदार नियम अधिकांशतया आहितकों और भूतपूर्व आर्य दासों पर लागू थे, जिनकी संख्या निश्चय ही कम रही होगी। उनमें से कुछ ही नियम सामान्य दासों की बड़ी संख्या पर लागू होते थे, जो शूद्र थे। इस तथ्य पर ध्यान न देने के कारण यह गलत निष्कर्ष निकाला गया है कि कौटिल्य के विधान परोक्ष रूप से दासता का उन्मूलन करते हैं अथवा उनकी नीति ऐसी है कि उनका देश स्वतंत्र व्यक्तियों का देश बन जाए।¹⁷⁸ उनके उदार नियम से मुख्यतया यह जान पड़ता है कि वे आर्योंतर या शूद्र दासों की अपेक्षा भूतपूर्व आर्य दासों की स्थिति बचाने के लिए चिंतित थे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मालूम पड़ता है कि कौटिल्य ने साक्ष्य, परस्तीगमन और दाय संबंधी विधियों में शूद्र और उच्च वर्णों के बीच भेद रखा है।¹⁷⁹ यद्यपि कौटिल्य ने धर्मसास्त्रों की भाँति आर्य और शूद्र के बीच स्पष्ट विभेद नहीं किया है, फिर भी उन्होंने आहार सामग्री देने के विषय में आर्य और अवर के बीच स्पष्ट विभेद किया है,¹⁸⁰ और इसमें कोई संदेह नहीं कि 'अवर' शब्द का प्रयोग शूद्र के लिए किया गया है।

दासता के बारे में कौटिल्य ने अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से नियम बनाए हैं, जैसा कि धर्मसूत्रों में नहीं पाया जाता है। इससे यह पता चलता है कि मौर्यकालीन भारत में दासों की संख्या पर्याप्त थी। मेगस्थनीज का उद्धरण देते हुए एरियन ने बताया है कि कोई भी भारतीय दास नहीं रखता था।¹⁸¹ किंतु ओनेसिक्रितोज के विवरण से इस उक्ति में बहुत अंतर आ जाता है। स्ट्रेबो ने ओनेसिक्रितोज को अधिक विष्वसनीय और मेगस्थनीज को झूठा बताया है।¹⁸² ओनेसिक्रितोज ने बताया है कि मौसिकैनो देश, जिसमें आधुनिक सिध का अधिकांश भाग शामिल था, के निवासियों में दास नहीं रखने की विचिन्ता प्रथा थी।¹⁸³ उसका कथन है कि वे लोग दासों के बदले नवयुवकों से काम लेते थे जिस प्रकार क्रीटवासी स्फैमियोतइ¹⁸⁴ और लैसिडिमोनिया के लोग गुलामों को रखते थे।¹⁸⁵ इससे पता चलता है कि मौसिकैनो में भी ऐसा वर्ग था जो पूरे समाज की गुलामी करता था और किसी खास व्यक्ति के अधीन नहीं था। इस प्रथा से ब्राह्मण काल के उस सिद्धांत की पुष्टि होती है जिसके अनुसार दास और भाड़े के मजदूर बनकर शूद्र तीन उच्च वर्णों की सेवा करते थे।

आम तौर पर इस तरह का कोई संकेत नहीं मिलता कि मौर्यकाल में शूद्रों की नागरिक और आधिक स्थिति में कोई मूल भूत परिवर्तन हुआ। मौर्यकाल से पहले उन पर जो राजनीतिक और कानूनी अशक्तताएं लादी गई थीं, वे मुख्यतया बनी रहीं। अशोक ने अपने चतुर्थ स्तंभ आदेश में राजुक को बताया है कि अपने

प्रभार के अधीन रखे गए जनपद में वह व्यवहार समता और दंड समता लागू करें।¹⁸⁶ इन दोनों शब्दों का निर्वचन 'न्याय संबंधी कार्यवाहियों में निष्पक्षता और 'दंड में निष्पक्षता' किया गया है।¹⁸⁷ किंतु प्राचीन विधियों में वर्ण पर आधारित भेदभावों को देखते हुए कह सकते हैं कि उपर्युक्त शब्द आदर्शवादी शासकों-द्वारा ऐसे भेदभावों को छोड़ने के प्रयास के सूचक हैं। यह नीति वस्तुतया किस प्रकार और कहां तक लागू की जाती थी, यह स्पष्ट नहीं होता है। संभवतया दीर्घकालीन पूर्वाग्रहों के चलते यह नीति सफल नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, चूंकि उपर्युक्त राज्यादेश 238 ई० पू०¹⁸⁸ में निर्णत हुआ, जबकि उसका राज्यकाल समाप्त हो रहा था, इसलिए उसकी मृत्यु से बहुत पहले शायद ही उस आदेश को कार्यान्वित किया गया होगा। इस प्रकार इस निर्णय से केवल ब्राह्मणों की शत्रुता बढ़ी होगी और निम्न वर्ण के लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा होगा।

मुख्यतया आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों से संबद्ध ग्रंथ के रूप में अर्थशास्त्र शूद्रों की सामाजिक स्थितियों पर उतना प्रकाश नहीं डालता जितना धर्मसूक्त डालते हैं। किंतु इसमें शूद्रों की विवाह प्रथा और उनकी महिलाओं की स्थिति की विशद चर्चा की गई है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि ब्याही जाने वाली लड़की को पाणिग्रहण संस्कार से पहले तक अस्वीकार कर देना तीन उच्च वर्णों में मान्य समझा गया है, किंतु शूद्रों में यह मान्यता संभोग के पूर्व तक दी गई है।¹⁸⁹ यह भी कहा गया है कि प्रथम चार प्रकार के अनुमोदित विवाहों में तलाक की अनुमति नहीं है,¹⁹⁰ जिससे ध्वनित होता है कि गांधर्व, आमुर, राक्षस और पैशाच विवाह में इसकी अनुमति दी गई है। पहले बताया जा चुका है कि गांधर्व और पैशाच विवाह वैश्यों और शूद्रों में प्रचलित था,¹⁹¹ जिससे पता चलता है कि वे लोग विवाह के बंधन को तोड़ना आसान समझते थे। कौटिल्य ने यह भी बताया है कि अनुमोदित ढंग के विवाहों के लिए पिता की सहमति अपेक्षित थी, और अनुमोदित ढंग के विवाहों के लिए माता की भी सहमति लेना आवश्यक था।¹⁹² इससे परोक्ष रूप में यह सिद्ध होता है कि निम्न वर्णों में मातृप्रधानता के कई तत्वों के बने रहने के कारण उनके बीच स्त्रियों का कुछ स्थान था।

कौटिल्य ने जो उपर्युक्त नियम बनाए हैं, वे प्राचीन धर्मसूक्तों में नहीं दिखाई पड़ते। किंतु विभिन्न वर्णों के प्रवासी पतियों की पतियों के लिए कौटिल्य ने प्रतीक्षा की अवधि प्रायः वही रखी है जो वसिष्ठ द्वारा निर्धारित है और इसके लिए अल्पतम अवधि शूद्र की पत्नी के लिए विहित है।¹⁹³ ये सभी निषेधाज्ञाएं बताती हैं कि शूद्रों में विवाह का बंधन उतना प्रबल नहीं था जितना उच्चवर्णों में, जिनकी महिलाएं पुरुषों पर अधिक निर्भर रहती थीं।

कहा गया है कि कौटिल्य ने विवाह के लिए लड़कों की उम्र 16 वर्ष और लड़कियों की 12 वर्ष निर्धारित की है,¹⁹⁴ जो ब्राह्मण से भिन्न जातियों के लिए

और खासकर ऐसे श्रमजीवी वर्ग के लिए है जो शीघ्र ही संतान पाने के इच्छुक रहते हैं।¹⁹⁶ वह उपबंध जिस प्रसंग में आया है, उसे ध्यान में रखते हुए ऐसा सोचना उचित नहीं मालूम पड़ता। दूसरी तरफ, ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि यह उपबंध निम्न वर्णों पर ही लागू होगा। इसलिए माना जा सकता है कि यह उपबंध चारों वर्णों के लिए उनकी श्रेष्ठता के क्रम में आचरण का मानदंड स्थापित करता है।

कौटिल्य ने बताया है कि अभिनेता, खिलाड़ी, गायक, मछुआ, शिकारी, पशुपालक, आसवक और ऐसे ही अन्य लोग साधारणतया अपनी औरतों के साथ घूमते थे।¹⁹⁷ उच्च वर्णों की महिलाओं के साथ ऐसी बात नहीं थी। उनका कार्य-कलाप केवल घर तक सीमित रहता था। शूद्र वर्ण की महिलाएं इसलिए घर से बाहर जाती थीं कि उन्हें अपने परिवार के गुजारे के लिए खेतों और चारागहों में काम करना पड़ता था। कौटिल्य ने नियम बनाया है कि बटाईदारों और पशु-पालकों की स्त्रियों पर अपने पति द्वारा लिए गए क्रृष्ण की अदायगी का दायित्व रहेगा।¹⁹⁸

सामान्यतया इस काल में जातियों में संगोत्र विवाह प्रचलित था। एरियन का कहना है कि किसान शिल्पियों के वर्ग में और शिल्पी किसानों के वर्ग में विवाह नहीं कर सकते थे।¹⁹⁹ किंतु कौटिल्य की दाय विधि और वर्णसंकर जातियों के बारे में उनके द्वारा तैयार की गई अंतराल नामक सूची से स्पष्ट है कि कुछ विवाह उच्च वर्ण के लोगों और शूद्रों के बीच भी हुए थे। उन्होंने निषाद, पारशव, चंडाल, पुलकस, श्वपाक, क्षता, आयोगव, कुटक, (धर्मसूत्रों में कुकुटक), रथकार, वैष्ण आदि की उत्पत्ति के विषय में ब्राह्मणकालीन सिद्धांत की ही पुनरावृत्ति की है।²⁰⁰ कौटिल्य ने कहा है कि वैष्ण और रथकार के कार्य समान ढंग के थे।²⁰¹ उन्होंने यह भी बताया है कि इन वर्णसंकर जातियों के लोगों को अपनी ही जातियों में विवाह करना चाहिए।²⁰² राजा को देखना चाहिए कि ये लोग अपना ही व्यवसाय करें।²⁰³ उन्होंने बताया है कि राजा इस व्यवस्था को मान्यता दे और उसके अनुसार प्रजा को चलाए।²⁰⁴ यह भी निर्धारित किया गया है कि पैतृक संपत्ति में सभी संकर जातियों के हिस्से समान होंगे।²⁰⁵ उनका मत है कि चंडालों को छोड़कर संकर जातियां (अंतराल) शूद्र का पेशा अपना कर अपना निर्वाह कर सकती हैं।²⁰⁶ अतएव केवल चंडाल को घृणित जाति माना गया है और बौद्ध सूची के रथकारों, वेणों, पुकुसों और नेसादों को छोड़ दिया गया है।

पहले बताया गया है कि पाणिनि ने संभवतया चंडालों को शूद्र वर्ण में सम्मिलित किया है। किंतु कौटिल्य उन्हें शूद्र नहीं मानते।²⁰⁷ उन्हें चतुर्वर्ण व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार कौटिल्य का मत है कि चंडालों और

जंगली जातियों को पशु और पक्षियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उस राशि का आधा दंड दिया जाएगा जो चार वर्णों को वैसे ही पशुओं और पक्षियों को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया जाता है।²⁰⁷ चार वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अंतावसाइनों की जाति का उल्लेख किया है,²⁰⁸ जो संभवतया चंडालों के समान ही थे, क्योंकि वे गांव के बाहर शमशान के निकट रहते थे।²⁰⁹ यह विहित किया गया है कि यदि चंडाल किसी आर्य महिला को छू दे तो उस पर 100 पण का जुर्माना किया जाएगा।²¹⁰ इससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि यदि वह किसी शूद्र महिला का स्पर्श करे तो उसे ऐसा कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार चंडाल जिस तालाब के पानी का प्रयोग करता हो, उसे कोई दूसरा अपने उपयोग में नहीं ला सकता है, जिससे स्पष्ट है चंडालों का पानी नहीं चलता था और उन्हें अलग रखा जाता था।²¹¹ इसलिए कोई संदेह नहीं कि चंडालों को अछूत माना जाता रहा। किंतु अन्य संकर जातियों, यथा, पारशर्वों और निषादों के बारे में यही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कौटिल्य ने नियम बनाया है कि यदि ब्राह्मण पिता को कोई दूसरी संतान न हो तो उसके पारश्रव पुत्र को हिंसा मिलेगा।²¹² अर्थशास्त्र में चंडाल के नए व्यवसाय का उल्लेख किया गया है। उसे बीच गांव में पापिनी औरत को कोड़े मारने के लिए बुलाया जा सकता है।²¹³ उससे यह भी कहा जा सकता है कि जो पुरुष या महिला भिन्न भिन्न प्रकार से आत्महत्या करें उनकी लाश को रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटता हुआ ले जाए।²¹⁴

कौटिल्य ने शूद्रों की धार्मिक स्थिति के बारे में कुछ जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति देवता या पूर्वजों को अपित भोजन बौद्ध और आजीविक जैसे वृष्टल संन्यासी को खिलाए तो उसे 100 पण का जुर्माना किया जाएगा।²¹⁵ शामा शास्त्री ने वृष्टल को शूद्र माना है, किंतु यह परिच्छेद वस्तुतया शूद्रों का नहीं बल्कि तपस्त्रियों का उल्लेख करता है, जिन्हें ब्राह्मणों ने मनमाने ढंग से शूद्र करार दिया था। फिर भी अशोक तपस्त्रियों का आदर जाति का विचार किए बिना करता था। कहा जाता है कि एक अवसर पर जब अशोक के मंत्री ने इस कार्य के लिए उसकी निंदा की तब उसने उत्तर दिया कि जाति का विचार विवाहों और निमंत्रणों में किया जाना चाहिए, न कि धर्म के पालन में।²¹⁶

कौटिल्य के एक नियम से ऐसा संभव दिखाई पड़ता है कि कुछ शूद्रों को धार्मिक और शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त थीं। अमात्यों के चरित्र की जांच के लिए कुछ रीतियां विहित करते हुए उन्होंने ऐसा तरीका बताया है जिसके जरिए यह जांच की जा सकती है कि धार्मिक विश्वास के कारण राजाज्ञा की अवहेलना करने की प्रवृत्ति तो उसमें नहीं है। राजा को चाहिए कि उस पुरोहित को:

बर्खस्ति कर दे जो आदेश होने पर किसी अनधिकारी को वेद पढ़ाने अथवा यज्ञ के अनधिकारी (अयाज्यायजनाध्यापने) द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में भाग लेने से इंकार करे।²¹⁷ बर्खस्ति पुरोहित को कोशिश करनी चाहिए कि अधर्मी राजा को उखाड़ फेंकने के लिए अमात्यों का समर्थन प्राप्त करे। यदि अमात्य इस धार्मिक दुर्बलता का शिकार नहीं बनें, तो समझना चाहिए कि वे सच्चरित हैं।²¹⁸ इस परिच्छेद में जयमंगला ने अयाज्य शूद्रापुत्र बताया है।²¹⁹ अतः इस नियम से यह संभव मालूम पड़ता है कि उच्च वर्णों के शूद्रापुत्र राजा के कहने पर यज्ञ का संपादन और विद्याध्ययन भी कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि मौर्यकाल में राजा पूर्ण शक्तिसंपन्न होता था। किंतु सामान्य स्थिति का ज्ञान कौटिल्य के दूसरे कथन से होता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यदि यज्ञ का संपादन किसी ऐसे व्यक्ति के संग किया जाए जिसे शूद्र पत्नी हो तो उस यज्ञ का महत्व घट जाता है।²²⁰ इसलिए उन्होंने हिंदायत की है कि ऐसे पुरोहित को स्थान नहीं मिलना चाहिए।²²¹

मौर्यकाल में राज्य की ओर से शूद्रों को बड़े पैमाने पर गुलाम, मजदूर और शिल्पी के रूप में नियोजित किया जाता था। यद्यपि इनकी मज़ूरी निर्धारित थी, किर भी इनकी आर्थिक दशा संकटपूर्ण थी। चूंकि राज्य की ओर से की जाने वाली खेती के लिए पर्याप्त दास और कर्मकर उपलब्ध नहीं थे, इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि राजकीय भूमि बटाईदारों को पट्टे पर दी जाए। ये बटाईदार प्रायः निम्न वर्ग के होते थे। दूसरी बात मालूम पड़ती है कि राज्य के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से शूद्रों को मंगाकर नई भूमि में खेती के काम में उन्हें लगाया जाता था। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शूद्रों के प्रति पुराना भेदभाव बना रहा, किंतु ऐसा मालूम पड़ता है कि कौटिल्य ने उच्च वर्गों के लोगों के शूद्रापुत्रों को अनेक रियायतें दी थीं। वे दास नहीं बनाए जा सकते थे, उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता था,²²² और विशेष परिस्थितियों में वे वैदिक यज्ञ और वेदाध्ययन के अधिकारी हो सकते थे। किंतु अधिकांश शूद्रों की पुरानी अशक्तताएं बनी रहीं।

अर्थशास्त्र से हमें निम्न वर्गों के सामान्य आचरण की ज्ञालक मिलती है। यह बताता है कि इस वर्ग के लोग जिस स्थिति में रहते थे उससे वे बिल्कुल खुश नहीं थे। कौटिल्य ने अपराधियों और संदिग्धों की जो सूची दी है उसमें बहुतेरे ऐसे लोग हैं जिनकी जातियों और व्यवसायों को समाज में हीन माना जाता था (हीनकर्मजातिम्)। उन्हें हत्यारा, डकंत या कोषों और निक्षेपों के दुर्विनियोग का दोषी समझा जाता था।²²³ कौटिल्य का विचार है कि चोरी या सेंधमारी होने पर गरीब औरतों और अपराधशील नौकरों की भी जांच करनी चाहिए।²²⁴ उन्होंने यह भी बताया है कि यदि मालिक की हत्या हुई हो तो उसके

सेवकों की परीक्षा करके यह जानना चाहिए कि मालिक ने उनके प्रति कोई हिसापूर्ण या निर्दयतापूर्ण व्यवहार तो नहीं किया है।²⁵ इससे प्रकट होता है कि कभी कभी घरेलू नौकर अपने मालिक की जान लेने का प्रयास करता था। कौटिल्य ने यह भी विहित किया है कि जब कोई शूद्र अपने को ब्राह्मण कहे, देवताओं की संपत्ति चुराए या राजा का बैरी हो तो विषेली दवाओं का प्रयोग करके उसकी आँखें नष्ट कर दी जाएं या उससे आठ सौ पण जुमना वसूला जाए।²⁶ इससे पता चलता है कि पुरोहितों और राजसत्ताधारियों के प्रति कुछ शूद्र बैरभाव रखते थे। एक ऐसा भी प्रसंग आया है जो पारश्व के राजविद्रोहात्मक कार्यकलाप के संबंध में है। उसकी राज्यविरोधी भत्तिविधियों के दमन के लिए वे ही उपाय किए जाएं जो किसी राज्यविरोधी मन्त्री के लिए किए जाते हैं। कहा गया है कि राजा को चाहिए कि संदिग्ध व्यक्ति के परिवार में क्षणङ्गा लगाने के लिए खुफिया बहाल करे ताकि अंततः सरकार उसे फांसी पर लटका सके।²⁷ उपर्युक्त प्रसंग बताते हैं कि शूद्र वर्ण के सदस्यों का झुकाव अपने मालिक के प्रति अच्छा नहीं था। चूंकि उस समय उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कोई शांतिपूर्ण तरीका नहीं था, इसलिए कभी कभी वे अपनी प्रतिक्रिया डकैती, सेंधमारी, मंदिर की संपत्ति की चोरी, मालिक की हत्या, ब्राह्मणों के आड़बर पर प्रहार और राज्य के प्रधान के प्रति विद्रोह जैसे अपराधिक कार्यकलापों के रूप में करते थे। ये कार्य उनके मन में व्याप्त असंतोष के प्रतीक थे। किंतु एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे पता चल सके कि उन लोगों ने संगठित होकर विद्रोह किया था। इस संबंध में मौर्यकाल की परिस्थितियां प्राचीन काल की परिस्थितियों से कुछ अच्छी थीं। अर्थशास्त्र में शूद्रों के संगठित विद्रोह का मुकाबला करने के लिए वैसी कोई व्यवस्था नहीं मिलती है जिसका आभास धर्मसूत्रों की कुछ कंडिकाओं में पाया जा सकता है। दूसरी ओर, शूद्रों को सेना में भर्ती करने के लिए कौटिल्य का तैयार होना उस विश्वास की भावना का परिचायक है जो समझौता और निष्ठुर नियंत्रण की उनकी दुहरी नीति से उत्पन्न हुई थी।

संदर्भ

1. मजुमदार और पुसलकर : 'दि एज आफ इंडीरियल यूनिटी', पृष्ठ 285-6 में इस विषय के संदर्भ में ग्रंथों का निर्देश है, आर० पी० कांगले : 'दि कौटिलीय अर्थशास्त्र', (बंबई, 1964); तथा टामस आर० ट्रोटमैन : 'कौटिल्य एंड दि अर्थशास्त्र' (लाइडेन, 1971) में संदर्भ में ग्रंथों की ओर भी बड़ी सूची है।
2. अर्थशास्त्र, XV.1.
3. वी कल्यानोव : 'डेटिंग दि अर्थशास्त्र', (23वीं इंटरनेशनल कांग्रेस आफ ओरिएटलिस्ट्स में सोवियत प्रतिनिधि-मंडल द्वारा प्रस्तुत निबंध), पृ० 40-54.

4. वही, पृ० 44-45.
5. वही, पृ० 45.
6. आर० गार्वें : 'हेस्टिंग्स एनसाइक्लोपीडिया आफ रिलिजन ऐंड एथिक्स', VIII, पृ० 138; रयूबन : 'आइनफुहसंग इन डी इंडियेनकुण्डे', पृ० 126.
7. दीघ निकाय, I, पृ० 130; मङ्गिक्षम निकाय, II, पृ० 165.
8. कल्यानोव : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 46.
9. अर्थशास्त्र, I, 2, 8.
10. के० वी० रंगस्वामी अध्यंगर : 'इंडियन कौमरेलिज्म', पृ० 50.
11. कल्यानोव : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 48.
12. विनयपिटक, I, 10; संयुत निकाय, V, 42।
13. कल्यानोव : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 52.
14. अर्थशास्त्र, II, 14.
15. मैर्किडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाइ मेगास्थनिज ऐंड एरियन', पृ० 86.
16. अर्थशास्त्र, III, 1.
17. के० ए० नीलकंठ शास्त्री : 'रायल पावर इन एनशिएंट इंडिया', (दि प्रोसीडिंग्स आफ दि इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस 1944), पृ० 46.
18. मैर्किडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड इन बलासिकल लिटरेचर', पृ० 53.
19. अर्थशास्त्र, II, 10.
20. कल्यानोव, पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 54, टामस आर० ट्रोटमैन ने कम्प्यूटर की सहायता से अपनी पुस्तक 'कौटिल्य ऐंड दि अर्थशास्त्र' में दिखलाया है कि विभिन्न अधिकारणों के अलग-अलग लेखक हैं (पृ० 168-187).
21. अर्थशास्त्र, I, 3; 'शूद्रस्य द्विजातिशुश्रूषा वाति' वाक्यबंड में वार्ता शब्द का प्रयोग तीन व्यवसायों, यथा, कृषि, पशुपालन और व्यापार के अर्थ में नहीं किया गया है जैसाकि शामा शास्त्री (अनुवाद, पृ० 7) ने माना है, बल्कि इसका प्रयोग जीविका के अर्थ में किया गया है. (जयमंगला, जर्नल आफ ओरियंटल रिसर्च, मद्रास), XX, 11.
22. अर्थशास्त्र, I, 3.
23. अर्थशास्त्र, II, 1; शूद्रकर्णकप्रायं कुलशतावरं पंचशतकलपरं ग्रामं श्रोशद्विक्रोशसी-मानमन्योन्यरक्षं निवेशयेत्.
24. आई० जे० सोरावजी : 'सम नोट्स आन दि अध्यक्षप्रचार बुक II आफ दि कौटिल्यम् अर्थशास्त्रम्'. अर्थशास्त्र, II, 1 में शूद्रकर्णकप्रायम्; जे० जे० मायर : 'दस अल्तिनदिस्चे बुक फाम वेल्ट-उण्ड स्टाटलेबेन', अर्थशास्त्र का अनुवाद; 1.
25. टी० गणपति शास्त्री का अर्थशास्त्र का संस्करण, I, पृ० 109; शामा शास्त्री का अर्थशास्त्र का अनुवाद, II, 1.
26. टी० गणपति शास्त्री की अर्थशास्त्र के दासकर्मकरकत्य शब्द की टीका, III, 13.
27. अर्थशास्त्र, II, 1; टी० गणपति शास्त्री के अर्थशास्त्र के संस्करण में 'ऐकपुरषिकानि' शब्द का अर्थ 'एक व्यक्ति' किया गया है (I, 111) और शामा शास्त्री (अनुवाद) ने

- इसका अर्थ आजीवन किया है.
28. अर्थशास्त्र, II. 1.
29. वही.
30. तस्यां चातुर्वर्णाभिनिवेशं सर्वभोगसहत्वादवरवर्णप्राया श्रेयसी बाहुल्यात् ध्रूवत्वाच्च... अर्थशास्त्र, VII. 11. नयचंद्रिका (पृ० 33) में अवरवर्णप्राय की व्याख्या शूद्रपाय के रूप में की गई है.
31. नयचंद्रिका, पृ० 33; कर्णणभारवहनदुर्गकरणादिविनियोगः, तदोरयत्वादिस्थर्यः.
32. अर्थशास्त्र, VIII.1).
33. अर्थशास्त्र, II.1; परदेशापवाहनेन स्वदेशाभिष्यन्दवमनेन वा.
34. अर्थशास्त्र, VI.1; अवरवर्णप्रायः.
25. घोषाल : 'हिंदू रेवेन्यू सिस्टम', पृ० 55.
36. अर्थशास्त्र, II.1.
37. वही, II, 14.
38. वही.
39. मैकिडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाइ भेगास्थनिज एंड एरियन', पृ० 86, खंड 34.
40. मैकिडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर', पृ० 53, पाद टिप्पणी 4.
41. वही, पृ० 48, खंड 41.
42. (जनंल आफ दि बाबे आंच आफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी, बंवई, XII), पृ० 143; भट्टस्वामिन् के अनुसार रजुवर्तंक प्रवपाक और अन्य लोग थे तथा संप्रग्राहादिक शब्द और अन्य लोग थे.
43. अर्थशास्त्र, I.24.
44. अर्थशास्त्र, II.24.
45. वही, II.24. भट्टस्वामिन् की टीका : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 137.
46. अर्थशास्त्र, II.24.
47. वही, अन्यत्र कहरेयः.
48. (जनंल आफ दि बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना, XII), पृ० 137.
49. अर्थशास्त्र, II.4; कर्मन्तक्षेत्रवशेन वा कुटिम्बनम् सीमानम् स्थापयेत्.
50. अपने अनुवाद में शामा शास्त्री ने बताया है कि ये काम उन्हें सौंपे गए थे किंतु इस बात का समर्थन करने के लिए ग्रंथ में कोई तथ्य नहीं मिलता.
51. टी० गणपति शास्त्री का अर्थशास्त्र का संस्करण; I, पृ० 130.
52. शामा शास्त्री का अर्थशास्त्र का अनुवाद, पृ० 54.
53. घोषाल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 200, पाद टिप्पणी 2.
54. अर्थशास्त्र, II.35.
55. मैकिडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाइ भेगास्थनिज एंड एरियन', पृ० 83-84, खंड 33.

168 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

56. मैकिडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड इन वलासिकल लिटरेचर', पृ० 53; स्ट्रैबो : पूर्व निर्दिष्ट, खंड 46.
57. वही.
58. अर्थशास्त्र, II.35.
59. वही.
60. अर्थशास्त्र, II.15; एतावन्तो विष्टप्रतिकराः...दुगार्दिकमांपयोगिभिः; (जन्मल आफ दि विहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, पटना, XII) पृ० 198.
61. टी० गणपति शास्त्री : पूर्व निर्दिष्ट, I, पृ० 344.
62. अर्थशास्त्र, II.15; ...दासकर्मकरवर्गपत्र विष्टः.
63. अर्थशास्त्र, II.29.
64. वही, III.13.
65. वही, II.20; स्वयम् हृत्ता धातयिता हृती हारयिता च बध्यः.
66. अर्थशास्त्र, II.23.
67. वही, II.12.
68. वही, II.15.
69. वही, II.18.
70. वही, II.17.
71. वही, II.23.
72. वही, II.12.
73. वही, II.4.
74. अर्थशास्त्र, II.4; ततः परपूर्णसूत्रवेणुचर्मवर्मणस्त्रावरणकारवःशूद्राश्च पश्चिमम् दिशमधिवसेयुः.
75. वही, II.23.
76. वही, II.18.
77. मैकिडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड इन वलासिकल लिटरेचर', पृ० 53. स्ट्रैबो; पूर्व निर्दिष्ट, खंड 46.
78. मैकिडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाइ मेगास्थनिज ऐंड एरियन', पृ० 87, खंड 34.
79. वही, पृ० 86, खंड 34.
80. अर्थशास्त्र, IV.1.
81. वही.
82. वही, III.14.
83. वही.
84. वही, IV.2.
85. वही, III.15; भर्तुरकारयतो भूतकस्याकृतयो वा द्वादशपणो दण्डः.
86. वही.
87. वही, III.14.

88. वही, III.13; काशिलिप्कुशीलवचिकित्सकवार्गीवनपरिचारकादिराशाकारिकवर्गस्तुः यथान्यस्तदिधः कुर्यात्, यथा वा कुगलाः कल्पयेत्; तथा वेतनम् लभेत्.
89. वही, III.13.
90. वही.
91. वही.
92. वही, V.3.
93. वही.
94. वही.
95. वही.
96. ग्रामभृतक को गांव का सामान्य नौकर नहीं माना जा सकता है जैसाकि शाम शास्त्री समझते हैं (अनुवाद, पृ० 277); पांच सौ पण का उसका वेतन बताता है कि वह गांव का एक अधिकारी होता था जिसका अपना महत्व था.
97. अर्थशास्त्र. V. 3.
98. वही.
99. अर्थशास्त्र, II.15; कणिकाः दासकर्मकरसूपकाराणामतोन्यद् उदनिकापूर्विकेभ्यम् प्रयच्छेत्. यहाँ संभवतया 'कणिका' शब्द का अर्थ है अनाज का कण. दवनी के बाद अन्न के जो कण बन जाते थे, वे कण कामगारों को दिए जाते थे.
100. वही.
101. अर्थशास्त्र, II.25, टी० गणपति शास्त्री की टीका सहित, I, 292; दासकर्मकरेष्यो वा वेतनम् दद्यात्.
102. ऐमनाथ : 'इकनामिक कंडीशंस इन एनशिएंट इंडिया', पृ० 150-1; तुलनीय, पुंसः षडभागसूपः अदर्घन्तेहमवराणाम्. 'प्रस्थ' शब्द जो पुंस के वैकल्पिक शब्द के रूप में शामा शास्त्री द्वारा उल्लिखित और टी० गणपति शास्त्री द्वारा स्वीकृत हुआ है, सही शब्द मालूम पड़ता है.
103. (जननल आफ बिहार एंड उडीसा रिसर्च सोसायटी, पटना, XI) पृ० 91; भट्टस्वामिन् ने उसे मध्यमप्रतिपन्निक साधुपुरुष के रूप में चिह्नित किया है.
104. अर्थशास्त्र, II.15.
105. टी० डब्ल्यू० रीज डेविड्स : बुद्धिस्थ इंडिया, पृ० 49.
106. अर्थशास्त्र, V.3.
107. वही, VIII.2.
108. वही, VI.1.
109. बी० एन० दत्त : 'स्टडीज इन इंडियन सोशल पालिटी', पृ० 185-7. जायसवाल : 'मनु एंड याज्ञवल्क्य', पृ० 171.
110. रायचौधरी : 'पालिटिकल हिस्ट्री आफ एनशिएंट इंडिया', पृ० 267.
111. अर्थशास्त्र, I.8 और 9.
112. वही.
113. अरस्तू : 'पालिटिक्स', पृ० 163.

१७० शूद्रों का प्राचीन इतिहास

११४. मैकिडल : 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाइ मेगास्थनिज ऐंड एरियन', पृ० ८५, खंड ३३.
११५. वही, पृ० १३८, खंड ५६.
११६. वही, पृ० ८५-६, खंड ३३.
११७. अर्थशास्त्र, I.12.
११८. वही.
११९. वही.
१२०. अर्थशास्त्र, I.16; ...अन्तावसायिनोप्यवद्याः.
१२१. वही.
१२२. अर्थशास्त्र, IX.2.
१२३. वही; बहुलसारं वा वै श्यशूद्रबलमिति.
१२४. मैकिडल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० ८३-८४, खंड ३३.
१२५. वही, पृ० २१८; एरियन, खंड १२; 'एनशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर', पृ० ५३; स्ट्रेबो, खंड ४७.
१२६. राक इंडिक्ट आफ अशोक ४ (शाहबाजगढ़ी), I.12.
१२७. मैकिडल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० ८८, खंड ३४.
१२८. वही, पृ० २१८, खंड १२.
१२९. अर्थशास्त्र, II.1.
१३०. वही, III.11.
१३१. वही.
१३२. वही, III.1.
१३३. वही, III.11.
१३४. वही, ...अन्यथावदे दंडश्चानुवन्धः... शामा शास्त्री ने जो अनुवाद किया है (पृ० २००) उसमें 'अनुवन्धः' शब्द को छोड़ दिया गया है.
१३५. अर्थशास्त्र, III.11.
१३६. मैकिडल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० ७०, खंड २७.
१३७. अर्थशास्त्र, III, १८.
१३८. वही, III.19.
१३९. वही, IV.13 आहार्यामगुप्तायाम् क्षत्रियस्योत्तमः, सर्वस्वम् वै श्यस्य, शूद्रः कठाग्निना दद्यते.
१४०. टी० गणपति शास्त्री ने इस अनुच्छेद को शामा शास्त्री से भिन्न ढंग का बताया है. जहाँ गणपति शास्त्री ने लिखा है 'श्वपाकस्यायगिमते वधः' (II, 181), वहाँ शामा शास्त्री शूद्रश्वपाकस्य भायर्गिमनवधः (अर्थशास्त्र, IV.13, पृ० २३६) लिखते हैं. टी० गणपति शास्त्री ने 'आर्य' शब्द का प्रयोग ठीक ही किया है, जो मूर्निख की पांडुलिपि में भी पाया जाता है (अनुवाद, पृ० २६४).
१४१. अर्थशास्त्र, IV.13.
१४२. वही.

१४३. वही, II.5.
१४४. वही, III.6.
१४५. वही.
१४६. वही.
१४७. वही.
१४८. वही, III.6.
१४९. वही,
१५०. वही, III.13.
१५१. वही, III.13; उदरदासवज्ञभार्यप्राणमप्राप्तव्यवहारं शूद्रम् विक्रयाधानं नयतस्वजनस्य द्वादशपणो दंडः।
१५२. जायसवाल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 242.
१५३. अर्थशास्त्र (III.3) में कुल मिलाकर दास बनने के तो श्रोत बताए गए हैं। हो सकता है कि अन्य प्रकार का भी दासत्व रहा हो।
१५४. अर्थशास्त्र, III.13.
१५५. वही.
१५६. वही, III.13; अथ वार्यमाधाय कुलबन्धनतूयणामापदि निष्क्रयम् चधिगम्यबालं साहाय्यदातारं वा पूर्वम् निष्कृणीरन्।
१५७. अर्थशास्त्र, III. 13; सिद्धमपचारकस्याभिप्रजातस्य अपक्रमणम्।
१५८. शामा शास्त्री का अनुवाद, पृ० 206.
१५९. अर्थशास्त्र, III.1.
१६०. वही, II.1.
१६१. वही, IV 13.
१६२. शामा शास्त्री का अर्थशास्त्र का अनुवाद, III.1 और II.1.
१६३. जायसवाल : पूर्व निर्दिष्ट; पृ० 209.
१६४. अर्थशास्त्र, III.13; आत्मविक्रयिणः प्रजामार्पि विद्यात्।
१६५. वही, III.13.
१६६. वही.
१६७. वही.
१६८. वही III.13; समातृकम अदासम विद्यात्।
१६९. वही, III.13, गणपति शास्त्री के अनुसार,
१७०. पालि-इंगलिश डिक्षितरी; देखें 'भुजिस्त'।
१७१. अर्थशास्त्र, III.13.
१७२. वही.
१७३. वही.
१७४. वही.
१७५. वही.
१७६. वही, II.1.

177. राक इडिक्ट आफ अशोक 9 (गिरनार), I.4; पिलर इडिक्ट आफ अशोक II (गिरनार), I.2.
178. जायसवाल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 209; बी० एन० दत्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 184-187.
179. ऊपर देखें, पृ० 161-2.
180. अर्थशास्त्र, II.15 तुलनीय, अर्थशास्त्र में आर्थ और नीच के बीच भेद, अर्थशास्त्र, I.14.
181. मैर्किङ्गल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 211-3, खंड 10.
182. वही, पृ० 18-19.
183. मैर्किङ्गल : 'एनयाएंट इंडिया एज डिस्काइब्ल इन ब्लास्किल लिटरेचर', पृ० 58; स्ट्रॉबो खंड 54.
184. गुलामों की तरह वे भी भूमि से संबद्ध थे.
185. मैर्किङ्गल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 41; स्ट्रॉबो, खंड 34.
186. पिलर इडिक्ट आफ अशोक 4 (दिल्ली-टोपरा शिलालेख), I.15.
187. कारपस इंसकिप्सनम इंडिकेरम, I, 125.
188. वही, इंट्रोडक्शन, पृ० XXXVI.
189. अर्थशास्त्र, III. 15; विवाहानान्तु व्यापाराम् पूर्वों वणनाम् पाणिगहणात्सद्भूपावर्त्तनम् शूद्राणां च प्रकर्मणां दी० गणपति शास्त्री ने प्रकर्मणः बताया है (II, पृ० 92). (उन्होंने इसे योनिक्षितमधीक्षत्य, अथर्त लड़की का कौमार्यभंग बताया है। शामा शास्त्री के विवाह के अर्थ में इसके अनुवाद से कोई अर्थ नहीं निकलता।
190. अर्थशास्त्र, III.3
191. ऊर देखें, पृ० 116.
192. अर्थशास्त्र, III.2.
193. वही, III.4.
194. वही, III.3.
195. के० बी० रंगस्वामी अर्थयंगर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 66, पाद टिप्पणी 5.
196. अर्थशास्त्र, III.4; तालापचारणमत्स्यबन्धकलुब्धकगोपालक शौणिङ्ककानामयेषाम् च प्रसृष्टस्त्विकाणाम् पथ्यनुसरणमदोषः.
197. वही, III.11; स्त्री वा प्रतिश्राविणी परिकृतम् ऋषणम् अन्यत्र गोपालकार्धसीतिकेष्यः.
198. (इंडियन एंटीवेरी, बम्बई, V) पृ० 92.
199. अर्थशास्त्र, III.7; कोटिस्थ ने व्रात्यों की नई परिभाषा की है, जो उनके मतानुसार, चारों बांहों में से किसी वर्ण के पतित पुरुषों द्वारा निम्न वर्ण की महिला से उत्पन्न पुत्र थे। वही.
200. अर्थशास्त्र, III.7; कर्मणा वैष्णो रथकारः.
201. वही, दी० गणपति शास्त्री द्वारा एक अनुच्छेद के द्विप गए पाठ के आधार पर यह अर्थ किया गया है (II, 44). शामा शास्त्री ने दूसरे ढंग की व्याख्या की है, जिससे पत्ता चलता है कि सजातीय विवाह के बल वैष्ण तक ही सीमित थे।
202. वही, III.7; पूर्वविरगाभित्वम् वृत्तानुवृत्तम् च स्वधर्मन् स्थापयेत्.
203. वही, III.7.

204. वही.
205. वही, III.7, टी० गणपति शास्त्री, II, 44, के अनुसार.
206. वही, III.7.
207. वही, IV.10; चण्डालारण्यचराणामध्यदण्डः.
208. वही, III.18.
209. वही, II.4.
210. वही, III.20.
211. वही, I.14.
212. वही, III.6.
213. वही, III.3; इन आदिम जातियों की क्रूरता के कारण इस कार्य के लिए चंडालों को विशेष रूप से चुना गया होगा.
214. अर्थशास्त्र, IV.7; रज्जुना पढ़ें। शामा शास्त्री ने [वातयेत्स्वयमात्मानं का अनुवाद किया है; 'दूसरों से आत्महत्या करवाना', जो सही नहीं मालूम पड़ता।
215. वही, III.20.
216. पी० एल० नरसू : 'दि एसेन्स आफ बुद्धिज्म', पृ० 137 से उद्धृत.
217. अर्थशास्त्र, I.10.
218. वही.
219. (जनरल आफ ओरियंटल रिसर्च, मद्रास, XXII), 32, टी० गणपति शास्त्री ने अयाज्य का अर्थ वृषलीपति, अर्थात् शूद्र स्त्री का पति किया है (I, 48).
220. अर्थशास्त्र, III.14.
221. वही, अदोषः त्यक्तुमन्योन्यम्.
222. यह रथकार और पारशव तक सीमित थी।
223. अर्थशास्त्र, IV.6.
224. वही.
225. वही IV.7; दग्धस्य हृदयमदाघं दृष्टवा वा तस्य परिचारकजनं वा दण्डपाश्यादति-मार्गेत्.
226. अर्थशास्त्र, IV.10; शूद्रस्य आहूणवादिनो देवद्रव्यमवस्तृणो राजद्विष्टमादिशतो द्विनेत्र भेदिनश्च योगञ्जनेनान्धत्वमष्टशतो वा दण्यः। आहूणवादी शूद्र को देव संपत्ति चुराने वाले या राजा के बैरी व्यक्ति से भिन्न मानने का कोई औचित्य नहीं दीखता, जैसा कि शामा शास्त्री ने इस अनुच्छेद के अनुवाद में किया है, (अनुवाद, पृ० 255).
227. वही, V.1, टी० गणपति शास्त्री की टीका के आधार पर.

प्राचीन व्यवस्था का कमज़ोर पड़ना (लगभग दो सौ ई० पू० से लगभग दो सौ ई० सन)

इस काल में शूद्रों की स्थिति की अधिकांश सीधी जानकारी मनु के विधिग्रन्थ से प्राप्त हुई है, जो सामान्यतया दो सौ ई० पू० से दो सौ ई० सन तक की मानी जाती है।¹ मनु ने ब्रह्मावर्त (सरस्वती और दूषद्वती के बीच का प्रदेश)² और ब्रह्मपिंडेश (कुरु, मत्स्य, पांचाल और शूरसेन की समतल भूमि) को पवित्र माना है।³ इस आधार पर सुझाव दिया गया है कि अपेक्षाकृत इस छोटे प्रदेश में ही विधिग्रन्थ का उद्भव हुआ और सर्वप्रथम उसे प्राधिकृत माना गया।⁴ इस तरह का विचार यद्यपि संभव है किंतु किसी भी तरह आवश्यक नहीं है और हो सकता है कि मनु-स्मृति का प्रभाव अधिक व्यापक क्षेत्र पर पड़ा हो।

मनु ने जिसप्रकार की ब्राह्मणकालीन घोर कटूरता का परिचय दिया है उससे उनके ग्रन्थ में प्रस्तुत प्रमाण का मूल्यांकन करना कठिन हो गया है। किंतु शूद्रों की स्थिति से संबंधित परिच्छेद का विशेषण पतंजलि के महाभाष्य, भास के नाटक⁵ और बौद्धग्रन्थों, यथा, मिलिंद पञ्चहो (प्रश्न), दिव्यावदान, महावस्तु और सद्धर्मपुण्डरीक से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया जा सकता है।⁶ जैन ग्रन्थ पन्नवणा भी, जिससे शिलिप्यों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इसी काल का कहा जा सकता है।⁷ इस काल के स्मृतिमूलक और संकलिप्त लेख भी शूद्र समुदाय की स्थिति पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं।

कतिपय प्राचीन पुराणों में कलियुग के जो वर्णन मिलते हैं, वे प्रायः इसी युग का संकेत करते हैं,⁸ जबकि वर्ण के आधार पर विभाजित ब्राह्मण समाज की नींव अपधर्मी संप्रदायों के कार्यकलाप और बैकटेरियन ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाणों जैसे विदेशियों की चढ़ाई के कारण हिल गई थी। अंशतः अशोक की बौद्धों की समर्थक नीति और अंशतः इन नए लोगों के आगमन के चलते ब्राह्मण समाज पर जो आधात हुआ उससे मनु ने उसे बचा रखने की जी तोड़ कोशिश की है, और इसके लिए उन्होंने न केवल शूद्रों के विरुद्ध कठोर दंड वा विधान किया है, बल्कि बाहरी तत्वों को वर्णसमुदाय में समाविष्ट करने के उद्देश्य से

उनकी समुचित वंशावली भी बनाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने तलवार (दंड) की शक्ति की जो अत्यधिक महिमा बताई है, उसका भी अभिप्राय यही है।⁹

मनु ने इस पुराने सिद्धांत को दुहराया है कि ईश्वर ने शूद्रों को आदेश दिया है कि वे उच्च जातियों की सेवा करें।¹⁰ राजा को चाहिए कि वैश्य को आदेश दे कि वह व्यापार करे, रूपये का लेन देन करे, खेती करे या मवेशीपालन करे और शूद्र को यह आदेश दे कि वह तीन उच्च वर्णों की सेवा करे।¹¹ आपदधर्म के अध्याय में मनु ने यह भी कहा है कि शूद्र ब्राह्मण की सेवा करे जिससे उसके सभी उद्देश्य पूरे होंगे।¹² ऐसा नहीं होने पर वह क्षत्रिय की सेवा करे, अथवा किसी धनी वैश्य की भी चाकरी करके अपना जीवननिर्वाह करे।¹³ इस संबंध में 'अपि' (भी) शब्द पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ध्वनित होता है कि वैश्य शायद ही शूद्र का मालिक होता था।¹⁴ इससे यह भी पता चलता है कि आपातकाल में शूद्र की सेवा मुख्यतया ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए सुरक्षित रहती थी। एक अन्य स्थान पर मनु ने विहित किया है कि राजा सावधानी के साथ वैश्यों और शूद्रों को बाध्य करे कि वे अपने नियत कार्य किया करें, क्योंकि यदि ये दोनों वर्ण अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे तो सारे संसार में गड़बड़ी फैल जाएगी।¹⁵ इस परिच्छेद का विशेष महत्व है, क्योंकि यह किसी भी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता। इस तरह के विधान से सामाजिक आर्थिक संकट का आभास होता है। मुग पुराण से भी इस बात की पुष्टि होती है, जिसमें कहा गया है कि इस काल में स्त्रियां भी हल जोतती थीं।¹⁶ मनु के एक नियम की जो टीका कुललुक ने की है, उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ ऐसे हासोन्मुख किसान और व्यापारी थे जिन्हें राजा ने अपना गुप्तचर बहाल कर रखा था।¹⁷ मनु का दूसरा नियम है कि जिन शूद्रों को जीवननिर्वाह में कठिनाई हो, वे देश के किसी भी भाग में (अर्थात् म्लेच्छों के देश में भी) बस सकते हैं।¹⁸ इस नियम से ऐसे संकट का संकेत मिलता है जिसका प्रभाव उत्पादन करने वाली जनता पर गंभीर रूप से पड़ा था। वैश्यों और शूद्रों से काम कराने का सुझाव देने की आवश्यकता मनु को इसलिए पड़ी होगी कि विदेशी आकरणों के कारण सामाजिक विप्लव गंभीर रूप धारण कर चुका होगा। प्रायः जब भौयों के कठोर शासन का अंत हुआ, तब वैश्यों और शूद्रों को उनके विहित कर्तव्यों की सीमा बांध रखना और भी कठिन हो गया।

उपर्युक्त निर्देशों से यह भी पता चलता है कि वैश्यों और शूद्रों के कार्यों में पड़ने वाले अंतर क्रमशः मिटते जा रहे थे। मनु ने विहित किया है कि यदि आपातकाल में वैश्य के लिए अपने व्यवसाय से भरण पोषण करना कठिन हो तो उसे शूद्रों के व्यवसाय अपनाने चाहिए, अर्थात् द्विजों की सेवा करके जीवनयापन करना चाहिए।¹⁹ मिलिदपञ्चों के एक प्रश्न से भी इस बात की पुष्टि होती है,

जिसमें कृषि, व्यपार और पशुपालन वैश्य और शूद्र जैसे सामान्य जन के कार्य माने गए हैं,²⁰ और इन दोनों वर्गों के कार्यों का अलग से कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

यद्यपि वैश्य को शूद्र के निकट बताने की प्रवृत्ति चल पड़ी थी, फिर भी कोई 'ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे पता चले कि शूद्र स्वतंत्र रूप से जीविकोपार्जन करते थे। सामान्यतया वे भाड़े के मजदूर और गुलाम के रूप में नियोजित होते रहे, क्योंकि मनु ने उस पुराने नियम को ही दुहराया है कि शिल्पी, यांत्रिक और शूद्र, जो शारीरिक श्रम करके अपना निवाह करते हैं, कर चुकाने के बदले महीने में एक दिन राजा का काम करें।²¹ उन्होंने एक नया नियम बनाया कि वैश्य (अतिरिक्त) कर के रूप में अपने गल्ले का 1/8 हिस्सा चुका कर और शूद्र शारीरिक श्रम लगाकर आपतकालीन स्थिति को संभाले।²² इस प्रसंग में कुल्लुक ने जोरदार शब्दों में कहा है कि बुरे दिनों में भी शूद्रों पर कर नहीं लगाए जाएं।²³ मनु ने शूद्रों को करों से विमुक्ति दी है, जिसकी पुष्टि मिलिदपञ्चों से होती है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि हर गांव के अपने दास या दासी, भटक और कर्मकर होते थे, जिन्हें करों से मुक्त रखा जाता था।²⁴ अतः शूद्र को राज्य का कर चुकाने वाला किसान नहीं बताया गया है और यह स्थिति वैश्यों से भिन्न मालूम पड़ती है। राजा के अष्टविध कर्म की चर्चा करते हुए मेधातिथि ने व्यापार, कृषि, सिचाई, खनन, वस्तीविहीन जिलों की बंदोबस्ती, वनों की कटाई आदि का उल्लेख किया है;²⁵ किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राज्य अपनी पहल पर दासों और कर्मकरों को कृषिकर्म में नियोजित करता था जैसा मौर्य काल में होता था। महावस्तु में ग्राम मुखिया का वर्णन आया है जो खेत का काम देखने के लिए तेजी से जा रहा है। किंतु यह पता नहीं चलता है कि वह इस कार्य का संपादन राजा की ओर से करता था।²⁶ मालूम पड़ता है कि अलग अलग मालिक शूद्रों से कृषि मजदूर का काम करते थे। पतंजली ने एक ऐसे भूस्वामी का जिक्र किया है जो एक जगह बैठकर भाड़े के पांच मजदूरों द्वारा की जाने वाली जुताई का निरीक्षण करता है।²⁷ मनु ने किसान मालिक के नौकरों की भी चर्चा की है।²⁸ उनका कथन है कि कृषक को अपनी पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में ब्राह्मण पुत्र के लिए एक अतिरिक्त हिस्सा बनाकर रखना चाहिए।²⁹ स्पष्ट है कि यह ब्राह्मणों के अधीन रहने वाले कृषि मजदूरों का हवाला देता है।

यद्यपि मनु ने इस विचार की पुनरावृत्ति की है कि शूद्रों को शिल्पियों का व्यवसाय तभी अपनाना चाहिए जब सीधे उच्च वर्णों की सेवा से उनकी जीविका नहीं चल सके,³⁰ फिर भी मालूम होता है कि इस काल में शिल्पियों की संख्या तो काफी बढ़ी ही, उनकी परिस्थिति में भी सुधार हुआ। यह बात बढ़द्वयों, लोहारों, गंधियों, जुलाहों, सुनारों और चर्म व्यवसायियों द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को

उपहार स्वरूप दी गई अनेक गुफाओं, स्तंभों, पट्टों, ताबूतों आदि से प्रमाणित होती है।³¹ इनके अतिरिक्त उत्कीर्ण लेखों में रंगसाजों, धातु और हाथी दांत के काम करने वालों, जौहरियों, मूर्तिकारों और मछुओं के भी कार्य दिखाई पड़ते हैं।³² गंधियों और कुछ हद तक स्वर्णकारों को बार बार उदार उपासक कहा गया है जिससे लक्षित होता है कि शिल्पियों के कई समृद्ध वर्ग बन गए थे। यद्यपि गंधियों की तरह जुलाहों की चर्चा दानपत्रों में बार बार नहीं मिलती है, फिर भी मनुस्मृति में उपलब्ध प्रमाण से ज्ञात होता है कि शिल्पियों के रूप में उनका स्थान महत्वपूर्ण था, क्योंकि कहा गया है कि वे ग्यारह पल का भुगतान करें और चूक होने पर बारह पल दें।³³ स्पष्ट है कि ये कर जुलाहों द्वारा तैयार किए गए सामान पर वस्तु के रूप में लिए जाते थे। प्रायः मथुरा³⁴ और अन्य नगरों में उत्पन्न वस्त्रों के व्यापार में इन जुलाहों की खूब चलती थी। उत्कीर्ण लेखों से पता चलता है कि अधिकांश शिल्पी मथुरा और पश्चिमी दक्षक झेत्र में सीमित थे जहां रोम के साथ बढ़ते हुए व्यापार से उन्हें अपना विकास करने का अवसर मिलता था।

पुरालेख बताते हैं कि शिल्पी अपने प्रधानों के अधीन संगठित थे जो प्रायः राजा के प्रिय पात्र होते थे। हमें आनंद के उपहार की भी बात सुनने में आई है जो श्री शातकर्णि के शिल्पियों का प्रमुख था।³⁵ किंतु साहित्यिक प्रमाण बताते हैं कि पूर्व काल की अपेक्षा इस काल में शिल्पियों के संघ बहुत बड़े पैमाने पर बने थे। महावस्तु ने एक सूची में 11 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख किया है; यथा, मालाकार, कुंभकार, बढ़ी, धोबी, रंगरेज, पात्र निर्माता, स्वर्णकार, जौहरी, शंख-सीपी वस्तु निर्माता, आयुधिक और रसोइया जो अपने अपने प्रधानों के अधीन काम करते थे।³⁶ इसी स्रोत से राजगृह के अष्टदश श्रेणियों का उल्लेख मिलता है जिसके अंतर्गत स्वर्णकार, गंधी; जौहरी, तेली, आटा पीसने वाले आदि भी हैं। इस सूची में फल, कंद, आटा और चीनी के विक्रेता भी शामिल हैं।³⁷ स्वर्णकार और जौहरी का उल्लेख दोनों ही सूचियों में हुआ है और मालूम पड़ता है कि इस काल में लगभग दो दर्जन शिल्पी संघ वर्तमान थे।³⁸ यह भी ध्यान देने योग्य है कि शिल्पी संघों की दूसरी सूची जातकों में वर्णित सूची से बिलकुल भिन्न है।³⁹ यद्यपि शिल्पियों की नियुक्ति राजा करता था,⁴⁰ किंतु भी संभव है कि शिल्पी संघों की संख्या बढ़ने से शिल्पियों पर राज्य का सीधा नियंत्रण कमजोर पड़ गया हो। विशेष महत्व की बात यह है कि अर्थशास्त्र में भी उतने प्रकार के शिल्पी नहीं दिखाई पड़ते, जितने इस अवधि में देखने में आते हैं। महावस्तु में छत्तीस प्रकार के कामगारों की एक सूची दी गई है जो राजगृह नगर में रहते थे।⁴¹ यह सूची व्यापक नहीं मालूम पड़ती है, क्योंकि इसके अंत में कहा गया है कि सूची में जितने कामगारों का उल्लेख हुआ है उनके अतिरिक्त और भी कामगार थे।⁴²

मिलिद पञ्चो में इससे भी लंबी सूची दी गई है, जिसमें लगभग 75 प्रकार के व्यवसाय गिनाए गए हैं जो अधिकतर शिल्पियों के थे।⁴³ बौद्धों की सूचियों के बहुत से शिल्पियों की चर्चा एक जैन ग्रंथ में भी हुई है, जिसमें 18 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख हुआ है और एक खास बात यह है कि इस ग्रंथ में दर्जियों, बुनकरों और रेशम बुनकरों को भी आर्य शिल्पी बताया गया है।⁴⁴ इससे प्रकट होता है कि जैन इन शिल्पियों को हीन नहीं मानते थे।

इन शिल्पियों की सूची का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इस काल में कई नए शिल्पों का विकास हुआ। दीघ निकाय में दिए गए लगभग दो दर्जन शिल्पों⁴⁵ के मुकाबले हमें मिलिद पञ्चो में पांच दर्जन शिल्पियों की चर्चा मिलती है। इनमें से आठ शिल्प धातुकर्म संबंधी हैं,⁴⁶ जिनसे अच्छी प्रगति का पता चलता है। ऐसा जान पड़ता है कि वस्त्र निर्माण, रेशम बुनाई⁴⁷ एवं अस्त्र शास्त्र और विलास सामग्रियों⁴⁸ के निर्माण में भी अच्छी प्रगति हुई थी। इन सब बातों से पता चलता है कि इस काल के शिल्पियों ने तकनीकी और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

ये शिल्पी अपने ग्राहकों से उस रूप में नहीं जुड़े थे, जिस प्रकार दास और कर्मकर अपने मालिकों से संबद्ध थे। इस तरह पतंजलि से हमें जानकारी मिलती है कि बुनकर (जुलाहे) स्वतंत्र रूप से अपना काम करते थे।⁴⁹ दास और कर्मकर तो भोजन और वस्त्र पाने के उद्देश्य से काम करते थे, किंतु शिल्पी अपना काम करके मजदूरी पाने की आशा रखते थे।⁵⁰

मनु ने कई ऐसे विधान बनाए हैं जिनसे शूद्रों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने वर्ण के अनुसार ब्याज की भिन्न भिन्न दरोंने निर्धारित की हैं; यह पुराना नियम था।⁵¹ वर्णों के अनुसार ब्याज की दरें क्रमशः दो, तीन, चार या पांच प्रतिशत होनी चाहिए।⁵² नासिक के उत्कीर्ण लेख से पता चलता है कि जब रूपए बुनकर संघ के पास जमा किए जाते थे तब उनके द्वारा चुकाए जाने वाले ब्याज की दरें प्रति मास एक से लेकर द्व्यै प्रतिशत तक होती थीं।⁵³ ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि शूद्र के रूप में उन्हें ब्याज की उत्तम दरें चुकानी पड़ती थीं। सनातन परंपरा के एक आधुनिक समर्थक ने ब्याज के इस वर्गीकरण को इस आधार पर उचित बताने का प्रयास किया है कि यह उधार लेने वालों की सामाजिक सेवाओं के अनुपात को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है,⁵⁴ जिसका अर्थ है कि शूद्रों द्वारा की जाने वाली सेवाएं नगण्य सी थीं। किंतु वास्तविकता यह है कि अपने उत्पादन कार्य द्वारा वे, वैश्यों के साथ, पूरे सामाजिक ढांचे को कायम रखे हुए थे। हो सकता है कि मनु का ब्याज संबंधी विधान अमल में नहीं लाया गया हो, किंतु ब्याज वसूलने में प्रायः ब्राह्मणों के प्रति कुछ नरमी बरती जाती थी और शूद्रों को अपना क्रृष्ण चुकाकर ही मुक्त होना पड़ता था।

मनु का विचार है कि शूद्र को संपत्ति जमा नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि इससे वह ब्राह्मणों को सताने लगेगा।⁵⁵ कहा गया है कि इस तरह की निषेधाज्ञा खुद शूद्रों को संबोधित अतिरंजित मंतव्य (अर्थवाद) है,⁵⁶ किंतु ऐसे विचार के लिए मूल ग्रंथ में कोई आधार नहीं है। इस निषेधाज्ञा की तुलना अंग्रेजी प्रार्थना-ग्रंथ के उस प्रबोधन वाक्य से भी की जाती है, जिसमें गरीब को कहा गया है कि 'उसके पास जो कुछ भी हो, उसी से वह संतुष्ट रहे।'⁵⁷ चूंकि प्रसंगाधीन परिच्छेद आपतकाल संबंधी अध्याय में आया है, अतः यह बौद्ध भिक्षुओं या विदेशी शासकों के संबंध में कहा गया होगा, जिन्हें शूद्र ही माना जाता था। जो भी हो, दाय विधि से यह स्पष्ट है कि शूद्रों की संपत्ति होती थी।⁵⁸ यह निष्कर्ष मनु द्वारा दुहराए गए उस पुराने नियम से भी निकाला जा सकता है, जिसके अनुसार वैश्यों और शूद्रों को धन के अनुदान द्वारा अपनी विपत्ति का निराकरण करना चाहिए।⁵⁹

मनु के अनुसार रूपए जिस व्यक्ति के पास जमा किए जाएं, उसकी एक योग्यता यह होनी चाहिए कि वह आर्य हो।⁶⁰ शूद्र स्पष्ट ही उस योग्यता से वंचित है। किंतु ६० सन की दूसरी शताब्दी में सातवाहन के राज्य में रूपए कुंभकारों, तेल मिल के मालिकों⁶¹ और बुनकरों⁶² के पास भी जमा किए जाते थे। यह प्रथा बौद्ध उपासकों में प्रचलित थी, जो भिक्षुओं को परिधान देने और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपए जमा करते थे। ब्राह्मण धर्मावलंबी भी इन प्रथाओं का अनुसरण करते थे, क्योंकि ऐसा अभिलेख मिला है जिससे पता चलता है कि हुविष्क के राज्यकाल (लगभग 106-138 ई०) में एक प्रमुख ने मथुरा के आटा व्यापारी संघ के पास एक नियत धनराशि जमा की थी, जिसके ब्याज से प्रतिदिन 100 ब्राह्मणों को खिलाया जाता था।⁶³ इन प्रथाओं से भी सिद्ध होता है कि शिल्पकार संघ बनाकर स्वतंत्र रूप से काम करते थे। स्पष्ट है कि वे जमा की हुई इस धनराशि से अपने लिए कच्चा माल और उपकरण (औजार) खरीद सकते थे और उत्पादित सामग्री को बेचने से हुई आय से उक्त राशि का ब्याज चुका सकते थे।

मनु ने विहित किया है कि ब्राह्मण अपने शूद्र दास के सामान को निर्भयता-पूर्वक जब्त कर ले सकता है, क्योंकि उसे संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है।⁶⁴ जायसवाल का विचार है कि इसके द्वारा संभवतया बौद्ध संघ की संपत्ति जब्त करने की क्रिया को कानूनी मान्यता दी गई है, क्योंकि संघ के पास अपार संपत्ति इकट्ठी हो गई थी।⁶⁵ किंतु यह नियम संभवतया उन शूद्रों पर ही लागू होता है जो दास के रूप में काम करते थे। मनु का मत है कि क्षत्रिय भूखा क्यों न रह जाए, वह किसी पुण्यात्मा ब्राह्मण की संपत्ति हरण नहीं कर सकता, लेकिन वह किसी दस्यु या अपने पवित्र कर्तव्य से च्युत होने वाले लोगों की संपत्ति हड्डप

सकता है।^{६०} इससे पता चलता है कि जो क्षत्रिय और वैश्य अपने अनिवार्य धार्मिक कृत्यों की अवहेलना करते थे, उनकी सपत्ति हरण कर ली जा सकती थी। ऐसी स्थिति में शूद्रों को सुरक्षित नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि मनु ने नियम बनाया है कि चूंकि शूद्र को यज्ञ से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए यज्ञ करने वाले द्विज यज्ञ के लिए अपेक्षित दो या तीन सामग्री उससे ले सकते हैं।^{६१} इन सभी नियमों से मालूम पड़ता है कि मनु ने शूद्रों को आर्थिक दृष्टि से हीन बनाकर रखने का प्रयास किया है।

मैर्योत्तर काल में कामगारों को दी जाने वाली मजूरी और निम्न वर्ग के लोगों के जीवननिर्वाही की सामान्य स्थिति का कुछ आभास मिलता है। एक बात में मनु ने कौटिल्य के सिद्धांत का अनुसरण किया है और बताया है कि मजूरी पर रखा गया चरवाहा मालिक की सहमति से दस गायों में से सबसे अच्छी एक गाय को ढूँढ़ ले सकता था।^{६२} इस मामले में मनु भाड़े के मजदूर के प्रति कौटिल्य की अपेक्षा अधिक उदार मालूम पड़ते हैं,^{६३} क्योंकि उन्होंने मजदूर को सबसे अच्छी गाय का ढूँढ़ ले जाने की अनुमति दी है। मनु ने चरवाहे के जिम्मे रखी गई गायों के प्रति उसकी जिम्मेवारी पर भी जोर दिया है, और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके विभिन्न कर्तव्यों का उल्लेख भी किया है।^{६४} किंतु उन्होंने यह नहीं कहा है कि यदि कोई मवेशी खो जाए तो उसके चरवाहे को काड़े से पीटा जाए, जैसा कि आपस्तंब में बताया गया है, अथवा उसे मृत्यु की सजा दी जाए, जैसा कि कौटिल्य ने कहा है। मनु ने एक नया प्रावधान बनाया है जिसके अनुसार गांवों के चारों ओर लगभग चार सौ हाथ चौड़ा क्षेत्र और नगरों के चारों ओर इसका तिगुना क्षेत्र चरागाह के लिए रखा जाए। यदि इस क्षेत्र के अंतर्गत किसी के बाड़ा रहित प्लाटों में कोई मवेशी भटक कर चला जाए और उसकी फसल को नुकसान पहुंचाए तो उसके लिए चरवाहे को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता।^{६५} इस तरह इस स्मृतिकार ने चरवाहों के हितों को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की है।

यह बताते हुए कि शूद्रों का काम ब्राह्मणों की सेवा करना है, उन्होंने विहित किया है कि शूद्रों का निवाह व्यय तय करने में उनकी योग्यता, काम और आश्रितों की संख्या का ख्याल किया जाना चाहिए।^{६६} उन्होंने गौतम के उस अनुदेश को दुहराया है कि इन सेवकों को जूठन और पुराने कपड़े तथा बिस्तर दिए जाने चाहिए। किंतु उन्होंने यह भी बताया है कि इन्हें अनाज के कण भी दिए जाएं।^{६७} ये नियम स्पष्टतया उन शूद्रों के पारिश्रमिक का निर्देश देते हैं जो घरेलू नौकर का काम करते थे। मनु ने कहा है कि राजा की सेवा में नियोजित दासियों और दासों की मजूरी समय और स्थान को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए।^{६८} उन उत्कृष्ट और अपकृष्ट कार्यकर्ताओं को एक पण से लेकर छः पण तक दैनिक मजूरी मिलनी चाहिए।^{६९} इसके अतिरिक्त उनके लिए भोजन

और वस्त्र आदि का भी प्रबंध किया जाना चाहिए जो उनके ओहदे के अनुसार भिन्न भिन्न किसम के हो सकते हैं।⁷⁶ यह स्पष्ट नहीं है कि उत्कृष्ट और अपकृष्ट शब्द उच्च और नीच वर्णों के द्योतक हैं, जैसा कि एक अन्य प्रसंग में अर्थ लगाया गया है।⁷⁷ किंतु पतंजलि से हमें विदित होता है कि एक ओर कर्मकरों और भृतकों की मजूरी और दूसरी ओर पुरोहितों तथा अन्य लोगों की मजूरी में बहुत बड़ा अंतर था। इस प्रकार जहां पुरोहितों को मजूरी के रूप में गायें दी जाती थीं, वहां कर्मकरों और भृतकों को प्रतिदिन 1/4 निष्क,⁷⁸ अर्थात् महीने में 7½ निष्क मिलते थे। कहा गया है कि निष्क और कार्षपण का मूल्य बराबर होता था।⁷⁹ किंतु यदि इस कथन को स्वीकार किया जाए तो किसी कामगार की दैनिक मजूरी 1/4 पण होगी, जबकि मनु के लगभग समकालीन प्रमाण बताते हैं कि श्रमिक की न्यूनतम मजूरी एक पण और अधिकतम मजूरी छः पण होती थी। अर्थशास्त्र में कामगार की दैनिक मजूरी 3/5 पण से लेकर 2½ पण तक बताई गई है, जो एक और चार के अनुपात में है,⁸⁰ किंतु इन स्रोतों के आधार पर पण की आपेक्षिक क्याशक्ति का आकलन संभव नहीं है।

श्रमिकों की कार्यस्थिति को विनियमित करने के बारे में मनु ने जो उपबंध किए हैं, वे कौटिल्य के उपबंध जितने व्यापक नहीं हैं। किंतु कौटिल्य की ही तरह उन्होंने लापरवाह मजदूर के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। भाड़े का मजदूर जो, बीमार नहीं रहने पर, अहंकारवश, अपना कार्य संपादन समझीते के अनुसार नहीं करेगा, उस पर आठ कृष्णल का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे कोई मजूरी नहीं दी जाएगी।⁸¹ किंतु जो मजदूर अस्वस्थता के कारण अपना काम नहीं कर सकेगा और स्वस्थ होने पर उसे पूरा कर लेगा, वह अपनी अनुपस्थिति की लंबी अवधि के लिए मजूरी पा सकेगा।⁸² दूसरी ओर, यदि स्वस्थ होने पर वह अपना काम पूरा नहीं करेगा तो उसको उस अवधि के लिए भी मजूरी नहीं चुकाई जाएगी जिसमें उसने काम किया हो।⁸³ इससे पता चलता है कि यदि अस्वस्थता के कारण मजदूरों को काम छोड़ना पड़ता था तो उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाता था। लेकिन शर्त यह थी कि वे वादा करें कि चंगा होने पर काम पूरा कर देंगे, अर्थात् दूसरों से पूरा करवा देंगे। नियोजकों से मजदूर के हितों की रक्षा के लिए मनु ने और कोई अन्य नियम नहीं बनाए हैं, जैसे अर्थशास्त्र में मिलते हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त एक उपमा से पता चलता है कि सेवक को अपनी मजूरी पाने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी।⁸⁴

मालूम पड़ता है कि नगरों में मजूरों के लिए अलग मुहर्ले होते थे। एक बीद्ध ग्रंथ में भृतकबीथी (संभवतया राजगृह में) की चर्चा आई है, जहां ब्राह्मण और गृहस्थ (संभवतया वैश्य) भाड़े के मजदूर ठीक करने जाते थे।⁸⁵ एक अन्य स्रोत में दरिद्रबीथी और नगर के सुसंपन्न व्यक्तियों के विलासपूर्ण भवनों के बीच तुलना

की गई है।⁸⁶ संभवतया यह दरिद्रवीथी और भूतकवीथी एक जैसी थी, जिनमें मजूरी पर निर्वाह करने वाले गरीब रहते थे। हमें तीन ऐसे भूतकों की जानकारी मिलती है जो धनी व्यक्तियों के घर के आसपास की गंदगी साफ करते थे और उसी घर के निकट फूस की झोपड़ी में रहते थे।⁸⁷ पतंजलि ने बार बार बताया है कि वृष्टि अर्थात् शूद्र का घर केवल एक दीवाल का होता था (कुड्य)।⁸⁸ इससे मालूम होता है कि उसके घर में मिट्टी या इंट की प्रायः एक ही दीवाल होती थी और शेष तीन भागों में फूस के टाट लगे रहते थे। यह भी संभव है कि यहाँ 'कुड्य'⁸⁹ शब्द झोपड़ी का द्योतक हो।

भूतक अपने जीर्ण शरीर, अस्त व्यस्त बाल और मैले कुचैले कपड़े से पहचाना जाता था,⁹⁰ क्योंकि शुद्ध वस्त्र धारण करने वाले को दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद भी भूतकवीथी में रोजी नहीं मिल सकती थी।⁹¹ मनु ने घरेलू नौकरों के रूप में नियोजित शूद्रों के भोजन और पोशाक का कुछ वर्णन किया है। इस संबंध में उन्होंने केवल गौतम के पुराने उपबंधों को दुहराया है और उनका विश्लेषण किया है। इसके अनुसार मालिक को चाहिए कि अपने शूद्र नौकर को उसकी योग्यता, परिश्रम और परिवार के आकार की दृष्टि से समुचित निर्वाह व्यय दे।⁹² उसे जूठन, खुद्दी, जीर्ण शीर्ण वस्त्र और पुराने विस्तर दिए जाने चाहिए।⁹³ मिलिंद पञ्चों में यह वर्णन आया है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और गहपतियों की कोमलांगी पत्नियां स्वादिष्ट रोटियां और मांस खाती हैं, लेकिन इस प्रसंग में शूद्रों की पत्नियों का कोई जिक्र नहीं हुआ है।⁹⁴

मौर्योत्तर काल में शूद्रों और वैश्यों के बीच आर्थिक भेदभाव मिटते जा रहे थे, पर शूद्र मुख्यतया अलग अलग भूस्वामियों के खेतों में कृषि मजदूर का काम कर रहे थे। पूर्व काल की अपेक्षा शिल्पी अधिक स्वच्छंद होकर अपना काम करते थे। इन शिल्पियों की न केवल संख्या बढ़ी थी और उनमें विविधता थाई थी बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य के लक्षण भी दिखाई पड़ने लगे थे। मनु के विधान, जिनके द्वारा शूद्रों पर नई आर्थिक अशक्तताएँ आरोपित की गई थीं, प्रायः प्रभावहीन हो गए थे। किंतु शूद्र समुदाय के रहन सहन की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन का आभास नहीं मिलता है।

मनु ने मौर्योत्तर कालीन राज्य व्यवस्था में शूद्रों की स्थिति के बारे में विशद सूचना दी है। उन्होंने विहित किया है कि स्नातक को शूद्र शासक के देश में नहीं रहना चाहिए।⁹⁵ इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि उस काल में शूद्र शासक होते थे। किंतु ये शासक चतुर्थ वर्ण के नहीं मालूम होते हैं, क्योंकि उस काल के राजनीतिक इतिहास में इनकी कोई चर्चा नहीं है। ये प्रायः ग्रीक, शक, पर्थियन और कुषाण शासकों का निर्देश देते हैं जो बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और जिन्हें मनु ने ऐसा पतित क्षत्रिय बताया है जो ब्राह्मणों से परामर्श न लेने और

बताए गए वैदिक कृत्यों के संपादन में चूक के कारण शूद्रत्व की स्थिति में पहुंच गए थे।¹⁰⁰ पुराण में कलियुग के जो वर्णन आए हैं, उनमें बताया गया है कि शूद्र राजा अश्वमेध यज्ञ¹⁰¹ करते थे और ब्राह्मण पुरोहितों से यजन कराते थे।¹⁰² कलि शासकों का हवाला देते हुए विष्णुपुराण में कहा गया है कि विभिन्न देशों के लोग इन शासकों में मिल जाते थे और उनका अनुसरण करने लगते थे।¹⁰³ संभव है कि यह बात विदेशी मूल के शासकों के बारे में कही गई हो। वे अपधर्मी संप्रदायों के अनुयायी थे,¹⁰⁴ जिसके चलते उनके प्रति मनु की वैरभावना और भी तीव्र रही होगी। ब्राह्मणों और इन शासकों में संपर्क नहीं बढ़ने पाए, इसके लिए मनु ने इन शासकों के राज्यों में स्नातकों का बसना निषिद्ध माना है। उन्होंने यह भी विहित किया है कि ब्राह्मणों को क्षत्रिय जाति के अलावा किसी भी राजा का उपहार नहीं ग्रहण करना चाहिए।¹⁰⁵ स्पष्ट है कि ये सारे नियम इस उद्देश्य से बनाए गए थे कि ब्राह्मण विदेशी शासकों को मान्यता न दें। किंतु धीरे धीरे यह उत्कट वैरभावना घटने लगी और उनके प्रति सहिष्णुता बढ़ने लगी। अंततः विदेशी शासकों को हीन कोटि के ही सही लेकिन क्षत्रियों की मान्यता दी गई।

इस काल के कुछ ऐसे बौद्ध भी मिलते हैं जो नीच जाति के शासकों को अच्छा नहीं मानते। मिलिंद पञ्चो बताता है कि जिस व्यक्ति का जन्म नीच जाति में हुआ हो और जिसकी वंशपरंपरा हीन हो, वह राजा बनने योग्य नहीं है।¹⁰⁶

मनु ने विहित किया है कि राजा को ऐसे सात या आठ मंत्री नियुक्त करने चाहिए, जिनके पूर्वज राजा के निष्ठावान अधिकारी रहे हों, जो अस्त्र शस्त्र के संचालन में निपुण हों, जो संभ्रांत परिवार के हों और अनुभवी हों।¹⁰⁷ स्पष्ट है कि शूद्र शायद ही इतनी योग्यता वाला होगा।

मनु ने चेतावनी दी है कि जिस राज्य में शूद्र विधि (कानून) का व्यवस्थापन करे और राजा देखता रहे, उस राज्य की स्थिति वैसे ही गिरती जाती है, जैसे दलदल में फंसी गाय नीचे की ओर धंसती जाती है।¹⁰⁸ ऐसे नियम प्रायः उन वर्बंर शासकों के राज्यों का निर्देश करते हैं जिन्होंने न्याय प्रशासन या अन्य प्रशासनिक कृत्यों के संपादन के लिए कुछ शूद्रों को नियुक्त किया होगा। किंतु मनु जोर देकर कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मण भी जो मुख्यतया अपनी जाति के नाम पर (अर्थात् अपने को केवल ब्राह्मण बताकर) ही जीवनयापन करता है, विधि का निर्वचन कर सकता है, पर शूद्र किसी भी दशा में न्यायाधीश (धर्मप्रवक्ता) नियुक्त नहीं किया जा सकता।¹⁰⁹ टीकाकारों का मत है कि आवश्यक होने पर क्षत्रियों की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में की जा सकती है,¹¹⁰ लेकिन टीका में वैश्यों का उल्लेख नहीं हुआ है। यह मनु के विचार के अनुकूल जान पड़ता है, जिसके अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण के बिना और ब्राह्मण क्षत्रिय के बिना उन्नति नहीं कर सकते। किंतु मिल-जुलकर रहने पर वे इस लोक और परलोक में भी सुखी रह सकते हैं।¹¹¹

प्रायः ब्राह्मणप्रधान राज्यों में सभी प्रशासकीय और न्याय संबंधी पदों पर प्रथम दो वर्णों का एकाधिकार था।

मनु ने उस पुराने सिद्धांत को दुहराया है जिसके अनुसार चारों वर्ण के सदस्य और अछूत अपने अपने समुदायों के मुकदमों में गवाह बन सकते हैं।¹⁰⁸ किंतु, उन्होंने बताया है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो गृहस्थ और पुत्रवान हैं और देश के रहने वाले हैं, वादी द्वारा बुलाए जाने पर गवाही दे सकते हैं।¹⁰⁹ कुल्लूक की राय में यह बात दीवानी, अर्थात् ऋण आदि से संबंधित मुकदमों में लागू होती है।¹¹⁰ मनु का यह नियम पहले के नियमों की अपेक्षा अवश्य ही सुधरा हुआ है, जिसके अनुसार उच्च वर्णों के सदस्यों के मामले में शूद्रों को गवाह के रूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई है। जहाँ तक मानहानि, हमला, जारकर्म और चोरी के मामले का प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है, भले ही उसमें दीवानी मुकदमे के लिए अपेक्षित योग्यता ही या नहीं।¹¹¹ यदि योग्य गवाह उपलब्ध न हो तो मनु ने चाकरों और सेवकों को भी गवाह बनने की अनुमति दी है।¹¹² मनु ने गांवों के बीच होने वाले सीमा विवादों के मामलों के लिए वर्ण विभेद नहीं किया है; गवाहों की जांच प्रामीण समूह के समक्ष होती थी।¹¹³ जिन लोगों को मनु ने गवाहों के रूप में (खासकर दीवानी मामलों में) उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी है, वे हैं शिल्पकार, कलाकार और नर्तक।¹¹⁴ कुल्लूक ने ऐसे निषेध को इस आधार पर उन्नित बताया है कि ये लोग बराबर अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और घूस देकर इन्हें अपने पक्ष में किया जा सकता है।¹¹⁵ मनु के अनुसार जन्मजात गुलामों को भी गवाही देने की अनुमति नहीं है।¹¹⁶

मनु ने अभिसाक्ष्य देने के पहले विभिन्न वर्णों के लोगों को चेतावनी देने के पुराने नियम को दुहराया है।¹¹⁷ यदि कोई शूद्र गलत साक्ष्य दे तो वह भारी पाप का भागी होगा,¹¹⁸ और उसे भयानक दैवी धातनाएं भोगनी होंगी।¹¹⁹ किंतु उन्होंने बताया है कि न्यायाधीश को चाहिए कि ब्राह्मण को सत्यनिष्ठा की, क्षत्रिय को रथ की या जिस पशु की सवारी वह करता हो उसकी, और वैश्य को अपनी गाय, अन्न और स्वर्ण की शपथ दिलाए, और शूद्र को इस आशय की कि सभी रिष्टिकर पापों का अपराध उसके माथे छढ़ेगा।¹²⁰ किंतु यह बड़ा अर्थपूर्ण है कि मनु ने शूद्र गवाह के लिए कोई विशेष राजदंड विहित नहीं किया है। उन्होंने यह सामान्य सिद्धांत निरूपित किया है कि झूठी गवाही देने पर राजा तीन नीच वर्णों के लोगों को जुर्माना और निवासिन का दंड दे सकता है, लेकिन ब्राह्मण को केवल निवासित ही करेगा।¹²¹ इसी प्रकार, ब्राह्मण शारीरिक दंड के भी भागी नहीं हैं। यह दंड केवल तीन नीच वर्णों के लोगों को ही दिया जा सकता है।¹²² इसलिए इन दृष्टियों से शूद्र को क्षत्रिय और वैश्य के साथ समान स्तर पर रखा गया है।

यह विहित किया गया है कि राजा को वादियों के मुकदमों को उनके वर्णक्रम से ग्रहण करना चाहिए।¹²³ विधि का व्यवस्थापन करने में उसे हर जाति के रीति रिवाजों का ध्यान रखना चाहिए।¹²⁴ मनु भद्र लोगों के आचरण को विधि का स्रोत मानते हैं,¹²⁵ और जैसा कि इं सन की 17वीं शताब्दी के एक टीकाकार ने बताया है; भद्र शूद्रों की प्रथा भी इसका स्रोत है।¹²⁶

पुराने विधिनिर्माताओं की तरह मनु न्याय के प्रशासन में वर्णविभेद की भावनाओं से प्रेरित हैं, जिसका शूद्रों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण की मानहानि करे तो उसे सौ पण और इसी अपराध के लिए वैश्य को एक सौ पचास या दो सौ पण का जुर्माना किया जाएगा, किंतु शूद्र को शारीरिक दंड दिया जाएगा।¹²⁷ यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की मानहानि करे तो उसे क्रमशः 50, 25 या 12 पण का जुर्माना किया जाएगा।¹²⁸ यह ध्यान देने की बात है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को अपशब्द कहे तो उसके लिए 12 पण का जुर्माना विहित किया गया है, क्योंकि गौतम धर्मसूत्र में ऐसी स्थिति के लिए किसी भी जुर्माने का उपबंध नहीं किया गया है।¹²⁹

साधारणतया मनु ने उच्च वर्णों के लोगों के प्रति अपराध करने वाले शूद्रों के लिए बहुत कठोर दंड विहित किए हैं। यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देकर अपमानित करे तो उसकी जीभ काट ली जाएगी।¹³⁰ द्विज (द्विजाति) शब्द केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि किसी शूद्र द्वारा किसी वैश्य को दुर्वचन कहे जाने पर यह दंड देना स्पष्टतया निषिद्ध है।¹³¹ मनु ने यह भी विहित किया है कि यदि कोई शूद्र द्विज के नाम और जातियों की चर्चा तिरस्कारपूर्वक करे तो दस अंगूल लंबी गर्म लाल लोहे की कांटी उसके मुँह में ठूस दी जाएगी।¹³² यदि वह उद्दंडता के साथ ब्राह्मणों को उनका कर्तव्य सिखाए तो राजा उसके मुँह और कान में गर्म तेल डलवा देगा।¹³³ जायसवाल की राय है कि ये नियम धर्मप्रचार करने वाले विद्वान शूद्रों, अर्थात् बौद्ध या जैन शूद्रों और उस तरह के अन्य शूद्रों के लिए बनाए गए हैं जो उच्च वर्णों के साथ समानता का दावा करते हैं।¹³⁴ स्पष्ट है कि ये नियम मनु के उन राजनीतिक विरोधियों के प्रति उद्दिष्ट हैं जो सुस्थापित व्यवस्था का निरादर करते हैं।¹³⁵ यह कहना कठिन है कि इस कानून का प्रवर्तन कहां तक हुआ। संभवतया वे कटूर्पंथी के प्रलाप थे और उन पर शायद ही अमल किया गया होगा।¹³⁶

प्रहार और इसी प्रकार के अन्य अपराधों के मामले में शूद्रों के लिए विहित दंड बहुत कठोर थे। ऐसा उपबंध किया गया है कि अंत्यज (नीच जाति) जिस अंग से उच्च जाति (श्रेष्ठः) को कष्ट पहुंचाए वह अंग काट लिया जाएगा।¹³⁷ यहां कुल्लूक ने अंत्यज का अर्थ शूद्र किया है,¹³⁸ जो पूर्वकाल के ऐसे ही नियम से

मिलता है।¹³⁰ 'श्रेष्ठ' शब्द से ब्राह्मणों का बोध होता है, न कि तीन उच्च वर्ण के लोगों का जैसा कि कहीं कहीं समझा गया है।¹⁴⁰ एक श्लोक में मनु ने बताया है कि जो कोई अपना हाथ या छड़ी उठाएगा उसका हाथ काट लिया जाएगा; जो क्रोध में आकर पैर से भारेगा उसका पैर काट लिया जाएगा।¹⁴¹ संभवतया यह भी ब्राह्मणों के प्रति शूद्रों द्वारा किए जाने वाले अपराध का संकेत करता है। आगे 'यह भी विहित किया गया है कि यदि 'अपकृष्टजः' (नीच कुल में जन्मा कोई व्यक्ति) उसी स्थान पर बैठने का प्रयास करे जिस पर उच्च जाति का कोई व्यक्ति (उत्कृष्टः) बैठा हो तो उसका चूतड़ दाग कर उसे निर्वासित कर दिया जाएगा अथवा राजा उसके चूतड़ में धाव करवा देगा।¹⁴² 'अपकृष्टजः' शब्द शूद्र के लिए और 'उत्कृष्ट' ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त हुए हैं।¹⁴³ इसी प्रकार यदि अहंकारवश कोई शूद्र किसी ब्राह्मण पर थूके तो राजा उसके दोनों होंठ कटवा देगा; यदि वह उस पर पेशाब कर दे तो उसका लिंग और यदि उसके सामने गंदी हवा छोड़े तो उसकी गुदा कटवा देगा।¹⁴⁴ यदि शूद्र ब्राह्मण का बाल पकड़कर खीचे तो राजा बेहिचक उसके हाथ कटवा देगा। उसे ऐसी ही सजा ब्राह्मण के पैर, दाढ़ी, गर्दन और अंडकोश पकड़कर घसीटने के लिए दी जाएगी।¹⁴⁵ मनु ने ब्राह्मणों को 'जानबूझ कर कष्ट पहुंचाने वाले नीच शूद्र के लिए एक सामान्य दंड का विधान किया है, जिसके अनुसार राजा आतंक फैलाने के लिए कई प्रकार के शारीरिक दंड दे सकता है।¹⁴⁶ ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने का अर्थ उसे शारीरिक दुःख देना या संपत्ति चुरा लेना किया गया है।¹⁴⁷

ऊपर बताए गए अधिकांश नियम ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने वाले शूद्रों के लिए बनाए गए हैं। विधिग्रंथ में इन नियमों के मात्र लिखे रहने से भी यह पता चलता है कि उच्चतर और निम्नतर वर्णों के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण था। यह सुनिश्चित करने का शायद ही कोई प्रमाण मिलता है कि ये नियम अमल में लाए जाते थे। किंतु महावस्तु से जानकारी मिलती है कि भाड़े के मजदूरों से काम कराने के लिए उन्हें कठिन से कठिन शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं। इस ग्रंथ से मालूम पड़ता है कि कुछ लोग इन मजदूरों को बेड़ियों और जंजीरों में जकड़वा देते थे और आदेश देकर कितनों के हाथ-पांव छेदवा देते थे तथा उनकी नाक, मांस, नसों, बांहों और पीठ को पांच या दस बार चिरवा देते थे।¹⁴⁸ सदधर्मपुंदरीक में कहा गया है कि एक संभ्रांत परिवार का नवयुवक काठ की बेड़ियों में जकड़ दिया गया था।¹⁴⁹ अतएव यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि शूद्र अपराधियों को शारीरिक दंड दिए जाते थे। किंतु यह संदिग्ध बना हुआ है कि मनु के दंड-विधान उन पर अक्षरशः लागू किए जाते थे।

एक ही कोटि की जातियों के लोगों के आपस में लड़ जाने पर कठोर दंड विहित नहीं हैं। कहा गया है कि जो अपनी समकक्ष जाति का चमड़ा उधेड़े या

उसका खून बहाए, उसे सौ पण जुर्मना किया जाएगा; जो मांसपेशी काटे उसे छः निष्क और जो हड्डी तोड़ दे उसे निर्वासित किए जाने की सजा दी जाएगी।¹⁵⁰ राघवानंद की राय है कि यह नियम शूद्र द्वारा शूद्र पर प्रहार करने का संकेत है।¹⁵¹

मनु ने हत्या के पाप का प्रायशिचत चांद्रायण व्रत द्वारा विहित किया है जिसकी अवधि मारे गए व्यक्ति के वर्ण के अनुसार घटती बढ़ती है। ब्राह्मण की हत्या करने पर तीन वर्ष का व्रत विहित किया गया है और शूद्र की हत्या के लिए 2½ महीने का।¹⁵² शूद्र की हत्या करने पर मनु के अनुसार दस गाय और एक साँड़ का वैरदेव चुकाना पड़ता है,¹⁵³ जैसा कि पुराने विधिग्रंथों में भी पाया जाता है। मनु ने यह भी बताया है कि इस जुर्मनि का भुगतान ब्राह्मण को किया जाएगा।¹⁵⁴ इसी प्रकार पूर्वकाल के विधिनिर्माताओं की भाँति उन्होंने शूद्र का वध करने के लिए वही व्रत विहित किया है जो छोटे छोटे पशु एवं पक्षियों को मारने के लिए विहित है।¹⁵⁵ ये उपबंध निसंदेह बताते हैं कि मनु शूद्र के जीवन को बहुत तुच्छ समझते थे। किंतु विस्मय की बात यह है कि हत्या के संबंध में मनु के एक नियम में वर्णविभेद की कोई चर्चा नहीं दिखाई पड़ती है। यदि सत्य बोलने से किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के वध की संभावना हो तो मिथ्या वचन बोला जा सकता है और उस पाप के लिए सरस्वती को चरु चढ़ाकर प्रायशिचत किया जा सकता है।¹⁵⁶ मनु ने यह भी स्पष्ट किया है कि नारी, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय का वध करना मामूली अपराध है, जिसके लिए अपराधी को जातिच्युत कर दिया जाता है।¹⁵⁷ किंतु इस नियम का एकमात्र उद्देश्य ब्राह्मण के जीवन की महत्ता पर जोर देना है।

मनु का विचार है कि वर्ण जितना ही ऊंचा हो, चोरी का अपराध उतना ही भारी होगा। शूद्र का यह अपराध लघुतम अपराध माना गया है,¹⁵⁸ क्योंकि यह समझा जाता है कि चोरी का अभ्यास उसके लिए सामान्य बात है।

दायविधि में मनु ने ब्राह्मण के शूद्र पुत्र को संपत्ति का दसवां भाग देने के पुराने नियम का समर्थन किया है, अगर उसे उच्च जातियों की पत्नियों से पुत्र नहीं भी हो।¹⁵⁹ यहाँ उस पुराने विचार को भी दुहराया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का शूद्रपुत्र कोई भी हिस्सा पाने का हकदार नहीं है। उसका पिता उसे जो दे दे वही उसका हिस्सा बन जाता है।¹⁶⁰ शूद्र को नातेदार तो माना जा सकता है, किंतु उत्तराधिकारी नहीं।¹⁶¹ जहाँ तक शूद्रों में हिस्से देने का प्रश्न है, उन्हें सौ पुत्र क्यों न हों, सब के हिस्से बराबर होंगे।¹⁶² इस प्रकार केवल उच्च जाति के लोगों के शूद्र पुत्रों को हिस्सा मिलना निश्चित नहीं था। सामान्यतया शूद्र वर्ण के सदस्यों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। एक अन्य विधान से भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जिसके अनुसार राजा को

चाहिए कि जिस किसी वर्ण के सदस्यों की संपत्ति चोरों ने चुरा ली हो, उन्हें वह संपत्ति अवश्य वापस दिला दे।¹⁶³

मनु के जारकर्म संबंधी नियमों में शूद्र महिला के प्रति उतना विभेद नहीं किया गया है जितना शूद्र पुरुष के प्रति। यदि कोई ब्राह्मण अपने से तीन छोटे वर्णों की किसी अरक्षित महिला का गमन करे तो उसे पांच सौ पण जुर्माना किया जाएगा किंतु किसी अत्यंज महिला के प्रति इसी तरह का अपराध किए जाने पर जुर्माना बढ़ा कर एक हजार पण कर दिया जाएगा।¹⁶⁴ यदि कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी रक्षित शूद्र महिला के साथ संभोग करे तो उसके लिए भी जुर्माने की राशि उतनी ही होगी।¹⁶⁵ यदि कोई ब्राह्मण किसी वृष्टली के साथ रात बिताए तो वह भिक्षाटन पर निर्वाहि करके और प्रतिदिन धर्मग्रंथों का पाठ करके तीन वर्ष में उस पाप को दूर कर सकेगा।¹⁶⁶ यद्यपि अधिकांश नियम ब्राह्मणों के नैतिक पतन को रोक कर उसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हैं, फिर भी उनसे स्पष्ट है कि मनु शूद्र महिला के सतीत्व की भी रक्षा करना चाहते हैं। यह उनके सिद्धांत के अनुकूल है कि चारों वर्णों की महिलाओं की रक्षा की जानी चाहिए।¹⁶⁷

किंतु मनु का यह नियम कि लोगों को दूसरे की स्त्री से बातचीत नहीं करनी चाहिए, शूद्रों के कुछ वर्गों यथा, अभिनेताओं और गायकों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वे अपनी पत्नियों से प्रचण्डन कर्म (वैश्या, कुटनी आदि का काम) कराकर निर्वाहि करते हैं।¹⁶⁸ इतना ही नहीं, जो कोई इन स्त्रियों और किसी मालिक की अधीनस्थ दासी से बातचीत करे उसे मामूली जुर्माना चुकाना पड़ेगा।¹⁶⁹ इस कोटि में बौद्ध और जैन भिक्षुणियों को भी रखा गया है,¹⁷⁰ क्योंकि उन्हें प्रायः नीच जातियों से नियुक्त किया जाता था और भिक्षुओं की तरह उन्हें भी शूद्र मानकर हेय दृष्टि से देखा जाता था।¹⁷¹ मनु ने जारकर्मी शूद्र पुरुष के लिए अत्यंत कठोर दंड विहित किया है। जो शूद्र द्विज जाति की किसी अरक्षित महिला का समागम करे, वह अपराध करने वाले अंग और अपनी सारी संपत्ति से च्युत कर दिया जाएगा और यदि ऐसा अपराध किसी रक्षित महिला के साथ किया जाएगा तो उसे अपना सर्वस्व और अपनी जान भी गंवा देनी पड़ेगी।¹⁷² यहां द्विज (द्विजाति) शब्द प्रायः ब्राह्मण का संकेत देता है, क्योंकि नीचे के दो नियमों में ब्राह्मण महिला के साथ क्षत्रिय और वैश्य द्वारा किए गए अपराध के दंड का विवरण किया गया है।¹⁷³ किंतु यदि ये दोनों किसी रक्षित ब्राह्मणी, जो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण की पत्नी हो, के प्रति अपराध करें तो इन्हें भी शूद्र की तरह दंडित किया जाएगा अथवा सूखी घास की आग जलाकर उसमें जला दिया जाएगा।¹⁷⁴ स्मरणीय है कि ऐसे मामले में कौटिल्य ने केवल शूद्र अपराधी के लिए जलाकर मार डालने का दंड विहित किया है।¹⁷⁵ वसिष्ठ ने क्षत्रिय और वैश्य अपराधियों

के लिए भी इसी तरह के दंड का प्रावधान किया है।¹⁷⁶ मनु के एक परिच्छेद का यह अर्थ लगाया जाता है कि इस तरह के मामले में शूद्र को मृत्युदंड दिया जाएगा।¹⁷⁷ चूंकि जारकर्मी शूद्र के लिए मृत्युदंड का समर्थन सामान्यतया अन्य स्रोतों से भी होता है, अतः मनु का यह प्रावधान निष्प्रभावी नहीं रहा होगा।

दासता के संबंध में मनु के नियम शूद्र की नागरिक हैसियत पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं। कौटिल्य का मत है कि आर्य माँ या बाप का शूद्र पुत्र दास नहीं बनाया जा सकता है। किंतु यद्यपि मनु ने शूद्र पुत्रों को परिवार की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार दिया है, फिर भी उन्होंने इस प्रथा का कोई हवाला नहीं दिया है। सर्वप्रथम उन्होंने ही यह सिद्धांत निरूपित किया कि दासता शूद्र के जीवन का शाश्वत रूप है। किंतु यह केवल ब्राह्मणों और शूद्रों के संबंध पर लागू होता है। मनु कहते हैं कि शूद्र खरीदा हुआ हो या नहीं, उसे दास बनाना ही होगा, क्योंकि परमात्मा ने उसका सृजन ब्राह्मण की सेवा के लिए किया है।¹⁷⁸ बाद के श्लोक में उन्होंने बताया है कि शूद्र भोगाधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भोगाधिकार उसमें अंतर्जात है।¹⁷⁹ शूद्र की तुलना में द्विज जातियों के सदस्य को दास नहीं बनाया जा सकता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी द्विज जाति के लोगों को दास के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य करे तो राजा उसे छः सौ पण जुर्माना करेगा।¹⁸⁰ इस संबंध में कौटिल्य ने जुमनि की वर्गीकृत योजना बनाई है। सबसे अधिक जुर्माना 48 पण है, जो ब्राह्मण को दास बनाने के लिए किया जा सकता है।¹⁸¹ मनु ने इन विभेदों का कोई निर्देश नहीं दिया है, पर तीन उच्च वर्णों के लोगों को दास बनाने के अपराध के लिए कहीं अधिक जुमनि का उपबंध किया है।

मनु के विधिप्रथम में भी सभी शूद्रों को दास नहीं माना गया है।¹⁸² शूद्र और दास के बीच कानूनी भेदभाव को मनु ने स्पष्ट रूप से मान्यता दी है और दासी (शूद्र के दास की दासी) से उत्पन्न शूद्र के बेटे की चर्चा की है।¹⁸³ इस प्रकार यद्यपि दास की बहाली सामान्यतया शूद्र वर्ण से की जाती थी, फिर भी कभी कभी शूद्र भी दास रखते थे। किंतु शूद्र और उसके दास के बीच अंतर उतना व्यापक नहीं था जितना द्विज और उसके दास के बीच था। मनु का मत है कि यदि पिता की अनुमति मिले तो दासी से उत्पन्न शूद्र का पुत्र पैतृक संपत्ति में हिस्सा पा सकता है।¹⁸⁴ किंतु द्विज के ऐसे ही पुत्र के लिए उपबंध नहीं किया गया है। फलस्वरूप, मनु के उपर्युक्त नियम से जान पड़ता है कि दास को संपत्ति का अधिकार था। कुल्लूक ने मनु के एक परिच्छेद की जो टीका की है उसके अनुसार जब मालिक विदेश गया हो, तब उसके कारोबार संबंधी लेन देन में दास उसके परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसे उसका मालिक रद्द नहीं कर सकता है।¹⁸⁵ किंतु एक अन्य स्थल पर मनु ने इसे अस्वीकार किया है और कहा है कि

वास्तविक स्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गई विक्री अमान्य घोषित कर दी जाती है।¹⁸⁶ पहले बताया गया है कि सक्षम गवाहों के नहीं प्रस्तुत होने पर दास और नौकर भी गवाही दे सकते हैं। इन बातों से पता चलता है कि दासों को भी कानून की दृष्टि से कुछ हैसियत प्राप्त थी। कुछ दृष्टि से घरेलू दासों को परिवार का सदस्य माना जाता था। मनु ने परिवार के प्रधान को आदेश दिया है कि वह अपने मां-बाप, बहन, पुत्रवधू, भाई, पत्नी, पुत्र, पुत्री और दास से बाद-विवाद नहीं करे।¹⁸⁷ उन्होंने 'इसका कारण बताया है कि पत्नी और पुत्र गृहपति के शरीर के अंग हैं,'¹⁸⁸ पुत्री दया की पात्र है और दासों का वर्ण उसकी अपनी छाया है। इसलिए मनु का कहना है कि यदि ये लोग गृहपति का अनादर भी करें तो भी उसे शांतिपूर्वक उनके साथ रहना चाहिए।¹⁸⁹ क्या इसका यह अर्थ लिया जाए कि पुरानी पारिवारिक एकात्मकता अस्थायी रूप से शिथिल पड़ गई थी? यह अजीब बात लगती है कि यह विधिनिर्मता मालिक को कहे कि दासों द्वारा किया गया अनादर सहन कर ले।

किन्तु दासों और भाड़े के मजदूरों को नागरिकों की भाँति अधिकार प्राप्त नहीं थे। यह निष्कर्ष मालवा और क्षुद्रक गणराज्यों में उस समय की स्थितियों से निकाला जा सकता है। पाणिनि के एक परिच्छेद की टीका करते हुए पतंजलि ने बताया है कि क्षुद्रकों और मालवों के बेटे तो क्रमशः क्षौद्रक्य और मालव्य कहलाते हैं, पर उनके दासों और मजदूरों के बेटों पर यह बात लागू नहीं होती।¹⁹⁰

शूद्रों की राजनीतिक-सह-विधिक स्थिति के बारे में मनु अधिकतर पुराने विधिनिर्मताओं की राह पर चलते हैं। उनके नए नियमों में से कुछ नियम विदेशी शासकों और बाह्य धर्म के अनुयायियों के विरुद्ध हैं, जिन्हें अपमान की भावना से शूद्र कहा गया है और कुछ नियम खास शूद्र के लिए ही हैं। जो नियम शूद्रों के लिए ही हैं, वे भी मुख्यतया ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने वाले शूद्रों से ही संबंधित हैं, किन्तु इस संबंध में भी शूद्रों के प्रति मनु की धोर भेदभाव की नीति का कोई उल्लेखनीय प्रभाव लक्षित नहीं होता। उन्होंने शूद्र की हत्या के लिए न केवल वैरदेय का पुराना नियम रख लिया है बल्कि शूद्र को गाली देने वाले ब्राह्मण के लिए 12 पण का जुर्माना भी विहित किया है। यह ऐसा प्रावधान है जिसे हम पूर्व के विधिग्रंथों में नहीं पा सकते। यह महत्वपूर्ण है कि इस काल के अंतिम भाग में सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शातकर्णि (ई० सन 106-130) ने दावा किया है कि उन्होंने ब्राह्मणों और शूद्रों (अवरों) को समझा बुझा कर वर्ण-व्यवस्था की गड़बड़ी को दूर किया और पुनः चातुर्वर्ण्य व्यवस्था स्थापित की।¹⁹¹ वर्णों का यह नया व्यवस्थापन ब्राह्मण शासकों ने अतिरियों के विरोध में किया था,¹⁹² क्योंकि ये क्षत्रिय प्रायः बाहर के शासक वंश के थे।

शूद्रों की सामाजिक स्थिति के बारे में मनु के नियम बहुत हद तक पुराने विधिनिर्माताओं के विचारों की पुनरुक्ति लगते हैं। किंतु उन्होंने शूद्रों के प्रति कुछ नए भेदभाव भी बनाए हैं। उन्होंने सृष्टि रचना की पुरानी कथा दुहराई है, जिसमें शूद्र का स्थान सबसे नीचे है।¹⁹³ मनु ने चारों वर्णों के प्रति किए जाने वाले अभिवादन (प्रायः जैसा ब्राह्मण करते थे) की रीति की निर्धारक विधियों को भी दुहराया है।¹⁹⁴ किंतु उन्होंने यह भी बताया है कि जो ब्राह्मण सही ढंग से अभिवादन का उत्तर नहीं दे उसे विद्वतजन कभी अभिवादन नहीं करें, क्योंकि वह शूद्र के समान है।¹⁹⁵ पतंजलि बताते हैं कि अभिवादन का उत्तर देने में शूद्रों के संबोधन का ढंग गैरशूद्रों से भिन्न था। शूद्रों को संबोधित करने का स्वर तेज नहीं होना चाहिए। 'भो' शब्द का प्रयोग राजन्य या वैश्य के संबोधन में किया जाता था, शूद्र के संबोधन में नहीं।¹⁹⁶ अतः व्याकरण के नियमों में भी वर्णविभेदों के आभास मिलते हैं। मनु का नियम है कि यदि कोई शूद्र सौ वर्ष का हो जाए तो उसका आदर किया जा सकता है।¹⁹⁷ किंतु यह नियम शूद्रों की बहुत सीमित संख्या पर ही लागू हुआ होगा।

मनु ने बच्चों के नामकरण संस्करण में भी वर्ण का विभेद किया है जिससे स्वभावतया शूद्रों की हीनता झलकती है। उनका मत है कि ब्राह्मण का नाम मंगलसूचक, क्षत्रिय का नाम बलसूचक, वैश्य का नाम धनसूचक और शूद्र का नाम निंदासूचक होना चाहिए।¹⁹⁸ इसी के अनुपूरक के तौर पर उन्होंने बताया है कि चारों वर्णों की उपाधि क्रमशः सुखवाचक (शर्मी), सुरक्षवाचक (वर्मी), समुन्नितवाचक (भूति) और सेवावाचक (दास) होनी चाहिए।¹⁹⁹ इसके प्रमाण नहीं मिलते कि यह परिपाठी व्यापक रूप से प्रचलित थी, किंतु नामों के संबंध में मनु के नियमों से जान पड़ता है कि नीच वर्ण के लोग ब्राह्मणकालीन समाज में सामान्यतया घृणा के पात्र थे। इस प्रकार शूद्र के लिए प्रयुक्त 'वृषल' शब्द अपमानजनक माना जाता था। पाणिनि के समास संबंधी नियम का उदाहरण देते हुए पतंजलि ने बताया है कि 'दासी' के सदृश (दास्यः सदृशः) और 'वृषली' के सदृश (वृषल्यः सदृशः) पद गाली हैं,²⁰⁰ जिनका अर्थ यह हुआ कि शूद्र और दास समाज में गर्हित माने जाते थे। वृषल को चोर की कोटि में रखा गया था और दोनों के प्रति ब्राह्मणप्रधान समाज वैरभाव रखता था।²⁰¹ यह भी जानकारी मिलती है कि वृषल, दस्यु और चोर घृणा के पात्र समझे जाते थे।²⁰²

शूद्र की संगत ब्राह्मण को दूषित करने वाली समझी जाती थी। मनु ने बताया है कि जो ब्राह्मण भद्रजनों की संगत में रहता है और सभी नीच लोगों का परिन्त्याग करता है, वह प्रतिष्ठित बन जाता है, किंतु इसके विपरीत आचरण करने पर वह भ्रष्ट होकर शूद्र की स्थिति में पहुंच जाता है।²⁰³ उन्होंने इस प्रावधान को पुनः उद्धृत किया है कि स्नातक को शूद्रों के साथ नहीं धूमना फिरना चाहिए।²⁰⁴

मनु ने प्राचीन नियम को गुनःउद्भूत किया है कि यदि वैश्य और शूद्र, किसी ब्राह्मण के घर अतिथि बनकर आएं तो उन्हें कृपापूर्वक नीकरों के साथ भोजन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।²⁰³ मनु का नियम है कि स्नातक को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए।²⁰⁴ स्नातक को जिनका अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए उनकी लंबी सूची में लोहार, नियाद, अभिनेता, स्वर्णकार, टोकरीनिर्माता, शिकारी कुत्ते पालने वाला, शौणिङ्की (शराब चुलाने और बेचने वाले), धोबी और रंगरेज शामिल किए गए हैं।²⁰⁵ यह भी कहा गया है कि राजा का अन्न खाने से स्नातक का तेज क्षीण होता है, शूद्र का अन्न खाने से विद्या (ब्राह्मवर्चस्) का, स्वर्णकार का अन्न खाने से आयु का और चर्मवर्कर्त्तिन (चर्मकार) का अन्न खाने से यश का ह्रास होता है।²⁰⁶ यह बड़े अचरज की बात है कि शूद्र समुदाय के विभिन्न वर्गों के अन्न के साथ ही राजा का अन्न भी स्नातक के लिए अकल्याणकारी बताया गया है। मनु ने यह भी बताया है कि शिल्पियों का अन्न खाने से स्नातक संतानविहीन होता है, धोबी का अन्न खाने से उसका बल घटता है और गण तथा गणिका (वेश्या) का अन्न उसे परलोक से च्युत करता है।²⁰⁷ यदि वह अनजाने इन लोगों में से किसी का अन्न खाए तो उसे तीन दिन अवश्य उपवास करना चाहिए; किंतु यदि उसने जानवृत्तकर इनका अन्न ग्रहण किया हो तो उसे एक कठिन प्रायस्त्रिचत, जिसे 'कृष्ण' कहते हैं, करना चाहिए।²⁰⁸ मालूम पड़ता है कि इन सभी प्रसंगों में प्रायः स्नातक का अर्थ है, वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण वर्ण का छात्र। यदि इन प्रतिबंधों को लागू किया जाए तो परिणाम होगा नीच जातियों और शिक्षित ब्राह्मणों के बीच सभी प्रकार के सामाजिक संपर्क को निषिद्ध करना। मनु ने विहित किया है कि पंडित ब्राह्मण को शूद्र का, जो श्राद्ध नहीं करते, सिद्धान्त कभी नहीं खाना चाहिए। किंतु यदि उसके निवाह के अन्य सभी साधन लोप हो जाएं तो वह शूद्र से उतना कच्चा अन्न ले सकता है जिससे एक रात गुजारी जा सके।²⁰⁹ असामान्य स्थिति में ये नियम मान्य नहीं हैं। मनु ने श्रेष्ठ मुनियों के कई दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने आपतकाल में निषिद्ध अन्न ग्रहण किया।²¹⁰ भूखे विश्वामित्र, जो अच्छे और बुरे में विभेद कर सकते थे, चंडाल से प्राप्त कुत्ते की रान खाने को तैयार थे।²¹¹ सामान्य स्थिति में साधारणतया शूद्र का अन्न स्वीकार्य था। मनु का नियम है कि कोई व्यक्ति उस शूद्र का अन्न खा सकता है, जो उसका बटाईदार हो, उसके परिवार का मित्र हो, उसका चरवाहा हो, उसका दास और उसका हजार हो।²¹² पतंजलि से हमें सूचना मिलती है कि बढ़ियों, धोबियों और लोहारों ने जिस थाली में भोजन किया हो, उसे अच्छी तरह साफ करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।²¹³ इससे पता चलता है कि उच्च वर्णों और शूद्र समुदाय के इन वर्गों के बीच भोजन करने-कराने की प्रथा थी। शूद्र का जूठा खाना महापाप समझा जाता था। कहा गया है कि जिसने औरतों और शूद्रों का जूठा खा लिया

हो उसे सात दिन और सात रात तक जौ का घोल पीकर अशुचि का निवारण करना चाहिए।²¹⁶ प्रायः यह नियम ब्राह्मण के लिए है। इसी प्रकार जो ब्राह्मण शूद्र का जूठा हुआ पानी पी ले, उसे कुश डालकर तीन दिनों तक उबाला गया पानी पीकर अपने पाप का प्रायमित्रत करना चाहिए।²¹⁷ मनु के नियम शूद्रों के आहार पर कुछ प्रकाश डालते हैं। द्विज को चाहिए कि यदि वह मुखाया हुआ मांस, जमीन में उगा हुआ कुकुरमुत्ता और कोई ऐसा मांस खा ले जिसके बारे में वह नहीं जानता हो कि मांस किसं जीव का है अथवा मांस किस कसाई खाने से लाया गया है, तो उसे चांद्रायण व्रत रखना चाहिए।²¹⁸ इसी प्रकार यदि कोई द्विज मांसभक्षी प्राणी, सूअर, ऊंट, मुर्गा, कौआ, मनुष्य और गदहे का मांस खा ले तो उसे अति कठिन व्रत, जो 'तप्तकृष्ट' कहलाता है, रखना चाहिए।²¹⁹ यदि इन प्रसंगों में द्विज को प्रथम तीन वर्णों का सदस्य माना जाए तो इसका अर्थ होगा कि शूद्र सभी प्रकार का मांस खाने के लिए स्वतंत्र थे। मनु के एक परिच्छेद की टीका में कुल्लूक ने बताया है कि लहसुन और अन्य निषिद्ध कंद खाकर शूद्र ऐसा अपराध नहीं करता कि उसे जातिच्युत कर दिया जाए।²²⁰ इससे मालूम होता है कि लहसुन, प्याज और अनेक प्रकार के मांस नीच वर्ग के लोगों के वैध आहार माने जाते थे।

अनुमान है कि वैश्यों और शूद्रों के विवाह की रीति उच्च वर्णों से भिन्न थी। मनु ने विधिनिमत्तिओं के मत उद्धृत किए हैं, जिनके अनुसार प्रथम चार प्रकार के विवाह, अर्थात् ब्राह्मा, दैव, आर्ष और प्राजापत्य ब्राह्मण के लिए विहित हैं, राक्षस क्षत्रिय के लिए और आसुर वैश्य तथा शूद्र के लिए।²²¹ उन्होंने यह भी बताया है कि ब्राह्मण 'आसुर' और 'गांधव' विवाह को भी अपना सकते हैं, क्षत्रिय भी आसुर, गांधव और पैशाच विवाह अपना सकते हैं और वही पद्धतियां वैश्य तथा शूद्र के लिए भी हो सकती हैं।²²² इस तरह क्षत्रिय के लिए राक्षस पद्धति से विवाह करने का नियम बनाकर उन्हें केवल वैश्य और शूद्र से अलग किया गया है। किंतु यहां प्रायः मनु का मुख्य उद्देश्य है ब्राह्मणों को अन्य तीन वर्णों से अलग करना। जहां तक दो नीच वर्णों का संबंध है, वास्तविक स्थिति मनु द्वारा उद्धृत विवरण, जो आदिपर्व में भी आया है,²²³ से स्पष्ट होती है, जिसमें कन्या का आसुर विवाह (खरीदकर विवाह करना) सामान्यतया वैश्यों और शूद्रों में प्रचलित था। मनु का विचार है कि 'आसुर' और 'पैशाच' पद्धति से विवाह कभी नहीं करना चाहिए।²²⁴ कुल्लूक ने अपनी टीका में बताया है कि यह नियम ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर लागू होता है,²²⁵ जिससे पता चलता है कि विवाह की ये दोनों पद्धतियां खासकर दो नीच वर्णों के लिए अभिप्रेत थीं।

मनु के स्त्री धन संबंधी नियम विवाह की पद्धतियों के अनुसार भिन्न भिन्न हैं। कहा गया है कि यदि आसुर, राक्षस और पैशाच पद्धति से विवाहिता स्त्री

संतानहीन मर जाए तो स्त्री धन उसके मां-बाप को, अर्थात् उसके माता-पिता के परिवार को मिलेगा न कि उसके पति के परिवार को, जैसा कि प्रथम चार और गांधर्व रीति के विवाह में होता है।²²⁶ इससे पता चलता है कि वैश्य और शूद्र द्वारा अपनाई गई वैवाहिक पद्धतियों में मातृकुल का महत्व था।

मनु निश्चयपूर्वक कहते हैं कि जो विवाह वैदिक मंत्रों द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, उनमें नियोग नहीं हो सकता।²²⁷ चूंकि ये मंत्र शूद्रों के विवाह में नहीं पढ़े जाते,²²⁸ इसलिए यह स्पष्ट है कि नियोग मुख्यतया शूद्रों तक ही सीमित था। यह निष्कर्ष मनु द्वारा आगे बताए गए अन्य विवरण से भी निकाला जा सकता है जिसमें उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि विधवा विवाह और नियोग को शास्त्रों के जानकार द्विज पशुजन्य प्रथा मानते हैं।²²⁹ जाली का विचार है कि नियोग और विधवा विवाह के संबंध में मनु के विचार परस्पर विरोधी हैं,²³⁰ क्योंकि कुछ परिच्छेदों में वह इनका समर्थन करते हैं और कुछ में उनकी निर्दा करते हैं। किंतु यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि मनु ने नियोग और विधवा विवाह का समर्थन शूद्रों के लिए किया है और तीन उच्च वर्णों के संबंध में उन्होंने इनकी निर्दा की है, तो इन परिच्छेदों का समाधान आसानी से मिल जाएगा। शूद्रों में उपर्युक्त प्रथाओं के चलन से यह पता चलता है कि महिलाएं अपने समुदाय में दूसरों पर बहुत निर्भर नहीं थीं।

एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण के विवाह के संबंध में मनु ने पुरानी उक्ति उद्धृत की है जिसमें उच्च वर्ण के लोगों को नीच वर्ण की महिला से विवाह की अनुमति दी गई है।²³¹ लेकिन उन्होंने यह भी बताया है कि यदि द्विज अपने वर्ण की और अन्य छोटे वर्णों की महिला से विवाह करे तो इन पत्नियों की वरीयता, हैसियत और निवास का निर्णय वर्णों के क्रम से किया जाएगा।²³²

मनु इस विचार को नापसंद करते हैं कि ब्राह्मण या क्षत्रिय की प्रथम पत्नी कोई शूद्र महिला हो। उन्होंने बताया है कि प्राचीन कथा में इसका कोई पूर्वोदाहरण नहीं मिलता है।²³³ प्रायः उच्च वर्णों के लोगों की शूद्र पत्नी का दर्जा बहुत नीचे रहता था। पतंजलि हमें सूचित करते हैं कि दासी और वृषली उच्च वर्ण के लोगों के भोग-विलास के लिए होती थी।²³⁴ मनु का कथन है कि जो द्विज शूद्र कन्या से विवाह करते हैं वे तुरंत अपने परिवार और बच्चों को पंक्तिच्युत करके शूद्र बना देते हैं।²³⁵ कुललूक का मत है कि यह नियम तीनों उच्च वर्णों पर लागू होता है।²³⁶ अपने कथन के समर्थन में मनु ने कई प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। अत्रि का विचार है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र कन्या से विवाह करे तो उसे जाति से बाहर कर दिया जाए। शौनक कहते हैं कि पुत्र उत्पन्न होने पर क्षत्रिय का भी यही हाल होना चाहिए और भृगु का कथन है कि यदि वैश्य को केवल शूद्र स्त्री से पुत्र उत्पन्न हो तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए।²³⁷ किंतु मनु ब्राह्मण

द्वारा शूद्र महिला के समागम का घोर विरोध करते हैं। उनकी राय है कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु के उपरांत नरक में जाएगा। यदि उसे शूद्र पत्नी से संतान उत्पन्न होगी तो वह ब्राह्मण नहीं रह जाएगा,²³⁸ और शूद्र से भिन्न कोई संतान नहीं रहते। पर उसका परिवार शीघ्र नष्ट हो जाएगा,²³⁹ क्योंकि किसी ब्राह्मण के लिए उसका शूद्र बेटा जीवित रहने पर भी मुर्दे के समान है। यही कारण है कि वह पारशव कहलाता है।²⁴⁰ जो व्यक्ति वृषली का अधरपान करता है, उसकी सांस से दूषित बनता है और उससे पुनर उत्पन्न करता है, उसके लिए कोई प्रायशिच्छत नहीं हो सकता।²⁴¹ इस संदर्भ से स्पष्ट है कि यह निषेध केवल ब्राह्मण के लिए था।²⁴²

मनु ने पुरानी वर्णसंकर जातियों, यथा निषाद,²⁴³ पारशव, उग्र, अयोगव, क्षतृ, चंडाल, पुक्कुस,²⁴⁴ कुकुठक, श्वपाक और वेण²⁴⁵ का उल्लेख किया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति वर्णों के अंतर्मिश्रण से हुई है। उन्होंने इस तरह उत्पन्न नई जातियों की एक लंबी सूची दी है। ब्राह्मण उग्र की बेटी से आनन्द, अम्बष्ट की बेटी से आभीर और आयोगव जाति की स्त्री से धिरवण को उत्पन्न करता है।²⁴⁶ इतना ही नहीं, आयोगव महिला से दस्यु द्वारा सैरंध्र, वैदेहक द्वारा मैत्रेयक, और निषाद द्वारा मार्गव या दाश उत्पन्न होता है जो कैवर्त भी कहलाता है।²⁴⁷ चंडाल वैदेहक महिला से पांडुसोपाक को और निषाद आर्हिङ्क को जन्म देता है।²⁴⁸ वैदेहक जाति की स्त्री से निषाद कारावर उत्पन्न करता है, और वैदेहक कारावर स्त्री से अंध को तथा निषाद स्त्री से मेद को जन्म देता है।²⁴⁹ निषाद स्त्री चंडाल से जो पुत्र उत्पन्न करती है वह अंत्यावसायिन् कहलाता है जिसे वे लोग भी धृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह चातुर्वर्ण्य पद्धति से बाहर (बाह्य) है।²⁵⁰ मनु यह भी बताते हैं कि सूत, वैदेहक, चंडाल, मार्गध, क्षतृ और आयोगव इन्हीं जातियों की स्त्री से ऐसी संतान उत्पन्न करते हैं जो और भी अधिक हेय तथा अपने पिता से भी अधिक अधम समझी जाती है, और उसे वर्णव्यवस्था से बाहर रखा जाता है।²⁵¹ उनका यह भी कहना है कि बाह्य और हीन (निम्न वर्ग के लोग) उच्च जातियों की महिलाओं से पंद्रह प्रकार की नीच जातियां उत्पन्न करते हैं।²⁵² मनु ने इन जातियों का नाम नहीं गिनाया है, लेकिन जान पड़ता है कि वे ऊपर दी गई सूची के ही अंतर्गत हैं।

उपर्युक्त जातियों में उनके व्यवसायों के आधार पर अंतर किया जाता था।²⁵³ चंडाल, श्वपाक और अंत्यावसायिन् अपराधियों को फांसी देने का काम करते थे और उन्हें अपराधियों के वस्त्र, बिछावन और आभूषण दे दिए जाते थे।²⁵⁴ निषाद मछली पकड़कर अपना निर्वाह करते थे, और मेद, अंध, मदगु और चुन्चु का काम जंगली जानवरों का शिकार करना था।²⁵⁵ क्षतृ, उग्र और पुक्कस विवर में रहने वाले जंतुओं को पकड़ने और मारने वाले बताए गए हैं।²⁵⁶ स्पष्ट है कि ये सभी लोग पिछड़ी जातियों के थे, जो ब्राह्मणप्रधान समाज में मिला लिए

जाने पर भी अपना व्यवसाय करते रहे। मनु बताते हैं कि कुछ संकर जातियों ने महत्वपूर्ण शिल्पों को अपनाया। आयोगव ने लकड़ी का काम शुरू किया²⁵⁷ और धिगवण तथा कारावर ने चमड़े का²⁵⁸ एवं पांडुसोपाक ने बेंत के कार्य का पेशा अपनाया।²⁵⁹ मार्गव या दाश नाविक के पेशे द्वारा जीविका अर्जित करते थे और आयर्वित के निवासी उन्हें कैवर्त कहते थे।²⁶⁰ वेण ढोल पीटने वाले थे,²⁶¹ और सैरंध्र को शृंगार तथा अपने मालिक की सुश्रूषा में निपुण समझा जाता था। सैरंध्र यद्यपि गुलाम नहीं थे, फिर भी वे गुलाम की भाँति ही रहते थे, अथवा जानवरों को फंसा कर गुजार बसर करते थे।²⁶² मैत्रेयक के बारे में कहा गया है कि वह सुरीली आवाज वाला था और सुबह होने पर घंटी बजाता था तथा महापुरुषों के प्रशस्तिगान में लगा रहता था।²⁶³

उपर्युक्त ढंग की कुछ नीच जातियों का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ में भी हुआ है। कहा गया है कि बुद्ध या बोधिसत्त के अनुयायियों को चंडालों, कौकुटिकों (मुर्मिपालकों), संकरियों (सूअरवधिकों), शौंडिकों (मदिरा विक्रेताओं),²⁶⁴ मनिसकसों (कसाइयों), मौषिटिकों (मुक्केबाजों), नट नर्तकों (अभिनेताओं और नर्तकों) जल्लों और मल्लों (कुश्तीबाजों) से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा।²⁶⁵ बौद्ध धर्मावलंबी इन लोगों से धूणा करते थे, क्योंकि वे निर्दयी और अनैतिक कार्य करने वालों के साथ रहते थे।

अधिकांश संकर जातियां, जिनका उल्लेख मनु ने किया है, अछूत थीं। निषादों, आयोगवों, मेदों, अंध्रों, चुंचुओं, मद्गुओं, क्षत्राओं, पुकक्सों, धिगवणों और वेणों के कृत्यों का उल्लेख करके मनु ने कहा है कि उन्हें गांवों के बाहर बड़े बड़े वृक्षों, चैत्यों (कब्रागाहों), शमशानों अथवा पहाड़ों और उपवनों में बसना चाहिए।²⁶⁶ इससे पता चलता है कि ये जातियां ब्राह्मणों की बस्ती से बाहर रहती थीं। चंडाल और शवपाक तो अवश्य हीं गांव से बाहर रहते थे। जिस पात्र में उन्हें भोजन कराया जाता था उसे सदा के लिए फेंक दिया जाता था। उनकी संपत्ति मात्र कुत्ते और गदहे थे; वे टूटी फूटी थालियों में खाना खाते थे, लोहे के गहने पहनते थे और मूत्र व्यक्तियों के कपड़े धारण करते थे तथा एक जगह से दूसरी जगह धूमते रहते थे।²⁶⁷ उन्हें रात को शहरों और गांवों में आने की अनुमति नहीं थी। यहां ये दिन में ही काम कर सकते थे।²⁶⁸ मनु ने बताया है कि चंडालों और शवपाकों को पहचान के लिए राजशासन द्वारा निर्धारित चिह्न धारण करना चाहिए।²⁶⁹ राधवानंद की इस व्याख्या के समर्थन में तत्कालीन कोई प्रमाण नहीं मिलता कि चंडालों को ललाट या किसी अन्य अंग पर कोई चिह्न दाग दिया जाए। प्रायः चंडालों और शवपाकों को कहा गया था कि वे कुछ खास ढंग की पोशाक पहनें ताकि अन्य लोगों से उनमें स्पष्ट अंतर रहे।²⁷⁰ वे विवाह में ऋण, उद्घार आदि का व्यवहार अपनी जाति के लोगों को छोड़ दूसरों

के साथ नहीं कर सकते थे। मनु का आदेश है कि उच्च वर्णों के लोग इन्हें अपने हाथ से अन्न भी नहीं दें।²⁷¹

किंतु मनु विशेषतया यह चाहते हैं कि ब्राह्मणों और अछूतों के बीच कोई संपर्क ही नहीं रहे। उन्होंने विहित किया है कि स्नातक को (जो सामान्यतया ब्राह्मण होता है) चंडालों, पुक्करों, अंत्यों और अंत्यावसायिनों के साथ नहीं रहना चाहिए।²⁷² श्राद्धकर्म करते समय ब्राह्मण पर जिनकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए वे हैं चंडाल, ग्रामसूअर, मुर्गा, कुत्ता आदि।²⁷³ मनु ने यहां तक कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी चंडाल या अंत्य महिला का समागम करे या उसका अन्न ग्रहण करे तो वह ब्राह्मणत्व खो देगा। किंतु यदि वह जानबूझ कर ऐसा करे तो वह भी चंडाल या अंत्य की स्थिति प्राप्त करेगा।²⁷⁴ इससे यह अर्थ निकलता है कि ब्राह्मणेतर जातियों और चंडालों के बीच ऐसे संबंध को निदनीय नहीं माना जाता था।

मनु अस्पृश्यों और संकर जातियों को शूद्र मानते थे या नहीं यह स्पष्ट नहीं होता। उन्होंने खुलेआम कहा है कि वर्ण चार हैं।²⁷⁵ इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि संकर जातियों को शूद्र वर्ण में शामिल कर लिया गया था। उनकी उत्पत्ति संबंधी कथाओं से पता चलता है कि लोगों में ऐसी धारणा थी कि उनकी धर्मनियों में शूद्र का रक्त है। मनुस्मृति में एक स्थल पर कुल्लूक ने अंत्यज को शूद्र के रूप में चिह्नित किया है।²⁷⁶ किंतु मनु ने 'अंत्यज' शब्द का प्रयोग चंडाल के अर्थ में किया है।²⁷⁷ सूत, वैदेहक, चंडाल, मागध, क्षत्रू और आयोगव जैसी मिश्रित जातियां 'बाह्य' समझी जाती हैं, जिन्हें टीकाकारों ने चातुर्वर्ण से बाहर का माना है।²⁷⁸ मनु ने परस्तीगमन के अपराध का दंड विहित करते हुए शूद्र और अंत्यज में²⁷⁹ तथा साक्ष्य विधि में अंत्यावसायिन् और शूद्र में विभेद किया है। किंतु पतंजलि ने निरवसित शूद्र को चंडाल और मृतप बताया है तथा उच्च वर्णों के लिए उसके भोजन पात्र का उपयोग वर्जित माना है।²⁸⁰ इससे पता चलता है कि ये अछूत शूद्र समझे जाते थे। मनु ने इन शूद्रों के लिए अपप्राप्त (अर्थात् के लोग जिनके पात्र का व्यवहार नहीं किया जा सकता) शब्द का प्रयोग किया है।²⁸¹ इस तरह मालूम पड़ता है कि संकर जातियों और अछूतों को हीन शूद्रों की कोटि में रखा जाता था और उनके अलग निवास, पिछड़ी संस्कृति और प्राचीन धार्मिक संप्रदाय के आधार पर साधारण शूद्रों से उनमें विभेद किया जाता था।

मनु ने शूद्रों के अन्न, उनकी संगत और उनकी महिलाओं के बहिष्कार के बारे में जो नियम बनाए हैं, वे मुख्यतया ब्राह्मणों पर लागू हैं।²⁸² पतंजलि के महाभाष्य में हमें ब्राह्मण और वृष्णि के बीच इसी प्रकार का सामाजिक विभेद देखने में आता है। ब्राह्मणों के दांत उजले हैं, तो वृष्णि के काले;²⁸³ ब्राह्मण के

ऊँचा स्थान मिलता है तो वृषल को नीचा स्थान¹²⁸⁴ कोई व्यक्ति वृषल और दासी के साथ अवैध और कुत्सित कर्म कर सकता है, किंतु उसे ब्राह्मणी के साथ भ्रतापूर्ण बताव करना होगा।¹²⁸⁵

भंडारकर का कहना है कि वृषलों का समुदाय ऐसा था जिसमें आर्यसमुदाय के ढाँचे पर चारों वर्णों के लोग सम्मिलित थे।¹²⁸⁶ किंतु साधारणतया वृषल शूद्र के समान थे। इसलिए जहाँ धर्मसूक्तों में स्नातक से कहा गया है कि शूद्रों के साथ याक्षा नहीं करे, वहाँ मनु उसे बताते हैं कि वृषलों के साथ याक्षा नहीं करे।¹²⁸⁷ उन्होंने ब्राह्मण और वृषली के बीच संपर्क की भर्तसना उस प्रसंग में की है जहाँ उन्होंने ब्राह्मण और शूद्र के बीच सभी संपर्कों पर रोक लगाई है।¹²⁸⁸ यद्यपि महाभाष्य में कहीं भी 'वृषल' शब्द शूद्र का स्पष्ट संकेत नहीं देता,¹²⁸⁹ फिर भी वृषली और दासी की समान हैसियत¹²⁹⁰ और वृषल की सर्वविदित दरिद्रता से पता चलता है कि वृषल की स्थिति शूद्र से अच्छी नहीं थी।¹²⁹¹ 'शूद्र' शब्द की तरह 'वृषल' शब्द का भी प्रयोग व्यापक अर्थ में बर्बर और अपधर्मी दोनों को समाविष्ट करते हुए किया जाता था। किंतु आम तौर पर वृषल को चतुर्थ वर्ण का सदस्य बताया गया है और यही कारण है कि महाभाष्य में ब्राह्मण और वृषल के बीच जो विषमता दिखाई गई है वही विषमता ब्राह्मण और शूद्र में भी मानी जाती चाहिए।

मनु ने पुरानी निषेधाज्ञा की पुनरावृत्ति की है, जिसके अनुसार वेद का अध्ययन द्विज तक ही सीमित था।¹²⁹² इनकी तुलना में शूद्रों को 'एकजाति' अर्थात् एक बार जन्म लेने वाला कहा गया है।¹²⁹³ आर्य का पहला जन्म अपनी माँ से होता है, किंतु दूसरा जन्म मूँज के मेखलासूक्तबंधन से होता है।¹²⁹⁴ इसलिए कोई द्विज, जो वेद न पढ़कर दूसरे व्यवसायों में लग जाता है वह शूद्र समझा जाता है और उसकी संतान की भी वही गति होती है।¹²⁹⁵ जब वेद की पढ़ाई हो रही हो, तब वहाँ शूद्र को कभी नहीं रहने देना चाहिए।¹²⁹⁶

इस तरह, नियम के होते हुए भी सुनने में आता है कि कुछ अध्यापक शूद्र को पढ़ाते थे। मनु ने विधान किया है कि शूद्र को पढ़ाने वाले या शूद्र से पढ़ने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध में आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए।¹²⁹⁷ यह स्पष्ट नहीं है कि शूद्र शिक्षक या छात्र अपधर्मी समझे जाते थे। अध्यापक से जिन दस प्रकार के लोगों को शिक्षा मिल सकती थी उनमें शुशूषु का नाम आया है जिसका अर्थ कुलसूक्त ने नौकर (परिचारक) किया है¹²⁹⁸ और इससे संभवतया शूद्र का निर्देश होता है।

किंतु साधारणतया ऐसा जान पड़ता है कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। वसिष्ठ की भाँति मनु ने भी आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति शूद्र को परामर्श नहीं दे और न उसे कानून की व्याख्या करके समझाए।¹²⁹⁹ इस उपबंध

को उन्होंने यह नियम बनाकर सबल कर दिया है कि जो कोई इसके प्रतिकूल कार्य करेगा, वह उस व्यक्ति के साथ ही असंवृत नरक में जाएगा जिसे उसने शिक्षा दी है।³⁰⁰

धर्म के क्षेत्र में शूद्र वैदिक यज्ञ के अधिकार से वंचित ही रहे।³⁰¹ कहा जाता है कि शूद्र जातिच्युत नहीं हो सकता, वह संस्कार पाने योग्य नहीं है और उसे आर्यों के धर्म का अनुसरण करने का कोई अधिकार नहीं है।³⁰² द्विज को चाहिए कि धार्मिक अनुष्ठानों में अपनी शूद्र पत्नी को शारीक नहीं करे।³⁰³ यदि वह मूढ़तावश ऐसा करेगा तो उसे चंडाल की भाँति घृणित समझा जाएगा।³⁰⁴ संभवतया यह नियम ब्राह्मणों से संबंधित है। यह भी विहित किया गया है कि ब्राह्मण यज्ञ के लिए अपेक्षित किसी भी वस्तु की याचना शूद्र से नहीं करे। यदि वह ऐसा करेगा तो अगले जन्म में चंडाल होगा।³⁰⁵

किंतु ब्राह्मणों का एक वर्ग ऐसा भी था जो शूद्रों के धार्मिक अनुष्ठान में सहायक का काम करता था। मनु कहते हैं कि जो ब्राह्मण शूद्र से धन लेकर अग्नि-होत्र करें, उन्हें ब्रह्मावादिन् (वेदपाठी) शूद्रों के ऋत्विज् कहकर निंदित करते हैं और अज्ञानी मानते हैं।³⁰⁶ मनुस्मृति के एक परिच्छेद की टीका करते हुए कुलतूक ने बताया है कि शूद्र छोटे मोटे बरेलू यज्ञ (पाकयज्ञ) कर सकते हैं।³⁰⁷ हमें भास से ज्ञात होता है कि शूद्र देवताओं की पूजा बिना मंत्रों के ही करते थे।³⁰⁸ मनु कहते हैं कि यदि गुणी शूद्र भद्रजनों के जैसे आचरण करें तो वे प्रसंगसा के पात्र हैं, किंतु उन्हें वेदों का पाठ किए बिना ही ऐसा करना चाहिए।³⁰⁹ उन्होंने यह नियम भी बनाया है कि शूद्र तीन उच्च वर्णों की तरह अपने पूर्वजों का तर्पण कर सकते हैं। इस प्रसंग में उन्होंने कहा है कि सुकालिन् शूद्रों के पितर हैं और चसिष्ठ उनके पूर्वज हैं।³¹⁰ इन तथ्यों से पता चलता है कि मनु ने शूद्रों को कुछ धार्मिक अधिकार दिए हैं जो उन्हें मौर्य या मौर्यपूर्व काल में प्राप्त नहीं थे।

मनु ने चारों वर्णों के लिए एक ही आचार संहिता विहित की है। उन्हें अहिंसा और सत्य का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, इच्छाओं का दमन करना चाहिए, ईर्ष्या-द्वेष से बचना चाहिए और केवल अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करना चाहिए।³¹¹ किंतु धार्मिक दृष्टि से वे स्त्रियों और शूद्रों को समाज का अत्यंत अपवित्र अंग मानते हैं। चांद्रायण व्रत करनेवालों को इनका बहिष्कार करना चाहिए।³¹² उन्होंने इन लोगों के शुद्धिकरण के लिए कम कठिन धार्मिक संस्कार विहित किए हैं।³¹³ शूद्र को महीने में एक बार बाल मुङ्डवा कर अपने आपको शूद्र रखना चाहिए और घर में जन्म और मृत्यु होने की दशा में वैश्यों की भाँति शुद्धिकरण संस्कार का पालन करना चाहिए।³¹⁴ किंतु उन्होंने प्राचीन विधिनिर्माताओं के इस विचार का समर्थन किया है कि वैश्य की अशौच अवधि 15 दिन की और शूद्र की एक महीने की

होगी।³¹⁵ उन्होंने यह भी बताया है कि अशौच की अवधि के अंत में ब्राह्मण पानी का स्पर्श कर, क्षत्रिय अपनी सवारी के पशु और अस्त्रों को छूकर, वैश्य अपना अंकुश या अपने बैलों की नाथ (नाक में लगी रस्सी) छूकर तथा शूद्र अपनी लाठी छूकर पवित्र हो सकता है।³¹⁶ मनु ने यह नियम भी बनाया है कि ब्राह्मणों के शव को शूद्र नहीं ढोएगा, क्योंकि शवरूप में भी शूद्र के स्पर्श से दूषित हो जाने पर उसे स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती।³¹⁷ इस प्रकार वे ब्राह्मण और शूद्र में मरने के बाद भी विभेद करना छोड़ते नहीं हैं।

यदि पुराणों में आए कलियुग के वर्णन को मौर्योत्तर काल में प्रचलित स्थितियों का कुछ संकेत देने वाला माना जाए,³¹⁸ तो यह स्पष्ट होगा कि शूद्र खुलेआम वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की अवहेलना करते थे। शूद्रों की ज्यादती का वर्णन कूर्मपुराण में किया गया है : 'राजा के मूढ़ शूद्र अधिकारी ब्राह्मणों को अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं और उन्हें पीटते हैं। राजा बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कलियुग में ब्राह्मण का अनादर करते हैं और ब्राह्मणों के बीच शूद्र उच्च पदों पर आसीन होते हैं। ब्राह्मण, जिन्होंने वेद का अल्प अध्ययन किया है और जो कम भाग्यशाली और शक्तिशाली हैं, फूलों, अलंकरणों और अन्य मांगलिक वस्तुओं से शूद्रों का सम्मान करते हैं। इस प्रकार सम्मानित किए जाने पर भी शूद्र ब्राह्मणों की ओर देखता तक नहीं है। ब्राह्मण शूद्रों के घरों में प्रवेश करने का साहस नहीं करता और उनका अभिवादन करने का अवसर पाने के लिए उनके दरवाजे पर खड़ा रहता है। ब्राह्मण, जो अपने जीवनयापन के लिए शूद्र पर निर्भर रहते हैं, उनकी सवारी के चारों ओर इस उद्देश्य से खड़े रहते हैं कि उनका गुण बखान कर सकें और उन्हें वेद पढ़ा सकें।'³¹⁹ कुछ इस तरह का ही वर्णन मत्स्य पुराण में भी है और यह भविष्यवाणी की गई है कि श्रुति और स्मृति का धर्म बहुत शिथिल हो जाएगा और वर्णश्रिम धर्म नष्ट हो जाएगा। इसमें यह क्षोभ भी प्रकट किया गया है कि लोग वर्णसंकर होंगे, शूद्र ब्राह्मणों के साथ बैठेंगे, खाएंगे और उनके साथ यज्ञादि करेंगे तथा मन्त्रोच्चार भी करेंगे।³²⁰ वायुपुराण और ब्रह्मांडपुराण में कहा गया है कि कलियुग में शूद्र ब्राह्मणों जैसा और ब्राह्मण शूद्रों जैसा कर्म करते हैं। इन पुराणों से पता चलता है कि शूद्र का सब आदर करते हैं और राजा का आश्रय छूट जाने के कारण ब्राह्मणों को अपनी जीविका के लिए शूद्रों का भरोसा करना पड़ता है।³²¹

संभवतया उपर्युक्त विवरण मौर्योत्तर कालीन परिस्थितियों का निर्देश करते हैं। ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि वे अशोक के राज्यकाल पर लागू हैं, क्योंकि अशोक को बौद्ध धर्मविलंबी होने पर भी ब्राह्मणों के प्रति अनुदार नहीं बताया जा सकता है, जैसाकि पुराणों में कहा गया है। यद्यपि कूर्मपुराण में कलियुग के वर्णन का समावेश ई० सन 700-800 में किया हुआ बताया जाता है,³²² फिर भी इससे पहले के

मौर्योत्तर काल का संकेत मिलता है। इस वर्णन के कुछ परिच्छेद विलकुल वही हैं जो उससे पहले के वायु और ब्रह्मांड पुराण में पाए जाते हैं।³²³ ई० सन की पांचवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के एक उत्कीर्ण लेख में पल्लव शासक सिंहवर्मन् के बारे में कहा गया है कि वह कलियुग के पापों से धर्म को बचाने के लिए सतत उद्यत रहता है।³²⁴ इसके आधार पर कहा जा सकता है कि कलियुग की कल्पना बहुत पुरानी नहीं है।³²⁵ जैसा पहले बताया जा चुका है, म्लेच्छों का उल्लेख और कलियुग के विवरण में निर्दिष्ट विभिन्न लोगों के अंतर्मिश्रण मौर्योत्तर काल की परिस्थितियों के बहुत अनुकूल हैं। पुराणों में कही गई बात कि विदेशी शासक ब्राह्मणों को जान से मार डालेंगे और दूसरों की पत्नी तथा संपत्ति का अपहरण कर लेंगे, सामान्यतया इस काल में लागू होती है³²⁶ और यह युगपुराण में वर्णित ऐसे ही आरोपों के अनुरूप है।³²⁷

कलियुग के वर्णन को, जो ब्राह्मणों द्वारा शिकायत और भविष्यवाणी के रूप में किया गया है, केवल कपोलकल्पना कहकर टाला नहीं जा सकता।³²⁸ उससे ब्राह्मणों की दयनीय स्थिति का आभास मिलता, जो ग्रीकों है, शकों और कुषाणों के कार्यकलापों का परिणाम थी। संभव है कि उनके आक्रमणों के कारण शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन हुआ हो और वे उठ खड़े हुए हों। उनमें पहले ही से असंतोष उबल रहा था। वे स्वभावतया ब्राह्मणों के दुश्मन हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके प्रति विभेदसूलक नियम बनाए थे। यह सामाजिक उथलपुथल कब तक और देश के किस भाग में होती रही, इसका निर्धारण करना आंकड़ों के अभाव में कठिन है। किंतु जान पड़ता है कि अपर्धर्मी शूद्र राजाओं के प्रति ब्राह्मणों के बैरभाव का कारण यह था कि ये राजा शूद्रों से भाईचारे का व्यवहार रखते थे। दास और भाड़े के मजदूर के रूप में शूद्रों की पराधीनता शक और कुषाण शासकों की विदेश नीति से कम हुई होगी, क्योंकि वे वर्णों में विभाजित समाज का आदर्श निभाने के लिए बाध्य नहीं थे।

मौर्योत्तर काल में समाज की स्थिति संभवतया वैसी ही थी जैसी मिस्र में पुराने साम्राज्य के पतन के बाद थी। इस काल में कुछ दिनों तक आम जनता-पुरोहितों और अभिजातों से लड़ती रही और सुस्थापित व्यवस्था पर चोट करती रही। मनु के नियम मौर्य साम्राज्य के पतन होने पर सामने आने वाले विघटन-कारी तंत्रों से निपटने के लिए बनाए गए थे, न कि अशोक के कार्यों को प्रभाव-शून्य बनाने के लिए। शूद्रों को गुलाम बनाकर रखने पर जो उन्होंने जोर दिया है उसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि वे काम करने से इंकार करते थे। उन्होंने राजा को आदेश दिया है कि वह वैश्य और शूद्र को अपना अपना कर्म करने के लिए बाध्य करे,³²⁹ जिससे प्रकट होता है कि सामान्य जन को दो उच्च वर्णों के साथ-अपना हित जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देता था। मनु का कथन है कि राजा को वर्ण-

धर्म कायम रखना चाहिए, क्योंकि जो राज्य वर्णों के अंतर्मिश्रण से दूषित होता है, वह अपने निवासियों सहित विनष्ट हो जाता है,³³⁰ अर्थात् सुस्थापित व्यवस्था नष्ट हो जाती है। ये आदेश सामान्यतया ई० सन की तीसरी शताब्दी में रोम साम्राज्य द्वारा जारी किए गए आदेशों के समान थे, जिनमें विभिन्न व्यवसाय के लोगों को अपने अपने व्यवसायों से लगे रहने को कहा गया है। किंतु मनु ने कुछ धार्मिक अनुशास्ति और दंड का भी विधान किया है। यदि शूद्र अपना कर्तव्य नहीं करेगा तो उसका जन्म चैलाशक (कीट पतंग खाकर रहने वाले पिशाच) के रूप में होगा,³³¹ और यदि वह निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाएगा तो अगले जन्म में उच्च वर्ण में पैदा होगा।³³²

मनु ने शूद्रों के शत्रुवत व्यवहार से बचने के बहुत से उपाय बताए हैं। कौटिल्य के विपरीत उन्होंने विहित किया है कि राजा को ऐसे देश में बसना चाहिए जहाँ के निवासी मुख्यतया आर्य हों,³³³ क्योंकि जिस राज्य में शूद्रों का बहुमत होगा (शूद्र-भूयिष्ठ), वह तुरत नष्ट हो जाएगा।³³⁴ मनु ने राज्य के संरक्षण का भार उन लोगों तक ही सीमित रखा है जो आर्यों की तरह रहते हैं।³³⁵ उन्होंने यह भी बताया है कि जो आर्यतर व्यक्ति (अर्थात् शूद्र) आर्यों के चिह्न धारण करते हों, उन्हें कांटा समझकर तुरत हटा देना चाहिए।³³⁶ संकर जातियों (अधिकतर शूद्रों) को खास तौर से आर्यों से भिन्न माना जाता था और वे निर्दर्शी तथा उग्र स्वभाव के होते थे।³³⁷ मनु के ये सभी कथन शूद्रों के प्रति उनके पूर्ण अविश्वास और तज्जन्य शूद्रों के शत्रुवत व्यवहार (जो विदेशी आक्रमण के समय विशेषतया देखने में आता था या जिसकी उस वक्त खास तौर पर आशंका रहती थी) से बचने की चिंता के अनुरूप ही है। मनु ने जब यह कहा कि यदि क्रांति के फल स्वरूप तीन उच्च वर्णों को अपना कर्तव्य करने में बाधा उपस्थित हो तो उन्हें शास्त्र प्रहृण करना चाहिए, तब उनके मन में संभवतया ऐसी स्थिति की कल्पना रही होगी।³³⁸ कलियुग के अंत में विद्यमान परिस्थितियों के वर्णन के प्रसंग में वायुपुराण के अंतर्गत प्रमिति (माधव के अवतार) के कामों की चर्चा की गई है, जिसने ब्राह्मणों की सशस्त्र सेना बनाई और अनेक प्रकार के लोगों यथा, म्लेच्छ तथा वृष्णि का विनाश करने के लिए प्रस्थान किया।³³⁹ यह एक ओर ब्राह्मणों और दूसरी ओर शूद्रों तथा विदेशी शासकों के बीच हुए भीषण संघर्ष का हल्का संकेत है। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि वृष्णि सुस्थापित व्यवस्था को तोड़ने वाले माने जाते थे, रक्षा करने वाले नहीं।³⁴⁰ मनु ने ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने वाले शूद्रों के लिए दंड का जो वृहत विधान किया है, उसका मुख्य कारण यह कहा गया है कि सुशिक्षित शूद्रों के विरुद्ध उनके मन में बैर की भावना थी।³⁴¹ किंतु उन्होंने जो नियम बनाए हैं, उन्हें समग्र रूप से देखने पर पता चलता है कि वे सामान्य शूद्रों के प्रति भी कम बैर भाव नहीं रखते थे।

प्राचीनकाल में मुख्य विभेद शूद्र और तीन उच्च वर्णों में था। यद्यपि मनु ने भी इस विभेद को माना है, फिर भी उनके ग्रंथ से प्रकट होता है कि कानूनी उपबंधों, भोजन और विवाह के मामले में वैश्यों को शूद्र के निकट लाने की प्रवृत्ति उनमें बहुत अधिक थी। इस तरह की स्थिति का कारण प्रायः यह था कि बहुत खड़ी तादाद में वैश्य शूद्र बनाए जा रहे थे। विष्णुपुराण में कहा गया है कि कलियुग में वैश्य कृषिकर्म और व्यापार छोड़ देंगे और दासत्व प्रथा एवं यांत्रिक शिल्पों को अपनाएं³⁴² और शूद्र जातियों का बाहुल्य होगा।³⁴³ मनु के एक परिच्छेद से स्पष्ट होता है कि परंपरागत वैश्य वर्ण क्रमशः विलीन होता जा रहा था। उनके अनुसार ब्राह्मण में सत्त्व गुण और क्षत्रिय में रजस् गुण³⁴⁴ तथा शूद्रों और म्लेच्छों में तमस् गुण होता है (मध्यमा तामसी गतिः), जो पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार प्राप्त होता है।³⁴⁵ इस क्रम में वैश्य की चर्चातक नहीं हुई है। इससे संकेत मिलता है कि वैश्य शूद्र समुदाय में विलीन होते जा रहे थे।

हापिंस ने बताया है कि मनु के कुछ नियमों से एक ओर दो उच्च वर्ण और दूसरी ओर दो नीच वर्णों के बीच दुयमनी का आभास मिलता है।³⁴⁶ इनके बीच होने वाले संघर्ष से मालूम पड़ता है कि उच्च वर्णों का नेतृत्व ब्राह्मण और निम्न वर्णों का नेतृत्व शूद्र कर रहे थे। पूर्वकाल में भी शूद्रों और अन्य वर्णों के बीच संघर्ष का आभास मिलता है। किंतु मौर्योत्तर काल में इस संघर्ष ने उग्र रूप धारण कर लिया। मनु के संबंध में एक रचना में बताया गया है कि भारतीय पद्धति पर निर्मित समाज में आर्थिक विषमता और वैमनस्य विरल ही संभव थे।³⁴⁷ किंतु मनु के ग्रंथ में वर्णों के बीच जिस तरह का संघं दिखाया गया है, उससे इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शूद्र को धन इकट्ठा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वह ब्राह्मणों को दुख देता है।³⁴⁸

किंतु मनु के शूद्रविरोध के आधार पर यह कहना उचित नहीं होगा कि मौर्योत्तर काल में शूद्रों की स्थिति की अधिकतम अवनति हो चुकी थी। इस शूद्रविरोध को ऐसा अतिवादी उपाय मानना चाहिए जो नई शक्तियों के उद्भव से समाज के पुराने ढांचे को टूटने से बचाने के लिए बांधनीय था। मनु के विधिग्रंथ में भी शूद्रों की स्थिति में हुए उन बहुतेरे परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है, जो ब्राह्मणों के विरुद्ध उनके संघर्ष, नए नए लोगों के आगमन और कला एवं शिल्प के विकास के परिणाम थे।

इस तथ्य के बावजूद कि मनु ने शूद्रों की दासता की बार बार चर्चा की है, वे अब उस पैमाने पर दास और मजदूर नहीं थे जिस पैमाने पर वे मौर्यपूर्व और मौर्य काल में थे। हमें किसी वैयक्तिक या राजकीय प्रक्षेत्र (फार्म) की सूचना नहीं मिलती है, जिसमें दास या भाड़े के मजदूर काम करते हों। प्रायः मौर्यों के राजकीय प्रक्षेत्रों में काम करने वाले दास और भाड़े के मजदूर कर चुकाने वाले

कृषक बनते जा रहे थे। मनु ही प्रथम लेखक हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में शूद्र को बटाईदार माना है,³⁴⁹ और यह ऐसा तथ्य है जिसका निष्कर्ष केवल कौटिल्य के अर्थशास्त्र से निकाला जा सकता है। अर्थशास्त्र में बटाईदार (अद्वसीतिक) को उत्पादन का केवल $\frac{1}{2}$ या $\frac{1}{3}$ हिस्सा दिया गया है, किंतु मनु ने उसके लिए उत्पादन का आधा भाग (अर्द्धिकः) रखा है।³⁵⁰ मालूम पड़ता है कि न केवल बटाईदारों का हिस्सा बढ़ा दिया गया था, बल्कि उनकी संख्या भी बढ़ी थी। अर्थशास्त्र में वेतनभोगी अधिकारियों की व्यवस्था है, किंतु मनु ने इनके बदले अधिकारियों की एक वर्गीकृत सूची प्रस्तुत की है जिन्हें पारिश्रमिक के रूप में जमीन दी जाती थी।³⁵¹ कृषिकर्म में लगे दासों की कोई चर्चा नहीं रहने के कारण हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये खूब छंड बटाईदारों और भाड़े के मजदूरों द्वारा जोते जाते थे। प्रायः किसी दूसरे काल में शूद्रों की संख्या इतनी अधिक नहीं बढ़ी। बहुतेरी आदिम जातियों और बाह्य तत्वों को मिलाने के उद्देश्य से मनु ने वर्णसंकर की कल्पना से अपने पूर्ववर्तीं प्रथकारों की अपेक्षा अधिक काम लिया है। अधिकांश संकर जातियों को शूद्र जाति में मिला दिया गया, जिसके लिए उनके आनुवंशिक कर्तव्य आधार माने गए।³⁵² किंतु ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि जिस प्रकार पुराने शूद्र दासों और भाड़े के मजदूरों के रूप में बहाल किए जाते थे, उस प्रकार इन नए शूद्रों की बहाली होती थी। उन्होंने अपने पुराने व्यवसायों को अपनाया और संभवतया उन्हें खेती के नए तरीके सिखाएँ,³⁵³ जिससे वे क्रमशः करदाता किसान बने। हो सकता है कि मनु का दसवां अध्याय जिसमें वर्णसंकर का विशद वर्णन है चौथी-पांचवीं शताब्दी का हो। इस प्रकार एक ओर तो आदिम जातियां ब्राह्मणकालीन समाज से सभ्य जीवन का ज्ञान प्राप्त करके लाभान्वित हुईं और दूसरी ओर ब्राह्मणकालीन समाज को भी उत्पादनकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के कारण अपनी आंतरिक कमजोरियां ढूँकरने का अवसर मिला।

शिल्पियों के नए संघ बनने और नए नए हस्तशिल्पों का उदय होने से उस काल के न केवल आर्थिक जीवन में बल्कि शूद्रों की स्थिति में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।³⁵⁴ सर्वशक्तिसंपन्न मौर्यसाम्राज्य का पतन हो जाने पर इन संघों के जरिए शिल्पियों को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता मिली जिससे उनकी हैसियत भी कुछ बढ़ी। यह बात इन शिल्पियों द्वारा बौद्धों को दिए गए अनेकानेक दान के पुरालेखों से प्रमाणित होती है। कुछ राजाओं की आर्थिक नीति से भी शूद्रों की स्थिति सुधरने में परोक्ष रूप से सहायता पहुंची। शक राजा रुद्रदामन्, जो वर्णश्रित समाज का समर्थक था,³⁵⁵ दावा करता है कि उसने अपनी प्रजा से बेगारी कराए बिना सुदर्शन झील की मरम्मत कराई।³⁵⁶ यह उन शूद्र दासों और मजदूरों के लिए अवश्य ही वरदान सिद्ध हुआ होगा जिनसे सामान्यतया कर्वहं (बेगार) ली जाती थी।

नए हस्तशिल्पों और शिल्पी संघों के उदय के साहित्यिक प्रमाण को सिवका साक्ष्य और विदेशी लेखकों की रचनाओं में वर्णित रोम तथा भारत के बीच के व्यापारसंबंध के साक्ष्य के साथ देखा जा सकता है। यह व्यापार ईस्टी सन की प्रथम दो शताब्दियों, खासकर सातवाहन काल में, अपने चरम उत्कर्ष पर था।³⁵⁷ व्यापार के ऐसे विकास के फलस्वरूप व्यापारिक बन्दरगाहों³⁵⁸ और देश के भीतर के भी कुछ अन्य नगरों में जातिजन्य कटुता अवश्य घटी होगी जिससे निम्न वर्ण के लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ होगा।

इस काल में विदेशियों के आगमन से वर्णव्यवस्था का बंधन शिथिल पड़ा। ग्रीकों, शकों और पर्यायनों की संख्या भले ही बड़ी नहीं रही हो, पर कुषाणों के समय की अनेक प्राप्त वस्तुएं, यथा, सिक्के, टेराकोटा (मृण्मूर्तियां) और मूर्तियां, जो संपूर्ण उत्तरी भारत में मिली हैं, बताती हैं कि वे पर्याप्त संख्या में आए थे। स्वभावतया इससे तत्कालीन आबादी बिखरी होगी और नई नई बस्तियां बसी होंगी, और इस तरह ई० सन की पहली शताब्दी में लोगों में गतिशीलता आई होगी। चूंकि जातिप्रथा मुख्यतया स्थिर जीवन पर निर्भर होती है, इसलिए इन जातीय विष्वलब्धों से उच्च वर्णों के विशेषाधिकारों की बुनियाद कमज़ोर हुई होगी और शूद्रों की स्थिति पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा होगा।

इसी प्रकार शूद्र की कानूनी और राजनीतिक स्थिति में भी हमें कुछ सुधार दिखाई पड़ते हैं। शूद्र को गाली देने के कारण ब्राह्मणों को दंडित करने का जो विधान मनु ने बनाया है, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है,³⁵⁹ क्योंकि धर्मसूत्रों के अनुसार ब्राह्मण इस कार्य के लिए दंड का भागी नहीं था। पुनः, गौतमी पुत्र शातकार्णि ने अवरों का समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस की है,³⁶⁰ जिससे पता चलता है कि ई० सन की दूसरी शताब्दी में उन्हें कितना महत्व दिया जाता था।

अंत में, मनु ने वसिष्ठ को शूद्र का जनक बताया है, जिससे उसकी अच्छी सामाजिक और धार्मिक स्थिति का बोध होता है।³⁶¹ शूद्रों की धार्मिक स्थिति सुधरी थी, इसका आभास इस तथ्य से भी होता है कि वे नामधेय संस्कार संपन्न कर सकते थे।³⁶² यह सुधार कुषाण शासकों के उदार धार्मिक दृष्टिकोण के कारण भी हुआ होगा। कटुर ब्राह्मणवाद का समर्थक होने के बजाय वे मुख्यतया शैव और बौद्ध थे तथा निम्न वर्णों के प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा था। सातवाहन के राज्यों में भी ऐसे ही बातें हुई होंगी, जहाँ ई० सन की पहली और दूसरी शताब्दियों में निस्संदेह बौद्ध धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव था।

शूद्र की स्थिति में परिवर्तन के इन लक्षणों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जिस पुराने समाज ने उन पर अनेकानेक अशक्तताएं लादकर उन्हें गुलाम बना रखा था, वह विलीन होने लगा था और उसकी जगह ऐसा नया समाज पनप रहा था जिसने उन्हें बेहतर स्थान दिया। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को गुप्तकाल

में और अधिक बढ़ावा मिला। युगांत शब्द के बार बार प्रयोग से उन मूल्यों के विनाश का संकेत मिलता है जो प्राचीन समाज के आधार थे। इस प्रकार जन्म को वर्णाश्रम का आधार मानने की बात कुछ दिनों के लिए क्षीण हो गई। विदेशी आक्रमणकारियों के आचरण का वर्णन प्रस्तुत करते हुए विष्णुपुराण में भविष्यवाणी की गई है कि इन विदेशी शासकों के समय में लोगों को धन के ही आधार पर ओहदा मिलेगा, संपत्ति ही धर्म का साधन बनेगी और दान ही धर्म का मूल होगा।³⁰³

संदर्भ

- बुहलर : 'सेक्रेड बृक्स आफ दि ईस्ट', XXV, प्रस्तावना, पृ० CXIV-CXVIII; तुलनीय जायसवाल : 'मनु ऐंड याज्ञवल्क्य', पृ० 25-32; काणे : 'हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र', II, पृ० XI. केतकर का यह तर्क कि यह रचना ई० पू० 272-320 (हिस्ट्री आफ कास्ट, पृ० 66) की है, युक्तिसंगत नहीं लगता।
- मनु, II.17.
- वही, II.19.
- जोहाजेन, हापिक्स : 'रिलेशंस आफ फोर कास्ट्स इन मनु में उद्घृत जोहाजेन', पृ० 4-5.
- मजुमदार और पुस्लकर : 'दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी', पृ० 261. भस्स को ई० पू० पांचवीं या चौथी शताब्दी का मानने का अतिवादी विचार सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाता है। भास की तिथि ई० पू० दूसरी या तीसरी शताब्दी रखी जा सकती है.
- एच० कर्त : 'सेक्रेड बृक्स आफ दि ईस्ट', XXI, प्रस्तावना, पृ० XXI. चूंकि सद्धर्म-पुण्डरीक का चीनी भाषा में अनुवाद सबसे पहले ई० सन की तीसरी शताब्दी में हुआ, अतः मूल रचना ई० सन की दूसरी या पहली शताब्दी की भी कही जा सकती है। एन० दत्त : सद्धर्मपुण्डरीक, प्रस्तावना, पृ० XVII.
- जैन : 'लाइफ एज डिपिक्टेड इन दि जैन कैनन्स', पृ० 38. इस पुस्तक में शकों, यद्वनों, मरुडों, पहलवों आदि का उल्लेख हुआ है (I, 58), जिससे मालूम पड़ता है कि यह ग्रंथ भौर्योत्तर काल की रचना है.
- हाजरा : 'स्टडीज इन दि पुराणिक रेकहर्स आन हिंदू राइट्स ऐंड कस्टम्स', पृ० 208-10.
- मनु, VII.13-30.
- वही, I.91.
- वही, VIII.410.
- वही, X. 123; तुलनीय IX. 334.
- वही, X.121-2; धर्मिन वायुपुराण्य वैश्यं शूद्रो जिजीविषेत्.
- हापिक्स : 'दि म्युचुअल रिलेशंस आफ दि फोर कास्ट्स एकाडिंग द मानव धर्मशास्त्र', पृ० 83.
- मनु, VIII. 418.

16. युग पुराण, प० 167.
17. कुल्लूक ने मनु, VII.154 में आए 'पञ्चवर्गम्' शब्द का अर्थ पांच प्रकार का गुप्तचर किया है, जिसके अंतर्गत 'कर्षकः क्षीणवृत्तिः' और 'वाणिजकः क्षीणवृत्तिः' भी हैं। हापर्किस : पूर्व निर्दिष्ट, प० 69; हापर्किस ने इस शब्द का अर्थ मन्त्री, साम्राज्य, नगर, संपत्ति और सेना किया है, किन्तु पञ्चवर्ग की राज्य के पांच तत्त्व मानना, जो सामान्यतया सात माने जाते हैं, उचित नहीं जंचता।
18. मनु, II.24.
19. वही, X.98.
20. मिलिद, प० 178, अवसेसानं पुष्पवेससुदानं कसिवणिजा गोरक्षा करणीया.
21. मनु, VII.138.
22. वही, X.120.
23. मनु० की टीका, X.120, न तु तेभ्य आपद्यपि करो ग्राह्यः।
24. मिलिद, प० 147.
25. मनुस्मृति की टीका, VII. 154. हापर्किस : पूर्व निर्दिष्ट, प० 70-71; हापर्किस की राय है कि अष्टविधम् कर्म हमें राज्य के सात तत्वों की याद दिलाता है, किन्तु अष्टविध कर्म और सप्तांग में कोई साम्य नहीं है।
26. महावस्तु, I, प० 301.
27. महाभाष्य, II, प० 33.
28. मनुस्मृति, VIII.243, भूत्यानामज्ञानात्केत्रिकस्य तु.
29. वही, IX.150.
30. वही, X.99 और 100.
31. लूडर्स लिस्ट, सं० 53, 54, 68, 76, 95, 331, 345, 381, 495, 857, 986, 1006, 1032, 1051, 1061, 1177, 1203-4, 1210, 1230, 1273, 1298. तुलनीय, (इंडियन कल्चर, कलकत्ता, XII), प० 83-85.
32. वही, सं० 32, 53-4, 345, 857, 1005, 1092, 1129.
33. धर्मकोश I, भाग III, प० 1927; व्याख्यासंग्रह, स्तेयप्रकरण, प० 1727-8.
34. महाभाष्य, I, प० 19.
35. लूडर्स लिस्ट, सं० 346.
36. महावस्तु, II, प० 463-78.
37. वही, III, प० 442 एवं आगे.
38. वही, II, प० 463-78 और III, प० 442 एवं आगे, के आधार पर संगणित. इनमें से बहुत से कारीगर छोटे-मोटे व्यापारी थे.
39. (इंडियन कल्चर, कलकत्ता, XIV), प० 31-32.
40. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', II. 1.1.
41. महावस्तु, III, प० 442-3.
42. वही.
43. मिलिद, प० 331.

44. पन्नवणा, I, 61.
45. दीघ निकाय, II, 50.
46. मिलिद, पू० 331; सुबन्न, सजभ, सीस, तिपु, लोह, वट्ट, अय, मणिकार.
47. पन्नवणा, I, 61.
48. मिलिद, पू० 331.
49. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', I.4.34.
50. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', III.1.26; तथा यदेतहास 'कर्मकरं नामेतेपि स्वभूत्यर्थमेव प्रवर्त्तन्ते मत्वतं चेतम् च लक्ष्यामहे.
51. वसिष्ठ धर्मसूत्र, II.48 में आया इसी प्रकार का एक नियम बाद में अंतर्विष्ट किया गया मालूम पड़ता है, क्योंकि यह अन्य तीन धर्मसूत्रों में नहीं मिलता है.
52. मनुस्मृति, VIII.142. विष्णु के समानांतर अनुच्छेद (VI.2) की जो टीका। कृष्ण-पंडित तथा अन्य टीकाकारों ने की है उसके अनुसार तथा मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों के अनुसार यह नियम वैसे ही ऋणों पर लागू होता है जिसके लिए कोई प्रतिभूति नहीं दी जाती थी। बुहलर : पूर्व निविष्ट, पू० 15.
53. लूडसे लिस्ट, सं० 1133.
54. कें० वी० रंगस्वामी अव्यंगर : 'आस्पेक्ट्स आफ दि पोलिटिकल एंड सोशल सिस्टम आफ मनु', पू० 148.
55. मनुस्मृति, X.129.
56. कें० वी० रंगस्वामी अव्यंगर : धर्मशास्त्र, पू० 120.
57. केतकर : 'हिस्ट्री आफ कास्ट', पू० 98.
58. मनुस्मृति, IX. 157.
59. वही, XI.34.
60. वही, VIII.179.
61. लूडसे लिस्ट, सं० 1137.
62. वही, सं० 1133.
63. (एपिग्राफिया हंडिका, कलकत्ता और दिल्ली, XXI), इंसक्रिप्शन नं० 10, प्रयुक्त शब्द है 'समितकर श्रेणी'. वही, पक्षित 12.
64. मनुस्मृति, VIII. 417.
65. जायसवाल : 'मनु एंड याज्ञवल्क्य', पू० 171.
66. मनुस्मृति, XI.18.
67. वही, XI.13.
68. वही, VIII.231.
69. कौटिल्य ने चरवाहे के लिए दूध का केवल 10 वां हिस्सा रखा है, किन्तु यह नहीं बताया है कि उसे सबसे अच्छी गाय दूहनी चाहिए.
70. मनु, VIII. 229-44.
71. वही, VIII. 237-8.
72. वही, X. 124.

73. वही, X.125.
74. वही, VII.125.
75. वही, VII.126.
76. वही.
77. नीचे देखें, पृ० 191-2.
78. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', I.3.72.
79. वी० एस० अग्रवाल : 'इंडिया एज नीन टु पाणिनि', पृ० 236-7.
80. ऊपर देखें, पृ० 155.
81. मनुस्मृति, VIII.215.
82. वही, VIII.216.
83. वही, VIII.217.
84. वही, VI.145.
85. कौवेल और नील : 'दिव्यावदान', पृ० 304.
86. सद्धर्मपुङ्डरीक, अध्याय IV, पृ० 76.
87. वही, IV. पृ० 78...कठपलिकुचिकायां. 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', में दिया गया इस चाक्य खंड का अनुवाद सही मालूम पड़ता है. यह एडगर्टन की 'बुद्धिस्ट हाइक्रिड संस्कृत डिक्षणरी' में नहीं आया है.
88. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', I.2.47 और VI.3.61, कुड्यीभूतं वृष्टलकुलभिति.
89. 'कुडी' शब्द 'कुटी' शब्द का गलत पाठ है. (मोनियर विलियम्स : संस्कृत इंगलिश डिक्षणरी), और कुड्यी कुडी का एक रूप हो सकता है.
90. दिव्यावदान, पृ० 304; स्फटित पुरुषा रूक्षकेशा मलिनंवस्त्रनिवसनाः. एडगर्टन को संदेह है कि 'पुरुषा' शब्द शुद्ध है और उहोंने पुरुषा की जगह 'परुषा' शब्द का सुझाव दिया है (देखें, 'स्फटित बुद्धिस्ट हाइक्रिड संस्कृत डिक्षणरी'), किन्तु वर्तमान पाठ से अधिक अच्छा अर्थ निकलता है.
91. दिव्यावदान, पृ० 304.
92. मनुस्मृति, X. 124.
93. वही, X.125; तुलनीय V.140.
94. मिर्लिद, पृ० 68.
95. मनुस्मृति, IV.61, न शूद्र राज्ये निवसेत्.
96. वही, X.43-44, वृष्टलत्वं गता लोके... .
97. मत्स्य पुराण, 144.43a; ब्रह्मांड पुराण, II, 31.67b; वायु पुराण, 58.67a में गलत पाठ 'नाश्वमेधेन' है जो ब्रह्मांड पुराण के 'चाश्वमेधेन' के स्थान में आया है. हाजरा : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 206, पाद टिप्पणी 59.
98. कूर्म पुराण, अध्याय 30, पृ० 304.
99. विष्णु पुराण, IV.25.19.
100. ब्रह्मांड पुराण, II, 31.41, राजानः शूद्रभूयिष्ठाः परखण्डानां प्रवर्त्तकाः.
101. मनुस्मृति, V.84.

210 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

102. मिलिद, पृ० 358.
103. मनुस्मृति, VII.54.
104. वही, VII.21.
105. वही, VIII.20.
106. कुल्लूक, 'राघवानं एँड नंदन आन मनु', VIII.20.
107. मनुस्मृति, IX.322.
108. वही, VIII.68.
109. वही, VIII.62.
110. 'कुल्लूक आन मनु', VIII.62.
111. मनुस्मृति, VIII.62 और 69, कुल्लूक की टीका सहित.
112. वही, VIII.70.
113. वही, VIII.254.
114. वही, VIII.65.
115. 'कुल्लूक आन मनु', VIII.65.
116. मनुस्मृति, VIII.66, कुल्लूक की टीका सहित; अध्यधीन की व्याख्या गर्भदास (वही) के रूप में की गई है.
117. वही, VIII.88.
118. वही.
119. संभवतः मनुस्मृति (VIII.89-101) में न्यायाधीश द्वारा किए गए तसाम उपदेश शूद्र गवाह को सबोधित हैं.
120. मनुस्मृति, VIII.113.
121. वही, VIII.123.
122. वही, VIII.124-5.
123. वही, VIII.24.
124. वही, VIII.41.
125. वही, II.6.
126. के० बी० रंगस्वामी अथवंगर : 'राजधर्म', पृ० 155-6.
127. मनुस्मृति, VIII.267.
128. वही, VIII.268.
129. गोतम धर्मसूत्र, XII.13.
130. मनुस्मृति, VIII. 270.
131. वही, VIII.277.
132. वही, VIII.271. 'द्विजाति' शब्द की व्याख्या कुल्लूक ने 'ब्राह्मण और अन्य' की है, किंतु संभवतया यह शब्द केवल ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त हुआ है.
133. मनुस्मृति, VIII.272.
134. जायसवाल : 'मनु एँड याज्ञवल्क्य', पृ० 150.
135. के० बी० रंगस्वामी अथवंगर : 'आस्पेक्ट्स आफ दि पोलिटिकल एँड सोशल सिस्टम

- आफ मनु', पृ० 132.
- 136. वैशम : 'वंडर दैट वाज इंडिया', पृ० 80.
- 137. मनुस्मृति, VIII.279.
- 138. 'कूलूक आन मनु', VIII.279.
- 139. गोतम धर्मसूत्र, XII.1; मह नियम अर्थणास्त्र में भी आया है.
- 140. बुहलर : पूर्व निर्दिष्ट, XXV. 303.
- 141. मनुस्मृति, VIII.280.
- 142. वही, VIII.281.
- 143. 'कूलूक आन मनु', VIII.28. मेधा० और गोविदराज कूलूक से सहमत हैं. (बुहलर : पूर्व निर्दिष्ट, XXV. 303).
- 144. मनुस्मृति, VIII. 282.
- 145. वही, VIII. 283.
- 146. वही, IX. 248.
- 147. 'कूलूक आन मनु', IX.248.
- 148. महावस्तु, I, 18. सेनार्ट ने 'हस्तनिगडादिभिः' शब्द माना है, किंतु बेली इसे हदियो पढ़ते हैं जो पाठ दिव्यावदान, पृ० 365 और 435 में बेड़ी के अर्थ में आया है (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, XVI, 15, पाद टिप्पणी 2). मैथिली में 'हरहीगोरही' शब्द काठ की बेड़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है.
- 149. सदधर्मपुण्डरीक, प० 289.
- 150. मनुस्मृति, VIII. 284.
- 151. बुहलर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 304.
- 152. मनुस्मृति, XI. 127; तुलनीय 129-131.
- 153. वही, XI. 128-31.
- 154. वही, XI. 131.
- 155. मनु, XI.132, 141. यह नियम मनु और अन्य विधिनिर्माताओं द्वारा विहित धर्म और धर्मनिरपेक्ष दंडों के बीच विषमता का संकेत देता है, क्योंकि किसी शूद्र की हत्या करने पर धर्मनिरपेक्ष विधि में दस गाय और एक सांड के बीरदेय का दंड विहित किया गया है.
- 156. मनुस्मृति, VIII.104-5.
- 157. वही, XI.67.
- 158. वही, VIII.337-38.
- 159. वही, IX.151-154.
- 160. वही, IX.155.
- 161. वही, IX.160.
- 162. वही, IX.157.
- 163. वही, VIII.40.
- 164. वही, VIII.385.

165. वही, VIII.383.
166. वही, XI.179.
167. मनुस्मृति, VIII.359.
168. वही, VIII.361-2.
169. वही, VIII.363.
170. वही.
171. जायमवाल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 167-8.
172. मनुस्मृति, VIII.374.
173. वही, VIII.375-6.
174. वही, VIII.377.
175. अर्थशास्त्र, IV.13.
176. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XXI.2-3.
177. मनुस्मृति, VIII.359 कुल्लूक की टीका सहित. प्रयुक्त शब्द 'अन्नाह्याण' है, जिसका अर्थ कुल्लूक ने शूद्र किया है.
178. वही, VIII. 413, शूद्रंतु कारयेददास्यं ऋतमऋतमेव वा; दास्यायेव हि सृष्टोऽसो ब्राह्मणस्य स्वयम्भुवा.
179. वही, VIII.414, न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते; निर्सर्गं हि तत्त्वम् कस्तस्मात् तमपोहति. मेधातिथि ने इसे अतिरंजना अर्थात् अर्थवाद माना है, किंतु इस बात से सभवतया मनु की अपेक्षा टीकाकार के समय की स्थितियों का अधिक परिचय मिलता है.
180. वही, VIII.412.
181. अर्थशास्त्र, III.13.
182. जी० एफ० इलियन ने इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया है, 'गूद्राज उड स्कलेवन इन डेन एलटिण्डश्चेन गेसेत्स बुकरेन' (सोनेत्वस्सेनसेपट गेजेलथेपटस्वसेनशेफ्टलिशे एटाइलुंग, 1952, सं० 2), पृ० 105-108. देखें, सेनार्ट : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 103.
183. मनुस्मृति, IX.179, दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत्.
184. वही.
185. वही, VIII.167, यहाँ 'अध्यधीन' शब्द का अर्थ कुल्लूक ने दास किया है.
186. वही VIII.199.
187. वही, IV. 180.
188. वही, IV.184.
189. वही IV.185.
190. नैतत्तेषां दासे वा भवति कर्मकरे वा. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', IV.1.168. तुलनीय 'काशिका आन पाणिनि', V.3.114. इदं तर्हि क्षौद्रकाणामपत्यं, मालवानामपत्य-मिति. अतापि क्षौद्रक्य : मालव्य इति.
191. दिजावर कुटूब विवधनस .. विनिवत्तित चातुर्वण संकरस, वासिष्ठीपुत्र पुलुमाचि का नासिक गुफा उत्कीर्ण-लेख, उ० ले० 5-6. डी० सी० सरकार : 'सिलेक्ट इंसक्रिप्शंस', I., 197.

- १९२. वही.
- १९३. मनुस्मृति, I.31.
- १९४. वही, II.127.
- १९५. वही, II.126.
- १९६. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', VIII.2.82-83. भो राजन्यविशां वा.
- १९७. मनुस्मृति, II.137. तुलनीय गौतम, जो घोषित करते हैं कि अस्सी वर्ष की अवस्था हो जाने पर शूक्र आदर का पात्र हो जाता है.
- १९८. मनुस्मृति, II.31.
- १९९. मनुस्मृति, II.32. शर्मवद्ग्राहणस्य स्थाद्राक्षो रक्षासमच्चितम्, वैश्यस्यपुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुक्तम्. कुल्लूक ने टीका की है कि ये उपाधिथरो क्रमशः शर्मन्, वर्मन्, भूति और दास होनी चाहिए.
- २००. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', VI.2.11.
- २०१. वही, II.2.11 और III.2.127.
- २०२. वही, V.3.66; तुलनीय वही, III.1.107-8.
- २०३. मनुस्मृति, IV.245.
- २०४. वही, IV.140. किंतु उन्होंने शूक्र के स्थान में वृश्ल शब्द का प्रयोग किया है.
- २०५. वही, III.112.
- २०६. वही, IV.211.
- २०७. वही, IV.215-16.
- २०८. वही, IV.218.
- २०९. मनुस्मृति, IV.219, कारकान्तं प्रजां हर्ति बलं निर्णजकस्य च; गणान्तं गणिकान्तं च लोकेभ्यः परिकृन्तति.
- २१०. वही, IV.222.
- २११. वही, IV.223.
- २१२. वही, X.106-8.
- २१३. वही, X.108.
- २१४. मूल ग्रंथ में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं आया है, किंतु कुल्लूक ने इस अनुच्छेद का अर्थ लगाया है कि यह केवल किसी के अपने सेवकों पर लागू होता है. यह मनु की भावना के अधिक निकट मालूम पड़ता है, बनिस्वत इसके कि इसका अर्थ किया जाए सभी बटाइदार, आदि. मनुस्मृति, IV. 253. 'सेकेड बुक्स आफ दि ईस्ट', XXV.168 में 'आधिक' शब्द का अनुवाद 'लेवरर इन टिलेज' (जोतदार श्रमिक) गलत हुआ है. पतंजलि के महाशास्य में चरवाहे को 'आभीर' बताया गया है.
- २१५. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', II.4.10.
- २१६. मनुस्मृति, XI.153.
- २१७. वही, XI.149, कुल्लूक की टिप्पणी सहित.
- २१८. वही, XI.156.
- २१९. वही, X.157.

220. वही, X.126.

राधवानंद ने इसके साथ 'कसाईखाना रखना' भी शामिल किया है।

221. वही, III.24.

222. वही, III.23.

223. आदिपर्व, अध्याय 67.11.

224. मनुस्मृति, III.25.

225. मनुस्मृति, III.25 पर टीका, कुल्लूक यह भी कहते हैं कि राक्षस पद्धति से विवाह वैश्यों और शूद्रों के लिए भी विहित किया गया है।

226. मनुस्मृति, IX.196-7 कुल्लूक की टीका सहित.

227. वही, IX.65.

228. वसिष्ठ धर्मसूत्र, I.25.

229. मनुस्मृति, IX.66, अर्य द्विजैर्हि विद्वदिभः पशुधर्मो विगर्हितः।

230. जाली : 'हिंदू ला एंड कस्टम', पृ० 155.

231. मनुस्मृति, III.13.

232. वही, IX.85.

233. वही, III.14.

234. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', II.3.69 और I.2.43.

235. मनुस्मृति, III.15.

236. मनुस्मृति की टीका, III.15.

237. मनुस्मृति, III.16 कुल्लूक की टीका सहित.

238. मनुस्मृति, III.17.

239. वही, III.64.

240. वही, IX.178.

241. वही, III.19.

242. वही, III.17-19.

243. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', IV.2.104; 'जूनागढ़ राक इंसक्रिप्शंस आफ रुद्रदामन्', I, I.11; सरकार, 'सिलेक्ट इंसक्रिप्शंस', I, 172. इस काल में भी हम निषादों के देश के बारे में सुनते हैं।

244. मनुस्मृति (XII.55) में बताया गया है कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला चंडाल या पुक्कस के गर्भ में उद्भूत होगा।

245. मनुस्मृति, X, 8-9, 12, 16, 18, 19. इस समय तक कुछ पुरानी जातियाँ आनुवंशिक बन चुकी थीं, क्योंकि हमें निषादों और चंडालों के बेटों की सूचना मिलती है। (पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर, IV.1.97).

246. मनुस्मृति, X.15.

247. वही, X, 33-34.

248. वही, X.37.

249. वही, X.36.

250. वही, X. 39.
251. वही, X. 26-29.
252. मनुस्मृति, X.31, प्रतिकूलं वर्तमाना बाह्या बाह्यतरानपुनः; हीना हीनात्प्रसूयन्ते वर्णन् पञ्चदण्डवच्च. अपनी टीका में कुल्लूक ने यह बताने का प्रयास किया है कि ऐसी कुल जातियाँ तीस थीं. हो सकता है कि यह बाद की बात हो.
253. वही, X.40.
254. वही, X.56.39; तुलनीय महावस्तु, II. 73.
255. मनुस्मृति, X.48.
256. वही, X. 49.
257. वही, X.48.
258. मनुस्मृति, X.36, 49. प्रसंगवश इससे पता चलता है कि तीन कोटियों के लोगों, यथा, चर्मकार, धिरण और कारावर के लिए चमड़े का काम महत्वपूर्ण शिल्प बन गया था.
259. वही, X.37.
260. वही, X.34.
261. वही, X.49.
262. वही, X.32.
263. वही, X.33.
264. कर्नः : 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', XXI, 438. इस शब्द का अनुवाद जो बकरी का मांस बेचने वाले कसाई के रूप में किया गया है, वह उपयुक्त नहीं मालूम पड़ता है.
265. सद्धर्मपुंडरीक, पृ० 180-1, 311-2; इस सूची में आजीविक, निर्ग्रीथ और लोकायतिक भी सम्मिलित हैं. देखें बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, 463-4. गोवधिक और उसके शिष्य-सहायक का उल्लेख 'महावस्तु', II, 125 में किया गया है.
266. मनुस्मृति, X.49-50.
267. वही, बालचरित, II.5; अविभारक, VI, 5-6. पुसलकर : 'भास—ए स्टडी', पृ० 358 और 391.
268. मनुस्मृति, X. 54-55.
269. वही, X.55, 'चित्तिता राजशासने'.
270. बुहलर : 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', XXV.415, पाद टिप्पणी 55; बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 437. मेधातिथि इन चित्तों को कुलहाड़ी, बसूला आदि के रूप में देखते हैं, जिनका प्रयोग अपराधियों का वध करने में किया जाता था और जिन्हें कंधे पर ढोया जाता था. गोविंदराज उन्हें 'छड़ी आदि' बताते हैं और सर्वज्ञानारायण उन्हें लोहे का गहना, मोर के पंख, आदि बताते हैं.
271. मनुस्मृति, X, 53-54; कुल्लूक का कथन है कि यह नौकरों के माध्यम से करना चाहिए-
272. वही, IV.79.
273. वही, III.239.
274. वही, II.276.

275. वही, X. 4.
276. वही, VIII. 279.
277. वही, IV. 6. बाद के ग्रन्थों के अनुसार 'अंत्यज' शब्द से रजक, कर्मकार, नट, बुद्ध, कैवर्त, भिल और मेद का बोध होता है। केंद्रीय रंगस्वामी अर्यंगर ने 'सम्प्रेक्षण आप दि हिंदू व्यू आफ लाइफ अकार्डिंग टु धर्मशास्त्र', पृ० 115-6 में पराशर और अत्रि को उद्घृत किया है।
278. मनुस्मृति, X. 29-31. मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लूक की टीका।
279. मनुस्मृति, VIII. 385.
280. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', II. 4. 10; ये भक्ति पात्र संस्कारेणापि न गुण्यति ते निरवसिताः।
281. मनुस्मृति, X. 51.
282. महावस्तु, I. 188; आहण और शूद्र शब्दों का प्रयोग 'महावस्तु' की पूरी आवादी का बोध कराने के लिए किया गया है।
283. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', II. 2. 8. 11.
284. वही, II. 2. 11.
285. वही, I. 3. 55.
286. भंडारकर : 'सम आस्पेक्ट्स आप एनशिएंट इंडियन कल्चर', पृ० 51 और 54.
287. मनुस्मृति, IV. 140.
288. वही, III. 19.
289. एस० केंद्रीय ओस : (इंडियन कल्चर, कलकत्ता, II), पृ० 596-7.
290. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', II. 3. 69 और I. 2. 48.
291. वही, I. 2. 47 और VI. 3. 61.
292. मनुस्मृति, II. 165.
293. वही, X. 4.
294. वही, II. 169-70.
295. वही, II. 163. देखें, II. 172, X. 110. बताया गया है कि लड़कियों और शूद्रों का 'उपनयन' वीषचारिक समारोह के बिना ही किया जाता था। रंगस्वामी अर्यंगर : 'पोलिटिकल ग्रेंड सोशल आस्पेक्ट्स आप दि सिस्टम आप मनुस्मृति', पृ० 145. किंतु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता।
296. मनुस्मृति, IV. 99 और 108.
297. वही, III. 156.
298. वही, II. 109.
299. वही, IV. 80.
300. वही, IV. 81.
301. 'पतंजलि आन पाणिनीज ग्रामर', IV. 1. 93.
302. मनुस्मृति, X. 126.
303. वही, IX. 86.

- ‘304. वही, IX. 87.
- ‘305. वही, XI. 24.
- 306. वही, XI. 42-43.
- 307. वही, X. 126.
- 308. प्रतिमा, III. 5.
- 309. मनुस्मृति, X. 127.
- 310. वही, III. 196-198. मनुस्मृति, VIII. 140 में विदिष्ट को विधिनिर्मिता कहा गया है और मनुस्मृति, I. 35 में उन्हें वस प्रजापतियों में से एक कहा गया है.
- ‘311. वही, X. 63.
- 312. वही, XI. 224.
- 313. ‘पतंजलि वान् पाणिनीज ग्रामर’ II. 1. वही, V. 139, पतंजलि वास और भार्या को एक ही कोटि में रखते हैं.
- 314. मनुस्मृति, V. 140.
- 315. वही, V. 83.
- 316. वही, V. 99.
- 317. वही, V. 104.
- ‘318. हाजरा : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 208-10.
- ‘319. कूर्म पुराण, अध्याय 30, पृ० 304-5.
- ‘320. मत्स्य पुराण, अध्याय 272. 46-7 एवं आगे.
- ‘321. बायु पुराण, अध्याय 58, 38-49. ब्रह्मांड पुराण, भाग II, अध्याय 31. 39-49.
- ‘322 हाजरा : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 178.
- ‘323. वही, प० 174-5. इन पुराणों में कलियुग से संबंधित वर्णन वाले शंश को हाजरा ने ई० सन 200-275 का माना है.
- ‘324. (एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्ली, VIII), उत्कीर्ण लेख, सं० 15, I. 10; कलियुग दोपावसन्न-धर्म उद्धरण-नित्य सन्नद्धस्य.
- ‘325 पाजिटर का विचार है कि कलियुग भारतयुद्ध के समय से प्रारंभ होता है, किन्तु एक युग के अंत में (युगान्ते) कलियुग के पापों का वर्णन प्रायः उस दुर्व्यवस्थापूर्ण काल का संकेत करता है जो मौर्य साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के उत्थान के बीच आता है.
- ‘326. जायसवाल : ‘हिस्ट्री आफ इंडिया’ (ई० सन 150-350), पृ० 151-2.
- 327. वही, प० 46. युग पुराण, 95 एवं आगे. युग पुराण में जो चित्र खींचा गया है, वह ग्रीक विजय के परिणाम के लिए अभिप्रेत है, इसके बारे में टार्न को संदेह है. टार्न : ‘दि ग्रीक्स इन वैकिट्या ऐंड इंडिया’ पृ० 456.
- ‘328. हिन्दू पैगंबरों ने असीरिया के पतन का वर्णन करने में इसी तरह की साहित्यिक शैली अपनाई थी.
- 329. मनुस्मृति, VIII. 418.
- ‘330. वही, X. 61.

331. वही, XII. 72.
332. वही, IX. 337.
333. वही, VII. 69. कहा गया है कि देश को अनाविलम् होना चाहिए। टीकाकारों (नारद समृति और नंद०) ने इस शब्द का अर्थ लगाया है, जातियों के मिश्रण जैसे दूषणों से मुक्त (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, XXV. 227).
334. टीकाकारों की ये व्याख्याएँ कि इनसे शूद्र न्यायाधीशों या प्रशासी अधिकारियों की प्रमुखता का संकेत मिलता है, निराधार मालूम पड़ती हैं।
335. मनुस्मृति, IX. 253.
336. वही, IX. 260.
337. वही, X. 57-8.
338. मनुस्मृति, VIII. 348. शस्त्रं द्विजातिभिर्गाहं धर्मो यतोपस्थिते द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते, वसिष्ठ धर्मसूत्र में भी इस विधान की चर्चा है, किंतु इतने स्पष्ट शब्दों में नहीं (III. 24. 25).
339. पाटिल : 'कल्चरल लाइक फाम दि वायु पुराण' पृ० 74-75 में उद्धृत, लेखक का विचार है कि यह वर्णन गुप्तकाल के पहले कि ईश्वरी सन की आरंभिक शताङ्कियों का है, (पृ० 128).
340. मनुस्मृति, VIII. 16. वृषो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् वृपलं तं विदुर्देवा-स्तस्मादधर्मं न लोपयेत्. शांतिपर्व में भी यह विधान दुहराया गया है, किंतु प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है.
341. जायसवाल : 'मनु ऐड याज्ञवल्क्य', पृ० 91-92.
342. विष्णुपुराण, VI. 1. 36.
343. वही, VI. 1.51. शूद्रप्रायास्तथा वर्णो भविष्यन्ति कलौ युगे.
344. मनुस्मृति, XII. 46-8.
345. वही, XII. 43.
346. हापकिस : 'म्युच्चुअल रिलेशंस आफ दि फोर कास्ट्स इन मनु', पृ० 78, तुलनीय, पृ० 82..
347. कै० वी० रंगस्वामी अद्यंगर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 151-2. उन्होंने स्वीकार किया है कि कभी कभी 'नीतिशास्त्रों' ने 'लखपतियों की खिली उड़ाई है', (पृ० 159).
348. मनुस्मृति, X. 129.
349. वही, IV. 253.
350. अर्थशास्त्र, II. 23; मनुस्मृति, IV. 253. 'अर्थशास्त्र' में बटाईदारों को राज्य से जमीन मिलने की व्यवस्था है, किंतु मनु में इन्हें व्यक्ति विशेष से जमीन मिलती है.
351. मनु, VII. 119. यहां हमें सामंतवाद का महत्वपूर्ण आभास मिलता है.
352. कै० वी० रंगस्वामी अद्यंगर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 108.
353. कोसंबी : 'जन्मल आफ दि अमेरिकन ओरिएंटल सोसायटी', (बाल्टीमोर, LXXV), पृ० 41.
354. स्वतंत्र हस्तशिल्पों का प्रचलन सामान्यतया मध्यकालीन यूरोप के सामंतवादी समाज की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है.

355. शद्वामन का जूनागढ़ का शिलालेख (राक हंसक्रिप्शन) I, I. 9.
356. वही, I. 16.
357. वर्मिगटन : 'दि कामर्स बिट्वीन दि रोमन एम्पायर एंड इंडिया', पुस्तक में इस समस्या पर विचार किया गया है। हाल के पुरातात्त्विक प्रमाण के लिए देखें, ह्वीलर : 'रोम बियांड दि इंडीरियल फॉटियर्स', अध्याय 12-13.
358. ह्वीलर : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 151। टालेमी ने समुद्र के किनारे के सोलह नगरों को वाणिज्य केंद्र बताया है।
359. मनुस्मृति, VIII. 268.
360. वासिष्ठीपुत्र पुलमावि का नासिक गृफा-उत्कीर्ण लेख, II. 5-6 (डॉ. सी० सरकार, सिलेक्ट इंसक्रिप्शन्स, I, 197).
361. मनुस्मृति, III. 196-198.
362. वही, II. 30-1.
363. विष्णु पुराण, IV. 24. 21-24; तत्पत्तार्थ एवाभिजनहेतुर धनमेवाशेषधर्महेतुः... वानमेव धर्महेतुः आद्यतैव साधुत्वहेतुः, तुलनीय युग पुराण, 95-112.

रूपांतरण की प्रक्रिया

(लगभग दो सौ-पाँच सौ ई० सन)

इस काल में शूद्रों की स्थिति के अध्ययन के लिए मुख्य स्रोत हैं विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, धृहस्पति और कात्यायन की स्मृतियाँ।^१ इनमें याज्ञवल्क्य स्मृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है क्योंकि वाद में चलकर उत्तर भारत में यही प्रमाण के रूप में अपनाई गई। गुप्तकाल में हुए सामाजिक विकासक्रम जिस वास्तविकता के साथ इसके प्रावधानों में प्रतिफलित हुए हैं, वह शायद अन्य किसी भी स्मृति में नहीं। इस स्मृति में शूद्रों के विरुद्ध मनुस्मृति में किए गए अतिवादी प्रावधानों को या तो खंडित कर दिया गया है या उनकी अवहेलना कर दी गई है और इसमें ब्राह्मणों के लिए भी दागने (अंकन), और देश से निकालने (निष्कासन) का दंड विहित किया गया है।^२

कौन स्मृतिकार किस क्षेत्र के थे, इस विषय में हम अनुमान मात्र कर सकते हैं। याज्ञवल्क्य संभवतया मिथिला के थे।^३ नारद नेपाल के प्रतीत होते हैं।^४ अन्य स्मृतिकार भी उत्तर भारत के रहने वाले हो सकते हैं, क्योंकि उनकी स्मृतियों में जैसी स्थितियाँ चिह्नित हैं जैसी मुख्यतया उत्तर भारत में ही पाई जाती हैं।

इन स्मृतियों में धर्मसूत्रों के वचन का विस्तार किया गया है और बहुधा मनु के श्लोक उतारे गए हैं।^५ नई जानकारी के बल पाठांतरों से निकाली जा सकती हैं, जिनका प्रत्यक्ष संबंध हमारे आलोच्य विषय से हमेशा नहीं है। पर प्रायश्चित्त-कांड और संस्कारकांड कहीं कहीं विस्तार से दिए गए हैं; उनसे शूद्रों की धार्मिक अवस्था का पता चलता है।

स्मृतियों में लक्षित तथ्य कभी कभी महाभारत और पुराणों के स्मृतिप्रकरणों से अनुसर्यित और अनुपूरित होते हैं। हापर्किस का मत है कि महाभारत का उपदेशात्मक अंश अधिकतर दो सौ ई० पू० और दो सौ ई० के बीच जोड़ा गया श्लेषक है।^६ यह बात शांतिपर्व के कई श्लोकों के विषय में सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि वे ठीक वैसे ही मनु में भी मिलते हैं। हापर्किस की अपनी मान्यता है कि बढ़ता बढ़ता अनुशासनपर्व शांतिपर्व से अलग होकर दो सौ-चार सौ ई० के बीच पृथक पर्व के रूप में मान्य हुआ।^७ पुराणों में आए स्मृति अंश का कोई निर्देश

ईसा से पूर्व नहीं मिलता है।⁸ विष्णु,⁹ मार्कण्डेय,¹⁰ भविष्य¹¹ और भागवत¹² पुराणों के बर्ण धर्म-संबंधी अध्याय मोटे तौर पर गुप्तकाल के माने जा सकते हैं।

इस काल के स्मृतिग्रंथों की एक खास विशिष्टता है वैष्णव मत की ओर ज्ञाकाव। यह विशेष रूप से विष्णु स्मृति, वृहस्पति स्मृति,¹³ विष्णु पुराण¹⁴ और मत्स्य पुराण¹⁵ में लक्षित है। संभवतया कृष्ण की उपासना और वैष्णव मत के प्रभाव के कारण ही विचार में वह उदारता आई है, जो महागाथा काव्य महाभारत में व्यापक रूप से प्रतिफलित होती है।¹⁶ जैसाकि आगे बताया जाएगा, वैष्णव भावना के उदय से शूद्रों के प्रति ब्राह्मणों के दृष्टिकोण में उदारता आई, और उन्हें धर्म के क्षेत्र में सीमित ही सही परंतु सुनिश्चित अधिकार मिले।

कालिदास और शूद्रक की कृतियों से जो जानकारी मिलती है, वह भी स्मृतियों की भावना के अनुरूप है। कालिदास ने वणश्रिम के आदर्श का प्रतिपादन किया है,¹⁷ और यह बात शूद्रक के विषय में भी कही जा सकती है।¹⁸

शूद्रों की स्थिति के बारे में बौद्धग्रंथ लंकावतार सूत्र और वज्रसूची में भी कुछ जानकारी मिलती है। पहला ग्रंथ 443 ईस्वी के पूर्व संकलित किया गया है,¹⁹ किंतु द्वितीय ग्रंथ की तिथि निश्चित नहीं है। यह मौर्योत्तर काल के कवि अश्वघोष की रचना नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि चीनी यात्री इत्सिङ् ने इनकी कृतियों की जो सूची दी है उसमें इसका उल्लेख नहीं है।²⁰ 973-981 ई० के बीच किया गया इसका चीनी अनुवाद बौद्ध नैयायिक धर्मकीर्ति द्वारा किया गया बताया जाता है, जो सर्वथा संभव है कि पांचवीं शताब्दी ईस्वी में हुए थे।²¹ वज्रसूची में मनुस्मृति के श्लोक उद्घृत हैं, जिससे इसका परवर्ती होना सिद्ध होता है। मुख्य मुख्य बौद्ध और जैन टीका ग्रंथों²² में भी, जो संभवतया आलोच्य काल के हैं, हमारे अध्येय विषय की प्रासंगिक चर्चाएँ आई हैं।

कामदंक नीतिसार, भरत के नाट्यशास्त्र,²³ वात्स्यायन के कामसूत्र,²⁴ अमरसिंह के अमरकोश, और वराहमिहिर की वृहत् संहिता,²⁵ जैसे तकनीकी ग्रंथों से भी इस काल में शूद्रों की स्थिति के विषय में काफी जानकारी मिलती है।

हयशीर्ष पंचरात्र और विष्णुधर्मोत्तर पुराण के प्रतिमाविज्ञान विषयक भागों से भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। पहला ग्रंथ तो गुप्तकाल में रचा गया प्रतीत होता है,²⁶ लेकिन दूसरा ग्रंथ गुप्तोत्तर काल में संकलित जान पड़ता है, और गौण साक्ष्य के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

उत्कीर्ण लेखों में वर्ण के रूप में शूद्रों का उल्लेख नहीं है, किंतु करदायी किसानों और कारीगरों का बार बार उल्लेख हुआ है और कारीगरों के संघ की भी चर्चा है। इससे हमें शूद्रों की आंथिक स्थिति में हुए परिवर्तनों का स्वरूप पता लगाने में सहायता मिलती है।

इसी काल में हमें यह सुपरिचित सूत वाक्यसून्नते को मिलता है कि शूद्र का

कर्तव्य है अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना।²⁷ मनु की भाँति ही यह दावा किया गया है कि शूद्र को विशेषतया ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए।²⁸ शांतिपर्व में एक राजा का दावा है कि उसके राज्य में शूद्र किसी विद्वेष के बिना सम्यक रूप से अन्य तीनों वर्णों की सेवा और परिचर्या करते हैं।²⁹

अनुशासनपर्व में कहा गया है कि शूद्र मजदूर (कर्मकर) हैं,³⁰ और यदि शूद्र न हों तो मजदूर न होंगे।³¹ इसमें संदेह नहीं कि शूद्रों का बहुत बड़ा भाग मजदूरी करता था, क्योंकि मजदूरी के ग्यारहों पर्याय अमरकोश में शूद्र वर्ग में आए हैं।³² इसी तरह मजदूरों और सेवकों की विविध कोटियों के नाम भी इसी वर्ग में गिनाए गए हैं। इसमें भूत्यकों (वेतनार्जकों) के चार नाम हैं, वाहकों के दो नाम, कुलियों के दो नाम और भृत्यों के ग्यारह नाम हैं।³³

नारद और वृहस्पति ने भृत्यकों को तीन कोटियों में रखा है, एक सेना में काम करने वाले, दूसरे कृषिकर्म करने वाले और तीसरे एक जगह से दूसरी जगह भार ढोकर ले जाने वाले।³⁴ इनमें प्रथम को उत्तम, द्वितीय को मध्यम और तृतीय को अधम कर्मकर माना गया है।³⁵

यद्यपि कुली और वाहक अधम कोटि के मजदूर माने गए हैं, फिर भी श्रमिकों में उनका महत्व कम नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि उनके कर्म के बारे में बहुत से नियम इस काल के विधिग्रंथों में दिए गए हैं। वाहकों का नियोजन मुख्यतया सौदागर (वणिक) करते थे और ये वाहक सौंपे गए माल के लिए जबाबदेह होते थे, बशर्ते कि माल की हानि का कारण राजा और दैव (भाग्य) न हो।³⁶ विभिन्न अवस्थाओं में काम अधूरा छोड़ने के कारण उनके लिए विभिन्न दंडों का विधान है। नारद ने कहा है कि जो वाहक माल को लक्ष्यस्थान पर पहुंचाने का करार करके ढोने से इंकार कर दे, वह अपनी मजदूरी का छठा भाग हर्जना देगा,³⁷ यदि वह सामान ले जाने का समय आ जाए तब इधर उधर करे तो उसे मजदूरी का दूना हर्जना देना पड़ेगा।³⁸ याज्ञवल्क्य ने भी इस नियम का समर्थन किया है।³⁹ किंतु परवर्ती स्मृतिकारों के अन्य प्रावधानों के अनुसार यदि वाहक कार्य आरंभ करके बीच में ही छोड़ दे तो वह अपनी मजदूरी का सातवां हिस्सा चुकाएगा, और यदि आधा रास्ता जाकर छोड़े तो पूरी मजदूरी चुकाएगा।⁴⁰ नियोजक की ओर से करार भंग होने पर वाहक को मजदूरी चुकाने का नियोजक का दायित्व उत्तना कड़ा नहीं प्रतीत होता है। नारद ने कहा है कि यदि सौदागर 'भाड़ा तय करके गाड़ी या ढोर से काम न ले तो वाहक को भाड़े का चौथा हिस्सा दिलाया जाएगा, और यदि उसे रास्ते में छोड़ दे तो पूरा भाड़ा दिलाया जाएगा।⁴¹ यह नियम भारवाही गाड़ी और पशु के मालिकों के लिए, और पूर्ण संभवतया उन वाहकों के लिए है जो स्वयं मालिक और चालक भी हैं, न कि उन मनुष्यों के लिए जो पशु की भाँति स्वयं अपने ऊपर माल ढोते हैं। फिर भी इसका प्रतिस्थानी

नेपाली पाठ, जो शुद्ध पाठ माना जाता है,⁴² बताता है कि यदि नियोजक की गलती से वाहक कार्य रोके तो वाहक को उतनी मजदूरी दिलाई जाए जितना काम उसने संपन्न किया हो।⁴³

कृषि मजदूरों और चरवाहों को मिलने वाली मजदूरी के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त है। याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन ने उन्हों दरों को दुहराया है जिनका विधान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। इसके अनुसार कर्षक (कृषि मजदूर) को फसल का दसवां भाग, गोपालक (चरवाहे) को धी का दसवां भाग और पैकार के भारवाहक को विक्री मूल्य का दसवां भाग वेतन मिलना चाहिए।⁴⁴ यह व्यवस्था परंपरागत प्रतीत होती है, और गुप्तकाल में मजदूरी में जो परिवर्तन हुए उनका विचार इसमें नहीं किया गया है। ये परिवर्तन शांतिपर्व और नारद एवं वृहस्पति की स्मृतियों में पाए जाने वाले पाठांतरीय वचनों से लक्षित होते हैं। गोपालक (चरवाहे) की मजदूरी के विषय में शांतिपर्व में कहा गया है कि यदि वह दूसरों के लिए छह गायों का पालन करता है तो उसे मजदूरी में एक गाय का दूध मिलना चाहिए।⁴⁵ यह भी कहा गया है कि एक सौ गायों के पालन के लिए गोपालक को एक जोड़ा पशु मिलना चाहिए।⁴⁶ नारद ने इससे कम मजदूरी बताई है। एक सौ गाय चराने के लिए प्रति वर्ष एक बछिया दी जाएगी, दो सौ गाय चराने के लिए एक धेनु (दुधार गाय) और दोनों दशाओं में चरवाहे को हर आठवें दिन सभी गायों का दूध दिया जाएगा।⁴⁷ नारद के इस वचन से उन्हों का वह पूर्वोक्त वचन बहुत कुछ बाधित हो जाता है जिसमें चरवाहे के लिए धी का दसवां हिस्सा परंपरागत दर बताया गया है। समसामयिक जैन स्तोतों से ज्ञात होता है कि व्यवहार में इन नियमों का मोटे तौर पर ही पालन होता था। उदाहरणार्थ, एक चरवाहे की चर्चा आई है जिसे हर आठवें दिन गाय या भैंस का सारा दूध मिलता था।⁴⁸ एक दूसरे उदाहरण में पारिश्रमिक की दर इससे अधिक है; एक गोपालक को पारिश्रमिक के रूप में दूध का चौथा हिस्सा दिया गया था।⁴⁹ इससे प्रकट होता है कि चरवाहे की मजदूरी में निश्चित रूप से वृद्धि हुई। इतना ही नहीं, इस बात से कि मजदूरी में पशु दिया जाता था, पता चलता है कि अपेक्षाकृत चरवाहे की अपनी स्वतंत्र हैसियत भी थी, जिसका अपना घर होता था और चारे के लिए कुछ जमीन भी रहती थी।

कर्षकों के पारिश्रमिक की दरें शांतिपर्व और वृहस्पति स्मृति में उनसे अधिक विहित की गई हैं जो इस काल के आसपास के अन्य ग्रंथों में विहित हैं। यथा, शांतिपर्व के अनुसार यदि कर्षकों को बीज आदि दिए जाएं तो उन्हें उपज का सातवां भाग मिल सकता है।⁵⁰ वृहस्पति तो और भी उदार हैं। उनके अनुसार खेती के काम में लगाए गए मजदूरों (सीरवाहकों) को, यदि उन्हें अन्न और वस्त्र दिया गया हो तो, उपज का चौथाई भाग मिलेगा।⁵¹ यदि अन्न और वस्त्र

दिए बिना उनसे काम कराया जाए तो उन्हें उपज का तीसरा भाग दिया जाना चाहिए।⁵² स्पष्टतया ये नियम खेती के मजदूरों के लिए हैं, न कि ऐसे बटाईदारों के लिए जो खेती के लिए बीज, बैल और औजार अपनी ओर से लगाते हैं। यह युक्तिसंगत नहीं है कि यहां की सीर भूमि वही है जो कौटिल्य की सीता भूमि।⁵³ सीता राजा की भूमि होती थी, लेकिन सीर भूमि व्यक्ति विशेष के कब्जे में रहती थी जिसमें वह खेती के लिए मजदूरों को लगाता था।⁵⁴

वृहस्पति द्वारा विहित पारिश्रमिक की दरों से विदित होता है कि गुप्तकाल के अंतिम भाग में कृषकों की मजदूरी दूनी हो गई। इतना ही नहीं यह तथ्य कि वे अन्न और वस्त्र के बिना काम करते थे, सूचित करता है कि एक नवीन कोटि के कर्बकों का उदय हुआ था जो अपना भरण पोषण आप करने के साधनों से संपन्न होते थे और इसलिए अपने नियोजकों पर कम आधित रहते थे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में पशुपालकों और कृषि मजदूरों के पारिश्रमिक में निश्चित रूप से वृद्धि हुई और इसके फलस्वरूप शूद्रों के एक विशाल वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

भूत्यों (घरेलू चाकरों) की स्थिति के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। कामसूत्र में कहा गया है कि भूत्यों को खाना-पीना के अलावा मासिक या वार्षिक वेतन मिलना चाहिए।⁵⁵ शांतिपर्व में जोर देकर कहा गया है कि शूद्र सेवकों का भरण-पोषण करना ऊपर के तीनों वर्णों का कर्तव्य है।⁵⁶ किंतु इसमें वही पुराना नियम दुहराया गया है कि द्विज अपने सेवक को पुराना छाता, पगड़ी, बिस्तर व आसन, जूते और पंखे, तथा फटे हुए कपड़े दे।⁵⁷

शांतिपर्व इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि शूद्र की सृष्टि प्रजापति ने अन्य तीनों वर्णों के दास के रूप में की।⁵⁸ इसलिए उसे दासधर्म के पालन का उपदेश दिया गया है।⁵⁹ परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि शूद्र दास थे। दासप्रथा प्रचलित थी,⁶⁰ इसलिए हो सकता है कि कुछ शूद्र दास रहे हों। किंतु वे उत्पादन कार्यों में लगाए जाने वाले दास नहीं थे। यद्यपि नारद ने पंद्रह प्रकार के दासों का उल्लेख किया है,⁶¹ तथापि वे और वृहस्पति दोनों यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे केवल अपवित्र कर्मों में लगाए जाते थे।⁶² ये अपवित्र कर्म हैं प्रवेशद्वार, शीचालय और सङ्क की सफाई, उच्छिष्ट भोजन, मल, मदिरा आदि हटाना, मालिक का हाथ-पांव मलना और गुहांगों की मालिश करना।⁶³ इसके विपरीत जो लोग उत्पादन संबंधी कार्यों में, अर्थात् कृषि या भारवाहन के काम में लगाए जाते थे, वे पवित्र कर्म करने वाले समझे जाते थे।⁶⁴ इसलिए इस बात का शायद ही साक्ष्य मिलता है कि राजा द्वारा या प्रजाजन द्वारा कोई दास उत्पादन कर्म में लगाया गया हो, जबकि मौर्यपूर्व और मौर्यकाल में ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं।

इस काल में ऐसी कई अन्य बातें भी दिखाई पड़ती हैं, जिनसे प्रकट होता है

कि दासप्रथा सामान्यतया कमजोर पड़ती गई है और दास के रूप में काम करने की बाध्यता से शूद्रों को अधिकाधिक छुटकारा मिलता गया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कौटिल्य का दासमुक्ति संबंधी नियम केवल उन दासों पर लागू था जो आर्य संतान हों या स्वयं आर्य हों। किंतु याज्ञवल्क्य ने बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया कि कोई भी आदमी अपनी मर्जी के बिना गुलाम नहीं बनाया जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों को मुक्त कर देना होगा।⁶⁵ यजग्नाथ तर्क पंचानन की टीका के अनुसार इसका यह अर्थ है कि जो कोई शूद्र, अत्रिय या वैश्य अपनी सम्मति के बिना दासकर्म में नियोजित किया गया हो, उसे मुक्त कराना राजा का कर्तव्य है।⁶⁶ इस प्रकार उपकर्युत व्यवस्था ने मनु की उस मान्यता को एकदम उलट दिया जिसके अनुसार शूद्र को बलपूर्वक दास बनाया जा सकता था।⁶⁷

पहले के प्रथों के अनुसार किसी भी उच्च वर्ण (द्विज) को या शूद्रा से उत्पन्न द्विज के पुत्रों को दास नहीं बनाया जा सकता था, किंतु गुप्तकाल की समृतियों में द्विजों के लिए ऐसा कोई विशेषाधिकार लक्षित नहीं होता है। याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन कहते हैं कि दास अनुलोम क्रम से बनाया जाए, न कि प्रतिलोम क्रम से, अर्थात् दास मालिक के वर्ण से नीचे के वर्ण का होना चाहिए।⁶⁸ किंतु कात्यायन का दावा है कि दासता निचले तीन वर्णों के लिए है, न कि द्वाष्ट्रियों के लिए।⁶⁹ फिर भी इन नियमों से यह अर्थ निकलता है कि दासता शूद्रों तक ही सीमित न रही।

नारद और वृहस्पति ने ऐसे अधम व्यक्ति की घोर निदा की है जो स्वतंत्र होते हुए भी अपने को बेच डालता है।⁷⁰ अनुशासनपर्व में कहा गया है कि कितनी ही संतानें क्यों न हों, किसी को मनुष्य का विक्रिय नहीं करना चाहिए।⁷¹ यद्यपि कौटिल्य ने दासों की, खासकर आर्यजाति के दासों की मुक्ति के नियम दिए हैं, तथापि दासमुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है।⁷² इन सब बातों से दासप्रथा अवश्य कमजोर हुई होगी।

नारद ने कहा है कि स्थानीय विवादों में एक वर्गविशेष के लोग जो 'वर्गिन्' कहलाते हैं, अपने अपने वर्गों के मामलों में गवाह के रूप में बुलाए जा सकते हैं।⁷³ कात्यायन के अनुसार जिनके लिए 'वर्गिन्' शब्द का प्रयोग होता है उनमें दासों के नायक भी हैं।⁷⁴ इस प्रकार दासों में संगठन होने से दासप्रथा में और भी कमजोरी आई होगी।

दासियों के अस्तित्व का भी पर्याप्त प्रमाण मिलता है। ये दासियां धनी लोगों के घरों में चेरियों का काम करती थीं। अमरकोश में समूहवाचक शब्दों के उदाहरणों में दासीसभ्म् (दासियों का दल) शब्द भी आया है।⁷⁵ इस काल के जैनग्रन्थों का अध्ययन करने से इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि

आदिम जातियों से बहुत सी दासियां और चेरियां बहाल की जाती थीं।⁷⁰

अन्य विषयों में गुप्तकाल में दासों की सामान्य स्थिति अपरिवर्तित रही। उन्हें पीटा जा सकता था और बेड़ियों में बांधा जा सकता था।⁷¹ वे अविश्वसनीय समझे जाते थे।⁷² विधि में उनके लिए कोई स्थान नहीं था।⁷³ वे संपत्ति की एक इकाई समझे जाते थे और तदनुसार साझे (सामूहिक स्वामित्व) में रखे जा सकते थे।⁷⁴ तथा साझेदारों के बीच बांटे जा सकते थे।⁷⁵ नारद और कात्यायन दोनों ने मनु के उस वचन को दुहराया है जिसके अनुसार दास को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है,⁷⁶ किंतु कात्यायन ने यह भी कहा है कि लोगों के बीच अपने को बेच कर दास जो मूल्य पाता है उस पर मालिक का हक नहीं है।⁷⁷

इन सारी बातों के होते हुए भी इतना तो स्पष्ट है कि गुप्तकाल में दासप्रथा सामान्यतया शिथिल हो गई थी। ऐसा लगता है कि वर्ण व्यवस्था ही कमजोर पड़ गई थी और इस कारण दासप्रथा में भी कमजोरी आई। वर्ण प्रथा का नियम था कि शूद्र को दास बनाना चाहिए। पर गुप्तकालीन पुराणों में जो कलि का वर्णन मिलता है उससे पता चलता है कि वैश्य और शूद्र अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं करते थे। अर्थात् किसान के रूप में अन्न पैदा कर वैश्य कर नहीं देते थे और शूद्र द्विजों की सेवा करने को तैयार नहीं थे। घोर वर्णसंकट की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके लिए सोचा गया कि राज्य के अधिकारियों तथा पुरोहितों को गांव दान में दिए जाएं ताकि वे अपनी जीविका चलाएं और प्रदत्त क्षेत्र में शांति बनाए रखें। मजदूरी बढ़ाकर और कुछ जमीन देकर शूद्रों को संतुष्ट करने की चेष्टा की गई।

दासप्रथा के कमजोर होने का प्रमुख कारण था, बंटवारों और दानों के फलस्वरूप भूमि का टुकड़ों में बंटते जाना। धर्मसूत्रों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में तथा याज्ञवलक्य स्मृति में भी दायंभाग (संपत्ति के बंटवारे) की जो विधियां हैं उनमें भूमि के बंटवारे की चर्चा नहीं है। इसकी चर्चा सर्वप्रथम नारद⁷⁸ और बृहस्पति⁷⁹ की स्मृतियों में पाई जाती है। इससे यह ध्वनित होता है कि गुप्तकाल के बीच या अंत में बड़ी बड़ी जोत रखने वाले बड़े बड़े संयुक्त परिवार छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त होने लगे। जब भूमि के बंटवारे का सिद्धांत मान्य हो गया, तब एक बार लोगों की आबादियों के बस जाने के बाद, उत्तर भारत की उर्बर नदी घाटियों में घनी होती जा रही आबादी कृषियोग्य भूमि के विखंडीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाए बिना कैसे रह सकती थी? भूमि पर आबादी का भार किस प्रकार बढ़ रहा था, इसका संकेत पांचवीं शताब्दी ई० के एक पुरामिलेख से मिलता है। इसमें कहा गया है कि उत्तर बंगाल (बांगला देश) में डेढ़ कुल्यवाप भूमि एक जगह मिलना संभव नहीं है, अतः इतनी भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में चार भिन्न भिन्न जगह में खरीदनी पड़ी।⁸⁰ यह खरीद दान देने के लिए की गई थी, इसके उदाहरण हमें इस काल में बहुत अधिक मिलते हैं। ब्राह्मणों और देवालयों

को किए गए भूमिदानों से भूमि खंडन की प्रक्रिया में और भी मदद मिली। मौर्य पूर्व काल में जो पांच पांच सौ करीष के बड़े बड़े प्लाट या मौर्य काल में जो बड़े बड़े राजकीय कृषिक्षेत्र थे, वे अब नहीं दिखाई पड़ते हैं। पुराभिलेखों में जो एक कुल्यवाप या चार, दो और एक द्रोणवाप के खेतों की चर्चा है उन्हें कोई बड़े प्लाट नहीं कह सकते हैं।⁸⁷ पार्जिटर के अनुसार एक कुल्यवाप एक एकड़े से कुछ बड़ा होता था।⁸⁸ किन्तु यदि असम के कछार जिसे में प्रचलित भूमिमाप कुल्यवाप को कुल्यवाप का पर्याय समझें,⁸⁹ तो कुल्यवाप का मान 13 एकड़े के लगभग हो जाएगा। एक कुल्य आठ द्रोण के बराबर होता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर बंगाल में खेतों का विस्तार सात एकड़े से लेकर तीन एकड़े तक था। इसी काल में यदि गुजरात के अंतर्गत बलभी के मैन्नक राजाओं के भूमि दानों (अग्रहारों) का सर्वेक्षण किया जाए तो उससे प्रकट होता है कि खेतों का विस्तार दो तीन एकड़े से अधिक नहीं था।⁹⁰ स्वभावतया जोत का रकबा कम रहने के कारण भूस्वामियों का परिवार अपने खेतों को स्वयं संभाल सकता था; स्थायी रूप से भारी संख्या में शूद्र दास और मजदूर रखने की जरूरत नहीं थी। अतः अधिकांश दासों को छांट दिया गया होगा, और एक कृषिक्षेत्र में दो तीन दास से अधिक न लगते होंगे।

बताया गया है कि गुप्तकाल में ब्राह्मणों को अग्रहार (भूमिदान) दिए जाने से निजी उद्यम द्वारा ग्रामव्यवस्था को बढ़ावा मिला होगा।⁹¹ यह बात मध्य और दक्षिण भारत के अविकसित क्षेत्रों में संभव रही होगी, किन्तु उत्तर बंगाल में जहाँ एक जगह भूमि प्राप्त करना कठिन था, अथवा गुजरात में, नहीं। या तो केवल परती और अविकसित फाजिल भूमि शूद्र जनों के हाथ बंदोबस्त की गई होगी क्योंकि पुराने किसान अपनी आबाद जमीन को छोड़ना न चाहते होंगे अथवा आदिवासी कर्षकों को ही ब्राह्मणीय समाज व्यवस्था में अंतर्भुक्त कर लिया गया होगा। कृषि उत्पादन में लगाए जाने वाले दासों और श्रमिकों की धीरे धीरे छंटनी हो जाने से उन्हें स्वतंत्रता तो मिली ही, साथ ही बटाईदारों या स्वतंत्र किसानों के रूप में अपना कायापलट करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद भी मिली।

वैश्य कर्षक थे, यह परंपरागत विचार इस काल के साहित्य में भी दुहराया गया है।⁹² अमरकोश में कर्षक के पर्याय वैश्य वर्ग में गिनाए गए हैं।⁹³ किन्तु यह मानने का भी आधार है कि शूद्र भी कर्षक हो जाते थे। मनु की भांति विष्णु और याज्ञवल्क्य से भी प्रकट होता है कि आधी उपज पर शूद्रों को खेत दिया जाता था।⁹⁴ इससे यह सिद्ध होता है कि पट्टा देने की परिपाटी जोर पकड़ती जा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने भूमि पर स्थाई कब्जा पा लिया। इस काल (250-350 ई० सन) में पल्लवों के, जिनका शासन दक्षिण आंध्र प्रदेश

और उत्तर तमिलनाडु पर था, एक दानपत्र से ज्ञात होता है कि जब भूमि ब्राह्मणों को दे दी गई तब भी उस पर चार बटाईदार (आर्थिक) बने रहे।¹⁰⁵ इस दानपत्र में दो कोलिकों के हस्तांतरण का भी उल्लेख है,¹⁰⁶ जो कोल जाति के कृषक या कृषि मजदूर रहे होंगे।¹⁰⁷ इसी काल के एक दूसरे पल्लव दानपत्र में कहा गया है कि अतुक¹⁰⁸ नामक व्यक्ति द्वारा आबाद किया हुआ चार निवर्तनों का एक प्लाट हस्तांतरित किया गया। यह अतुक भी बटाईदार रहा होगा। इससे यह ध्वनित होता है कि अविकसित इनाकों में भूमि का हस्तांतरण हो जाने पर भी बटाईदार उस भूमि से वेदखल नहीं किए जा सकते थे; वे संभवतया शूद्र की कोटि में थे। नारद ने कीनाश (किसान) की गणना उन लोगों में की है जो साक्षी बनाने के पात्र नहीं हैं।¹⁰⁹ सातवीं शताब्दी के एक टीकाकार असहाय¹⁰⁰ ने इस 'कीनाश' शब्द का अर्थ शूद्र किया है।¹⁰¹ यह व्याख्या ठीक प्रतीत होती है, क्योंकि कीनाश के बाद शूद्रा स्त्री से उत्पन्न पुत्र के बारे में भी नारद ने कहा है कि वह साक्षी होने का पात्र नहीं है।¹⁰² इससे लक्षित होता है कि शूद्र संभवतया किसान समझे जाते थे। वृहस्पति स्मृति से भी इसकी पुष्टि होती है। खेतों के सीमा विवाद में आगे रहने वाले शूद्र के लिए उसमें कठोर शारीरिक दंड का विधान है।¹⁰³ यह स्पष्ट है कि वे ऐसे विवादों में खेत के मालिक के रूप में ही अगुआ हो सकते थे। मार्कण्डेय पुराण में ग्राम उस वस्ती को कहा गया है जहाँ बहुत से शूद्र जन हों और कृषक लोग समृद्ध हों।¹⁰⁴ इन कृषकों में कुछ शूद्र भी रहे होंगे। कात्यायन का विधान है कि यदि कोई ऋण न चुका सके तो उससे काम कराकर ऋण वसूला जाए और यदि वह काम करने योग्य भी न हो तो उसे जेल भेज दिया जाए। किंतु यह विधान निचले तीन वर्गों के किसानों पर लागू है, ब्राह्मण पर नहीं।¹⁰⁵ वृहत्संहिता में कहा गया है कि दक्षिण में आग लगने से उय्यों और वैश्यों को कष्ट होगा, और पश्चिम में आग लगने से शूद्रों और कृषकों को।¹⁰⁶ इससे ध्वनित होता है कि शूद्र और कृषक एक दूसरे के बड़े करीब माने जाते थे। इस प्रकार उपर्युक्त निर्देशों से यह प्रकट होता है कि शूद्र धीरे धीरे किसान होते जा रहे थे।

मध्य भारत के एतत्कालीन दानपत्रों में कर चुकाने वाले कुटुंबिन् और कारु लोगों का बार बार उल्लेख है।¹⁰⁷ इसमें कोई संदेह नहीं कि कारु कामगार होने के नाते शूद्र थे, किंतु उतनी ही दृढ़ता के साथ कुटुंबिन् के विषय में नहीं कहा जा सकता है। कुटुंबिन का अर्थ कृषक¹⁰⁸ या धरेलू चाकर¹⁰⁹ किया गया है। ऐसा भी बताया गया है कि संभवतया कुटुंबिन् पेशेवर कारीगरों के ऐसे वर्ग के लोग कहलाते थे जो जीविका के गौण साधन के रूप में खेती करते थे।¹¹⁰ किंतु प्रतीत होता है कि कारु के विपरीत कुटुंबिन् लोग कृषिकर्मी गृहस्थ होते थे। प्राचीन पालि ग्रंथों में ये धनवान गृहस्थ¹¹¹ प्रतीत होते हैं और संभवतया ये वैश्य

रहे होंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गणपति शास्त्री ने बटाई खेती करने वाले कुटुंबिन् लोगों को शूद्र माना है।¹¹² ऐसा लगता है कि कुनवीं जो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं और कुर्मी जो विहार में पाए जाते हैं, कुटुंबिन् से ही संबंध रखते हैं। आजकल ये दोनों शूद्र माने जाते हैं, पर यह परिवर्तन संभवतया गुप्तकाल में प्रारंभ हुआ। अतएव यह असंभव नहीं कि गुप्तकाल के करदाता कृषक परिवारों में शूद्र भी शामिल थे।

पुनर्श्च, यदि 'उपरिकर' शब्द का अर्थ अस्थाई किसानों से लिया जाने वाला कर विशेष माना जाए,¹¹³ तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती काल में जो दास और कर्मकर राज्य के या वैयक्तिक स्वामियों के कृषि क्षेत्रों में काम करते थे, उन्हें इस काल में अस्थाई रूप से खेत मिलने लगा था।

संभवतया कृषकों की संख्या बढ़ने, भूमि पर आवादी का भार अधिक होने और ऊंची दर पर कर चुकाने में नए किसानों के असमर्थ होने के कारण ही भूमि राजस्व उपज के चतुर्थांश से घटाकर षष्ठांश कर दिया गया।¹¹⁴ वृहस्पति का वचन है कि राजा खेती के स्वरूप और उसकी उपज को देखते हुए षष्ठांश, अष्टमांश, या दशांश उपज ले सकता है।¹¹⁵

सातवीं शताब्दी ई० के पूर्वार्द्ध में हुआन चाड ने शूद्रों को खेतिहारों के वर्ग के रूप में वर्णित किया है।¹¹⁶ नृसिंह पुराण से इस वर्णन की पुष्टि होती है। वहाँ कृषि को शूद्र का कर्म वताया गया है।¹¹⁷ किंतु प्रतीत होता है कि यह महत्वपूर्ण परिवर्तन गुप्तकाल में हुआ होगा। कृषक वर्गों में बहुत बड़ा भाग शूद्र का है,¹¹⁸ यह धारणा गुप्तकाल के विषय में जितनी सही होगी उतनी शायद 'पूर्ववर्ती काल' के विषय में नहीं।

अपरिपक्व सुझाव के तौर पर ऐसा विचार पेश किया जा सकता है कि इस महापरिवर्तन के आगमन में लोहे के प्रयोग का व्यापक प्रचलन भी सहायक हुआ होगा। अमरकोश में लोहे के सात नाम और लोहे के विकार (जंग) (आयरन रस्ट) के दो नाम आए हैं,¹¹⁹ और इस काल के एक बौद्ध ग्रंथ में धातुओं का सविस्तार वर्गीकरण किया गया है।¹²⁰ अमरकोश में फाल के भी पांच नाम दिए गए हैं,¹²¹ जिससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि ये परम महत्वपूर्ण कृषि उपकरण सदा तैयार मिलते थे और खेती गहन रूप से की जाती थी। इस औजार की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि के बिना पहले जमाने के दास, कर्मकर और आदिवासी जन तथा उच्च वर्णों के अधिकाधिक परिवार—ये सब लोग खेती के काम में नहीं लग पाते। दुर्भिग्यवश, उत्तर भारत की ग्रामीण बस्ती के विविध संस्तरों के उत्खनन की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे यह पता चलता है कि पूर्वकाल में लोहे के कृषि उपकरणों का प्रयोग किस हद तक होता था। यों, स्मृतिकारों ने बताया है कि मजदूरों को औजार

दिए जाते थे जो काम के बाद वापस कर देने पड़ते थे।¹²² किंतु कृषि मजदूर स्वयं अपने औजार रखे विना काश्तकार नहीं बन सकते थे। ये औजार उन्हें इस काल में विकासोन्मुख लौह उद्योग की बदौलत ही मिलते होंगे।

इस काल में शूद्र कारीगरों के महत्व में बढ़ि हुई। पूर्ववर्ती काल के समृति-कारों ने शूद्रों को शिल्पकर्म की अनुमति उसी दशा में दी है जब वे द्विज की सेवा करके अपनी जीविका न चला सकें। इस काल में आकर यह शार्त हटा ली गई,¹²³ और शिल्पकर्म शूद्रों के सामान्य कर्तव्यों में आ गया।¹²⁴ वृहस्पति ने शिल्प का अर्थ किया है सोने, हीन धातु, काष्ठ, धागे, पत्थर और कुमड़े का काम।¹²⁵ अमरकोश में शिल्पियों की सूची शूद्र वर्ग में है; इसमें सामान्य शिल्पियों, उनके संघ (श्रेणी) के प्रधानों, मालियों, धोबियों, कुम्हारों, राज-मिस्त्रियों, जुलाहों, दर्जियों, चितकारों, शस्त्रकारों, चर्मकारों, लुहारों, शंख-शिल्पियों और ठठेरों में प्रत्येक के दो नाम हैं।¹²⁶ इस सूची में स्वर्णकार के चार नाम और बढ़ि के पांच नाम हैं।¹²⁷ अमर ने ढोल बजाने वाले, पानी वाले, वंशी और वीणा बजाने वाले,¹²⁸ अभिनेता, नर्तक और कलाबाज इन सभी का समावेश भी शूद्र वर्ग नामक प्रकरण में किया है।¹²⁹ इस सूची से सिद्ध होता है कि शूद्र सभी प्रकार के शिल्पों और कलाओं का व्यवसाय करते थे।¹³⁰

यह पुराना नियम कि शिल्पी लोग मास में एक दिन राजा का काम करेंगे, वृहस्पति ने भी दुहराया है।¹³¹ यह नियम चालू था, क्योंकि पश्चिम भारत में मिले छठी शताब्दी ई० के एक उत्कीर्ण लेख में कहा गया है कि ग्रामश्रेष्ठ (वारिक) सुनारों, रथकारों, नापितों और कुम्हारों से बेगारी (विष्टि) लें।¹³² विष्टि का विधान है कि शिल्प द्वारा अर्जित धन पर करारोपण नहीं किया जाना चाहिए।¹³³ मौर्योत्तर काल में केवल बुनकरों पर कर लगाया गया था।¹³⁴ मगर इस काल में शिल्पियों पर कर लगाने की परिपाटी चल पड़ी। शांतिपर्व में यह विधान है कि शिल्पियों और व्यापारियों के उत्पादन की स्थिति और शिल्प के प्रकार, को देखते हुए उन पर कर लगाया जाना चाहिए। करनिधारिण उत्पादित वस्तुओं की संख्या के आधार पर किया जाए और उसकी वसूली जिन्स के रूप में की जाए।¹³⁵ इसमें कोई संदेह नहीं कि शिल्पी राजा को कर चुकाते थे, क्योंकि यह बात इस काल के उत्कीर्ण लेखों में बार बार आई है। दक्षिण भारत में प्राप्त 446 ई० के एक पल्लव अभिलेख से ज्ञात होता है कि लुहार, चमार, बुनकर और नाई तक राजा को कर देते थे।¹³⁶ इन सारी बातों से यह प्रमाणित होता है कि इस काल में शूद्र शिल्पियों की आर्थिक स्थिति सुधरी थी और समाज में उनका महत्व बढ़ा था। कामसूत्र के एक संदर्भ की टीका से प्रकट होता है कि शूद्र भी शिल्पी, अभिनेता आदि के व्यवसाय से धन अर्जित करके नागरिक अर्थात् सम्मानित एवं प्रतिष्ठित नागरिक बन सकते थे।¹³⁷

कारोरपण संबंधी विधानों से प्रकट होता है कि कारीगर लोग जिस प्रकार मौर्यकाल में राज्य द्वारा नियोजित और नियन्त्रित रहते थे, उस प्रकार इस काल में नहीं रह गए थे। शायद राजधानी में रहने वाले कारीगर¹³⁸ राजाश्रित रहते होंगे। किंतु गांधों के कारीगरों का जो बार बार उल्लेख मिलता है, उससे प्रकट होता है कि जनपदों में उनकी संख्या कहीं अधिक थी, जहां वे कुछ न कुछ स्वतंत्रता के साथ रह सकते थे और काम कर सकते थे।

संघों के सुदृढ़ होने से कारीगरों का महत्व बढ़ता गया। ये संघ (श्रेणियाँ) राजधानियों और नगरों के संगठन का अंग माने जाते थे।¹³⁹ ये स्पष्टतया कारीगरों और व्यापारियों के संघ थे।¹⁴⁰ जहां प्राचीन विधिग्रन्थों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा के संघों के रीति-रिवाजों (श्रेणिधर्म) का आदर करना चाहिए,¹⁴¹ वहां गुप्तकाल के विधिग्रन्थों में राजा को उपदेश दिया गया है कि वह संघों में प्रचलित रीति-रिवाजों (रूढ़ियों) का पालन कराए।¹⁴² वृहस्पति ने कहा है कि संघों के प्रधान अन्य लोगों के प्रति विहित नियमों के अनुसार जो कुछ भी करे, राजा को उसका समर्थन करना होगा, क्योंकि वे कार्य व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त घोषित हैं।¹⁴³ उन्होंने चेताया भी है कि यदि देशाचार, जात्याचार और कुलाचार का पालन न किया जाएगा तो प्रजा असंतुष्ट होगी और उससे संपत्ति घटेगी।¹⁴⁴ इससे प्रतीत होता है कि संघ जैसा चाहें, वैसा करने के लिए स्वतंत्र थे और राजा को उनका निर्णय मानना पड़ता था।¹⁴⁵ दूसरे शब्दों में संघ उत्पादन की बहुत कुछ स्वतंत्र इकाइयों के रूप में काम करने वाले और राजकीय नियंत्रण से परे प्रतीत होते हैं। वे पूर्ववत् निक्षेप के रूप में धन प्राप्त करते थे, उस पर व्याज चुकाते थे और स्पष्टतया उस धन को अपने व्यापार में लगाते थे, जैसा कि इंदौर में स्थापित तैलिक संघ के पांचवीं शताब्दी ई० के एक उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है।¹⁴⁶ ऐसे कार्यकलापों के सहारे वे स्वभावतया समृद्धिशाली हो जाते थे, जैसा कि पांचवीं शताब्दी ई० में मंदसौर के रेशमी वस्त्र बुनकरों द्वारा किए गए एक सूर्यमंदिर के निर्माण और मरम्मत से सिद्ध होता है।¹⁴⁷ यह समझना गलत होगा कि ब्राह्मण पुरोहितों की शक्ति के बढ़ने पर संघों का पतन होने लगा।¹⁴⁸ ब्राह्मण स्मृतिकारों ने संघों को मान्यता दी है। इतना ही नहीं, बल्कि गुप्तकाल के पुराभिलेखों में उल्लिखित दो संघों को या तो ब्राह्मणों का संपोषण प्राप्त था या ब्राह्मण भी उससे संबद्ध थे।¹⁴⁹

नियोजकों और कर्मकरों के पारस्परिक संबंध के विषय में जो नियम मिलते हैं उनसे प्रकट होता है कि शूद्रवर्ग से बहाल किए जाने वाले कई कोटि के कर्मकरों की स्थिति में सुधार हुआ। बताया जा चुका है कि अंगीकृत कार्य पूरा न करने पर कौटिल्य ने 12 पण जुर्माना विहित किया है, जो उनके द्वारा विहित मजदूरी का पांच गुना से बीस गुना तक है।¹⁵⁰ किंतु गुप्तकाल के अधिकांश स्मृतिकारों ने यह

नियम बनाया है कि यदि कर्मकर मजदूरी लेकर काम न करे तो उससे मजदूरी का दूना जुर्माना लिया जाए।¹⁵¹ लेकिन वृहस्पति ने ऐसी स्थिति में कर्मकर की क्षमता के अनुसार अतिरिक्त जुर्माने का विधान किया है।¹⁵² विष्णु का वचन है कि कोई कर्मकर अपना काम पूरा न करे तो वह अपनी पूरी मजदूरी नियोजक को चुकाने के साथ साँपे पण जुर्माना राजा को चुकाए।¹⁵³ परंतु इस विधान को उन्होंने एक और नियम बनाकर प्रतिसंतुलित कर दिया है, जिसमें काम पूरा न कराने पर नियोजक के लिए भी बैसा ही दंड विहित किया गया है।¹⁵⁴ इस संबंध में वृहस्पति ने कुछ ऐसे नियम दिए हैं जो इस काल के अन्य विधिग्रन्थों में नहीं मिलते हैं। एक नियम में वृहस्पति ने किसी विवेचना के बिना ही मनु का वह वचन उतार लिया है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई कर्मकर शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी केवल दर्पवश अंगीकृत कर्म पूरा न करे तो वह अपनी मजदूरी से वंचित होगा और साथ ही आठ कुण्डल के दंड का भी भागी होगा।¹⁵⁵ किंतु आगे उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कर्मकर अपना काम पूरा न करे तो वह अपनी मजदूरी से वंचित होगा और उस पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा।¹⁵⁶ वृहस्पति ने कर्मकर के हित की रक्षा के लिए नियम बनाया है कि यदि नियोजक किसी कर्मकर को काम पूरा कर देने पर भी मजदूरी न दे तो उसे राजा उचित दंड देगा।¹⁵⁷ नारद ने यह भी कहा है कि ऐसी स्थिति में नियोजक से व्याजसहित मजदूरी दिलाई जाएगी।¹⁵⁸ यह स्पष्टतया उस नियम के प्रवर्तन के लिए कहा गया है, जिसके अनुसार नियोजित सेवक को प्रतिज्ञात मजदूरी नियमित रूप से देते रहना नियोजक का कर्तव्य है।¹⁵⁹ इनके एक अन्य नियम का उल्लेख पहले किया जा चुका है जिसमें इन्होंने कहा है कि यदि भारवाहक नियोजक के दोष से काम अधूरा रह जाए तो उसे उतने ही काम का पारिश्रमिक मिलेगा जितना उसने पूरा किया हो।¹⁶⁰ यह नियम संभवतया अन्य प्रकार के कर्मकरों पर भी लागू किया गया होगा।

चरवाहों के बारे में जो विधान हैं, उनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि चरवाहों को साँपे गए पशुओं की रक्षा करना उनका कर्तव्य है,¹⁶¹ किंतु पशुओं के नष्ट होने पर मृत्युदंड का विधान, जोकि कौटिल्य ने किया है, नहीं पाया जाता है। फिर भी वृहस्पति ने कहा है कि चरवाहों के जिम्मे लगाया गया पशु यदि फसल को नुकसान पहुंचाए तो चरवाहों को पीटना चाहिए।¹⁶²

इस प्रकार, कुल मिलाकर, काम न करने का दंड जितना कठोर मौर्यकाल में था उतना इस काल में न रहा, और कुछ ऐसे नियम बने जिनसे नियोजक की ओर से मजदूरी न चुकाए जाने या बुरा बर्ताव किए जाने की स्थिति में कर्मकरों के हितों की रक्षा हो। फिर इस काल के स्मृतिग्रन्थों में कर्मकरों के लिए प्रेरणादायक पारितोषिक का भी विधान किया गया है। कौटिल्य ने केवल

चुनकरों के लिए पारितोषिक की सिफारिश की है,¹⁶³ किंतु याज्ञवल्क्य ने कहा है कि यदि कर्मकर आशा से अधिक काम करे तो उसके लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाए।¹⁶⁴ अतः गुप्तकाल में नियोजकों और कर्मकरों के पारस्परिक संबंध के विषय में जो व्यवस्था दिखाई पड़ती है उससे यह धारणा बनती है कि पूर्व काल की तुलना में इस काल में नियोज्य-नियोजक संबंध अधिक सदय और उदार था, और परिणामस्वरूप यह अनुमान किया जा सकता है कि मजदूरी पर खटने वाले शूद्र वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

गुप्तकाल में वाणिज्य को भी शूद्रों का कर्तव्य माना जाने लगा। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि शूद्र द्विजाति की सेवा से अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हो तो वह वाणिज्य कर सकता है।¹⁶⁵ वृहस्पति कहते हैं कि हर प्रकार की वस्तुओं की बिक्री करना शूद्रों का सामान्य कर्तव्य है।¹⁶⁶ पुराणों में भी कहा गया है कि शूद्र क्रप विक्रप¹⁶⁷ और व्यापारिक लाभ से जीवननिर्वाहि कर सकता है।¹⁶⁸ सम्मिलित व्यापार का साझेदार यदि शूद्र हो तो राजा को अपने लाभ का षट्ठांश देगा, वैश्य हो तो नवमांश, क्षत्रिय हो तो दशांश और ब्राह्मण हो तो बीसवां अंश।¹⁶⁹ इससे प्रकट होता है कि शूद्रों के लिए व्यापार की शर्तें उतनी अनुकूल नहीं थीं, जितनी उच्च वर्णों के लिए। इतना ही नहीं, भले शूद्र कुछ वस्तुओं के क्रप विक्रय से परहेज रखते थे, जैसे मद्यविक्रय;¹⁷⁰ किंतु इतना तो निश्चित है कि शूद्र व्यापार कर सकते थे और इस विषय में ब्राह्मण स्मृतिकारों ने न केवल शूद्रों और वैश्यों के बीच, अपितु शूद्रों और दो उच्चतम वर्णों के बीच भी भेदभाव खत्म कर दिया है। सामान्यतया शूद्र लोग पैकार (वैदेहक) का काम करते थे। इस काल के स्मृतिकारों ने अर्थशास्त्र के इस नियम को दुहराया है कि पैकार को विक्रयागम का दसवां भाग मिलना चाहिए,¹⁷¹ किंतु शांतिपर्व में इसे बढ़ाकर सातवां भाग कर दिया गया है।¹⁷² शायद यह परिवर्तन गुप्तकाल की स्थिति का सूचक है।

व्यापार और वाणिज्य की तीसरी शताब्दी में भारी उन्नति हुई,¹⁷³ और इनकी तरक्की में शिल्पी और व्यापारी के रूप में शूद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। संभवतया गुप्तकाल में किमान के रूप में भी शूद्रों ने प्रगति की, और देश के कृषि मूलक अर्थतंत्र को सुदृढ़ बनाए रहे।

किंतु उच्च वर्णों के लोगों की तुलना में शूद्रों का जीवनस्तर पूर्ववत निम्न बना रहा। वराहमिहिर ने गृहनिर्माण के बारे में जो नियम दिए हैं, उनके अनुसार ब्राह्मण के घर में पांच कमरे, क्षत्रिय के घर में चार, वैश्य के घर में तीन और शूद्र के घर में दो होने चाहिए। हर स्थिति में मुख्य कमरे की लंबाई-चौड़ाई चारों वर्णों की हैसियत के अनुसार भिन्न होनी चाहिए।¹⁷⁴ ऐसे नियमों का पालन तो शायद कट्टर ब्राह्मण लोग ही करते होंगे, फिर भी इनसे प्रकट होता है कि

निम्न वर्णों के लोगों के बारे में ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि वे अच्छे भवनों में रहते हों।

इस काल में भी हमें शूद्र राजाओं की चर्चा मिलती है, जैसे सौराष्ट्र, अवंति, अबुर्द और मालवा के। इनके साथ साथ परंपरागत शूद्र, आभीर¹⁷⁵ और म्लेच्छ राजाओं का भी उल्लेख मिलता है, जो सभी सिंधु और काश्मीर प्रदेशों में शासन करने वाले बताए गए हैं। पार्जिटर ने इनका समय चौथी शताब्दी ई० सन् बताया है।¹⁷⁶ परंतु इन्हें जो शूद्र कहा गया है इसका कारण यह नहीं है कि ये शूद्र वंश के थे, व लिक इसलिए कहा गया है कि इन जनजातीय या विदेशी शासकों ने ब्राह्मणों को विशेष संरक्षण नहीं प्रदान किया या और ब्राह्मणधर्म के अनुयायी नहीं थे।¹⁷⁷ किंतु एक नाटक में एक चरवाहे के राजा हो जाने की कथा आई है।¹⁷⁸ याज्ञवल्क्य ने प्राचीन धर्मदिश दुहराया है कि स्नातक को ऐसे राजा से दान नहीं लेना चाहिए जो क्षत्रिय न हों। उनके ध्यान में उस समय ऐसे ही राजा लोग (या तो जन-जातीय या शूद्र) रहे होंगे।¹⁷⁹ किंतु कालक्रमेण इन शासकों को ब्राह्मणों ने मान्यता देकर सम्मान्य क्षत्रिय बना दिया।

मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में याज्ञवल्क्य और कामदंक ने उसी पुराने मत को दुहराया है कि वे कुलीन और वेदज्ञ हों,¹⁸⁰ जिससे शूद्रों के मंत्री बनने की संभावना ही नहीं रह जाती। किंतु शांतिपर्व में नई व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसके अनुसार आठ व्यक्तियों की मंत्रिपरिषद में चार ब्राह्मण, तीन राजभक्त, शिष्ट और विनीत शूद्र और एक सूत रखे जाएं।¹⁸¹ हमें ज्ञात नहीं कि इस व्यवस्था का कहां तक पालन हुआ, किंतु यह शूद्रों के प्रति ब्राह्मण समाज के रुख में महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूचक तो है ही।

न्यायाधीशों और सभ्यों (कौसिलरों) की नियुक्ति में ऐसी उदारता के चिह्न नहीं मिलते। याज्ञवल्क्य ने कहा है कि राजा विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से न्याय करे; जहां राजा स्वयं न्याय करने में असमर्थ हो वहां वह इन ब्राह्मणों से न्याय कराए।¹⁸² कात्यायन ने यह भी कहा है कि ब्राह्मण न मिले तो क्षत्रिय या वैष्य न्यायाधिकारी बनाया जाए, लेकिन शूद्र का सर्वथा परिहार किया जाए।¹⁸³ ठीक यही विचार वृहस्पति ने सभ्यों की नियुक्ति के बारे में व्यक्त किया है।¹⁸⁴ उन्होंने मनु की उस चेतावनी को भी दुहराया है कि जो राजा शूद्र (वृष्ल) की सहायता से राजकाज करेगा उसके राज्य के बल का और कोष का क्षय होगा।¹⁸⁵

किंतु विषय (जिला) स्तर पर प्रशासन के कार्य में शिलिप्यों के मुखिया का कुछ हाथ रहता था, और वह शूद्र होता था। 433 और 438 ई० के दामोदरपुर में मिले दो ताङ्रपत्रों से ज्ञात होता है कि प्रथमकुलिक धृतिमित्र कोटिर्वर्ष (उत्तर बंगाल स्थित) की जनपद सभा का सदस्य था, जो कुमारामात्य के अधीन था।¹⁸⁶

‘कुलिक’ शब्द का अर्थ कोई नगर न्यायाधीश प्रवर (सीनियर टाउन जज) लगाते हैं,¹⁸⁷ तो कोई वणिक¹⁸⁸ किंतु ऐसा अर्थ पूर्वकालीन ग्रंथों से समर्थित नहीं है। संभव है कि यह कुलिक शब्द अमरकोश का कुलक हो जिसका अर्थ है शिल्पियों का प्रधान और यह उक्त ग्रंथ में शूद्र वर्ग में आया है।¹⁸⁹ लगता है यह शब्द शिल्पी अर्थ में नारद स्मृति में भी आया है, जहाँ कुलिक की गणना असत् साक्षियों में की गई है।¹⁹⁰ अतः प्रथम कुलिक का अर्थ होगा कुलिकों में प्रथम,¹⁹¹ अर्थात् शिल्प-संघ का अध्यक्ष; और इसी नाते वह उत्तर बंगाल स्थित कोटिवर्ष जिले की सभा में रखा गया होगा। शायद वैशाली जिला मुख्यालय में भी यही परिपाटी रही होगी, जहाँ दो प्रथम कुलिकों की अलग अलग मुद्राएं पाई गई हैं।¹⁹² शिल्प-संघों के प्रधान को जनपदीय प्रशासन में जो स्थान दिया गया है, वह इस काल में उनके बढ़ते हुए महत्व के अनुरूप ही है। इसका आभास हमें इस काल के एक जैन ग्रंथ में भी मिलता है, जिसमें बढ़ी अर्थात् वास्तुकार को चतुर्दश रत्नों में गिनाया गया है।¹⁹³ इन सब बातों से प्रकट होता है कि शूद्र शिल्पियों की नागरिक प्रतिष्ठा में कुछ सुधार हुआ।

सामान्यतया शूद्र छोटे छोटे प्रशासनिक कार्य करते रहे। कामदंक ने कौटिल्य के इस विचार को दुहराया है कि घरेलू सेवकों से राज्य के ऊचे अधिकारियों की गतिविधि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का काम लिया जाए।¹⁹⁴ नारद ने कहा है कि चंडालों, जल्लादों (वाधकों) और इस तरह के अन्य लोगों से गांव के भीतर चोरों का पता लगाने का काम लिया जाए और गांव के बाहर रहने वाले गांव के बाहर चोरों का पता लगाए।¹⁹⁵

न्यायप्रशासन में पुराने भेदभाव पूर्ववत् बने रहे। वृहस्पति ने नियम बनाया है कि साक्षी कुलीन हों और नियमपूर्वक वेदों और स्मृतियों में विहित धार्मिक कर्म करने वाले हों।¹⁹⁶ इनसे स्वतः शूद्र बहिष्कृत हो जाते हैं। शूद्र शूद्रों के लिए ही साक्षी हो सकते हैं, इस नियम को इस काल के स्मृतिकारों ने भी दुहराया है।¹⁹⁷ कात्यायन कहते हैं कि किसी मुकदमे में अभियुक्त के खिलाफ गवाही वही दे सकता है जो जाति में उसके समकक्ष हो। निम्न जाति का वादी उच्च जाति के साक्षियों से अपना वाद प्रमाणित नहीं करा सकता है।¹⁹⁸ नारद ने जो असत् साक्षियों की सूची दी है उसमें जादूगर, नट, मद्यविक्री, तेली, महाबत, चर्मकार, चंडाल, शूद्र किसान (कीनाश), शूद्रापुत्र और जाति बहिष्कृत (पतित) लोग समाविष्ट हैं।¹⁹⁹ नारद ने साक्ष्य देने में पुरानी वर्णभेदभूलक व्यवस्था में कुछ सुधार लाते हुए कहा है कि सभी वर्णों के वाद में सभी वर्णों के साक्षी लिए जा सकते हैं।²⁰⁰ व्यभिचार, चोरी, अवमानन, और हमले के मामलों में कोई भी साक्षी हो सकता है।²⁰¹ घरों और खेतों के सीमाविवाद में, वृहस्पति के अनुसार, कृषक, शिल्पी, मजदूर, चरवाहा, शिकारी, उच्छक (सिल्ला बीनने वाला), कंद खोदने वाले और कैवर्तं (मछुवा) नैसर्गिक-

साक्षी हो सकते हैं।²⁰² यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि याज्ञवल्क्य ने यह प्रतिष्ठा, केवल खेतों के सीमाविवाद में, मात्र चरवाहों, किसानों और बनवालों को दी है।²⁰³ मनु ने तो इस विषय में इससे भी अधिक अनुदारता बरती है, क्योंकि उन्होंने केवल ग्रामसीमा के विवाद में ही शिकारियों, बहेलियों, चरवाहों, मछुओं, कंद खोदने वालों, सपेरों, सिल्ला बीनने वालों और बनचारियों को साक्षी बनाने की अनुशा दी है, और वह भी वहां जहां दो-चार पड़ोसी गांवों में साक्षी न मिले।²⁰⁴ वृहस्पति ने जो साक्षी गिनाए हैं वे अधिकांशतया शूद्र वर्ग के हैं, अतः उनकी इस व्यवस्था से शूद्रों की प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो किसान और कारीगर के रूप में इनकी नई हैसियत के अनुरूप है। यह महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि सीमाविवाद स्वभावतया अन्य प्रकार के किसी भी विवाद से अधिक मात्रा में उठते रहे होंगे।

फिर भी इस काल के स्मृतिकारों ने पूर्ववत्, गवाही लेते समय दी जाने वाली चेतावनी को, भिन्न भिन्न वर्णों के लिए भिन्न भिन्न बनाए रखा है। इसमें शूद्रों को दी जाने वाली चेतावनी सबसे कड़ी है।²⁰⁵

दिव्यों (देवी साधनों से दोष पता लगाने में) में वर्णमूलक भेद व्यवहार, जो मनु में नहीं पाया जाता है,²⁰⁶ इस काल के स्मृतिकारों ने स्थापित किया है।²⁰⁷ याज्ञवल्क्य ने कहा है कि अग्नि, जल और विष का दिव्य केवल शूद्र से कराया जाए और ब्राह्मण से तुला दिव्य कराया जाए।²⁰⁸ इस संबंध में उन्होंने क्षत्रिय और वैश्य का उल्लेख नहीं किया है, किंतु अन्य स्मृतिकारों ने कहा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से की जाए, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से और शूद्र की विष से।²⁰⁹ किंतु यहां भी वृहस्पति ने यह विकल्प रख दिया है कि सभी वर्णों से सभी दिव्य कराए जा सकते हैं, सिर्फ विषवाला दिव्य ब्राह्मण से न कराया जाए।²¹⁰ नारद का भी वैकल्पिक नियम है कि विष.दिव्य क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से कराया जा सकता है।²¹¹ विष्णु ने कहा है कि यह दिव्य ब्राह्मण से नहीं कराया जा सकता है,²¹² जैसा कि नारद और कात्यायन का भी मत है।²¹³ विष्णु ने नकारे गए निषेध, या चोरी या लूट के माल के मूल्य के अनुसार शूद्रों के लिए विभिन्न प्रकार के शपथ और अभिमंत्रित जल पिला कर दिव्य कराने का विधान किया है।²¹⁴ यदि मूल्य आधे सुवर्ण से अधिक हो तो न्यायाधीश शूद्र से तुला, अग्नि, जल और विष चारों में से कोई भी दिव्य करा सकता है।²¹⁵ किंतु विष्णु ने इन चारों दिव्यों के प्रयोग के बारे में विस्तृत नियम बताते हुए भी,²¹⁶ अन्य स्मृतिकारों की भाँति वर्णभेद से दिव्यभेद का विधान नहीं किया है। शायद ब्राह्मणों के विषय में कुछ विशेष अनुग्रह दिखाया गया है, जिनसे विषदिव्य नहीं कराया जा सकता है; इसके सिवा दिव्य के विषय में वर्णमूलक व्यवहार भेद नहीं होता था। जल का दिव्य तीसरी शताब्दी ई० में संभवतया सातवाहनों के राज्य में चलता था।²¹⁷

परंतु यह किसी खास वर्ण में ही चलता था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि जो कबीले और विदेशी जन ब्राह्मण समाज में लीन होने की प्रक्रिया में थे उनके बीच भिन्न प्रकार के दिव्य प्रचलित रहे होंगे। इसलिए कात्यायन ने कहा है कि अस्पृश्यों, अधर्मों, दासों और म्लेच्छों के जो अपने दिव्य हैं, उनसे वे ही दिव्य कराए जाएं।²¹⁸

मनु का विधान है कि न्यायालय में अर्जी वर्ण के क्रम से सुनी जाए,²¹⁹ किंतु इस काल के स्मृतिकारों ने शायद इस नियम का उल्लेख नहीं किया है। फिर भी व्यवहार विधियों में वर्णमूलक भेदभाव चलता रहा। जिन वादों में प्रतिभूति देने की आवश्यकता है, वहां कात्यायन ने द्विजों और शूद्रों के बीच भेद का विधान किया है। प्रतिभूति न देने पर द्विज को केवल प्रहरियों की देखभाल में रख देना चाहिए; शूद्र और अन्य लोगों को बेड़ी लगाकर कैदखाने में रखना चाहिए।²²⁰ परंतु उन्होंने बंधन तोड़कर भागने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वे किसी भी वर्ण के हों, समान रूप से आठ पण जुमाने का विधान किया है।²²¹ उन्होंने यह भी कहा है कि बंधन में रहते समय किसी भी वर्ण के दैनिक नित्यकर्मों के अनुष्ठान पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए।²²²

दाय विधि (ला आफ इनहेरिटेंस) में यह नियम पूर्ववत बना रहा कि उच्च वर्ण के शूद्रापुत्र को दाय में सबसे कम अंश मिलेगा।²²³ विष्णु ने विविध परिस्थितियों में ब्राह्मण के शूद्रापुत्र का अंश निर्धारित करते हुए²²⁴ यह उदारतापूर्वक नियम बनाया है कि द्विज पिता और शूद्र माता से उत्पन्न पुत्र अपने पिता के आधे धन का उत्तराधिकारी होगा।²²⁵ किंतु वृहस्पति ने उसी पुराने नियम को दुहराया है कि शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न पुत्र पिता के अन्य पुत्र न होने पर भी केवल भरण पोषण पाने का अधिकारी होगा।²²⁶ कहा गया है कि द्विज पिता और शूद्र माता से उत्पन्न पुत्र भूमि संपत्ति में अंश पाने का हकदार नहीं है।²²⁷ किंतु एक जगह अनुशासनपर्व में जोर देकर कहा गया है कि शूद्रापुत्र को संपत्ति अवश्य मिलनी चाहिए।²²⁸ इस विधान की इस काल के अन्य स्मृतिग्रंथों से भी पुष्ट होती है।

ऐसा नियम है कि शूद्र की संपत्ति उसके पुत्रों के बीच समान अंशों में बांटी जाएगी।²²⁹ याज्ञवल्क्य ने कहा है कि शूद्र पिता और दासी माता से उत्पन्न पुत्र को संपत्ति में तभी हिस्सा मिलेगा, जब पिता चाहे।²³⁰ अनुशासनपर्व में इतना और जोड़ा गया है कि यह अंश संपत्ति का दसवां भाग ही होगा।²³¹

चारों विभिन्न वर्णों के लिए ब्याज की भिन्न भिन्न दरें निर्धारित करने वाला प्राचीन नियम इस काल के दो स्मृतिग्रंथों में भी दुहराया गया है।²³² परंतु याज्ञवल्क्य ने इसको सुधारते हुए बताया है कि करार से जो भी तय हो, वही ब्याज चुकाया जा सकता है।²³³

निखात निधि संबंधी नियम वर्णभेद पर आश्रित है। स्मृतिकारों के अनुसार

यदि ब्राह्मण निखात निधि (गड़ा खजाना) पाए तो वह उसे पूर्णतया ले सकता है।²³⁴ विठ्ठु ने इसमें यह भी जोड़ा है कि यदि क्षत्रिय निधि पाए तो उसकी एक एक चौथाई राजा और ब्राह्मण को देगा और आधा स्वयं रख लेगा, यदि वैश्य पाए तो एक चौथाई राजा को देगा, आधा ब्राह्मण को देगा और एक चौथाई स्वयं रखेगा, और शूद्र पाए तो उसे बारह भागों में बांटकर पांच पांच भाग राजा और ब्राह्मण को देगा और दो भाग स्वयं रखेगा।²³⁵ यद्यपि निखात निधि में शूद्र का अंश सबसे कम है, किर भी यह कौटिल्य के अनुसार मजदूर (भूतक) को मिलने वाले अंश का दूना है।²³⁶ यह कहना कठिन है कि निखात निधि संबंधी यह नियम कहां तक प्रचलन में था। एक जैन ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है कि जब निखात निधि एक बणिक को मिली तब राजा ने उसे जबत कर लिया, किंतु जब इसी तरह ब्राह्मण को ऐसी निधि मिली, तब राजा ने उसे पुरस्कृत किया।²³⁷

सामान्यतया ब्राह्मण के विरुद्ध किए गए अपराध कर्म के लिए शूद्रों को क्रूर शारीरिक दंड देने के विधान को, नारद ने, और कुछ मामलों में वृहस्पति ने भी, दुहराया है।²³⁸ वृहस्पति ने कहा है कि शूद्र को आर्थिक दंड नहीं दिया जाए, बल्कि ताड़न, बंधन और निदन का दंड दिया जाए।²³⁹ वृहस्पति विशेष रूप से प्रतिलिमों (अर्थात् उच्च वर्ण की मात्रा और निम्न वर्ण के पिता की संतानों) और अंत्यों (अछूतों) के प्रति कठोर हैं, जिन्हें वे समाज का मल समझते हैं। यदि वे ब्राह्मण का अपराध करें तो उन्हें पीटना चाहिए और अर्थदंड कभी नहीं करना चाहिए।²⁴⁰ यही विधान नारद ने शवपचों, मेदों, चंडालों, हस्तियों (महावतों), दासों आदि के लिए किया है।²⁴¹ नारद ने इतना और कहा है कि इन मामलों में अपराध से पीड़ित व्यक्ति स्वयं अपराधी को दंड दें, क्योंकि अपराधी को दिए जाने वाले दंड से राजा को कोई मतलब नहीं है।²⁴² यह राजकीय शक्ति के ह्रास का महत्वपूर्ण संकेत है। यदि कोई ब्राह्मण शूद्र को दुर्वचन कहे तो उसे साढ़े बारह पण का दंड दिया जाए, यह नियम इस काल की स्मृतियों में भी दुहराया गया है।²⁴³ किंतु वृहस्पति ने यह भी कहा है कि यह नियम गुणवान् शूद्रों के विषय में ही लागू होता है, गुणहीन शूद्रों को दुर्वचन कहने के लिए ब्राह्मण दंडनीय नहीं है।²⁴⁴ संभवतया यह अस्पृश्य शूद्रों के विषय में कहा गया है, जिसके लिए ऐसे विषयों में विधि में कोई परिकाण नहीं है। किंतु इस विषय में शूद्रों के अन्य वर्गों को उच्च वर्ण के लोगों द्वारा किए गए अपराध के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्राप्त थी।²⁴⁵

यद्यपि यह कहा गया है कि शूद्रों को शारीरिक दंड दिया जाए, तथापि वृहस्पति ने वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को दुर्वचन कहने के लिए विहित दंडों की जो तालिका दी है, उसमें इसका कोई संकेत नहीं मिलता है।²⁴⁶ कहियान ने लिखा है कि मध्य देश में राजा मृत्युदंड या अन्य शारीरिक दंड दिए बिना ही

शासन करता था।²⁴⁷ यह अत्युक्ति हो सकती है, फिर भी इससे यह ध्वनित होता है कि शारीरिक दंड का प्रचलन पूर्व की तुलना में कम हो गया था, जिससे शूद्रों का कल्याण हुआ। याज्ञवल्क्य वर्णमूलक विधान का सिद्धांत तो मानते हैं,²⁴⁸ फिर भी उन्होंने शूद्र अपराधियों के लिए मनु के क्रूर दंडविधान को दुहराया नहीं है। उनके हमला संबंधी एक नियम में वर्णभेद का आभास नहीं है। उन्होंने कहा है कि यदि दोनों पक्ष अस्त्रप्रहार की धमकी दें तो सबको समान दंड मिलेगा,²⁴⁹ किंतु यदि कोई अब्राह्मण ब्राह्मण को पीड़ित करे तो उसका अंग काट लिया जाएगा।²⁵⁰ यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह नियम ब्राह्मण पर हमला करने वाले शूद्रों पर भी लागू था या नहीं।

विष्णु ने अपनी जाति की परस्ती का संग करने पर उत्तम कोटि के दंड का और निम्नतर जाति की परस्ती का संग करने पर मध्यम कोटि के दंड का विधान किया है।²⁵¹ परंतु यह अद्भुत बात है कि उन्होंने अंत्यज स्त्री से संभोग करने पर सीधे मृत्युदंड का विधान कर दिया है²⁵² (बशर्ते कि वहां 'वध्य' शब्द पिटाई के अर्थ में प्रयुक्त न माना जाए)। परंतु यह उनके अपने ही एक दूसरे विधान के विरुद्ध है, जिसके अनुसार यदि कोई ब्राह्मण चंडाल स्त्री से एक रात संभोग करे तो तीन वर्षों तक भिक्षाटन पर जीने और निरंतर गायत्री जपने से शुद्ध होगा।²⁵³ किंतु यह द्रष्टव्य है कि द्विजाति स्त्री का संग करने पर शूद्र के लिए मनु ने जो कठोर दंड विहित किया है, वह इस काल की किसी भी विधि-संहिता में नहीं पाया जाता है।

इस काल के विधिग्रंथों में विभिन्न वर्णों के वध के लिए प्रतिकार का भिन्न भिन्न मानदंड विहित नहीं किया गया है। फिर भी विष्णु ने हृत्या के पाप के लिए प्रायशिचत के भिन्न भिन्न मानदंड विहित किए हैं। जैसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की हृत्या के पाप की शुद्धि के लिए क्रमशः 12, 9 और 3 वर्ष महाव्रत नामक तप करना है।²⁵⁴ इसका कोई प्रमाण तो नहीं मिलता है कि ऐसे प्रायशिचत वस्तुतया कराए जाते थे, किंतु इससे प्रकट होता है कि चारों वर्णों के जीवन का आपेक्षिक महत्व क्या था। परंतु विष्णु और याज्ञवल्क्य क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के वध को चतुर्थ कोटि का अपराध (उपपातक) मानते हैं,²⁵⁵ और विष्णु के अनुसार अपराधी को चांद्रायण या पराक नामक व्रत या गोमेघ यज्ञ करना चाहिए।²⁵⁶ इस तरह के उपबंध से शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय एक कोटि में आते हैं और ब्राह्मण को उन सबों से विशिष्ट स्थान मिलता है। शांतिपर्व के एक हस्तलेख में पाए जाने वाले एक संदर्भ से भी यह चित्तवृत्ति लक्षित होती है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ब्रह्महृत्या करे तो या तो उसकी आंखें निकाल ली जाएं या उसे मार दिया जाए, किंतु यदि कोई ब्राह्मण ऐसा अपराध करे तो देश से निष्कासित कर दिया जाए।²⁵⁷ उसी हस्तलेख के एक

दूसरे संदर्भ में कहा गया है कि जो ब्राह्मण पापकर्म करने वाला हो और हत्यारा हो या विप्रों के बीच चोर हो, तथा जो क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र ब्राह्मण की हत्या का अपराधी हो उसकी आंखें निकाल ली जाएँ।²⁵⁸ इस प्रकार यहाँ दंड में वर्णभेद नहीं किया गया है।

प्रतीत होता है कि दंडविधान में वर्णभेद गुप्तकाल में कमजोर हो चला था। पश्चिम भारत के छठी शताब्दी के एक उत्कीर्ण लेख में मानहानि, हमला और हिंसा के लिए वर्णनुसार दंडों का उल्लेख नहीं है।²⁵⁹ फाहियान ने बताया है कि मध्य देश में हर अपराधी को उसके अपराध के गुरुत्व के अनुसार दंड दिया जाता था,²⁶⁰ जिससे ध्वनित होता है कि अपराधी को उसके वर्ण के अनुसार दंड नहीं दिया जाता था। हो सकता है कि दंडविधान में ब्राह्मणों के प्रति कुछ अनुग्रह किया जाता हो, किंतु जिस प्रकार पूर्वकाल में कठोर दंड केवल शूद्रों के लिए थे, वैसा इस काल में नहीं पाते हैं।

तारद ने इस पुराने मत को अपनाया है कि चोरी करने पर ब्राह्मण का अपराध सबसे अधिक और शूद्र का अपराध सबसे कम माना जाएगा।²⁶¹ यह शायद इस सिद्धांत पर आधारित है कि ब्राह्मण को धर्म के चारों चरणों (पूरी मात्रा) का पालन करना है, क्षत्रिय को तीन ($3/4$) का, वैश्य को दो चरणों का और शूद्र को एक चरण का। चारों वर्णों के प्रायशिच्त के लिए पाप का गुरुत्व या लघुत्व इसी सिद्धांत पर निर्धारित किया जाना चाहिए।²⁶² कात्यायन ने जो यह कहा है कि शूद्र के लिए जो दंड है, क्षत्रिय या ब्राह्मण को उसका दूना दंड मिलना चाहिए,²⁶³ उसका भी तात्पर्य चोरी से ही रहा होगा। यहाँ वैश्यों का उल्लेख न होना इस बात का सूचक है कि वे शूद्रों में समाविष्ट होते जा रहे थे। किंतु इन सबों से यह लक्षित होता है कि शूद्र स्वभावतया चोर समझे जाते थे, और इस अनुमान का समर्थन अमरकोश से भी होता है जहाँ चोरों और दस्युओं के पर्याय शूद्र वर्ग में गिनाए गए हैं।²⁶⁴

दस्युओं का उल्लेख शांतिपर्व में राजा के शत्रु और प्रजा की सुख शांति पर खतरा पहुंचाने वाले के रूप में वारंबार किया गया है।²⁶⁵ संभवतया इसका संकेत राज्य के बाहरी शत्रुओं की ओर है, न कि शूद्रों की ओर, क्योंकि कहा गया है कि यदि दस्युओं के उत्पात से वर्णों के मिश्रण की आशंका हो तो ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र सभी शस्त्रग्रहण कर सकते हैं।²⁶⁶ यह तर्क दिया गया है कि शूद्र हो या और कोई वर्ण, जो सेतुहीन धारा में सेतु का काम करे, पार होने के साधनांतर के अभाव में तरण का काम करे, वह अवश्य ही सर्वत्र पूजनीय है।²⁶⁷ जो व्यक्ति दस्युओं से असहायों की रक्षा करे वह स्वजनवत् सब के लिए आदरणीय है।²⁶⁸ धनुवेद संहिता²⁶⁹ में कहा गया है कि तीन ऊंचे वर्णों के लोग सामान्यतया शस्त्रग्रहण कर सकते हैं, किंतु शूद्र केवल आपतकाल में ही ऐसा कर सकता है।²⁷⁰

लेकिन उसमें आगे यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण धनुष का प्रयोग करें, क्षत्रिय तलवार का, वैश्य बरछे का और शूद्र गदा का।²⁷¹ इस प्रकार उपर्युक्त संदर्भों से सिद्ध होता है कि शूद्रों को शास्त्र ग्रहण करने का अधिकार दे दिया गया था। इससे शूद्रों की नागरिक प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूचना मिलती है, क्योंकि पूर्व काल के स्मृतिकारों ने उन्हें शास्त्र ग्रहण की अनुमति नहीं दी थी। यह नवीन परिवर्तन शूद्रों के कृषक वर्ग के रूप में परिणत होने के साथ साथ हुआ, और यह सिद्ध करता है कि वर्णव्यवस्था के अनुयायियों के हृदय में अब पहले की यह आशंका नहीं रही कि शूद्र उनके काबू से कहीं बाहर हो जाएंगे। मालूम होता है कि शूद्र सेना में भरती किए जाते थे। इस काल के एक नाटक में दो सैनिक पदाधिकारी क्रमशः नाई और चमार जाति के हैं।²⁷²

परंतु शूद्रों के प्रति किए गए इन अनुग्रहों के बावजूद इन वर्णों के बीच भीतरी संघर्ष का अंत न हुआ। शांतिपर्व में कम से कम नौ ऐसे श्लोक हैं जिनमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच मेलमिलाप की आवश्यकता पर जोर दिया गया है,²⁷³ जिससे शायद यह सूचित होता है कि वैश्य और शूद्र वर्ग संयुक्त रूप से विरोध के लिए सन्नद्ध थे। कहा गया है कि एक बार शूद्रों और वैश्यों ने जान बूझकर ब्राह्मणों की स्त्रियों का संग करना शुरू किया।²⁷⁴ कई ऐसे प्रसंग आए हैं, जिनसे ध्वनित होता है कि शूद्र विशेष रूप से वर्तमान समाजव्यवस्था के विरोधी थे। अनुशासनपर्व में कहा गया है कि शूद्र राजा के नाशक होते हैं, इसलिए चतुर राजा को इस खतरे के प्रति लापरवाह नहीं रहना चाहिए।²⁷⁵ अश्वमेधिक पर्व के एक लंबे परिच्छेद में जो अंशतः वसिष्ठ धर्मशास्त्र से उद्धृत है, शूद्रों को शत्रु, हिंसक, अहंकारी, क्रोधी, मिथ्याभाषी, परम लोभी, कृतघ्न, नास्तिक, आलसी और अपवित्र कहा गया है।²⁷⁶ इसी प्रकार, मनु की भाँति शांतिपर्व में कहा गया है कि वृषल (अर्थात् शूद्र) वह है जो धर्म (स्थापित समाज व्यवस्था) का विरोध करे।²⁷⁷ शूद्रों के विरोधी रूप का आभास नारद स्मृति के एक श्लोक में भी मिलता है। इसमें कहा गया है कि यदि राजा दंड का प्रयोग न करे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी अपना अपना कर्तव्य त्याग देंगे, किन्तु इसमें शूद्र तो सबसे आगे बढ़ जाएंगे।²⁷⁸ याज्ञवल्क्य ने कौटिल्य के इस वचन को दुहराया है कि यदि शूद्र दूसरों की आंखें निकालें,²⁷⁹ ब्राह्मण होने का पाखंड करे, और राजविरोधी कार्य करे तो उसे 800 पण जुर्माना किया जाए।²⁸⁰ नट, जुआरी, जुआधर चलाने वाले आदि शूद्र राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले माने जाते थे, क्योंकि वे भद्र नागरिकों (भद्रिका: प्रजा:) का अपकार करते थे।²⁸¹ शांतिपर्व में कहा गया है कि दासों और म्लेच्छों के साथ निषटने की जिम्मेदारी एक ही प्रकार के अधिकारी को दी जाए और चंडालों व म्लेच्छों के प्रति बलप्रयोग किया जाए।²⁸² इन बातों से ध्वनित होता है कि शूद्रों और शासक वर्गों के बीच पुराना संघर्ष किसी

न किसी रूप में बना रहा, पर इसकी पुरानी तीव्रता जाती रही, संभवतया इन कारणों से—शूद्र मन्त्रियों का रखा जाना, जिला प्रशासन के कार्यों में शिल्पसंघों के प्रधानों को सहयोजित करना, न्याय में वर्णमूलक भेद भाव में न्यूनता आना, और अंत में संकट की घड़ी में शूद्रों को हथियार उठाने का अधिकार मिलना।

चारों वर्णों की उत्पत्ति की पुरानी कहानी²⁸³ तो पूर्ववत् दुहराई जाती रही, किंतु वायु और ब्रह्मांड पुराणों में मनु के इस कथन का समर्थन किया गया है कि शूद्रों के मूल पुरुष वसिष्ठ थे,²⁸⁴ जिसका अर्थ हुआ कि उनकी सुधरी सामाजिक प्रतिष्ठा की मान्यता कायम रही।

सफेद, लाल, पीला और काला इन चार रंगों का संबंध जो क्रमशः ब्राह्मणादि चार वर्णों से जोड़ा गया है, वह वर्णों की सापेक्षिक सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक है।²⁸⁵ नटों अर्थात् अभिनेताओं का वर्णन करते हुए नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए लाल परिधान होना चाहिए,²⁸⁶ और वैश्य व शूद्र के लिए काला या श्याम।²⁸⁷ इस ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि प्रेक्षागूह में ब्राह्मणों का स्थान सूचित करने के लिए एक इवेत स्तंभ खड़ा किया जाए, क्षत्रियों का स्थान सूचित करने के लिए लाल स्तंभ, वैश्यों का स्थान सूचित करने के लिए पीला स्तंभ और शूद्रों का स्थान सूचित करने के लिए श्याम स्तंभ।²⁸⁸ ब्राह्मण स्तंभ के तल भाग में सोने के और कान के आभूषण डाले जाएं, क्षत्रिय स्तंभ के तल भाग में ताम्र के, वैश्यों के स्तंभ के तल भाग में चांदी के, और शूद्र स्तंभ के तल भाग में लोहे के।²⁸⁹ यह कल्पना प्लेटो की उस कल्पना से मिलती है जिसमें कहा गया है कि दार्शनिकों का निर्माण स्वर्ण से हुआ, सैनिकों का चांदी से, तथा कृषकों और शिल्पियों का पीतल और लोहे से।²⁹⁰

शूद्रों का ही उपनाम दास होना चाहिए,²⁹¹ इस नियम का अनुसरण शायद नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ, रविकीर्ति नामक ब्राह्मण के एक पूर्वज का नाम वराहदास था,²⁹² और चंद्रगुप्त द्वितीय के सामंत सनकानीकों के एक शासक का नाम महाराज विष्णुदास था।²⁹³ नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि नाटक में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के नाम अपने गोत्र और कर्म के सूचक, वणिकों के नाम उनकी उदारता के सूचक और सेवकों के नाम विभिन्न पुष्पों के सूचक होने चाहिए।²⁹⁴ मालूम नहीं कि शूद्रों का नाम फूल पर क्यों रखा जाता था।

कुशल पूछने में विभिन्न वर्णों के विषय में विभिन्न शब्द के प्रयोग का जो नियम था उस पर इस काल में जोर दिया गया नहीं जान पड़ता है। किंतु नाट्य-शास्त्र में कहा गया है कि दासी-दासों, शिल्पियों और यांत्रिकों के साथ बातचीत करने में उन्हें आज्ञावाचक शब्दों से संबोधित किया जाना चाहिए।²⁹⁵ इससे यह सूचित होता है कि निम्न जाति के लोग अनादरपूर्वक संबोधित किए जाते थे। मृच्छकटिक नाटक में अधम वर्ग के लोगों के संबोधन में 'दासी के बेटे', 'रखेल के

'बेटे', 'जार के बेटे' आदि गालियों का प्रयोग किया गया है।²⁰⁶

नाट्यशास्त्र में भी मंचस्थ नीच पात्रों का चित्रण करते हुए उनके लिए भिन्न प्रकार के पद संचार और अंग संचार का विधान किया गया है। इस विधान के अनुसार ऐसे पात्रों के शरीर का कोई भाग या माथा या हाथ अथवा पांव झुका रहना चाहिए और उनकी नजर विभिन्न वस्तुओं पर फिरती रहनी चाहिए।²⁰⁷ ऐसी भंगिमाओं से उनमें आत्मबल का अभाव ज्ञलकता है और यह सिद्ध होता है कि उन्हें अपने प्रभुओं के समक्ष सिर ऊपर उठाने की गुस्ताखी नहीं करने दी जाती थी।

याज्ञवल्क्य ने कहा है कि वयोवृद्ध शूद्रों का आदर करना चाहिए।²⁰⁸ पूर्व के स्मृतिकारों की भाँति इन्होंने इस बात पर जोर नहीं दिया है कि यदि वैश्य और शूद्र अतिथि होकर आएं तो उनसे काम कराया जाए और उन्हें भूत्यों के साथ खिलाया जाए। फिर भी इन्होंने यह विधान किया है कि अतिथियों का सत्कार और उनके भोजन उनके वर्ण के अनुरूप होने चाहिए।²⁰⁹ परंतु इन्होंने जो कहा है कि शाम के समय आए अतिथि को जाने नहीं दिया जाए और जो ही कुछ संभव हो उससे उनका सत्कार करना चाहिए,²¹⁰ वह किसी वर्ण विशेष तक ही सीमित नहीं है। वैश्वदेव अनुष्ठान के बाद चंडालों को खिलाने का जो नियम धर्मसूत्र में था वह इस युग में भी दुहराया गया है,²¹¹ और इसमें चंडाल के साथ दास, श्वपाक और भिखारी का भी उल्लेख है।²¹²

इस काल के ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि ब्राह्मण को शूद्र का अन्त नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे ब्रह्मवर्चस् (आध्यात्मिक बल) घटता है।²¹³ शांतिपर्व में बढ़ई, चर्मकार, धोबी और रजक का अन्त ब्राह्मण के लिए निषिद्ध बताया गया है।²¹⁴ याज्ञवल्क्य के अनुसार शूद्रों और पतितों का अन्त स्नातकों के लिए अग्राह्य है।²¹⁵ उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि स्नातक को रंगजीवी, वांस का काम करने वाले, स्वर्णकार, शस्त्रविक्रेता, शिल्पी, दर्जी, रंगरेज, कुत्तों से जीविका चलाने वाले, कसाई, धोबी या तेली का अन्त नहीं ग्रहण करना चाहिए।²¹⁶ कई शूद्रों के अन्त को क्षत्रिय के लिए भी अग्राह्य करने की परंपरा चली। कहा गया है कि जो शूद्र कुमारंगामी और सर्वभक्षी हों, उनका अन्त क्षत्रिय के लिए भी वर्जनीय है।²¹⁷ अनुशासनपर्व धोषित करता है कि जो शूद्र का अन्त खाता है, वह धरती का मल खाता है, शरीर का विकार पीता है और समस्त संसार के कलुष का भागी होता है।²¹⁸ शायद ऐसा इसलिए कहा गया है कि ब्राह्मण डर कर ऐसा करने से विरत रहे। जो ब्राह्मण शूद्र का अन्त ग्रहण करे या वैश्य और क्षत्रियों की पंगत में खाए उसके लिए प्रायशिच्चत का विधान किया गया है।²¹⁹

शूद्रान्त के वर्जन संबंधी नियम बहुत सीमित मात्रा में लागू होते हैं। वे या तो ब्राह्मणों पर लागू हैं या स्नातकों पर, जो अधिकतर ब्राह्मण होते होंगे।

ब्राह्मण को भी शूद्र के घर से दूध और दही लेने की अनुज्ञा है।³¹⁰ यदि ब्राह्मण द्विजों से अन्न प्राप्त कर अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हो तो वह शूद्र का अन्न भी ग्रहण कर सकता है।³¹¹ याज्ञवल्क्य ने मनु के इस नियम को दुहराया है कि शूद्रों के बीच स्नातक अपने चरवाहे का, परिवार के मित्र का, दास का, नाई का, बटाईदार का, और भरण पोषण के लिए शरणापन्न व्यक्ति का अन्न ग्रहण कर सकता है।³¹² वृहस्पति ने भी दासों और शूद्रों का अन्न ग्राह्य बताया है।³¹³

शूद्र का उच्छिष्ट खाना या छूना द्विज के लिए धोर कुकर्म समझा जाता था और इसके लिए समुचित प्रायशिच्त का विधान किया गया है।³¹⁴

कोई प्रमाण नहीं मिलता कि चंडालों और अन्य अछूतों को छोड़कर कुछ शूद्र जातियों का पानी पीना निषिद्ध था। मृच्छकटिक में कहा गया है कि ब्राह्मण और शूद्र एक ही कुएं से पानी भरते थे।³¹⁵

याज्ञवल्क्य ने कुछ वस्तुओं को द्विजों के लिए अखाद्य बताया है। द्विज को मद्य पीने की अनुज्ञा नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करने वाली ब्राह्मणी के लिए प्रायशिच्त का विधान है,³¹⁶ किंतु विज्ञानेश्वर के अनुसार यदि शूद्र की स्त्री मध्यपान करे तो उसके लिए कोई प्रायशिच्त नहीं है।³¹⁷ लगता है नशाखोरी की बुराई शूद्रों में खास तौर से थी, क्योंकि मध्यों, उनके निर्माण की प्रक्रियाओं और नशा के बाचक शब्द अमर ने शूद्रवर्ग में ही गिनाए हैं,³¹⁸ और जुआ संबंधी शब्द भी इसी वर्ग में परिगणित हैं।³¹⁹ पंचतन्त्र में एक मदमत जुलाहे का चित्रण है³²⁰ जो अपनी स्त्री को पीटता है। याज्ञवल्क्य ने ऐसी गाय के दूध को अखाद्य बताया है जो गरमाई हुई या दस दिन के भीतर ब्याई हुई हो या जिसका बछड़ा या बछिया मर गई हो; उन्होंने ऊंट, एक खुर वाली पशु, महिला, जंगली पशु, या भेड़ के दूध का भी निषेध किया है।³²¹ देवताओं के लिए अभिप्रेत वलि (उपहार), हव्य (यज्ञ के लिए बना खाद्य), अनुत्सृष्ट (देवताओं को न समर्पित) मांस, कवक (फकूद), मांसभक्षी पशु, तथा कई पक्षी, जैसे तोता, हंस, वक, चकवा इत्यादि द्विजों के लिए अखाद्य धोषित किए गए हैं,³²² और कुछ विषयों में इस नियम के उल्लंघन के पाप को दूर करने के लिए प्रायशिच्तों का भी विधान है।³²³ याज्ञवल्क्य ने यह भी कहा है कि पंचनखों (पांच पंजों वाले जानवरों) में साही, घड़ियाल, गोह, कछुआ और खरहा द्विजों के लिए अभक्ष्य हैं, उन्होंने चार प्रकार की मछलियां भी बताई हैं जो द्विजों के लिए भक्ष्य हैं।³²⁴ उन्होंने मूली, प्याज, लहसुन, घरेलू सूअर, कुकुरमुत्ता और गंदना (चम्मोकन) खाना भी वर्जित किया है और इसका उल्लंघन करने वालों के लिए चांद्रायण व्रत का प्रायशिच्त बताया है।³²⁵ फाहियान ने कहा है कि प्याज और लहसुन केवल चंडाल खाते थे।³²⁶ याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शूद्र को अखाद्य वस्तु खिलाए वह प्रथम कोटि के दंड के आधे दंड का पात्र होगा, और यह अपराध यदि उच्च वर्ण के लोगों के

'प्रति किया जाए तो दंड और अधिक होगा।'³²⁷ इससे ध्वनित होता है कि कुछ वस्तुएं शूद्रों के लिए भी अभक्ष्य थीं, किंतु इनका नामोल्लेख याज्ञवल्क्य ने नहीं किया है। दूसरी ओर यह तो स्वतः सिद्ध है कि द्विजों के लिए जो वस्तुएं अखाद्य बताई गई हैं, उन्हें शूद्र खा सकते थे। वृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि मध्य देश में कर्म-कर (मजदूर) और शिल्पी लोग गोमांस खाते थे,³²⁸ जिससे यह प्रकट होता है कि गोवध के विरुद्ध प्रबल ब्राह्मण भावना भी जनसाधारण में प्रचलित गोमांस भक्षण की पुरानी प्रथा को रोकने में सदा समर्थ न हुई। इसका अनुमान एक उपदेशात्मक कथा से भी लगाया जा सकता है, जो संभवतया आलोच्य काल में वायुपुराण में प्रक्षिप्त की गई है। कथा है कि एक बार मनु वैवस्वत के पुत्र पृष्ठध ने अपने गुरु की गाय का मांस खा लिया, और इस पर च्यवन ने शाप दिया कि तुम शूद्र हो जाओ।³²⁹ इस आख्यान से प्रकट होता है कि शूद्र की भोजन परिपाटी द्विजों की भोजन परिपाटी से कुछ भिन्न थी।

पारिवारिक जीवन के नियम शूद्रों के लिए भी वैसे ही हैं जैसे अन्य वर्ण के लोगों के लिए।³³⁰ किंतु शूद्रों में विवाह की अपनी खास परिपाटी पूर्ववत् बनी रही।³³¹ अनुशासनपर्व में कहा गया है कि द्विजों का विवाह मन्त्रपूर्वक पाणिग्रहण से संपन्न होता है किंतु शूद्रों का विवाह संभोग से।³³² एक जैन ग्रंथ में चर्चा आई है कि तोसली में एक स्वयंवर भवन में एक दासकन्या ने दासकुमारों की एक जमात से अपने पति का वरण किया।³³³ कई संदर्भों से ध्वनित होता है कि शूद्रों के बीच उच्च वर्णों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। याज्ञवल्क्य के एक श्लोक की व्याख्या करते हुए विश्वरूप ने यह मत व्यक्त किया है कि स्मृति ग्रंथों में जो नियोग का विधान है वह केवल शूद्रों के लिए है,³³⁴ और अपने इस मत के समर्थन में उसने वृद्ध मनु के दो श्लोक और वायुपुराण की एक गाथा उद्धृत की है।³³⁵ पति के दूर देश चले जाने पर विवाह विच्छेद करके दूसरा पति कर लेना शूद्र स्त्री के लिए अन्य वर्णों की स्त्री की अपेक्षा अधिक आसान था। ऐसी दशा में अनुशासनपर्व ने शूद्र स्त्री के लिए प्रतीक्षा की अवधि केवल एक वर्ष 'विहित' की है।³³⁶ परंतु वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए प्रतीक्षा की अवधि विहित करते हुए नारद ने कहा है कि विदेश गए शूद्र की स्त्री के लिए 'प्रतीक्षा' की कोई अवधि निर्धारित नहीं है।³³⁷ यह उपबंध जो दुहराया गया है कि गोपालक, तेली, सूँड़ी आदि की स्त्रियां अपने पति द्वारा किए गए ऋण की अदायगी के लिए उत्तरदायी होती हैं,³³⁸ उससे प्रकट होता है कि ये शूद्र स्त्रियां अपने जीवननिर्वाह के लिए हमेशा अपने मर्दों पर आश्रित नहीं रहती थीं।

विष्णु ने कहा है कि यदि युवती हो जाने के बाद भी कन्या विवाहित न हो तो वह पतित स्त्री समझी जानी चाहिए।³³⁹ टीकाकार नंदराज ने कहा है कि यह नियम केवल निम्न वर्णों की युवतियों के लिए है,³⁴⁰ किंतु मूल ग्रंथ में ऐसी कोई

बात नहीं है जिससे कि ऐसा माना जाए।

उच्च वर्णों के लोग निम्न वर्णों से कन्या ले सकते हैं यह मत इस काल के ग्रंथों में भी व्यक्त किया गया है।³⁴¹ किंतु यह भावना भी बनी रही कि अधम वर्ण अर्थात् शूद्र जाति की स्त्रियां केवल आनंद के लिए व्याही जाती हैं।³⁴² कामशास्त्र ने कुंभदासियों (पनहारिनों या वेश्याओं?) तथा धोबी और जुलाहे की स्त्रियों को वेश्याओं से भिन्न नहीं माना है।³⁴³ इस ग्रंथ के अनुसार शूद्र स्त्री के साथ संभोग करना मना तो नहीं है, लेकिन उसे बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता।³⁴⁴ वात्स्यायन ने अपने ही वर्ण में विवाह को प्रशंसनीय बताया है।³⁴⁵ इस काल के ग्रंथों में विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए शूद्रा से विवाह करना या उसके साथ संभोग करना या उससे पुत्र उत्पन्न करना परम निदनीय बताया गया है।³⁴⁶ परंतु इस नियम के उल्लंघन के कई उदाहरण मिलते हैं। मृच्छकटिक नाटक में चाहुड़त नामक ब्राह्मण ने वसन्तसेना नामक वेश्या से विवाह किया है, हालांकि यह विवाह राजा की विशेष अनुज्ञा से हुआ है।³⁴⁷ इसी नाटक में शर्विलक नामक ब्राह्मण का विवाह मदनिका नाम की दासी से कराया गया है।³⁴⁸ इस काल के साहित्य में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां क्षत्रियों ने शूद्रा से विवाह किया है।³⁴⁹

विभिन्न उच्च वर्णों के बीच आपस में विवाह की परिपाटी पूर्णतया समाप्त नहीं हो गई थी, यह बात वर्णसंकरों की उत्पत्ति के पुराने सिद्धांत के आवर्तन से ध्वनित होती है।³⁵⁰ अनुशासनपर्व में पंद्रह पुरानी संकर जातियां गिनाई गई हैं,³⁵¹ और चार नई जातियों का उल्लेख किया गया है—मंस, स्वादुकार क्षौद्र और सौंगध, जो मागधी माता और क्रमशः चार वर्णों के दुष्ट पिता से उत्पन्न बताए गए हैं।³⁵² इनमें एक मद्रनाभ जाति का भी उल्लेख है और कहा गया है कि ये लोग निषाद से उत्पन्न हैं और गधों की गाड़ी पर चढ़ते हैं।³⁵³ ब्रात्य का उल्लेख अपने कर्मों से च्युत द्विजों के रूप में नहीं किया गया है, बल्कि यह कहा गया है कि क्षत्रिय स्त्री और शूद्र पुरुष से उत्पन्न संतान ब्रात्य है,³⁵⁴ और उसे चंडालों की कोटि में रखा गया है।³⁵⁵ यह भी कहा गया है कि वैद्य का जन्म वैश्य माता और शूद्र पिता से हुआ है। पूर्व काल में चिकित्सकों की इज्जत कितनी कम थी इसका यह एक ज्वलंत उदाहरण है। अमरकोश में एक नवीन जाति माहिष का उल्लेख है जो वैश्य स्त्री (अर्या) से उत्पन्न क्षत्रिय की संतान बताया गया है।³⁵⁶ संभवतया वे महिषकों के समान थे जिन्हें द्रविड़, कर्लिंग, पुलिन्द, उशीनर, कोलिसर्प, शक, यवन और काम्बोज के साथ पतित शूद्र बताया गया है।³⁵⁷ यद्यपि वर्णों के मिश्रण से जातियों की उत्पत्ति की कहानी मनगढ़त है, तथापि इस काल में आकर इस अनुश्रुति ने सामाजिक विकास की दिशा को प्रभावित किया है, क्योंकि वर्तमान काल में भी असर्व विवाह के उदाहरण पूर्वी नेपाल में पाए जाते हैं।

इस काल के स्मृतिग्रंथों में शूद्रों और अछूतों के वीच पूर्ववत् अंतर रखा गया है। यथा, याज्ञवल्क्य ने कहा है कि चंडाल स्त्री के साथ संभोग करने से शूद्र चंडाल हो जाता है।³⁵⁸ शूद्रों और शवपाकों का पृथक रूप में उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है।³⁵⁹ किंतु अमरकोश में वर्णसंकरों और अस्पृश्यों को शूद्र जाति का ही अंग माना गया है। इस ग्रंथ के शूद्रवर्ग में दस संकर जातियाँ गिनाई गई हैं, जैसे, करण, अम्बष्ठ, उदग्र, (संभवतया उग्र), मागध, महिष, क्षत्रू, सूत, वैदेहक, रथकार और चंडाल।³⁶⁰ लेकिन वैदेहक (व्यापारी) का उल्लेख वैश्यवर्ग में भी किया गया है।³⁶¹

अमर ने चंडालों के दस नाम दिए हैं—उनमें प्लव, दिवाकीर्ति, जनंगम आदि कई जातियों का उल्लेख पूर्व काल के ग्रंथों में विरल है,³⁶² जिससे प्रकट होता है कि चंडाल जाति की जनसंख्या बढ़ी। इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चंडालों का उल्लेख पूर्व काल के ग्रीक लेखकोंने नहीं किया है जबकि इस ओर फाहियान का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ।³⁶³

डोम्ब, जिस जाति के लोग परवर्ती काल में उत्तर भारत में बहुत बड़ी तादाद में अछूत माने गए, संभवतया गुप्तकाल में जाति के रूप में आविर्भूत हुए; जैन स्रोत उन्हें उपेक्षित वर्ग का मानते हैं।³⁶⁴ शायद ये एक आदिवासी कबीले (जन) के लोग थे, जो ब्राह्मणीय समाज के निचले वर्गों में मिला लिए गए। किरात, शबर और पुलिद, ये वन जातियाँ म्लेच्छों के साथ साथ अमरकोश में शूद्र वर्ग में समाविष्ट की गई हैं,³⁶⁵ जिससे प्रकट होता है कि आदिवासी जनसमुदाय बड़ी संख्या में शूद्र समुदाय में लीन होते जा रहे थे।

प्रतीत होता है कि इस काल में न केवल अस्पृश्यों की संख्या में वृद्धि हुई बल्कि अस्पृश्यता की प्रथा भी कुछ दृढ़ हुई। वृहस्पति ने चंडालों के स्पर्श से होने वाली अपवित्रता (पाप) को दूर करने के लिए प्रायशिच्चत का विधान किया है।³⁶⁶ फाहियान ने बताया है कि जब कोई चंडाल किसी नगर या बाजार के भीतर प्रवेश करता था तो वह एक लकड़ी को पीटता चलता था ताकि लोग पहले ही समझ जाएं कि चंडाल आ रहा है और उसके स्पर्श से बचने की कोशिश करें।³⁶⁷ मार्कण्डेय पुराण में ऐसे व्यक्तियों के लिए भी प्रायशिच्चत कर्म का विधान है जिनकी नजर किसी अंत्यज या अंत्यावसायिन पर जाए।³⁶⁸ किंतु इस अस्पृश्यता नियम का पालन मुख्यतया चंडाल के विषय में किया जाता था। ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है कि डोम्ब अस्पृश्य माने जाते थे। इसी प्रकार इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि चर्मकार, जो परवर्ती काल में अछूत समझे जाने लगे, इस काल में भी वैसा माने जाते थे।

इन संकर जातियों और अछूतों की आजीविका के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। मनु का यह नियम कि इन जातियों की पहचान इनके

पेशों से की जाए, अनुशासनपर्व में भी दुहराया गया है।³⁷⁰ चंडालों का पेशा सङ्कों, गलियों की सफाई करना, शमशान का काम करना अपराधियों को फांसी पर लटकाना और रात में चोरों का अनुसंधान करना पूर्ववत् जारी रहा।³⁷¹ शिकार निम्नस्तरीय शूद्रों का एक प्रमुख पेशा था। बड़े कौतूहल की बात है कि अमरकोश में शूद्रवर्ग में न केवल बाजों और शिकारियों के पर्याय ही दिए गए हैं,³⁷² बल्कि साधारण कुत्ते, शिकार के लिए प्रशिक्षित कुत्ते, घरेलू सूअर और दाहिनी ओर घायल हिरण के भी पर्याय आए हैं।³⁷³ इसी वर्ग में चिड़ियों को फंसाने के फंदे, जाल, रस्सी और पिंजरे का भी उल्लेख किया गया है।³⁷⁴ फाहियान ने बताया है कि चंडाल लोग मछुवे और शिकारी होते थे तथा मांस बेचते थे।³⁷⁵ किंतु कालिदास ने चंडालों का उल्लेख बहेलियों और मछुओं से भिन्न रूप में किया है, हालांकि ये सभी एक ही वर्ग के हैं।³⁷⁶ इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में चंडाल मूलतया शिकारी नहीं होते थे, किंतु शिकार उनका एक गौण व्यवसाय रहा होगा। एक जैन ग्रंथ में बताया गया है कि मेद जन दिन रात तीर धनुष से शिकार करते रहते थे।³⁷⁷ यह भी पता चलता है कि श्वपाक कुत्तों का मांस पकाते थे और धनुष की तांत बेचते थे।³⁷⁸

इन वर्णसंकरों और खासकर चंडालों के रीति-रिवाजों और धार्मिक विश्वासों के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। ये संकर जातियां गांव के बाहर बसती थीं और इनमें लोहे के गहनों का प्रचलन था।³⁷⁹ एक चंडाल का वर्णन कुत्तों और गधों द्वारा उड़ाई गई धूलि से धूसरित रूप में किया गया है।³⁸⁰ फाहियान ने बताया है कि चंडाल ही मद्य पीते थे और लहसुन-प्याज खाते थे,³⁸¹ जिससे सूचित होता है कि वे खास तौर से इन वस्तुओं के व्यसनी होते थे। बहेलिया और शिकारी होने के कारण स्वभावतया वे मांसभक्षी होते थे।³⁸² एक बीदू ग्रंथ में कहा गया है कि जो मांस खाता है, वह पुनः पुनः चंडालों, पुक्कसों, और डोम्बों के कुल में जन्म लेता है।³⁸³ आगे पुनः कहा गया है कि जब कोई कुत्ता मांस खाने के इच्छुक पुरुषों को दूर से भी देखता है तो वह ऐसा सोचकर आतंकित हो उठता है कि 'ये मृत्यु-व्यापारी हैं, ये मुझे भी मार डालेंगे।'³⁸⁴

प्रतीत होता है कि लोगों के मनोरंजन के लिए गीत गाना संभवतया डोम्बों का महत्वपूर्ण पेशा था।³⁸⁵ वे गीत गा गाकर और डगरा, सूप आदि बेचकर अपनी जीविका चलाते थे।³⁸⁶ अमरकोश में शूद्रवर्ग में एक प्रकार की ग्राम्य वीणा, चंडालिका का उल्लेख है,³⁸⁷ जिससे सूचित होता है कि सार्वजनिक मनोरंजन में चंडालों का भी हाथ रहता था।

डोम्बों और मातांगों के अपने देवता होते थे जो यक्ष (जक्ख) कहलाते थे।³⁸⁸ मातांगों के जक्खों का पूजास्थल सद्यः मृत मनुष्यों की हड्डियों पर बनाया जाता

था।³⁸⁸ यह परिपाटी शायद इसलिए चली कि चंडाल प्रायः शमशानों से अनुबद्ध रहते थे।

अछूतों और खासकर चंडालों का वर्णन बड़े निच्छ रूप में किया गया है। कहा गया है कि अपविवता (अशुचि), असत्य, चोरी, नास्तिकता, निरर्थक कलह, काम, क्रोध और लोभ अंत्यावसायिनों के लक्षण हैं।³⁸⁹ चंडता (अर्थात् उग्रता) चंडालों के चरित्र की विशेषता है। मृच्छकटिक में चंडाल कहते हैं कि हम चंडाल कुल में उत्पन्न होकर भी चंडाल नहीं हैं, क्योंकि चंडाल और पापिष्ठ वे हैं जो निरपराध का गला काटते हैं।³⁹⁰ एक बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण, सत्य, सन्न्यास, दम (इंद्रिय निग्रह) और भूत दया से रहित हो तो वह चंडाल के तुल्य है।³⁹¹ ऐसे ही आशय से यह भी कहा गया है कि गायों और ब्राह्मणों की सेवा करने से अकूरता, दया, सत्यवादिता और क्षमा का आचरण करने से और अपनी जान लगाकर दूसरों की जान बचाने से अंत्यज भी सिद्धि पा सकते हैं।³⁹²

सर्वप्रथम शांतिपर्व में घोषणा की गई है कि चारों वर्णों को वेद मुनाना चाहिए,³⁹³ और शूद्र से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।³⁹⁴ यह विधान मनु के विधानों के नितांत विरुद्ध हैं जिन्होंने ऐसे मामलों में कठोर दंड बताया है। शांतिपर्व का यह उपदेश शूद्रों के वेद पढ़ने के अधिकार के विरुद्ध बद्धमूल धारणा के कारण अनसुना कर दिया गया होगा,³⁹⁵ परंतु इतिहास पुराण पढ़ने के द्वारा शूद्रों के लिए वस्तुतः खोल दिए गए। भागवतपुराण में कहा गया है कि स्त्रियों और शूद्रों के लिए महाभारत ही वेद है।³⁹⁶ यहां यह स्पष्ट नहीं कहा गया है कि शूद्र महाभारत पढ़ भी सकते थे या केवल सुन सकते थे। लेकिन पुराणों के विषय में भविष्यपुराण बताता है कि शूद्र इन्हें पढ़ नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं।³⁹⁷ सदुपदेश और मोक्ष के लिए सभी वर्गों के लोगों को पुराण और रामायण-महाभारत की कथा सुनाने की धार्मिक परिपाटी शायद गुप्तकाल से ही चली है।

विद्या की दूसरी शाखा है नाट्यशास्त्र जिसका द्वारा शूद्रों के लिए खुला हुआ था। यह पंचम वेद कहा गया है, जो चारों वेदों के सार से रचा गया है और जिसका उपयोग सभी जातियों के लोग कर सकते हैं।³⁹⁸ इतना ही नहीं, योग³⁹⁹ और सांख्य⁴⁰⁰ दर्शन भी, जो संभवतया गुप्तकाल में ही अपने चरम रूप में विकसित हुए थे, शूद्रों के लिए वर्जित नहीं थे।⁴⁰¹ यह तथ्य कि सांख्यदर्शन के अनुसार चार प्रमाणों में एक प्रमाण वेद भी है उस दर्शन की दृष्टि से असंगत नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि वह सभी जातियों के लिए सुलभ है। इसी तरह वैदिक उद्धरणों से भरे इतिहास (रामायण महाभारत) भी शूद्र समान रूप से सुन सकते हैं।⁴⁰²

गुप्तकाल में भी कई शिक्षित शूद्रों के उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। याज्ञवल्क्य के एक श्लोक से प्रकट होता है कि भूतकों के लिए भी अध्यापक होते थे।⁴⁰³ मृच्छकटिक में न्यायाधीश शकार को फटकारता है 'अरे तीच, तुम वेद की बात कर

रहे हो, और तब भी तुम्हारी जीभ नीचे न गिरी।¹⁰⁴ विद्वान् शूद्रों का अस्तित्व वज्रसूची से भी प्रमाणित होता है, जिसमें वेद, व्याकरण, मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, लग्न आदि शास्त्रों के ज्ञाता शूद्रों की चर्चा है।¹⁰⁵ यह संदर्भ बौद्ध धर्मविलंबियों के बारे में नहीं बल्कि शूद्रों के बारे में है, क्योंकि ब्राह्मणीय मुहावरे में बौद्धों को निदास्वरूप शूद्र कहा जाता था, बौद्धों के मुहावरे में नहीं। जायसवाल ने कहा है कि बौद्ध ग्रंथों में विद्वान् और संस्कृत बोलने वाले जिन शूद्रों की चर्चा है, वे शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मणों के पुत्र थे।¹⁰⁶ यह संभव तो है, किंतु हो सकता है कि शूद्रों के कुछ उन्नत वर्गों ने शिक्षा प्राप्त की हो और अपने बंधु वर्गों के उत्थान के लिए काम किया हो।

फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि उच्च वर्णों की तुलना में शूद्रों का सांस्कृतिक स्तर नीचे था। उदाहरणार्थ, नाटकों में स्त्रियां और निम्न जाति के पात्र गंवारों की भाषा प्राकृत बोलते थे, जबकि उच्च वर्गों के पात्र शिक्षितों की परिष्कृत भाषा संस्कृत बोलते थे।¹⁰⁷ लेकिन नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि रानियां, वेश्याएं और कलाकार महिलाएं परिस्थिति के अनुसार संस्कृत बोल सकती हैं।¹⁰⁸ कभी कभी प्राकृत की विभिन्न बोलियों के प्रयोग में भी जातीय स्तर का विचार किया जाता था, नाटकों में ऊंची हैसियत के पात्र सौरसेनी बोलते थे और नीच पात्र मागधी प्राकृत।¹⁰⁹ नाट्यशास्त्र में चंडालों, पुलकसों आदि विभिन्न जातियों और पेशों के पात्रों के लिए विभिन्न स्थानीय बोलियां (विभाषाएं) विहित की गई हैं।¹¹⁰ इन सबों से पता चलता है कि निम्न वर्ग के लोगों को लिखने-पढ़ने की शिक्षा नहीं दी जाती थी जिससे वे परिमार्जित भाषा संस्कृत बोल सकें।

कहा जाता है कि धनुर्वेद के छात्र के रूप में शूद्र का वैदिक मन्त्रपूर्वक उपनयन संस्कार होता था,¹¹¹ किंतु धनुर्वेद संहिता में इस संस्कार की चर्चा नहीं है। कारी-गर के रूप में शूद्रों को व्यावसायिक और शिल्पिक प्रशिक्षण अपने परिवार में ही या किन्हीं बाहरी विशेषज्ञों से मिलता रहा होगा, किंतु इस प्रशिक्षण में लिखने-पढ़ने का कोई स्थान नहीं था। फिर भी इतना स्पष्ट है कि गुप्तकाल के ग्रंथों में शूद्रों के विषय में न केवल उदार दृष्टिकोण ही आया है, बल्कि कुछ शिक्षित शूद्रों के अस्तित्व का प्रमाण भी मिलता है।

शूद्रों को धर्म-कर्म का अधिकार नहीं है, यह पुरानी मान्यता इस काल में भी दुहराई गई है।¹¹² इसमें यह तर्क दिया गया है कि ऊपर के तीन वर्णों की सेवा ही शूद्रों के लिए यज्ञ कर्म है।¹¹³ इसी दृष्टि से नारद ने कहा है कि अभिषेक जल नास्तिकों, व्रात्यों और दासों को न दिया जाए।¹¹⁴ परंतु विष्णु ने कहा है कि कुछ परिस्थितियों में शूद्र को अभिषेक द्वारा दिव्य करना पड़ता है।¹¹⁵ शूद्रों की धार्मिक हैसियत में परिवर्तन के अन्य आभास भी मिलते हैं। मार्कण्डेय पुराण-

ने दान देना और यज्ञ करना शूद्र का कर्तव्य बताया है।⁴¹⁶ इसमें संदेह नहीं कि शूद्रों को पंच महायज्ञ करने की छूट दी गई है।⁴¹⁷ मनु ने तो स्पष्टतया ऐसा नहीं कहा है, किंतु याज्ञवल्क्य ने साफ कर दिया है कि शूद्र (ओंकार के बदले) नमः का प्रयोग करते हुए पंच महायज्ञ कर सकते हैं।⁴¹⁸ हार्पर्किस का यह कथन सही है कि यह वचन शूद्र के लिए नहीं है,⁴¹⁹ क्योंकि इस बात की अन्य स्रोतों से भी पुष्टि होती है।⁴²⁰ मनु ने यज्ञ दीक्षा को द्विज का एक जन्म माना है,⁴²¹ किंतु याज्ञवल्क्य के समानांतर श्लोक में द्विजों के इस विशेषाधिकार का उल्लेख नहीं है।⁴²² यह याज्ञवल्क्य की उदार मनोवृत्ति के अनुरूप ही है, जो शूद्रों को यज्ञ करने की अनुमति देते हैं। शांतिपर्व में मुक्त कंठ से कहा गया है कि त्यी (वेदों) के अनुसार स्वाहाकार और नमस्कार मन्त्र शूद्र के लिए विहित है और वह औपचारिक रूप से दीक्षित होकर प्रथम दो मन्त्रों से पाकयज्ञ कर सकता है।⁴²³ इस सुधार के समर्थन में शूद्र पैजवन ने एक पाकयज्ञ किया और एक दिन में पूरा होने वाले एंद्राग्नि नामक यज्ञ के नियमानुसार उसने सौ हजार पूर्णपात्र (चावल से भरे कलश) दक्षिणा स्वरूप दिए।⁴²⁴ यह हमें आधुनिक युग के सामाजिक सुधारों की उस परिपाटी की याद दिलाता है जिसमें विधवा विवाह, तलाक आदि के समर्थन में इसी तरह के प्राचीन उदाहरण ढूँढ़ निकाले गए। शूद्रों के लिए गृह्ण्य यज्ञ की छूट देते हुए शांतिपर्व ने यह महत्वपूर्ण बात कही है कि सभी वर्णों को यज्ञ करने का अधिकार है, वर्षते कि उनमें श्रद्धा हो।⁴²⁵

शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार दिए जाने के एक महत्वपूर्ण उपांग के रूप में उन्हें व्रतानुष्ठान का भी अधिकार दिया गया। याज्ञवल्क्य ने चांद्रायण व्रत शूद्रों के लिए विहित किया है, जो स्पष्टतया इनके द्वारा प्रयुक्त अवकृष्ट शब्द के अर्थ के अंतर्गत है।⁴²⁶ यह वचन प्रक्षिप्त माना जाता है,⁴²⁷ किंतु यह याज्ञवल्क्य की उदार मनोवृत्ति के अनुरूप ही है और इसी तरह का वचन वृहस्पति स्मृति में भी आया है जिसमें ब्राह्मण के यज्ञोपवीत को तोड़ने के अपराधी शूद्र के लिए प्राजपत्य व्रत का प्रायिक्ति बताया गया है।⁴²⁸

वृहस्पति स्मृति में शूद्रों के लिए कर्णवेद्यन⁴²⁹ और चूड़ाकरण⁴³⁰ संस्कार विहित हैं। इनमें प्रथम का उल्लेख गृह्णसूत्रों में नहीं है, किंतु द्वितीय का विधान इनमें किया गया है।⁴³¹ मनु ने इसे केवल द्विजों के लिए विहित किया था,⁴³² जिसका विस्तार अब शूद्रों तक हो चला था।

कई ग्रंथों में संन्यास आश्रम शूद्रों के लिए वर्जित है। कालिदास ने रामायण में किए गए शूद्र तपस्वी शंखक के निदन को दुहराया है।⁴³³ राम ने जो शंखक को प्राणदंड दिया, इसकी उन्होंने प्रशंसा की है और बताया है कि इस मृत्युदंड के परिणामस्वरूप उसने जो पुण्यात्माओं का पद प्राप्त किया उसे वह अपनी उग्र तपस्या से नहीं पा सकता था, क्योंकि तपस्या तो वह अपने वर्णधर्म के:

विरुद्ध कर रहा था।¹⁸⁴ किंतु आश्रमों के साथ वर्णों के संबंध के विषय में शांतिपर्व की मनोवृत्ति कुछ भिन्न है। इसके अनुसार ब्राह्मण के लिए चारों आश्रम अनिवार्य हैं, किंतु अन्य वर्णों के लिए नहीं;¹⁸⁵ अन्य तीन वर्णों के लिए सन्यास आश्रम वर्जित है।¹⁸⁶ इसका अर्थ हुआ कि शूद्र यदि चाहे तो प्रथम तीन आश्रमों में प्रवेश कर सकता है, और चतुर्थ का द्वारा न केवल शूद्र के लिए अपितु वैश्य और क्षत्रिय के लिए भी बंद है। किंतु कात्यायन ने कहा है कि यदि शूद्र सन्यासी सन्यासाश्रम का परित्याग करे तो वह राजा द्वारा दंडनीय है।¹⁸⁷ याज्ञवल्क्य ने देवों और पितरों के निमित्त शूद्र सन्यासी को खिलाना वर्जित किया है।¹⁸⁸ इसका तात्पर्य या तो जैन या बौद्ध भिन्नओं से हो सकता है या शूद्र वर्ण के संन्यासियों से।

शूद्रों की धार्मिक प्रतिष्ठाएँ में सुधार का बड़ा संकेत मिलता है सूर्तिस्थापन संबंधी नियमों में। सूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त वस्तुओं की गिनती कराते हुए एक वैष्णव ग्रंथ में कहा गया है कि सभी जातियों के लोग सूर्ति बना सकते हैं।¹⁸⁹ इससे प्रकट होता है कि शूद्र भी सूर्तियां बनाकर उन्हें पूज सकते थे और इनकी सूर्तियां भी उसी वस्तु की होती थीं जिसकी अन्य वर्णों के लोगों की। लेकिन इस काल के एक अन्य ग्रंथ में सूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त लकड़ी चुनने में वर्णमूलक विभेद विहित किया गया है, और तदनुसार चार वर्णों के लिए क्रमशः चार प्रकार की लकड़ी बताई गई है।¹⁹⁰ एक गुप्तोत्तरकालीन वैष्णव उपपुराण में इसी तरह का नियम आया है जिसमें कहा है कि मंदिर और सूर्ति बनाने में श्वेत काष्ठ ब्राह्मणों के लिए शुभ है, लाल क्षत्रियों के लिए, पीला वैश्यों के लिए, और काला शूद्रों के लिए।¹⁹¹ सूर्ति बनाने में इसी ग्रंथ में चारों वर्णों के लिए क्रमशः इन्हीं चार वर्णों के पत्थर विहित किए गए हैं।¹⁹² लकड़ी और पत्थर के चुनाव में वर्ण-विभेद के रहते हुए भी, प्रतिमाविज्ञान विषयक ग्रंथों के अवलोकन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि शूद्र भी सूर्ति बना सकते थे और उसकी पूजा कर सकते थे।

कहा गया है कि शूद्र की अर्थी में ब्राह्मण शामिल नहीं हो सकता है; यदि वह ऐसा करेगा तो वह स्नान करके आग को छूकर और धी पीकर शूद्र होगा।¹⁹³ वह पुराना नियम जिसमें शूद्र के मरने पर उसके परिवार के लोगों के लिए अशौच की सबसे लंबी अवधि बताई गई है, इस काल के कई ग्रंथों में भी पूर्ववत् बना रहा।¹⁹⁴ लेकिन इस विषय में याज्ञवल्क्य ने सामान्य शूद्रों के लिए एक मास तक और धार्मिक (न्यायवर्ती) शूद्रों के लिए 15 दिन तक अशौच बताया है, और इस प्रकार धार्मिक शूद्र को वैश्य का दर्जा दिया है।¹⁹⁵ व्रतों के अनुष्ठान में भी वैश्य और शूद्र समान कोटि में रखे गए हैं। कहा गया है कि वैश्य और शूद्र केवल एक रात के लिए व्रत करें।¹⁹⁶ यदि सूर्खतावश वे द्विरात्र या त्रिरात्र व्रत करें तो उससे उनका अभ्युदय न होगा।¹⁹⁷ फिर भी विशेष अवसरों पर वे दो रातों तक

व्रत कर सकते हैं।⁴⁴⁸ लेकिन कभी कभी इस बात पर भी जोर दिया गया है कि उपवास व्रत के बल ब्राह्मण और क्षत्रिय कर सकते हैं।⁴⁴⁹

वृहस्पति ने कहा है कि मरे बच्चे का जन्म (जन्म हानि) होने पर ब्राह्मण दस दिनों में शुद्ध होता है, क्षत्रिय सात दिनों में, वैश्य पांच दिनों में और शूद्र तीन दिनों में।⁴⁵⁰

कमन्तुष्ठानों के अवसर के संदर्भ में महिलाओं और शूद्रों की अपवित्रता का विधान इस काल के ग्रंथों में भी सुरक्षित है।⁴⁵¹ कई दशाओं में शूद्रों और पतितों (अंत्यजों) को जो कुत्ते के समान अपवित्र माने जाते थे, देखने पर प्रायश्चित्त विहित किया गया है।⁴⁵² यह भी विधान है कि यदि क्षत्रिय ब्रह्मचारी को वैश्य या शूद्र स्पर्श करे और वैश्य ब्रह्मचारी को शूद्र, तो उसे प्रायश्चित्त करना होगा।⁴⁵³

गृह्यसूत्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म शूद्रों के लिए विहित नहीं है,⁴⁵⁴ किंतु इस काल के ग्रंथों में यह कर्म शूद्रों के लिए भी स्पष्टतया विहित किया गया है।⁴⁵⁵ शूद्र साधारण श्राद्ध तो कर ही सकता है,⁴⁵⁶ असाधारण (वृद्धि) श्राद्ध भी कर सकता है, जिसमें पुत्रप्राप्ति आदि के विशेष अवसर पर पितरों की अर्चना की जाती है।⁴⁵⁷ यह भी बताया गया है कि मरने पर कमन्तुष्ठान करने वाले ब्राह्मण को प्राजापत्य लोक मिलता है, रण से न भागने वाले क्षत्रिय को ऐंट्रोलोक मिलता है, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले वैश्यों को मारुतलोक मिलता है, और भूत्य कर्म में रत शूद्रों को गांधर्वलोक मिलता है।⁴⁵⁸

शूद्र अपने पितरों को, जो पुराणों में सुकालिन संज्ञा से अभिहित हैं⁴⁵⁹ और काले रंग में बताए गए हैं,⁴⁶⁰ जलांजलि और अन्य उपहार चढ़ा सकते थे। किंतु जहाँ क्षत्रियों की संतान के रूप में वर्णित द्विजों के प्रवर होते थे, वहाँ शूद्रों के प्रवर नहीं होते थे।⁴⁶¹

इस काल की उल्लेखनीय धार्मिक घटना है शूद्रों के दान देने के अधिकार पर जोर।⁴⁶² दान शूद्रों के लिए सर्वोत्तम साधन माना गया है, इसके द्वारा वह सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है।⁴⁶³ जो शूद्र सत्य और ईमानदारी पर चलता है, मन्त्र और ब्राह्मण का आदर करता है और दान देता है, वह स्वर्ग जाता है और अगले जन्म में ब्राह्मण होता है।⁴⁶⁴ वैश्याओं के लिए विहित अनंगदान नामक विशेष व्रत में यह विधान किया गया है कि वैश्या से, जो सामान्यतया शूद्र जाति की मानी जाती थी, गोदान लेते समय ब्राह्मण वैदिक मन्त्र पढ़े।⁴⁶⁵ आगे हम यह भी पाते हैं कि लीलावती नामक शंख वैश्या और एक शूद्र सुनार ने दान दिए जिसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद वैश्या को शिव लोक (शिव मंदिर) मिला और सुनार मूर्ति नामक सम्राट् हुआ।⁴⁶⁶ ईस्वी सन की पांचवीं शताब्दी के एक बौद्ध टीका ग्रंथ में ऐसे कम से कम एक दर्जन उदाहरण आए हैं जहाँ निम्न वर्णों के

लोगों ने बुद्ध, भिक्षुओं, या संघ को दान देने के फलस्वरूप स्वर्ग का आनंद और बौद्ध 'विमानों' का सुख भोग प्राप्त किया।¹⁶⁷ इस प्रकार दान का सिद्धांत बौद्ध और ब्राह्मणीय दोनों धर्मों में एक समान था।

ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह सिद्ध हो कि याज्ञवल्क्य स्मृति से पहले दान धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जोरदार प्रचार किया गया।¹⁶⁸ वृहस्पति स्मृति की रचना के बाद तो दान द्वारा मोक्षप्राप्ति का सिद्धांत पराकाष्ठा पर पहुंच गया।¹⁶⁹ दान की यह महिमा जो शूद्रों के संबंध में ही उदात्त स्वर में गाई गई है, यह सिद्ध करती है कि शूद्र वर्ग दान देने की स्थिति में था और यह स्थिति उसकी आर्थिक अवस्था में हुए परिवर्तन के अनुरूप ही है।

यज्ञ, व्रत, श्राद्ध, तथा अन्य कर्मों का अनुष्ठान जो शूद्रों के लिए विहित किया गया है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन कर्मों में वे ब्राह्मणों को नियोजित करते होंगे, जो इन अवसरों पर किया गया दान ग्रहण करते होंगे।¹⁷⁰ शूद्रों द्वारा किए जाने वाले इन कर्मों में पुरोहित का काम करने वाले ब्राह्मणों (शूद्र याजकों) की जो बार बार निंदा की गई है,¹⁷¹ उससे इन पुरोहितों के विरुद्ध परंपरागत पूर्वग्रह तो प्रकट होता ही है, साथ ही यह भी ध्वनित होता है कि इन कर्मों में ब्राह्मणों को नियोजित करने की प्रथा अधिकाधिक प्रचलित होती जाती थी। मनु ने जिस तरह शूद्र पुरोहितों (ऋत्विजों) की निंदा की है,¹⁷² वैसा याज्ञवल्क्य ने नहीं किया है। वज्रसूची में दृढ़तापूर्वक कहा गया है कि ब्राह्मण कैवर्ती, रजकों, और चंडालों के परिवार में भी मिलेंगे, जिनके बीच चूड़ाकरण, मुंज, दंड और काष्ठ आदि संस्कार किए जाते हैं।¹⁷³ इससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मण निम्नतम कोटि के शूद्रों के यहां भी याजक होते थे। वज्रसूची में यह भी कहा गया है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यज्ञ करते और कराते हुए अध्ययन और अध्यापन करते हुए तथा दान लेते हुए देखे जाते हैं।¹⁷⁴ यदि यह परिवर्तन वस्तुतया हुआ हो तो इससे प्रकट होता है कि याजन (पौरोहित्य) कर्म पर ब्राह्मणों का जो एकाधिकार था उसके विरुद्ध कुछ वर्गों के लोगों में चेतना जग गई थी। इस तरह के कई आंदोलन हाल में भी हुए हैं।

इधर बौद्ध धर्म के महारथी जन्ममूलक वर्णभेद का खंडन करते रहे,¹⁷⁵ और उधर कई सुधारवादी विचारधाराओं, विशेषकर वैष्णव संप्रदाय का उदय हुआ, जिससे बहुत हद तक शूद्रों को धार्मिक समता प्राप्त हुई। वैष्णव धर्म गुप्तकाल में विकास की चोटी पर पहुंच गया था, जब न केवल उत्तर भारत में अपितु दक्षिण और पश्चिम भारत के कई भागों में इस संप्रदाय के अद्वितीय प्रभाव को प्रमाणित करने वाले पुरालैखिक, मुद्रात्मक और मूर्ति संबंधी अभिलेख भारी संख्या में मिलते हैं।¹⁷⁶ महाभारत और पुराणों में इस संप्रदाय के जो सिद्धांत प्रतिपादित हैं, उनसे प्रकट होता है कि ब्राह्मण धर्म की प्राचीन कट्टरपंथी परंपरा की भाँति इस वैष्णव संप्रदाय ने शूद्रों और अस्पृश्यों के लिए अपना द्वार बंद नहीं रखा, बल्कि उन्हें भी

ईश्वर को जानने और मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार दिया।⁴⁷⁷ वैष्णव ग्रंथों में इस बात पर हमेशा जोर डाला जाता रहा कि कृष्ण, नारायण या वासुदेव की भक्ति के द्वारा स्त्रियां और शूद्र भी मुक्ति पा सकते हैं।⁴⁷⁸ भगवान को यह धोषित करते हुए चिह्नित किया गया है कि ब्राह्मण से लेकर शवपाक तक सभी मेरी भक्ति से पवित्र हो जाते हैं।⁴⁷⁹ श्रद्धालु और भक्त शवपाक भी मुझे उस ब्राह्मण से अधिक प्रिय हैं जो अन्य गुणों से समन्वित रहने पर भी भगवान का भक्त नहीं है।⁴⁸⁰ यदि अंत्यज एक बार भी ईश्वर का नाम लेता है तो वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है।⁴⁸¹ यह कहा गया है कि 'वेदज्ञ ब्राह्मण पुण्यवान शूद्र को विश्व के दीप्तिमान देव विष्णु जैसा ही मानते हैं और संसार में सर्वोत्तम भी मानते हैं।⁴⁸² जो व्यक्ति विष्णु भक्त शूद्र का अपमान करता है, वह करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है।⁴⁸³ इसलिए ज्ञानवान व्यक्ति को विष्णुभक्त चंडाल का भी अपमान नहीं करना चाहिए।⁴⁸⁴ विष्णुभक्ति के द्वारा राजन्य विजय पाते हैं, ब्राह्मण विद्या पाते हैं, वैश्य धन पाते हैं और शूद्र आनंद पाते हैं।⁴⁸⁵

इसी प्रकार का मंत्रव्य चारों वर्णों के ऐसे लोगों के लिए अभिव्यक्ति किया गया है जो महादेव की कृच्छाओं का पाठ करते हैं।⁴⁸⁶ जो वैश्य, स्त्रियां और शूद्र ब्राह्मण के मुंह से दक्ष-शिव युद्ध की कथा सुनते हैं, वे रुद्रलोक में स्थान पाते हैं।⁴⁸⁷ द्विजों की भाँति शिवभक्त शूद्र भी गणपति की कोटि में पहुंच सकता है, बशर्ते कि वह मद्यपायी न हो।⁴⁸⁸ इस प्रकार यह प्रकट होता है कि शैव संप्रदाय का द्वार भी शूद्रों के लिए समान रूप से खुला था।

तंत्र में भी, जो वैष्णव और शैव दोनों संप्रदायों से संबद्ध है, धर्म के विषय में वर्णभेद नहीं माना गया है। ई० सन की पांचवीं शताब्दी के एक तंत्रग्रन्थ जयाख्य संहिता⁴⁸⁹ में कहा गया है कि चारों वर्णों के लोग ब्राह्मण से तांत्रिक दीक्षा ले सकते हैं।⁴⁹⁰ यदि ब्राह्मण न मिले तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के योग्य व्यक्ति अपने अपने वर्ण के लोगों के लिए और अपने से निम्न वर्ण के लोगों के लिए गुरु का काम कर सकते हैं।⁴⁹¹

गुप्तकाल में शासक वर्ग के बहुत से लोग वैष्णव और कुछ लोग शैव थे। किंतु निचले वर्णों में इन संप्रदायों का कैसा प्रभाव था, यह जानने का साधन हमारे पास नहीं के बराबर है। कहा गया है वैशाली में शिल्पियों का वर्ग वैष्णव धर्म से बहुत प्रभावित था, क्योंकि दो शिल्पियों (कुलिकों) के नाम हरि पाए गए हैं।⁴⁹² यह स्थिति अन्य स्थानों पर भी रही होगी।

सुधारवादी संप्रदायों के प्रभाव के फलस्वरूप इस काल के धार्मिक ग्रंथों का आग्रह कर्मकांडों और संस्कारों से हटकर सदाचार पर आ गया, जो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का नियामक है। कहा गया है कि न अग्निहोत्र सार्थक है, न वेद का ज्ञान,⁴⁹³ क्योंकि श्रुति के अनुसार देवता केवल सदाचार से संतुष्ट होते हैं।

जो ब्राह्मण शीलवान् नहीं है, वह शूद्रवत माना जाए,⁴⁰⁴ और उसका आदर नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि शूद्र भी धर्मात्मा हो तो वह आदरणीय है।⁴⁰⁵ जो शूद्र शुद्ध हृदय वाला और मन वश में रखने वाला है वह न केवल (यज्ञोपवीत संस्कार के बिना ही) द्विज हो सकता है, बल्कि वह द्विजों की भाँति पूजनीय भी हो जाता है,⁴⁰⁶ क्योंकि न कोई जन्म से संस्कृत होता है, न संस्कार से, न विद्या से, और न संतति से, अपितु केवल शील से होता है।⁴⁰⁷ महाभारत और पुराणों के उपदेशात्मक भागों में वार बार कहा गया है कि आचारवान् शूद्र अगले जन्म में ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है,⁴⁰⁸ और यह बात वज्रसूची में भी दुहराई गई है।⁴⁰⁹

उपर्युक्त मत के समर्थन में समुचित उपाख्यान उद्घृत किए गए हैं। वनपर्व में एक कहानी आई है कि कौशिक को एक धर्मज्ञ व्याध ने विभिन्न वर्णों के धर्म और आचार सिखाए।⁵⁰⁰ मिथिला के धर्मव्याध ने दावा किया है कि वह गुरुजनों और बड़ों की सेवा करता रहा, सदा सत्य बोला, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की, विभवानुसार दान करता रहा तथा देवों, अतिथियों और आश्रितों के परित्योषण के बाद बनी वस्तुओं से जीवननिवाहि करता रहा। उसने न किसी की निंदा की और न किसी से धृणा।⁵⁰¹ ऐसा मत व्यक्त किया गया है कि यह कहानी बौद्ध संप्रदाय की है,⁵⁰² किंतु धर्मव्याध ने जो प्रतिपादन किया है उसका तत्त्व वैष्णव सिद्धांतों के अनुकूल ही है और उसे बौद्ध से प्रभावित मानना आवश्यक नहीं जंचता है। वज्र-सूची में जो बौद्धों ने यह तर्क दिया है कि व्यास, कौशिक, विश्वामित्र और वसिष्ठ सभी जन्मतः अधम होते हुए भी इहलोक में अचला आचरण करने के कारण ब्राह्मण माने गए,⁵⁰³ वह भी स्पष्टतया पुराणों में वर्णित पुरानी परिपाटी से निकला प्रतीत होता है।

परंतु सुधारवादी संप्रदायों को अधिक महत्व देना ठीक न होगा। शासक वर्गों ने वैष्णव धर्म का उपयोग वर्णभेदमूलक समाज व्यवस्था के मूलाधार को बनाए रखने के लिए ही किया था। वैश्य, स्त्रियां और शूद्र जन्मतः अधम माने जाते थे।⁵⁰⁴ कहा गया है कि द्विजों की सेवा करना और विष्णु की भक्ति करना, इन दोनों के सिवा शूद्र के उद्धार का कोई अन्य उपाय नहीं है।⁵⁰⁵ यह धारणा बहुत हद तक कर्मवाद के सिद्धांत का ही अंग है और इस सामान्य विश्वास पर आधारित है कि जिस वर्ण में जो उत्पन्न हुआ है उसके लिए उसी वर्ण के कर्तव्यों का पालन अनिवार्य है। जान पड़ता है कि ब्राह्मणवादी आदर्श ने निम्न वर्णों के लोगों के बीच भी इस मत में आस्था उत्पन्न कर दी थी।⁵⁰⁶ मृच्छकटिक में एक गाड़ीवान् वसंतसेना को मार डालने का अपने मालिक का हुक्म मानना इसलिए अस्वीकार करता है कि भाग्य ने और पापकर्मोंने मुझे जन्म से दास बना डाला है, मैं पुनः उसी दुर्गति में पड़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं यह पापकर्म करने से

इंकार करता हूँ।⁵⁰⁷ निम्नवर्गों के लोगों में जो ऐसा विश्वास था, इससे अधिकांश लोगों के मन में यह जिज्ञासा कभी न उठ सकी कि उनकी दुरवस्था के मानवकृत कारण क्या हैं।

लेकिन इसमें संदेह नहीं कि गुप्तकाल में शूद्रों के धार्मिक अधिकारों में वृद्धि हुई और कई कर्माणुष्ठानों के विषय में उन्हें तीनों उच्च वर्णों की समकक्षता मिली। ऐसा मत व्यक्त किया गया है कि शूद्रों के आध्यात्मिक उत्थान के पीछे ब्राह्मणों का स्वार्थ काम कर रहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग ब्राह्मणीय कर्मों का अनुष्ठान करें।⁵⁰⁸ किंतु पूर्वकाल में भी तो ब्राह्मणों का ऐसा स्वार्थ रहा होगा, जबकि ऐसी प्रवृत्ति का आभास बहुत कम मिलता है। वास्तव में शूद्रों के धार्मिक अधिकारों में वृद्धि उनकी भौतिक स्थिति में परिवर्तन के कारण हुई। इसकी बदौलत वे पुरोहितों को समुचित दक्षिणा देकर संस्कार और यज्ञ कराने में समर्थ हुए, क्योंकि यज्ञ कराने की योग्यता व्ययवहन क्षमता के साथ निकटतः संबद्ध मानी जाती थी, जो स्वाभाविक ही है।⁵⁰⁹ मोटे तौर पर कह सकते हैं कि गुप्तकाल में शूद्रों की धार्मिक प्रतिष्ठा में जो सुधार हुआ, उसकी तुलना हम मिथ्र के मिड्ल किंगडम के आरंभ में हुए घटनाक्रमों से कर सकते हैं, जब केवल फेरो और सामंतों में प्रचलित कई अंतिम संस्कार संबंधी कर्म साधारण जनों में भी प्रचलित हुए।⁵¹⁰ इसके साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ था,⁵¹¹ जो बात गुप्तकाल में शूद्रों की स्थिति के विषय में भी सही प्रतीत होती है।

गुप्तकाल में शूद्रों की हैसियत में कई भारी परिवर्तन हुए। यही नहीं कि मजदूरों, कारीगरों और भारवाहकों की मजदूरी की दरें बढ़ीं, बल्कि दास और मजदूर लोग धीरे धीरे बटाईदार और किसान होते जा रहे थे। सातवीं सदी तक पहले पहल शूद्र बड़े पैमाने पर किसान के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। यह परिवर्तन शूद्रों की राजनीतिक सहविधिक स्थिति में व्यापक रूप से प्रतिफलित हुआ है। शांतिपर्व में शूद्र मंत्री नियुक्त करने का जो उपदेश दिया है,⁵¹² उसको तो अधिक महत्व नहीं भी दिया जा सकता है, किंतु इसमें संदेह नहीं कि शिल्पीसंघों के प्रधान जिला प्रशासन के कार्य से जुड़े थे, और संकट की घड़ियों में शूद्रों को शस्त्र उठाने का अधिकार मिल गया था। वर्णविषयक कानूनों में कुछ ढिलाई आई और शूद्रों के प्रति बरते जाने वाले कई निष्ठुर नियम रद्द किए गए। शूद्रों के धार्मिक अधिकार में काफी वृद्धि हुई। हां, अस्पृश्यों की सामाजिक स्थिति पहले से भी अधिक बुरी हुई। यद्यपि वे सिद्धांततया शूद्र माने जाते थे, किंतु सभी व्यावहारिक विषयों में वे पृथक समुदाय ही थे। फिर भी ऐसा सोचना गलत होगा कि गुप्तकाल में शूद्रों का कोई अन्य वर्ग भी सामाजिक दृष्टि से अधोगत था⁵¹³ भोजन और विवाह के रिवाज के बारे में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। जहां तक शिक्षा

का प्रश्न है, शूद्रों को रामायण-महाभारत और पुराण सुनने का और कभी कभी वेद सुनने का भी अधिकार निःसंदेह रूप से मिल गया था। सभी बातों पर विचार करते हुए, कह सकते हैं कि गुप्तकाल में शूद्रों की स्थिति में जो आर्थिक, राजनीतिक-सह-विधिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुए, वे उक्त समुदाय की बदलती हुई सामाजिक स्थिति के सूचक हैं।

संदर्भ

1. काणे : 'हिस्ट्री आफ धर्मणास्त्र', II, भाग 1, पृ० XI; काणे ने इन स्मृतियों की तिथियाँ इस प्रकार बताई हैं—विष्णु 100-300 ई०, याज्ञवल्क्य 100-300 ई०, नारद 100-400 ई०, वृहस्पति 300-500 ई०, कात्यायन 400-600 ई०. यद्यपि विष्णु और याज्ञवल्क्य स्मृतियाँ कुछ पूर्व की प्रतीत होती हैं, तथापि भोटे तौर पर ये सभी स्मृतियाँ गुप्तकाल के संबंध में प्रामाणिक मानी जा सकती हैं.
2. याज्ञवल्क्य, II.270; विष्णु, V.3. हापकिस : 'म्युचुबल रिलेशंस आफ दि फोर कास्ट्स इन मनु', पृ० 31; हापकिस का मत है कि यह याज्ञवल्क्य के विषय में कदाचित् ही संभव हो सकता है. किन्तु कई विषयों में याज्ञवल्क्य का जैसा जनप्रिय रूप देखते हैं, तदनुसार यह संगत ही लगता है.
3. हापकिस : 'कैब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', I, पृ० 279.
4. वही, पृ० 280.
5. 'गायकवाड़ ओरिएंटल सिरीज़', सं० LXXV, इंट्रोडक्शन, पृ० 118, वृहस्पति स्मृति अपने मूल रूप में मनु संहिता की अनुगामी टीका जैसी रही होगी.
6. हापकिस : 'दि ग्रेट एपिक आफ इंडिया', पृ० 397-98.
7. वही, तुलनीय 'कैब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', I, पृ० 258.
8. हाजरा : 'पुराणिक रेकर्ड्स आन हिंदू राइट्स ऐड कस्टम्स', पृ० 5.
9. वही, पृ० 175.
10. वही, पृ० 174.
11. वही, पृ० 188.
12. वही, पृ० 177; संभवतया छठी शताब्दी ई० का पूर्वाधीन.
13. 'गायकवाड़ ओरिएंटल सिरीज़', अंक LXXXV, इंट्रोडक्शन, पृ० 173.
14. हाजरा : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 19.
15. वही, पृ० 51. अहोंड पुराण में कुछ अध्याय हैं जिनसे वैष्णव प्रभाव का संकेत मिलता है. वही, पृ० 18.
16. हापकिस : 'इथिक्स आफ इंडिया', पृ० 241; तुलनीय.
17. दासगुप्त : 'हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर', भूमिका, पृ० XXX.
18. कहा जाता है कि शूद्रक महान ब्राह्मण मंत्री था. तुलनीय चारपेटियर : (जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन ऐड आयरलैंड, लंडन, 1923), पृ० 596-7.

19. सुजुकी : लंकावतार-सूत्र, इंट्रोडक्शन, पृ० XLIII.
20. एस० के० डे० : 'हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर', पृ० 71.
21. दासगुप्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 532, पाद टिप्पणी. कीथ इनका समय सातवीं शताब्दी ई० बताते हैं. कीथ : 'हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर', प्रीफेस, पृ० XXII.
22. मोतीचंद : भारतीय वेशभूषा, अध्याय IX; मोतीचंद ने इनका उपयोग गुप्तकालीन वेशभूषा का वर्णन करने के लिए किया है.
23. मजुमदार और पुसलकर : 'दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी', पृ० 270; तीसरी शताब्दी ई० इस ग्रंथ का संभाव्य रचनाकाल प्रतीत होता है. तुलनीय, द्वितीय शताब्दी ई०, एम० धोष : नाट्यशास्त्र, अनुवाद, इंट्रोडक्शन, पृ० LXXXVI; और दासगुप्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 522.
24. दासगुप्त : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 645 पर उद्धृत. स्मिथ इसका काल द्वितीय शताब्दी ई० पू० रखते हैं और हरप्रसाद शास्त्री प्रथम शताब्दी ई०, किंतु बनर्जी, शास्त्री, चकलादार, जाली और विंटरनिज इसे तीसरी-चौथी शताब्दी ई० का मानते हैं. चकलादार : 'सोशल लाइक इन एनेंसेंट इंडिया', पृ० 33-37. चकलादार का मत है कि वात्स्यायन पश्चिम भारत में हुए थे (वही, पृ० 96).
25. वराहमिहिर का काल 505-587 ई० माना जाता है, और इनकी सभी कृतियाँ छठी शताब्दी के मध्य की मानी जाती हैं.
26. बनर्जी : 'डेवलपमेंट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी', पृ० 28-9.
27. कामदक नीतिसार, II.21; 'सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत' शांतिपर्व, 60.26; 92.2; अनुशासनपर्व 9.18; भागवत पुराण, XI.17.19; भविष्य पुराण, I.44.27; मार्कण्डेय पुराण, 28.3-8; विष्णु पुराण, III.8.32 और 33.
28. 'सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत', आश्वमेधिक पर्व, 97.29.
29. वही, शांतिपर्व, अध्याय 78.17.
30. वही, अनुशासन पर्व, 208.34.
31. वही, 208.33.
32. अमरकोश, II.10.38-39.
33. अमरकोश, II.10.15-18.
34. नारद, V.23; वृहस्पति, XV.12 और 13.
35. वही.
36. विष्णु, V.155-6; याज्ञवल्क्य, II.197; नारद, VI.9.
37. नारद, VI.6.7.
38. वही, VI.3.
39. याज्ञवल्क्य, II.198.
40. वही.
41. नारद, VI.7.
42. जाली : 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', XXXIII, पृ० 140-1.
43. वही, VI.6 की पाद टिप्पणी.

44. अर्थशास्त्र, III.13; याज्ञवल्क्य, II.194; नारद, VI.2-3; कात्यायन, श्लोक 656.
45. 'सदर्ने एडिशन आफ दि महाभारत', शांतिपर्व, अध्याय 60.24.
46. वही.
47. नारद, VI.10. इसके अनुसार आठ गाएं चराने का पारिश्रमिक एक गाय का दूध होता है.
48. पिंड निर्युक्ति, पृ० 368-369.
49. वृहस्पति भाष्य, 2.358.
50. शांतिपर्व, 60.25. शांतिपर्व के नियम वैश्य गोपालकों और कर्षकों के प्रसंग में हैं, किंतु ये नियम शूद्रों पर भी लागू रहे होंगे.
51. वृहस्पति, XVI.1-2.
52. वही.
53. प्राणनाथ : 'इकानामिक कंडीशन इन एनशिएट इंडिया', पृ० 158.
54. तुलनीय, विल्सन : 'ए ग्लासरी आफ जुडिशियल ऐंड रेवेन्यू टम्स', पृ० 485.
55. कामसूत्र, IV.1.33 और 42, टीका सहित.
56. शांतिपर्व, 60.31,.. अवश्यभरणीयो हि वर्णनां यूद्र उच्यते.
57. वही, 60.32-33.
58. वही, 60.27.
59. 'सदर्ने एडिशन आफ दि महाभारत', अनुशासन पर्व, 208.34.
60. 'कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकोरम', III, सं० 6, पंक्ति 2. गुप्तकाल के एक उत्कीर्ण लेख में दासों के क्रय-विक्रय की उपमा आई है. वृहस्पति ने दासलेख अर्थात् दास की विक्री के दस्तावेज का उल्लेख किया है (VI.7). मृच्छकटिक में दास वृत्ति राजा द्वारा अनुशास एक प्रथा के रूप में वर्णित है. (इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टली, कलकत्ता, V), पृ० 307.
61. नारद, V.26-28. इन दासों में कुछ को दास कहना, विवादार्थ-सेतु के एक उद्धरण के अनुसार, जो वृहस्पति का साना गया है, ठीक नहीं है. एच० टी० कोलब्रुक : 'ए डाइजेस्ट आफ हिंदू ला', II, 12. एतत्कालीन जैन ग्रंथों में छः प्रकार के दासों का उल्लेख प्रतीत होता है, जैन : 'लाइफ एज डिपिक्टेड इन जैन कैनन्स', पृ० 107.
62. नारद, V.5; वृहस्पति, XV.15-16.
63. नारद, V.6-7.
64. वही, V.23-25.
65. याज्ञवल्क्य, II.182; बलाद्वासीकृतश्चौरेविक्रीतश्चापि मुच्यते.
66. कोलब्रुक : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 25.
67. कात्यायन, श्लोक 722, इस मान्यता को कात्यायन ने दुहराया है.
68. याज्ञवल्क्य, II.182-3; नारद, V.39; कात्यायन, श्लोक 716.
69. श्लोक 715; तुलनीय विष्णु, V.154.
70. नारद, V.37; वृहस्पति, XV.243; विक्रीणीते स्वतन्त्रो यः स्वमात्मानं नराधमः; स जवेघन्यतमस्त्वा सोऽपिदास्यान्त मुच्यते.

71. अनुशासन पर्व, 45.23; काणे : पूर्व निर्दिष्ट, II, भाग I, पृ० 182 में उद्धृत.
72. नारद, V.42-43; तुलनीय कात्यायन में दास मुक्ति संबंधी नियम, श्लोक 715. लेकिन नारद ने कहा है कि कुछ कोटियों के दास स्वामी के अनुग्रह के बिना मुक्त नहीं हो सकते थे (V.29).
73. धर्मकोश, I, भाग 1, पृ० 299 में उद्धृत.
74. कात्यायन, श्लोक 350.
75. अमरकोश, III.5.27.
76. जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 362-65, वृहत्कथाभाष्य गाथा में तीन नापित दासियों की चर्चा है (6094).
77. घोपाल : 'दि इलासिकल एज', पृ० 558, कात्यायन, श्लोक 962-63, शूद्रक : मृच्छकटिक, VIII.25.
78. शूद्रक : मृच्छकटिक (करमारकर संस्करण, पृ० 309).
79. कात्यायन, श्लोक 92.
80. विष्णु, XVIII. 44.
81. कात्यायन, श्लोक 882, वृहस्पति (सेफ्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट), XXV.82-83.
82. नारद, V.41; कात्यायन, श्लोक 724.
83. श्लोक 724. यह विक्रय स्वामी की अनुमति के बिना संभव नहीं रहा होगा. काणे ने विवाद चिंतामणि के पाठ को अच्छा माना है, कात्यायन, पृ० 267, पाद टिप्पणी, श्लोक 724 पर.
84. नारद, XIII.38.
85. वृहस्पति, XXVI.10, 28, 43, 53 और 64.
86. (एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्ली, XX), उत्कीर्ण लेख सं० 5, पंक्ति 5-11; ऐस० क०० भौती : 'दि इकानामिक लाइफ आफ नार्दें इंडिया इन दि गुप्ता पीरियड', पृ० 50-51.
87. (एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्ली, XX), उत्कीर्ण लेख सं० 5, पंक्ति 5-11.
88. (इंडियन एंटीक्वरी, बम्बई, XXXIX), पृ० 215-16.
89. भारतवर्ष, 1349, भाग I, पृ० 384 (हिस्ट्री आफ बंगाल, I, 652 में उद्धृत).
90. कृष्णकुमारी ज० विरची : 'एनशिएंट हिस्ट्री आफ सौराष्ट्र', पृ० 246-47, 267 और आगे.
91. कोसम्बी : (जर्नल आफ अमेरिकन औरिएंटल सोसायटी, वाल्टी मोर, LXXV), पृ० 237.
92. शांतिपर्व, 60.24-26, 92.2.
93. अमरकोश, II.9.6.
94. मनुस्मृति, IV.253 और विष्णु, LVII.16 में आधिक शब्द का प्रयोग है, किन्तु याज्ञवल्क्य I.166 में अर्धसीरिक शब्द का.
95. (एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्ली, I.), उत्कीर्ण लेख सं० 1, पंक्ति 39. बुहलर ने आधिक शब्द का अनुवाद 'लेवरर' या मजदूर किया है, जो गलत है. वही, पृ० 9,

262 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

96. (एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्ली, XXIX), उत्कीर्ण लेख सं० 1, पंक्ति 39. कुलिकों को वृहस्पति (संस्कार 404) ने एक 'जन' बताया है. ये 11वीं शताब्दी के पाल उत्कीर्ण लेख में भी जनों की सूची में गिनाए गए हैं.
97. कोल छोटा नागपुर के मुंडा समुदाय का एक महत्वपूर्ण आदिवासी वर्ग है.
98. (एपिग्राफिया इंडिका, कलकत्ता और दिल्ली, VIII), उत्कीर्ण लेख सं० 12, पंक्ति 6.
99. नारद, I.181.
100. मजुमदार और पुसलकर : 'दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी', पृ० 299.
101. नारद, I.181 की टीका, कीनाशः शूद्र कदर्यो वा.
102. नारद, I.181.
103. वृहस्पति, XIX.6, यदि शूद्रो नेता स्यात्... .
104. मार्कंडेय पुराण, 49.47. तथा शूद्रजनप्रायः स्वसमृद्धिकथीवला : 'तुलनीय अनुशासनपर्वं, अध्याय 68 में शूद्र ग्रामों का वर्णन. वंचोपाध्याय : 'इकानामिक लाइक 'ऐंड प्रोग्रेस इन एनशिएट इंडिया', पृ० 329 में उद्धृत.
105. कात्यायन, श्लोक 479-80 ...कवकान् क्षत्रविद्यूद्यूद्रान् समहीनास्तु दापयेत्. यहाँ प्रसंग से सिद्ध होता है कि 'कर्वकान्', 'क्षत्रविद्यूद्यूद्रान्' का विशेषण है. काणे ने कर्वकान् का अनुवाद उसे स्वतंत्र संज्ञा भानकर किया है (श्लोक 479-80 का अनुवाद), जो संदर्भ के आशय के अनुकूल नहीं लगता है, क्योंकि संदर्भ में यह ग्राहण और क्षत्रविद्यूद्र इन दोनों पदों के बीच में आया है. तुलनीय, कात्यायन, श्लोक 586.
106. वृहस्पति, संस्कार, 31.3-4.
107. 'कार्पेस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम', III, उत्कीर्ण लेख सं० 60, पंक्ति 12; सं० 27, पंक्ति 6; सं० 26, पंक्ति 6.
108. फ्लीट : 'कार्पेस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम', III, पृ० 123.
109. कीलहाने : (एपिग्राफिया इंडिका, III), पृ० 314.
110. प्राणनाथ : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 157.
111. पालि-इंगलिश डिक्शनरी; देखें 'कुटुंबिक' शब्द.
112. अर्थशास्त्र, I, 130.
113. फ्लीट : पूर्व निर्दिष्ट, III, पृ० 98; घोषाल : 'हिंदू रेवेन्यू सिस्टम', 191, 210. अन्य मर्तों के लिए देखें, बार्नेट : (जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड आयरलैंड, लंडन, 1931), पृ० 165; सरकार : 'सलेक्ट इंसक्रिप्शंस, I', पृ० 266, पाद टिप्पणी 5.
114. रघुवंश, XVII.65; नारद, XVIII.48; वृहस्पति, आपदधर्म, 7.
115. वृहस्पति, I.43-44. मूल ग्रंथ में 'कीनाश' शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ नारद I.181 की असहाय कृत टीका के अनुसार शूद्र होता है.
116. वाट्स : 'आन युआन चुआड़-स ट्र्यूवल्स इन इंडिया', I, पृ० 168, चतुर्थ वर्ग शूद्रों या खेतिहारों का है, ये खेत को आबाद करने का काम करते हैं और बोने व काटने के समय बड़े उद्यमशील रहते हैं.

117. नृसिंह पुराण, 58.10-15. यह पुराण अलबीरुनी को ज्ञात था (सांची, I, I, 30), इसलिए इसके नवीनतम संकलन का काल दसवीं शताब्दी ई० रखा जा सकता है.
118. हार्पिक्स : 'कैब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', I, पृ० 268, हार्पिक्स शायद शूद्र के बदले 'स्लेव' शब्द का प्रयोग करते हैं.
119. अमरकोण, II.9.98 और 99.
120. विभङ्ग अट्ठकथा, पृ० 63, पालि-हिंगलिष डिवशनरी में 'लोह' शब्द पर उद्धृत, जैसा कि चंद्र के मेहरीली लोहस्तंभ से प्रकट होता है, लोहा बनाने की कला इस काल में उन्नति की चोटी पर पहुंच गई थी.
121. अमरकोण, II.9.13.
122. याज्ञवल्क्य, II.193; नारद, V.4.
123. किन्तु यह विचार भागवतपुराण, XI.18.49 में भी आया है.
124. कार्मदक नीतिसार, II.21; तुलनीय IV.54-56; मार्कण्डेय पुराण, 28.3-8; विष्णु पुराण, III.8.32-33; याज्ञवल्क्य, I.120; विष्णु, III.5; शूद्रस्य...सर्व शिल्पानि, वृहस्पति, संस्कार, श्लोक 530.
125. वृहस्पति, XIII.33.
126. अमरकोण, II.10.5-10.
127. वही, II.10.8 और 9.
128. वही, II.10.13.
129. वही, II.10.12.
130. इनमें से कुछ शिल्पियों की चर्चा कामसूत्र (I.4.28, V.2.12, VI.1.9) में भी आई है, जो संभवतया 'नागरक' के विलासार्थ अपेक्षित होते थे, जैसे मालाकार, स्वर्णकार, धोबी, अभिनेता, नर्तक आदि.
131. गौतम धर्मसूत्र, X.31-33; वसिष्ठ धर्मसूत्र, XIX.28; मनुस्मृति, VII.138; विष्णु, III.32.
132. (जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, कलकत्ता, सीरीज III, XIV) पृ० 121, ला० न० 72. यह स्पष्ट नहीं है कि यह बेगारी राजा के लिए ली जाती थी कि ग्राममहत्तरों के लिए.
133. वसिष्ठ धर्मसूत्र, XIX.37.
134. पीछे देखें, अध्याय VI.
135. शांतिपर्व, 88.1-12 में श्लोक 12 पर टिप्पणी, राजधर्म के आलोचनात्मक संस्करण के श्लोक 12 पर टिप्पणी, भाग II, अनुलिपि 19, पृ० 668 तुलनीय 87.16-77.
136. (एपिग्राफिया इंडिका, XXIV), उत्कीर्ण लेख सं० 43, पंक्ति, 18-19. इस अभिलेख में विवाह-कर का भी उल्लेख है, जो प्रथा हाल तक उत्तर भारत में प्रचलित थी.
137. कामसूत्र, I.4.1.
138. वृहस्पति, I.34. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी यह बात है.
139. अमरकोण, II.8.18.
140. शिल्पसंघ का उल्लेख रघुवंश, XVI.38 में आया है, तथा पंचतंत्र, पृ० 4-5 में प्रधान

264 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

राजमिस्त्री के अधीन कई राजमिस्त्रियों की चर्चा है।

141. गीतम्, XI.21-22; मनुस्मृति, VIII.41 और 46; मुखर्जी : 'लोकल गवर्नरेंट इन एनशिएंट इंडिया', पृ० 125-131.
142. नारद, X.2; तुलनीय, विष्णु, V.168 में संविद् शब्द का प्रयोग है; तेपां वृत्ति पालयेत्, याज्ञवल्क्य, II.192; तुलनीय, I.361.
143. वृहस्पति, XVII.18.
144. वही, I.126.
145. 'मजूमदार : 'कार्पोरेट लाइक इन एनशिएंट इंडिया', पृ० 62.
146. 'कार्पस इस्टिक्प्लानम इंडिकेरम', III, स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र (465 ई०)।
147. वही, उत्कीर्ण लेख सं० 18, पृ० 80-85.
148. नरसू : 'एसेंशियल आफ बुद्धिज्ञम्', पृ० 141.
149. स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र के अनुसार इंदौर की 'तैलिक श्रेणि' (तेली-संघ) में एक ब्राह्मण ने धन-निक्षेप किया था; उसी प्रकार मंदसौर प्रस्तर अभिलेख के अनुसार रेणाम के बुनकरों ने ब्राह्मणों के देवता सूर्य का मंदिर बनवाया था।
150. अर्थशास्त्र, III, 14; ऊपर देखें, पृ० 155.
151. याज्ञवल्क्य, II.193; नारद, VI.5; XVI.5-6.
152. वृहस्पति, XVI.5.
153. विष्णु, V.153-4.
154. वही, V.157-8.
155. मनुस्मृति, VIII.215; वृहस्पति, XVI.4 और 8; इसके एक पाठांतर में ग्राण्ड कृष्णल की जगह 200 पण आया है (सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट), XXXXIII, 345, वृहस्पति, XVI.15 पर पाद टिप्पणी।
156. वृहस्पति, XVI.3
157. वही, XVI.11.
158. नारद, नेपाली पाठ, 'सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट', XXXIII, 140-1, VI.7 पर पाद टिप्पणी।
159. वही, VI.2.
160. वही, पृ० 140-1, VI.7 पर पाद टिप्पणी।
161. नारद, VI.11-17; वृहस्पति, XVI.10, 13-17.
162. वृहस्पति, XVI.17.
163. अर्थशास्त्र, II.23.
164. याज्ञवल्क्य, II.195.
165. वही, I.120.
166. वृहस्पति, संस्कार, श्लोक 530, विक्रियः सर्वपण्यानां षूद्रधर्मं उदाहृतः।
167. मार्कण्डेय पुराण, 28.3-8.
168. विष्णु पुराण, III.8.32-33.
169. वृहस्पति, XIII.16.

170. भविष्यत् पुराण, I.44.32.
171. अर्थशास्त्र, III.13; याज्ञवल्क्य, II.194; नारद, VI.2-3; कात्यायन, श्लोक 656.
172. शांतिपर्व, 60.25. यद्यपि शांतिपर्व में मजदूरी की व्यवस्था वैश्य पैकारों के लिए है, तथापि यह शूद्रों पर भी लागू रही होगी.
173. यह बात साङ्घेदारी (सम्भू समुत्थान) के विषय में दिए गए विस्तृत नियमों से सिद्ध होती है, जो नियम सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य में आए हैं. यह प्रेक्षणीय है कि कौटिल्य और मनु (VIII.206-210) का अनुसरण न करते हुए, याज्ञवल्क्य (II.265) ने साम्भासंबंधी नियम प्रथभतः बनियों और विदेश व्यापारियों के लिए दिया है और आगे कहा है कि ये ही नियम पुरोहितों की और कृषकों एवं शिल्पियों की साङ्घेदारी में लागू होते हैं. इसी प्रकार इस काल में जो विदेश व्यापार बढ़ता जा रहा था, उसके चलते नारद को यह नियम भी देना पड़ा कि विदेशों में किए गए ऋण के करारों के स्थान में प्रचलित नियम ही लागू होंगे. नारद, I.105-106. तुलनीय जायसवाला : 'मनु ऐंड याज्ञवल्क्य', पृ० 198 और 211. गुणाद्य की बृहस्पता में, जो लगभग 500 ई० की कृति है (कीथ : हिस्ट्री ऑफ रास्कूल लिटरेचर, पृ० 268), राजा-महाराजाओं की उतनी कहानियां नहीं हैं जितनी बनियों, व्यापारियों, समुद्रयात्रियों और शिल्पकारों की (वही). परं संभव है कि ये कहानियां दूसरी-तीसरी सदी की हैं। जब वाणिज्य व्यापार पराकाष्ठा पर था.
174. बृहत्संहिता, 52.12-13.
175. अमरकोण, II.6.13; अमरकोण में शूद्री और शूद्रा का अर्थ भिन्न भिन्न किया गया है; शूद्री का अर्थ है शूद्र की पत्नी, किन्तु शूद्रा का अर्थ है शूद्र जाति की महिला, आभीर जाति की महिला को महाशूद्री कहा गया है.
176. पार्जिटर : 'डायनेस्टीज आफ दि कलि एज', पृ० 55.
177. वही.
178. आर्यक, जिसे गोपालदारक कहा गया है (मृच्छकटिक, VI.11). इसमें कुछ संदेह है, व्यर्योंकि हो सकता है कि गोपाल व्यक्ति विशेष का नाम हो.
179. याज्ञवल्क्य, I.141.
180. मनुस्मृति, VIII. 54; कामदक नीतिसार, IV. 25; याज्ञवल्क्य, XIII.312 तुलनीय कामदक नीतिसार, V. 68-70; कात्यायन, श्लोक 11 में कहा गया है कि अमात्य ब्राह्मण होना चाहिए.
181. शांतिपर्व, 85.7-10 परंतु शांतिपर्व के आलोचनात्मक संस्करण में वह भाग नहीं है, जिसमें कहा गया है कि 37 के अमात्य-मंडल में चार ब्राह्मण, आठ क्षत्रिय, द्वचकीस वैश्य, तीन शूद्र और एक सूत रहने चाहिए (शांतिपर्व, कलकत्ता, 85.7.11).
182. याज्ञवल्क्य, II.1-3; तुलनीय बृहस्पति, I.67.
183. कात्यायन, श्लोक 67.
184. बृहस्पति, I.79.
185. वही, I.72.
186. (एपिग्राफिया इंडिका, XV), पृ० 130.

266 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

187. जायसवाल : 'हिंदू पालिटी', भाग I, पृ० 53; भाग II, पृ० 105.
188. टी० ब्लाख : 'आकर्योलोजिकल सर्वे (आफ इंडिया) रिपोर्ट्स', 1903-4, पृ० 104.
189. अमरकोण, II.10.5, कुलक: स्यात् कुलश्रेष्ठः. दीक्षितार इस अर्थ को मानते हैं. गुप्त, पालिटी, पृ० 257.
190. नारद, I.187, लगता है शूद्र साक्षियों के विषय में पुराना दुराग्रह इस काल में भी बना रहा.
191. ब्लाख : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 104; कुलिकों (शिलिप-संघों के प्रधानों) की अठारह मुद्राएं बसाक (वैषाली) में मिली हैं.
192. वही, पृ० 117. ईसा की दसवीं-चारहवीं शताब्दियों में चंबा राज्य में कुलिकों का उल्लेख शौलिक, गौतिमक आदि के साथ छोटे अधिकारी के रूप में हुआ है. फोरेल : 'एंटिविटीज आफ चंबा स्टेट', भाग I, उत्कीर्ण लेख सं० 15, पंक्ति 8-9. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिले 1031 ई० के एक उत्कीर्ण लेख में शौलिक, गौतिमक आदि के साथ महापांधाकुलिक का भी उल्लेख है. (एपिग्राफिया इंडिका, VII, उत्कीर्ण लेख सं० 9, पंक्ति 34). संभवतया कुलिक और महापांधाकुलिक शिलिपसंघों से कर तहसीलने वाले अधिकारी थे.
193. जंबूदीवपन्नत्ति, 3.55 (पृ० 229).
194. कामंदक, XII.44-45.
195. नारद, XIV.26.
196. वृहस्पति, V.38.
197. याज्ञवल्क्य, II.69; कात्यायन, श्लोक 341; नारद, I.154, उन्होंने अनिय शूद्र शब्द का प्रयोग किया है.
198. कात्यायन, श्लोक 348.
199. नारद, I.178, 181-185.
200. वही, I.154.
201. याज्ञवल्क्य, II.72.
202. वही, XIX.26-27.
203. वही, II.150.
204. मनु, VIII.258-260.
205. विष्णु, VIII.20-23; नारद, I.199.
206. मनु, VIII.114-116.
207. याज्ञवल्क्य, II.98; वृहस्पति, VIII.12; कात्यायन, श्लोक 422.
208. याज्ञवल्क्य, II.98.
209. नारद, I.334-335; वृहस्पति, VIII.12; कात्यायन, श्लोक 422.
210. श्लोक 422. कात्यायन ने अग्नि, जल और विष वाले दिव्य उन लोगों के लिए भी वर्जित किए हैं, जो इनका कारबार करते हैं (श्लोक 424).
211. नारद, I.322.
212. विष्णु, IX.27.

213. नारद, I.335; कात्यायन, श्लोक 422.
214. विष्णु, IX.3-10.
215. वही, IX.11.
216. वही, IX, X, XI और XII.
217. जोहान्स स्ट्रावायो (500 ई०) द्वारा उद्धृत बार्डसन, मैर्किडल : 'एनशिएंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई क्लासिकल राइटर्स', पृ० 172-4.
218. कात्यायन, श्लोक 433.
219. मन्, VIII.24.
220. कात्यायन, श्लोक 118, द्विजातिः प्रतिभूहीनो रक्षयः स्याद् बाह्यचारिभिः, शूद्रादीन् प्रतिभूहीनान् बन्धयेत्तिगडेन तु.
221. वही, श्लोक 119.
222. वही.
223. याज्ञवल्क्य, II.125; वृहस्पति, XXVI.41-42; अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 82. 18 और 21, (नार्दन एडिशन आफ दि महाभारत) 47.18 और 21.
224. विष्णु, XVIII.38-39.
225. वही, XVIII.32.
226. वृहस्पति, XXVI.125 तुलनीय अनुशासनपर्व, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 85.15, (नार्दन एडिशन आफ दि महाभारत) 47.15.
227. वृहस्पति, XXVI.122.
- 228 अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 19.82, (नार्दन एडिशन आफ दि महाभारत) 47.19.
229. वही (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 82.57, (नार्दन एडिशन आफ दि महाभारत), 47.56.
230. याज्ञवल्क्य, II.133.
231. अनुशासनपर्व, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 84.18.
232. याज्ञवल्क्य, II.37; विष्णु, VI.15.
233. वही, II.38.
234. विष्णु, II.58; याज्ञवल्क्य, II.34-35; नारद, VII.6-7.
235. विष्णु, III.59-61.
236. अर्थशास्त्र, IV.1, द्वादशांशो भूतकः.
237. निश्चीय चूर्ण, 20, पृ० 281; जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 62 पर उद्धृत.
238. नारद, XV और XVI.22, 23-25, 26-28. इंट्रोडक्शन टु प्लेट, II.37.
239. वृहस्पति, IX.20, ताडनं बंधनं चैव तथैव च विडनकम्; एष दण्डो हि गूढस्य नार्थ-दण्डो वृहस्पतिः. मातृका 1 का पाठ विडम्बनम्, जो रंगस्वामी अर्थंगर ने अपने वर्गीकरण में दिया है, विडनकम् की अपेक्षा अच्छा अर्थ देता है.
240. वही, IX.18.
241. नारद, XV-XVI.11-14.

268 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

242. वही, XV-XVI.13.
243. मनुस्मृति, VIII.267-9; नारद, XV और XVI.16; वृहस्पति, XX.12.
244. वृहस्पति, XX.13.
245. वही, XX.10.
246. वही, XX.16.
247. जे० लेगि : 'ए रेकार्ड आफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स', पृ० 43.
248. याज्ञवल्क्य, II.206.
249. वही, II.216, परस्परं तु सर्वेषां शास्त्रे मध्यमसाहसः.
250. वही, II.215, इस संदर्भ में पीडनम् का अर्थ विजानेश्वर ने ताड़नादि किया है.
251. विष्णु, V.40-41.
252. वही, V.41, अंत्यागमने वद्यः.
253. वही, LIV.9.
254. वही, L.6 और 12-14
255. वही, XXXVII.13, 34; याज्ञवल्क्य, II.236.
256. विष्णु, XXXVII.35. गोमेध का विधान स्पष्टतया बहुत प्राचीन है, और ऐसा नहीं माना जा सकता है कि यह गुप्तकाल में प्रचलित रहा होगा. निस्संदेह विष्णु ने बिना सोचे-विचारे इस विधान को प्राचीन स्रोत से लेकर रख दिया है.
257. हस्तलेख ढी 7 एस (आलोचनात्मक संस्करण के वर्गीकरण के अनुसार), श्लोक 45. मृच्छकटिक (IX.39) में न्यायाधीश ने ब्राह्मण चारुदत्त की प्राणदंड से छूट देने की सिफारिश की है. ऐसी छूट के लिए कात्यायन श्लोक 483 भी देखें.
258. हस्तलेख ढी 7 एस (आलोचनात्मक संस्करण के वर्गीकरण के अनुसार), श्लोक 55.
259. (जनंल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, कलकत्ता, सीरीज, III, XVI), पृ० 118.
260. एस० बील : 'ट्रैवेल्स आफ फाहियान', पृ० 54-55. जाइल्स ने भी ऐसा ही अनुबाद किया है (ट्रैवेल्स आफ फाहियान, पृ० 21), किन्तु लेगि ने इस प्रकार अनुबाद किया है 'अपराधियों को (हर केस की) परिस्थितियों के अनुसार दंड मिलता था'. 'ए रेकार्ड आफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स', पृ० 43, जिससे वर्णभेद ध्वनित होता है.
261. मनुस्मृति, VIII-337 और 8; नारद, परिशिष्ट (स्त्रेय), परिशिष्ट, 51 और 52.
262. शांतिपर्व, 36.28-29.
263. कात्यायन, श्लोक 485.
264. अमरकोश, II.10.25-26. तुलनीय अनुशासनपर्व (सदर्नै एडिशन आफ दि महाभारत), 143.21, (नार्दर्नै एडिशन आफ दि महाभारत) 94.21.
265. शांतिपर्व, 12.27, 25.11, 67.2, 76.5, 88.26, 90.8, 98.8, 101.3.
266. शांतिपर्व, 79.17-18, अभ्युत्थिते दस्युबले क्षत्रार्थे वर्णसंकरे, ब्राह्मणो यदि वा वैश्य शूद्रो वा राजसत्तम । दस्युओऽथ पूजां रक्षेद दण्डं धर्मेण धारयन्...वही, 79.34-36.
267. शांतिपर्व, 78.37.
268. वही, 78.38.

269. यद्यपि इसके रचयिता वसिष्ठ कहे जाते हैं, किन्तु इसकी शैली वसिष्ठ धर्मसूत्र की शैली से नहीं बिलती है, किर भी इसमें तीरंदाजी पर जो बहुत जोर दिया गया है उससे लक्षित होता है कि इसका संकलन गुप्तकाल के बाद नहीं हुआ होगा।
270. धनुर्वेद संहिता, श्लोक 3.
271. वही, श्लोक 8.
272. मूँछकटिक में वीरक और चंदनका के दृष्टिंत, VI.22 और 23.
273. शांतिपर्व, 73.9, 74.4, 5, 8, 10, 28, 32, 75.13, 22.
274. वही, 49.60-61.
275. अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 214.58; शूद्रः पूर्णिव्यां बहवो राजां बहुविरोधकाः, तस्मात् प्रगादं सुश्रोणि न कुर्यात् पण्डितो नृपः,
276. वरिष्ठ धर्मसूत्र, IV.24; आव्यभेदिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 118, 17-20. अमरकोश (II.10.9) में शूद्रों को आलसी और दक्ष बताया गया है।
277. शांतिपर्व, 91.12-13.
278. नारद, XVIII. 14-16.
279. वीरभिन्नोदय के अनुसार.
280. याज्ञवल्क्य, II. 304. मनुस्मृति (IX. 224) में हिंजर्लिंगी (व्राह्मण का स्वांग रखने वाले) शूद्र के लिए प्राणवंड का विधान है, किन्तु इस प्रसंग में राजा के विरोध की चर्चा नहीं है।
281. शांतिपर्व, 89.13-14 कौटिल्य ने ऐसे लोगों के लिए नई वस्ती में प्रवेश वर्जित किया है। अर्थशास्त्र, II.1.
282. पांडुलिपि, ढो 7 इस (आलोचनात्मक संस्करण के वर्गीकरण के अनुसार), श्लोक 20.
283. याज्ञवल्क्य, III. 126.
284. वायु पुराण, II. 11.90; ब्रह्मांड पुराण, III. 10.96.
285. वायु पुराण, परिशिष्ट सं० 818, पाटिल : 'कलचरल हस्ट्री फ्राम दि वायु पुराण', पृ० 304, में उद्धृत, यह विभेद शांतिपर्व में भी आया है।
286. एक अन्य हस्तलेख में 'गौर' वर्ण विहित किया गया है।
287. नाट्यशास्त्र, XXI. 113. पंचालों, शूरसेनों, मागधीं, अंगों और कर्लिगों के लिए काला भी विहित किया गया है (वही, XXI. 112).
288. वही, II. 49-52.
289. वही, II. 55.
290. ह्येटो : 'दि रिपब्लिक' (जावेट का अनुवाद), पृ० 126-7.
291. विष्णु पुराण, XXVII. 6-9.
292. 'कार्पस इंस्क्रिप्शनम इडिकेरम', III, सं० 35 (समयांक 533-34 ई०), पंक्ति 9-12.
293. वही, सं० 3 (समयांक 401-2), पंक्ति 1-2; तुलनीय फ्लीट, पूर्वोद्घृत, पृ० 11, पाद टिप्पणी 1.
294. नाट्यशास्त्र, XVII. 95-99.
295. वही, XVII. 73.

270 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

296. मृच्छकटिक, अंक 1, पृ० 5, अंक 2, पृ० 63-64. इनमें से कुछ गालियां, जैसे 'छिण्णालिआ पुत्त' बिहार में आज भी प्रचलित हैं.
297. नाट्यशास्त्र, XII. 146-8, 'नीचादि चेटादिताम्.
298. याज्ञवल्क्य, I. 116, गौतम की भाँति इन्होंने इसके लिए 80 वर्ष की वयः सीमा नहीं निर्धारित की है.
299. वही, I. 107.
300. वही.
301. आपस्तंब धर्मसूक्त, II. 4.9.5; बौधायन धर्मसूक्त, II. 3.5.11.
302. याज्ञवल्क्य, I. 103; अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 154. 22; 250.15.
303. आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 110. 17-20, 61.44-45; वृहस्पति, शास्त्रखंड, श्लोक 43.
304. शांतिपर्व, 37.22-23. 'रंगजीवन' शब्द का अर्थ रंगरेज या अभिनेता किया जा सकता है.
305. याज्ञवल्क्य, I. 160.
306. वहो, I. 161-5 चाक्रिक शब्द का अर्थ तेली, भारवाहक या गाड़ीवान हो सकता है.
307. अनुशासनपर्व, (नार्दन एडिशन आफ दि महाभारत) 135.2-3, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 198.2-3.
308. वही (नार्दन एडिशन आफ दि महाभारत), 135.5, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 198.5.
309. वही (नार्दन एडिशन आफ दि महाभारत), 136.20-22, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 199.20-22.
310. आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 110.24.
311. वही, 110.32.
312. याज्ञवल्क्य, I. 166.
313. वृहस्पति, XV. 19.
314. वृहस्पति, प्रायशिच्त, श्लोक 34, 86-88, आचार, श्लोक 87.
315. मृच्छकटिक, I. 32.
316. याज्ञवल्क्य, III. 255-6.
317. वही, III. 255-6 की टीका.
318. अमरकोण, II. 10.39-43.
319. वही, II. 10.44-46.
320. पञ्चतंत्र, पृ० 15.
321. याज्ञवल्क्य, I. 170.
322. वही, I. 171-173.
323. वही, I. 175-6.
324. वही, I. 177-8.
325. वही, I. 176.

326. लेणि : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 43.
327. याज्ञवल्क्य, II. 296.
328. वृहस्पति, पृ० 21, श्लोक 128; मध्यदेशे कर्मकरा: शिल्पिनश्च गवाशिनः. अंबेडकर का तर्क है कि गोमांसभक्षण अस्पृश्यता के उद्भव का एक मूल कारण था. अंबेडकर : 'दि अनुच्छेदुल्स', अध्याय 9. किंतु यह सिद्ध करने का कोई आधार नहीं है कि ये मजदूर और कारीगर अचूत माने जाते थे।
329. पाटिल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 38 में वायु पुराण से उद्धृत.
330. भार्कण्डेय पुराण, 69.72, हाजरा : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 232 में उद्धृत.
331. अनुशासनपर्व (नार्दन एडिशन आफ दि महाभारत), 44.9, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत, 79.9) में यह पुराना नियम दुहराया गया है कि श्रासुर और पैशाच विवाह शायद द्विजों के लिए ऐयस्कर नहीं हैं।
332. अनुशासनपर्व, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 249.9. उत्तमनां तु वर्णनां मंत्रवत्पाणिसंग्रहः. विवाहकरण चाहुः: शूद्राणां सम्प्रयोगतः.
333. वृहत्कल्पभाष्य, 2.3446, जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 159 में उद्धृत.
334. याज्ञवल्क्य, I. 69, एवं तात्त्वद्वाराणां नियोगाधिकारः उक्तः. काणे : पूर्व निर्दिष्ट, II, भाग 1, 604.
335. काणे : पूर्व निर्दिष्ट, II, भाग I, पृ० 604-5 में मूल उद्धृत.
336. अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 149.15-16.
337. नारद, XII. 100.
338. याज्ञवल्क्य, I.48; कात्यायन, श्लोक 568.
339. विष्णु, XXIV. 41.
340. जाली : सेन्ट्रोड बुक्स आफ दि ईस्ट', VII, 109, पाद टिप्पणी 41.
341. नारद, XII. 4-6; अनुशासनपर्व (नार्दन एडिशन आफ दि महाभारत), 44.11, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 79.11.
342. अनुशासनपर्व (नार्दन एडिशन आफ दि महाभारत) 44.12 और 13.
343. कामशास्त्र, VI. 6.54, टीका सहित.
344. वही, I. 5.3.
345. वही, III. 1.1.
346. याज्ञवल्क्य, I. 56-7; वृहस्पति, आपद्धर्म, श्लोक 47, संस्कार, श्लोक 375-7; अनुशासनपर्व (नार्दन एडिशन आफ दि महाभारत), 44.13, 47.8-9; आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 117.10. यदि कोई व्यक्ति पुक्सी के साथ संभोग करे तो पराक व्रत उसका प्रायश्चित्त है. वृहस्पति, प्रायश्चित्त, श्लोक 70.
347. मूच्छकटिक, अंक 10.
348. (एपिग्राफिया इंडिका, XV), पृ० 301. ईस्वी सन की आठवीं शताब्दी के एक पुरालेख से हमें पता चलता है कि शासक लोकनाथ के मातृपक्षीय पूर्वज, जो ब्राह्मण थे, को शूद्र पत्नी से एक पुत्र (पारेशव) था।

349. मालविकापिन मित्र, अंक 1, पृ० 10; जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 155-6.
350. याज्ञवल्क्य, I. 91.94; नारद, XII. 108, 111 और 113; अमरकोश, II. 10. 1-4.
351. अनुशासनपर्व, (नारदने एडिशन आफ दि महाभारत) 48.5-27 (सदर्ने एडिशन आफ दि महाभारत) 83. 5-27 (सदर्ने एडिशन आफ दि महाभारत) 84.17.
352. वही, (नारदने एडिशन आफ दि महाभारत) 47.22, (सदर्ने एडिशन आफ दि महाभारत) 83.22.
353. वही, (नारदने एडिशन आफ दि महाभारत) 47.23, (सदर्ने एडिशन आफ दि महाभारत) 83.23.
354. वही, (सदर्ने एडिशन आफ दि महाभारत) 49.9.
355. वही, पृ० 84.28.
356. वही, (नारदने एडिशन आफ दि महाभारत) 49.9.
357. वही, (कल०), 33. 21-23.
358. याज्ञवल्क्य, II. 294.
359. कात्यायन, श्लोक 351; आश्वमेधिक पर्व, (सदर्ने एडिशन आफ दि महाभारत) 116.19.
360. अमरकोश, II.10.1-4.
361. वही, II. 9.78.
362. वही, II. 10.20.
363. लेगि : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 43.
364. व्यवहार-भाष्य, 3.92; निशीथ चूर्णि, 11, पृ० 747, जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 360 में उद्धृत.
365. अमरकोश, II.10.21.
366. बृहस्पति, प्रायशिच्त, श्लोक 49-50. यदि रजस्वला का श्वपाक से स्पर्श हो जाए, तो उसके लिए भी प्रायशिच्त बताया गया है (वही, प्रायशिच्त, श्लोक 87).
367. लेगि : पूर्व निर्दिष्ट, प० 43.
368. मार्कण्डेय पुराण, 25, 34-36.
369. अनुशासनपर्व, (नारदने एडिशन आफ दि महाभारत) 47.29-30, (सदर्ने एडिशन आफ दि महाभारत) 83.29-39.
370. महाबंगा, 93. व्यवहार-भाष्य, 7.449-462, प० 79; नारद, XIV, 26.
371. अमरकोश, II.10.14.
372. वही, II. 10.22-24.
373. वही, II. 10.26-27.
374. लेगि : पूर्व निर्दिष्ट, प० 43. जाइल्स ने चंडाल शब्द का अनुवाद 'फाउल मैन (लेपर)' किया है. जाइल्स : पूर्व निर्दिष्ट, प० 21.
375. उपाध्याय : 'इंडिया इन कालिदास', प० 170.
376. बृहत्कल्पभाष्य, गाथा, 2766.
377. व्यवहार भाष्य, 3.92; निशीथ चूर्णि, 11, पृ० 747, जैन : पूर्व निर्दिष्ट, प० 360 में उद्धृत.

378. अनुशासनपर्व, (नार्दन एडिशन आफ दि महाभारत) 47.32, (सदन एडिशन आफ दि महाभारत) 83.32.
379. वही, (नार्दन एडिशन आफ दि महाभारत) 101.3, (सदन एडिशन आफ दि महाभारत) 158.4.
380. लेखि : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 43.
381. तुलनीय, मृच्छकटिक, X.
382. लंकावतार सूत्र, पृ० 258.
383. वही, पृ० 246.
384. जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 360. डोम्ब अधम गायकों की जाति है जो उत्तर भारत की प्राचीन जातियों में एक है।
385. जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 144-5.
386. अमरकोण, II. 10.31-32.
387. जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 220-22. जट्ट-जट्टी के गीत आज भी बिहार में निम्न जातियों के लोगों में प्रचलित हैं।
388. आवश्यक चूर्णि, II. पृ० 294, जैन : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 222 में उद्धृत.
389. भागवत पुराण, XI. 17.20, तुलनीय VII. 11.30.
390. मृच्छकटिक, X. 22.
391. वज्रसूची (एस), पलोक 16, पृ० 5.
392. अनुशासनपर्व, (नार्दन एडिशन आफ दि महाभारत) 47.33-35, (सदन एडिशन आफ दि महाभारत) 83.33-5.
393. महाभारत, XII. 328.49, श्राव्येच्च चतुरो वर्णनि. हायकिंस : 'दि रेलिजन्स आफ इंडिया', पृ० 425 में उद्धृत.
394. महाभारत, XII. 319.87 और आगे, उद्धृत, वही. प्राप्य ज्ञानम्...शूद्रादपि.
395. मार्कंषेय पुराण, XXI. 31; नाट्यशास्त्र, I. 14.
396. भागवत पुराण I. 4.25; I. 4.29. स्त्रीशूद्रद्विजबन्धुनां तथी न श्रुतिगोचरा. कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह. इति भारतमाष्ट्यानं कृपया मुनिना कृतम्. भागवत पुराण.
397. भविष्यत् पुराण, I. I. 72, ...श्रोतव्यमेव शूद्रेण नाष्ट्येत्वं कदाचन.
398. नाट्यशास्त्र, I. 12 और 13.
399. कीथ : 'दि सांख्य सिस्टम', पृ० 57. पंतजलि का योगसूत्र संभवतया तीसरी शताब्दी ई० से पहले का नहीं है.
400. वही, पृ० 57. चीनी साक्ष के अनुसार सांख्यकारिका के रचयिता ईश्वररङ्गण वसुबन्धु के पूर्व समकालीन थे और वसुबन्धु संभवतया 300 ई० के लगभग हुए थे.
401. वही, पृ० 100.
402. वही, पृ० 100.
403. याज्ञवल्क्य, I. 233, भृतकाध्यापकः.
404. मृच्छकटिक IX. 21. वेदार्थान् प्राकृतस्त्वं वदसि, न च ते जिह्वा निपतिता.
405. वज्रसूची (एस), पृ० 4.

406. जायसवाल : 'मनु ऐँड याज्ञवल्क्य', पृ० 241.
407. नाट्यशास्त्र, XVII. 37.
408. वही, XVII. 39.
409. कीथ : 'हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर', पृ० 31,
410. नाट्यशास्त्र, XVII, 54-56.
411. मुखर्जी : 'एनशिएंट इंडियन एडुकेशन', पृ० 347.
412. याज्ञवल्क्य, III. 262; अनुशासनपर्व, (सदन एडिशन आफ दि महाभारत) 149. 13; तुलनीय शांतिपर्व, 70.5.
413. अनुशासनपर्व, (सदन एडिशन आफ दि महाभारत) 147.1, शूद्रा परिचार—यज्ञः... तुलनीय ब्रह्मांड पुराण, II. 29 55.
414. नारद, I. 332.
415. विष्णु, IX 10.
416. मार्कण्डेर पुराण, 28. 7-8.
417. ब्रह्मांड पुराण, III. 12.19. यज्ञ पांच हैं—ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, बलि और नृयज्ञ मनुस्मृति, III. 69-70.
418. याज्ञवल्क्य, I. 121.
419. हार्षकिस : 'म्युचुअल रिलेशंस आफ फोर कास्ट्स इन मनु', पृ० 86, पाद टिप्पणी.
420. ब्रह्मांड पुराण, III. 12.19.
421. मनुस्मृति, II. 169.
422. याज्ञवल्क्य, I. 39.
423. शांतिपर्व, 60.36, स्वाहाकार—नमस्कारी मन्त्रः शूद्रे विधीयते. ताम्यां शूद्रः पाक-यज्ञीयंजेत् व्रतवान् स्वयम्. सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्तलेखों में यह विभेद किया गया है कि कौन यज्ञ शूद्र कर सकता है और कौन द्विज. इसमें स्वाहाकार, नमस्कार और मन्त्र का प्रयोग शूद्र के लिए वर्जित किया गया है, किन्तु दीक्षाव्रत के बिना ही पाकयज्ञ करने की अनुज्ञा दी गई है. आलोचनात्मक टिप्पणी, शांतिपर्व, 60. राजधर्म, भाग II, खंड 19, पृ० 660-661. पाकयज्ञ सभी दस्युओं के लिए भी विहित है (शांतिपर्व, 65. 21-22), जिससे सूचित होता है कि ये यज्ञ ब्राह्मणिक समाज की परिधि से बाहर भी फैलते जा रहे थे. तुलनीय, बृहस्पति, संस्कार, श्लोक 529.
424. शांतिपर्व, 60.37-38.
425. शांतिपर्व, 60. 39-43. तुलनीय 51-52. ...यज्ञो मनीषया तात सर्ववर्णेषु भारत. ...तस्मात् सर्वेषु वर्णेषु श्रद्धायज्ञो विधीयते... टीका सी एन (आलोचनात्मक संस्करण के वर्गीकरण के अनुसार) में 'सर्व वर्ण', शब्द का अर्थ 'नैवर्णिक' किया गया है. पुलिदा 19, पृ० 660-61.
426. याज्ञवल्क्य, III. 262.
427. गैम्पर्ट : 'डाई जुहनेरेरंमोनियन इन डर अल्टिनडिस्चेन रेलटलिटरेटुर', पृ० 94.
428. बृहस्पति, प्रायशित्त, श्लोक 60.
429. बृहस्पति, संस्कार, श्लोक '101 किंतु कान छेदने के अंकुश की धातु विभिन्न वर्णों के

- बच्चों के लिए भिन्न भिन्न बताई गई है (वही).
430. वही, संस्कार, श्लोक 154 (a).
 431. आर० बी० पांडेय : हिंदू संस्कार, पृ० 161.
 432. मनुसमृति, II. 35, चूडाकर्ण द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः।
 433. संभवतः राम के हाथ संबूक के वध की कहानी, जिसमें मनु की मनोवृत्ति का आभास मिलता है, रामायण (उत्तर कांड, अध्याय 74-76) में मौर्योत्तर काल में प्रक्षिप्त की गई है।
 434. रघुबंश, XV. 53; तुलनीय अनुशासनवर्ण (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 270 11.
 435. शांतिपर्व, 63. 9-11; 63.9 पुर्विया 19, पृ० 662 पर आलोचनात्मक टिप्पणी।
 436. वही, 63. 12-14.
 437. कात्यायन, श्लोक 486, मार्कण्डेय पुराण में भी शूद्रसंन्यासी का उल्लेख है (22.19), किंतु उनके समय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।
 438. याज्ञवल्क्य, II. 235.
 439. हरिमधित-विलास के 18वें विलास में गोपालभट्ट द्वारा हयशीर्ष पंचरात्र से उद्घृत और वहाँ से बनर्जीकृत ढेवलपमेंट आफ हिंदू आइकोनोग्राफी, पृ० 227, पाद टिप्पणी 1 में प्रत्युदृढ़।
 440. वृहत्संहिता (सुधाकर द्विवेदी संस्करण), 58. 5-6.
 441. विष्णुधर्मोत्तर महापुराण, III. 89.12.
 442. वही, III. 90.2, शुक्ला यास्ता द्विजातीनां क्षत्रियाणां च लोहिता, विषां पीताहिता कृष्णा शूद्राणां च हितप्रदा।
 443. याज्ञवल्क्य, III. 26.
 444. ब्रह्मांड पुराण, III. 14.86-87; विष्णु पुराण, III. 13.19; वृहस्पति, अशोच, श्लोक 39.
 445. याज्ञवल्क्य, III. 23.
 446. अनुशासनवर्ण, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 101.11-12, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 163. 11-12.
 447. वही.
 448. वही, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 101.13, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 163.13.
 449. वही, (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 106.2, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 163.2.
 450. वृहस्पति, अशोच, श्लोक 34-35. कुछ वर्ग के लोग सदा शुचि माने जाते थे, जैसे शिल्पी, कृषक, वैद्य, दास-दासी, नापित, राजा और वेदज्ञ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य, III. 28-29; वृहस्पति, अशोच, श्लोक 9.
 451. शांतिपर्व, 36.35.
 452. वृहस्पति, आंचार, श्लोक 37.

453. वृहस्पति, प्रायशिच्त, श्लोक 74-75.
454. पांडेय : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 439.
455. याज्ञवल्क्य, I. 121; वायु पुराण, II. 13.49.
456. मत्स्यपुराण, 17.63-64.
457. वही, 17.70.
458. मार्कण्डेय पुराण, 49.77-81; विष्णु पुराण, I. 6.34-35.
459. ब्रह्मांड पुराण, III. 10.96-99; वायु पुराण, II. 11.90; मार्कण्डेय पुराण, 96.23;
460. मार्कण्डेय पुराण, 96.36.
461. ब्रह्मांड पुराण, II. 32.90, 121-122.
462. मार्कण्डेय पुराण, 28. 3-8.
463. मत्स्यपुराण, 17.71, दानेन सर्वकामात्पि रस्य संजायते.
464. अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 217.13-15. पाप की शुद्धि के लिए दान की महिमा के बारे में हाजरा : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 250.
465. मत्स्यपुराण, 69.51-54...क इदं कल्मादादिति वैदिकं मन्त्रमीरयेत्. हाजरा ने जीवानंद के संस्करण के अध्याय 70-71 के समानांतर अध्याय 69-72 का काल लगभग 550-650ई० रखा है. हाजरा : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 176.
466. मत्स्यपुराण, 91.23-32.
467. बी० सी० ला : 'हेवन ऐंड हेल', पृ० 36-45 में प्रस्तुत विमानवत्थु टीका के सार के आधार पर संगणित.
468. हाजरा : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 247.
469. के० बी० रंगस्वामी अध्यंगर : वृहस्पति, इंट्रोडक्शन, पृ० 162.
470. वृहस्पति, संस्कार, श्लोक 288.
471. विष्णु, LXXXII.14 और 22; शांतिपर्व, पांडुलिपि ढी एस 5; ब्रह्मांड पुराण, III.15.44.
472. मनुस्मृति, XI.42.
473. वज्रसूची, (बी० बी०), पृ० 7.
474. वही, (ओ०), पृ० 4.
475. वही, (ई० ई०) और (जी आई०), पृ० 8 और 9.
476. के० जी० गोस्वामी : 'वैष्णविज्म', (इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टलरी, कलकत्ता, XXXI), पृ० 132.
477. रायचौधरी : 'दि अर्ली हिस्ट्री आफ दि वैष्णव सेक्ट', पृ० 117.
478. भगवद्गीता, IX.32; भगवत् पुराण, VII.7.54-55; XI.5.4.
479. भागवत् पुराण, III.16.6.
480. वही, III.33.7.
481. वही, V.I.35 देखें, आश्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 117.2.
482. शांतिपर्व (कल०), 296.28, वैदेहकं शूद्रमुदाहरन्ति द्विजा महाराज श्रुतोपपन्नः. अहं हि पश्यामि नरेन्द्र देवं विश्वस्य विष्णुं जगतः प्रधानम्. यहां शूद्र के विशेषण के रूप में

- 'वैदेहक' शब्द का प्रयोग विचित्र है।
- 483. आश्वभेदिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 116.21.
 - 484. वही, 116.22.
 - 485. वही, 116.31.
 - 486. अनुशासनपर्व (नार्दनं एडिशन आफ दि महाभारत), 18.8, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 49.81.
 - 487. वायुपुराण, I, 30.18.
 - 488. वही, II, 39.352-4. वायुपुराण के परिशिष्ट में दी गई कहानी के अनुसार मंख नाम के नातित ने बाराणसी में गणेश क्षेमक की मूर्ति स्थापित की। पाटिल : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 38.
 - 489. बी० भट्टचार्य : जाख्यसंहिता, फोरवर्ड, पृ० 34, शिलालेखीय प्रमाणों से यह पुस्तक 450 ई० के आस-पास की मानी गई है।
 - 490. जाख्यसंहिता, 18.3-5.
 - 491. वही, 6-9, सु (स ?) जातीयेन शूद्रेण तादूयेन महाधिया। अनुग्रहाभिषेकोच कार्योऽशूद्रस्य सर्वदा।'
 - 492. के० जी० गोस्वामी : पूर्व निर्दिष्ट, (इंडियन हिस्टारिकल वाटलरी, कलकत्ता, XXXI), पृ० 125.
 - 493. फिर भी कई वचनों में विशेषतया ब्राह्मणों के लिए कर्मकांडों के अनुष्ठान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यदि ब्राह्मण संघान्वयन या अभिन्होच न करे और वाणिज्य-वृत्ति या कृषि-वृत्ति अपनाए तो वह शूद्र या दृष्टि की कोटि में आ जाएगा। अनुशासनपर्व (नार्दनं एडिशन आफ दि महाभारत), 104.19-20, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 161.20, (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 217.10-12, आश्व-भेदिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 116.11-12, तुलनीय शांतिपर्व, XII.63.3-5, अभिन्होच, उपनयन, ग्रन्त आदि धार्मिक कर्मों और संस्कारों का अनुष्ठान न करना, अयाजकों के यहाँ यज्ञ कराना तथा शूद्रों की सेवा करना ब्राह्मणों के लिए उपपातक बताए गए हैं। याज्ञवल्क्य, III, 234-242.
 - 494. आश्वभेदिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 116.5-6.
 - 495. अनुशासनपर्व (नार्दनं एडिशन आफ दि महाभारत), 48.48 (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 83.47.
 - 496. वनपर्व (कल०), 215.13. यस्तु शूद्रो दमे सत्ये धर्मेच सततः स्थितः। तं ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि भवेद् द्विजः।
 - 497. अनुशासनपर्व (कल०), 143.46-50 तुलनीय वनपर्व (कल०), 181.42-43, न योनिनांपि संस्कारो न श्रुतं न च सन्ततिः।
 - 498. अनुशासनपर्व (कल०), 143.51; शांतिपर्व (कल०), 189.8; वनपर्व (कल०), 180.25-26, तुलनीय 35-36, भविष्य पुराण, I.44.31, तुलनीय भागवत पुराण, VII.11.35.
 - 499. वज्रसूची (के के), श्लोक 43, पृ० 10.

278 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

500. वनपर्व (कल०), 205.44; 206.10-25.
501. वही, 206.20-22.
502. हापर्किस : 'रेलिजन्स आफ ईंडिया', पृ० 425 में उद्धृत, होल्ट्समैन : 'न्यूजेन बूखेर', पृ० 86.
503. वज्रसूची (जी), इलोक 9 और 10, पृ० 2; तुलनीय (वाई), इलोक 27, पृ० 7.
504. गीता, IX.32 धर्मव्याघ का भी ऐसा विश्वास है कि सेवा ही शूद्रों का धर्म है (कर्म शूद्रेण्...).
505. द्विजशूद्रधर्मः भक्तितोमयिः आप्वमेधिक पर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 118.15-16.
506. मनुस्मृति, IX.335.
507. मृच्छकटिक, VIII.25, कंरमारकर का अनुवाद, पृ० 232. जेण ह्या गवमदासे विणिमिमदे भाष्येऽदोसेहि. अहिंशं च न किणिस्सं तेण अकज्ञं पलिहलाभि.
508. धुर्यें : 'कास्ट एँड क्लास', पृ० 95.
509. अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन आफ दि महाभारत), 164.2-3 (नार्दर्न एडिशन आफ दि महाभारत) 107.2-3.
510. मरे : 'दि स्लैंडर डैट वाज इजिएट', पृ० 185.
511. मोरेट और डेवी : 'फ्राम ट्राइब टु इम्पायर', पृ० 222.
512. शांतिपर्व, 85.7-10.
513. धुर्यें : पूर्व निर्दिष्ट, पृ० 94. धुर्यें ऐसा ही सोचते हैं. उनकी राय है कि 300 ई० से 1000 ई० तक शूद्र सामाजिक दृष्टि से और भी अधोगत हुए.

सारांश और निष्कर्ष

आरंभिक काल से लेकर लगभग पांच सौ ई० तक शूद्रों की स्थिति में हुए परिवर्तन के प्रमुख चरणों का विवरण मोटे तौर पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा जान पड़ता है कि आर्यों और अनार्यों के पराजित और बेदखल कर दिए वर्ग शूद्र बना दिए गए और विजेता उसे अपनी सामूहिक संपत्ति मानने लगे। चूंकि अधिकांश शूद्र मूलतः आर्य समुदाय के ही अंग थे, इसलिए परवर्ती वैदिक समाज में भी उनके अनेक जनजातीय अधिकार, खासकर धार्मिक अधिकार बने रहे। किंतु जब प्राक्मौर्यकाल (लगभग छः सौ ई० पू० से तीन सौ ई० पू० तक) में वर्णाश्रित समाज पूर्णतया स्थापित हो गया, तब उन्हें इन अधिकारों से वंचित कर दिया गया और तमाम आर्थिक, राजनीतिक एवं कानूनी और सामाजिक तथा धार्मिक अशक्तताएं उन पर लाद दी गईं। शूद्र को दास समझा जाने लगा, हालांकि कानून शूद्रों का केवल एक वर्ग ही दास रहा होगा। 'शूद्र' शब्द को दास का पर्याय मानना गलत है, यद्यपि हापर्किस ने ऐसा ही माना है।¹ इसी प्रकार शूद्र को कृषि दास (सर्फ) कहना भी ठीक नहीं है, जैसा कि वैदिक इंडेक्स² में कहा गया है, क्योंकि कृषि दास वह है जो भूमि के साथ बंधा रहकर सेवा करता हो और उसके साथ हस्तांतरित किया जा सकता हो। हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि बहुत दिनों तक शूद्र शब्द का प्रयोग उन बहुविध मजदूर वर्गों के लिए सामूहिक रूप में किया जाता रहा जो तीन उच्च वर्णों की तावेदारी करते थे। इस दृष्टि से उनकी तुलना सामान्यतया स्पार्टा के गुलामों से की जा सकती है। शूद्रों की चाकरी कई प्रकार की थी। वे घरेलू नौकरों और दासों, कृषि दासों, भाड़े के मजदूरों और शिल्पियों के रूप में काम करते थे। हाल के एक लेखक ने निदा भरे शब्दों में बताया है कि वे कोई रचनात्मक कार्य करने योग्य नहीं थे।³ किंतु यह वृद्धता के साथ कहा जा सकता है कि शूद्रों के श्रम और कीशल तथा वैश्य किसानों द्वारा किया गया अतिरिक्त उत्पादन प्राचीन भारतीय समाज के विकास के भौतिक आधार थे।

मौर्यकाल में शूद्र से कृषि मजदूर का काम लेने की प्रवृत्ति पराकाष्ठा पर

थी और उसके पहले या पश्चात् किसी भी समय दासों, भाड़े के मजदूरों और कारीगरों पर राज्य का इतना अधिक नियंत्रण नहीं रहा। कहा गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य माना गया है और वे गुलाम नहीं बनाए जा सकते थे। किंतु संबद्ध परिच्छेदों के सूक्ष्म विवेचन से इस मत की पुष्टि नहीं होती।⁴ अशोक ने न्याय प्रशासन में वर्ण विभेदों को दूर करने का जो प्रयास किया उससे प्रायः ब्राह्मण नाराज हो गए और निम्न वर्णों को भी लाभ नहीं पहुंचा।

मौर्योत्तर काल (लगभग दो सौ ई० पू० से दो सौ० ई० सन) में शूद्रों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मनु का कट्टर शूद्रविरोधी रुख और ब्राह्मण-विरोधी कार्यों के लिए पुराणों में की गई शूद्रों की भत्सनाएं तीव्र वर्णसंघर्ष का संकेत देती हैं और यह संघर्ष शूद्रों के हक में संभवतया विदेशियों द्वारा किए गए हस्तक्षेप से तीव्रतर हो गया था। संभवतया इस संघर्ष के फलस्वरूप और प्रबल मौर्य साम्राज्य के पतन तथा नए नए कला कौशल के विकास के कारण शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन के आसार दिखाई पड़ने लगे और गुप्तकाल (लगभग दो सौ ई० पू० से पांच सौ ई० सन) में ये परिवर्तन अधिक स्पष्ट हो गए।

इस काल में शूद्रों ने कुछ धार्मिक और नागरिक अधिकार प्राप्त किए और कई दृष्टियों से वैश्यों के समकक्ष बन गए। वैश्यों और शूद्रों का संयुक्त उल्लेख तो प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, किंतु मौर्योत्तर काल और गुप्तकाल के ग्रंथों में ऐसा उल्लेख अधिकाधिक संख्या में मिलने लगता है। अन्यान्य विकासों की रोशनी में, गुप्तकाल में, ऐसे उल्लेखों का अपना एक अलग और नया महत्व है। स्पष्ट है कि वैश्यों की हैसियत घटाकर उन्हें पराधीनता की ओर ढकेल दिया गया और शूद्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वाधीनता की ओर अग्रसर किया गया। इनमें पहली प्रक्रिया का अनुमान विकसित क्षेत्रों में ब्राह्मणों को दिए गए अनेकानेक भूमिदानों से किया जा सकता है, जिनके चलते पुराने किसानों और राजा के बीच एक मध्यवर्ती सत्ता कायम होने से इन किसानों की स्थिति हासोन्मुख हो गई।⁵ बेगार (विष्ट) की प्रथा जो मौर्यकाल में दासों और कर्मकारों तक ही सीमित प्रतीत होती है, अब किसानों पर भी लागू कर दी गई और इससे वैश्यों तथा शूद्रों के बीच की असमानता और भी कम हो गई। शूद्रों का वैश्यों के दर्जे में पहुंचना, किसान के रूप में उनके रूपांतरण और शिल्पियों तथा व्यापारियों के रूप में उनके बढ़ते हुए महत्व से भी स्पष्ट होता है। मालूम पड़ता है कि अविकसित क्षेत्रों में ब्राह्मणों को दिए गए भूमिदानों से शूद्र किसानों की संख्या बढ़ी थी। ऐसे किसान आदिवासी जनजातियों से ब्राह्मणिक सामाजिक संगठन में आत्मसात किए जा रहे थे। प्राचीन काल में शूद्रों का काम था उच्च वर्णों के लिए श्रम की आपूर्ति करना; किंतु गुप्तकाल के बाद अब उनका काम था शिल्पी, व्यापारी और विशेषकर किसानों के रूप में उत्पादन कर्म द्वारा सामानों की

आपूर्ति। उनकी पुराने ढंग की पराधीनता अभी भी बनी हुई थी, किंतु ऐसी स्थिति में पड़े शूद्रों की संख्या इस काल के नए ढंग के शूद्रों की आपेक्षा कम थी।

गुप्तकाल से पहले की शूद्र समुदाय की पराधीन हैसियत और दयनीय स्थिति के बावजूद शूद्रों के विद्रोह का कोई प्रमाण शायद ही मिलता है। हाँ, मौर्योंतर काल में इनके घोर ब्राह्मणविरोधी कार्यकलापों के प्रसंग मिलते हैं। रोम के दासों द्वारा की गई क्रांतियों की तुलना में शूद्रों के सांयोगिक और छिटपुट राज्य-विरोधी कार्यकलाप महत्वपूर्ण नहीं हैं। उत्तर भारत की सामाजिक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (छ: सौ ई० पू० से दो सौ ई० सन) संबंधी एक रचना में बताया गया है कि निम्नवर्गीय वैश्य मध्यमवर्ग (हीन मध्यमवर्ग) के थे,⁹ और शूद्र एवं द्विज वर्णों के बीच संतुलन बनाए हुए थे।¹⁰ 'द्विज वर्गों' ('द्विज कलासेज') शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि वैश्यों को भी द्विज माना जाता था। किंतु यह तथ्य भी कि वैश्य एक और प्रथम दो वर्णों और दूसरी ओर शूद्रों के बीच संतुलन का काम करते थे; केवल ई० सन के आरंभ होने के पहले तक के काल के लिए ही सही हो सकता है, क्योंकि मोटे तौर पर उसी समय से दोनों निम्न वर्ण एक दूसरे के निकट पहुंचने लगे थे और गुप्तकाल आते आते उनका अलग अलग अस्तित्व समाप्त सा हो चुका था।

किंतु प्राचीन भारतीय समाज में शूद्रों की आपेक्षिक शांतिप्रियता को स्पष्ट करने के लिए कुछ अन्य कारण भी बताए जा सकते हैं। भारत में संभवतया मुद्रामूलक अर्थव्यवस्था उस हृद तक विकसित नहीं हुई थी जिस हृद तक वह ग्रीस⁸ और रोम में थी। अतः शूद्रों की सेन्द्रांतिक दासता के बावजूद, उनमें से बहुत कम को ही ऋण की अदायगी नहीं करने के कारण दास बनाया जाता था। ग्रीस में दासता का यह प्रमुख साधन था।⁹ मौर्यपूर्व काल और मौर्यकाल को छोड़कर कृषि दासों से काम लेने के बहुत कम प्रमाण मिलते हैं। दास अधिकतर घरेलू कार्यों के लिए रखे जाते थे। इस व्यवस्था में मालिक के साथ उनका घनिष्ठ संबंध रहता था, तथा घरेलू सोपान वंचित में दास को सर्वथा एक भिन्न वर्ग का नहीं माना जाता था, बल्कि उसे सदस्यों के बीच ही सबसे निचे रखा जाता था।

हो सकता है कि जोर-जबर्दस्ती किए जाने की स्थिति में, शूद्र मजदूरों ने स्वतंत्र जनजातियों के पास शरण ली हो,¹⁰ अथवा वे एक राज्य को छोड़कर दूसरे में चले गए हों। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों और क्षत्रियों की तुलना में शूद्र कोई सुसंगठित, रुद्धद्वार समुदाय नहीं था जो अपने मालिकों के विरुद्ध कोई संयुक्त कार्रवाई करने में सक्षम हो। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, शूद्र विभिन्न तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा वाली अनेक उपजातियों में बिखर गए और अनेकानेक जनजातियों के अंतःप्रवेश से तो इन उपजातियों की संख्या और भी बढ़ती गई। कहा गया है कि अमरकोश में मालाकार, कुंभकार, राज कारीगर,

जुलाहा, दर्जी, रंगसाज आदि को उत्तरोत्तर अपकृष्टता के क्रम से रखा गया है।¹¹ इसमें कोई संदेह नहीं कि शूद्रों के बीच घरेलू नौकरों, बटाईदारों, चरवाहों और नापितों को अधिकांश अन्य प्रकार के शूद्रों की अपेक्षा, समाज में ऊंचे दर्जे वाला माना जाता था, क्योंकि उनके ब्राह्मण मालिक भी उनका अन्न ग्रहण कर सकते थे।¹² निचली जातियों की इससे भी बड़ी कमजोरी थी, शूद्रों और अछूतों के रूप में उनका विभाजन, जो पाणिनि के समय में प्रकट हुआ, बाद में भी रहा और गुप्तकाल में तीव्र हुआ। शूद्रों ने न केवल अपने को उच्च वर्णों की बराबरी में लाकर, बल्कि अपने को अछूतों से श्रेष्ठ बताकर अपना ओहदा बढ़ाया; ताकि ब्राह्मणिक समाज की सोपान पंक्ति में वे अपने से नीचे की जाति के प्रति मिथ्या अभिमान कर सकें।

कदाचित असंतुष्ट शूद्र हथियार न उठा लें, इसके लिए विधिनिर्माताओं ने हमेशा उन्हें निःशस्त्र रखने की नीति बनाई, जिसमें संभवतया गुप्तकाल में परिवर्तन हुए।

वर्णव्यवस्था के बुनियादी ढाँचे को बनाए रखने और शूद्रों को अधम बनाकर रखने में जो एक बात बहुत सहायक हुई, वह है आम जनता को कर्म के सिद्धांत में विश्वास करा देना और यह समझा देना कि ईश्वर द्वारा निर्धारित वर्ण या जाति के कर्तव्यों का पालन नहीं करने के कुपरिणाम भोगने पड़ेंगे। कहा जाता है कि चूंकि आम जनता व्यापक रूप में शिक्षित थी और वह गुण दोष का विचार करने में समर्थ थी, अतः वह उच्च वर्णों की स्वाभाविक श्रेष्ठता में विश्वास नहीं कर सकी।¹³ किंतु ऐसे दावे का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मजदूर वर्गों का दिमाग ब्राह्मणिक आदर्श से इस तरह जकड़ा हुआ था कि शूद्रों को प्रत्यक्ष रूप से दबाने सताने अथवा शूद्रों द्वारा उग्र विद्रोह की गुंजाइश बहुत कम थी।

किंतु ब्राह्मणिक सिद्धांतों को मानने वाले हमेशा अपने सिद्धांतों के गुलाम नहीं थे। आदिवासी और विजातीय शासकों के लिए उपयुक्त क्षत्रिय वंशावली गढ़ लेने में उन्हें उनके वास्तविक जन्म की भावना बाधा नहीं पहुंचा सकी।¹⁴ प्रायः कुछ साहसी शूद्र, जो समय समय पर अपनी धाक जमा सके होंगे, ब्राह्मणिक प्रणाली में बखूबी क्षत्रिय के रूप में अपना लिए गए होंगे, ताकि वे नवधर्मनिर्तिव्यक्ति के समान पूरे उमंग और उत्साह से उच्च वर्णों की प्रमुखता की रक्षा कर सकें। ब्राह्मण कौटिल्य द्वारा शूद्र कुलजात चंद्रगुप्त को समर्थन देने का जो परंपरागत वृत्तांत मिलता है, उससे स्पष्ट है कि ऐसी घटनाएं असंभव नहीं थीं।

बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव, इन सुधारवादी धार्मिक आंदोलनों में कर्मफल-वाद पर, जो कि ब्राह्मणिक समाज व्यवस्था का संदर्भात्मक आधार था, कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। इन आंदोलनों ने अन्य प्रकार की समानता के बदले धार्मिक समानता का आश्वासन देकर, नीच जाति के लोगों को वर्तमान सामाजिक

ढांचे के अनुकूल बनाया। सामाजिक विषमताओं के प्रति विरोध की भावना, जो आरंभिक अवस्था में इन आंदोलनों का प्रमुख लक्षण थी, कालक्रम से विलीन हो गई और वे अपने को वर्णाश्रम व्यवस्था का अभिन्न अंग मानने लगे। इस प्रकार इन सारे तथ्यों के संयुक्त प्रभाव से शूद्र अपेक्षाकृत शांत बने रहे और उनकी पराधीनता स्थाई बन गई।

संदर्भ

1. हापकिस : 'कैप्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया', I, पृ० 268.
2. वेदिक इंडेक्स, II, पृ० 389.
3. वल्वलकर : 'हिंदू सोशल इंस्टट्यूशंस', पृ० 327-8.
4. कौटिल्य : अर्थशास्त्र, III, 13.
5. सरकार : 'सेलेक्ट इंस्क्रिप्शंस', I, पृ० 188, उल्कीण लेख सं० 82, पंक्ति 11, भूमिदान का प्राचीनतम शिलालेखीय साक्ष्य ई० पू० ० प्रथम शताब्दी का कहा जा सकता है, किंतु गुप्तकाल में ऐसे भूमिदान अधिक प्रचलित पाए जाते हैं।
6. तकनीकी दृष्टि से यह शब्द मध्यवर्गीय दुकानदारों के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु इस काल में वैश्य मुख्यतया किसान थे।
7. बोस : पूर्व निर्दिष्ट, II, पृ० 486-87.
8. टामसन : 'स्टडीज इन एनशिएंट ग्रीक सोसायटी', II, पृ० 194-6, तुलनीय।
9. 'सोलन्स डेट लाज टुवाइंस दि बिगर्निंग आफ दि सिक्स्य सेंचुरी बी० सी०', तुलनीय।
10. पीड़ित प्रजा द्वारा पांचाल राज्य छोड़ने का एक उद्धरण जातक में भिलता है।
11. कोसंबी : (जनेल आफ ओरिएंटल रिसर्च, मद्रास, XXIV, 61).
12. याज्ञवल्क्य, I, 166.
13. के० बी० रंगस्वामी अव्यंगर : 'आस्पेक्ट्स आफ दि सोशल एंड पोलिटिकल सिस्टम आफ मनुस्मृति', पृ० 134.
14. 'सेन्सस आफ इंडिया', 1891, 13 (मद्रास), पृ० 213, (साइटप्रिप्ट डेर बोयचेन मेर्गेनलेंडिशेन गेजेलशाफ्ट, बलिन, 1, 510 में उद्धृत।) यह प्रक्रिया हाल तक चलती रही है।

ग्रंथ सूची

(एक से अधिक अध्यायों में प्रयुक्त संदर्भ ग्रंथ)

अ. मूल

महाकाव्य :

(कलकत्ता संस्करण) संपादक एन० शिरोमणि और अन्य, बिलिओथेका इंडिका, कलकत्ता, 1834-39. अनुवादक के० एम० गांगुली । पी० सी० राय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित, 1884-96 ।

(कुंभकोनम संस्करण) संपादक टी० आर० कृष्णाचार्य और टी० आर० व्यासाचार्य, बंबई, 1905-10 ।

(आलोचनात्मक संस्करण) संपादक विभिन्न व्यक्ति, पूना, 1927-64 । जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, निर्देश इसी संस्करण के हैं ।

रामायण, वाल्मीकिकृत

संपादक काशीनाथ पांडुरंग, 2 खंड, बंबई, 188 ।

पुराण :

अग्नि पुराण

अनुवादक एम० एन० दत्त, 2 जिल्द, कलकत्ता, 1903-4 ।

दि पुराण टेक्स्ट आफ दि डायनेस्टीज आफ दि कलि एज

अनुवादक एफ० ई० पार्जिटर, आक्सफोर्ड, 1913 ।

ब्रह्मांड पुराण

बंबई, 1913 ।

भविष्य पुराण

बंबई, 1910 ।

भागवत पुराण

बंबई, 1905 ।

सत्स्य पुराण

संपादक जीवानंद विद्यासागर, कलकत्ता, 1876 ।

मार्कण्डेय पुराण

- संपादक माननीय के० एम० बनर्जी, विब्लिओथेका इंडिका, कलकत्ता,
1862, अनुवादक एफ० ई० पार्चिटर, कलकत्ता, 1904।
- वायु पुराण, संपादक आर० एल० मित्र, 2 जिल्द, विब्लिओथेका इंडिका,
कलकत्ता, 1880-88।
- विष्णु पुराण, श्रीधरस्वामी टीका सहित, संपादक जीवानंद विद्यासागर, कलकत्ता,
1882, अनुवादक एच० एच० विल्सन, 5 जिल्द, लंदन, 1864-70।
- उत्कीण लेख
डी० सी० सरकार, सेलेक्ट इंसक्रिप्शन्स वियरिंग आफ इंडियन हिस्ट्री एंड सिविला-
इजेशन, i, कलकत्ता, 1942।

आ. शब्दकोश और निर्देश ग्रंथ

- ए० ए० मैकडानल एंड ए० बी० कीथ, वैदिक इंडेक्स आफ नेम्स एंड सबजेक्ट्स,
2 जिल्द, लंदन, 1912।
- एच० एच० विल्सन, एग्लासरी आफ जुडीशियल एंड रेवेन्यू टम्स, लंदन, 1885।
- एच० जी० लिडेल और आर० स्काट, ए ग्रीक इंगलिश लेक्सिकन, 2 जिल्द,
आक्सफोर्ड 1925-40।
- जी० पी० मलसेकेरा, ए डिक्षनरी आफ पाली प्रापर नेम्स, 2 जिल्द, लंदन,
1937-8।
- जे० म्यूर, ओरिजनल संस्कृत टेक्स्ट्स, i, लंदन, 1872।
- टी० डब्ल्यू० रीज डेविड्स और डब्ल्यू० स्टीड, पाली-इंगलिश डिक्षनरी,
पी० टी० एस० लंदन, 1921।
- डब्ल्यू० एच० गिलबर्ट, कास्ट इन इंडिया (ग्रंथ-सूची), खंड 1, चक्रमुद्रित प्रति,
वार्षिकटन, 1948।
- मोनियर-विलियम्स, ए संस्कृत इंगलिश डिक्षनरी, आक्सफोर्ड, 1951।
- लक्ष्मणशास्त्री जोशी, धर्मकोश, जिल्द i (तीन खंडों में), वई, जिला सतारा,
1937-41।

इ. भारतीय साहित्य के इतिहास

- ए० बी० कीथ, ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, आक्सफोर्ड, 1928।
- एम० विंटरनिज, (i) ए हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर, जिल्द i, श्रीमती केतकर-
द्वारा जर्मन से अनूदित, कलकत्ता।
- (ii) गेसिस्टे डेर इंडिश्चेन लिटरेटुर, जिल्द ii-iii, लिपजिंग, 1920।
- एलब्रेष्ट वेबर, दि हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर, जे० मन्न एंड टी जकराया।

द्वारा द्वितीय जर्मन संस्करण का अनुवाद, लंदन, 1876 ।

एस० एन० दासगुप्त और एस० के० डे, ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर
(क्लासिकल पीरियड), जिल्ड i, कलकत्ता, 1947 ।

बी० सी० ला, ए हिस्ट्री आफ पाली लिटरेचर, जिल्ड i, लंदन, 1933 ।

ई. सामान्य ग्रंथ

आर० सी० मजूमदार, एच० सी० रायचौधरी और के० के० दत्त, एन एडवांस्ड
हिस्ट्री आफ इंडिया, लंदन, 1948 ।

आर० सी० मजूमदार और ए० डी० पुसलकर, (i) दि वेदिक एज, लंदन, 1951 ।
(ii) दि एज आफ इंपीरियल यूनिटी, बंबई, 1951 ।

ई० जे० रैप्सन, दि कैन्ट्रिया हिस्ट्री आफ इंडिया, जिल्ड i, कैन्ट्रिया, 1922 ।

ए० एल० बाशम, दि वंडर दैट वाज इंडिया, लंदन, 1954 ।

एच० सी० रायचौधरी, पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एनशिएंट इंडिया, छठा संस्करण,
कलकत्ता, 1953 ।

एल० डी० बार्नेट, एंटिक्विटीज आफ इंडिया, लंदन, 1913 ।

के० ए० नीलकंठ शास्त्री, दि मौयजि एंड सतवाहनाज, बंबई, 1957 ।

क्रिश्चियन लैसेन, इंडिश्चे अल्टरथ्रुम्सकंडे, 4 जिल्ड, लिपजिग, 1847-1861 ।

गुन्नर लैटमैन, दि ओरिजिन आफ दि इनइक्वेलिटी आफ दि सोशल क्लासेज,
लंदन, 1938 ।

डी० डी० कोसंबी, एन इंट्रोडक्शन टु दि स्टडी आफ इंडियन हिस्ट्री, बंबई,
1956 ।

बाल्टर र्यूबेन, एनफुरंग इन डी इंडियनकुडे, बर्लिन, 1954 ।

बी० ए० स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया, चतुर्थ संस्करण, एस० एम० एडवांस्ड
द्वारा संशोधित, आक्सफोर्ड, 1924 ।

उ. प्राचीन भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर गौण कृतियां

अतींद्रिनाथ बोस, सोशल एंड रूरल इकानमी आफ नार्दर्न इंडिया (लगभग छः सौ
ई० पू० दो सौ ई० पू०), 2 भाग, कलकत्ता, 1945 ।

आर० के० मुखर्जी, (i) एनशिएंट इंडियन एडुकेशन, लंदन, 1940 ।

(ii) लोकल गवर्नमेंट इन एनशिएंट इंडिया, आक्सफोर्ड, 1920 ।

आर० सी० मजूमदार, कारपोरेट लाइफ इन एनशिएंट इंडिया, कलकत्ता, 1922 ।

आर० सी० हाजरा, स्टडीज इन दि पुराणिक रेकड्स आन हिंदू राइट्स एंड
कस्टम्स, ढाका, 1940 ।

ई० डब्ल्यू० हार्पिंस, पोजिशन आफ दि रूलिंग कास्ट इन एनशिएंट इंडिया,

- जनरल आफ दि अमेरिकन ओरिएंटल सोसायटी, बाल्टी मोर, XIII, 57-376।
 ए० एस० अल्टेकर, एडुकेशन इन एनशिएंट इंडिया, बनारस, 1934।
 ए० एच० रिजले, दि पीपुल आफ इंडिया, लंदन, 1915।
 एन० के० दत्त, ओरिजिन ऐंड ग्रोथ आफ कास्ट इन इंडिया, जिल्ड i, (लगभग
 दो हजार ई० पू०-तीन सौ ई०), लंदन, 1931।
 ए० बेन्स, एथनोग्राफी, स्ट्रैसबर्ग, 1912।
 एपिलिम सेनार्ट, कास्ट इन इंडिया, फैंच संस्करण, लेस कास्ट्रस दा ल इंडे (पेरिस,
 1896) का डेनिसन रास द्वारा अनुवाद, लंदन, 1930।
 एस० ए० डांगे, इंडिया फाम प्रिमिटिव कम्युनिजम टु स्लेवरी, बंबई, 1949।
 एस० वी० केतकर, दि हिस्ट्री आफ कास्ट इन इंडिया, न्यूयार्क, 1909।
 के० एम० शरण, लेबर इन एनशिएंट इंडिया, बंबई, 1957।
 के० एल० दफतरी, दि सोशल इंस्टिट्यूशंस इन एनशिएंट इंडिया, नागपुर,
 1947।
 के० पी० जायसवाल, (i) हिंदू पालिटी, 2 खंड, कलकत्ता, 1924।
 (ii) मनु ऐंड याज्ञवल्क्य, कलकत्ता, 1930।
 के० वी० रंगस्वामी अथ्यंगर, सम आस्पेक्ट्स आफ दि हिंदू व्यु आफ लाइफ
 अकाडिंग टु धर्मशास्त्र, बड़ीदा, 1952।
 जगदीशचंद्र जैन, लाइफ इन एनशिएंट इंडिया ऐज डिपिक्टेड इन दि जैन केन्सन्स,
 बंबई, 1947।
 जी० एस० घुर्ये, कास्ट ऐंड क्लास इन इंडिया, बंबई, 1950।
 जे० एच० हट्टन, कास्ट इन इंडिया, आक्सफोर्ड, 1951।
 जे० जाली, हिंदू ला ऐंड कस्टम, कलकत्ता, 1928, एस० के० दास द्वारा 1896
 के जर्मन संस्करण से अनूदित।
 देवराज चानना, स्लेवरी इन एनशिएंट इंडिया, पांडीचेरी, 1957।
 नारायणचंद्र, बंद्योपाध्याय, इकनामिक लाइफ ऐंड प्रोग्रेस इन एनशिएंट इंडिया,
 कलकत्ता, 1945।
 पी० एच० वल्वलकर, हिंदू सोशल इंस्टिट्यूशंस, लंदन, 1939।
 पी० वी० काणे, हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, जिल्ड ii, पूना, 1941।
 प्राणनाथ, ए स्टडी इन दि इकनामिक कंडीशन आफ एनशिएंट इंडिया, लंदन,
 1929।
 बी० आर० अंबेडकर, (i) हु वेयर दि शूद्राज ? (हाउ दे केम टु बी दि फोर्थ
 वर्ण इन दि इंडो-एरियन सोसायटी ?), बंबई, 1946।
 (ii) दि अनटचेबुल्स (हु वेयर दे ? ऐंड हाउ दे बिकेम अनटचेबुल्स ?) नई
 दिल्ली, 1948।

- बी० ए० सैलेटोर, दि वाइल्ड ट्राइब्स इन इंडियन हिस्ट्री, लाहौर, 1935 ।
 बी० सी० ला, ट्राइब्स इन एनशिएंट इंडिया, पूना, 1943 ।
 भूर्जेन्द्रनाथ दत्त, स्टडीज इन इंडियन सोशल पालिटी, कलकत्ता, 1944 ।
 यू० एन० घोषाल, कांट्रिब्यूशंस टु दि हिस्ट्री आफ हिंदू रेवेन्यू सिस्टम, कलकत्ता 1929 ।
 रामशरण शर्मा, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं, मैकमिलन, दिल्ली, 1977 ।
 वाल्टर रेयब्रेन, डी लाग डर स्कलैवेन इन डेर आल्टनडिस्चेन गेजेलशाप्ट, बर्लिन, 1957 ।
 संतोषकुमार दास, दि इकनामिक हिस्ट्री आफ एनशिएंट इंडिया, कलकत्ता, 1944 ।

1. भूमिका

- अलफेड हिलब्रांट, ब्राह्मणेन उंड शूद्राज, फेस्टस्क्रिप्ट फुर कार्ल विनहोल्ड, पृ० 53-57, ब्रेसलौ, 1896 ।
 आर० जी० भंडारकर, कलेक्टेड वक्स, संपादक एन० बी० उत्तिकर और बी० जी० परांजपे, 4 जिल्द, पूना, 1927-33 ।
 एच० टी कोलब्रुक, मिसलेनस एसेज, संपादक ई० बी० कावेल, 2 जिल्द, लंदन, 1873 ।
 एन० बी० हैलहेड, ए कोड आफ जेंटू लाज, लंदन, 1776 ।
 जेम्स मिल, दि हिस्ट्री आफ इंडिया, जिल्द i और ii, द्वितीय संस्करण, लंदन, 1820 ।
 जे० सी० घोष, ब्राह्मणिज्म ऐंड दि शूद्र, कलकत्ता, 1902 ।
 माउंट स्टुअर्ट एलफिस्टन, दि हिस्ट्री आफ इंडिया, लंदन, 1841 ।
 राजा राममोहन राय, दि इंगलिश वक्स, 3 जिल्द, संपादक जे० सी० घोष, कलकत्ता, 1901 ।
 विलियम जोन्स, इंस्टीट्यूट्स आफ हिंदू ला आर दि आर्डिनेसेज आफ मनु, (अनुवाद) कलकत्ता, 1794 ।
 बी० एस० भट्टाचार्य, दि स्टेट्स आफ दि शूद्राज इन एनशिएंट इंडिया, विश्वभारती त्रैमासिक, 1924 ।
 स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, अजमेर, संवत् 1966 ।

२ उत्पत्ति

मूल ग्रंथ

अथर्ववेद (पैप्पलादों का), संपादक रघुबीर, लाहौर, 1936-41।

अथर्ववेद संहिता (शौनक मतावलंबियों का), संपादक सी० आर० लनमन, अनुवाद डब्ल्यू० डी० ब्हिट्टने, हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज, vii और viii, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, 1905। संपादक आर० रौथ एंड डब्ल्यू० डी० ब्हिट्टने, बर्लिन, 1856। सायण की टीका सहित, संपादक एस० पांडुरंग, पंडित, 4 जिल्द, बंबई, 1895-98। अनुवादक आर० टी० एच० प्रिफिथ, 2 जिल्द, बनारस, 1916-17। जब तक अन्यथा न बताया गया हो, निर्देश शौनक संस्करण के माने जाएँ।

ऋग्वेद संहिता, सायण की टीका सहित, 5 जिल्द, वैदिक संशोधन मंडल, पूना, 1933-51। प्रथम 6 मंडलों का अनुवाद, एच० एच० विलसन, लंदन, 1850-7। के० एफ० गेल्डनर, कैंट्रिज, मैच्यूसेट्स, 1951।

जे० डब्ल्यू० मैक्रिडल (i) एनशिएंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब बाई टालेमी, कलकत्ता, 1885। (ii) दि इनवेजन आफ इंडिया बाई अलेकजांडर दि ग्रेट, वेस्ट-मिस्टर, 1893।

भविष्यत्कहा, लेखक धनपाल, संपादक सी० डी० दलाल और पी० डी० गुने, शायकवाड ओरिएंटल सीरीज, XX, बडौदा, 1923।

वेदांतसूत्र बादरायणकृत, शंकराचार्य की टीका सहित, 2 जिल्द, बिलिथोथेका इंडिका, कलकत्ता, 1863। अनुवाद जार्ज थीबो, सेक्रेट बुक्स आफ दि ईस्ट, XXXIV, आक्सफोर्ड, 1890।

गौण रचनाएँ

आर० ई० मार्टिमर ब्हीलर, दि इंडस सिवलाइजेशन (सप्लीमेंट वाल्यूम टू कैंट्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, I), कैंट्रिज, 1953।

आर० रौथ, ब्रह्म उंड डाइ ब्राह्मनेन, साइटशिफ्ट डेर डोयूचेन मार्गेनलैंडिशेन नेजेलशाप्ट, बर्लिन, i, 66-86।

आर० गिर्समन, ईरान (पेलिकन सीरीज), 1954।

ई० एल० स्टीवेंशन, ज्याग्रफी आफ क्लाइयस टालेमी, न्यूयार्क, 1932।

ई० मैके, अर्ली इंडस सिविलाइजेशंस, द्वितीय संस्करण, लंदन, 1948।

एन० एन० घोष, दि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन कल्चर, कलकत्ता, xii,-177-191।

एफ० ई० पार्जिटर, इंडियन हिस्ट्राइकल ट्रेडीशंस, लंदन, 1922।

- जार्ज दयुमेजिल, (i) फ्लामेन-ब्राह्मण, पेरिस, 1935 ।
 (ii) ला प्रिहिस्ट्रवायरे इंडो-इरानियेन डेस कास्ट्रस जर्नल एशियाटिक
 (पेरिस), ccxvi, 109-130 ।
- जार्ल चार्पेटियर, ब्राह्मण, उप्पसला, 1932 ।
- जी० जे० हेल्ड, दि महाभारत : एन उथनलाजिकल स्टडी, लंदन और एम्स्टरडम,
 1935 ।
- जे० वैकरनेगेल, इंडवायरेनिसेज, सिजुंगसवेरिसे डेर कानिगिलच प्रुसिस्वेन अकाडेमी
 डेर विसेनशैफेन, 1918, पृ० 380-411 ।
- टी० बरो, दि संस्कृत लैरवेज, लंदन, 1955 ।
- डब्ल्यू० र्यूबेन, इंद्राज फाइट अर्गेस्ट वृत्त इन दि महाभारत, एस० के० बेल्वलकर
 (फेलिसिटेशन वाल्यूम, बनारस, 1957), 113-26 ।
- डी० डी० कोसंबी (i) अर्ली ब्राह्मिन्स एंड ब्राह्मनिज्म, जर्नल आफ दि बाम्बे
 ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज, xxiii.39-
 46 ।
 (ii) आन दि ओरिजिन आफ ब्राह्मिन गोत्राज, जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच
 आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज, xxvi, 21-80 ।
 (iii) अर्ली स्टेजेज आफ दि कास्ट सिस्टम इन नार्दन इंडिया, जर्नल आफ
 दि बाम्बे ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज,
 xii, 32-48 ।
- पी० वी० काणे, दि वर्ड व्रत इन दि ऋग्वेद, जर्नल आफ दि बाम्बे ब्रांच आफ
 रायल एशियाटिक सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज, vxix, 1-28 ।
- बी० बी० लाल, प्रोटोहिस्टारिक इनवेस्टिगेशन, एनशिएंट इंडिया, दिल्ली, सं० १ ।
 राबर्ट शेफर, एथनोग्राफी आफ एनशिएंट इंडिया (महाभारत के आधार पर),
 विसबैडन, 1954 ।
- राबर्ट हेन-गेल्डन, अर्कियोलाजिकल ट्रेसेज आफ दि वैदिक एरियन्स, जर्नल आफ
 दि इंडियन सोसायटी आफ ओरिएंटल आर्ट (कलकत्ता), iv, 87-115 ।
 लुइ रनू, वैदिक इंडिया, कलकत्ता, 1957 ।
- बी० एस० भट्टाचार्य शास्त्री, 'शूद्र', एनशिएंट इंडिया, दिल्ली, ii, 137-9 ।
 बी० गौडन चाइल्ड, दि एरियंस, लंदन, 1926 ।
- बी० गौडन चाइल्ड, न्यू लाइट आन दि मोस्ट एनशिएंट इस्ट, लंदन, 1954 ।
 सूर्यकांत, कीकट, फलिग एंड पणि, एस० के० बेल्वलकर फेलिसिटेशन वाल्यूम,
 43-44 ।
 हरमन ग्रासमन, वोर्टरबुक जुम ऋग्वेद, लिपजिग, 1873 ।

3. जनजाति से वर्ण की ओर

(लगभग 1000 ई० पू० से लगभग 600 ई० पू० तक)*

मूल स्रोत

- आपस्तंब श्रौतसूत्र, रुद्रदत्त की टीका सहित, संपादक रिचर्ड गार्वे, 3 जिल्द,
कलकत्ता, 1882-1902। संपादक और अनुवादक डब्ल्यू० कैलेंड, 3 जिल्द,
गौटिंजेन-लिपजिग-एम्स्टर्डम, 1921-1928।
- ऋग्वेद ब्राह्मणाजः ऐतरेय एँड कौशीतकि ब्राह्मणाज, अनुवादक ए० बी० कीथ,
हावर्ड ऑरिएंटल सीरीज, xxv, हावर्ड, 1920।
- ऐतरेय ब्राह्मण, सायण की टीका सहित, संपादक टी० वेबर, बान, 1879
अनुवादक मार्टिन हाग, बर्बर्झ, 1863।
- कण्व संहिता, शुक्ल यजुर्वेदीय, संपादक माधव शास्त्री, बनारस, 1915।
कपिष्ठल-कठ संहिता, संपादक रघुवीर, लाहौर, 1932।
- काठक संहिता, संपादक लियोपाल्ड फान शोडर, लिपजिग, 1900-1910।
कात्यायन श्रौतसूत्र, कक्कचार्य की टीका सहित, संपादक मदनमोहन पाठक, बना-
रस 1904।
- कृष्ण यजुर्वेदीय तैतिरीय ब्राह्मण, सायण की टीका सहित, संपादक आर० एल०
मित्र, 3 जिल्द, कलकत्ता, 1859-70।
- गोपथ ब्राह्मण, संपादक डिएंके गास्ट्रा, लेडेन, 1919।
- छांदोग्य उपनिषद, मूल, अनुवाद और टीका, एमिल सेनार्ट, पेरिस, 1930।
- जेंद अवेस्ता, खंड I वेंदीदाद, अनुवादक जेम्स डर्मेस्टेटर, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट,
iv, आक्सफोर्ड, 1880।
- जैमिनीय या तलवकार उपनिषद ब्राह्मण, संपादक रामदेव, लाहौर, 1921।
- जैमिनीय श्रौतसूत्र, संपादक और जर्मन भाषा में अनुवाद, डी० गास्ट्रा, लेडेन,
1906।
- तैतिरीय संहिता, संपादक ए० वेबर, इंडिशचेत स्टूडियेन, बैंड 11 और 12, लिप-
जिग 1871-2। अनुवादक ए० बी० कीथ, हावर्ड ऑरिएंटल सीरीज, xviii
और xix, हावर्ड, 1914।
- दि थर्टीन प्रिसिपल उपनिषद्दस, अनुवादक आर० ई० ह्यू० म, आक्सफोर्ड, 1931।
डस जैमिनीय ब्राह्मण इन औसवाल, संपादक और जर्मन भाषा में अनुवादक, डब्ल्यू०
कैलेंड, एम्स्टर्डम, 1919।

* जो रचना किसी खास काल के सिलसिले में बताई गई है, आवश्यक नहीं कि वह उसी
काल की हो अथवा केवल उसी काल का विवरण प्रस्तुत करती हो।

द्राह्यायण श्रौतसूत्र, धनविन की टीका सहित, संपादक जे० एन० रुथर, लंदन, 1904।

निंबंटु ऐंड निरुक्त, संपादक और अनुवादक लक्ष्मण सरूप। मूल, पंजाब विश्वविद्यालय, 1927, अंग्रेजी अनुवाद और टिप्पणियां, आक्सफोर्ड 1921।

वृहदारण्यक उपनिषद, शंकराचार्य की टीका सहित, अनुवादक स्वामी माधवानन, अल्मोड़ा, 1950।

बृहदेवता, संभवतः शौनककृत, संपादक और अनुवादक ए० ए० मैकडानल, हावर्ड ओरिएंटल सीरीज, v और vi, हावर्ड, 1904।

मैत्रायणी संहिता, संपादक लियोपाल्ड फान श्रोडर, लिपजिग, 1923।

लाट्यायन श्रौतसूत्र, अग्निस्वामी की टीका सहित, संपादक आनन्द चंद्र वेदांतररागेश, बिलिओथेका इंडिका, कलकत्ता, 1872।

वाजसनेयि संहिता (माध्यंदिन पाठ) उवट और महीधर की टीका सहित, संपादक वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पंसिकर, बंबई, 1912।

वाराह श्रौतसूत्र, संपादक डब्ल्यू० कैलेंड ऐंड रघुवीर, लाहौर, 1933।

शतपथ ब्राह्मण, (माध्यंदिन पाठ), संपादक वी० शर्मा गौड़ एवं सी० डी० शर्मा, काशी, संवत् 1994-7।

शांखायन ब्राह्मण, आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, सं० 35, 1911।

शांखायन श्रौतसूत्र, संपादक ए० हिलब्रांट, बिलिओथेका इंडिका, कलकत्ता, 1888। सत्याषाढ़ (हिरण्यकेशिन) श्रौतसूत्र, महादेव की टीका सहित, आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, 1907।

सामवेदीय जैमिनीय ब्राह्मण, संपादक रघुवीर एवं लोकेश चंद्र, नागपुर, 1954।

गौण रचनाएं

आर० जी० फौर्बिस, मेटलर्जी इन एनटिकवीटी, लेडन, 1950।

ए० ए० मैकडानल, ए वेदिक ग्रामर फार स्टूडेंट्स, आक्सफोर्ड, 1916।

एच० एम० चैडविक, दि हिरोइक एज, कैंब्रिज, 1912।

एम० ब्लूमफील्ड, दि अथर्ववेद, स्ट्रैसबर्ग, 1899।

ए० वेबर, (i) कलेक्टानिया उबर डी क्स्टेनवेर हालनिसे इन डेन ब्राह्मण उंड सूत्र, इंडिस्चे स्टूडियेन, X, 1-160।

(ii) डेर अस्ट्रैं अध्याय डेस अस्टेन बुचेस डेस शतपथ ब्राह्मण, त्साइटशिप्ट डेर डोय्चेन मेर्गेनलैंडिशे गेजेलशाफ्ट, बर्लिन, iv, 289-304।

ए० सी० बनर्जी, स्टडीज इन दि ब्राह्मणाज, पी-एच० डी० थीसिस, लंदन विश्वविद्यालय, 1952।

ए० हिलब्रांट, जूर वेडिस्चेन माइथालजी उंड वाल्करवेगुंग, लिपजिग, बैंड-3,

लिपजिग, 1925।

जार्ज टामसन, स्टडीज इन एनशिएट ग्रीक सोसायटी, i, लंदन, 1949।

जी० सी० पांडे, स्टडीज इन दि ओरिजन्स आफ बुद्धिज्ञम्, इताहावाद, 1957।

जे० म्यूर, रिलेशन आफ दि प्रिस्ट्स टु दि अदर क्लासेज आफ इंडियन सोसायटी इन दि वेदिक एज, जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड आयरलैंड, लंदन, न्यू सीरीज, ii (1866), 257-302।

विलहेम गाहगर, सिविलाइजेशन आफ दि ईस्टर्न इरानियन्स इन एनशिएट टाइम्स, डी० डी० पोसोटन संजाना द्वारा जर्मन भाषा से अनूदित, जिल्द i, लंदन, 1885।

हेनरिक टिस्मर, अल्टिडिस्चेस लेवेन, बर्लिन, 1879।

4. दासता और अशक्तता

(लगभग ४० सौ ई० पू० से लगभग तीन सौ ई० पू० तक)

मूल ग्रंथ

अ. आत्मण

आपस्तंब धर्मसूत्र, संपादक जी० बुहलर, बंबई, 1932।

आश्वलायन गृह्यसूत्र, हरदत्ताचार्य की टीका सहित, संपादक टी० गणपति शास्त्री, त्रिवेंद्रम, 1923।

गौतम धर्मसूत्र, संपादक ए० एस० स्टेंजलर, लंदन, 1876, मस्करिन् की टीका सहित, संपादक एल० श्रीनिवासाचार्य, मैसूर, 1917।

पाणिनि-सूत्र-पाठ ऐंड परिशिष्टाज, शब्द सूची सहित, संकलनकर्ता एस० पाठक और एस० चितराव, पूना, 1935।

पारस्कर गृह्यसूत्र, बंबई, 1917।

बौधायन गृह्यसूत्र, संपादक आर० शामा शास्त्री, मैसूर, 1927।

बौधायन धर्मसूत्र, संपादक ई० हुल्श, लिपजिग, 1884।

वसिष्ठ धर्मशास्त्र, संपादक ए० ए० फुहरर, बंबई, 1916।

शांखायन, आश्वलायन, पारस्कर, खदिर, गोभिल, हिरण्यकेशिन् और आपस्तंब के गृह्यसूत्र का अनुवाद, एच० ओल्डेनबर्ग, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, xxix और xxx, आक्सफोर्ड, 1886-92।

शांखायन गृह्यसूत्र, संपादक एच० गोल्डेनबर्ग, इंडिस्चे स्टूडियेन, XV, पृ० 13 आदि।

आपस्तम्ब, गौतम, वसिष्ठ और बौधायन के धर्मसूत्र का अनुवाद, जी० बुहलर,

सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, ii और xiv, आक्सफोर्ड, 1879-82।

आ. बौद्ध

अंगुत्तर निकाय, संपादक आर० मौरिस एवं ई० हार्डी, 5 जिल्द, पाली टेक्स्ट सोसायटी, लंदन, 1885-1900 i जिल्द i, ii और v का अनुवाद एफ० एल० उडवर्ड द्वारा और iii एवं iv का अनुवाद ई० एम० हेअर द्वारा, पाली टेक्स्ट सोसायटी, लंदन, 1932-36।

जातक-टीका सहित, संपादक वी० फासबाल, 7 जिल्द, (जिल्द 7, अनुक्रमणी, डी० ऐंडरसन द्वारा) लंदन, 1877-97, अनुवाद विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, 6 जिल्द, लंदन, 1895-1907।

दीघ निकाय संपादक टी० डब्ल्यू० रीज डेविड्स और जे० ई० कारपेटर, 3 जिल्द, पाली टेक्स्ट सोसायटी, लंदन, 1890-1911, अनुवादक टी० डब्ल्यू० रीज़ डेविड्स, 3 जिल्द, सेक्रेड बुक्स आफ दि बुद्धिस्ट्स, लंदन, 1899-21। मञ्जिम निकाय, संपादक वी० ट्रैकनर एवं आर० चामर्स, पाली टेक्स्ट सोसायटी, 3 जिल्द, लंदन, 1888-1896, अनुवाद लाई चामर्स, 2 जिल्द, सेक्रेड बुक्स आफ दि बुद्धिस्ट्स, 1926-27।

विनयपिटक, संपादक एच० ओलेनबर्ग, 5 जिल्द, लंदन, 1879-83। अनुवाद आई० बी० हौर्नर, 5 खंड, सेक्रेड बुक्स आफ दि बुद्धिस्ट्स, लंदन, 1938-52।

इ. जैन

आयारंगसूत इवेतांबर जैन, संपादक एच० जैकोबी, पाली टेक्स्ट सोसायटी, लंदन, 1882।

उत्तराध्ययनसूत्र, संपादक जार्ल चारपेटियर, उप्पसला, 1922।

उवासगदसाव, संपादक ए० एक० रुडाल्फ हार्नलै, कलकत्ता, 1890।

ओवाइय (या औपपातिक सूत्र) अभ्यदेव की टीका सहित, संपादक मुनि हेमसागर, आगमोदय समिति प्रकाशन।

अंतगड-दसाव ऐंड अणुत्तरोदवाइय-दसाव, संपादक पी० एल० वैद्य, बंबई, 1932 अनुवादक एल० डी० बार्नेट, लंदन, 1907।

कल्पसूत्र, भद्रबाहु का, संपादक एच० जैकोबी, लिपजिग, 1879।

सूयगडम्, संपादक पी० एल० वैद्य, बंबई, 1928।

स्थानांग सूत्र, अभ्यदेव की टीका सहित, संपादक वेणिचंद्र सुरचंद्र, 2 जिल्द, बंबई, 1918-20।

गौण रचनाएं

- आइवर फाइजर, दि प्राब्लम आफ दि सेटिं इन बुद्धिस्ट जातकाज, आकिव
ओरिएंटलानी, प्राग, xxii, 238-265।
- आर० एन० मेहता, प्री-बुद्धिस्ट इंडिया, बंबई, 1939।
- ए० एल० बैशाम, हिस्त्री ऐंड डाकिटून्स आफ दि आजीविकाज, लंदन, 1951।
- एन० सी० बैनर्जी, स्लेवरी इन एनशिएंट इंडिया, दि कलकत्ता रिव्यू (अगस्त,
1930), पृ० 249-265।
- एफ० मैक्सम्यूलर, दि हिबर्ट लेक्चर्स 1878, लंदन, 1880।
- जे० जे० मेयर, उबर डस बेसेन डर अल्टिन डिस्चेन रेखटसक्रिप्टेन उंड जेर
वरहाल्टनिस सू आइनैन्डर उंड सू कौटिल्य, लिपजिग, 1927।
- टी० डब्ल्यू० रीज़ डेविड्स, बुद्धिस्ट इंडिया, लंदन, 1903।
- डब्ल्यू० एल० वेस्टरमन्न, दि स्लेव सिस्टम्स आफ ग्रीक ऐंड रोमन एंटीकिवटी,
फिलाडेलिफ्या, 1955।
- डी० डी० कोसम्बी, एनशिएंट कोशल ऐंड मगध, जर्नल आफ दि बांबे ब्रांच
आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बंबई, न्यू सीरीज, xxvii।
- बी० सी० ला, इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन अर्ली टेक्स्ट्स आफ बुद्धिज्ञम ऐंड
जैनिज्म, लंदन, 1941।
- यू० एन० घोषाल, दि स्टेट्स आफ शूद्राज इन दि धर्मसूत्राज, इंडियन कल्चर,
कलकत्ता, xiv, 21-27।
- रिचर्ड फिक, दि सोशल आरगेनाइजेशन इन नार्थ-ईस्ट इंडिया इन बुद्धाज टाइम,
कलकत्ता, 1920।
- रोडाल्फ मांडाल्फो, ग्रीक ऐटिच्यूड टु मैनुथल लेबर, पास्ट ऐंड प्रेजेंट, सं० 6।
- वी० एम० आप्टे, सोशल ऐंड रेलिजस लाइफ इन दि गृहसूत्राज, बंबई, 1954।
- वी० एस० अग्रवाल, इंडिया ऐज नोन टु पाणिनि, लखनऊ, 1953।
- शिवनाथ बसु, स्लेवरी इन दि जातकाज, जर्नल आफ दि बिहार ऐंड उड़ीसा
रिसर्च सोसायटी, पटना, ix, 369-375।

4 मौर्यकालीन राज्य-नियंत्रण और सेविवर्ग

(लगभग तीन सौ ई० पू० से लगभग 200 ई० पू० तक)

मूल स्रोत

प्रथ

कौटिल्य का अर्थशास्त्र, संपादक आर० शामा शास्त्री, तृतीय संस्करण, मैसूर,

1924 (जब तक अन्यथा न बताया गया हो, इस पुस्तक में जो निर्देश आए हैं, वे इसी ग्रंथ के हैं) अनुवादक आर० शामा शास्त्री, तृतीय संस्करण, मैसूर, 1929 । टीका सहित संपादित टी० गणपति शास्त्री, 3 जिल्द, त्रिवेंद्रम, 1924-25 । संपादक जे० जाली और आर० स्मित, जिल्द 1, लाहौर, 1924 । अनुवादक आर० शामा शास्त्री, तृतीय संस्करण, मैसूर, 1929 । अनुवादक डॉ अलिटनडिस्चे बुक फाम वेल्ट उंड सटैटस्लेबेन, जे० जे० मेयर, लिपजिग, 1926 ।

टीकाएँ

जयमंगला (अर्थशास्त्र के खंड I के अंत तक है, पर कहीं कहीं कुछ छूटा भी है), संपादक जी० हरिहर शास्त्री, जर्नल आफ ओरिएंटल रिसर्च, मद्रास, xx-xxiii ।

नय चंद्रिका, माधव यज्व (खंड VII-XII पर) संपादक उदयबीर शास्त्री, लाहौर 1924 ।

प्रतिपद पंचिका, भद्रस्वामिन् रचित (खंड II पर प्रकरण 8 से), संपादक के० पी० जायसवाल और ए० बनर्जी-शास्त्री, जर्नल आफ दि विहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, पटना, xi-xii ।

उत्कीर्ण लेख

अशोक के शिलालेख, संपादक ई० हुल्शा, cii, i, आक्सफोर्ड, 1925 ।

विदेशियों के विवरण

जे० डब्ल्यू० मैक्रिडल, (i) एनशिएट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, वेस्टर्निस्टर, 1901 ।
(ii) एनशिएट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई मेगस्थनीज ऐंड एस्यन, कलकत्ता, 1926 ।
(iii) एनशिएट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई टेसियाज दि निडियन, लंदन, 1882 ।

गौण रचनाएँ

आई० जे० सोराबजी, सम नोट्स आन दि अध्यक्ष प्रचार, कौटिल्य अर्थशास्त्रम का खंड II, इलाहाबाद, 1914 ।

एन० सी० बंद्योपाध्याय, कौटिल्य आर एन एक्सपोजिशन आफ हिज सोशल ऐंड पोलिटिकल थ्योरी, कलकत्ता, 1927 ।

के० वी० रंगस्वामी अय्यंगर, इंडियन कैमरैलिज्म, मद्रास, 1949।

पी० एल० नरसू, दि इसेन्स आफ बुद्धिज्म, मद्रास, 1912।

बर्नहार्ड ब्रोलर, कौटिल्य स्टुडियेन, 3 जिल्द, बान, 1927-34।

6. प्राचीन व्यवस्था का कमज़ोर पड़ना

(लगभग दो सौ ई० पू० से लगभग दो सौ ई० सन तक)

मूल स्रोत

ग्रंथ

ड्रामाज आफ भास : अविभारक, बालचरित, पंचरात्र और प्रतिमानाटक, संपादक, टी० गणपति शास्त्री, निवेदिम, 1912-15।

दिव्यावदान, संपादक ई० बी० कौवेल और एफ० ए० नील, कैंब्रिज, 1886।

पन्नवणा सूत्र (मलयगिरि की टीका सहित), 2 जिल्द, बनारस, 1884।

मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र, संपादक वी० एन० मांडलिक, बंबई, 1886, अनुवादक जी० बुहलर, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, xxv, आक्सफोर्ड, 1886।

महाभाष्य आफ पतंजलि, संपादक एफ० किलहार्न, 3 जिल्द, बंबई, 1892-1909।

महावस्तु, संपादक ई० सेनार्ट, 3 जिल्द, पेरिस, 1882-97।

मिलिदपंहो, संपादक वी० ट्रैकनर, लंदन, 1928; अनुवादक टी० डब्ल्यू० रीज डेविड्स, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, xxxv-xxxvi, आक्सफोर्ड, 1890-4।

युगपुराण, संपादक डी० आर० मनकद, बल्लभविद्यानगर, 1951।

ललितविस्तर, संपादक एस० लेफमन्न, 2 जिल्द, हैले, 1902-1908।

सद्धर्मपुङ्डरीकसूत्र, जिसमें सेंट्रल एशिया की पांडुलिपियों के पाठ भी हैं, एन० डी० मिरेनोव के, संपादक एन० दत्त, कलकत्ता, 1952 अनुवादक एच० कर्न, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, xxi, आक्सफोर्ड, 1884।

उत्कीर्ण लेख

ल्यूडर की उत्कीर्ण लेखों की सूची, एपिग्राफिया इंडिका, X।

गोण रचनाएं

आर० ई० एम० व्हीलर, रोम विश्रांत दि इंपीरियल फंटियर्स, पेलिकन

सीरीज, 1955।

ई० एच० वामिगटन, दि कामर्स बिटविन दि रोमन एंपायर ऐंड इंडिया, कैब्रिज, 1928।

ई० डब्ल्यू० हापकिस, दि म्युचुअल रिलेशंस आफ दि फोर कास्ट्स एकार्डिंग टू दि मानव धर्मशास्त्र, लिपजिंग, 1881।

ए० डी० पुसलकर, भास—ए स्टडी, लाहौर, 1940।

के० पी० जायसवाल, हिस्ट्री आफ इंडिया, ई० सन 150 से ई० सन 350, लाहौर, 1933।

के० वी० रंगस्वामी अद्यंगर, (i) आस्पेक्ट्स आफ दि सोशल ऐंड पालिटिकल सिस्टम आफ मनुस्मृति, लखनऊ, 1949।

(ii) राजधर्म, मद्रास, 1941।

जी० एफ० इलियन, शूद्राज उंड स्क्लेवेन इन डेन अल्ट डिस्चेन गेसेत्सबुचर्न, साउजे टिक्सेनशैफ्ट (बर्लिन), 1952, स० 2, पृ० 94-107।

डब्ल्यू० डब्ल्यू० टार्न, दि ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया ऐंड इंडिया, कैब्रिज, 1938।

डी० ए० सुलेकिन, फंडामेंटल प्राब्लम्स आफ दि पीरियडाइजेशन आफ एनशिएंट इंडिया, मेडीइवल इंडिया क्वार्टर्ली (अलीगढ़), i, स० 53-4, 46-58।

बी० एन० पुरी, सम आस्पेक्ट्स आफ इकनामिक लाइफ इन दि कुषाण पीरियड, इंडियन कल्चर, कलकत्ता, xii।

7. रूपांतरण की प्रक्रिया

(लगभग दो सौ से पाँच सौ ई० सन)

मूल स्रोत

ग्रंथ

अमरकोश या अमरकृत नामलिंगानुशासन, भट्ट क्षीरस्वामी की टीका सहित, संपादक ए० डी० शर्मा और एन० जी० सरदेसाई, पूना, 1941।

कात्यायन स्मृति, व्यवहार, विधि एवं प्रक्रिया संबंधी नए पाठ सहित, संपादन, अनुवाद, टिप्पणी और प्रस्तावना, पी० वी० काणे, बंबई, 1933।

कामंदकीय नीतिसार, संपादक आर० एल० मित्र, बिबिलओथेका इंडिका, कलकत्ता, 1884, अनुवादक एम० एन० दत्त, कलकत्ता 1896।

कामसूत्र, वात्स्यायनकृत. यशोधर की जयमंगला टीका सहित, संपादक गोस्वामि दामोदर शास्त्री, बनारस, 1929।

जंबूद्वीप पञ्चपितः, शांतिचंद्र की टीका सहित, बंबई, 1920।

- जयाख्य संहिता, संपादक एंबर कृष्णाचार्य, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, Liv, बड़ौदा, 1931।
- थेरगाथा अट्ठकथा (परमत्थदीपनी), धर्मपाल की टीका, संपादक एफ० एल० वुडवार्ड, 2 जिल्द, पाली टेक्स्ट सोसाइटी, लंदन, 1940-52।
- नरसिंह पुराण, द्वितीय संस्करण, बंबई, 1911।
- नाट्यशास्त्र, भरत मुनि कृत, अभिनव गुप्त की टीका संहित, संपादक मनवल्लि रामकृष्ण कवि, 3 जिल्द, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, बड़ौदा, 1926-54, अनुवादक मनमोहन घोष, कलकत्ता, 1950।
- नारद स्मृति, असहाय की टीका के उद्धरण संहित, संपादक जे० जाली, कलकत्ता, 1885, अनुवाद, जे० जाली, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, xxxiii, आक्सफोर्ड, 1889।
- पंचतंत्र, प्राचीनतम पाठ, कश्मीरी, जिसका शीर्षक है तंत्राख्यायिका, संपादक जे० हर्टल, हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज, xiv, हार्वर्ड, 1915। ग्रंथ अपने प्राचीनतम रूप में, एफ० एडगर्टन, पूना, 1930 (निर्देश इसी ग्रंथ के दिए गए हैं)।
- पिंडनिर्युक्तिः, भद्रवाहु स्वामी कृत, बंबई, 1918।
- वृहत् कलपसूत्र और स्थविर आर्य भद्रवाहु स्वामिन् की मूल निर्युक्ति तथा संघदास गण क्षमाश्रमण का भाष्य, और टीका, जिसका आरंभ मलयगिरि ने और समापन क्षेमकीर्ति ने किया, 6 जिल्द, भावनगर, 1933-42।
- वृहत् संहिता, वराहमिहिरकृत, हिंदी अनुवाद संहित, दुर्गप्रिसाद, लखनऊ, 1884।
- वृहत् संहिता, वराहमिहिरकृत, भट्टोत्पल की टीका संहित, 2 खंड, संपादक सुधाकर द्विवेदी, बनारस, 1895-7।
- वृहस्पति स्मृति (इस ग्रंथ का अनुसरण किया गया है), संपादक के० वी० रंगस्वामी अच्यंगर, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, Lxxxv, बड़ौदा, 1941 अनुवादक, जे० जाली, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, xxxiii, आक्सफोर्ड, 1889।
- मालविकाग्निमित्र, कालिदासकृत, संपादक पी० एस० सने, जी० एच० गोडबोले ऐंड एच० एस० उरसेकर, बंबई, 1950।
- मृच्छकटिक, शूद्रक कृत, संपादक और अनुवादक, आर० डी० करमारकर, पूना, 1937। अनुवादक आर० पी० आलिवर, एलिनाय, 1938।
- याज्ञवल्क्य स्मृति, वीरमित्रोदय एवं मिताक्षरा संहित, चौखंबा संस्कृत सीरीज, बनारस, संवत् 1986।
- रघुवंश कालिदासकृत, संपादक रघुनाथ नंदगिंकर, बंबई, 1891।

300 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

लंकावतार सूक्त, संपादक बुनियु नानजियो, क्योटो, 1923। अनुवादक डी० टी० सुजुकी, लंदन, 1932।
वर्जसूची, अश्वघोषकृत, संपादक और अनुवादक, सुजितकुमार मुखोपाध्याय, शांतिनिकेतन, 1950।
विमानवत्थु अट्टवाथा (धर्मपालकृत परमत्थदीपनी का खण्ड IV), संपादक ई० हार्डी, पाली टेक्स्ट सोसायटी, लंदन, 1901।
विष्णुधर्मोत्तर महापुराण, बंबई, विक्रम संवत, 1969।
विष्णुस्मृति या वैष्णव धर्मसास्त्र (नंद पंडित की टीका के उद्धरण सहित), संपादक जे० जाली, विबिलओथेका इंडिका, कलकत्ता, 1881; अनुवादक जे० जाली, सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, vii, आक्सफोर्ड, 1880।

चीनी ग्रंथ

एच० ए० जाइल्स, दि ट्रैवेल्स आफ फाहियान आर ए रेकार्ड आफ बुद्धिस्तिक किंगडम्स (अनुवाद), कैब्रिज, 1923।
जेस्स लेगि, ए रेकार्ड आफ बुद्धिस्तिक किंगडम्स (चीनी भिक्खु फाहियान की यात्रा का विवरण), (अनुवाद) आक्सफोर्ड, 1886।
टी० वाल्टर्स, आन युएन सांगस ट्रैवेल्स इन इंडिया, संपादक टी० डब्ल्यू० रीज डेविड्स एवं एस० डब्ल्यू० बुशेल, 2 जिल्द, लंदन, 1904-5।
सैमुअल बील, ट्रैवेल्स आफ फाहियान ऐंड सुंग-यंग (अनुवाद), लंदन, 1869।

अन्य ग्रंथ

एडवर्ड सी० सचौ, अलबेर्नीज इंडिया (अनुवाद एवं संपादन), लंदन, 1888।

उत्कीर्ण लेख

जे० एफ० फ्लीट, इंसक्रिप्शंस आफ दि अर्ली गुप्त किरस, cii, iii, लंदन, 1888।

गौण रचनाएं

आर० एन० सेलेटोर, लाइफ इन दि गुप्त एज, बंबई, 1943।

आर० जी० बसाक, इंडियन सोसायटी ऐज पिक्चर्ड इन दि मूच्छकटिक, इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टली, कलकत्ता, V।

आर० जी० भंडारकर, वैष्णविज्म, शैविज्म ऐंड माइनर रेलिजस सेक्ट्स, स्ट्रैसबर्ग, 1913।

- आर० सी० मजुमदार एवं ए० एस० अल्टेकर, दि गुप्त-वाकाटक एज, लाहौर,
1946 ।
- आर० सी० मजुमदार एवं ए० डी० पुस्लकर, दि क्लासिकल एज, बंबई,
1954 ।
- ई० डब्ल्यू० हापकिंस, (i) दि रेलिजन्स आफ इंडिया, लंदन, 1895 ।
(ii) दि ग्रेट एपिक आफ इंडिया, न्यू हैवेन, 1901 ।
- ई० पी० ओ० मरे, दि एनशिएंट वर्क्स आफ वेस्टर्न धालभूम, जर्नल आफ दि
रायल एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, कलकत्ता, III श्रम, vi, 79-
104 ।
- एच० सी० चकलादार, सोशल लाइफ इन एनशिएंट इंडिया, कलकत्ता, 1929 ।
- एच० सी० रायचौधरी, अर्ली हिस्ट्री आफ वैष्णव सेक्ट, कलकत्ता, 1920 ।
- ए० बी० कीथ, दि सांख्य सिस्टम, आक्सफोर्ड, 1919 ।
- एम० ए० मरे, दि स्प्लेंजर दैट वाज इजिष्ट, लंदन, 1949 ।
- एस० के० मैती, दि इकनामिक लाइफ आफ नार्दन इंडिया इन दि गुप्ता पीरियड,
कलकत्ता, 1957 ।
- के० एस० रामस्वामी शास्त्री, स्टडीज इन रामायण, बड़ीदा, 1944 ।
- के० जे० विरजी, एनशिएंट हिस्ट्री आफ सौराष्ट्र, बंबई, 1952 ।
- जी० एफ० इलयिन, ओसोवेन्नोस्टी रावस्त्वा ड्रैवनीयइंडीये, वेस्टनिक ड्रैवनीय
इस्टोरी, (मास्को-लेनिनग्राद), 1951, सं० I, पृ० 33-52 ।
- जे० एन० बनर्जी, दि डेवलपमेंट आफ हिंदू आइकोनोशाफी, कलकत्ता, 1941 ।
- डी० आर० पाटिल, कल्चरल हिस्ट्री फ्राम दि वायु पुराण, पूना, 1946 ।
- डी० डी० कोसंबी, दि वर्किंग क्लास इन दि अमरकोश, जर्नल आफ ओरिएंटल
रिसर्च, मद्रास, xxiv, पृ० 57-69 ।
- रामशरण शर्मा, भारतीय सामन्तवाद, राजकमल, दिल्ली, 1973 ।
- बी० एस० उपाध्याय, इंडिया इन कालिदास, इलाहाबाद, 1947 ।
- बी० सी० ला, हैवेन ऐंड हैल इन बुद्धिस्ट पर्सेप्रेक्टिव, कलकत्ता एवं शिमला,
1925 ।
- बी० आर० आर० दीक्षितार, दि गुप्त पालिटी, मद्रास, 1952 ।

अनुक्रमणी

(संस्कृत, पालि और प्राकृत शब्द)

प्रंतराल 162	अपपात्र 104, 197
प्रंतस् 58	अपश्वत 10, 18
अंत्सावसायिन (अंत्यावसायिन) 116, 156, 163, 195, 197, 247, 249	अभिज्ञ 154
अंत्यजन 185, 197, 247	अमात्य 154, 163, 164
अंत्ययोनि 115	अयाज्य 164
अंत्यव 115, 197, 238	अरुणि 59
अक्तुनु 9	अर्थवाद 179
अग्निचयन 66	अराधसम् 13
अग्निहोत्र 66, 69, 199, 255	अर्य 63
अन्तनो पुरिस 93	अर्या 246
अदेवी: विष्णः 10, 11	अवकृष्ट 251
अदास 159	अवर 152, 160, 190, 205
अघम 237	अवर वर्णप्राय 146
अष्टव्यु 49, 51	अव्रत 10
अनंगदानव्रत 253	अष्टमेघ 43, 45, 50, 51, 55, 183
अनामय 103	आश्रद्धान 9
अनास 11	अश्रम 59, 110, 251, 252
अनुलोम 225	अष्टदश श्रेणि 177
अनुष्टुप् 51, 57, 64	असंवृत 199
अनूतदूत 47	असिक्तीविष्णः 10
अन्यव्रत 10, 18	असुर 26
अन्यस्य प्रेष्यः 54	अस्पृश्य 237
अपृणतः 13	आगहि 58
अपकृष्ट 180	आद्रव 58
अपकृष्टजः 186	आधाव 58
	आपदधर्मः 175

- अर्द्धिक 204, 228
 आर्यकृत 97
 अयाज्यायजनाइयापने 164
 आरोग्य 103
 आर्यत्वम् 158, 159
 आर्यप्राण 157, 158
 आपं 193
 आसुर 161, 193
 'आहृतका' 92
 आहितक 158, 160
 इतिहास 60
 इषुकार 65
 उत्कृष्ट 180, 186
 उत्थापन 54
 उदीच्य 82
 उणादि-सूत्र 29
 उपकृष्ट 62
 उपनयन 26-7, 59-61, 108, 115, 250
 'उपनीत' 61, 67
 उपपातक 239
 उपरिकर 229
 उषासक 122
 एकजाति 198
 एकाह 45
 एथमानद्विद् 13
 एहि 58
 ऐद्रलोक 253
 एंद्राग्नि 251
 ओदनसव 63
 ऋत्विज् 199, 254
 कबालभयग 93
 कपूयाम् 57
 कम्मकार 121
 करीसा (करीष) 89, 227
 कल्प 143
 कण्वेष्टन 251
 कर्म (सिद्धांत) 282
 कर्मकर्ता 43
 कर्मार 21, 47, 48, 65
 कर्षेक 146, 148, 153
 कल्याणीवाक् 58
 कामोत्थाप्यः 54
 कारुक 148, 228
 कार्यपिण 181
 काष्ठ 254
 कीनाश 228, 235
 कुम्भकार 111
 कुम्भदासी 246
 कुटुम्बिन 148, 229
 कुड्य 182
 कुल 24, 231
 कुलाल 65
 कुलिक 235, 255
 कुलीन 234
 कुल्यवाप 227
 कौटतक 86
 कृष्ण 192
 कृष्ण (काला) 10, 11
 कृष्ण अृषि 16
 कृष्णगर्भी 11
 कृष्णयोनिः दासीः 11
 कृष्ण रूपा 11
 कृष्णल 181, 232
 कैवर्त 235
 कोटि 255
 खत्तिय 95, 104
 गण 9
 गणिका 57
 गर्भदास 46
 गांधर्व (विवाह) 161, 194
 गांधर्व लोक 253
 गायथा 83, 87, 91-3, 245
 गाम्भोजक 88
 गायत्री 51, 239

- गोप 149
 गोरक्षक 148
 गोविकर्तन 47, 65
 गोक्त्र 140, 242
 गृहदास 112
 ग्रामतक्ष 86
 ग्रामणी 21
 ग्रामभूतक 146, 152
 ग्रामशिल्पिन् 86
 ग्राम्य-कुटुम्बिनः 148
 चंडालिका 248
 चकवा 244
 चमकार 111, 115, 247
 चर्मस् 21
 चर्मवकर्तिना 192
 चांद्रायण 193, 199, 211, 239, 244, 251
 चूड़ाकरण 251, 254
 चौरधातक 113
 जगति 51
 जन 14
 जनपद 147, 161
 जनपदानिवेश 146, 147, 159
 जनपदोभिजातः 154
 जन्म हत्ति 253
 जय 52
 जन्यमित्र 52
 जनंगम 247
 जात्तमय 93
 जाति 282
 जेत्यक 86
 तंतवाय 111
 तकमन् 24
 तच्छक 114
 तप 44
 तप्तकृष् 193
 तक्षक 62
 तक्षन् 21, 46-48, 67, 69
 तुल्नकार 86
 त्वर्चमसिकनीम 10
 दंड 174, 241, 254
 दंडसमता 161
 दरिद्रवीथी 182
 दर्भ 22
 दण् 17
 दस्युहत्या 18
 दशपूर्णमास 52
 दक्षिणा 14
 दान 251
 दाशीवशा 18
 दासकम्मकर 125
 दासकम्मकरपोरिस 93
 दासघर्म 224
 दासपरिभोग 90
 दासप्रवर्ग 18
 दासभोग 96
 दास हत्या 8, 18
 'दासी' 24, 44, 56, 121, 189, 194, 198
 दासीपुत्र 63
 दासीसम्म 225
 दिग्विजय 25
 दिवसभयग 93
 दिवाकीर्ति 247
 दुर्गनिवेश 48
 'द्र' 28
 'द्रु' 29
 द्रोणवाप 227
 द्वद्व 146
 द्विज 256, 281
 द्विजाति 185, 188
 धनिनः 9
 धनकार 65
 धर्मप्रवक्ता 183
 नमस्कार मंत्र 251
 नमः 110

- नलकार 111
 नहापित 111
 न्यायवर्तीक 252
 नागरक 230
 नामधेय 205
 नायक 225
 निकृष्टजाति: ...आसुरि: सेना: 11
 नियोग 194, 245
 निर्वाण 117
 निर्वासन 54
 निवर्तन 228
 निधाद स्थपति 62
 निषादाधिपति 62
 निष्क 181, 187
 निष्कासन 54
 नीचकुल 112
 पंचजना: 62
 पंचमहायज्ञ 251
 परित 103, 104, 107, 155, 235, 243, 253
 पदावनेकता 87
 पण 91, 163, 165, 180-81, 185, 187-88, 189, 238, 241
 पर्ण-मणि 21
 पराक 239
 परिचरणकर्मणि: 44
 परिचारक 158
 पल 177
 पालागल 47
 पालगली 57
 पाकयज्ञ 110, 199, 251
 पापिष्ठ 115
 पाणिग्रहण 161
 पितर 253
 पुरिस 93, 95
 पुरुषमेघ 44, 45, 57
 पुष्टम् 49
 पूर्णपात्र 251
 पेसकार 111, 117
 पेस्स 91, 95, 100
 पैषाच 161, 193
 पोषयिष्णुः 43
 पौर 98
 प्रचलाक 102
 प्रतिलोम 225, 238
 प्रथमकुलिक 234
 प्रवर 253
 प्रवर्य 67
 प्राण 60
 प्राणायाम 105
 प्रेष्य 100
 प्लव 247
 फल 49
 वलि 20
 बहुपशुः 43
 बाहु 116, 195, 197
 बेकनाट 14
 ब्रह्मचर्याश्रम 59
 ब्रह्मचादिन् 56, 199
 ब्रह्मचारिन् 59
 ब्राह्म 193
 भद्रिका: प्रजा: 241
 भटक 92, 95, 176
 भटमयेषु 155
 भांडागारिक 97
 भागदुष 64
 भागिल्लभागिक 100
 भुजीस्स 159
 भूमिपुरुषवर्जम् 45
 भूमिशूद्धवर्जम् 45
 भूतक 92, 181-2, 222
 भूतकबीषी 182

- शृति 92
 शृत्य 222, 224
 भोग 146
 मंत्र 251, 253
 मंत्री 153, 234
 मञ्जसपटिपदा 144
 मध्यपर्क 61, 109
 मध्यमा तामसी गतिः 203
 महाव्रत 63-4, 239
 महासाल 95
 मातंग 113, 118
 मानुसी प्रजा 10
 मारुत (स्वर्ण) 253
 मासक 91-2
 मंज 254
 मुनिश्रेष्ठ 57
 मृगयों 65
 मृतप 112, 197
 मृद्रवाक 11
 यथाकामप्रयाप्य 53
 यथाकामवध्यः 54
 यज्ञ 251
 यज्ञदीक्षा 251
 युगांत 206
 रजस् 203
 रस्तहवीषि 48, 64, 65
 रत्निन् 47-9, 68
 राजकुम्भकार 86
 राजकुलाल 86
 राजनापित 86
 राजमालाकार 86
 राजवल्लभ 87
 राजसूय 25, 47, 48, 51-5
 राजशासन 145
 राक्षस 161, 193
 लृहाचार खृदाचारति 29, 112
 लोकायत 143
- चक 244
 चण्डिन् 225
 चर्चस् 49
 चध 55
 चष्य 239
 चर्द्धकि 152
 'चर्ण' 14
 चर्णविराणाम् 148
 चर्णसंकर 248
 चसोदर्चि 51
 चाधक 235
 चायु 60
 चारिक 230
 चालवित्य 18
 चिदय 9
 चिप्र 240
 चिमान 254
 चिष्ण 8, 10, 12, 14-5, 17, 21, 27, 44,
 46, 48-9, 52, 64, 66, 115
 चिष्वजित् 62
 चिष्टि 149, 230, 280
 चिष्टिबंधक 153
 चीणा 230
 चृद्धि 253
 चृष्णल 67, 112, 163, 182, 191, 197-8,
 202-3, 234, 241
 चृष्णली 194-5
 चृष्णिप्र 11
 चेदी 63
 चेण 114, 117
 चेणुकार 114
 चैर 54
 चैरवेय 54
 चैर हत्या 55
 चैश्वदेव 103, 105
 च्याकरण 51
 च्यवहार-समता 161

- व्रत 10, 13
 व्रात 10
 शतरुद्रीय 65
 शिल्प 46
 शिवमंदिर 253
 शील 256
 शुक 28
 शुच 29
 शुचम् अभिदुद्राव 29
 शुचावा अभिद्रुते 29
 शुचा वा रैवचम् अभिदुद्राव 29
 शुल्क 158
 शुश्रूष 198
 शूद्रकर्षप्रायम् 146
 शूद्रपुत्र 56
 शूद्र भूयिष्ठ 202
 शूद्रयोनि 56
 शूद्रबर्जम् 104
 शूद्रा 24, 246, 282
 शौणिङ्क 192
 श्यावाय 16
 श्राद्ध 82, 192, 253-4
 श्रेणि 231
 श्रेणिधर्म 231
 श्रेष्ठः 186
 शवनियों 65
 श्वीन्द्रु 30
 संग्रहीतृ 64
 संघण 98
 संध्या 111
 सजात 48
 सत्त्व 203
 सन्तति 256
 सन्निधाता 148
 सर्पिड 110, 157
 सभा 9
 सभासद 50
 सम्य 234
 समान स्थानवासी 98
 समाहर्ता 153
 समिति 9
 सर्वग्राहादिकाः 147
 सर्वविद्या 61
 सर्वमेध 45
 साधारण 253
 सीता 224
 सीताध्याय 150
 सीर 224
 सीरवाहक 223
 सुकालित 253
 सुद 29, 117
 सुवर्ण 237
 सुदो वा सुद दासो वा 88
 सूत्राध्यक्ष 150
 सेटिठ्छत्त 97
 सेनानि 47
 सीम-याग 66
 सीबाग 118
 स्वीधन 193
 स्थपति 62
 स्थली 66
 स्त्रातक 61, 103, 182, 191-2, 197-8,
 234, 243-4
 स्वयंवर 245
 स्वाहाकार 251
 हविष् 63
 'हविष्कृत' 58
 हीनकर्मजातिम् 164
 हीन जाति 47, 112
 कात्ता 156
 क्षुद्र 29
 नैवर्णिक 62, 101

सामान्य अनुक्रमणी

(इस सूची में भी संस्कृत और पालि भाषा के शब्द, विशेषकर साधारणतया प्रयुक्त होने वाले ग्रंथों, जातियों और व्यक्तियों के नाम शामिल किए गए हैं।)

- | | |
|---|--|
| शंग (राजा) 44 | 240, 247-8, 281 |
| अंगिरस 17, 58 | अमरसिंह 221, 230, 244, 253 |
| अंगुल्तर निकाय' 83 | अरस्तू 154 |
| अंगुलिमाल 117 | अर्थशास्त्र (कौटिल्य) 5, 143-5, 149-51,
153-4, 156-7, 161, 163-5, 177,
181, 204, 223, 226, 229, 231, 233,
280 |
| अंध 58, 195-6 | अर्बुद 234 |
| अंबष्ठ 23, 28, 195, 247 | अलिन 13 |
| अंबष्ठ राजा 23 | अर्वति 234 |
| अंशुमती (यमुना नदी) 10 | अशोक 121, 145, 160, 163, 174, 200-1,
280 |
| 'अ कोड आफ़ जेंटू लाज' 1 | अशोक के ताप्रपत्र 155 |
| अविन 11-3, 50-1, 66 | अशवधोष 221 |
| अन्निवैश्वानर 10 | अश्वपति कैकेय 27 |
| अजातशत्रु (मगध) 119, 160 | अश्वमेधिक पर्व (महाभारत) 241 |
| अजीर्णत 58 | अश्विनी 16, 64-5 |
| अतुक 228 | 'असम' 227 |
| अतिक 89 | असुर 9, 11, 60 |
| अथवंत (पुजारी) 13, 16 | अस्पृश्य 5, 58, पूर्व मौर्यकाल में 108,
112-3, 115-7, मौर्यकाल में 154, 163,
मौर्योत्तर काल में 195-7, गुप्त काल में
249-51 |
| अथवंवेद 8, 10, 17, 20-5, 29, 43, 47-9,
59, 60, 69, 108 | अहूर 26 |
| अध्यवन (ईरान) 16 | अहूर मज्द 59 |
| अनु 13 | |
| अनुशासन पर्व 220, 222, 225, 238, 241,
243, 245, 246, 248 | |
| अफीका 8 | |
| अबस्तनोई 23 | |
| अमरकोश 221, 225, 227, 229-30, 235, | |

- अत्रि 194
 आजीवक संप्रदाय 121, 163
 आदिपर्व (महाभारत) 192
 आनंद 177
 आपस्तंब 82, 87, 90, 93, 97, 99, 102-4,
 107, 109, 112, 116, 180
 आपस्तंब धर्मसूत्र 60, 89, 104, 108, 115,
 144
 आपस्तंब श्रोतसूत्र 42, 62, 66
 आभीर (गासक) 24-5, 194, 234
 आभीरी (आर्यो बोली) 25
 आयोगव (संकर जाति) 50-1, 156, 162,
 195, 197
 आस्था 44, 59, 61
 आर्य (आर्यजन) 8-25, 27-8, 30, 50, 56,
 59, 63-6, 69, 82, 92, 96-7, 103,
 106, 111, 152, 158-60, 177, 198,
 202, 224, 279-80
 आर्येदेव 25
 आर्येसाधा 19, 25
 आर्यशूद्र 22
 आर्यं समाज 2
 आर्यं समुदाय 13, 20-1, 62, 198, 279
 आर्यवित् 82, 196
 'आश्वलायन गृह्णसूत्र' 109
 'आश्वलायन श्रीतसूत्र' 42, 45, 62
 आहिंदक 195
 आक्षेय 44
 इंग्लैंड 1
 हंदोर 231
 हँड 8, 10-12, 14, 16-7, 64
 इगर्लिंग, जे० 56
 हृतरा 56
 इल्लिन, जी० एफ० 4
 इंशिंग 221
 ईरान (ईरानी) 26, 59, 61
 इसिदारी 88
 ईश्वरचंद्र विद्यासागर 2
 ईस्ट इंडिया कंपनी 1
 'ईस्टी सन्' 25, 205, 220, 281
 'एज आफ कॉसेन्ट बिल' (1891) 2
 एरियन 23, 147, 155, 160, 162
 एलिफिस्टन 1
 एशिया 8
 ऐतरेय 56
 'ऐतरेय नाह्याण' 23, 42, 44, 46, 50, 53-6
 उग्र 108, 115, 195, 247
 उत्तर पश्चिमी भारत 24, 26, 28
 उत्तरपूर्वी भारत 24, 27, 85-6
 उत्तरी भारत 12, 84, 113, 145, 205, 226,
 229, 247, 254, 281
 'उत्तराध्ययन' 118
 उदय 104
 उपनिषद 42-3, 46, 69
 उपपुराण 253
 उपाल 112
 उवट 50
 उशिज 17, 56
 उशीनर 246
 ऊपरी गंगा 19
 और्हवेद 8, 9, 11-3, 16-24, 26, 30, 43,
 60, 63-4, 68
 और्हवैदिक आर्यसमाज 20
 और्हवैदिक जनजाति 62
 कक्षीवंत 17
 कक्षीवंत 56
 कछार जिला 227
 कण्व 16
 कपिजलाद 57
 कपिलवस्तु 124-25
 'कपिष्ठल संहिता' 66
 कर्मकर 43, 88, 92, 95, 102, 117, 122,
 147-49, 152, 164, 176, 178, 181,
 221, 229-30, 280

- करण 108, 246
 कलिंग 112, 246
 कलि (शासक) 183
 कलियुग 175, 183, 200-3
 कवष ऐलूष (पुजारी) 56, 63
 कसाइट 18
 कश्मीर 234
 कांबोज 97, 246
 कात्यायन (स्मृति) 220, 223, 225-6, 228, 235-7, 240, 253
 कात्यायन श्रीतसूत्र 42, 45
 काठक विद्यालय 63
 'काठक संहिता' 63, 66
 काने, पी० बी० 16, 82
 कामेदक 221, 235
 'कामसूत्र' 221, 224, 230, 246
 कारावर (जाति) 195-6
 'काषकर रक्षणम्' 150
 कालिदास 221, 248, 251
 काशी 89, 90
 किरात 44, 281
 कीकट 9
 कीथ, ए० बी० 15-6, 45, 47, 54, 68
 कुक्कुटक (कुटक, कौक्कुटिक) 108, 162, 195-6
 कुमारामात्य 234
 कुरु 174
 कुरु पंचाल 42
 कुमाली (भाषा) 19
 कुल्लूक 175-6, 184-5, 189, 193, 194, 197-9
 कुषाण 175, 182, 201, 205, 220
 कुद्र 26
 कूद्रोस 26
 'कूर्मपुराण' 200-1
 कृष्ण (अमुर) 11, 221, 255
 केतकर, एस० बी० 4
- केल्टस 47
 कैवर्त (मल्लाह) 195-6, 254
 कैब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया 84
 कोटिवर्ष 234
 कोल (जनजाति) 228
 कोलबुक 1
 कोलिक (जनजाति) 228
 कोलिसर्प 246
 कोषल 95
 कौटिल्य 5, 83, 95, 143-9, 151-65, 180-1, 188-9, 202-3, 223, 235, 238, 241, 280, 282
 कौशिक (ऋषि) 256
 कौषीतकी ब्राह्मण 42
 कीतवासी 160
 गंगा 125
 गंगा धाटी 15
 गंगामाल (हजाम) 104
 'गंगामाल जातक' 91
 गंधर्व 60
 गणपति 255
 गणपति शास्त्री, दी० 148-9, 228
 गणपठ (पाणिनीकृत) 115
 गहयति 3, 86-7, 89, 95-8, 122, 124, 149, 181
 गांधार (जनजाति) 112
 गाइगर, डब्ल्यू० 60
 गुजरात 227
 गृह्यसूत्र 70, 82, 84, 108, 114, 251, 253
 गेल्डनर, के० एफ० 11, 13
 'गोपथ ब्राह्मण' 44
 गोतम (धर्मसूत्र, विद्विषयक ग्रंथ) 82, 85-89, 92, 94, 98, 101-104, 107-8, 110-11, 113, 115-6, 123, 144, 180, 182, 185
 गोतम बुद्ध 27, 29, 85, 88-90, 112, 118-23, 144, 196, 254

- गोतमी शातकर्णी 183, 205
- गौड़ 112
- ग्रीक 205
- ग्रीक नगर राज्य 96
- ग्रीक शासक 182
- ग्रीस 26, 46, 87, 95-8, 101, 147, 281
- घुयें, जी० एस० 3
- घोषाल, यू० एन० 4, 50, 53, 147
- चंद्रगुप्त द्वितीय 242
- चंद्रगुप्त मौर्य 143, 153, 282
- चंडाल, परवर्ती वैदिक समाज में 57-8, 68-9, 83, 103, 108-9, मौर्यपूर्व समाज में उनकी स्थिति 112, उत्पत्ति 112, ब्राह्मण समाज में उनकी स्वीकृति 114, निषादों के साथ तुलना 115, 117-8, जैन ग्रंथों में उनका स्थान 118, कौटिल्य की दृष्टि में 153, 155-6, 162, मौर्योत्तर समाज में 193, 194-7, 198, गुप्तकाल में 235, 238, 241, 243-5, 246-250, 255
- चारदत्त 246
- चिल्डर्स 89
- चीन 25
- चुंद 85
- चैलाशक 202
- च्यवन (अहिं) 245
- ‘छांदोग्य उपनिषद्’ 46, 59-61, 69
- जबख (देखिए ‘यक्ष’)
- जगन्नाथ तर्कपंचानन 220
- जनक 27
- ‘जयार्थ संहिता’ 255
- जातक 82-3, 86, 88-90, 106, 109, 113-15, 118, 121-5, 177
- जानश्रुति 29, 48, 60, 90-1
- जायसवाल, कें० पी० 48-9, 51, 98, 179, 185, 250
- जैमिनी 109
- ‘जैमिनीय ब्राह्मण’ 42-3, 51
- जैनशूद्र 185
- जोगली, जे० 194
- फल्ल 196
- डियोडोरस 2
- डोम, 247, 248
- तंत्रबाद 255
- तक्षशिला 109
- तरुक 17, 19
- तिलक, बी० जी० 2
- तुखार 25
- तुर्वेश 13
- ‘तैत्तिरीय ब्राह्मण’ 42, 52, 60, 64, 66
- ‘तैत्तिरीय संहिता’ 51, 65-6
- तोशली 245
- थेर 25
- ‘थेरिगाथा’ 25
- दंभोदभव (राजा) 50
- दक्ष 177
- दृष्टिति 25, 174
- दक्ष-शिव 255
- दत्त, एन० के० 3
- दभीति 9
- दरप 25
- दर्भ शातानीकि 51, 64
- ‘दस राजाओं का युद्ध’ 13
- दस्यु 8-13, 15-6, 18, 24, 58, 195, 240-1
- दहे 14, 18, 26
- दामीदर पुर के ताम्र शिलालेख 234
- दास 8-13, दास और दस्यु 11, 14-16, अहरवेद में दास 22-4, 26, 30, अहरवेद में दास (गुलाम) 18, 31, परवर्ती वैदिक काल में 44, पूर्व मौर्य काल में 88-92, 95, 97, 100, 117, 122, मौर्य काल में 147, 149, 152, बाहितक और दस्यु में

- अंतर 157-9, मौर्योंतर काल में 178, 190, 195-6, गुप्त काल में 20-6, 241-2
 'दासकर्मकरकल्प' 158
 दिवोदास (आर्य प्रमुख) 19
 दिवोदास (पुजारी) 17
 दिव्यावदान 174
 'दीघनिकाय' 83, 112, 119, 121, 178
 दीर्घेतमस 17, 18, 56
 द्रविड़ 25, 112, 116, 247
 द्राह्यायण श्रोतसूत्र 42
 दृष्टि 13
 'धनुर्वेद संहिता' 240, 250
 धिरवण 195-6
 धर्मकोति 221
 धर्मशास्त्र 2, 4, 5, 21, 24, 52, 82, 84, 87, 101, 104, 226
 धर्ममूर्ति 253
 धर्मसूत्र 4, 51, 54-5, 62, 70, 82, 84-5, 87, 89, 94, 98, 102-3, 105-6, 107-9, 112-116, 121, 143-5, 147, 152, 154-5, 157, 160-2, 165, 198, 205, 220, 242
 धूतिमित्र 234
 नंद 97, 112
 नंदराज (टीकाकार) 245
 नकुल 25
 नट-नर्तक 196
 'नयचंद्रिका' 146
 'नरसिंह पुराण' 229
 'नाट्यशास्त्र' 221, 242-3, 249, 250
 नारदस्मृति 220, 222-3, 225-7, 232, 235-6, 238, 240-1, 245, 250
 नारायण 255
 नासिक शिलालेख 178
 निग्रो 3
 निधंडु 44
 निरुक्त 54, 62, 143
 निषाद 44, 60, 62, 65, 67, 95, 108, 109, 114, समाज में उनका स्थान 114-5, निषाद गोत्र 115, 117, कौटिल्य की दृष्टि में 157, अन्य जातियों के साथ तुलना 162, 195-6, 246
 नीतिसार (कामदक) 221
 नेपाल 221, 222
 'पंचतंत्र' 244
 'पंचाल' 51, 64, 174
 'पंचविंश ब्राह्मण' 42, 56
 पंजाब 25, 82
 पञ्च 13
 पतंजलि 112, 174, 176, 178, 181, 182, 190-2, 194, 197
 पञ्चवणा 174
 पणि 14
 पर्जिटर, एफ० ई० 234
 परवर्ती वैदिक साहित्य 42, 43
 परशुराम 27
 पराशर 57, 157, 195
 परुणि (नदी) 13
 पर्णक 44
 पर्णियन 174, 182, 205
 पल्लव भूमिदान 228, 230
 पश्चिमी एशिया 19
 पश्चिमी भारत 230, 237, 240, 254
 पहलव 25
 पांडुसोपक 195-6
 पाणिनी का व्याकरण 29, 50, 82, 86, 90, 97, 112, 115, 163, 190-1, 281
 पारशव 108, 165
 पालि-ग्रंथों शब्दकोश 92
 पालिग्रंथ 21, 65, 87-8, 91, 95, 104, 106, 113, 115, 147, 159, 228
 पुजिष्ठ 62
 पुद्र 58
 पुराण 21, 29, 57, 200, 221, 233, 249,

- 254, 256, 258, 281
- पुरुषकृति 13, 17
- पुरु 13
- ‘पुरुष-सूक्ष्म’ 17, 22-3, 55
- पुरोहित 153
- पुर्विद 25, 58, 155, 246-7
- पूर्व-आर्य जनता 25
- पूर्व-बौद्ध काल 43
- पूर्वी नेपाल 246
- पूर्षण 44, 51, 64-5
- पूर्षध 245
- पैजवन 4, 27-8, 251
- पैपलाद 24
- पौलिकस (पुलकश, पुलकुस, पुक्कुस, पुक्कस) 44, 58, 71, 108, 112, 114-5, 117, 157, 177, 195-7, 248, 250
- प्रजापति 43, 59, 63, 64, 224
- प्रतर्दन दैवोदासि 17
- प्रमति 202
- प्रवाहण जैवलि 27
- प्राकृत 250
- फरोह 257
- फारस 18
- फाहियान 238, 240, 244, 246-7
- फिक, आर० 3, 114, 119
- फीसियन 47
- फ्लामेन 16
- बंगाल 1, 226-7, 235
- बनारस 113
- बर्नेल, ए० सी० 101
- बलि 56
- बलबूथ 17, 19
- बल्हिक 24
- बादरायण 29
- बादरी (प्राचीन शिक्षक) 109
- बिबसार 119
- बिहार 19, 82
- बुहलर, जी० 105
- बृहत संहिता 221, 228
- बृहदारण्यक उपनिषद 67, 69
- बृहदेवता 56
- बृहस्पति स्मृति 10, 220-6, 228-30, 232-9, 244-5, 247, 251, 253, 254
- बेबीलोनिया 18
- बैद 44
- बैचिट्रयन ग्रीक 174
- बोधिसत्त्व 85, 91, 118, 121
- बौद्धधर्म 117-22
- बौद्धसंघ 179, 254
- बौद्ध शूद्र 185
- बौद्धायन 83, 94, 98, 101-2, 105-7, 110, 111, 114, 116
- बौद्धायन धर्मसूत्र 108, 144
- बौद्धायन श्रीतसूत्र 42
- ब्रह्मा 49, 52-3
- ब्रह्मदत्त 104
- ब्रह्माण्ड देश 174
- ब्रह्माण्ड पुराण 201, 242
- ब्रह्मा 19
- ब्रह्मावत् 174
- ब्राह्मण (पुजारी) 4, पूर्व वैदिक काल में 15, 16, 21, 22, 26, 27, 30, उत्तर वैदिक काल में 48, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 70, पूर्व मौर्य काल में 84, 87-9, 95-9, 102-8, 110-25, मौर्य काल में 154-8, 161-3, 165, मौर्योत्तर काल में 174-5, 177, 179, 180-205, गुप्त काल में 220, 222, 225, 227-8, 231, 233-4, 236-57, 280, शूद्रों से विरोध 282
- ब्राह्मणवाद 16, 205
- ब्राह्मण साहित्य 42, 57
- ब्रिटेन 1
- भंडारकर, ही० आर० 198
- भंडारकर, सर आर० जी० 2

314 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

- भृगु 194
 भगवान् 255
 भट्टस्वामिन (व्याख्याकार) 148-9
 भरहुत 83
 भलानस (जाति) 13
 'भविष्य पुराण' 57, 221, 249
 'भागवत पुराण' 221, 249
 भारत 13, 28
 भारत का इतिहास (जे० मिल) 1
 भारत युद्ध 25
 भास 174
 भिल 254
 मंदसोर 231
 मंस 246
 मक्खलि गोसाल 125
 मगध 89, 95, 119
 'मञ्जिकम निकाय' 83, 87, 99
 मत्स्य 174
 'मत्स्य पुराण' 211, 221
 मथुरा 177, 179
 मदनपाल 57
 मदनिका (दास युवती) 246
 मद्दगु (संकर जाति) 195-6
 मध्यभारत 227-8, 240
 'मध्यांत-विभंग' 144
 मद्रनाभस (जाति) 246
 मनिसक 196
 मनु 83, 108, 156, 174-8, 200-22, 225-7, 232, 235-7, 239, 241-2, 244, 247, 249, 251, 254, 280
 मनु वैवश्वत 245
 'मनुस्मृति' 94, 221
 मन्यु 12
 मष्ठ 10, 46, 50, 64
 मष्ठ अविक्षित (राजा आयोगव) 50-1
 मल्ल 196
- मस्करिन 98, 109
 महाकाव्य 21, 28, 249, 258
 महादेव 255
 महाभारत 19, 24, 27, 28, 43, 50, 56, 62-4, 68, 220, 249, 254
 महाभाष्य (पातंजलि) 174, 197-8
 महाराजा विष्णुदास 242
 महावृष्ट 24, 28, 60
 'महावस्तु' 174, 176, 178, 186
 महिष 247
 महावीर 84, 119
 महीवास 56
 महीघर 50
 मागध (संकर जाति) 108, 156, 195, 197; 247
 मागधी (प्राकृत बोली) 250
 मातंग (चंडाल पुत्र) 118
 मातंग (अस्पृश्य) 249
 माधव 202
 'माध्यांदिन' 67
 मामतेय 17
 'मार्कोडेय पुराण' 221, 228, 249, 250-6
 मार्गव (जाति) 195-6
 मालवा 83, 234
 मितनी 19
 मिथिला 27, 220, 256
 मिल, जे० 1
 मिस्त्र 145, 201, 257
 मिस्त्र का मध्य राज्य 239, 245, 257
 मुहर, जे० 2, 3, 13, 14
 मुक्त आर्य 80
 मुजवंत 24
 मुतिव 58
 'मूल्यकाटिक' 242, 244, 246, 249, 250
 मेगस्थनीज 143, 145, 147, 148, 154-6.

- मेद 195-6
 मेधातिथि (व्याख्याता) 56, 176
 मेसीपोटामियन 15
 मैत्रक शासक 227
 'मैत्रायणि संहिता' 67
 मैत्रेयक 195-6
 मोरिय 153
 मोर्य 280
 मौजिट्क 196
 मौरिकन 160
 म्लेच्छ शासक 201-3, 234, 237, 241, 247
 'यजु' (ग्रंथ) 48-51, 55, 63, 65, 66
 'यजुर्वेद' 60
 यदु 13
 यमुना 10
 यवन 82, 97, 108, 159, 246
 यक्ष 248
 यादव 11
 याष्ठ 62-3
 याज्ञवल्क्य स्मृति 220-3, 225-7, 233-7, 239, 241, 243-5, 247, 249, 251-2, 254
 'युग पुराण' 175, 201
 युधिष्ठिर 25, 44, 49, 61
 योरोप 84
 योरोपवासी 3, 8, 23
 रजक 253
 रथकार 21, 47, 49, 51, 61-3, 65-7, 69, 108, समाज में उनका स्थान 114, 117, 158, अन्य जातियों से तुलना 162, 230, 247
 राधवानंद 187, 196
 राजा 20-1, 23, 46-52, 55, 57, 68, 86-7, 91, 93, 97-8, 101, 111, 114, 117-21, 145, 147, 150, 152-3
 राजुक 160
- राम 251
 राम भार्गवेय 53
 रामायण 249
 राथ, राममोहन 2
 राक्षस 10, 12, 19
 रीज डेविड्स (श्रीमती) 125
 रीज डेविड्स, टी० डब्ल्यू० 85, 113
 रुद्र 65
 रुद्रदमन 204
 रुद्र-पशुपति 62
 रुद्रलोक 255
 रैक्व 46
 रोध, आर०
 रोम 87, 96, 97, 147, 177, 205, 284
 रोमक 83
 रोम के सप्तांश 16
 रोम साम्राज्य 202
 'लंकावतार सूत्र' 221
 'लाद्यायन श्रोतसूत्र' 42
 लीलावती 253
 लैसिडिमोनिया 160
 वच्चसूची 221, 250, 254, 256
 वत्स (ऋषि) 56
 वन पर्व 256
 वराहदास 242
 वराहमिहिर 221, 233
 वरुण 12-3, 24, 58
 वर्णेन्ड 20, 54, 187, 190
 वर्द्धमान महाकीर 27-8
 वर्ण 21, 22, 63, 85
 वर्णाश्रम 221
 वलभी 227
 वसंतसेना 246, 256
 वसिष्ठ 13, 57, 82, 94, 98, 101, 110, 115, 123-5, 161-2, 188, 198-9, 205, 230, 242, 256
 वसिष्ठ धर्मशास्त्र 241

31.6 शूद्रों का प्राचीन इतिहास

- वसिष्ठ धर्मसूत्र 144
 वागुरिक 155
 वाजसनेयि संहिता 51, 58, 63, 66
 वात्स्यायन 221, 246
 'वायु पुराण' 201-2, 242, 245
 वायुदेव 255
 विनय पिटक 83, 90, 92, 112, 124, 188
 विलियम जोन्स, सर 1
 विल्सन, एच० एच० 11-2
 विष्वंतर सौषधन 53
 विष्वरूप 245
 विष्वदेव 50, 64
 विष्वामित्र 13, 27, 58, 192, 256
 विष्णु (वेत्ता) 255-6
 विष्णु पुराण 62, 183, 203, 206, 221
 विष्णु स्मृति 221, 227, 230, 232, 236-7, 239, 245, 250
 विष्णुधर्मोत्तर पुराण 221
 विज्ञानेश्वर 244
 वृद्ध मनु 19
 वृत्त 16
 वेद 19, 58, 61, 104, 164, 198-200, 235, 249, 251, 255, 258
 'वेदांतसूत्र' 28
 वेण (जाति) 117, 162, 194, 196
 वेण (राजा) 114
 वेबर, ए० 2, 19, 65
 वैदेहक 195, 197, 247
 वैद्य 246
 वैदिक आर्य 26
 वैदिक ग्रंथ 24, 107-8
 वैदिक देवता 64
 वैदिक भारतीय 15-6, 57, 60
 वैदिक इडेक्स 14, 44, 56, 69, 279
 वैशाली 235, 255
 वैष्य, प्रारंभिक वैदिक काल में 21-2, परवर्ती वैदिक काल में 25, 44, 46, 48-58, 60-1, 63-8, मौर्यपूर्व काल में 85, 87, 94-97, 99, 101, 104, 105-108, 110, 114, 122-3, मौर्य काल में 154-157, 161, मौर्योत्तर काल में 175-6, 178-181, 183-5, 187-8, 190-4, 199, 200, गुप्त काल में 225, 227-8, 233-6, 238-243, 245-6, 252-6
 वैश्यवर्ग 228, 248
 वैश्वदेव समारोह 243
 वैष्णवबाद 182, 254-6, 282
 व्यापारी 85, 93, 151, 240-1
 व्यास 57, 256
 व्रात्य, गैर ब्राह्मण आर्य के रूप में 59, 65, संकर जाति के रूप में 156, 246, 250
 शंकर 29, 67
 शंकरिक 196
 शंदूक 251
 शक 25, 174, 182, 201, 205, 246
 शकार (मृच्छकटिक का एक पात्र) 249
 'शतपथ ब्राह्मण' 42, 47, 50, 52, 53, 56, 58, 60, 67
 शबर 25, 59, 112, 155, 248
 शर्विलक (ब्राह्मण) 246
 'शांखायन श्रीतसूत्र' 42, 45, 64
 शांति पर्व 4, 27-8, 221-4, 230, 233, 235, 239-41, 244, 249, 251-2, 257
 शाक्य 124
 शाम शास्त्री 148, 158, 162
 शास्त्री, वी० एस० 4
 शिवि 28
 शिल्पी, ऋत्वैदिक काल 20-1, परवर्ती वैदिक काल 44, 46, 48, 64, 68, पूर्व मौर्यकाल 85-6, 93, 95, 99, 101, 110, 121, 124, मौर्यकाल 145, 147-9, 151-3, मौर्योत्तर काल 177-8, 204, गुप्तकाल में 228, 230-1, 244
 शिव 13

- शिव (जाति) 253, 255
 शूनः शेष 58
 शूद्र 1-8, 16-9, शूद्र जनजाति 22-27, शूद्र जनजाति के सैनिक कार्य 28, शूद्रों की स्थिति 42-6, 47-51, 60-82, 84-5, जन-संघर्ष 87-9, 91-2, सेवा नहीं करने वाले शूद्र, शूद्र पुत्रों तथा अन्यों में भेद 87-95, उनकी विभिन्न भूमिकाएं 95-6, पूर्व मौर्य काल में उनकी राजनीतिक-कानूनी स्थिति 96-101, उनकी सामाजिक अयोग्यता 102, उनका पेणा और भोजन 103-6, विवाह के नियम 106-8. उनकी शिक्षा के प्रकार 109, 110, उनके थार्डकर्म 110, पांच प्रकार के निम्न पेणे 111, पांच हीन जातियाँ 112, शूद्र और अंत्ययोनि 115, बौद्ध धर्म में उनका प्रवेश 117-120, जैन लोगों का दृष्टिकोण 120-1, वैश्य और शूद्रों को समान मानना 123, निचले तबके का विरोध 125, कौटिल्य की दृष्टि में 145, शूद्र किसान 146, कौटिल्य की मान्यता 147-53, 155-6, मौर्य काल में उनकी स्थिति 174-6, 178-80, 181-194, 197-205, गुप्त काल में उनकी स्थिति 220-222, 224-5, 227-247, 249-257
 शूद्रक 221
 शूद्र वर्ग 222, 230, 235, 240, 244, 247-8
 शूद्रपासक 234
 शूर सेन 28, 174
 शैववाद 255, 282
 शौनक 194
 श्यापण 53
 श्रमिक 4, परवर्ती वैदिक काल 68, पूर्व मौर्य काल 87, 89, 90-3, 95, 104, 106, 122, 124, मौर्य काल में 146-9, 151-3, 155, 181-2, गुप्त काल में कृषि श्रमिक 222-4, 232-3
 श्री शातकर्णि 177
 श्रीतसूत्र 42, 45-6, 61, 67
 श्वपक 196, 243
 श्वपक 57, 156, 162, 195, 247, 248, 255
 श्वेतकेतु 44, 59
 संबस्तई 23
 'संयुत निकाय' 83
 संस्कृत 23, 250
 संहिता (वेद संबंधी) 14, 43, 46
 सतलज 19
 सती 2
 'सत्यार्थ प्रकाश' 2
 'सत्यापाद श्रीतसूत्र' 42
 सदाना 19
 सहालपुत्र 85
 सद्धर्म पुंडरीक 174, 186
 सनकानीक 242
 सरस्वती 19, 25, 174, 187
 सांची 83
 सातवाहन 83, 179, 190, 205, 236
 सामविधान आह्वाण 101
 सामवेद 60
 सायण 10-1, 23-4, 47, 54, 56, 58, 65
 सावत्त्य (श्रावस्ती) 83
 सिकंदर 23
 सिद (सिंध) 23, 160, 234
 सिंधु की राजनीतिक व्यवस्था 15
 सिंहवर्मन 201
 श्रीयियन जाति 14, 18
 सुकरात 46
 सुकालिन 199
 सुद 29
 सुदर्शन भील 204
 सुवक्षिण क्षेमि 56

- सुदास 12-3, 29
- सुमेर 15
- सूत 21, 65, 156, 195, 197, 235, 247
- सूयगढ़म 100
- सूर्य 50
- सेट्टिं 3, 86, 88-9, 95, 97
- सेनार्ट, ई० 3, 14, 61
- सेलग 60
- सैरंध 195-6
- सोद्रई 23
- सोम 10, 11, 46, 63, 66, 67
- सौंडिक 196
- सौंगंघ (संकर जाति) 246
- सौरसेनी 250
- सौराष्ट्र 234
- स्ट्रैबो 144-5, 147, 155, 160
- स्पार्टन 60
- स्पार्टा 46, 279
- स्फैमियोतई 160
- स्वामी दयानंद 2
- हम्मुखी संहिता 102
- हड्डपा 18
- हयशीर्ष पंचतंत्र 221
- हरदत्त 102, 104, 110, 112
- हविक 179
- हरि 255
- हरिसेन 118
- ज्ञापर्किस, ई० डब्ल्यू० 3, 63, 203, 220, 251, 279
- हिमालय 82
- हिटाइट 19
- हिरण्यकेशिन गृह्णसूत्र 90
- हिलब्रांट, ए० 3, 14
- ह्रश्तिवर्ण (ईरान) 61
- हृण 25
- हेग, एम० 54
- हेलट 48
- हेसियट 48
- ह्वेन-सांग 229
- होमर 26
- होमरकालीन ग्रीस 26
- ह्विद्ने, डब्ल्यू० डी० 23
- ह्वीलर, आर० ई० एम० 15
- कत्ता (अत्) 47, 162, 195-7, 247
- कत्त 49, 52-3
- क्षत्रिय (योद्धा) 3, पूर्व वैदिक काल में 14, 21, 23, 27, उत्तर वैदिक काल में 30, 45, 50, 52, 61, 66, 68, पूर्व मौर्य काल में 84, 87, 93-5, 98, 101-8, 110-11, 122-3, मौर्य काल में 154-7, मौर्योत्तर काल में 174, 180-4, 187-9, 191-4, 200, 202, गुप्त काल में 225, 233-6, 238-42, 250-2, 255
- क्षुद्रक 190
- कौद्र 246
- क्षसदस्यु 11, 17
- क्षेत्रायुग 20



65243



Sudras - Ancient - History

Sudras - Ancient - History

Ancient - History - Sudras

History - Sudras - Ancient

CATALOGUED.

Central Archaeological Library,

NEW DELHI.

65243

Call No 177 50834 / Sir

Author — 91n/ 25781P

mn. 21/1 4/2/7